



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082026-275220  
CG-DL-E-05082026-275220

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 486]  
No. 486]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 31, 2026/श्रावण 9, 1948  
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 31, 2026/SHRAVAN 9, 1948

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान  
(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2026

सं. 1-सीए(5)/77/2026.—चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (5ख) के अनुसरण में, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की परिषद् के 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संपरीक्षित लेखाओं और रिपोर्ट की एक प्रति जनसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित की जाती है।

77वीं वार्षिक रिपोर्ट

वृत्ति का रूपांतरण : विश्वास का निर्माण, नवप्रवर्तन का अंगीकरण, राष्ट्र का सुदृढीकरण

## विश्वास का निर्माण

एक अग्रणी वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के उत्थान की गाथा केवल आर्थिक विस्तार की गाथा नहीं है; यह विश्वास, नवप्रवर्तन और सांस्थानिक सुदृढता की गाथा है। इस यात्रा के प्रत्येक चरण में, अकाउंटेंसी वृत्ति ने एक महत्वपूर्ण समर्थक की भूमिका निभाई है और उसने संवहनीय प्रगति के लिए आवश्यक विश्वसनीयता, पारदर्शिता और विश्वास उपलब्ध कराया है। जैसे-जैसे राष्ट्र विकसित भारत की परिकल्पना की ओर अग्रसर हो रहा है, वैसे-वैसे भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) एक ऐसी वृत्ति का पोषण करके अपनी परिवर्तनकारी भूमिका को निरंतर निभा रहा है, जो सत्यनिष्ठा को नवप्रवर्तन के साथ तथा विशेषज्ञता को लोक प्रयोजन के साथ संयोजित करती है।

विश्वास आर्थिक विकास की आधारशिला है। निवेशक, कारोबार, सरकारें और नागरिक सुविज्ञ विनिश्चय करने के लिए सही और पारदर्शी वित्तीय जानकारी पर निर्भर रहते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट दीर्घ काल से इस विश्वास के अभिरक्षक रहे हैं और वे यह सुनिश्चित करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग तथा शासन ढांचे वृत्तिकता और उत्तरदायित्व के उच्चतम मानकों के अनुसार कार्य करें। नैतिकता और लोक हित के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से वे बाजारों की नींव को सुदृढ़ करते हैं, संस्थाओं में विश्वास को प्रबल बनाते हैं तथा एक स्थिर और प्रत्यास्थ आर्थिक पारिस्थितिकी प्रणाली के प्रति योगदान करते हैं।

जैसे-जैसे आर्थिक क्रियाकलाप सीमाओं के आर-पार अधिकाधिक अंतर्संबद्ध होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे विश्वास का राष्ट्रीय सीमाओं से परे विस्तार होना भी आवश्यक है। भारतीय कारोबार आज एक ऐसे वैश्विक परिवेश में कार्य कर रहे हैं, जहां वित्तीय जानकारी की तुलनीयता, सुसंगतता और विश्वसनीयता अपरिहार्य है। आईसीएआई ने वृत्तिक मानकों को अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों के साथ सुमेलित करके, वैश्विक भागीदारियों का संवर्धन करके तथा भारतीय वृत्तिकों की अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता को सुदृढ़ करके इस परिवर्तन को सक्रिय रूप से सुकर बनाया है। इन प्रयासों ने भारतीय अकाउंटेंसी वृत्ति की प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि की है और चार्टर्ड अकाउंटेंटों को वैश्विक अर्थव्यवस्था के विश्वसनीय योगदानकर्ताओं के रूप में स्थापित किया है।

### नवप्रवर्तन का अंगीकरण

साथ ही, वृत्ति प्रौद्योगिकी द्वारा प्रेरित एक गहन रूपांतरण के दौर से गुजर रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, डाटा विश्लेषण और स्वचालन इस बात को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं कि वित्तीय जानकारी किस प्रकार सृजित, विश्लेषित और आश्वासित की जाती है। इन विकासों को व्यवधान के रूप में देखने के बजाय, आईसीएआई ने इन्हें वृत्तिक मूल्य में अभिवृद्धि करने के अवसरों के रूप में अंगीकार किया है। सदस्यों को भविष्योन्मुखी कौशलों से सज्जित करके तथा आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रोत्साहित करके, संस्थान पारंपरिक अनुपालन-प्रेरित कृत्यों से रणनीतिक परामर्श, पूर्वानुमानी अंतर्दृष्टि और मूल्य सृजन की ओर परिवर्तन को समर्थ बना रहा है।

वृत्ति के भीतर नवप्रवर्तन प्रौद्योगिकी से परे भी विस्तारित होता है। इसमें शासन, जोखिम प्रबंध, संवहनीयता और पणधारी सहभागिता के नए दृष्टिकोण सम्मिलित हैं। आधुनिक उद्यमों का मूल्यांकन अब न केवल वित्तीय कार्यपालन के आधार पर, अपितु उनके पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव के आधार पर भी अधिकाधिक रूप से किया जा रहा है। इस विकासक्रम को मान्यता प्रदान करते हुए, आईसीएआई संवहनीयता रिपोर्टिंग, ईएसजी आश्वासन, एकीकृत रिपोर्टिंग और उत्तरदायी कारोबार व्यवहारों में वृत्तिक सक्षमताओं के विकास में अग्रणी रहा है। गैर-वित्तीय प्रकटनों की विश्वसनीयता में अभिवृद्धि करके, वृत्ति संगठनों को दीर्घकालिक पणधारी विश्वास का निर्माण करने में सहायता कर रही है और साथ ही राष्ट्रीय और वैश्विक संवहनीयता लक्ष्यों के प्रति योगदान भी कर रही है।

भविष्य के लिए तैयार वृत्ति के लिए सतत अधिगम और अनुकूलनशीलता भी आवश्यक है। आईसीएआई ने शिक्षा, अनुसंधान, वृत्तिक विकास और विशेषीकृत प्रशिक्षण पहलों के माध्यम से सक्षमता निर्माण में सुसंगत रूप से निवेश किया है। ये प्रयास सदस्यों को डिजिटल वित्त, साइबर सुरक्षा, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, मूल्यांकन, लोक वित्तीय प्रबंध और संवहनीयता आश्वासन जैसे उभरते क्षेत्रों में मार्ग प्रशस्त करने हेतु सशक्त बनाते हैं। आजीवन अधिगम की संस्कृति का पोषण करके, संस्थान यह सुनिश्चित करता है कि तीव्र आर्थिक और प्रौद्योगिकीय परिवर्तन के युग में वृत्ति सुसंगत बनी रहे।

### राष्ट्र का सुदृढीकरण

निगमित उद्यमों से परे, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोक वित्त, कर साक्षरता, वित्तीय समावेशन, उद्यमशीलता विकास और शासन सुधारों में अपनी सहभागिता के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। उनकी विशेषज्ञता लोक संसाधनों के दक्ष उपयोग का समर्थन करती है, उत्तरदायित्व तंत्रों को सुदृढ़ करती है तथा लोक और निजी, दोनों क्षेत्रों में पारदर्शिता का संवर्धन करती है। चाहे स्टार्ट-अपों को परामर्श देना हो, एमएसएमई का समर्थन करना हो, अवसंरचना विकास को सुकर बनाना हो अथवा नीति कार्यान्वयन में योगदान करना हो, वृत्ति समावेशी और संवहनीय विकास को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वैश्विक सहयोग वृत्ति के प्रभाव को और अधिक विस्तारित करता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक-निर्धारण निकायों, वृत्तिक संगठनों और

विनियामक संस्थाओं के साथ सक्रिय सहभागिता के माध्यम से, आईसीएआई वैश्विक विचार-विमर्शों में भारतीय दृष्टिकोणों का योगदान करता है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों को घरेलू पणधारियों तक पहुंचाता है। ज्ञान का यह आदान-प्रदान वृत्तिक उत्कृष्टता को सुदृढ़ करता है और वैश्विक वित्तीय संरचना में एक विश्वसनीय सहभागी के रूप में भारत के उद्भव को प्रबल बनाता है।

जैसे-जैसे वृत्ति का रूपांतरण हो रहा है, इसके मूलभूत मूल्य अपरिवर्तित बने हुए हैं। नैतिकता, स्वतंत्रता, वस्तुनिष्ठता और लोक हित के प्रति प्रतिबद्धता चार्टर्ड अकाउंटेंटों की पहचान को निरंतर परिभाषित करती है। ये सिद्धांत वह आधार उपलब्ध कराते हैं, जिस पर नवप्रवर्तन उत्तरदायी रीति से फल-फूल सकता है और विकास को विश्वास के साथ संवहनीय बनाया जा सकता है।

भविष्य उन वृत्तियों का है, जो विश्वास को प्रौद्योगिकी के साथ, विशेषज्ञता को अनुकूलनशीलता के साथ तथा नवप्रवर्तन को सत्यनिष्ठा के साथ संयोजित कर सकती हैं। इस परिकल्पना से मार्गदर्शित होकर, आईसीएआई वृत्तिकों की एक ऐसी नई पीढ़ी को आकार दे रहा है, जो उभरती चुनौतियों का समाधान करने और नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए सज्जित है। उत्कृष्टता के प्रति अपनी अटल प्रतिबद्धता के माध्यम से, संस्थान संस्थाओं को सुदृढ़ करने, आर्थिक प्रगति का समर्थन करने तथा भारत की विकास यात्रा में सार्थक योगदान करने का कार्य निरंतर कर रहा है।

वृत्ति का रूपांतरण करते हुए, आईसीएआई केवल चार्टर्ड अकाउंटेंटों को भविष्य के लिए तैयार नहीं कर रहा है; वह एक ऐसे भविष्य को आकार देने में सहायता कर रहा है, जहां विश्वास प्रगति को प्रेरित करता है, नवप्रवर्तन अवसरों का सृजन करता है और वृत्तिक उत्कृष्टता राष्ट्र को सुदृढ़ बनाती है।

### राष्ट्र निर्माण की सेवा में वृत्तिक उत्कृष्टता

जैसे-जैसे अकाउंटिंग वृत्ति एक अधिकाधिक गतिशील वैश्विक परिवेश में मार्ग प्रशस्त कर रही है, वैसे-वैसे आईसीएआई विश्वास, वृत्तिक उत्कृष्टता, नवप्रवर्तन और राष्ट्र निर्माण में सन्निहित परिकल्पना को निरंतर आगे बढ़ा रहा है। नैतिक आचरण, प्रौद्योगिकीय समुन्नति, संवहनीयता, सक्षमता निर्माण और वैचारिक नेतृत्व पर निरंतर बल देने के माध्यम से, संस्थान वृत्ति की सुसंगतता तथा समाज के प्रति उसके योगदान को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध बना हुआ है।

संसद के एक अधिनियम के अधीन स्थापित यह संस्थान भारत के आर्थिक और सांस्थानिक ढांचे में एक अद्वितीय स्थान रखता है। अकाउंटेंसी वृत्ति के विनियामक, एक अग्रणी ज्ञान संस्था, एक मानक-निर्धारण निकाय तथा लोक नीति और शासन में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में, आईसीएआई भारत की वित्तीय संरचना को सुदृढ़ करने तथा एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में राष्ट्र की यात्रा का समर्थन करने के प्रति महत्वपूर्ण योगदान निरंतर कर रहा है।

वर्ष के दौरान, संस्थान ने वृत्तिक उत्कृष्टता, आर्थिक विकास, लोक उत्तरदायित्व, प्रौद्योगिकीय नवप्रवर्तन, संवहनीयता और वैश्विक सहभागिता के उत्प्रेरक के रूप में अपनी भूमिका को और अधिक सुदृढ़ किया। विनियामक नेतृत्व, सक्षमता निर्माण, रणनीतिक सहयोगों, नीतिगत पक्ष-समर्थन, शैक्षिक सुधारों और आउटरीच पहलों के संयोजन के माध्यम से, आईसीएआई ने वृत्तिकता के उच्चतम मानकों को बनाए रखा और साथ ही उभरते राष्ट्रीय और वैश्विक विकासक्रमों के प्रति सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया की।

विवेकपूर्ण बचत की आदतों, सुविज्ञ निवेश विनिश्चयों तथा औपचारिक वित्तीय प्रणाली में अधिक सहभागिता को प्रोत्साहित करके, आईसीएआई व्यक्तिगत वित्तीय कल्याण को राष्ट्रीय समृद्धि की एक सशक्त प्रेरक शक्ति में रूपांतरित करने में सहायता कर रहा है, जो इस बात का उदाहरण है कि एक अग्रणी वृत्तिक संस्था किस प्रकार समावेशी आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने और विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को साकार करने में एक महत्वपूर्ण भागीदार बन सकती है।

वित्तीय समावेशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के भाग के रूप में, आईसीएआई ने उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए वित्तीय और कर साक्षरता सत्रों का आयोजन किया, जैसे कि मेघालय के खासी और गारो क्षेत्रों के स्वयं सहायता समूहों तथा दूरस्थ क्षेत्रों के जनजातीय समुदायों, मिजोरम के महिला-नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों और सिक्किम के स्वयं सहायता समूहों के लिए, जिससे जमीनी स्तर पर वित्तीय जागरूकता और सशक्तीकरण का संवर्धन हुआ। आईसीएआई ने नौ माह (मार्च-नवंबर, 2025) के भीतर पूरे भारत में 190 से अधिक वित्तीय और कर साक्षरता कार्यक्रमों का आयोजन करके एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया, जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन द्वारा मान्यता प्रदान की गई।

### वित्तीय रिपोर्टिंग, लेखापरीक्षा और विनियामक ढांचों का सुदृढीकरण

अकाउंटेंसी वृत्ति के सांविधिक विनियामक के रूप में, आईसीएआई ने भारत की वित्तीय रिपोर्टिंग और विनियामक संरचना को सुदृढ करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निरंतर निभाई। वर्ष के दौरान, संस्थान ने आय-कर विधेयक, 2025 सहित अनेक महत्वपूर्ण सुधारों पर नीति-निर्माताओं के साथ सक्रिय रूप से सहभागिता की। एक समर्पित विशेषज्ञ समूह के माध्यम से, आईसीएआई ने प्रस्तावित विधान के सरलीकरण के उद्देश्य से व्यापक सिफारिशें प्रस्तुत कीं, जिनमें प्रावधानों का युक्तिकरण और विधिक भाषा का सरलीकरण सम्मिलित है। उल्लेखनीय है कि संस्थान द्वारा प्रस्तुत 90 से अधिक सुझावों को तत्पश्चात् अंतिम आय-कर अधिनियम, 2025 में प्रतिबिंबित किया गया, जो कर नीति निर्माण में एक विश्वसनीय तकनीकी परामर्शदाता के रूप में आईसीएआई की भूमिका को रेखांकित करता है।

संस्थान ने जीएसटी वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर-9) और समाधान विवरण (जीएसटीआर-9सी) पर सिफारिशें उपलब्ध कराकर अप्रत्यक्ष कर सुधारों के प्रति अपना योगदान भी जारी रखा, जिससे करदाताओं के लिए सरलीकरण, मानकीकरण और अनुपालन में सुगमता को सुकर बनाया गया।

विश्वास और पारदर्शिता के प्रति वृत्ति की प्रतिबद्धता वर्ष के दौरान 10 करोड़ यूनीक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (यूडीआईएन) के आंकड़े को पार करने की उल्लेखनीय उपलब्धि में प्रतिबिंबित हुई। यूडीआईएन प्लेटफॉर्म के आईसीएआई डिजीसीए में प्रवसन ने सुरक्षा, अभिगम्यता और वास्तविक समय सत्यापन क्षमताओं को और अधिक सुदृढ किया, जिससे वित्तीय पारिस्थितिकी प्रणाली में वृत्तिक प्रमाणनों के प्रति विश्वास में अभिवृद्धि हुई।

### वृत्तिक शिक्षा का रूपांतरण तथा भविष्य के लिए तैयार प्रतिभा का विकास

आईसीएआई ने विकसित हो रही कारोबारी और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप वृत्तिक शिक्षा को आगे बढ़ाने और आधुनिक बनाने का कार्य निरंतर जारी रखा। परीक्षा प्रक्रिया में और सुधार करने के लिए परीक्षा केंद्र चयन की सुविधा आरंभ की गई, जिससे साजो-सामान संबंधी चुनौतियां कम हुईं और छात्र अपनी तैयारी पर अधिक प्रभावी रूप से ध्यान केंद्रित करने में समर्थ हुए। इसके अतिरिक्त, 1 जनवरी, 2026 को या उसके पश्चात् व्यावहारिक प्रशिक्षण आरंभ करने वाले छात्रों के लिए ई-डायरी को अनिवार्य बनाया गया, जिससे व्यावहारिक प्रशिक्षण की पारदर्शिता, मानकीकरण और वास्तविक समय निगरानी में अभिवृद्धि हुई।

अर्हता की वैश्विक प्रतिष्ठा को मान्यता प्रदान करते हुए, आईसीएआई ने ईसीसीटीआईएस के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्किंग सफलतापूर्वक प्राप्त की, जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंट अर्हता का मूल्यांकन अनेक अंतर्राष्ट्रीय ढांचों के अधीन मास्टर डिग्री के तुल्य किया। इस मान्यता से भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए वैश्विक गतिशीलता और अंतर्राष्ट्रीय करियर अवसरों में सारभूत अभिवृद्धि होने की आशा है।

संस्थान ने राष्ट्रव्यापी कौशल-निर्माण पहलों के माध्यम से युवा विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का भी प्रदर्शन किया। विश्व युवा कौशल दिवस 2025 का आयोजन 130 से अधिक नगरों में 130 से अधिक कार्यक्रमों के माध्यम से किया गया, जो नेतृत्व,

उद्यमशीलता, संप्रेषण और डिजिटल सक्षमताओं पर केंद्रित थे। इसके अतिरिक्त, आईसीएआई ने अपने 'करियर इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर यूथ' कार्यक्रम के माध्यम से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त किया, जो एक ही करियर मार्गदर्शन सत्र में 7,400 से अधिक छात्रों, अध्यापकों और प्रधानाचार्यों तक पहुंचा।

### सक्षमता निर्माण और लोक वित्तीय प्रबंध का सुदृढीकरण

शासन और लोक क्षेत्र सुधारों का समर्थन करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में, आईसीएआई ने सरकारी संस्थाओं और लोक क्षेत्र की इकाइयों में सक्षमता निर्माण के प्रति अपने योगदान का विस्तार किया। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के साथ अपने समझौता ज्ञापन के अनुसरण में, आईसीएआई ने अपने उत्कृष्टता केंद्र, हैदराबाद में सी एंड एजी के 50 अधिकारियों के लिए 32-दिवसीय आवासीय सक्षमता-निर्माण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

संस्थान ने बिहार के पंचायती राज विभाग, तमिलनाडु के कोषागार और लेखा विभाग तथा मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, चेन्नई सहित विभिन्न राज्य सरकारों और लोक संस्थाओं को संकाय समर्थन और तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध कराने का कार्य निरंतर जारी रखा।

आईसीएआई की अकाउंटिंग रिसर्च फाउंडेशन (आईसीएआई द्वारा गठित धारा 8 कंपनी) ने भारतीय रेल के साथ अपनी निरंतर भागीदारी के माध्यम से लोक क्षेत्र के वित्तीय सुधारों को और अधिक सुदृढ किया। वर्ष 2014 से, फाउंडेशन रेल लेखांकन सुधारों के लिए तकनीकी भागीदार के रूप में कार्य कर रही है और उसने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक लगातार छह वित्तीय वर्षों के लिए उपचय-आधारित वित्तीय विवरण सफलतापूर्वक तैयार किए हैं। अब वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए भारतीय रेल के उपचय-आधारित वित्तीय विवरणों को तैयार करने की परियोजना आईसीएआई एआरएफ को प्रदान की गई है।

संस्थान ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान, महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान और शासकीय लेखांकन मानक सलाहकार बोर्ड के साथ सहयोगों के माध्यम से स्थानीय शासन और नगरीय वित्त के प्रति अपने योगदान का भी विस्तार किया, जिससे जमीनी स्तर पर वित्तीय उत्तरदायित्व और शासन सुदृढ हुआ।

### एमएसएमई का सशक्तीकरण तथा उद्यमशीलता विकास को गति प्रदान करना

एमएसएमई को भारत के आर्थिक विकास की आधारशिला के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए, आईसीएआई ने वर्ष के दौरान अपनी आउटरीच और समर्थन पहलों को सघन बनाया। यह क्षेत्र वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 30 प्रतिशत से अधिक तथा विनिर्माण उत्पादन में लगभग 35.4 प्रतिशत का योगदान करता है, जो इसे विकास और रोजगार की एक महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति बनाता है।

इस पारिस्थितिकी प्रणाली को सुदृढ करने के लिए, आईसीएआई ने एमएसएमई महोत्सव तथा एमएसएमई और स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया, जिसमें उद्यमियों, नीति-निर्माताओं, निवेशकों और वृत्तिकों सहित 3,000 से अधिक पणधारी एक साथ आए। आईसीएआई के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से आयोजित एक राष्ट्रव्यापी अभियान के द्वारा, संस्थान ने निःशुल्क परामर्श समर्थन, उद्यम रजिस्ट्रीकरण सहायता, अनुपालन मार्गदर्शन और वित्तीय संस्थाओं तक पहुंच उपलब्ध कराई।

अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की गई, जब आईसीएआई ने एक ही दिन में देश भर में 19,355 एमएसएमई का मार्गदर्शन किया, जिसके लिए उसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से मान्यता प्राप्त हुई। इस गति को आगे बढ़ाते हुए, संस्थान ने वित्त, कराधान, लेखांकन, अनुपालन, डिजिटल रूपांतरण

और कारोबार संवहनीयता में संरचित वृत्तिक समर्थन उपलब्ध कराने के लिए 183 शाखाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों में एमएसएमई क्लीनिकों का शुभारंभ किया।

एनएसआईसी, एनपीसीआई, स्टार्टअप तमिलनाडु, एफआईटीटी-आईआईटी दिल्ली और विभिन्न राज्य सरकारों जैसे संगठनों के साथ रणनीतिक भागीदारियों ने उद्यमशीलता, वित्तीय समावेशन और कारोबार प्रतिस्पर्धात्मकता के संवर्धन में आईसीएआई की भूमिका को और अधिक सुदृढ़ किया।

### **डिजिटल रूपांतरण में अग्रणी भूमिका**

संस्थान ने प्रौद्योगिकीय रूपांतरण में अग्रणी स्थान बनाए रखने का कार्य निरंतर जारी रखा। एआई इनोवेशन समिट 2025 ने एआई-प्रेरित विश्व में लेखांकन, लेखापरीक्षा, कराधान और शासन के भविष्य पर विचार-विमर्श करने के लिए अग्रणी प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों, नीति-निर्माताओं और शिक्षाविदों को आकर्षित किया।

संस्थान ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संवहनीयता, फिनटेक, डाटा विश्लेषण और डिजिटल रूपांतरण जैसे उभरते क्षेत्रों को वृत्तिक विकास में एकीकृत करने के प्रयासों को भी सघन बनाया। वर्ष के दौरान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (एआईसीए स्तर 1) के 450 से अधिक बैचों का आयोजन किया गया, जिनमें देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंटों से 20,000 से अधिक रजिस्ट्रीकरण प्राप्त हुए। इस सफलता को आगे बढ़ाते हुए, आईसीएआई ने उन्नत एआईसीए स्तर 2 कार्यक्रम का शुभारंभ किया और एआई अधिगम अवसरों का विदेशी चैप्टरों तक विस्तार किया।

आईसीएआई के डिजिटल अकाउंटिंग और आश्वासन बोर्ड ने डिजिटल रूपांतरण में अग्रणी कार्य के 25 वर्ष पूर्ण किए, जिस अवधि के दौरान उसने प्रणाली लेखापरीक्षा में 35,000 से अधिक वृत्तिकों तथा फॉरेंसिक अकाउंटिंग और अन्वेषणों में 14,000 से अधिक वृत्तिकों को प्रशिक्षित किया है। फॉरेंसिक अकाउंटिंग और अन्वेषण मानकों (एफएआईएस) तथा सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा मानकों (आईएसएस) के विकास के माध्यम से, आईसीएआई वैश्विक बेंचमार्क स्थापित करने और इन उभरते क्षेत्रों में वृत्तिक उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने में अग्रणी रहा है।

डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फाइनेंस समिट 2025 में 1,300 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जबकि फ्यूचर प्रूफ फॉरेंसिक्स 2025 में कपट निवारण, साइबर प्रत्यास्थता और डिजिटल विश्वास पर विचार-विमर्श करने के लिए 130 से अधिक विनियामक, बैंकिंग क्षेत्र के अग्रणी व्यक्ति और वित्तीय संस्थाएं एक साथ आई।

आईसीएआई द्वारा अभिकल्पित लेखापरीक्षा समनुदेशन आबंटन हेतु स्वचालित वेब-आधारित सॉफ्टवेयर का उपयोग वर्ष 2025-26 के लिए 6 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा किया गया, जिनमें बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सम्मिलित हैं।

### **संवहनीयता और उत्तरदायी कारोबार व्यवहारों का संवर्धन**

संवहनीयता वर्ष के दौरान आईसीएआई की एक प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकता बनी रही। संवहनीयता रिपोर्टिंग मानक बोर्ड के माध्यम से, संस्थान ने संवहनीयता माह 2025 का शुभारंभ किया, जिसमें भारत सरकार के लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट (लाइफ) मिशन के साथ सुमेलित जागरूकता अभियानों, सर्वेक्षणों, वृक्षारोपण अभियानों, वाँकाथनों और शैक्षिक पहलों के माध्यम से सदस्यों, छात्रों और समुदायों को सम्मिलित किया गया।

आईसीएआई ने यूनाइटेड नेशन्स ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया के सहयोग से उत्तरदायी कारोबार आचरण संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन और जैव विविधता-केंद्रित पहलों सहित अनेक उच्च-स्तरीय संवहनीयता मंचों का आयोजन किया। इन विचार-विमर्शों में 200 से अधिक उद्योग जगत के अग्रणी व्यक्तियों, नीति-निर्माताओं, विनियामकों और वृत्तिकों ने भाग लिया।

एक उल्लेखनीय उपलब्धि आईसीएआई के कार्बन उत्सर्जन कैलकुलेटर का शुभारंभ रही, जो एक निःशुल्क डिजिटल उपकरण है और जिसे संगठनों और व्यक्तियों को कार्बन फुटप्रिंट को मापने और प्रबंधित करने में सहायता करने के लिए अभिकल्पित किया गया है, जिससे भारत की नेट-जीरो आकांक्षाओं का समर्थन होता है।

### वैश्विक उपस्थिति का विस्तार तथा भारत का एक वैश्विक वृत्तिक सेवा केंद्र के रूप में संवर्धन

आईसीएआई ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति को सुदृढ़ किया तथा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंटों को वैश्विक रूप से सम्मानित वृत्तिकों के रूप में स्थापित किया। वर्तमान में, संस्थान का वैश्विक नेटवर्क विश्व के 47 देशों में 54 विदेशी चैप्टरों, 31 प्रतिनिधि कार्यालयों और 85 नगरों के साथ विद्यमान है।

लॉस एंजिल्स और अटलांटा में दो नए विदेशी चैप्टरों का शुभारंभ किया गया, जिससे उत्तरी अमेरिका में आईसीएआई की उपस्थिति और अधिक गहन हुई। संस्थान ने एक्सबीआरएल इंटरनेशनल, आईईएसबीए और आईएएसबी की बैठकों सहित वैश्विक मानक-निर्धारण मंचों में भी भाग लिया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि लेखांकन, लेखापरीक्षा और नैतिकता में अंतर्राष्ट्रीय विकासक्रमों को भारतीय दृष्टिकोण निरंतर आकार देते रहें। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटरों (जीसीसी) के बढ़ते महत्व को मान्यता प्रदान करते हुए, आईसीएआई ने भारत को एक वैश्विक अकाउंटिंग जीसीसी केंद्र के रूप में संवर्धित करने के लिए जीसीसी समिट श्रृंखला का शुभारंभ किया। प्रमुख नगरों में आयोजित इन समिटों में उद्योग जगत के अग्रणी व्यक्ति और नीति-निर्माता विकसित हो रहे जीसीसी परिदृश्य तथा चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए रणनीतिक नेतृत्व भूमिकाएं ग्रहण करने के अवसरों पर विचार-विमर्श करने हेतु एक साथ आए। आईसीएआई ने संरचित जीसीसी विकास का समर्थन करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को एक प्रारूप जीसीसी ढांचा भी प्रस्तुत किया।

लेखांकन और वित्तीय सेवाओं के निर्यात का संवर्धन करने के अपने प्रयासों के भाग के रूप में, आईसीएआई ने विदेशी आउटसोर्सिंग सेवाओं संबंधी एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आरंभ किया, जिससे वृत्तिकों को यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बाजारों में ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए अपेक्षित ज्ञान और कौशलों से सज्जित किया जा सके।

वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट्स (डब्ल्यूओएफए 2.0) वृत्ति के सबसे बड़े वैश्विक समागमों में से एक के रूप में उभरा, जिसने विश्व भर से 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों और 250 से अधिक वक्ताओं को आकर्षित किया। इस कार्यक्रम में 21 पूर्ण सत्र और 42 समवर्ती सत्र आयोजित किए गए, जिससे वृत्तिक वैचारिक नेतृत्व के एक अग्रणी केंद्र के रूप में भारत की स्थिति दृढ़ता से स्थापित हुई।

इन प्रयासों के अनुपूरक के रूप में, आईसीएआई ने भारत-यूके मुक्त व्यापार करार में सक्रिय योगदान किया और वृत्तिक सेवाओं, अर्हताओं की मान्यता तथा आउटसोर्सिंग अवसरों से संबंधित प्रावधानों को सुनिश्चित कराया। इन उपायों से भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंटों और वृत्तिक फर्मों के लिए महत्वपूर्ण वैश्विक अवसरों का सृजन होने की आशा है।

आईसीएआई विकसित भारत#2047 की ओर अग्रसर हो रहा है, जिससे भारत को वर्ष 2047 तक, जो भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी का 100वां वर्ष है, एक विकसित राष्ट्र बनाया जा सके।

## 1. परिषद्

छब्बीसवीं परिषद् का गठन 12 फरवरी, 2025 को किया गया था। यह 32 निर्वाचित सदस्यों और केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गए 8 सदस्यों से मिलकर बनी है। 26वीं परिषद् की संरचना पृथक् रूप से दर्शित की गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान परिषद् की 10 बैठकों का आयोजन किया गया था।

## 2. परिषद् की समितियां

परिषद् चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 17 के निबंधनानुसार प्रत्येक वर्ष चार्टर्ड अकाउंटेंसी की वृत्ति के विनियमन और विकास हेतु संस्थान के विभिन्न क्रियाकलापों को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्थायी और गैर-स्थायी समितियों/बोर्डों और समूहों का गठन करती है। 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान, उक्त स्थायी और गैर-स्थायी समितियों/बोर्डों और समूहों की 528 बैठकें आयोजित की गई थीं।

## 3. लेखापरीक्षक

मैसर्स जगदीश चंद एंड कंपनी तथा मैसर्स ए एस ए एंड एसोशिएट्स, एलएलपी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संस्थान के संयुक्त लेखापरीक्षक थे, जिन्हें भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा बनाए रखे गए पैनल में से नियुक्त किया गया था। परिषद् उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए उनकी अनुशंसा दर्ज करती है।

## 4. स्थायी समितियां

आईसीएआई की परिषद् चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 17 के अनुसार निम्नलिखित स्थायी समितियों का गठन करती है :

### 4.1 कार्यपालक समिति

### 4.2 वित्त समिति

### 4.3 परीक्षा समिति

### 4.1 कार्यपालक समिति

इस समिति के कृत्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 175 में परिभाषित हैं, जिनमें कर्मचारियों, आर्टिकल्ड और लेखापरीक्षा सहायकों से संबंधित विषय तथा सदस्यों के नामों का रजिस्टर में नामांकन करने, नामों को हटाए जाने, नामों की पुनः प्रविष्टि करने, व्यवसाय प्रमाणपत्र को रद्द करने, लेखांकन वृत्ति से भिन्न किसी अन्य कारोबार या व्यवसाय में नियोजित होने के लिए अनुमति प्रदान करने से संबंधित कृत्य शामिल हैं। कार्यपालक समिति संस्थान की संपत्तियों, आस्तियों और निधियों की अभिरक्षक भी है और साथ ही वह संस्थान के कार्यालयों के रखरखाव के लिए भी उत्तरदायी है। कार्यपालक समिति ने वर्ष के दौरान 10 बैठकें कीं।



## 4.2 वित्त समिति

वित्त समिति चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 176क के अनुसार सत्य और सही लेखाओं को रखे जाने, वार्षिक बजट तैयार करने, निधियों के नियंत्रण, निधियों के निवेश, निधियों से राजस्व और पूंजी, दोनों प्रकार के व्ययों के लिए संवितरण करने से संबंधित और अनुषंगी, अन्य बातों के साथ-साथ, गतिविधियों का नियंत्रण, कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण करती है। वित्त समिति ने वर्ष के दौरान 3 बैठकें कीं।

## 4.3 परीक्षा समिति

परीक्षा समिति चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 176 के अनुसार परीक्षाओं से संबंधित परिषद् के सभी कृत्यों का पालन करती है, जैसे कि परीक्षाओं का आयोजन, उनमें प्रवेश, किसी परीक्षा को रद्द किया जाना, परीक्षकों की नियुक्ति और चयन, अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए पुस्तकों का विहित किया जाना, परिणामों की घोषणा तथा परीक्षकों और/या सहायक परीक्षकों, परीक्षा अधीक्षकों और अन्यो को पारिश्रमिक का संदाय।

इस अवधि के दौरान परीक्षा विभाग की प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :

### (I) वर्ष 2025-2026 के दौरान फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल और पीक्यूसी परीक्षाओं का संचालन :-

छात्रों के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स परीक्षाओं (फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल) तथा अर्हता-पञ्च पाठ्यक्रम के अधीन सदस्यों के लिए परीक्षाओं [अंतर्राष्ट्रीय कराधान निर्धारण परीक्षा (आईएनटीटी-एटी) तथा बीमा और जोखिम प्रबंध तकनीकी परीक्षा (आईआरएम)] का संचालन वर्ष 2025 में सामाजिक दूरी संनियमों का पालन करते हुए पूरे देश में और विदेशों में नीचे उल्लिखित कार्यक्रम के अनुसार सुचारू रूप से किया गया :-

| परीक्षाएं   | पाठ्यक्रम का नाम                                                                                                                    | परीक्षा तिथियां             | परीक्षा केंद्रों की संख्या | प्रवेशित छात्रों की संख्या                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मई 2025     | फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल और अंतर्राष्ट्रीय कराधान निर्धारण परीक्षा (आईएनटीटी-एटी)                                                | 2 मई से 21 मई, 2025         | 564                        | फाउंडेशन : 96538<br>इंटरमीडिएट : 169172<br>फाइनल : 99466<br>आईएनटीटी-एटी : 411                 |
| सितंबर 2025 | फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल                                                                                                       | 3 सितंबर से 22 सितंबर, 2025 | 559                        | फाउंडेशन : 112287<br>इंटरमीडिएट : 159779<br>फाइनल : 81852                                      |
| जनवरी 2026  | फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, अंतर्राष्ट्रीय कराधान निर्धारण परीक्षा (आईएनटीटी-एटी) तथा बीमा और जोखिम प्रबंध (आईआरएम) तकनीकी परीक्षा | 5 जनवरी से 31 जनवरी, 2026   | 576                        | फाउंडेशन : 123839<br>इंटरमीडिएट : 166236<br>फाइनल : 83481<br>आईएनटीटी-एटी : 461<br>आईआरएम : 57 |

**(II) सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्ट स्किल्स संबंधी उन्नत एकीकृत पाठ्यक्रम (एडवांस्ड आईसीआईटीएसएस) –एडवांस्ड सूचना प्रौद्योगिकी परीक्षा का कंप्यूटर आधारित मोड (सीबीटी) में संचालन :-**

वर्ष 2025-2026 के दौरान, एडवांस्ड आईसीआईटीएसएस के लिए कंप्यूटर केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित मोड (सीबीटी) में परीक्षाओं का संचालन किया गया। वर्ष के दौरान संचालित एडवांस्ड आईसीआईटीएसएस के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

| क्रम सं. | तिथि/अवधि  | केंद्रों की संख्या | उपस्थित हुए छात्र |
|----------|------------|--------------------|-------------------|
| 1.       | 24-05-2025 | 72                 | 2874              |
| 2.       | 28-06-2025 | 78                 | 2711              |
| 3.       | 26-07-2025 | 75                 | 2943              |
| 4.       | 27-09-2025 | 79                 | 3163              |
| 5.       | 25-10-2025 | 80                 | 2719              |
| 6.       | 29-11-2025 | 89                 | 4967              |
| 7.       | 8-01-2026  | 81                 | 2293              |
| 8.       | 08-02-2026 | 78                 | 2840              |
| 9.       | 08-03-2026 | 89                 | 1376              |

**(III) सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा – निर्धारण परीक्षा [आईएसए-एटी] का संचालन :-**

सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा-निर्धारण परीक्षा (आईएसए-एटी), जो संस्थान के सदस्यों के लिए खुली है, का संचालन क्रमशः 12 जुलाई, 2025 को भारत में 55 परीक्षा केंद्रों पर, 8 नवंबर, 2025 को भारत में 59 परीक्षा केंद्रों पर तथा 8 फरवरी, 2026 को भारत में 59 परीक्षा केंद्रों पर केवल कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड के माध्यम से सुचारू रूप से किया गया।

**(IV) एमआरए/एमओयू के अधीन विशेष परीक्षा का संचालन :-**

उन संस्थाओं के सदस्यों के लिए, जिनके साथ आईसीआई ने पारस्परिक मान्यता करार (एमआरए)/समझौता ज्ञापन (एमओयू) किए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट विशेष परीक्षा का संचालन 23 जून से 27 जून, 2025 के दौरान नोएडा में सुचारू रूप से किया गया।

**(V) सैल्फ-पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल [एसपीओएम] परीक्षाओं का संचालन :-**

वर्ष 2024 के दौरान, आईसीआई ने सैल्फ-पेस्ड मॉड्यूल परीक्षाएं आरंभ कीं, जिनमें छात्र <https://lms.icai.org> पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अधिगम कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने संबंधित सैल्फ-पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूलों के लिए विहित अधिगम घंटे पूरे कर लिए हैं, वे <https://spmt.icai.org> पर परीक्षा सीटें बुक कर सकते हैं। सैल्फ-पेस्ड मॉड्यूल परीक्षाओं का संचालन सरकारी अवकाशों को छोड़कर, देश भर में और विदेशों में दैनिक आधार पर किया जा रहा है। 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार, 6,78,507 अभ्यर्थी इस परीक्षा में उपस्थित हो चुके हैं।

**(VI) पंचायतों और नगरपालिका निकायों के अकाउंटेंटों के लिए प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं के संचालन में सहायता :-**

आईसीएआई परीक्षा विभाग ने आईसीएआई अकाउंटिंग रिसर्च फाउंडेशन (आईसीएआई एआरएफ) के अधीन स्थापित बोर्ड फॉर लोकल बॉडीज अकाउंटेंट्स सर्टिफिकेशन (बीएलओएसी) को पंचायतों और नगरपालिका निकायों के अकाउंटेंटों के लिए प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों की उनकी परीक्षाओं के संचालन हेतु हर संभव सहायता प्रदान की है। स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन 3 सितंबर, 2025 (जम्मू को छोड़कर) और 15 अक्तूबर, 2025 (जम्मू में) को किया गया तथा मुख्य परीक्षा का आयोजन 6 अगस्त, 2025 को किया गया।

**(VII) प्रबंध और कारोबार वित्त संबंधी डिप्लोमा - कंप्यूटर आधारित परीक्षा :-**

प्रबंध और कारोबार वित्त संबंधी डिप्लोमा - कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन 9 फरवरी से 11 फरवरी, 2026 के दौरान किया गया।

**(VIII) नए नगरों में परीक्षा केंद्रों को खोला जाना :-**

वर्ष के दौरान, संस्थान ने निम्नलिखित नगरों में अतिरिक्त परीक्षा केंद्र खोले :

| परीक्षा (से प्रभावी) | नगर (राज्य)                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| मई 2025              | दीमापुर (नागालैंड), हापुड (उत्तर प्रदेश) और रियाद (सऊदी अरब राज्य)                     |
| सितंबर 2025          | तेजपुर (असम)                                                                           |
| जनवरी 2026           | अयोध्या (उत्तर प्रदेश), हनुमानगढ़ (राजस्थान), मोदीनगर (उत्तर प्रदेश) और पलवल (हरियाणा) |

**(IX) मई 2025, सितंबर 2025 और जनवरी 2026 में आयोजित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाइनल पाठ्यक्रम परीक्षाओं के परिणाम :-**

मई 2025, सितंबर 2025 और जनवरी 2026 में आयोजित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाइनल पाठ्यक्रम परीक्षाओं के परिणाम क्रमशः 6 जुलाई, 2025, 3 नवंबर, 2025 और 1 मार्च, 2026 को घोषित किए गए। परिणाम संबंधी आंकड़ों का सारांश निम्नानुसार है :

| समूह |            | उपस्थित हुए अभ्यर्थियों की संख्या |           |          | उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों की संख्या |           |          | उत्तीर्ण प्रतिशत |           |          |
|------|------------|-----------------------------------|-----------|----------|------------------------------------|-----------|----------|------------------|-----------|----------|
|      |            | मई 2025                           | सित. 2025 | जन. 2026 | मई 2025                            | सित. 2025 | जन. 2026 | मई 2025          | सित. 2025 | जन. 2026 |
| I    | समूह-I     | 66943                             | 51955     | 53652    | 14979                              | 12811     | 11282    | 22.38            | 24.66     | 21.03    |
| II   | समूह-II    | 46173                             | 32273     | 38169    | 12204                              | 8151      | 3726     | 26.43            | 25.26     | 9.76     |
| III  | दोनों समूह | 29286                             | 16800     | 22293    | 5490                               | 2727      | 2446     | 18.75            | 16.23     | 10.97    |

उपर्युक्त परिणामों की घोषणा के परिणामस्वरूप, मई 2025, सितंबर 2025 और जनवरी 2026 में क्रमशः 14247, 11466 और 7590 अभ्यर्थी चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में अर्हित हुए।

**(X) मई 2025, सितंबर 2025 और जनवरी 2026 में आयोजित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम परीक्षाओं के परिणाम :-**

मई 2025, सितंबर 2025 और जनवरी 2026 में आयोजित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम परीक्षाओं के परिणाम क्रमशः 6 जुलाई, 2025, 3 नवंबर, 2025 और 8 मार्च, 2026 को घोषित किए गए। परिणाम संबंधी आंकड़ों का सारांश निम्नानुसार है :

| समूह |            | उपस्थित हुए अभ्यर्थियों की संख्या |           |          | उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों की संख्या |           |          | उत्तीर्ण प्रतिशत |           |          |
|------|------------|-----------------------------------|-----------|----------|------------------------------------|-----------|----------|------------------|-----------|----------|
|      |            | मई 2025                           | सित. 2025 | जन. 2026 | मई 2025                            | सित. 2025 | जन. 2026 | मई 2025          | सित. 2025 | जन. 2026 |
| I    | समूह-I     | 97034                             | 93074     | 105526   | 14232                              | 8780      | 14733    | 14.67            | 9.43      | 13.96    |
| II   | समूह-II    | 72069                             | 69768     | 69477    | 15502                              | 18938     | 10798    | 21.51            | 27.14     | 15.54    |
| III  | दोनों समूह | 38029                             | 36398     | 41798    | 5028                               | 3663      | 3924     | 13.22            | 10.06     | 9.39     |

**(XI) मई 2025, सितंबर 2025 और जनवरी 2026 में आयोजित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाउंडेशन पाठ्यक्रम परीक्षा के परिणाम :-**

मई 2025, सितंबर 2025 और जनवरी 2026 में आयोजित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाउंडेशन पाठ्यक्रम परीक्षा के परिणाम क्रमशः 6 जुलाई, 2025, 3 नवंबर, 2025 और 8 मार्च, 2026 को घोषित किए गए।

| अवधि        | उपस्थित हुए अभ्यर्थियों की संख्या | उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों की संख्या | उत्तीर्ण प्रतिशत |
|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|
| मई 2025     | 82662                             | 12474                              | 15.09            |
| सितंबर 2025 | 98827                             | 14609                              | 14.78            |
| जनवरी 2026  | 109694                            | 21099                              | 19.23            |

**(XII) डिजिटल मूल्यांकन :-**

शत-प्रतिशत डिजीटलीकरण के पथ पर आगे बढ़ते हुए, वर्ष 2025-2026 में मई 2025, सितंबर 2025 और जनवरी 2026 की परीक्षाओं को सम्मिलित करते हुए चौतीस लाख उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल रूप से मूल्यांकन किया गया। एक अन्य प्रमुख उपलब्धि मई 2025 की परीक्षाओं में पहली बार फाइनल, इंटरमीडिएट और फाउंडेशन परीक्षाओं के परिणामों की संयुक्त घोषणा रही।

**(XIII) परीक्षकों और परीक्षा पदधारियों के लिए डिजिटल कार्यशाला/वेबकास्ट :-**

डिजिटल मोड में परीक्षक कार्यशालाओं के संचालन के पथ पर आगे बढ़ते हुए, वर्ष 2025-2026 में लगभग 13,553 परीक्षकों ने डिजिटल कार्यशाला में भाग लिया। डिजिटल कार्यशाला के परिणामस्वरूप भारी लागत बचत हुई और साथ ही परीक्षकों को सुगमता और सुविधा प्राप्त हुई, जिन्हें अन्यथा भौतिक कार्यशाला में भाग लेने के लिए लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ती थी। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की गुणवत्ता और सुसंगतता में अभिवृद्धि करने के लिए परीक्षकों हेतु वेबकास्ट के माध्यम से कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन मई 2025, सितंबर 2025 और जनवरी 2026 की परीक्षाओं के लिए किया गया। इस पहल से मूल्यांकन की गुणवत्ता में सुधार होने की आशा है। परीक्षा संचालन तंत्र में बेहतर समन्वय के लिए मई और सितंबर 2025 तथा जनवरी 2026 की परीक्षाओं हेतु पर्यवेक्षकों, परीक्षा केंद्रों, बैंक ऑफ बड़ौदा और परीक्षा समन्वयकों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों संबंधी वेबकास्ट सफलतापूर्वक किए गए।

**(XIV) विद्यमान और नए परीक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा :-**

नए आवेदक परीक्षकों के लिए अनिवार्य पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया और केवल उन्हीं नए आवेदक परीक्षकों को परीक्षक कार्य समनुदेशित किया गया, जिन्होंने अनिवार्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की। इसी प्रकार, उन विद्यमान परीक्षकों के लिए भी पात्रता परीक्षाओं का आयोजन किया गया, जिनकी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए तीन वर्ष व्यतीत हो चुके थे। तदनुसार, वर्ष 2025-26 में 20 भाग 'क' परीक्षाएं और 19 भाग 'ख' परीक्षाएं आयोजित की गईं, जिनमें 1325 नए और विद्यमान परीक्षकों ने परीक्षाएं उत्तीर्ण कीं और उन्हें परीक्षकों के रूप में पैनल में सम्मिलित किया गया।

**(XV) डिजीलॉकर पर परिणाम :-**

फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा के परिणाम मई 2025 से प्रभावी रूप से डिजीलॉकर पर प्राप्त किए जा सकते हैं। सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा-निर्धारण परीक्षा (आईएसए-एटी) तथा प्रबंध और कारोबार वित्त संबंधी डिप्लोमा (डीएमबीएफ) के परिणाम जनवरी 2025 से प्रभावी रूप से डिजीलॉकर पर प्राप्त किए जा सकते हैं।

**5. अनुशासन निदेशालय**

अनुशासन निदेशालय, जो आईसीएआई की विनियामक शाखा के रूप में कार्य करता है, की स्थापना इसके सदस्यों द्वारा अभिकथित वृत्तिक या अन्य अवचार के मामलों की जांच करने के लिए की गई है। ऐसे मामले या तो प्ररूप I में फाइल की गई औपचारिक शिकायत के माध्यम से अथवा चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 और/या उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अधीन प्राप्त जानकारी के माध्यम से आरंभ किए जा सकते हैं।

इस अनुशासनिक ढांचे के अधीन, निदेशालय को देश भर में सदस्यों द्वारा की गई किसी भी अभिकथित चूक या अनियमितता के अन्वेषण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि वृत्ति में जनता का विश्वास बना रहे और साथ ही स्वीकार्य वृत्तिक आचरण के स्पष्ट मानक भी स्थापित हों। यद्यपि अधिकांश सदस्य अपनी विशेषज्ञता के माध्यम से समाज के प्रति उत्तरदायी और परिश्रमपूर्वक योगदान करते हैं, तथापि अनुशासनिक तंत्र उन कुछ सदस्यों के विरुद्ध सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए विद्यमान है, जो अपेक्षित मानकों से विचलित होते हैं।

वर्ष 2006 में चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 में किए गए संशोधनों के पश्चात्, अनुशासनिक तंत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए गए, जिनका उद्देश्य अनुशासनिक मामलों के निपटान की दक्षता और गति में सुधार करना था। वर्तमान में, यह प्रणाली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 के अधीन स्थापित दो अर्ध-न्यायिक निकायों, अर्थात् धारा 21क के अधीन अनुशासन बोर्ड तथा धारा 21ख के अधीन अनुशासन समिति के माध्यम से कार्य करती है। इस तंत्र की संरचना और प्रक्रियाओं को इस प्रकार अभिकल्पित

किया गया है कि पारदर्शिता सुनिश्चित हो, जनता का विश्वास सुदृढ़ हो तथा अवचार के अभिकथनों का सामना कर रहे सदस्यों को निष्पक्ष और अपक्षपाती न्याय प्राप्त हो। सदस्यों और फर्मों के बीच उत्तरदायित्व में और अधिक अभिवृद्धि करने तथा न्याय का समय पर परिदान सुनिश्चित करने के लिए, अधिनियम में वर्ष 2022 में पुनः संशोधन किया गया; तथापि, पुनरीक्षित अनुशासनिक प्रावधानों के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख अभी अधिसूचित की जानी है।

परिषद् वर्ष 2025-26 के दौरान, जांचाधीन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए, निदेशक (अनुशासन) द्वारा बनाई गई प्रथम दृष्टया राय पर विचार करने के अतिरिक्त, अनुशासन समिति की चार बेंचों, अर्थात् बेंच I, बेंच II, बेंच III (एमएनएफ मामलों सहित) और बेंच IV, तथा अनुशासन बोर्ड की एक बेंच का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष, आईसीएआई की अध्यक्षता में धारा 21घ के अधीन अनुशासन समिति का भी गठन किया गया, जो वापस निर्दिष्ट किए गए/किए जाने वाले किसी भी अवशिष्ट पुराने मामलों पर विचार करेगी।

आईसीएआई का अनुशासनिक तंत्र एक व्यापक और सुदृढ़ विनियामक ढांचे के रूप में विकसित हो गया है, जो एक अधिकाधिक जटिल वित्तीय पारिस्थितिकी प्रणाली में वृत्तिक अवचार का समाधान करने में समर्थ है। परिषद्-केंद्रित मॉडल से एक बहु-स्तरीय, स्वतंत्र और संरचित प्रणाली में संक्रमण एक सुविचारित और प्रगतिशील सुधार प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करता है। यह विकसित होती अनुशासनिक संरचना वृत्ति की सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता और उत्तरदायित्व को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में विद्यमान है, जो यह सुनिश्चित करती है कि वृत्ति घरेलू आशाओं और वैश्विक मानकों, दोनों के साथ सुमेलित बनी रहे।

### प्रमुख पहलें/उपलब्धियां

- अनुशासन बोर्ड/अनुशासन समिति के सदस्यों की प्रभावी सहभागिता के साथ ई-सुनवाईयों का सफल संचालन। समय की बचत करने वाली और लागत-प्रभावी होने के साथ-साथ, ई-सुनवाईयों ने यह सुनिश्चित किया है कि किसी मामले के पक्षकार अनुशासन बोर्ड/अनुशासन समिति के समक्ष उपस्थित हो सकें। ई-सुनवाईयों की प्रभावशीलता अनुशासन बोर्ड और अनुशासन समिति की बैठकों में निपटाए गए मामलों की संख्या में स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होती है, जैसा कि आगामी पैराग्राफों में कथित है।
- प्रचालन दक्षता में अभिवृद्धि करने तथा विभिन्न विधियों और विनियमों में हुए हाल के विकासक्रमों से अवगत रहने के लिए, अनुशासन निदेशालय के अधिकारियों और कर्मचारिवृंद के लिए निगम विधि, सीएआरओ के अधीन रिपोर्टिंग और इंड एस जैसे महत्वपूर्ण विषयों को सम्मिलित करते हुए नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।
- आज की तारीख तक, पुराने अनुशासनिक तंत्र (धारा 21घ के अधीन) के अधीन सभी अवशिष्ट मामलों की सुनवाई अनुशासन समिति द्वारा की जा चुकी है और उनका समापन हो चुका है। इसी प्रकार, परिषद् के समक्ष विचारार्थ कोई भी मामला लंबित नहीं है।

### चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21क के अधीन अनुशासन बोर्ड

चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की प्रथम अनुसूची के अधीन आने वाले सदस्यों द्वारा किए गए वृत्तिक और/या अन्य अवचार के मामलों तथा/अथवा उन मामलों, जिनमें निदेशक (अनुशासन) द्वारा सदस्यों को प्रथम दृष्टया किसी अवचार का दोषी नहीं ठहराया गया है, पर विचार करने के लिए आईसीएआई की परिषद् द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21क के अधीन अनुशासन बोर्ड का गठन किया गया है।

1 अप्रैल, 2025 से 30 अप्रैल, 2026 की अवधि के दौरान, अनुशासन बोर्ड ने विभिन्न स्थानों पर व्यक्तिगत उपस्थिति/वीडियो-कॉन्फ्रेंस मोड में 45 बैठकें कीं। इन बैठकों में, बोर्ड ने 64 मामलों में अपनी जांच का समापन किया, जिनमें पूर्ववर्ती वर्षों में उसे निर्दिष्ट किए गए मामले भी सम्मिलित हैं। अनुशासन बोर्ड द्वारा विनिश्चित मामलों का सांख्यिकीय विवरण निम्नानुसार है :

| क्रम सं. | विवरण                                                                                                                                                                                           | संख्या |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| क)       | अवधि के दौरान आयोजित अनुशासन बोर्ड की बैठकों की संख्या                                                                                                                                          | 45     |
| ख)       | अनुशासन बोर्ड द्वारा (धारा 21क के अधीन) विचारित शिकायत/जानकारी संबंधी उन मामलों की संख्या, जिनमें निदेशक (अनुशासन) की प्रथम दृष्टया राय बनाई गई थी (नियम 6/नियम 12 के अधीन विचारित मामलों सहित) | 404    |
| ग)       | उन मामलों (शिकायत/जानकारी) की संख्या, जिनमें अनुशासन बोर्ड द्वारा जांच पूरी की गई (पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान अनुशासन बोर्ड को निर्दिष्ट किए गए मामलों सहित)                                    | 64     |
| घ)       | उन मामलों (शिकायत/जानकारी) की संख्या, जिनमें अनुशासन बोर्ड द्वारा दंड अधिनिर्णीत किया गया (पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान अनुशासन बोर्ड को निर्दिष्ट किए गए मामलों सहित)                            | 37     |
| ङ)       | विचारित विविध मामलों की संख्या (नियम 5(6), अधिकारिता संबंधी मुद्दे आदि के अधीन)                                                                                                                 | 907    |

#### चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख के अधीन अनुशासन समिति

चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की द्वितीय अनुसूची अथवा प्रथम और द्वितीय, दोनों अनुसूचियों के अधीन आने वाले सदस्यों द्वारा किए गए वृत्तिक और/या अन्य अवचार के मामलों पर विचार करने के लिए आईसीएआई की परिषद् द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख के अधीन अनुशासन समिति का गठन किया गया है।

1 अप्रैल, 2025 से 30 अप्रैल, 2026 की अवधि के दौरान, अनुशासन समिति (सभी बेंचों) ने व्यक्तिगत उपस्थिति/वीडियो-कॉन्फ्रेंस मोड में 116 बैठकों कीं। उक्त बैठकों के दौरान, समिति ने 213 मामलों में अपनी जांच का समापन किया। अनुशासन समिति द्वारा विनिश्चित मामलों का सांख्यिकीय विवरण निम्नानुसार है :

| क्रम सं. | विवरण                                                                                                                                                        | मामलों की संख्या |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| क)       | अवधि के दौरान आयोजित अनुशासन समिति की बैठकों की संख्या                                                                                                       | 116              |
| ख)       | अनुशासन समिति द्वारा (धारा 21ख के अधीन) विचारित शिकायत/जानकारी संबंधी उन मामलों की संख्या, जिनमें निदेशक (अनुशासन) की प्रथम दृष्टया राय बनाई गई थी           | 293              |
| ग)       | उन मामलों (शिकायत/जानकारी) की संख्या, जिनमें अनुशासन समिति द्वारा जांच पूरी की गई (पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान अनुशासन समिति को निर्दिष्ट किए गए मामलों सहित) | 213              |

| क्रम सं. | विवरण                                                                                                                                                                | मामलों की संख्या |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| घ)       | उन मामलों (शिकायत/जानकारी) की संख्या, जिनमें अनुशासन समिति द्वारा दंड अधिनिर्णीत किया गया (पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान अनुशासन समिति को निर्दिष्ट किए गए मामलों सहित) | 92               |

### धारा 21घ के अधीन अनुशासन समिति

चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21घ के प्रावधानों के अधीन कार्य करने वाली अनुशासन समिति उपर्युक्त अधिनियम में वर्ष 2006 में किए गए संशोधनों से पूर्व लंबित अवशिष्ट मामलों के संबंध में जांच करती है और परिषद् को अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत करती है।

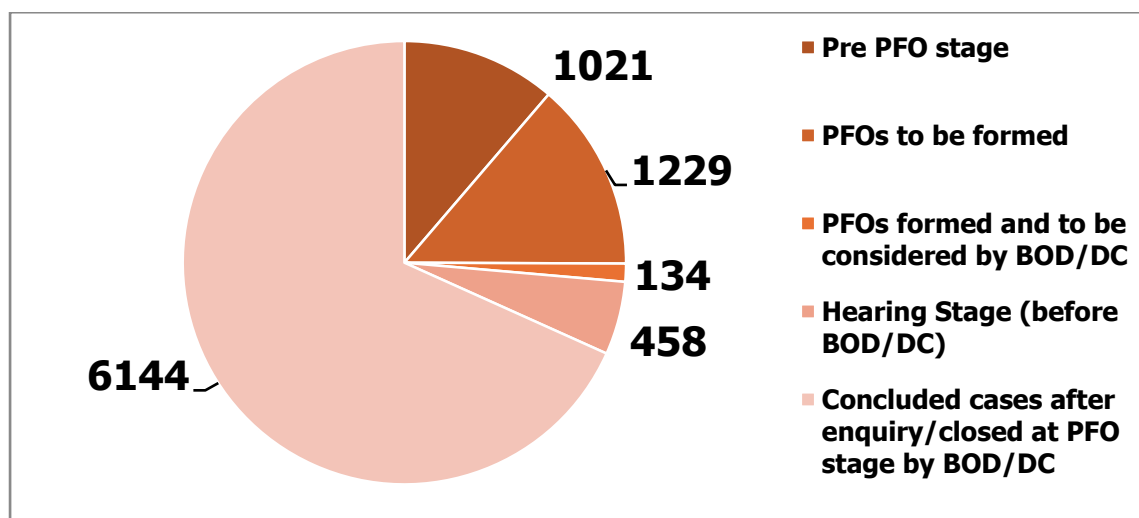
### पुराने अनुशासनिक तंत्र (धारा 21घ) के अधीन निपटाए गए मामले

आज की स्थिति के अनुसार, पुराने अनुशासनिक तंत्र (धारा 21घ) के अधीन सभी अवशिष्ट मामलों की सुनवाई अनुशासन समिति द्वारा की जा चुकी है और उनका समापन हो चुका है तथा परिषद् के समक्ष विचारार्थ कोई भी मामला लंबित नहीं है। विचाराधीन वर्ष के दौरान, एक मामले को माननीय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा परिषद् के नए सिरे से विचार हेतु वापस निर्दिष्ट किया गया, जिस पर परिषद् द्वारा उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर सम्यक् रूप से विचार किया गया। परिषद् ने संबंधित उच्च न्यायालय को अभिकथित सदस्य के दंड की सिफारिश की।



## रजिस्ट्रीकृत अनुशासनिक मामलों का पर्यावलोकन

(वर्तमान तंत्र के अधीन - वर्ष 2007 से 25 मई, 2026 तक)



कुल रजिस्ट्रीकृत मामले - 8986

अनुशासनिक मामलों का निपटान (प्रतिशत में) - 68.37%

## 6. तकनीकी समितियां/बोर्ड

## 6.1 लेखांकन मानक बोर्ड (एएसबी)

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा वर्ष 1977 में स्थापित लेखांकन मानक बोर्ड (एएसबी) को भारत में एक सुदृढ़, विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाली लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए लेखांकन मानकों के निर्माण का दायित्व सौंपा गया है। इसके प्राथमिक उद्देश्य देश भर में लेखांकन नीतियों और व्यवहारों में सामंजस्य स्थापित करना तथा भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के साथ सुमेलित करना है। रिपोर्टाधीन वर्ष में बोर्ड के स्वर्ण जयंती वर्ष का शुभारंभ भी हुआ।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान एएसबी द्वारा किए गए प्रमुख क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं :

## (I) वित्तीय रिपोर्टिंग मानक

एमसीए द्वारा अधिसूचित इंड एस और एस में संशोधन :

- विनिमेयता का अभाव - इंड एस 21 में संशोधन।
- देयताओं का चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकरण तथा प्रसंविदाओं सहित गैर-चालू देयताएं - इंड एस 1 में संशोधन (एक संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी है)।
- अंतर्राष्ट्रीय कर सुधार (पिलर टू मॉडल नियम) - इंड एस 12 में संशोधन।
- आपूर्तिकर्ता वित्त व्यवस्थाएं - इंड एस 7 और इंड एस 107 में संशोधन।
- संपादकीय शुद्धियां।
- पिलर टू मॉडल से संबंधित एस 22 में संशोधन।

अवधि के दौरान निम्नलिखित विषयों पर इंड एस और एस में संशोधन – एनएफआरए को सिफारिश किए गए:

- इंड एस में वार्षिक सुधार (2024) ।
- इंड एस 109 और इंड एस 107 में संशोधन – वित्तीय लिखतों का वर्गीकरण और मापन ।
- इंड एस 118, वित्तीय विवरणों में प्रस्तुतीकरण और प्रकटन, तथा पारिणामिक संशोधन ।
- इंड एस 109 और इंड एस 107 में संशोधन – प्रकृति-आधारित विद्युत को निर्दिष्ट करने वाली संविदाएं ।
- एलएलपी के लिए लेखांकन मानक ।

इंड एस से संबंधित प्रगतिशील महत्वपूर्ण परियोजनाएं :

- इंड एस 119, लोक जवाबदेही रहित समनुषंगियों, का निर्माण ।
- इंड एस 21 में संशोधन – अति-स्फीतिकारी प्रस्तुतीकरण मुद्रा में अनुवाद ।
- इंड एस में संपादकीय परिवर्तन ।
- आय संगणना और प्रकटन मानकों (आईसीडीएस) की अपेक्षाओं को भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस) में सम्मिलित किया जाना ।
- लेखांकन के नकद आधार संबंधी लेखांकन मानक का निर्माण ।
- प्रस्तावित इंड एस 118 के आलोक में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में अपेक्षित परिवर्तन तथा सेबी के परिपत्रों या मार्गदर्शन का अद्यतन ।
- इंड एस 117, बीमा संविदाएं, पर कार्यान्वयन समर्थन ।

टिप्पणियों हेतु आईएसबी/आईएफआरआईसी द्वारा जारी एक्सपोजर ड्राफ्ट (ईडी)/अनंतिम कार्यसूची विनिश्चय (टीएडी) :

- जोखिम प्रशमन लेखांकन संबंधी एक्सपोजर ड्राफ्ट – आईएफआरएस 9 और आईएफआरएस 7 में प्रस्तावित संशोधन ।
- नियंत्रण के पुनर्निर्धारण संबंधी टीएडी (आईएफआरएस 10) ।

(II) अंतर्राष्ट्रीय पहलें – दीर्घस्थायी भागीदारी का निर्माण

वैश्विक स्तर पर मानक निर्धारण में सक्रिय भूमिका निभाने के उद्देश्य से, 9 परामर्शी दस्तावेजों पर टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं, जिनमें आईएफआरएस 16 का कार्यान्वयन-पथ पुनर्विलोकन (पीआईआर) तथा अनंतिम कार्यसूची विनिश्चय (टीएडी) सम्मिलित हैं ।

आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मानक-निर्धारण मंचों, जैसे कि उभरती अर्थव्यवस्था समूह (ईईजी), इंटरनेशनल फोरम ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटर्स (आईएफएसएस), लेखांकन मानक सलाहकार मंच (एसएसएफ) और एशियन-ओशियनियन स्टैंडर्ड-सेटर्स ग्रुप (एओएसएसजी) की बैठकों में भी सक्रिय रूप से भाग लिया तथा भारतीय सरोकारों को उठाते हुए सुसंगत कार्यसूची मदों को प्रस्तुत किया । अवधि के दौरान सहभागिता के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

| मंच                            | तिथि                                   | स्थान/मोड            |
|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| आईएफएएसएस                      | 12-14 मार्च, 2025                      | नेपल्स, इटली         |
| एओएसएसजी-सीएसी                 | 19 मार्च, 2025                         | वर्चुअल              |
| आईएफएएसएस                      | 30 सितंबर – 1 अक्तूबर, 2025            | लंदन, यूके           |
| एसएसएफ (आईएफआरएस 16 का पीआईआर) | 31 मार्च, 2026 (आईएफआरएस 16 का पीआईआर) | वर्चुअल              |
| आईएफएएसएस                      | 28-30 अप्रैल, 2026                     | मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया |
| ईईजी                           | 7-8 मई, 2025                           | वर्चुअल              |

### (III) सरकार और विनियामक निकायों के साथ सुदृढ़ संबंधों का निर्माण

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के साथ अपनी नियमित सहभागिता के अतिरिक्त, एएसबी ने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), विद्युत मंत्रालय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), दूरसंचार विभाग और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) सहित विभिन्न अन्य विनियामक निकायों का सक्रिय रूप से समर्थन किया तथा उनके साथ सहयोग किया।

### विनियामकों और लोक क्षेत्र की इकाइयों के लिए विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम :

- भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) का कार्यालय : भारत के सी एंड एजी के साथ आईसीएआई के समझौता ज्ञापन के अधीन, एएसबी ने वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के क्षेत्र में सी एंड एजी के अधिकारियों के लिए सक्षमता-निर्माण पहलों में सक्रिय योगदान किया। आज की तारीख तक, 8 आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रवेश-स्तर के अधिकारियों के लिए तीन तथा वरिष्ठ अधिकारियों के लिए चार उन्नत कार्यक्रम) आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें से प्रत्येक की अवधि 12-16 दिन थी और जिनका समर्थन एएसबी द्वारा विकसित व्यापक पृष्ठभूमि सामग्री द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त, इंड एस और लेखांकन मानकों पर ई-लर्निंग मॉड्यूल, जिन्हें एमसीक्यू-आधारित स्व-निर्धारण परीक्षाओं से अनुपूरित संक्षिप्त वीडियो व्याख्यानों के रूप में विकसित किया गया है, सी एंड एजी के कार्यालय के साथ साझा किए गए हैं।
- सेबी – कॉर्पोरेट कपट अन्वेषण प्रभाग (सीएफआईडी) : “अकाउंटिंग इंटेलिजेंस फॉर कॉर्पोरेट फाइनेंस इन्वेस्टिगेशन्स” शीर्षक वाले विशेषीकृत कार्यक्रम के दो बैच हैदराबाद में आयोजित किए गए।
- हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (एचपीएसईबी) लिमिटेड : शिमला में दो सघन छह-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) : चुनिंदा भारतीय लेखांकन मानकों पर एक तीन-दिवसीय अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम एनएसडीएल के मुंबई कार्यालय में आयोजित किया गया।

### (IV) ज्ञान प्रसार और सक्षमता निर्माण पहलें

- एस और इंड एस में हाल के संशोधनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, विभिन्न शाखाओं और क्षेत्रीय परिषदों के सहयोग से अथवा अन्यथा, 100 से अधिक सीपीई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें संगोष्ठियां, वेबिनार, इंड एस पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं।

**(V) अन्य पहलें**

- ई-लर्निंग मॉड्यूल : 72 ई-लर्निंग मॉड्यूल, जिनमें इंड एएस पर 44 मॉड्यूल और एएस पर 28 मॉड्यूल सम्मिलित हैं, एमसीक्यू-आधारित स्व-निर्धारण परीक्षाओं से अनुपूरित संक्षिप्त वीडियो व्याख्यानों के रूप में विकसित किए गए हैं।
- साप्ताहिक लेखांकन प्रश्नोत्तरी : लेखांकन मानकों के प्रति पणधारियों की समझ को विकसित करने के लिए एक शैक्षिक साधन के रूप में एक ऑनलाइन साप्ताहिक लेखांकन प्रश्नोत्तरी आरंभ की गई है, जिसका आयोजन प्रत्येक सप्ताह किया जाता है; अब तक 55 प्रश्नोत्तरियां जारी की जा चुकी हैं।
- पांडकास्ट : वित्त वृत्तिकों को मानकों की मूलभूत रूपरेखाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए इंड एएस और एएस पर 22 पांडकास्ट विकसित और होस्ट किए गए हैं।

**आयोजित विशिष्ट कार्यक्रम :**

- पुणे, नई दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में “गार्जियन्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी : इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन फाइनेंशियल ओवरसाइट” विषय पर स्वतंत्र निदेशक सम्मेलनों का आयोजन किया गया।
- लेखांकन मानक बोर्ड के स्वर्ण जयंती वर्ष के शुभारंभ पर दिल्ली एनसीआर (गुरुग्राम), मुंबई और पुणे (डब्ल्यूआईआरसी), कोलकाता (ईआईआरसी) तथा चेन्नई (एसआईआरसी) सहित अनेक स्थानों पर लेखांकन मानक दिवस मनाया गया। इस समारोह में वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता, सुसंगतता और विश्वसनीयता का पोषण करने में सुदृढ़ लेखांकन मानकों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया। इस अवसर पर उप सी एंड एजी; पूर्णकालिक सदस्य, एनएफआरए; सदस्य (एफ एंड आई), आईआरडीएआई; अध्यक्ष, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्जुअरीज ऑफ इंडिया (आईएआई); तथा सचिव और परिषद् सदस्य, आईएआई सहित विशिष्ट वक्ताओं और विनियामकों की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम में विभिन्न स्थानों पर लगभग 1,500 सदस्यों की सहभागिता रही।

**(VI) जारी किए गए प्रकाशन**

- भारतीय लेखांकन मानकों का संग्रह (1 अप्रैल, 2024 की स्थिति के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक) – खंड I और II।
- भारतीय लेखांकन मानकों का संग्रह (1 अप्रैल, 2025 की स्थिति के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक) – खंड I और II।
- इंड एएस 36, आस्तियों की हानि, पर शैक्षिक सामग्री।
- इंड एएस 24, संबद्ध पक्षकार प्रकटन, पर शैक्षिक सामग्री।
- लेखांकन मानक : त्वरित संदर्भिका (1 अप्रैल, 2025 की स्थिति के अनुसार)।
- लेखांकन मानकों का संग्रह (1 अप्रैल, 2025 की स्थिति के अनुसार लेखांकन मानक)।
- गैर-निगमित इकाइयों के वित्तीय विवरणों संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण पर एफएक्यू।
- भारत में नई श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन से उद्भूत लेखांकन निहितार्थों पर एफएक्यू।

**6.2 लेखापरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड (एएएसबी)**

लेखापरीक्षा उत्तरदायित्व में अभिवृद्धि करके और वित्तीय रिपोर्टिंग में विश्वास का पोषण करके लोक हित की संरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे आर्थिक विकास का समर्थन होता है। बढ़ती कारोबारी जटिलता और विस्तारित होते वैश्विक प्रचालनों ने लेखापरीक्षा वृत्ति से पणधारियों की आशाओं में अभिवृद्धि की है। आईसीएआई का लेखापरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड (एएएसबी) लेखापरीक्षा, पुनर्विलोकन, आश्वासन, क्वालिटी नियंत्रण/क्वालिटी प्रबंध और संबद्ध सेवाओं संबंधी उच्च गुणवत्ता

वाले मानकों को विकसित करता है, जो सर्वोत्तम व्यवहारों को स्थापित करते हैं और लेखापरीक्षक के कार्यपालन के लिए बेंचमार्क के रूप में कार्य करते हैं।

बोर्ड लेखापरीक्षकों को व्यावहारिक समर्थन उपलब्ध कराने के लिए साधारण और उद्योग-विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मुद्दों पर मार्गदर्शन टिप्पण भी जारी करता है। इन्हें आईसीएआई की परिषद् के प्राधिकार के अधीन जारी किया जाता है, सिवाय कंपनियों और सीमित दायित्व भागीदारियों (एलएलपी) से संबंधित लेखापरीक्षा मानकों के, जहां केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) के परामर्श से आईसीएआई की सिफारिशों के आधार पर मानकों को विहित करती है। वैश्विक सुसंगतता बनाए रखने के लिए आईसीएआई के लेखापरीक्षा मानकों को अंतर्राष्ट्रीय लेखापरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड (आईएएसबी) के मानकों के साथ सुमेलित किया जाता है। प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता के लिए, बोर्ड तकनीकी गाइडें, प्रैक्टिस मैनुअल, अध्ययन और कार्यान्वयन गाइडें प्रकाशित करता है, जो सदस्यों को जटिल लेखापरीक्षा परिदृश्यों में विश्वासपूर्वक मार्ग प्रशस्त करने के लिए व्यावहारिक साधन उपलब्ध कराती हैं।

बोर्ड की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का व्यापक पर्यावलोकन निम्नानुसार है :

### (I) मंत्रालयों और विनियामकों को अभ्यावेदन/सुझाव

#### एलएलपी की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा मानकों पर आईसीएआई की सिफारिशें

अगस्त 2024 में, बोर्ड ने एलएलपी की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा मानकों ("एलएलपी के लिए एसए") पर आईसीएआई की सिफारिशें एलएलपी अधिनियम, 2008 की धारा 34क के अधीन अधिसूचना हेतु एनएफआरए को प्रस्तुत कीं, जिनमें यह सिफारिश की गई थी कि कंपनियों की लेखापरीक्षा हेतु आईसीएआई द्वारा एनएफआरए को सिफारिश किए गए एसए यथावश्यक परिवर्तनों सहित एलएलपी की लेखापरीक्षा पर लागू हों। तत्पश्चात्, एमसीए ने आईसीएआई को एलएलपी के लिए एसए का एक पृथक सेट विकसित करने का निदेश दिया। इसके प्रत्युत्तर में, बोर्ड ने एलएलपी के लिए एसए का एक पृथक सेट विकसित किया, जिस पर आईसीएआई की परिषद् द्वारा विचार किया गया और उसे अनुमोदित किया गया। एलएलपी के लिए एसए पर आईसीएआई की अंतिम सिफारिशें दिनांक 24 जून, 2025 के पत्र के माध्यम से एनएफआरए को प्रस्तुत की गईं।

#### डिजिटल अतिशेष पुष्टिकरण पोर्टल (डीबीसीपी) का विकास

आईसीएआई ने डिजिटल अतिशेष पुष्टिकरण पोर्टल (डीबीसीपी) को विकसित करने के लिए भारतीय बैंक संगम (आईबीए) और पीएसबी अलायंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन किया है, जो एक ऐसा मंच है, जिससे लेखापरीक्षक बैंकों से सीधे डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित अतिशेष पुष्टिकरण प्राप्त करने में समर्थ होंगे। वर्ष 2024 में इस पोर्टल के अनेक प्रदर्शन किए गए, जिनके पश्चात् जनवरी 2025 में परीक्षण सत्र आयोजित किए गए। चरण I (बीटा) का शुभारंभ 2 फरवरी, 2025 को वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट्स के दौरान केनरा बैंक के साथ किया गया तथा जून 2025 में आईसीएआई, पीएसबी अलायंस और एनईएसएल के साथ और परीक्षण किया गया। यह पोर्टल वर्तमान में 9 बैंकों, अर्थात् केनरा बैंक, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ लाइव है। एक उपयोक्ता मार्गदर्शन मैनुअल विकसित किया गया है और इस मंच का क्रमशः और अधिक बैंकों, सहकारी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं तक विस्तार किया जाएगा। समग्र रूप से, डीबीसीपी लेखापरीक्षा पुष्टिकरणों में डिजिटल रूपांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे पारदर्शिता, दक्षता और विश्वसनीयता में सुधार होता है।

### सी एंड एजी के अधिकारियों के लिए सक्षमता निर्माण कार्यक्रम

आईसीएआई ने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) के कार्यालय के सहयोग से, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा में लगे सी एंड एजी के अधिकारियों के लिए आईसीएआई के उत्कृष्टता केंद्र, हैदराबाद में एक सक्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया। चरण I का आयोजन 5 मई, 2025 से 4 जून, 2025 तक, चरण II का आयोजन 27 अक्तूबर, 2025 से 18 नवंबर, 2025 तक तथा चरण III का आयोजन 9 मार्च, 2026 से 7 अप्रैल, 2026 तक, सभी उसी स्थल पर, किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस), लेखापरीक्षा मानकों (एसए), क्षेत्र-विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा क्षेत्रों और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित पहलुओं सहित विषयों की एक व्यापक श्रृंखला को सम्मिलित किया गया। एएएसबी ने पृष्ठभूमि सामग्री विकसित करके तथा अपेक्षित विषय-वस्तु विशेषज्ञता वाले संकाय की व्यवस्था करके लेखापरीक्षा से संबंधित सत्रों का समर्थन किया।

### सी एंड एजी लेखापरीक्षा के अधीन कंपनियों की सेवानिवृत्ति-पश्च निधियों का प्रबंध करने वाले न्यासों के संबंध में रक्षोपायों और जोखिम प्रबंध हेतु जांच सूची

सी एंड एजी के कार्यालय के अनुरोध पर, बोर्ड ने सी एंड एजी लेखापरीक्षा के अधीन कंपनियों की सेवानिवृत्ति-पश्च निधियों का प्रबंध करने वाले न्यासों के संबंध में रक्षोपायों और जोखिम प्रबंध हेतु एक जांच सूची विकसित की। यह जांच सूची दिनांक 3 फरवरी, 2026 के ईमेल के माध्यम से सी एंड एजी के कार्यालय को प्रस्तुत की गई।

### पीएफ न्यासों के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्ररूप

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने आईसीएआई से कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अधीन आने वाले ईपीएफ छूट-प्राप्त स्थापनों के पीएफ न्यासों के वित्तीय विवरण प्ररूपों का पुनर्विलोकन कर उन्हें अंतिम रूप देने तथा ऐसे पीएफ न्यासों के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्ररूप विकसित करने का अनुरोध किया। बोर्ड ने पीएफ न्यासों के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्ररूप विकसित किया और उसे ईपीएफओ को प्रस्तुत किया।

### (II) सदस्यों के लिए पहलें

- **एएएसबी द्वारा आयोजित संगोष्ठियां/वेबिनार :** बोर्ड ने सदस्यों की जागरूकता और वृत्तिक प्रगति हेतु नियोजन और क्वालिटी नियंत्रण मानकों, बैंक लेखापरीक्षा और अन्य लेखापरीक्षा पहलुओं पर विभिन्न संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं और वेबकास्टों का आयोजन किया। 1 अप्रैल, 2025 से 30 अप्रैल, 2026 की अवधि के दौरान, बोर्ड द्वारा 185 कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- **बैंक लेखापरीक्षा विशेषज्ञ पैनल :** बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बैंक शाखा लेखापरीक्षा से संबंधित सदस्यों की शंकाओं का समाधान करने हेतु विशेषज्ञों के एक ऑनलाइन पैनल का गठन किया। इस पैनल ने 1 अप्रैल, 2026 से 15 अप्रैल, 2026 तक शंकाओं का समाधान किया।
- **सांविधिक लेखापरीक्षा विशेषज्ञ पैनल :** बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा पहलुओं से संबंधित शंकाओं का समाधान करने हेतु विशेषज्ञों के एक ऑनलाइन पैनल का गठन किया। इस पैनल ने 11 जुलाई, 2025 से 30 सितंबर, 2025 तक शंकाओं का समाधान किया।
- **लेखापरीक्षा मानकों पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम :** विकसित हो रहे लेखापरीक्षा व्यवहारों और जटिल कारोबारी परिवेश के संदर्भ में लेखापरीक्षा मानकों (एसए) की सदस्यों की समझ और व्यावहारिक अनुप्रयोग को सुदृढ़ करने की आवश्यकता को मान्यता प्रदान करते हुए, एएएसबी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी एक मॉड्यूल सहित सभी 35 लेखापरीक्षा मानकों को

सम्मिलित करते हुए एक व्यापक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम विकसित किया। अब तक, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के 15 बैच आयोजित/अनुसूचित किए जा चुके हैं।

### (III) अंतर्राष्ट्रीय मंचों को योगदान

- अध्यक्ष, एएएसबी ने 7-9 मई, 2025 को न्यूयॉर्क, यूएसए में आयोजित आईईएसबीए, आईएएसबी और संयुक्त जेएसएस बैठकों में भाग लिया।
- अध्यक्ष, एएएसबी ने 3-4 नवंबर, 2025 को वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित आईईएसबीए-जेएसएस बैठक और आईएएसबी-आईईएसबीए-जेएसएस बैठक में भाग लिया।
- उपाध्यक्ष, एएएसबी ने 29 अप्रैल-1 मई, 2026 को मैड्रिड, स्पेन में आयोजित आईईएसबीए, आईएएसबी और संयुक्त जेएसएस बैठकों में भाग लिया।

### (IV) जारी किए गए प्रकाशन

बोर्ड ने सदस्यों के व्यापक फायदे के लिए निम्नलिखित प्रकाशन जारी किए :

- बैंकों की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण (2026 संस्करण)।
- प्रबंध अभ्यावेदन पत्र पर बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)।
- प्रस्थापना दस्तावेजों में मुख्य कार्यपालन संकेतकों (केपीआई) के प्रकटन और रिपोर्टिंग संबंधी तकनीकी गाइड (पुनरीक्षित 2025)।
- गैर-निगमित इकाइयों के वित्तीय विवरणों संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण पर बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) (एएसबी और एएएसबी द्वारा संयुक्त रूप से जारी)।
- नई श्रम संहिताओं पर मार्गदर्शन।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन सी एंड एजी द्वारा जारी पुनरीक्षित निदेशों संबंधी तकनीकी गाइड।
- स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्टों में उपांतरित अभिमतों के प्रारूपण संबंधी व्यवसायी गाइड।

### 6.3 वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन बोर्ड (एफआरआरबी)

एफआरआरबी विभिन्न उद्यमों के सामान्य-प्रयोजन वित्तीय विवरणों का पुनर्विलोकन इस दृष्टि से करता है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, विनियामक निकायों, कानूनों/नियमों और उद्यम से सुसंगत विनियमों द्वारा विहित प्रकटन अपेक्षाओं तथा उद्यम और साथ ही लेखापरीक्षक के रिपोर्टिंग दायित्वों के अनुपालन का अवधारण किया जा सके। इस बोर्ड में भारत सरकार के नामनिर्देशिती सहित आईसीएआई की केंद्रीय परिषद् के सदस्य सम्मिलित हैं। इस अवधि के दौरान बोर्ड को भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) के कार्यालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबाई), नीति आयोग और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के प्रतिनिधित्व का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ।

### राष्ट्र निर्माण में भागीदार – विनियामकों का समर्थन

- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्दिष्ट 4 मामलों का पुनर्विलोकन किया गया।
- 11 मामलों को विनियामकों को निर्दिष्ट किया गया, जिनमें वित्तीय विवरणों के सत्य और उचित दृश्य को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण अननुपालनों की पहचान की गई थी।

- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में लेखापरीक्षा अधिकारियों के लिए सी एंड एजी-आईसीएआई प्रशिक्षण कार्यक्रम में 30 भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) को सम्मिलित करते हुए 75 केस स्टडी उपलब्ध कराकर योगदान किया गया।

### सामान्य-प्रयोजन वित्तीय विवरणों का पुनर्विलोकन

पुनर्विलोकनाधीन अवधि के दौरान, बोर्ड ने 91 मामलों पर विचार कर उन्हें अंतिम रूप दिया, जिनमें से 13 मामले फाइल किए गए। इनमें से 11 मामलों को गंभीर अननुपालनों के कारण आगे की कार्रवाई हेतु आईसीएआई के निदेशक (अनुशासन) को निर्दिष्ट किया गया तथा उन्हीं 11 मामलों को विनियामकों (एमसीए, सेबी, आरबीआई) को भी निर्दिष्ट किया गया, क्योंकि ये श्रेणियां परस्पर समावेशी हैं। 67 मामलों में लेखापरीक्षकों को परामर्शिकाएं जारी की गईं।

| बोर्ड द्वारा विचारित और अंतिम रूप दिए गए मामले | निदेशक (अनुशासन) को निर्दिष्ट मामले | विनियामकों (एमसीए/सेबी/आरबीआई) को निर्दिष्ट मामले | लेखापरीक्षकों को जारी परामर्शिकाएं |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| 91                                             | 11                                  | 11                                                | 67                                 |

वर्ष 2025-26 के दौरान सामान्य-प्रयोजन वित्तीय विवरणों के पुनर्विलोकन के परिणाम (91 मामलों में से 13 फाइल किए गए; स्तंभ 2 और 3 के आंकड़े परस्पर समावेशी हैं)

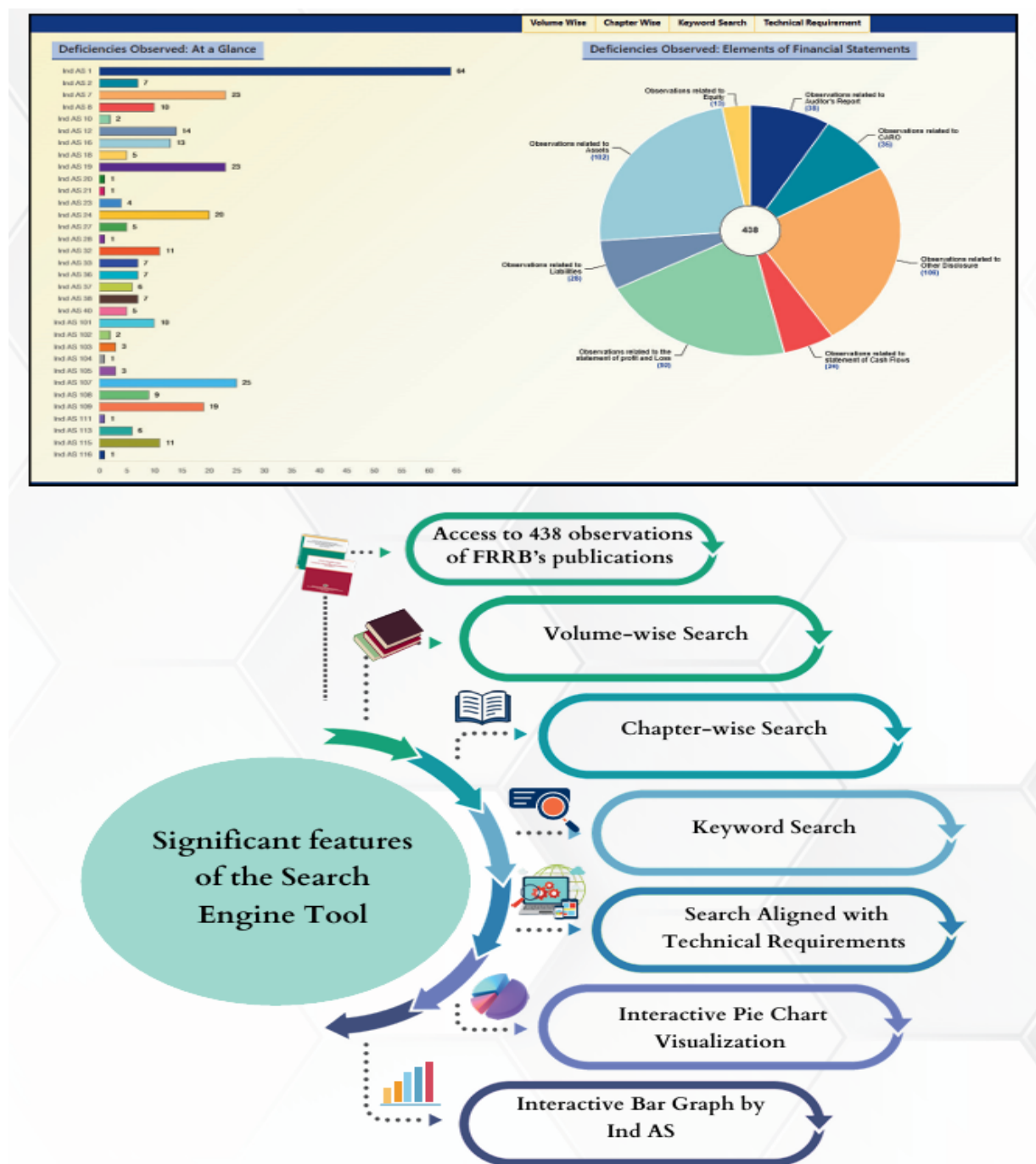
### अब तक विचारित प्रेक्षणों की सर्वाधिक संख्या

वर्ष के दौरान, बोर्ड ने प्रेक्षणों की अब तक की सर्वाधिक मात्रा का पुनर्विलोकन किया और 80 वित्तीय विवरणों में 2,805 प्रेक्षणों पर विचार किया – जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और जो निगमित क्षेत्र में वित्तीय रिपोर्टिंग गुणवत्ता की बोर्ड की निगरानी को सुदृढ़ करती है।

### एफआरआरबी इनसाइट्स का शुभारंभ – सामान्य अननुपालन खोज इंजन

एफआरआरबी ने 'एफआरआरबी इनसाइट्स' का शुभारंभ किया, जो एक समर्पित खोज इंजन है, जिससे सदस्यों और पणधारियों को एफआरआरबी के प्रकाशनों से लिए गए 438 प्रेक्षणों तक पहुंच प्राप्त होती है। यह साधन खंड-वार, अध्याय-वार और मुख्य शब्द-आधारित खोज तथा तकनीकी अपेक्षाओं के साथ सुमेलित खोज उपलब्ध कराता है और डाटा को इंड एएस के अनुसार परस्पर क्रियाशील पाई चाटों और बार ग्राफों के माध्यम से प्रस्तुत करता है, जिससे उपयोक्ता वित्तीय विवरण अवयवों में सामान्य अननुपालनों की शीघ्रता से पहचान कर सकते हैं।





### सदस्यों में जागरूकता का प्रसार

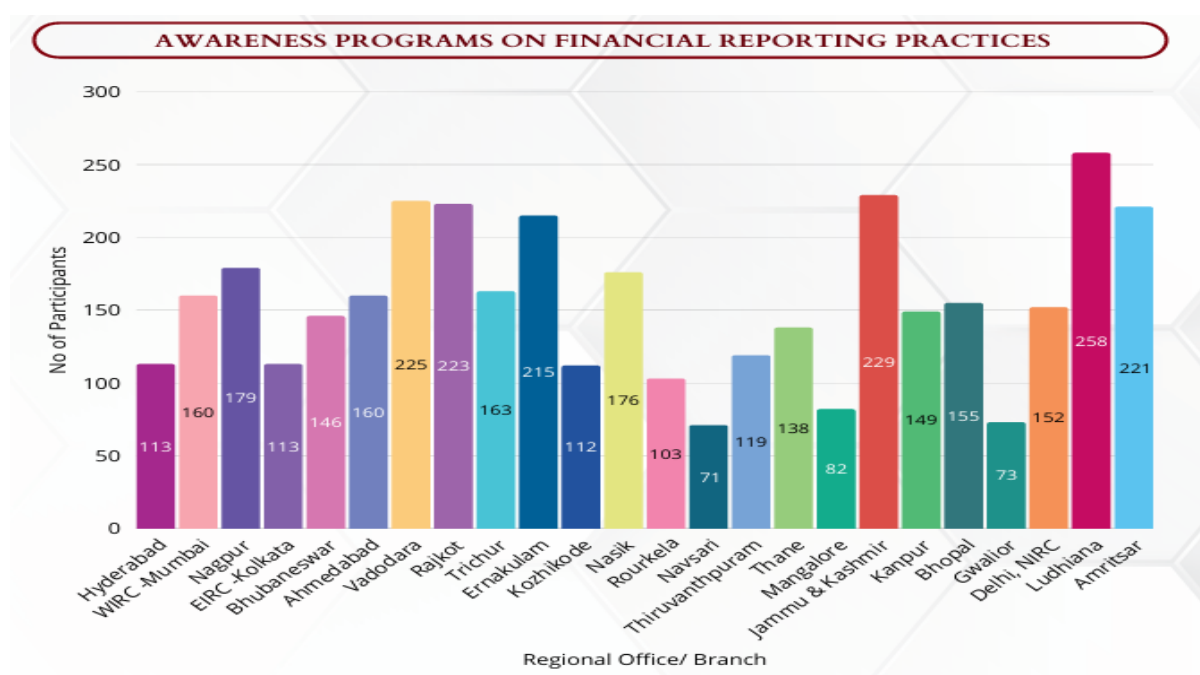
- **एक्स हैंडल – एफआरआरबी :** बोर्ड ने सदस्यों में जागरूकता के प्रसार हेतु एफआरआरबी द्वारा पाए गए अननुपालनों पर नियमित अद्यतन उपलब्ध कराते हुए अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर अपनी 'डिड यू नो?' श्रृंखला को जारी रखा।
- **जर्नल में लेख :** 'विभिन्न रिपोर्टिंग दायित्वों के साथ अननुपालन' पर लेख आईसीएआई जर्नल के नवंबर 2025 और दिसंबर 2025 संस्करणों में प्रकाशित किए गए, जिनमें क्रमशः तुलन-पत्र में इक्विटी और देयताओं तथा आस्तियों से संबंधित अननुपालनों को सम्मिलित किया गया।

- **वेबिनार श्रृंखला :** एफआरआरबी ने 'वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में सामान्यतया पाए जाने वाले अननुपालन' विषय पर वेबिनारों की एक श्रृंखला का आयोजन किया, जिससे अखिल भारतीय सहभागिता सुकर हुई। इन वेबिनारों को अत्यधिक प्रतिसाद प्राप्त हुआ और प्रत्येक सत्र में लगभग 3,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

### वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहारों पर जागरूकता कार्यक्रम

एफआरआरबी ने हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, कोलकाता, भुवनेश्वर, वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, त्रिशूर, एर्नाकुलम, कोझिकोड, नासिक, राउरकेला, नवसारी, तिरुवनंतपुरम, ठाणे, मंगलौर, जम्मू और कश्मीर, कानपुर, भोपाल, ग्वालियर, दिल्ली, लुधियाना और अमृतसर सहित विभिन्न क्षेत्रों और नगरों में 'वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहार – लेखापरीक्षा उत्कृष्टता के भविष्य को आकार देना' विषय पर 24 जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें कुल मिलाकर 3,700 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

*क्षेत्रों/नगरों में वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहारों पर जागरूकता कार्यक्रमों में सहभागिता*



### 6.4 आंतरिक लेखापरीक्षा मानक बोर्ड (आईएसबी)

आईसीएआई का आंतरिक लेखापरीक्षा मानक बोर्ड (आईएसबी) भारत में आंतरिक लेखापरीक्षा व्यवहारों की गुणवत्ता के विनियमन और उसमें अभिवृद्धि करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बोर्ड का प्राथमिक उद्देश्य आंतरिक लेखापरीक्षा मानकों (एसआईए) और अन्य मार्गदर्शन सामग्री का निर्माण, उन्हें जारी करना और उनका पुनरीक्षण करना है। ये मानक आंतरिक लेखापरीक्षकों को अपने कर्तव्यों का प्रभावी रूप से पालन करने के लिए एक व्यापक ढांचा उपलब्ध कराते हैं, जिससे उनके नियोजनों में सुसंगतता, वस्तुनिष्ठता और वृत्तिकता सुनिश्चित होती है। आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं, रिपोर्टिंग और नैतिक आचरण के लिए बेंचमार्क स्थापित करके, बोर्ड विभिन्न क्षेत्रों के संगठनों के भीतर निगम शासन, जोखिम प्रबंध और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के सुदृढीकरण में महत्वपूर्ण योगदान करता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान बोर्ड के प्रमुख क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं :

**(I) बैंकों की समवर्ती लेखापरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम**

बोर्ड सदस्यों को संव्यवहारों की आंतरिक जांच और अन्य सत्यापनों तथा अधिकथित प्रक्रियाओं के अनुपालन में बैंकों के प्रयासों को अनुपूरित करने, बैंकों में समवर्ती लेखापरीक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता में सुधार करने, समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्टों की गुणवत्ता और व्याप्ति में सुधार करने तथा बैंकों की समवर्ती लेखापरीक्षा की जटिलताओं को समझने में समर्थ बनाने के लिए बैंकों की समवर्ती लेखापरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का संचालन करता है। इस अवधि के दौरान, बोर्ड ने भौतिक मोड में पाठ्यक्रम के 28 बैचों का आयोजन किया और लगभग 1,606 प्रतिभागियों ने पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण किया।

**(II) आंतरिक लेखापरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम**

आंतरिक लेखापरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को बोर्ड द्वारा नए विषयों और एक सशक्त सूचना प्रौद्योगिकी घटक के साथ पूर्णतः नया रूप दिया गया है और सभी पणधारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक समकालीन प्रारूप में आरंभ किया गया है। इस पाठ्यक्रम को आंतरिक लेखापरीक्षा में चार्टर्ड अकाउंटेंटों की विशेषज्ञता में अभिवृद्धि करने, शासन, जोखिम और अनुपालन को उनकी मूलभूत सक्षमताओं में से एक के रूप में निर्मित करने तथा प्रमाणित सदस्यों को आंतरिक लेखापरीक्षा करने वाले अन्य व्यक्तियों से स्वयं को विशिष्ट बनाने में सहायता करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। इस अवधि के दौरान, बोर्ड ने भौतिक मोड में पाठ्यक्रम के 1 बैच का आयोजन किया और लगभग 213 प्रतिभागियों ने पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण किया।

**(III) अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम – प्रबंध और कारोबार वित्त संबंधी डिप्लोमा (डीएमबीएफ)**

बोर्ड सदस्यों को प्रबंध और कारोबार वित्त के क्षेत्रों में कौशल, विशेषज्ञता और गहन ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम – प्रबंध और कारोबार वित्त संबंधी डिप्लोमा (डीएमबीएफ) का संचालन करता है। बोर्ड ने ऑनलाइन मोड में पाठ्यक्रम के 5वें बैच का संचालन किया और अब तक 84 सदस्यों ने पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण किया है।

**पाठ्यक्रम एक दृष्टि में :**

| पाठ्यक्रम                                                             | बैच      | प्रतिभागी           |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| बैंकों की समवर्ती लेखापरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (भौतिक मोड) | 28       | 1,606 ने पूर्ण किया |
| आंतरिक लेखापरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (भौतिक मोड)            | 1        | 213 ने पूर्ण किया   |
| प्रबंध और कारोबार वित्त संबंधी डिप्लोमा (ऑनलाइन मोड)                  | 5वां बैच | 84 ने पूर्ण किया    |

**(IV) आंतरिक लेखापरीक्षा जागरूकता संबंधी कार्यक्रम, संगोष्ठियां, सम्मेलन और वेबिनार**

सदस्यों के बीच ज्ञान के प्रसार हेतु एक मंच उपलब्ध कराने की दृष्टि से, बोर्ड ने इस अवधि के दौरान वर्चुअल मोड में आंतरिक लेखापरीक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर 42 वेबिनारों का आयोजन किया। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने छह (6) भौतिक कार्यक्रमों का संचालन किया, अर्थात् अहमदाबाद में आंतरिक लेखापरीक्षा पर एक संगोष्ठी, पुष्कर में एक आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, एर्नाकुलम में आंतरिक लेखापरीक्षा पर एक एक-दिवसीय संगोष्ठी, उत्कृष्टता केंद्र, आईसीएआई कोलकाता में आंतरिक लेखापरीक्षा

पर एक पूर्ण-दिवसीय संगोष्ठी, आईसीएआई भवन, बिबवेवाड़ी, पुणे में सहकारिताओं की आंतरिक लेखापरीक्षा पर एक पूर्ण-दिवसीय संगोष्ठी तथा आईसीएआई भवन, शिवकाशी में आंतरिक लेखापरीक्षा पर एक एक-दिवसीय कार्यशाला।

#### (V) आंतरिक लेखापरीक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

महानिदेशक, लेखापरीक्षा के कार्यालय के अधीन लेखापरीक्षा अधिकारियों के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 8 से 12 दिसंबर, 2025 तक आईसीएआई की एसआईआरसी में किया गया।

#### (VI) जारी किए गए प्रकाशन (पुनरीक्षित 2026 संस्करण)

- बैंकों की समवर्ती लेखापरीक्षा संबंधी मैनुअल।
- बीपीओ उद्योग की आंतरिक लेखापरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड।
- होटल उद्योग की आंतरिक लेखापरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड।
- स्टॉक ब्रोकरों की आंतरिक लेखापरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड।
- जोखिम-आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड।
- ई-समाचारपत्रिका – “आईसीएआई इंटरनल ऑडिट स्पेक्ट्रम” (प्रथम संस्करण)।

#### 6.5 कराधान लेखापरीक्षा गुणवत्ता पुनर्विलोकन बोर्ड (टीएक्यूआरबी)

कराधान लेखापरीक्षा गुणवत्ता पुनर्विलोकन बोर्ड (टीएक्यूआरबी) का गठन संस्थान द्वारा वर्ष 2018 में विभिन्न कराधान विधियों – प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनों – के अधीन रिपोर्टिंग अनुपालन में सुधार करने के लिए किया गया था। बोर्ड द्वारा किए गए पुनर्विलोकन यह सुनिश्चित करते हैं कि सदस्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान के अधीन विहित विभिन्न रिपोर्टों को प्रमाणित करते समय अधिक सतर्कता बरतें, जिससे दीर्घ काल में रिपोर्टिंग और प्रमाणन की समग्र गुणवत्ता में सुधार हो। 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 की अवधि के दौरान बोर्ड के प्रमुख क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं :

##### (I) कर लेखापरीक्षा रिपोर्टों का पुनर्विलोकन

परिषद् वर्ष 2024-25 के दौरान, पुनर्विलोकन हेतु 123 रिपोर्टों का चयन किया गया, जिनमें से 23 रिपोर्टें उन सदस्यों से संबंधित थीं, जिन्हें 31 मार्च, 2023 तक पहले ही परामर्शिकाएं जारी की जा चुकी थीं। परिषद् वर्ष 2025-26 के दौरान, पुनर्विलोकन हेतु 1,000 रिपोर्टों का चयन किया गया। रिपोर्टों का पुनर्विलोकन तीन स्तरों पर किया जाता है – तकनीकी पुनर्विलोकनकर्ताओं (टीआर) द्वारा, तत्पश्चात् कराधान लेखापरीक्षा गुणवत्ता पुनर्विलोकन समूहों (टीएक्यूआरजी) द्वारा और अंत में बोर्ड द्वारा। वर्ष 2025-26 के दौरान, बोर्ड ने 203 रिपोर्टों का पुनर्विलोकन किया – जो बोर्ड की स्थापना के पश्चात् से सर्वाधिक संख्या है। तुलना के लिए, पूर्ववर्ती परिषद् वर्षों में पुनर्विलोकित रिपोर्टों की संख्या निम्नानुसार थी :

- परिषद् वर्ष 2024-25 : 71 रिपोर्टें।
- परिषद् वर्ष 2023-24 : 91 रिपोर्टें।
- परिषद् वर्ष 2022-23 : 80 रिपोर्टें।

पुनर्विलोकनों के आधार पर, बोर्ड ने : अनुपालन हेतु सदस्यों को परामर्शिकाएं जारी कीं; कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट की ई-फाइलिंग यूटिलिटी में परिवर्तनों हेतु सुझावों की पहचान की, जिन्हें सीबीडीटी को अग्रेषित करने के लिए आईसीएआई की प्रत्यक्ष कर समिति को संसूचित किया गया; तथा सदस्यों में जागरूकता के सृजन के प्रयोजन से सामान्यतया पाई जाने वाली अनियमितताओं की पहचान की।

**(II) सदस्यों के लिए पहलें****संगोष्ठियां/वेबिनार**

कर लेखापरीक्षा के क्षेत्र में ज्ञान के प्रसार और वृत्तिक सक्षमता में अभिवृद्धि की दृष्टि से, बोर्ड ने आईसीएआई की क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं के सहयोग से 12 संगोष्ठियों का आयोजन किया। इनमें कर लेखापरीक्षा, एनजीओ/न्यास और गैर-निगमित इकाइयों की कर लेखापरीक्षा, कर लेखापरीक्षा में जीएसटी अनुपालन तथा कर लेखापरीक्षा के संबंध में पूर्ण न्यास/एनजीओ के मुद्दे, उपधारणात्मक कराधान और कर लेखापरीक्षा के मुद्दे (अर्ध-दिवसीय), कर लेखापरीक्षा (पूर्ण-दिवसीय), कर लेखापरीक्षा रिपोर्टों में सामान्यतया पाई जाने वाली त्रुटियां, कर लेखापरीक्षा 2025, एआई लेखापरीक्षा सहित कराधान लेखापरीक्षा तथा कर लेखापरीक्षा (अर्ध-दिवसीय) पर संगोष्ठियां सम्मिलित थीं।

बोर्ड ने कर लेखापरीक्षा में परिवर्तनों और मुद्दों तथा कारोबार आय में परिवर्तन और कर लेखापरीक्षा के संबंध में छूटों संबंधी मुख्य प्रावधानों पर दो वेबिनारों का आयोजन किया, जिनमें कर लेखापरीक्षा के हाल के विकासक्रमों, मुख्य प्रावधानों और व्यावहारिक पहलुओं को सम्मिलित किया गया। कर लेखापरीक्षा में परिवर्तनों और मुद्दों संबंधी वेबिनार में लगभग 2,000 सदस्यों की सहभागिता रही, जो इसे एक उल्लेखनीय सफलता बनाती है।

**(III) तकनीकी पुनर्विलोकनकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम**

तकनीकी पुनर्विलोकनकर्ताओं के लिए एक तीन-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 1 से 3 अगस्त, 2025 तक स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली में किया गया। इस कार्यक्रम में कर लेखापरीक्षा, तकनीकी पुनर्विलोकनकर्ताओं की भूमिका, टीएक्यूआरबी वेब पोर्टल और कर लेखापरीक्षा रिपोर्टों के पुनर्विलोकन हेतु जांच सूची पर सत्रों को सम्मिलित किया गया। तकनीकी पुनर्विलोकनकर्ताओं द्वारा उठाई गई सभी शंकाओं का समाधान किया गया और यह कार्यक्रम अत्यंत सफल रहा।

**(IV) टीएक्यूआरबी वेब पोर्टल**

बोर्ड ने एक समर्पित वेब पोर्टल (taqrb.icaai.org) विकसित किया है, जो टीएक्यूआरबी की रिपोर्टों, कार्यवृत्तों और मामलों की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक केंद्रीयकृत निक्षेपागार के रूप में कार्य करता है, जिससे निर्बाध दस्तावेजीकरण और अभिगम्यता सुनिश्चित होती है। यह पोर्टल सभी तीन पुनर्विलोकन स्तरों (टीआर, टीएक्यूआरबी और टीएक्यूआरबी) में मुख्य कार्य-प्रवाहों को स्वचालित करता है, जिनमें मामलों का आबंटन, रिपोर्टों की प्रस्तुति और प्रगति की वास्तविक समय ट्रैकिंग सम्मिलित है, जिससे पारदर्शिता में अभिवृद्धि होती है, समन्वय में सुधार होता है और विनिश्चय की प्रक्रिया में तेजी आती है।

**6.6 संवहनीयता रिपोर्टिंग मानक बोर्ड (एसआरएसबी)**

संवहनीयता रिपोर्टिंग मानक बोर्ड (एसआरएसबी) संवहनीयता रिपोर्टिंग को आगे बढ़ाने तथा लोक और निजी, दोनों क्षेत्रों में मुख्यधारा के कारोबारी व्यवहारों में संवहनीय चिंतन को सन्निविष्ट करने की दिशा में सक्रिय रूप से योगदान करता रहा है। बोर्ड संवहनीयता के क्षेत्र में चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए उभरते अवसरों की सक्रिय रूप से पहचान करता है और उन्हें विकसित करता है, साथ ही कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों और तकनीकी प्रकाशनों के माध्यम से उनके ज्ञान और सामर्थ्य में अभिवृद्धि करता है। बोर्ड विद्यमान संवहनीयता-संबंधी प्रकटन अपेक्षाओं के अनुपालन का संवर्धन भी करता है तथा आश्वासन ढांचे को सुदृढ़ करता है, जिससे एक हरित, निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण का समर्थन होता है।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान बोर्ड की प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं :

### (I) आईसीएआई संवहनीयता रिपोर्टिंग पुरस्कार 2024-25

आईसीएआई संवहनीयता रिपोर्टिंग पुरस्कार 2024-25 का आयोजन 1 फरवरी, 2026 को इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा में किया गया, जिनमें विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में विभक्त लार्ज-कैप, मिड-कैप, स्मॉल-कैप और स्वैच्छिक प्रकटन श्रेणियों में कारोबार उत्तरदायित्व और संवहनीयता रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) में उत्कृष्टता को मान्यता प्रदान की गई। नामांकन प्रक्रिया अक्टूबर 2025 में आरंभ हुई और 180 प्रस्तुतियां प्राप्त हुईं, जिनमें से 174 पात्र प्रविष्टियों का पुनर्विलोकन शील्ड पैनल समिति द्वारा किया गया। शीर्ष नामांकनों का मूल्यांकन 21 जनवरी, 2026 को बीकेसी, मुंबई में आयोजित एक बैठक के दौरान एक विशिष्ट निर्णायक मंडल द्वारा किया गया। विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार विजेता निम्नानुसार हैं :

| श्रेणी           | उप-श्रेणी         |
|------------------|-------------------|
| लार्ज कैप        | विनिर्माण क्षेत्र |
|                  | सेवा क्षेत्र      |
| मिड कैप          | विनिर्माण क्षेत्र |
|                  | सेवा क्षेत्र      |
| स्मॉल कैप        | विनिर्माण क्षेत्र |
|                  | सेवा क्षेत्र      |
| स्वैच्छिक प्रकटन | विनिर्माण क्षेत्र |
|                  | सेवा क्षेत्र      |

### (II) आयोजित कार्यक्रम

- तीसरा उत्तरदायी कारोबार आचरण संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन (एनसीआरबीसी) 2025 : कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन आईआईसीए और आईसीएआई के सहयोग से 2-3 जुलाई, 2025 को होटल ताज पैलेस, नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
- संवहनीयता, डिजिटल आश्वासन और मूल्यांकन संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन : एसआरएसबी के सहयोग से डब्ल्यूआईआरसी की वसई शाखा द्वारा 30 नवंबर, 2025 को मुंबई में आयोजित किया गया, जिसमें बीआरएसआर, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, डिजिटल आश्वासन, संवहनीयता और मूल्यांकन को सम्मिलित किया गया।
- संगोष्ठियां और वेबिनार : बोर्ड ने विभिन्न संगोष्ठियों और वेबिनारों का संचालन किया, जिनमें “बायोडायवर्सिटी एंड बिजनेस इन हार्मनी : चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए भूमिका और अवसर” पर सत्र, कार्यबल पोषण रिपोर्टिंग पर आईसीएआई द्वारा आयोजित एक परामर्श कार्यशाला, “डिमिस्टिफाइंग सस्टेनेबिलिटी, एसएसई, सोशल ऑडिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर सीए”, “नेविगेटिंग द नेट जीरो जर्नी”, “सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप” पर एक आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम तथा “डिमिस्टिफाइंग सस्टेनेबिलिटी, कैटालाइजिंग ग्रोथ” विषय पर विभिन्न वेबिनार सम्मिलित हैं।

- **आईसीएआई संवहनीयता माह :** 5 क्षेत्रीय परिषदों और 183 शाखाओं की सहभागिता के साथ एक राष्ट्रव्यापी पहल, जो संवहनीयता के 5पी पर आधारित तथा लाइफ मिशन और संयुक्त राष्ट्र एसडीजी के साथ सुमेलित थी। इसके क्रियाकलापों में वृक्षारोपण, वाँकाथन, योग सत्र, जागरूकता सर्वेक्षण और एक संवहनीयता रील प्रतियोगिता सम्मिलित थीं।

### (III) संवहनीयता और बीआरएसआर संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

बोर्ड संवहनीयता और बीआरएसआर संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के भौतिक और ऑनलाइन, दोनों बैचों का सक्रिय रूप से संचालन करता रहा है। तीसरा भौतिक बैच 29-30 नवंबर और 5-7 दिसंबर, 2025 को आईसीएआई, मुंबई में आयोजित किया गया और अब तक 3 भौतिक बैच पूर्ण हो चुके हैं। ऑनलाइन मोड में, बोर्ड ने 11 जनवरी, 2026 को 30वां बैच सफलतापूर्वक पूर्ण किया है और आज की तारीख तक 3,000 से अधिक प्रतिभागी नामांकित हो चुके हैं। व्यापक अभिगम्यता और सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम का संचालन सप्ताहांतों में किया जाता है।

### (IV) आईसीएआई कार्बन उत्सर्जन कैलकुलेटर

1 जुलाई, 2025 को, एसआरएसबी ने आईसीएआई कार्बन उत्सर्जन कैलकुलेटर का शुभारंभ किया – जो एक निःशुल्क, गतिशील और उपयोक्ता-अनुकूल डिजिटल उपकरण है, जिसे संगठनों और व्यक्तियों को उनके कार्बन फुटप्रिंट को मापने और उसकी निगरानी करने में सहायता के लिए अभिकल्पित किया गया है।

### (V) तकनीकी साहित्य का प्रकाशन

बोर्ड ने संवहनीयता तथा कारोबार उत्तरदायित्व और संवहनीयता रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) पर पृष्ठभूमि सामग्री, पुनरीक्षित संस्करण 2025, जारी की।

## 6.7 दिवाला, शोधन अक्षमता और मूल्यांकन मानक बोर्ड (आईबी एंड वीएसबी)

आईसीएआई के दिवाला और मूल्यांकन मानक बोर्ड (आई एंड वीएसबी) (पूर्व नाम : दिवाला और मूल्यांकन मानक बोर्ड (आई एंड वीएसबी)) का गठन वर्ष 2024-25 में पारदर्शी, सुसंगत और वैश्विक रूप से सुमेलित व्यवहारों का संवर्धन करके दिवाला और मूल्यांकन वृत्ति को सुदृढ़ करने के लिए किया गया था। बोर्ड आईसीएआई मूल्यांकन मानकों के निर्माण, कार्यान्वयन और उन्नयन पर ध्यान केंद्रित करता है, साथ ही एक निष्पक्ष और सुदृढ़ निगमित और वित्तीय पारिस्थितिकी प्रणाली की दिशा में योगदान करता है।

### महत्वपूर्ण उपलब्धियां/पहलें

#### (I) नीतिगत पक्ष-समर्थन और अभ्यावेदन

- आईबीबीआई, वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति तथा आईबीसी (संशोधन) विधेयक, 2025 पर लोक सभा की माननीय प्रवर समिति को विस्तृत सुझाव प्रस्तुत करके दिवाला विधि सुधारों में सक्रिय योगदान किया गया।
- आईबीसी (संशोधन) विधेयक, 2025 के संबंध में 6 नवंबर, 2025 को लोक सभा की माननीय प्रवर समिति के समक्ष एक मौखिक प्रस्तुति की गई तथा मौखिक सुनवाई में उठाए गए प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत किए गए।

- मूल्यांकन विनियमन में दोहराव से बचने और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, आय-कर अधिनियम, 2025 के प्रयोजनों हेतु कंपनी अधिनियम ढांचे के अधीन रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकनकर्ताओं को मान्यता प्रदान करने का अनुरोध करते हुए सीबीडीटी को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया।
- आईबीबीआई/एमसीए द्वारा जारी विभिन्न परिचर्चा पत्रों में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार-विमर्श करने के लिए आईसीएआई के आईआईआईपीआई के साथ संयुक्त रूप से विभिन्न गोलमेज परिचर्चाओं का संचालन किया गया; इस प्रकार तैयार किए गए सुझावों को संकलित कर आईबीबीआई को प्रस्तुत किया गया।

## (II) मानक-निर्धारण पहलें

बोर्ड ने प्रतिभूतियों या वित्तीय आस्तियों के अतिरिक्त, भूमि और भवन तथा संयंत्र और मशीनरी आस्ति वर्गों के लिए मूल्यांकन मानकों को विकसित करने की प्रक्रिया आरंभ की।

## (III) रिजॉल्व-2025 – दिवाला समाधान और मूल्यांकन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

बोर्ड ने दिवाला समाधान और मूल्यांकन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन – रिजॉल्व-2025 – के तीसरे संस्करण का आयोजन 1-2 दिसंबर, 2025 को मुंबई में किया, जो “इनेबलिंग रिजॉल्यूशन, मैक्सिमाइजिंग वैल्यू” विषय पर केंद्रित था और जिसमें 19 तकनीकी सत्रों में 500 से अधिक वृत्तिकों तथा 70 से अधिक प्रख्यात वक्ताओं की सहभागिता रही।

## (IV) ज्ञान प्रसार पहलें

- **त्रैमासिक ई-समाचारपत्रिका “वैल्यूएशन एज”** : मार्च 2025, जून 2025, सितंबर 2025, दिसंबर 2025 और मार्च 2026 को समाप्त तिमाहियों के लिए 5 ई-समाचारपत्रिकाएं जारी की गईं।
- **मासिक नॉलेज कॉर्नर** : अवधि के दौरान नॉलेज कॉर्नर की 13 शृंखलाएं जारी की गईं।
- **आईबीसी और मूल्यांकन पर मासिक प्रश्नोत्तरी** : अवधि के दौरान मासिक प्रश्नोत्तरी की 13 शृंखलाएं जारी की गईं।
- **घोषणाएं** : आईबीबीआई द्वारा जारी नवीनतम संशोधनों, परिपत्रों और अधिसूचनाओं के बारे में पणधारियों को अद्यतन करने के लिए आईसीएआई की वेबसाइट के आई एंड वीएसबी पृष्ठ पर 51 घोषणाएं जारी की गईं।
- **आईबीसी पर ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम** : आईबीबीआई के सहयोग से आईबीसी पर ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 7 बैचों का आयोजन किया गया, जिनमें 400 से अधिक सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया।
- **आईसीएआई मूल्यांकन मानक 2018**, मूल्यांकन तथा दिवाला और शोधन अक्षमता विधियों के संवर्धन और उनके बारे में जागरूकता के सृजन हेतु अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों, वेबिनारों और संगोष्ठियों का आयोजन किया गया।

## (V) प्रकाशन

बोर्ड ने दिवाला, मूल्यांकन तथा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अधीन सुधारों को सम्मिलित करते हुए 22 तकनीकी प्रकाशन, हैंडबुक, न्यायिक घोषणा शृंखलाएं, मार्गदर्शन टिप्पण, वेबकास्ट एटीक्यू और नीति-उन्मुख प्रकाशन जारी किए, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

- रिजॉल्व-2025 पर श्वेत पत्र।
- रिजॉल्व-2025 के विचार-विमर्शों से उद्भूत मुद्दे और सिफारिशें।
- लेनदारों की समिति और दिवाला वृत्तिकों के तालमेल संबंधी हैंडबुक।



- एमएसएमई के लिए पुनरुद्धार को समर्थ बनाने, निकास को सुगम बनाने और नई शुरुआत सुनिश्चित करने के साधन के रूप में आईबीसी संबंधी हैंडबुक।
- आईबीसी से परे दिवाला वृत्तिकों के लिए अवसरों संबंधी हैंडबुक।

## 6.8 पियर पुनर्विलोकन बोर्ड (पीआरबी)

पियर पुनर्विलोकन तंत्र को आईसीएआई की परिषद् द्वारा मार्च 2002 में पियर पुनर्विलोकन बोर्ड की स्थापना के साथ आरंभ किया गया था। तब से बोर्ड संतोषजनक रूप से प्रगति कर रहा है और सदस्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली आश्वासन सेवाओं की दक्षता में अभिवृद्धि करने के लिए उन्हें निरंतर मार्गदर्शन उपलब्ध करा रहा है। पियर पुनर्विलोकन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी आश्वासन सेवा समनुदेशन को पूरा करते समय सदस्य (क) यथालागू तकनीकी, वृत्तिक और नैतिक मानकों का, जिनमें अन्य विनियामक अपेक्षाएं सम्मिलित हैं, अनुपालन करता है; और (ख) उसके पास आश्वासन सेवाओं की गुणवत्ता का पर्याप्त रूप से प्रदर्शन करने के लिए उचित प्रणालियां, जिनमें उनका दस्तावेजीकरण सम्मिलित है, विद्यमान हैं। किसी प्रैक्टिस यूनिट का पियर पुनर्विलोकन एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया जाता है, जिसे पुनर्विलोकनकर्ता कहा जाता है।

### (I) विनियामकों द्वारा पियर पुनर्विलोकन को मान्यता

- सेबी ने 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी रूप से यह अनिवार्य किया है कि सूचीबद्ध इकाइयों द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत सीमित पुनर्विलोकन/सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्टें केवल ऐसे लेखापरीक्षकों द्वारा दी जाएं, जिन्होंने स्वयं को पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया के अधीन किया है और जिनके पास संस्थान के पियर पुनर्विलोकन बोर्ड द्वारा जारी विधिमान्य प्रमाणपत्र है।
- भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) और 139(7) के अधीन सीए फर्मों/एलएलपी के पैनल में सम्मिलित किए जाने तथा कंपनियों और सांविधिक निगमों/स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की नीति को पुनरीक्षित किया है। पैनल में सम्मिलित किए जाने हेतु आवेदन करने की तारीख को विधिमान्य पियर पुनर्विलोकन प्रमाणपत्र धारण करने वाली फर्मों को अधिकतम 25 अंक आबंटित किए जाते हैं।

### (II) प्रैक्टिस यूनिटों का पियर पुनर्विलोकन

पियर पुनर्विलोकन बोर्ड ने 1 अप्रैल, 2025 से 30 अप्रैल, 2026 की अवधि के दौरान प्रैक्टिस यूनिटों को 5,226 पियर पुनर्विलोकन प्रमाणपत्रों पर विचार कर उन्हें जारी किया। 30 अप्रैल, 2026 की स्थिति के अनुसार, कुल 10,281 प्रैक्टिस यूनिटों के पास विधिमान्य पियर पुनर्विलोकन प्रमाणपत्र था। बोर्ड ने 30 अप्रैल, 2026 तक एक्यूएमएम पुनर्विलोकन के 2,510 मामलों पर भी विचार किया, जिनका एक्यूएमएम स्तर-वार विवरण निम्नानुसार है :

| प्रैक्टिस यूनिटों का एक्यूएमएम स्तर | प्रैक्टिस यूनिटों की संख्या |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| स्तर 1                              | 31                          |
| स्तर 2                              | 347                         |
| स्तर 3                              | 1,251                       |
| स्तर 4                              | 875                         |
| अपात्र                              | 6                           |
| योग                                 | 2,510                       |

**(III) पियर पुनर्विलोकन अधिदेश – चरणबद्ध कार्यान्वयन**

- **चरण III :** अधिदेश का तीसरा चरण पहले 1 अप्रैल, 2024 से उन प्रैक्टिस यूनितों के लिए लागू था, जो ऐसी इकाइयों की सांविधिक लेखापरीक्षा करने का प्रस्ताव करती हैं, जिन्होंने पुनर्विलोकन अवधि के दौरान जनता, बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से ₹50 करोड़ से अधिक की निधियां जुटाई हैं, अथवा लोक हित इकाइयों के अधीन आने वाले किसी निगमित निकाय/न्यास की सांविधिक लेखापरीक्षा करने का प्रस्ताव करती हैं, अथवा साक्ष्यांकन सेवाएं प्रदान करने वाली और 4 या अधिक भागीदारों वाली प्रैक्टिस यूनितें हैं – इसे आरंभ में नौ माह (जनवरी 2025 से प्रभावी) के लिए आस्थगित किया गया और तत्पश्चात् छह माह के लिए और बढ़ाया गया, जिससे यह 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी रूप से लागू हो।
- **चरण IV :** अधिदेश का चौथा चरण पहले 1 अप्रैल, 2025 से उन प्रैक्टिस यूनितों के लिए लागू था, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की लेखापरीक्षा करने का प्रस्ताव करती हैं, अथवा साक्ष्यांकन सेवाएं प्रदान करने वाली और 3 या अधिक भागीदारों वाली प्रैक्टिस यूनितें हैं – इसे आरंभ में नौ माह (जनवरी 2026 से प्रभावी) के लिए आस्थगित किया गया और तत्पश्चात् बारह माह के लिए और बढ़ाया गया, जिससे यह 31 दिसंबर, 2026 से प्रभावी रूप से लागू हो।

**(IV) पियर पुनर्विलोकनकर्ताओं का प्रशिक्षण और पैनल में सम्मिलित किया जाना**

- **प्रशिक्षण कार्यक्रम :** 1 अप्रैल, 2025 से 30 अप्रैल, 2026 की अवधि के दौरान, बोर्ड ने देश भर की विभिन्न शाखाओं और क्षेत्रीय परिषदों में भौतिक मोड के माध्यम से 117 पियर पुनर्विलोकन प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा पियर पुनर्विलोकन से संबंधित विभिन्न विषयों पर 4 वेबिनारों का आयोजन किया।
- **पैनल में सम्मिलित किए जाने हेतु ऑनलाइन परीक्षाएं :** अंतिम निर्धारण परीक्षाओं और मॉक परीक्षाओं का आयोजन प्रत्येक एकांतर शुक्रवार (प्रति शुक्रवार दो बार – पूर्वाह्न और अपराह्न) को किया जाता है। तदनुसार, अवधि के दौरान 52 अंतिम परीक्षाओं और 52 मॉक परीक्षाओं का आयोजन किया गया। कुल 2,314 सदस्यों ने अंतिम निर्धारण परीक्षाएं उत्तीर्ण कीं, जिससे 30 अप्रैल, 2026 की स्थिति के अनुसार बोर्ड के पास पैनल में सम्मिलित पियर पुनर्विलोकनकर्ताओं की कुल संख्या 4,925 हो गई।

**पियर पुनर्विलोकन बोर्ड के पास प्रशिक्षित पियर पुनर्विलोकनकर्ताओं की संख्या का क्षेत्र-वार विवरण :**

| क्षेत्र       | पुनर्विलोकनकर्ताओं की संख्या |
|---------------|------------------------------|
| डब्ल्यूआईआरसी | 875                          |
| एसआईआरसी      | 829                          |
| ईआईआरसी       | 446                          |
| सीआईआरसी      | 1642                         |
| एनआईआरसी      | 1133                         |
| <b>योग</b>    | <b>4925</b>                  |

**(V) पियर पुनर्विलोकन पोर्टल**

पियर पुनर्विलोकन बोर्ड एक समर्पित वेब पोर्टल विकसित कर रहा है, जिसे पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया को स्वचालित, सुव्यवस्थित और उन्नत करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। यह नवप्रवर्तनकारी केंद्रीयकृत मंच आवेदनों की आरंभिक प्रस्तुति से लेकर अंतिम विनिश्चय तक की सभी पुनर्विलोकन गतिविधियों को निर्बाध रूप से एकीकृत करेगा तथा दक्षता में अभिवृद्धि करने, पारदर्शिता का संवर्धन करने और पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया की अधिक प्रभावशीलता को आगे बढ़ाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएगा।

**(VI) अन्य पहलें**

बोर्ड पियर पुनर्विलोकन तंत्र की प्रभावकारिता में अभिवृद्धि करने के अपने सतत प्रयासों के प्रति दृढ़ है। एक समर्थकारी पारिस्थितिकी प्रणाली के सृजन के लिए एक व्यापक, सर्वसमावेशी दृष्टिकोण का अनुसरण किया गया है, जिसमें पुनर्विलोकन हेतु पर्याप्त और सक्षम संसाधनों का विकास करना; पियर पुनर्विलोकनों की गुणवत्ता में सुधार करना; तथा क्षमता संबंधी बाधकताओं को प्रभावी रूप से दूर करने के लिए पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी के उपयोग में वृद्धि हेतु कदम उठाना सम्मिलित है।

**6.9 नैतिक मानक बोर्ड (ईएसबी)**

आईसीएआई का नैतिक मानक बोर्ड वृत्ति के भीतर नैतिक शासन के लिए अभिहित मानक-निर्धारण प्राधिकारी है। बोर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए नैतिक मानकों और अन्य घोषणाओं को विकसित और जारी करता है तथा एक ऐसी गतिशील और समकालीन नैतिकता संहिता के विकास की दिशा में कार्य करता है, जो सदस्यों की गरिमा और हितों की संरक्षा करते हुए उत्कृष्टता, स्वतंत्रता और सत्यनिष्ठा के चिर-संजोए आदर्शों को बनाए रखती है। बोर्ड लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उपाय करता है, व्यवसायरत और सेवारत सदस्यों द्वारा नैतिक मानकों को अपनाने और उनके कार्यान्वयन में सहायता करता है तथा सदस्यों की सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, सक्षमता और वृत्तिकता के प्रति लोक जागरूकता का संवर्धन करता है।

नैतिक मानक बोर्ड द्वारा वर्ष 2021 में आरंभ किया गया और वर्ष 2024 में पुनः अभिकल्पित सीए कनेक्ट पोर्टल एक प्रभावी सूचीयन मंच उपलब्ध कराना जारी रखे हुए है, जो ग्राहकों/सेवा प्राप्तकर्ताओं और चार्टर्ड अकाउंटेंटों के बीच एक आवश्यक सेतु के रूप में कार्य करता है।

**महत्वपूर्ण उपलब्धियां :**

- 15 अक्तूबर, 2025 को '#एथिक्स-रीएनविजन्ड' विषय के अधीन वैश्विक नैतिकता दिवस मनाया गया, जिसमें 'वृत्तिक नैतिकता में समकालीन विकासक्रम' पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। 8 से 23 अक्तूबर, 2025 तक नैतिकता पखवाड़ा भी मनाया गया, जिसमें बोर्ड के तत्वावधान में शाखाओं द्वारा आयोजित ज्ञान-साझाकरण कार्यक्रम सम्मिलित थे, जिनमें समाचारपत्रों और पत्रिकाओं में लेखों का प्रकाशन तथा सीए कनेक्ट पोर्टल पर सदस्यों का नामांकन भी सम्मिलित है।
- अक्तूबर 2025 के सीए जर्नल का विशेष संस्करण 'आंतरिक लेखापरीक्षा और नैतिकता' विषय पर प्रकाशित किया गया।
- 1 से 15 अक्तूबर, 2025 तक सदस्यों के लिए नैतिक मुद्दों पर एक प्रश्नोत्तरी का संचालन किया गया, जिससे नैतिक विषयों पर सहभागिता और जागरूकता को प्रोत्साहन मिला।
- नैतिकता संहिता का पुनरीक्षित 13वां संस्करण जारी किया जा रहा है।

- बोर्ड ने आईसीएआई जर्नल में 'नो योर एथिक्स' मासिक जागरूकता स्तंभ जारी रखा तथा एक्स (ट्विटर) पर सक्रिय उपस्थिति बनाए रखी, जिसमें नैतिकता संहिता को इष्टतम रूप से अपनाने के संवर्धन हेतु महत्वपूर्ण विषयों पर रचनात्मक सामग्री साझा की गई।
- बोर्ड ने लेखापरीक्षक स्वतंत्रता, अनुज्ञेय वृत्तिक सेवाओं, हित संघर्ष, अन्य कारोबार/व्यवसाय में लगे होने, अन्य पदनामों/पदों को धारण करने तथा विज्ञापन और अध्याचन से संबंधित सदस्यों और पणधारियों द्वारा उठाए गए विभिन्न नैतिक मुद्दों को स्पष्ट किया। 'नैतिक मुद्दों पर एफएक्यू, 2025 संस्करण' प्रकाशन में एक प्रश्न के उत्तर में विजिटिंग कार्डों पर सदस्यों के फोटोग्राफ मुद्रित किए जाने के संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी किया गया। इसके अतिरिक्त, वृत्तिक नैतिक मुद्दों पर सदस्यों की 300 से अधिक शंकाओं का समाधान सचिवालय द्वारा किया गया।
- बोर्ड ने 7 मई, 2025 को आईएफएसी की सदस्य सहभागिता : अंगीकरण और कार्यान्वयन प्रश्नावली, 2025 के लिए इनपुट उपलब्ध कराए तथा 7-9 मई, 2025 को आयोजित आईईएसबीए-आईएएसबी संयुक्त मानक-निर्धारक (जेएसएस) बैठक हेतु अंतर्राष्ट्रीय सुसंगतता वाले क्षेत्राधिकारीय विकासक्रमों पर इनपुट का योगदान किया।

### नैतिकता संहिता पर संगोष्ठियां, कार्यक्रम और वेबिनार

नैतिक मानक बोर्ड ने सदस्यों में नैतिकता संहिता के प्रावधानों और नैतिक मुद्दों पर जागरूकता के सृजन हेतु वर्ष के दौरान लगभग 31 संगोष्ठियों, कार्यक्रमों और वेबिनारों का आयोजन किया। इनका संचालन बिलासपुर, हैदराबाद, चेन्नई, तिरुपुर, केरल, कोट्टायम, फरीदाबाद, कटक, जयपुर, अमृतसर, आगरा, सोनीपत, प्रयागराज, राजस्थान, पलक्कड़, बिहार, जोधपुर, भिलाई, सतारा और कोल्हापुर सहित विभिन्न स्थानों पर किया गया, जिनमें नैतिकता संहिता, वृत्तिक अवचार, अनुशासनिक तंत्र, एनओसीएलएआर, लेखापरीक्षा दस्तावेजीकरण तथा विज्ञापन और अध्याचन से लेकर लेखापरीक्षा में वृत्तिक संशयवाद तक के विषयों को सम्मिलित किया गया। महत्वपूर्ण नैतिक आशाओं, अनुशासनिक प्रक्रियाओं, विज्ञापन और अध्याचन तथा नैतिकता संहिता के एक्सपोजर ड्राफ्ट जैसे विषयों पर दस समर्पित वेबिनारों का भी आयोजन किया गया।

### अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता

बोर्ड ने 15 सितंबर, 2025, 16 जनवरी, 2026 और 29 जनवरी, 2026 को आयोजित साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स (एसएएफए) की वृत्तिक नैतिकता और स्वतंत्रता संबंधी समिति की बैठकों में तथा 3-4 नवंबर, 2025 को न्यूयॉर्क में आयोजित आईईएसबीए (इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड्स बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स) – जेएसएस बैठक में भाग लिया।

### 6.10 डिजिटल अकाउंटिंग और आश्वासन बोर्ड (डीएएबी)

आईसीएआई के डिजिटल अकाउंटिंग और आश्वासन बोर्ड (डीएएबी) ने वर्ष 2025-26 के दौरान सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, साइबर सुरक्षा, डाटा संरक्षण, डिजिटल फॉरेंसिक्स और प्रौद्योगिकी-प्रेरित आश्वासन के क्षेत्रों में आईसीएआई के नेतृत्व को सुदृढ़ करने का कार्य निरंतर जारी रखा। बोर्ड ने उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में वृत्तिक सक्षमता निर्माण, मानकों के विकास, प्रकाशनों, व्यावहारिक प्रशिक्षण अवसंरचना और पणधारी सहभागिता पर ध्यान केंद्रित किया।

#### (I) उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में मानक-निर्धारण

वर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा मानकों (आईएसएस) का जारी किया जाना रही, जिससे आईसीएआई सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा के क्षेत्र में समर्पित मानक जारी करने वाला वैश्विक स्तर पर पहला वृत्तिक लेखांकन निकाय बन गया। वर्ष के दौरान, बोर्ड ने फॉरेंसिक अकाउंटिंग और अन्वेषण मानकों (एफएआईएस) को, कार्यान्वयन गाइड सहित,

वैश्विक सर्वोत्तम व्यवहारों, उभरती प्रौद्योगिकियों और अंतर्राष्ट्रीय अंगीकरण अपेक्षाओं के साथ सुमेलित करने के लिए अद्यतन भी किया। बोर्ड ने एफएआईएस के लिए वैश्विक आउटरीच पहलें भी कीं, जिन्हें भारत और विदेशों में विनियामकों, प्रवर्तन एजेंसियों और संस्थाओं द्वारा अधिकाधिक मान्यता प्रदान की जा रही है।

### (II) वृत्तिक शिक्षा और कौशल विकास

बोर्ड ने वृत्तिक शिक्षा और कौशल विकास में प्रमुख पहलें कीं :

- **डीआईएसए 4.0** : बोर्ड ने व्यावहारिक अधिगम, साइबर सुरक्षा, डिजिटल शासन और हैड्स-ऑन लेखापरीक्षा साधनों पर विस्तृत बल के साथ डीआईएसए पाठ्यक्रम के डीआईएसए 4.0 में उन्नयन की प्रक्रिया आरंभ की।
- **एफएफडी से फोरेंसिक अन्वेषण में डिप्लोमा (डीएफआई)** : फोरेंसिक अकाउंटिंग और कपट संसूचन (एफएफडी) संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक जारी रहा, साथ ही इसे फोरेंसिक अन्वेषण में डिप्लोमा (डीएफआई) में परिवर्तित करने की दिशा में कार्य प्रगति पर रहा।
- **डाटा संरक्षण अनुपालन और लेखापरीक्षा प्रमाणन (डीपीसीएसी)** : वर्ष के दौरान, बोर्ड ने डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण ढांचे के साथ सुमेलित डीपीसीएसी कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
- **साइबर सुरक्षा और लेखापरीक्षा कौशल संबंधी पाठ्यक्रम** : इस विशेषीकृत पाठ्यक्रम को परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया और इसका शुभारंभ शीघ्र किया जाएगा।
- **कार्यपालक विकास कार्यक्रम** : डिजिटल फोरेंसिक्स, डाटा विश्लेषण और पावर बीआई पर कार्यक्रमों का भी संचालन किया गया।

### (III) व्यावहारिक अधिगम अवसंरचना

बोर्ड ने हैदराबाद को प्रायोगिक परियोजना के रूप में लेते हुए, आईसीएआई के उत्कृष्टता केंद्रों में डाटा एनालिटिक्स/फोरेंसिक प्रयोगशालाओं के चरणबद्ध उन्नयन की प्रक्रिया आरंभ करके व्यावहारिक अधिगम अवसंरचना को सुदृढ़ किया।

### (IV) सम्मेलन, आउटरीच और सक्षमता निर्माण

डीएवी ने वर्ष के दौरान अनेक राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों, संगोष्ठियों, आउटरीच कार्यक्रमों और वेबिनारों का आयोजन किया। प्रमुख कार्यक्रमों में हैदराबाद में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फाइनेंस समिट (डीएक्सएफएस) 2025 तथा मुंबई में फ्यूचर प्रूफ फोरेंसिक्स 2025 सम्मिलित थे, जिनमें विनियामकों, बैंकों, प्रवर्तन एजेंसियों, उद्योग जगत के अग्रणी व्यक्तियों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की सहभागिता रही। बोर्ड ने सी एंड एजी, एनआईए, सेबी, आईसीएलएस अकादमी और सीआईडी तेलंगाना जैसे संगठनों के लिए विशेषीकृत सक्षमता-निर्माण कार्यक्रमों का भी संचालन किया।

### (V) तकनीकी प्रकाशन

बोर्ड ने क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और एबीसीडी ऑफ टेक्नोलॉजी सहित उभरते क्षेत्रों में विभिन्न तकनीकी प्रकाशनों और मार्गदर्शन सामग्रियों को जारी और अद्यतन किया। इन पहलों ने लेखांकन और वित्तीय पारिस्थितिकी प्रणाली के भीतर डिजिटल विश्वास, प्रौद्योगिकी आश्वासन और वृत्तिक उत्कृष्टता के सुदृढीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान किया है।

### 6.11 प्रत्यक्ष कर समिति (डीटीसी)

प्रत्यक्ष कर समिति ने इस अवधि के दौरान नीतिगत पक्ष-समर्थन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को अभ्यावेदनों, प्रकाशनों तथा प्रत्यक्ष कराधान के क्षेत्र में सदस्यों के सक्षमता निर्माण के क्षेत्रों में विभिन्न पहलें कीं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समिति के प्रमुख क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं :

#### (I) प्रस्तुत इनपुट/ज्ञापन तथा सीबीडीटी/सरकारी विभागों के साथ परस्पर संवाद

- **प्रारूप आय-कर नियम, 2026 पर आईसीएआई के इनपुट :** प्रारूप आय-कर नियम, 2026 पर आईसीएआई के सुझाव 27 फरवरी, 2026 को प्रस्तुत किए गए।
- **बजट-पूर्व और बजट-पश्च ज्ञापनों की तैयारी और प्रस्तुति :** बजट-पूर्व ज्ञापन 2026 को 27 अक्तूबर, 2025 को प्रस्तुत किया गया; अतिरिक्त बजट-पूर्व सुझाव 14 नवंबर, 2025 को प्रस्तुत किए गए; तथा बजट-पश्च ज्ञापन 25 फरवरी, 2026 को प्रस्तुत किया गया।

#### (II) कर विषयों से संबंधित सरोकारों के समाधान हेतु सीबीडीटी को अभ्यावेदन

समिति ने वर्ष 2025-26 के दौरान निम्नलिखित विषयों पर अभ्यावेदन किए :

- कटौतीकर्ता द्वारा काटे और जमा किए गए अधिक कर को सम्यक् प्रत्यय देने हेतु कटौतीपात्र के प्ररूप 26एस में भी प्रतिबिंबित किया जाना (28 अप्रैल, 2025 को प्रस्तुत)।
- ऑनलाइन परिशोधन आवेदन फाइल करते समय करदाताओं के समक्ष आने वाले मुद्दे तथा क्षेत्राधिकारीय निर्धारण अधिकारियों द्वारा जारी परिशोधन आदेशों को प्रभावी करने में विलंब के कारण उत्पन्न सरोकार (22 मई, 2025 को प्रस्तुत)।
- धारा 194ठ के अधीन काटे गए अधिक कर के प्रत्यय के अनुदान से संबंधित सरोकारों के समाधान हेतु अनुरोध (10 जून, 2025 को प्रस्तुत)।
- निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए प्ररूप 3सीए-3सीडी और प्ररूप 3सीबी-3सीडी हेतु आय-कर ऑफलाइन यूटिलिटी में उत्पन्न सरोकारों तथा खंड 22(ii) में अंतर्विष्ट अपेक्षा से संबंधित अधिसूचित प्ररूप 3सीडी के सरोकारों के समाधान हेतु अनुरोध (23 जुलाई, 2025 को प्रस्तुत)।
- निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए विवरणी प्ररूपों के संबंध में कतिपय सरोकारों के समाधान हेतु अनुरोध (13 अगस्त, 2025 और 20 अगस्त, 2025 को प्रस्तुत)।
- निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए प्ररूप सं. 3सीडी में उत्पन्न सरोकारों के स्पष्टीकरण/समाधान हेतु अनुरोध (20 अगस्त, 2025 को प्रस्तुत)।
- आय-कर पोर्टल में तकनीकी त्रुटियों के समय पर समाधान हेतु अनुरोध (15 सितंबर, 2025 को प्रस्तुत)।
- पोर्टल त्रुटियों के कारण अग्रिम कर भुगतान करने में विफलता/विलंब के लिए धारा 234ग के अधीन ब्याज के उद्ग्रहण के कारण उत्पन्न सरोकारों के समाधान हेतु अनुरोध (17 सितंबर, 2025 को प्रस्तुत)।
- उन छोटे न्यासों और संस्थाओं के मामले में, जिनके रजिस्ट्रीकरण की मूल विधिमान्यता अवधि 31 मार्च, 2026 को या उसके पश्चात् समाप्त होने वाली है, विवरणी फाइल करने और अन्य नियत तारीखों, विनिर्दिष्ट तारीख तथा स्वतः-नवीकरण/समझे गए नवीकरण के संबंध में करदाताओं के लिए समता हेतु तथा उन अन्य न्यासों के लिए समता हेतु, जिनके नवीकरण के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर, 2025 को पड़ी थी, अनुरोध (17 सितंबर, 2025 को प्रस्तुत)।

- अद्यतन यूटिलिटियों और आय-कर पोर्टल में तकनीकी त्रुटियों के कारण उत्पन्न सरोकारों के समाधान हेतु अनुरोध (22 सितंबर, 2025 को प्रस्तुत)।
- अपने उद्देश्यों के आनुषंगिक कारोबार करने वाले न्यासों द्वारा प्ररूप सं. 3सीडी के खंड 8 के अधीन रिपोर्टिंग को समर्थ बनाया जाना (17 अक्तूबर, 2025 को प्रस्तुत)।
- पूर्त न्यासों के मामले में आय के अधिक अनुप्रयोग (घाटे) के अग्रनयन के प्रत्यावर्तन की मांग करते हुए अनुरोध, विशेष रूप से जहां व्यय सरकारी अनुदानों की प्रत्याशा में उपगत किया जाता है (30 दिसंबर, 2025 को प्रस्तुत)।
- धारा 143(1)(क) के अधीन विवरणियों के प्रसंस्करण के दौरान प्ररूप सं. 29ख प्रस्तुत करने के लिए कंपनियों को सूचनाएं जारी किए जाने के सरोकार के समाधान हेतु अनुरोध (31 दिसंबर, 2025 को प्रस्तुत)।
- आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 158क और आय-कर नियम, 2026 के नियम 194 के प्रावधानों के साथ सुमेलित करने के लिए आय-कर नियम, 1962 के नियम 15क और प्ररूप सं. 8 में संशोधन हेतु अनुरोध (27 मार्च, 2026 को प्रस्तुत)।
- आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 393(3) [सारणी क्रम सं. 5] (आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 194एन के तत्स्थानी) के अधीन टीडीएस की प्रयोज्यता पर स्पष्टीकरण प्रदान करने हेतु अनुरोध (30 मार्च, 2026 को प्रस्तुत)।
- इस बारे में स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध कि धारा 139(5) के अधीन पुनरीक्षित विवरणी फाइल करने के लिए विस्तारित समय निर्धारण वर्ष 2025-26 से लागू है या निर्धारण वर्ष 2026-27 से (15 अप्रैल, 2026 को प्रस्तुत)।
- आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 194-झक के अधीन प्ररूप सं. 26क्यूबी में प्रणाली विधिमान्यकरण मुद्दे के समाधान हेतु अनुरोध, जहां अग्रिम के भुगतान के समय कर कटौती की तारीख मार्च 2026 (आय-कर अधिनियम, 1961 व्यवस्था के अधीन) में पड़ती है और करार की तारीख अप्रैल 2026 (आय-कर अधिनियम, 2025 व्यवस्था के अधीन) में पड़ती है (30 अप्रैल, 2026 को प्रस्तुत)।

### (III) सम्मेलन/संगोष्ठियां/कार्यशालाएं/वेबिनार/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

- प्रत्यक्ष कर समिति द्वारा प्रत्यक्ष करों पर 103 संगोष्ठियों और सम्मेलनों का आयोजन किया गया।
- प्रत्यक्ष कर समिति द्वारा प्रत्यक्ष करों पर 40 वेबिनारों का आयोजन किया गया।
- प्रत्यक्ष कर समिति द्वारा प्रत्यक्ष करों पर 47 लोक आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

### (IV) अन्य पहलें

प्रत्यक्ष कराधान और अंतर्राष्ट्रीय कराधान के विषयों में सक्रिय सदस्यों की सहायता हेतु अंतर्राष्ट्रीय कराधान समिति के साथ एक संयुक्त मोबाइल एप्लिकेशन का विकास।

### (V) डीटीसी द्वारा जारी प्रकाशन

- आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के अधीन कर लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण (पुनरीक्षित 2025)।
- आईटीआर प्ररूपों (आईटीआर-1 और आईटीआर-4) की तैयारी हेतु जांच सूची।
- आय-कर अधिनियम, 2025 (आय-कर अधिनियम, 1961 की धाराओं की तुलना में धाराओं की सारणीबद्ध मैपिंग सहित)।
- आय-कर अधिनियम, 2025 (वित्त अधिनियम, 2026 द्वारा यथासंशोधित), जिसमें आय-कर अधिनियम, 1961 की धाराओं की तुलना में धाराओं की सारणीबद्ध मैपिंग सम्मिलित है।

- आय-कर नियम, 2026 – जिनमें आय-कर नियम, 1962 और प्ररूपों की तुलना में नियमों और प्ररूपों की सारणीबद्ध मैपिंग सम्मिलित है।

## 6.12 अंतर्राष्ट्रीय कराधान समिति (आईटीसी)

अंतर्राष्ट्रीय कराधान समिति (पूर्व नाम : अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी समिति) ने अंतर्राष्ट्रीय कराधान और अंतरण कीमत के क्षेत्रों में वृत्तिक शिक्षा, सक्षमता निर्माण, नीतिगत अभ्यावेदन, पणधारी सहभागिता और ज्ञान प्रसार के क्षेत्रों में विभिन्न पहलें कीं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समिति के प्रमुख क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं :

### (I) अभ्यावेदन, सुझाव और नीतिगत पक्ष-समर्थन

अवधि के दौरान, समिति ने निम्नलिखित प्रस्तुत/योगदान किए :

- अंतर्राष्ट्रीय कराधान से संबंधित, आय कर विधेयक, 2025 के साथ सुमेलित आय-कर नियमों और प्ररूपों के सरलीकरण हेतु सुझाव।
- बजट-पक्ष ज्ञापनों 2025-26 और 2026-27 के लिए अंतर्राष्ट्रीय कराधान पर सुझाव।
- काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के अधीन मुद्दों पर अभ्यावेदन।
- विदहोलिंग कर प्रावधानों और नए आय-कर ढांचे से संबंधित एफएक्यू और तकनीकी इनपुट की तैयारी।
- एमएसएमई, स्टार्ट-अपों और अन्य पणधारियों के लिए टूलकिटों की तैयारी हेतु अंतर्राष्ट्रीय कराधान पर इनपुट।
- डीटीएए फायदों का दावा करने के लिए आय-कर नियम, 2026 के अधीन प्ररूप 41 फाइल करने में व्यावहारिक कठिनाइयों पर सीबीडीटी को अभ्यावेदन।

### (II) वृत्तिक पाठ्यक्रम और सक्षमता निर्माण कार्यक्रम

- अंतर्राष्ट्रीय कराधान में डिप्लोमा (डीआईआईटी) : अवधि के दौरान, समिति ने पांच भौतिक बैठकों – 34वें (दिल्ली), 35वें (चंडीगढ़), 36वें (मुंबई), 37वें (हैदराबाद) और 38वें (वडोदरा) – तथा दो ऑनलाइन बैठकों (13वें और 14वें) का संचालन/घोषणा की। इन कार्यक्रमों में भारत भर के सदस्यों की सहभागिता रही और ये अंतर्राष्ट्रीय कराधान और अंतरण कीमत के व्यावहारिक और समकालीन मुद्दों पर केंद्रित थे।
- यूएई निगम कर संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम : अवधि के दौरान, समिति ने तीन भौतिक बैठकों – तीसरे (पुणे), चौथे (हैदराबाद) और पांचवें (त्रिशूर) – तथा तीन ऑनलाइन बैठकों (छठे, सातवें और आठवें) का संचालन/घोषणा की।
- यूएसए की आय कर विधि संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम : समिति ने अवधि के दौरान यूएसए की आय कर विधि संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया। पहला ऑनलाइन बैच 192 सदस्यों की सहभागिता के साथ और दूसरा बैच 204 सदस्यों के साथ आरंभ हुआ।

### (III) वेबिनार और ज्ञान सत्र

समिति ने अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कराधान के उभरते और समकालीन मुद्दों पर 15 वेबिनारों का आयोजन किया। अनेक वेबिनारों में 600 से लेकर 2,000 से अधिक सदस्यों की सहभागिता रही और उन्हें आय कर विभाग तथा सीबीडीटी के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी संबोधित किया गया।



**(IV) संगोष्ठियां, सम्मेलन और कार्यशालाएं**

समिति ने अवधि के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन/सह-आयोजन किया :

अंतर्राष्ट्रीय कराधान के क्षेत्र में वृत्तिक ज्ञान में अभिवृद्धि की दृष्टि से, बोर्ड ने 15 कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय कर और अंतरण कीमत के पर्यावलोकन पर एक आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम-संगोष्ठी, अंतर्राष्ट्रीय कराधान पर एक एक-दिवसीय संगोष्ठी, यूएई में कारोबार स्थापना और अनुपालन : भारतीय सीए के लिए एक नई सीमा, अंतर्राष्ट्रीय कराधान पर एक पूर्ण-दिवसीय संगोष्ठी, अंतर्राष्ट्रीय कराधान पर संगोष्ठियां, सीमा-पार संव्यवहारों और कर विवादों पर व्यावहारिक अंतर्दृष्टि पर एक संगोष्ठी, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और वृत्तिक अवसरों पर एक सीपीई संगोष्ठी, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और उभरते वृत्तिक अवसर, अंतर्राष्ट्रीय कराधान के विशेष संदर्भ में बजट 2026, एक अर्ध-दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कराधान संगोष्ठी तथा आय कर अधिनियम, 2025 पर एक संगोष्ठी सम्मिलित हैं, जिनका संचालन पानीपत, एर्नाकुलम, रांची, गुरुग्राम, चंडीगढ़, दिल्ली, फरीदाबाद, हैदराबाद, भुवनेश्वर, ऋषिकेश, देहरादून, अमृतसर, कोटा, जयपुर और ठाणे में किया गया।

इसके अतिरिक्त, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और प्रत्यक्ष कराधान परिप्रेक्ष्यों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) के सहयोग से पणधारियों और विशेषज्ञों के साथ एक विचार-मंथन कार्यशाला आयोजित की गई।

**(V) पणधारी सहभागिता और सांस्थानिक समन्वय**

समिति ने निम्नलिखित के साथ सक्रिय रूप से सहभागिता की :

- सीबीडीटी के अधिकारी तथा अंतर्राष्ट्रीय कराधान और अंतरण कीमत विंगों के अधिकारी।
- सी एंड एजी के अधिकारी और उद्योग जगत के पणधारी।
- सहयोगात्मक पहलों हेतु आईसीएआई के विदेशी चैप्टर और विषय विशेषज्ञ।
- सदस्य जागरूकता और सक्षमता निर्माण हेतु वेबिनारों और परस्पर संवादात्मक सत्रों के माध्यम से आय कर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी।

**(VI) प्रकाशन और तकनीकी संसाधन**

समिति ने निम्नलिखित वृत्तिक प्रकाशनों और तकनीकी संसाधनों के विकास, पुनरीक्षण और जारी किए जाने का कार्य किया :

- बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन – एक गाइड।
- प्रवासियों के कराधान संबंधी तकनीकी गाइड (पुनरीक्षित 2025)।
- अंतर्राष्ट्रीय कराधान में डिप्लोमा की पृष्ठभूमि सामग्री (पुनरीक्षित 2025)।
- सीमा-पार संव्यवहार और निवेश (पुनरीक्षित 2026)।
- बेसिक्स ऑफ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट (भारत परिप्रेक्ष्य) (पुनरीक्षित 2026)।
- यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आय कर विधि संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की पृष्ठभूमि सामग्री (फरवरी 2026)।
- डिजिटल अर्थव्यवस्था का कराधान – एक अध्ययन (पुनरीक्षित 2026)।

### 6.13 जीएसटी और अप्रत्यक्ष कर समिति

आईसीआई की जीएसटी और अप्रत्यक्ष कर समिति तकनीकी इनपुट, प्रकाशनों और समाचारपत्रिकाओं के माध्यम से जीएसटी नीति निर्माण, कार्यान्वयन और ज्ञान साझाकरण में सरकार का समर्थन करती है। यह कार्यशालाओं, पाठ्यक्रमों और संगोष्ठियों के माध्यम से सदस्यों और करदाताओं के कौशलों में अभिवृद्धि करती है तथा कर अधिकारियों के लिए अनुकूलित जीएसटी प्रशिक्षण का संचालन करके सरकार के सक्षमता निर्माण में योगदान करती है। समिति क्षेत्रों और पणधारियों के बीच जीएसटी ज्ञान के अंतराल को पाटने के लिए प्रतिबद्ध है।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समिति के प्रमुख क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं :

#### (I) राष्ट्र निर्माण में भागीदार की दिशा में पहले

#### जीएसटी नीति निर्माण, कार्यान्वयन और अनुसंधान का सुदृढीकरण – तकनीकी इनपुट :

- प्ररूप जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9सी पर सुझाव, जो 17 अप्रैल, 2025 को सीबीआईसी को प्रस्तुत किए गए, के फलस्वरूप दिनांक 17 सितंबर, 2025 की अधिसूचना सं. 13/2025 – केंद्रीय कर के माध्यम से अधिसूचित संशोधित प्ररूपों में आईसीआई की अनेक सिफारिशों को सम्मिलित किया गया, जिसके पश्चात् संशोधित प्ररूपों पर और सुझाव दिए गए।
- जीएसटी अनुपालन में करदाताओं के समक्ष आने वाले व्यावहारिक मुद्दों पर सुझाव 25 अगस्त, 2025 को सरकार को प्रस्तुत किए गए, जिससे सुगम जीएसटी कार्यान्वयन को सुकर बनाया जा सके तथा रजिस्ट्रीकरण, प्रतिदायों, इनपुट कर प्रत्यय और कर मांगों से संबंधित चुनौतियों का समाधान किया जा सके।
- प्ररूप जीएसटीआर-3बी में स्वतः-भरित कर दायित्व के समायोजन की अपेक्षा वाले परिदृश्यों का एक संकलन 2 अक्तूबर, 2025 को जीएसटी नीति विंग, सीबीआईसी को प्रस्तुत किया गया तथा प्ररूप जीएसटीआर-3बी में स्वतः-भरित इनपुट कर प्रत्यय के समायोजन की अपेक्षा वाले परिदृश्यों का एक समरूप संकलन, पणधारी इनपुट हेतु उसके अनुरोध के प्रत्युत्तर में, 24 अक्तूबर, 2025 को प्रस्तुत किया गया।
- कार्रवाई-योग्य उपायों और मानक प्रचालन प्रक्रियाओं के निर्माण में सहायता हेतु जीएसटी रजिस्ट्रीकरण और प्रतिदाय प्रक्रियाओं पर सुझाव 5 दिसंबर, 2025 को जीएसटी महानिदेशालय को प्रस्तुत किए गए।
- जीएसटी के अधीन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अभिवृद्धि हेतु सुझाव 20 दिसंबर, 2025 को भारत के सी एंड एजी को प्रस्तुत किए गए, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस परिप्रेक्ष्य से जीएसटी पर प्रस्तावित लेखापरीक्षा के संबंध में इनपुट हेतु उसके अनुरोध के अनुसरण में थे।
- आईसीआई के प्रतिनिधियों ने 17 दिसंबर, 2025 को जीएसटी नीति विंग, सीबीआईसी द्वारा संयोजित परामर्शी बैठक के दौरान जीएसटी प्रतिदायों से संबंधित क्षेत्र-स्तरीय चुनौतियों और प्रक्रियाओं पर व्यावहारिक अंतर्दृष्टि साझा की।
- सदस्यों, शाखाओं और क्षेत्रों से प्राप्त इनपुट संकलित करने के पश्चात्, केंद्रीय बजट 2026-27 में अंतर्विष्ट अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों पर बजट-पश्च सुझाव 21 फरवरी, 2026 को सरकार को प्रस्तुत किए गए।
- जीएसटी अपील अधिकरण पोर्टल की शब्दावली और सांख्यिकी को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के सांविधिक प्रावधानों के साथ सुमेलित करने हेतु 13 मार्च, 2026 को जीएसटीएटी और जीएसटीएन को सुझाव प्रस्तुत किए गए।
- सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 107 और 108 के अधीन अपीलों और पुनरीक्षण कार्यवाहियों से संबंधित क्षेत्राधिकारीय मुद्दों पर स्पष्टीकरण की मांग करते हुए सीबीआईसी को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया तथा सुगम कार्यान्वयन और करदाता सुविधा हेतु उपाय सुझाए गए।
- दीपावली त्योहार और जीएसटी दर पुनरीक्षणों को देखते हुए, सितंबर 2025 के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3बी फाइल करने की नियत तारीख के विस्तार की मांग करने वाला एक अभ्यावेदन सीबीआईसी द्वारा स्वीकार किया गया, जिससे नियत तारीख को 25 अक्तूबर, 2025 तक बढ़ा दिया गया।

- प्राधिकृत प्रतिनिधियों के रूप में उपस्थित होने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंटों के विधिमान्य व्यवसाय प्रमाणपत्रों के अनिवार्य सत्यापन की मांग करते हुए 26 फरवरी, 2026 को जीएसटीएटी के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया।

#### सक्षमता निर्माण हेतु राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन :

संस्थान ने, जीएसटी और अप्रत्यक्ष कर समिति के माध्यम से, सक्षमता निर्माण तथा अनुसंधान, नीति निर्माण में सहायता, परामर्श आदि में तकनीकी सहयोग का विस्तार करने के लिए कर और उत्पाद-शुल्क आयुक्तालय, त्रिपुरा सरकार तथा सीटी और जीएसटी आयुक्तालय, ओडिशा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किए।

#### सरकार की सक्षमता-निर्माण पहलों का समर्थन :

- समिति ने वर्ष के दौरान केंद्रीय और राज्य सरकारों तथा अन्य विभागों के अधिकारियों के लिए जीएसटी पर 45 सक्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनसे 2,758 से अधिक अधिकारी लाभान्वित हुए।
- **राष्ट्रीय जीएसटी संगोष्ठी :** समिति ने 8-9 जनवरी, 2026 को तिरुवनंतपुरम में चौथी राष्ट्रीय जीएसटी संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकारी विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले 24 राज्यों के 97 वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
- **व्यापार और उद्योग के लिए आउटरीच कार्यक्रम :** समिति ने अक्टूबर 2025 में त्रिपुरा सरकार के सहयोग से अगरतला (दो बार) और उदयपुर में नई कर दरों पर जीएसटी जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें से प्रत्येक में व्यापार और उद्योग के 250 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अगरतला में जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री, द्वारा किया गया तथा 10 अक्टूबर, 2025 को उदयपुर में कार्यक्रम का उद्घाटन त्रिपुरा के माननीय वित्त मंत्री, द्वारा किया गया।
- **केंद्रीय और राज्य सरकारों के पदधारियों के साथ बैठकें :** रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, समिति ने केंद्रीय और राज्य सरकारों के 26 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें कीं, जिससे उन्हें आईसीएआई की जीएसटी पहलों से अवगत कराया जा सके तथा जीएसटी के क्षेत्र में सक्रिय समर्थन प्रदान करने के मार्गों की खोज की जा सके।

#### (II) जीएसटी ज्ञान साझाकरण पहलें

- सदस्यों और पणधारियों को निःशुल्क वृत्तिक संसाधन प्रदान करने वाले एक व्यापक डिजिटल ज्ञान केंद्र के रूप में अपनी आधिकारिक वेबसाइट को सुदृढ़ और नियमित रूप से अद्यतन किया गया।
- जीएसटी संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 7 भौतिक और 1 वर्चुअल बैच का आयोजन किया गया, जिनमें 421 सदस्यों ने भाग लिया; 402 सदस्यों ने ऑनलाइन निर्धारण परीक्षाएं सफलतापूर्वक अर्हित कीं।
- आईसीएआई दुबई कार्यालय के समन्वय से दुबई में यूआई-वैट संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 1 बैच का संचालन किया गया, जिसमें 24 सदस्यों ने भाग लिया।
- 23 मई, 2025 को जीएसटी पर ई-लर्निंग को पुनः आरंभ किया गया, जिससे सदस्य कभी भी और कहीं भी जीएसटी अधिगम तक पहुंच बनाने में समर्थ हुए।
- देश भर में 10 राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिनमें 4,700 से अधिक सदस्यों की सहभागिता रही।
- 58 सीपीई कार्यक्रमों का संचालन किया गया, जिनसे 6,300 से अधिक सदस्य लाभान्वित हुए।
- समकालीन जीएसटी विषयों पर 26 लाइव वेबकास्टों/वेबिनारों का आयोजन किया गया, जिनमें 25,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- वर्ष के दौरान जीएसटी पर आईसीएआई समाचारपत्रिका के 10 संस्करण प्रकाशित किए गए।
- मुख्य सीबीआईसी अधिसूचनाओं, परिपत्रों, आदेशों और अनुदेशों को सम्मिलित करते हुए 12 जीएसटी अपडेट 50,000 से अधिक रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ताओं को तथा वेबसाइट के माध्यम से परिचालित किए गए।

**(III) प्रकाशन**

- प्रैक्टिकल गाइड टू जीएसटी डिस्प्यूट्स ।
- कृषि क्षेत्र पर जीएसटी की प्रयोज्यता संबंधी हैंडबुक ।
- जीएसटी के अधीन ई-कॉमर्स संबंधी हैंडबुक ।

इसके अतिरिक्त, जीएसटी विधि के अधीन नवीनतम विकासक्रमों और संशोधनों को सम्मिलित करने के लिए सोलह प्रकाशनों को पुनरीक्षित किया गया, अर्थात् :

- जीएसटी अधिनियम और नियम – बेयर लॉ (दो बार पुनरीक्षित) ।
- जीएसटी के अधीन निरीक्षण, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी संबंधी हैंडबुक ।
- जीएसटी के अधीन बीजकीकरण संबंधी हैंडबुक ।
- जीएसटी के अधीन छूट-प्राप्त आपूर्तियों संबंधी हैंडबुक ।
- जीएसटी के अधीन इनपुट सेवा वितरक संबंधी हैंडबुक ।
- जीएसटी के अधीन अवरुद्ध प्रत्यय संबंधी हैंडबुक ।
- जीएसटी पर पंजीकरण संबंधी हैंडबुक ।
- जीएसटी के अधीन अग्रिम विनिर्णय संबंधी हैंडबुक ।
- जीएसटी के अधीन ब्याज, विलंब फीस और शास्तियों संबंधी हैंडबुक ।
- जीएसटी के अधीन संरचना स्कीम ।
- जीएसटी के अधीन प्रतिदायों संबंधी हैंडबुक ।
- जीएसटी के अधीन विवरणियां और भुगतान ।
- विदेश व्यापार नीति – प्रोत्साहन, स्कीमें और संबंधित एफएक्यू संबंधी हैंडबुक ।
- जीएसटी वार्षिक विवरणी (प्ररूप जीएसटीआर-9) संबंधी तकनीकी गाइड ।
- जीएसटी समाधान विवरण (प्ररूप जीएसटीआर-9सी) संबंधी तकनीकी गाइड ।
- जीएसटी में महत्वपूर्ण न्यायिक और अग्रिम विनिर्णय : एक संकलन ।

**6.14 विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी)**

अधिकाधिक जटिल संव्यवहारों और वित्तीय रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के सतत विकासक्रम से चिह्नित एक गतिशील आर्थिक परिदृश्य में, लेखांकन वृत्तिकों को प्रायः जटिल और उभरते मुद्दों का समाधान करना होता है । ऐसी स्थितियों में वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सुतर्कित और प्राधिकारिक मार्गदर्शन द्वारा समर्थित वृत्तिक निर्णय की अपेक्षा होती है । विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) जटिल लेखांकन विषयों पर स्वतंत्र और सुविचारित अभिमत उपलब्ध कराकर इस संबंध में एक प्रमुख तकनीकी निकाय के रूप में कार्य करती है । वर्षों से, समिति ने स्वयं को तकनीकी मार्गदर्शन के एक मूल्यवान और विश्वसनीय स्रोत के रूप में स्थापित किया है, जो विभिन्न उद्योगों के सदस्यों तथा सरकारी और विनियामक संस्थाओं को व्यावहारिक लेखांकन चुनौतियों के समाधान में सहायता करती है ।

**(I) विशेषज्ञ अभिमत**

समिति सलाहकार सेवा नियमों के अनुरूप ही सदस्यों की शंकाओं का उत्तर देती है । इसका कार्यक्षेत्र लेखांकन और लेखापरीक्षा सिद्धांतों से संबंधित मुद्दों तक सीमित है; तदनुसार, सांविधिक अधिनियमितियों के विधिक निर्वचन से जुड़े मुद्दों और/या वृत्तिक अवचार के मामलों का उत्तर इसके द्वारा नहीं दिया जाता है । इसके अतिरिक्त, नियमों के अनुसार, संस्थान के अनुशासन बोर्ड या अनुशासन समिति के समक्ष, अथवा सरकार के किसी समुचित विभाग या आय-कर प्राधिकारियों के समक्ष लंबित विषयों का उत्तर

समिति द्वारा नहीं दिया जाता है। सलाहकार सेवा नियम आईसीएआई की वेबसाइट (<https://www.icaai.org/post/495>) पर उपलब्ध हैं।

विशेषज्ञ सलाहकार समिति द्वारा जारी अभिमत प्रश्नकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए विनिर्दिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित होते हैं, जिनमें सुसंगत विधियों, कानूनों और लागू लेखांकन और लेखापरीक्षा सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है। प्रत्येक अभिमत में उसे अंतिम रूप दिए जाने की तारीख स्पष्ट रूप से कथित होती है और उसे उस तारीख के पश्चात् विधियों या मानकों में हुए विकासक्रमों और/या संशोधनों को ध्यान में रखते हुए पढ़ा जाना चाहिए।

## (II) अंतिम रूप दिए गए अभिमत

1 अप्रैल, 2025 से 30 अप्रैल, 2026 की अवधि के दौरान, समिति ने लेखांकन सिद्धांतों से संबंधित मुद्दों से जुड़ी सदस्यों द्वारा उठाई गई शंकाओं की एक व्यापक श्रृंखला पर तैंतालीस (43) अभिमतों को अंतिम रूप दिया।

## (III) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पहलें

समिति द्वारा जारी अभिमत आईसीएआई की वेबसाइट पर एक ऑनलाइन खोज एप्लिकेशन के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे सुगम पहुंच समर्थ होती है। ईएसी ने अपने खोज एप्लिकेशन को अधिक परिष्कृत खोज सुविधाओं के साथ उन्नत किया है, जिससे अधिक सटीक परिणाम देने वाली अगले स्तर की खोज समर्थ हुई है और सदस्यों को एक निर्बाध और दक्ष अनुसंधान अनुभव प्राप्त होता है। एप्लिकेशन (<https://eacopinion.icaai.org/>) की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

- लगभग 1,700 अभिमतों का एक विस्तृत निक्षेपागार, जो उपयोक्ताओं को अब तक ईएसी द्वारा जारी अभिमतों की खोज करने में सक्षम बनाता है।
- मुख्य शब्द (शब्दों), अभिमत की तारीख, अभिमत संग्रह के खंड आदि के आधार पर खोज सुविधा।
- समिति द्वारा जारी नवीनतम अभिमतों वाला एक 'रीसेंट ओपिनियंस' टैब, जिसे सदस्यों को अद्यतन जानकारी प्रदान करने के लिए नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।
- एक उन्नत और उन्नयित खोज सुविधा, जो उपयोक्ताओं को मुख्य शब्दों, मुख्य शब्दों के संयोजनों और/या जारी किए जाने की तारीख या अवधि का उपयोग करके ईएसी अभिमतों को खोजने में समर्थ बनाती है, जिसकी उन्नत विशेषताएं अधिक सटीक परिणाम देती हैं और पहुंच की सुगमता और उपयोगिता में उल्लेखनीय सुधार करती हैं।

## (IV) ज्ञान का प्रसार

- **वेबिनार :** अपनी आउटरीच पहलों के भाग के रूप में, समिति ने सदस्यों और अन्य पणधारियों में ज्ञान के प्रसार और जागरूकता के सृजन की दृष्टि से 16 दिसंबर, 2025 को "इंड एस डांचे के अधीन हाल के ईएसी अभिमत" विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया।
- **जर्नल में अभिमतों का प्रकाशन :** सामान्य सुसंगतता वाले चुनिंदा अभिमत संस्थान के जर्नल 'द चार्टर्ड अकाउंटेंट' में भी प्रकाशित किए जाते हैं।

## (V) प्रकाशन – अभिमत संग्रह

अभिमतों में अंतर्विष्ट तकनीकी मार्गदर्शन को लेखांकन वृत्तिकों और अन्य पणधारियों को उपलब्ध कराने के लिए, समिति आवधिक रूप से अपने अभिमतों को अभिमत संग्रह (कंपेंडियम ऑफ ओपिनियंस) के रूप में संकलित और प्रकाशित करती है। आज की तारीख तक, चौवालीस (44) खंड जारी किए जा चुके हैं, जो वृत्तिकों के लिए एक मूल्यवान संदर्भ संसाधन के रूप में कार्य करते हैं।

अभिमत संग्रह आईसीएआई की वेबसाइट (<https://www.icaai.org/post/icaai-publications-expert-advisory-committee>) पर उपलब्ध है।

### 6.15 निगम विधि समिति (सीएलसी)

निगम विधि समिति (सीएलसी) (पूर्व नाम : निगम विधि और निगम शासन समिति (सीएल एंड सीजीसी)) नीतिगत पक्ष-समर्थन, पणधारी सहभागिता और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के साथ सहयोग के माध्यम से निगमित विनियामक ढांचे के सुदृढीकरण की दिशा में कार्य करती है। समिति निगम विधियों और शासन के क्षेत्रों में ज्ञान अभिवृद्धि और वृत्तिक उत्कृष्टता का संवर्धन भी करती है।

वर्ष के प्रमुख आकर्षण निम्नानुसार हैं:

#### (I) नीतिगत योगदान और सिफारिशें

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129क (विनिर्दिष्ट असूचीबद्ध कंपनियों द्वारा आवधिक वित्तीय रिपोर्टिंग) को प्रचालित करने के लिए व्यापक सिफारिशें प्रस्तुत की गईं, जिनमें आनुपातिक सीमाएं, सेबी व्यवहारों के साथ सुमेलित अर्धवार्षिक रिपोर्टिंग, अनिवार्य बोर्ड अनुमोदन, व्यावहारिक समय-सीमाएं, लेखापरीक्षा और सीमित पुनर्विलोकन के बीच नमनीयता तथा अनुपालन भार को कम करने के लिए सरलीकृत ई-प्ररूप सम्मिलित हैं।
- सूचीबद्ध इकाइयों के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और संबद्ध पक्षकार संव्यवहारों पर सेबी के परामर्श पत्र पर विस्तृत सुझाव प्रस्तुत किए गए, जिनका उद्देश्य प्रचालनगत साध्यता, अनुपालन की सुगमता और संतुलित विनियामक कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए शासन और पारदर्शिता को सुदृढ करना था।
- धारा 8 कंपनियों की गैर-लाभकारी प्रकृति और सीमित शेयरधारक गतिविधि को देखते हुए, उनके लिए अभौतिकीकरण (डीमैटीरियलाइजेशन) से छूट की मांग करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया तथा विनियामक सुदृढता और व्यावहारिक कार्यान्वयन के बीच संतुलन सुनिश्चित करने के लिए सेबी को सचिवीय अनुपालन, लेखापरीक्षक नियुक्तियों और संबद्ध पक्षकार संव्यवहारों पर तकनीकी इनपुट उपलब्ध कराए गए।
- युवा नियोजनीयता में अभिवृद्धि हेतु प्रशिक्षित इंटरनों के प्लेसमेंट को सुकर बनाकर प्रधानमंत्री इंटरनशिप स्कीम (पीएमआईएस) का समर्थन किया गया तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और अनुसूची VII के अनुरूप, व्यावसायिक प्रशिक्षण को सीएसआर व्यय के रूप में तथा नियोजन-पश्च लागतों को सामान्य कारोबारी व्यय के रूप में मानने की सिफारिश की गई।

#### (II) विनियामक और शासन परामर्श

- भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन सीपीएसई से अनसुलझी देयताओं और विधिक कार्यवाहियों से जुड़े स्ट्राइक-ऑफ प्रावधानों में शिथिलता हेतु प्राप्त अनुरोधों की जांच की गई तथा एक संतुलित दृष्टिकोण की सिफारिश की गई, जो पणधारी हितों की रक्षा करते हुए और शासन और उत्तरदायित्व मानकों को बनाए रखते हुए प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करे।
- कतिपय कैप्टिव एसपीवी में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से छूट की मांग करने वाले टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (टीपीआरईएल) के अभ्यावेदन का पुनर्विलोकन किया गया और सुदृढ निगम शासन के साथ असंगतता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के आशय के संभावित तनुकरण का हवाला देते हुए ऐसी छूट के विरुद्ध परामर्श दिया गया।

**(III) सरकारी पहलों का समर्थन**

- राष्ट्रव्यापी पणधारी परामर्शों के माध्यम से निगम विधियों के सरलीकरण पर एमसीए के साथ सहयोग किया गया तथा तकनीकी समर्थन, शिकायत समाधान और सुविधा के माध्यम से एमसीए21 संस्करण 3 के रोलआउट में योगदान किया गया, साथ ही एमसीए21 संस्करण 4 हेतु परामर्श आरंभ किए गए।
- एमसीए अधिकारियों के साथ बैठकों, उपयोक्ता स्वीकृति परीक्षण में सहभागिता और संयुक्त आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से सहभागिता जारी रखी गई, साथ ही विशेष रूप से एओसी-4 और एमजीटी-7 जैसी फाइलिंगों हेतु अनुपालन तत्परता का समर्थन करने के लिए जागरूकता पहलें, वेबिनार और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए।

**(IV) सक्षमता निर्माण और आउटरीच कार्यक्रम**

- राष्ट्रीय आउटरीच पहलें की गईं, जिनमें सिरौही, राजस्थान में “विजन राजस्थान 2026” में सहभागिता तथा कम पहुंच वाले क्षेत्रों में एलएलपी अंगीकरण का संवर्धन सम्मिलित है, साथ ही सीएसआर रिपोर्टिंग पर सम्मेलनों, कॉन्क्लेवों और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के माध्यम से सक्षमता निर्माण किया गया।
- वृत्तिक सक्षमता में अभिवृद्धि करने, अनुपालन जागरूकता को सुदृढ़ करने तथा देश भर में सुशासन व्यवहारों का संवर्धन करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, वेबिनारों और आउटरीच पहलों का संचालन किया गया।

**(V) प्रकाशन**

- सीएसआर व्यय संबंधी तकनीकी गाइड।
- प्राइवेट कंपनियों के लिए अनुपालनों और छूटों संबंधी हैंडबुक।
- धारा 8 कंपनियों पर एफएक्यू।

**6.16 वाणिज्यिक विधि और आर्थिक सलाहकार समिति (सीएल एंड ईएसी)**

वाणिज्यिक विधि और आर्थिक सलाहकार समिति (पूर्व नाम : वाणिज्यिक विधि, आर्थिक सलाहकार और एनपीओ सहकारिता संबंधी समिति) चार्टर्ड अकाउंटेंटों को वाणिज्यिक विधियों, आर्थिक परामर्श और विवाद समाधान में गहन ज्ञान और व्यावहारिक विशेषज्ञता से सज्जित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, साथ ही विनियामकों और नीति-निर्माताओं के साथ सक्रिय सहभागिता के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान करती है।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समिति द्वारा की गई प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं :

**(I) राष्ट्र निर्माण में भागीदार की दिशा में पहलें**

- धारा 8 कंपनी का शुभारंभ – आईसीएआई अंतर्राष्ट्रीय एडीआर केंद्र (आईआईएसी) : 30 जुलाई, 2025 को ली मेरिडियन, नई दिल्ली में आईसीएआई अंतर्राष्ट्रीय एडीआर केंद्र का शुभारंभ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। मुख्य अतिथि, माननीय राज्य मंत्री, विधि और न्याय मंत्रालय ने सांस्थानिक विवाद समाधान को सुदृढ़ करने की आईसीएआई की पहल की सराहना की, जबकि माननीय न्यायमूर्ति, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अभिवृद्धि करने में एडीआर के महत्व पर बल दिया। सम्मानित पैतलिस्टों ने मूल्यवान अंतर्दृष्टि साझा की। आईआईएसी के लोगो और पुस्तिका के अनावरण ने एक वैश्विक एडीआर केंद्र बनने की भारत की परिकल्पना के संवर्धन के प्रति आईसीएआई की प्रतिबद्धता को और अधिक सुदृढ़ किया।

- **क्विक लीगल फॉर्म यूटिलिटी** : समिति ने एक क्विक लीगल फॉर्म यूटिलिटी का शुभारंभ किया, जो दान विलेखों, भागीदारी विलेखों, मुख्तारनामों, किराया और पट्टा करारों, वसीयतों और रिटों सहित मुख्य विधिक दस्तावेजों के प्रारूपों तक सुगम पहुंच उपलब्ध कराती है, जिसे शुभारंभ के दिन ही 14,000 से अधिक बार डाउनलोड किया गया। यह यूटिलिटी आईसीएआई की वेबसाइट पर <https://www.icaai.org/post/cclnpo-download-quicklegal-form-utility> पर सहज रूप से उपलब्ध है।
- **बहु-राज्य सहकारी सोसाइटियों के लिए एकसमान लेखापरीक्षा प्रारूप हेतु इनपुट** : समिति ने सहकारी सोसाइटियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) द्वारा गठित उप-समिति के भाग के रूप में एमएससीएआरओ 2025 के प्रारूपण में सक्रिय योगदान किया। फरवरी 2026 में, अंतिम प्रारूप केंद्रीय रजिस्ट्रार की मुख्य समिति को प्रस्तुत किया गया, जिससे बहु-राज्य सहकारी सोसाइटियों की लेखापरीक्षाओं में मानकीकरण का समर्थन हुआ।

## (II) वेबिनारों के माध्यम से ज्ञान अभिवृद्धि

वर्ष 2025-26 के दौरान “नो योर लॉज़” श्रृंखला 135 वेबिनारों और 350 से अधिक संरचित सीपीई घंटों तक पहुंची, जो 10,000 से अधिक प्रतिभागियों को संबोधित की गई, जो वृत्तिक विकास और ज्ञान प्रसार की दिशा में समिति के सतत प्रयासों को प्रतिबिंबित करती है।

## (III) अंतर्राष्ट्रीय दिवसों का आयोजन

अपनी आउटरीच पहलों के भाग के रूप में, समिति ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस और रेरा दिवस सहित अन्य दिवस मनाए, जिससे वैश्विक मुद्दों के प्रति जागरूकता का संवर्धन हुआ और सार्थक सदस्य सहभागिता को प्रोत्साहन मिला।

## (IV) बैठकें और सांस्थानिक सहभागिताएं

- रियल एस्टेट क्षेत्र में सहयोग की संभावना तलाशने के लिए 24 सितंबर, 2025 को अध्यक्ष, महारेरा के साथ एक बैठक आयोजित की गई। राष्ट्रीय जोखिम निर्धारण के संबंध में गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों, जिनमें निदेशक, एफएटीएफ सेल, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय सम्मिलित हैं, के साथ भी परस्पर संवाद हुए।
- शैक्षिक और वृत्तिक संस्थाओं के साथ सहभागिताओं तथा माननीय न्यायमूर्ति, दिल्ली उच्च न्यायालय, दो वरिष्ठ अधिवक्ताओं, वरिष्ठ अटॉर्नी, वैश्विक माध्यस्थ जैसे विशेषज्ञों के साथ परस्पर संवादों ने माध्यस्थता और मध्यकता पर संवाद को सुदृढ़ किया।

## (V) प्रमुख राष्ट्रीय सहकारिता कार्यक्रम – “कोऑपरेटिव चिंतन शिविर”

समिति ने 12 जनवरी, 2026 को नई दिल्ली में अपने प्रमुख कार्यक्रम “कोऑपरेटिव चिंतन शिविर” का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसमें 800 से अधिक सदस्यों की सहभागिता रही। यह कार्यक्रम पारदर्शिता, वृत्तिक प्रबंध और सांस्थानिक सुधारों के माध्यम से भारत के सहकारी क्षेत्र के सुदृढीकरण पर वैचारिक नेतृत्व और संवाद हेतु एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य कर गया। इस कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा श्रम और रोजगार मंत्री; माननीय राज्य मंत्री, सहकारिता मंत्रालय; तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री और कुलाधिपति, ऋषिगढ़ विश्वविद्यालय की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिनकी उपस्थिति और अंतर्दृष्टि ने विचार-विमर्शों को अत्यधिक समृद्ध किया। इस कार्यक्रम में सहकारी क्षेत्र में शासन, समावेशी विकास और डिजिटल रूपांतरण पर केंद्रित अंतर्दृष्टिपूर्ण तकनीकी सत्र आयोजित किए गए तथा सहकारी पारिस्थितिकी प्रणाली के



सुदृढीकरण पर एक संकल्पना पत्र का शुभारंभ भी हुआ, जिसने सार्थक परिचर्चाओं और भविष्योन्मुखी नीतिगत परिप्रेक्ष्यों में योगदान किया।

#### (VI) अभ्यावेदन/इनपुट

- रेरा के सुदृढीकरण, सहकारी क्षेत्र में वृत्तिक अवसरों के संवर्धन पर अनुसंधान का योगदान करके अभ्यावेदन।
- एफआईयू-इंडिया के सहयोग से भारत के राष्ट्रीय जोखिम निर्धारण 2025 हेतु तकनीकी इनपुट उपलब्ध कराना।

#### (VII) अधिगम, नेतृत्व और सहभागिता का एक वर्ष

वर्ष के दौरान, समिति ने 18+ प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों, 40+ संगोष्ठियों, 3+ नेतृत्व विकास कार्यक्रमों (एलडीपी) और 3+ आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों (आरआरसी) का संचालन किया, जिनमें 6,500 से अधिक सदस्य सम्मिलित हुए और वृत्तिक अधिगम और सक्षमता निर्माण सुदृढ हुआ।

#### (VIII) प्रकाशन :

- ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) : एक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य।
- भारत में विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) विधियों के अधीन चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए वृत्तिक अवसर।
- भारत में रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के अधीन चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए वृत्तिक अवसर।
- सहकारी क्षेत्र में चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए वृत्तिक अवसर।
- फेमा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम हेतु पृष्ठभूमि सामग्री।
- भविष्य के लिए भारत में रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम (रेरा) के सुदृढीकरण पर अध्ययन : सर्वोत्तम व्यवहार और सिफारिशें।
- भारत के सहकारी ढांचे का सुदृढीकरण : भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की भूमिका।
- धन शोधन निवारण विधियों संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (एएमएल विशेषज्ञ) हेतु पुनरीक्षित पृष्ठभूमि सामग्री।
- माध्यस्थता संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम हेतु पुनरीक्षित पृष्ठभूमि सामग्री।

### 6.17 सहकारिता और एनपीओ समिति (सीएनपीओसी)

सहकारी क्षेत्र, जिसमें देश भर में 8.5 लाख से अधिक सहकारिताएं सम्मिलित हैं, समावेशी और संवहनीय विकास का संवर्धन करके भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस क्षेत्र के महत्व को मान्यता प्रदान करते हुए, भारत सरकार ने “सहकार से समृद्धि” के मिशन को प्राप्त करने की परिकल्पना के साथ वर्ष 2021 में समर्पित सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। इस राष्ट्रीय परिकल्पना के साथ सुमेलित होकर, आईसीएआई ने देश में सहकारी और एनपीओ क्षेत्रों के सुदृढीकरण और विकास में योगदान करने के लिए सहकारिता और एनपीओ समिति (पूर्व में वाणिज्यिक विधि, आर्थिक सलाहकार और एनपीओ सहकारिता संबंधी समिति का भाग) का गठन किया है।

समिति ने सहकारी क्षेत्र के समग्र विकास हेतु प्रमुख नीति-निर्माण और विनियामक प्राधिकारियों के साथ सहभागिता की। इस संबंध में, समिति ने बहु-राज्य सहकारी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश (एमएससीएआरओ), 2026 के प्रारूपण में सहकारी सोसाइटियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार के साथ निकट समन्वय किया।

इसके अतिरिक्त, समिति ने सहकारी क्षेत्र में संक्रमणकारी सुधारों के कार्यान्वयन की दिशा में सहकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद् (एनसीसीटी) और त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय (टीएसयू) के साथ समन्वय किया। साथ ही, समिति ने देश

भर में सहकारी पारिस्थितिकी प्रणाली के पणधारियों के लिए सक्षमता-निर्माण पहलों को सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के सहकारिता विभागों के साथ समन्वय किया।

### 6.18 लेखापरीक्षा गुणवत्ता केंद्र समिति (सीएक्यूसी)

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ने भारत में लेखापरीक्षा व्यवहारों की गुणवत्ता में अभिवृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वर्ष 2020 में लेखापरीक्षा गुणवत्ता केंद्र निदेशालय (सीएक्यूडी) की स्थापना की थी। वर्ष 2026 में, इस निदेशालय को लेखापरीक्षा गुणवत्ता केंद्र समिति (सीएक्यूसी) के रूप में पुनर्गठित किया गया, जिससे इसकी भूमिका और शासन ढांचा सुदृढ़ हुआ। सीएक्यूसी मुख्य रूप से लेखापरीक्षा कृत्य के गुणात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती है, जिससे लेखापरीक्षा गुणवत्ता में सतत सुधार सुनिश्चित होता है और भारतीय लेखापरीक्षा फर्मों की वैश्विक स्थिति में अभिवृद्धि में योगदान होता है।

अपने अधिदेश के अनुसरण में, समिति लेखापरीक्षा और आश्वासन गुणवत्ता के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से पहलों का एक व्यापक स्पेक्ट्रम अपनाती है। इनमें लेखापरीक्षा और आश्वासन गुणवत्ता हेतु एक ढांचे का विकास तथा लेखापरीक्षा गुणवत्ता संकेतकों पर आधारित लेखापरीक्षा गुणवत्ता परिपक्वता मॉडल (एक्यूएमएम) का निर्माण; सदस्यों को लेखापरीक्षा सिद्धांतों के अनुपालन में लेखापरीक्षा करने में समर्थ बनाने के लिए प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों और जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन; सदस्यों को उनके वृत्तिक व्यवहारों में सुधार करने और सुदृढ़ प्रणालियों और प्रक्रियाओं की स्थापना में सहायता करने के लिए प्रकाशनों और मार्गदर्शन सामग्रियों का विकास; तथा दक्ष लेखापरीक्षा व्यवहारों हेतु प्रौद्योगिकीय संसाधनों के विकास और अंगीकरण को सुकर बनाना सम्मिलित है, इसके अतिरिक्त परिषद् या अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर समनुदेशित कृत्यों का पालन भी सम्मिलित है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान किए गए क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं :

#### (I) सीएक्यूसी द्वारा विकसित और अद्यतन की गई यूटिलिटियां

सीएक्यूसी गुणवत्तापूर्ण लेखापरीक्षाओं और आश्वासन सेवाओं के सुचारू संचालन को सुकर बनाने के लिए प्रौद्योगिकीय संसाधन, साधन और यूटिलिटियां विकसित और उपलब्ध कराती है, साथ ही लेखापरीक्षा गुणवत्ता, प्रचालनगत दक्षता और विनियामक अनुपालन में अभिवृद्धि करने में लेखापरीक्षा फर्मों का समर्थन करती है। वर्ष के दौरान, निम्नलिखित यूटिलिटियां विकसित/अद्यतन की गईं :

- **चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा जारी प्रमाणपत्रों हेतु जांच सूची :** सीएक्यूसी ने विशेष प्रयोजनों हेतु रिपोर्टों या प्रमाणपत्रों संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण (पुनरीक्षित 2016) के साथ सुमेलित, चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा जारी प्रमाणपत्रों हेतु एक जांच सूची विकसित की। यह एक सहज-बोधगम्य और सुगमता से कार्यान्वयन-योग्य साधन है, जो प्रमाणपत्र जारी करते समय मार्गदर्शन टिप्पण के विभिन्न पहलुओं का अनुपालन सुनिश्चित करने में सदस्यों की सहायता करता है।
- **बैंक शाखा लेखापरीक्षा हेतु यूटिलिटी – 2026 संस्करण (अद्यतन) :** बैंक शाखा लेखापरीक्षाओं के सुचारू संचालन में सदस्यों की सहायता के लिए, सीएक्यूसी ने एएएसबी द्वारा जारी बैंकों की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण और दीर्घ प्ररूप लेखापरीक्षा रिपोर्ट संबंधी तकनीकी गाइड पर आधारित एक एक्सेल यूटिलिटी विकसित की है। बैंकों की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण (2026 संस्करण) के परिवर्तनों को सम्मिलित करते हुए इस यूटिलिटी को अद्यतन किया गया है।
- **लेखापरीक्षा मानक अनुपालन संबंधी पुनर्विलोकन और निगरानी साधन हेतु यूटिलिटी (अद्यतन) :** यह साधन लेखापरीक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक जांच सूचियां उपलब्ध कराता है, कार्य स्थिति डैशबोर्ड के माध्यम से लेखापरीक्षा प्रगति को ट्रैक करता है तथा प्रत्येक लेखापरीक्षा में व्यतीत समय सहित टीम के क्रियाकलापों का

दस्तावेजीकरण करता है। इस साधन को डैशबोर्ड में एक 'व्हेदर एप्लिकेबल' स्तंभ जोड़कर अद्यतन किया गया है, जो प्रत्येक लेखापरीक्षा मानक (एसए) की प्रयोज्यता दर्शाता है; यदि कोई विशिष्ट एसए लागू नहीं है, तो उपयोक्ता 'नहीं' का चयन कर सकता है, जिस पर तत्स्थानी एसए शीट 'नहीं' स्थिति दर्शाती है और आगे किसी भी इनपुट को निर्बंधित कर देती है।

- **तात्विकता के अवधारण हेतु यूटिलिटी (अद्यतन) :** यह यूटिलिटी सांविधिक लेखापरीक्षाओं हेतु ताल्विकता की सीमाओं की गणना में सहायता करती है, जोखिम निर्धारण (निम्न/मध्यम/उच्च) का श्रेणीकरण करती है तथा ताल्विक मिथ्या कथनों के आधार पर लेखापरीक्षा अभिमत बनाने में सहायता करती है। ताल्विकता गणना शीट में 'रीजन फॉर चूजिंग द लेवल ऑफ रिस्क' स्तंभ जोड़कर इसे उन्नत किया गया है, जिससे उपयोक्ता जोखिम के समुचित स्तर के चयन हेतु अपने तर्काधार का दस्तावेजीकरण करने में समर्थ होते हैं।

पूर्ववर्ती वर्षों में, समिति ने निम्नलिखित यूटिलिटियां सफलतापूर्वक आरंभ की थीं :

- **एक्यूएमएम संस्करण 2.0 के अधीन स्व-मूल्यांकन हेतु यूटिलिटी :** यह यूटिलिटी फर्मों को एक्यूएमएम संस्करण 2.0 के अधीन परिभाषित लेखापरीक्षा गुणवत्ता संकेतकों के आधार पर अपने परिपक्वता स्तर का स्व-मूल्यांकन करने में सहायता करती है, जिससे वे उन क्षेत्रों की पहचान करने में समर्थ होती हैं, जहां सक्षमताएं सुदृढ़ या न्यून हैं, तथा उच्चतर लेखापरीक्षा परिपक्वता स्तर प्राप्त करने हेतु एक रोडमैप विकसित कर सकती हैं।
- **नियोजन पत्रों संबंधी यूटिलिटी :** इस यूटिलिटी को आश्वासन ग्राहकों हेतु नियोजन पत्र सृजित करने की प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है, जिससे लेखापरीक्षक और लेखापरीक्षा फर्म एक ही क्लिक से अनेक नियोजन पत्र सृजित करने में समर्थ होती हैं, जिससे समय की बचत होती है और उनकी तैयारी में अंतर्वलित जटिलताएं समाप्त होती हैं।

08.05.2026 की स्थिति के अनुसार यूटिलिटियों के डाउनलोड की स्थिति निम्नानुसार है :

| क्रम सं. | यूटिलिटी/साधन का नाम                                                      | डाउनलोड की संख्या |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.       | तात्विकता के अवधारण हेतु यूटिलिटी                                         | 13,317            |
| 2.       | लेखापरीक्षा मानक अनुपालन संबंधी पुनर्विलोकन और निगरानी साधन हेतु यूटिलिटी | 4,636             |
| 3.       | नियोजन पत्रों संबंधी यूटिलिटी                                             | 17,158            |
| 4.       | बैंक शाखा लेखापरीक्षा हेतु यूटिलिटी – 2026 संस्करण                        | 3,352             |
| 5.       | एक्यूएमएम संस्करण 2.0 के अधीन स्व-मूल्यांकन हेतु यूटिलिटी                 | 1,665             |
| 6.       | चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा जारी प्रमाणपत्रों हेतु जांच सूची              | 13,205            |

## (II) सीएक्यूसी द्वारा विकसित साधनों और यूटिलिटियों पर वीडियो

सीएक्यूसी ने ताल्विकता के अवधारण हेतु यूटिलिटी, एसए अनुपालन हेतु पुनर्विलोकन और निगरानी साधन, नियोजन पत्रों संबंधी यूटिलिटी, बैंक शाखा लेखापरीक्षा हेतु यूटिलिटी और सीएक्यूसी की पहलों पर अनुदेशात्मक वीडियो विकसित किए हैं। इसके अतिरिक्त, यूटिलिटियों को डाउनलोड करने और मैक्रो को समर्थ बनाने की प्रक्रिया पर भी वीडियो विकसित किए गए हैं। सीएक्यूसी

पृष्ठ के साथ-साथ यूट्यूब पर होस्ट किए गए इन वीडियो का उद्देश्य सदस्यों को इन साधनों और यूटिलिटियों के प्रयोजन और कार्य-प्रणाली की बेहतर समझ प्रदान करना है, साथ ही इनके उपयोग पर चरण-दर-चरण मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है।

### (III) एक्यूएमएम संस्करण 2.0 की अनिवार्य प्रयोज्यता के कार्यक्षेत्र का विस्तार

एक्यूएमएम संस्करण 2.0 की अनिवार्य प्रयोज्यता के कार्यक्षेत्र का विस्तार और अधिक फर्मों को सम्मिलित करने के लिए किया गया है और तदनुसार एक्यूएमएम संस्करण 2.0 को निम्नलिखित श्रेणियों की फर्मों के लिए चरणबद्ध रीति से अनिवार्य बनाया गया है :

| क्रम सं.                                                         | फर्मों की श्रेणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | प्रयोज्यता की तारीख (पियर पुनर्विलोकन जो निम्न तिथि को या उसके पश्चात् किया गया) |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>एक्यूएमएम की अनिवार्य प्रयोज्यता – विद्यमान मानदंड</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| 1.                                                               | निम्नलिखित इकाइयों की लेखापरीक्षा करने वाली फर्में : (क) कोई सूचीबद्ध इकाई; (ख) सहकारी बैंकों (बहु-राज्य सहकारी बैंकों को छोड़कर) से भिन्न बैंक; और (ग) बीमा कंपनियां। तथापि, केवल शाखा लेखापरीक्षा करने वाली फर्में इसके अंतर्गत नहीं आतीं।                                                                               | 1 अप्रैल, 2023                                                                   |
| <b>एक्यूएमएम की अनिवार्य प्रयोज्यता – विस्तारित कार्यक्षेत्र</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| 2.                                                               | ऐसी फर्में, जो पियर पुनर्विलोकन के अधीन हैं और उपर्युक्त क्रम सं. 1 में कथित इकाइयों की धारक/समनुषंगी/सहयोगी/संयुक्त उद्यम इकाइयों की लेखापरीक्षा करती हैं।                                                                                                                                                                | 1 अप्रैल, 2026                                                                   |
| 3.                                                               | ऐसी फर्में, जो ऐसी असूचीबद्ध पब्लिक कंपनियों की सांविधिक लेखापरीक्षा करने का प्रस्ताव करती हैं, जिनकी ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार प्रदत्त पूंजी ₹500 करोड़ से कम नहीं है, या वार्षिक आवर्त ₹1,000 करोड़ से कम नहीं है, या कुल मिलाकर बकाया ऋण, डिबेंचर और जमाएं ₹500 करोड़ से कम नहीं हैं। | 1 अप्रैल, 2026                                                                   |
| 4.                                                               | ऐसी फर्में, जो ऐसी इकाइयों की सांविधिक लेखापरीक्षा करने का प्रस्ताव करती हैं, जिन्होंने पुनर्विलोकनाधीन अवधि के दौरान जनता या बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से ₹50 करोड़ से अधिक की निधियां जुटाई हैं, अथवा लोक हित इकाइयों के अंतर्गत आने वाले, न्यासों सहित, किसी निगमित निकाय की लेखापरीक्षा करने का प्रस्ताव करती हैं।    | 1 अप्रैल, 2027                                                                   |

### (IV) सीएक्यूसी द्वारा आयोजित कार्यक्रम/वेबिनार

- **पियर पुनर्विलोकन बोर्ड के साथ संयुक्त वेबिनार :** सीएक्यूसी ने, पियर पुनर्विलोकन बोर्ड (पीआरबी) के साथ संयुक्त रूप से, सदस्यों को एक्यूएमएम संस्करण 2.0 के बारे में शिक्षित करने के लिए 20 जून, 2025 और 10 अप्रैल, 2026 को दो वेबिनारों का आयोजन किया, जिनमें लगभग 1,900 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- **क्वालिटी कैफे सत्र – लेखापरीक्षा गुणवत्ता पर एक वर्चुअल श्रृंखला :** सीएक्यूसी वर्चुअल मोड में क्वालिटी कैफे श्रृंखला का आयोजन करती है, जिसमें लेखापरीक्षा गुणवत्ता में योगदान करने वाले तत्वों पर लेखापरीक्षा विशेषज्ञों द्वारा दो घंटे की

परस्पर संवादात्मक पैनल परिचर्चाएं सम्मिलित होती हैं। अवधि के दौरान, 6 क्वालिटी कैफे सत्र आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 4,365 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- **प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम – “एक्जीक्यूटिव मास्टर प्रोग्राम – न्यू एज ऑडिटर्स”** : अवधि के दौरान, प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 3 वर्चुअल बैचों का संचालन किया गया, जिनमें लगभग 227 सदस्यों ने भाग लिया। 2 बैचों की परीक्षाओं का संचालन किया गया, जिनमें 156 सदस्यों ने सफलतापूर्वक अर्हता प्राप्त की और उन्हें प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।
- **अन्य कार्यक्रम** : सीएक्यूसी ने विभिन्न शाखाओं और क्षेत्रीय परिषदों द्वारा आयोजित, लेखापरीक्षा गुणवत्ता पहलुओं पर 36 कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों में लेखापरीक्षा गुणवत्ता परिपक्वता मॉडल (एक्यूएमएम), सीएक्यूसी द्वारा विकसित विभिन्न साधनों और यूटिलिटियों तथा गैर-निगमित इकाइयों हेतु लेखापरीक्षा व्यवहारों में अभिवृद्धि पर ज्ञान प्रदान किया गया और इनमें लगभग 4,460 प्रतिभागियों ने भाग लिया। सदस्यों की क्षेत्र-वार सहभागिता निम्नानुसार है :

| क्षेत्र            | डब्ल्यूआईआरसी | सीआईआरसी | एनआईआरसी | ईआईआरसी | एसआईआरसी |
|--------------------|---------------|----------|----------|---------|----------|
| प्रतिभागी (संख्या) | 1,552         | 1,031    | 983      | 815     | 79       |

## (V) अन्य पहलें

सदस्यों से जुड़ने, लेखापरीक्षा गुणवत्ता के प्रति जागरूकता में अभिवृद्धि करने तथा पहलों, वेबिनारों, प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों और नई यूटिलिटियों और प्रकाशनों संबंधी अद्यतन साझा करने के लिए सीएक्यूसी हेतु एक पृथक ‘एक्स’ (ट्विटर) हैंडल बनाया गया है।

## (VI) सीएक्यूसी द्वारा जारी प्रकाशन

- **चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा प्रमाणपत्रों संबंधी हैंडबुक : व्यापक जांच सूची और प्ररूप** : यह प्रकाशन सम्यक् वृत्तिक सावधानी के साथ विभिन्न प्रमाणपत्र जारी करने में सदस्यों के लिए एक व्यावहारिक गाइड के रूप में कार्य करता है। यह चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा किए जाने वाले प्रमाणन कार्य में एकरूपता के संवर्धन और गुणवत्ता में अभिवृद्धि हेतु विस्तृत जांच सूचियां, एफएक्यू और दृष्टांतात्मक प्ररूप उपलब्ध कराता है तथा विशेष प्रयोजनों हेतु रिपोर्टों और प्रमाणपत्रों संबंधी आईसीएआई के मार्गदर्शन टिप्पण (पुनरीक्षित 2016) के साथ सुमेलित है।
- **ब्रिजिंग द एक्सपेक्शन गैप – ऑडिट बनाम फोरेंसिक** : यह प्रकाशन लेखापरीक्षा और फोरेंसिक नियोजन – दो ऐसे वृत्तिक क्रियाकलाप, जिन्हें प्रायः समरूप समझा जाता है, किंतु जो सुभिन्न प्रयोजनों की पूर्ति करते हैं – के बीच मूलभूत अंतरों को स्पष्ट करता है।

## 7. वृत्ति विकास समितियां

### 7.1 एआई समिति

एआई समिति (परिषद् वर्ष 2024-25 में “आईसीएआई में एआई” समिति के रूप में गठित) वृत्ति और संस्थान के प्रचालनों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के एकीकरण का नेतृत्व करती है, जिससे सदस्यों, छात्रों और कर्मचारियों के लिए सेवाओं में अभिवृद्धि होती है। समिति संरचित प्रमाणनों और सतत अधिगम के माध्यम से एआई सामर्थ्य का निर्माण करने, एआई-चालित साधनों और मंचों को विकसित करने, ज्ञान अवसंरचना का सृजन करने, नवप्रवर्तन का पोषण करने तथा सरकार, उद्योग और वैश्विक प्रौद्योगिकी अग्रणियों

के साथ रणनीतिक सहयोग स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान की गई प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं :

### (I) सक्षमता निर्माण और अधिगम पहलें

- **एआईसीए – चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए एआई प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम** : एक प्रमुख संरचित प्रमाणन कार्यक्रम, जिसमें स्तर 1, मूलभूत एआई संकल्पनाओं और साधनों को सम्मिलित करने वाला एक तीन-दिवसीय भौतिक कार्यक्रम, तथा स्तर 2, व्यावहारिक उपयोग मामलों के साथ उन्नत अनुप्रयोगों को सम्मिलित करने वाला एक पांच-दिवसीय मिश्रित-प्रारूप कार्यक्रम, सम्मिलित हैं। स्तर 1 पर 750 से अधिक बैचों का संचालन किया जा चुका है और 42,000+ सदस्यों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जबकि स्तर 2 पर 40+ बैचों का संचालन किया जा चुका है और 1,500+ सदस्यों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।
- **एआई पुनश्चर्या शृंखला** : अप्रैल 2025 में आरंभ स्तर 1 पर साप्ताहिक वर्चुअल सत्र, उभरती एआई प्रवृत्तियों और साधनों पर सतत अधिगम और अद्यतन सुनिश्चित करते हैं; स्तर 2 शृंखला अप्रैल 2026 में आरंभ हुई। दोनों शृंखलाएं पात्र सदस्यों के लिए निःशुल्क हैं।
- **एआई पर संकाय अभिज्ञान कार्यक्रम (एफआईपी)** : अधिगम पहलों के विस्तार हेतु भारत भर में एआई-प्रशिक्षित संकाय का एक सशक्त पूल निर्मित करने की एक संरचित पहल; आज की तारीख तक 6 एफआईपी का संचालन किया जा चुका है और 7वां 9-10 मई, 2026 को अनुसूचित है।

### (II) प्रौद्योगिकी और एआई साधनों का विकास

समिति द्वारा कुल 131 जीपीटी विकसित किए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

- **आईसीएआई सीए जीपीटी (बहु-चरण रोलआउट)** : कराधान, लेखापरीक्षा और विनियामक क्षेत्रों सहित अनेक क्षेत्रों को सम्मिलित करने वाले, सदस्यों के लिए एआई-चालित सहायक।
- **आईसीएआई सीए स्टूडेंट जीपीटी** : अधिगम और परीक्षा की तैयारी में सहायता हेतु छात्रों के लिए अनुकूलित एक समर्पित एआई सहायक।
- **आईसीएआई एआई एजेंट (मल्टी-मोडल प्लेटफॉर्म)** : वृत्तिक उपयोग हेतु पाठ, दस्तावेज और विश्लेषणात्मक क्षमताओं को एकीकृत करने वाला एक उन्नत एआई-चालित समाधान।
- **इंडस्ट्री फोरम जीपीटी** : 5,000+ सूचीबद्ध कंपनियों के डाटा पर निर्मित एक एआई साधन, जो उद्योग बेंचमार्किंग और विश्लेषण को समर्थ बनाता है।

### (III) ज्ञान अवसंरचना

- **एआई नॉलेज हब** : एआई संसाधनों का एक केंद्रीयकृत निक्षेपागार, जिसमें लेख, वीडियो, उपयोग मामले और तकनीकी सामग्रियां सम्मिलित हैं।
- **कैपस्टोन परियोजनाओं हेतु एआई हब (स्तर 2)** : प्रतिभागियों द्वारा विकसित नवप्रवर्तनकारी एआई-आधारित परियोजनाओं को प्रदर्शित करने हेतु एक मंच।

**(IV) नवप्रवर्तन और सहभागिता मंच**

- **आईसीएआई एआई हैकथॉन** : सदस्यों को वास्तविक विश्व की वृत्तिक चुनौतियों हेतु एआई-चालित समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला एक सीज़न-आधारित राष्ट्रीय नवप्रवर्तन मंच; 4 सीज़न पूर्ण हो चुके हैं और 5वां सीज़न वर्तमान में चल रहा है।
- **एआई इनोवेशन चैलेंज** : वृत्ति के भीतर नवप्रवर्तनकारी एआई उपयोग मामलों को मान्यता प्रदान करने और उनका संवर्धन करने की एक केंद्रित पहल।
- **प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग प्रतियोगिता** : सदस्यों में व्यावहारिक एआई उपयोग कौशलों के निर्माण हेतु अनेक श्रेणियों में एक प्रतियोगिता।

**(V) प्रमुख कार्यक्रम और वैश्विक मंच**

- **आईसीएआई एआई इनोवेशन समिट** : अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, नीति-निर्माताओं और वृत्तिकों को एक साथ लाने वाला एक वार्षिक वैश्विक समिट (हैदराबाद 2024, पुणे 2025 और नई दिल्ली 2026)।
- **इंडियाएआई इंपैक्ट समिट और वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट्स (डब्ल्यूओएफए)** जैसे वैश्विक मंचों में सहभागिता, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आईसीएआई की एआई पहलों का प्रदर्शन हुआ।

**(VI) रणनीतिक सहयोग और समझौता ज्ञापन**

- सहयोगात्मक प्रशिक्षण, एआई पारिस्थितिकी प्रणाली विकास और अनुसंधान पहलों हेतु इंडियाएआई (एमईआईटीवाई, भारत सरकार) के साथ समझौता ज्ञापन।
- एआई अनुसंधान और सक्षमता निर्माण को आगे बढ़ाने हेतु गूगल इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन।
- मानकों, शासन और कार्यान्वयन ढांचों सहित एआई-चालित पहलों हेतु विनियामकों और संस्थाओं के साथ सहभागिताएं।

**(VII) भविष्योन्मुखी पहलें**

- एआई प्रमाणनों का विस्तार और पाठ्यक्रम का वैश्विक सुमेलन।
- समझौता ज्ञापनों के अधीन अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों का विकास।
- एआई अनुसंधान प्रयोगशालाओं और उन्नत नवप्रवर्तन मंचों का सृजन।
- प्रैक्टिस, उद्योग और शिक्षा जगत में एआई अंगीकरण का सुदृढीकरण।

**(VIII) वैचारिक नेतृत्व और प्रकाशन**

आईसीएआई ने अपनी एआई प्रकाशन श्रृंखला के माध्यम से ज्ञान का एक सशक्त संग्रह विकसित किया है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

- एथिक्स इन एआई; प्राइवसी इन एआई; तथा इंपैक्ट ऑफ एआई ऑन इंडियन इकोनॉमी।

- एआई लॉ एंड द चार्टर्ड अकाउंटेंट : गवर्नेंस, एश्योरेंस, एंड प्रैक्टिस इन इंडिया एंड बियॉन्ड ।
- एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी ।
- एआई एंड द डीपीडीपी एरा : ए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स गाइड टू रिस्पॉन्सिबल डाटा गवर्नेंस ।
- एआई एसेशियल्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तथा पाइथन एसेशियल्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (विकासाधीन)।

## 7.2 उद्योग और कारोबार में सदस्यों संबंधी समिति (एमआईबीसी)

आईसीएआई की उद्योग और कारोबार में सदस्यों संबंधी समिति (पूर्व नाम : उद्योग और कारोबार में सदस्यों के लिए समिति) रणनीतिक पहलों के एक विविध पोर्टफोलियो के माध्यम से वृत्तिक उत्कृष्टता को आगे बढ़ाना निरंतर जारी रखे हुए है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समिति के प्रमुख क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं :

### (I) कैपस प्लेसमेंट कार्यक्रम

समिति के प्रयासों की एक आधारशिला कैपस प्लेसमेंट कार्यक्रम है, जिसने वर्ष 2025-26 में हजारों नव-अर्हित सीए के करियर संक्रमणों को सुकर बनाया। 61वें संस्करण (फरवरी-मार्च 2025) के दौरान, 3,729 प्रस्थापनाएं की गईं, जिनमें सर्वोच्च वेतन ₹29.00 लाख प्रति वर्ष था। यह गति 62वें संस्करण (अगस्त-सितंबर 2025) में भी बनी रही, जिसमें 3,785 नियोजन प्रस्थापनाएं हुईं और उच्चतम सीटीसी ₹26.60 लाख प्रति वर्ष रहा। 63वें कैपस प्लेसमेंट कार्यक्रम (फरवरी-मार्च 2026) की तैयारियां नवंबर 2025 की परीक्षाओं से अर्हित अभ्यर्थियों के लिए की गईं, जिसमें इस करियर प्रक्षेप-पथ को जारी रखने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया जनवरी 2026 में आरंभ हुई।

अभ्यर्थियों के “कॉर्पोरेट-तैयार” होने को सुनिश्चित करने के लिए, समिति ने परवर्ती सत्र में रजिस्ट्रीकृत 10,653 अभ्यर्थियों हेतु साक्षात्कार तकनीकों और सॉफ्ट स्किल्स पर केंद्रित सघन 1-2 दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रमों का भी संचालन किया।

### (II) वृत्तिक नेटवर्किंग और सतत अधिगम

आरंभिक प्लेसमेंटों से परे, समिति समर्पित मंचों और सतत शिक्षा मॉड्यूलों के माध्यम से आजीवन अधिगम और वृत्तिक नेटवर्किंग का पोषण करती है। प्रमुख पहलों में सीएफओ और सीएचआरओ फोरम सम्मिलित हैं, जो वरिष्ठ वृत्तिकों के लिए उच्च-स्तरीय नेटवर्किंग मंचों के रूप में कार्य करते हैं। “ग्रोथ गियर्स” टॉक-शो श्रृंखला और विभिन्न उद्योग-विनिर्दिष्ट वेबिनार सदस्यों को स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी प्रणाली, रियल एस्टेट और डिजिटल रूपांतरण की समकालीन अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराने में सहायक रहे हैं। इसके अतिरिक्त, समिति सदस्यों को उनकी सतत वृत्तिक शिक्षा (सीपीई) अपेक्षाओं की पूर्ति में सहायता करने और वैश्विक कारोबारी प्रवृत्तियों से अद्यतन रहने के लिए संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों (आरआरसी) की एक सक्रिय अनुसूची बनाए रखती है।

### (III) मान्यता कार्यक्रम और नेतृत्व विकास

उत्कृष्टता के प्रति समिति की प्रतिबद्धता उसके मान्यता कार्यक्रमों और उच्च उपलब्धिकर्ताओं के लिए लक्षित विकास में भी प्रतिबिंबित होती है। इनमें सीए उपलब्धिकर्ताओं के लिए आईसीएआई पुरस्कार और विशेषीकृत “40 अंडर 40 – सीए बिजनेस लीडर अवार्ड” सम्मिलित हैं। शैक्षिक रूप से उत्कृष्ट व्यक्तियों के लिए, रैंक धारकों हेतु प्रबंध विकास कार्यक्रम (एमडीपी) अग्रणी बिजनेस स्कूलों



के सहयोग से उन्नत नेतृत्व प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं। सामूहिक रूप से, ये पहले यह सुनिश्चित करती हैं कि सीएमआई एंड बी लेखांकन वृत्ति और वैश्विक उद्योग की विकसित होती आवश्यकताओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बनी रहे।

### 7.3 सीए फर्मों के एकत्रीकरण संबंधी समिति (एसीएफसी)

वर्ष 2024-25 में गठित सीए फर्मों के एकत्रीकरण संबंधी समिति (एसीएफसी) भारत में सीए फर्मों के लिए “प्राैक्टिस में सुगमता से उत्कृष्टता तक” की एक संक्रमणकारी यात्रा को आगे बढ़ा रही है। एक स्पष्ट रणनीतिक अधिदेश के साथ, एसीएफसी विद्यमान दिशानिर्देशों का एक व्यापक पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण कर रही है, जिससे यह सुनिश्चित हो कि वे सुसंगत, अनुकूलनशील तथा विकसित होते वृत्तिक और विनियामक परिदृश्य के साथ सुमेलित हों। अपनी पहलों के माध्यम से, एसीएफसी सीए फर्मों को विशेषज्ञता का विस्तार करने, प्रचालनों का विस्तार करने, डिजिटल समाधानों को अंगीकार करने तथा गतिशील वृत्तिक पारिस्थितिकी प्रणाली में चपलता के साथ मार्ग प्रशस्त करने हेतु सशक्त बनाती है। प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके, प्रक्रियागत बाधाओं को कम करके तथा प्रत्यास्थता और उत्कृष्टता की संस्कृति का पोषण करके, समिति एक ऐसा वातावरण विकसित करती है, जिसमें फर्में फल-फूल सकें। पणधारी सहभागिता, संरचित सक्षमता निर्माण और सतत फीडबैक का लाभ उठाकर, एसीएफसी यह सुनिश्चित करती है कि सीए फर्में न केवल घरेलू चुनौतियों का सामना करने के लिए सज्जित हों, अपितु एक अधिकाधिक वैश्विक बाजार में प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा और सहयोग करने के लिए भी तत्पर हों।

#### एसीएफसी की प्रमुख पहलें

- **आईसीएआई (सीए फर्मों का विलय और अविलय) दिशानिर्देश, 2024 पर एफएक्यू और मॉडल विलय विलेख :** इस प्रकाशन में बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) का एक व्यापक सेट सम्मिलित है, जिसे सामान्यतया आने वाले मुद्दों का समाधान करने तथा सदस्यों को व्यावहारिक, कार्रवाई-योग्य मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए अभिकल्पित किया गया है। ये एफएक्यू एक महत्वपूर्ण संदर्भ साधन के रूप में कार्य करते हैं, जो पुनरीक्षित दिशानिर्देशों के सुचारू और दक्ष अंगीकरण को समर्थ बनाने हेतु निर्वचनात्मक और प्रक्रियागत पहलुओं पर स्पष्टता प्रदान करते हैं। विलयों को प्रचालित करने में फर्मों के और अधिक समर्थन हेतु, एक मॉडल विलय विलेख संलग्न किया गया है, जिसमें विलय के निबंधन, शासन और प्रबंध संरचना, विवाद समाधान तंत्र, ग्राहक संक्रमण प्रक्रियाएं और गोपनीयता रक्षोपाय सहित आवश्यक प्रावधानों की रूपरेखा दी गई है, जिससे सीए फर्मों के लिए एक निर्बाध और विधिक रूप से अनुपालित विलय प्रक्रिया सुकर होती है।
- **आईसीएआई (एलएलपी का एकत्रीकरण) दिशानिर्देश, 2024 पर एफएक्यू :** एलएलपी हेतु एकत्रीकरण ढांचे को समझने और उसे कार्यान्वित करने में पणधारियों की सहायता के लिए, एसीएफसी ने दिशानिर्देशों के मुख्य पहलुओं का समाधान करने वाले एफएक्यू का एक विस्तृत सेट विकसित किया। ये एफएक्यू पात्रता मानदंडों, प्रक्रियागत अपेक्षाओं, अनुपालन दायित्वों और व्यावहारिक कार्यान्वयन विचारणों पर स्पष्टता प्रदान करते हैं, जिससे सदस्य विश्वास के साथ एलएलपी के एकत्रीकरण ढांचे में मार्ग प्रशस्त करने में समर्थ होते हैं।
- **सीए-सेतु – सीए हेतु नेटवर्किंग पोर्टल :** वर्ष के दौरान, एसीएफसी ने भारत भर के चार्टर्ड अकाउंटेंटों और सीए फर्मों के बीच सहयोग, संबद्धता और विकास के अवसरों का पोषण करने के उद्देश्य से एक रणनीतिक डिजिटल नेटवर्किंग पोर्टल की परिकल्पना की। पोर्टल के विकास हेतु प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) जारी किया गया और विक्रेता को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया की गई। इसके अतिरिक्त, 6-7 फरवरी, 2026 को आयोजित परिषद् की 448वीं बैठक के दौरान पोर्टल के होमपेज का सॉफ्ट-लॉन्च किया गया।
- **आउटरीच, सक्षमता निर्माण और पणधारी संवेदीकरण :** वर्ष के दौरान, समिति ने सीए फर्मों के विकास, नेटवर्किंग, सहयोग और एकत्रीकरण से संबंधित उभरते अवसरों पर पणधारियों को शिक्षित और संवेदित करने के लिए अखिल भारतीय आधार पर संरचित आउटरीच पहलें और रणनीतिक परामर्शी परस्पर संवाद किए। “बिग इंडियन फर्म्स” पर

कार्यशालाओं, वेबिनारों, मेंटरशिप सत्रों और एकल परामर्शी परस्पर संवादों के माध्यम से, सीए फर्मों की क्षमताओं को सुदृढ़ करने, व्यावहारिक चुनौतियों का समाधान करने तथा वृत्ति को विकसित होते वैश्विक सर्वोत्तम व्यवहारों के साथ सुमेलित करने हेतु व्यावहारिक अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन प्रदान किए गए।

- **वेबिनार/संगोष्ठियां/कार्यशालाएं/कार्यक्रम :** समिति ने चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों के एकत्रीकरण और विकास के संवर्धन हेतु देश भर में 17 कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का आयोजन किया। इनमें सीए फर्मों के एकत्रीकरण, नेटवर्किंग और सक्षमता निर्माण, वृत्तिक फर्मों के विस्तार, स्वतंत्र निदेशकों के रूप में सीए के लिए अवसरों तथा “बिग इंडियन फर्म : द एग्रीगेशन ब्लूप्रिंट” पहल जैसे विषयों पर वेबिनार, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं, आउटरीच कार्यक्रम, परामर्शी परस्पर संवाद, एक आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और एक अर्ध-दिवसीय सम्मेलन सम्मिलित थे। इन कार्यक्रमों का संचालन मुंबई, जयपुर, सूरत, वडोदरा, प्रयागराज, ऋषिकेश, गुवाहाटी, हिसार, नई दिल्ली, फरीदाबाद और अन्य नगरों सहित विभिन्न स्थानों पर वर्चुअल और भौतिक, दोनों मोड में किया गया, जिससे पणधारी सहभागिता सुकर हुई और भारत में वृत्तिक प्रैक्टिस परिदृश्य के सुदृढीकरण और विस्तार पर परिचर्चाओं का पोषण हुआ।

#### 7.4 व्यवसायरत सदस्यों संबंधी समिति (एमपीसी)

व्यवसायरत सदस्यों संबंधी समिति (एमपीसी) (पूर्व नाम : व्यवसायरत सदस्यों के लिए समिति), जो आईसीएआई की एक गैर-स्थायी समिति है, की स्थापना लक्षित पहलों के एक समुच्चय के माध्यम से व्यवसायियों और फर्मों के प्रैक्टिस पोर्टफोलियो को पुनर्जीवित करने के प्राथमिक उद्देश्य से की गई थी। वैश्विक रूप से सक्षम वृत्तिकों को विकसित करने के आईसीएआई के व्यापक मिशन के साथ सुमेलित होकर, सीएमपी व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंटों के सक्षमता निर्माण के उद्देश्य से बहुआयामी पहलें करती है तथा सदस्यों के प्रैक्टिस पोर्टफोलियो को सुदृढ़ करने और उनकी दृश्यता में अभिवृद्धि करने के लिए नियमित रूप से पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों, संगोष्ठियों, प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों, विचार-मंथन सत्रों और परस्पर संवादात्मक मंचों का आयोजन करती है।

##### (I) अभिज्ञात प्रमुख क्षेत्रों में सक्षमता निर्माण उपाय

वर्ष 2025-26 की अनुमोदित कार्य योजना के भाग के रूप में, समिति ने व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंटों हेतु वृत्तिक विकास के नए मार्ग विकसित करने के लिए पांच उभरते प्रमुख क्षेत्रों – जीएसटी मुकदमेबाजी, रियल एस्टेट परामर्श, सीमा-शुल्क और विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), एमएसएमई परामर्श तथा अकाउंटिंग आउटसोर्सिंग – की पहचान की और प्रत्येक क्षेत्र के अधीन संरचित कार्यशाला प्रारूपों की संकल्पना की। इन प्रारूपों को आईसीएआई की शाखाओं में भी लोकप्रिय बनाया गया, जिससे उन्हें व्यवसायरत सदस्यों के फायदे के लिए कार्यशालाओं का संचालन करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके। इन प्रारूपों के अधीन संचालित कार्यशालाओं में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

- **जीएसटी विवाद तंत्र (रणनीतियां और पक्ष-समर्थन) पर 6-दिवसीय कार्यशाला :** जीएसटी और अप्रत्यक्ष कर समिति के साथ संयुक्त रूप से संचालित यह गैर-आवासीय कार्यशाला करदाताओं को परामर्श देने, विभागीय सूचनाओं के उत्तरों का प्रारूपण करने तथा न्यायनिर्णयन और अपीली कार्यवाहियों में ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करने में लगे चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए एक केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो तकनीकी सत्रों, केस स्टडी, प्रारूपण अभ्यासों और मॉक अधिकरण सुनवाईयों के माध्यम से हैंड्स-ऑन अधिगम प्रदान करती है। ऐसी छह कार्यशालाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।
- **“वैश्विक आउटसोर्सिंग हेतु संप्रेषण कारोबार कौशल” पर दो-दिवसीय कार्यशाला :** एक भविष्योन्मुखी कार्यक्रम, जो चार्टर्ड अकाउंटेंटों को वैश्विक आउटसोर्सिंग, साझा सेवाओं और वर्चुअल कार्य परिवेशों में उत्कृष्टता हेतु अपेक्षित संप्रेषण और अंतर्व्यक्तिक कौशलों से सज्जित करता है तथा व्यावहारिक अधिगम, केस स्टडी, वास्तविक जीवन सिमुलेशन और एआई-चालित अनुप्रयोगों को एकीकृत करता है। 1-2 नवंबर, 2025 को डब्ल्यूआईआरसी की अहमदाबाद शाखा में एक भौतिक बैच का संचालन किया गया।

- **वेबिनार श्रृंखला – “ब्रिजिंग द माइंडसेट गैप”** : एक विचार-प्रेरित वेबिनार पहल, जो तकनीकी दक्षता से आगे बढ़कर वृत्तिक सफलता की आंतरिक नींव – अभिवृत्ति, नैतिकता और मूल्यों – को सुदृढ़ करती है तथा विकासोन्मुख मानसिकता, नैतिक नेतृत्व और मूल्य-चालित विनिश्चय का पोषण करती है। समिति ने ऐसे 27 वेबिनारों (सोमवार, अपराह्न 4:00-6:00 बजे) का सफलतापूर्वक आयोजन किया।
- **रियल एस्टेट परामर्श और प्रैक्टिस सेटअप पर छह-दिवसीय कार्यशाला** : वाणिज्यिक विधि, आर्थिक सलाहकार और एनपीओ सहकारिता संबंधी समिति के साथ संयुक्त रूप से विकसित यह कार्यशाला परामर्श अवसरों के विकास-पूर्व, विकास और विकास-पश्च चरणों को सम्मिलित करती है तथा रेरा अनुपालन, कराधान (जीएसटी और आय-कर), सम्यक् तत्परता, परियोजना वित्तपोषण, रियल एस्टेट इकाइयों के लेखांकन और लेखापरीक्षा, संयुक्त विकास करारों, विधिक दस्तावेजीकरण, मूल्यांकन पद्धतियों तथा इंड एस 115 के अधीन राजस्व मान्यता की एक एकीकृत समझ प्रदान करती है। ऐसी दो कार्यशालाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।
- **“सीमा-शुल्क और विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) में प्रैक्टिस अवसर” पर दो-दिवसीय कार्यशाला** : भारत की आयात-निर्यात पारिस्थितिकी प्रणाली को शासित करने वाले सीमा-शुल्क और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ढांचे की एक व्यापक और व्यावहारिक समझ प्रदान करती है, जिसमें सीमा-शुल्क अधिनियम और एफटीपी के अधीन विधिक प्रावधान, प्रक्रियाएं, मूल्यांकन तंत्र और फायदा संरचनाएं सम्मिलित हैं, जिससे सदस्य संकल्पनात्मक ज्ञान को रणनीतिक परामर्श सामर्थ्य में रूपांतरित करने में समर्थ होते हैं।
- **“एमएसएमई में प्रैक्टिस अवसर” पर चार-दिवसीय कार्यशाला** : एमएसएमई को शासित करने वाली विधिक, वित्तीय और अनुपालन पारिस्थितिकी प्रणाली पर एक व्यापक अधिगम पहल, जो परामर्श, कंसल्टेंसी और वित्तपोषण कृत्यों में वृत्तिक क्षमता का निर्माण करती है, साथ ही सदस्यों को एमएसएमई विकास हेतु सरकारी स्कीमों, प्रोत्साहनों और नीतिगत ढांचों से परिचित कराती है।
- **“सीए की टूलकिट : अपीलों और प्रतिनिधित्व हेतु व्यावहारिक गाइड” पर दो-दिवसीय कार्यशाला** : सदस्यों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर विधियों और सहबद्ध विधानों में कर और विधिक कार्यवाहियों के प्रारूपण, प्रतिनिधित्व और प्रबंध के व्यावहारिक कौशलों से सज्जित करती है – जिनमें तलाशी/अभिग्रहण प्रक्रियाएं, काला धन, बेनामी और पीएमएलए अधिनियमों के अधीन अनुपालन तथा अपीली मंचों और अधिकरणों के समक्ष प्रतिनिधित्व सम्मिलित हैं। 20-21 दिसंबर, 2025 को एसआईआरसी की हैदराबाद शाखा में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

## (II) अन्य सक्षमता निर्माण पहलें

- **प्रैक्टिस की पाठशाला – प्रमुख पहल** : प्रैक्टिस प्रबंध, प्रौद्योगिकी एकीकरण तथा नेटवर्किंग और विकास में वृत्तिक सक्षमताओं में अभिवृद्धि हेतु अभिकल्पित इस प्रमुख कार्यक्रम को पूर्ववर्ती 3-दिवसीय आवासीय प्रारूप से विशेष रूप से व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंटों हेतु एक अधिक नमनीय 4-दिवसीय आवासीय/गैर-आवासीय पुनश्चर्या प्रारूप में नया रूप दिया गया, जिसमें प्रैक्टिस प्रबंध, प्रौद्योगिकी अंगीकरण (एआई और स्वचालन प्रशिक्षण सहित), व्यक्तिगत विकास और नेतृत्व कौशलों का सम्मिश्रण है। कार्यक्रम के नौ बैचों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।
- **“ग्रो योर प्रैक्टिस” वेबिनार श्रृंखला** : चार्टर्ड अकाउंटेंटों को अपनी प्रैक्टिस का विस्तार करने हेतु नवीनतम साधनों, रणनीतियों और अंतर्दृष्टि से सज्जित करने वाली एक श्रृंखला, जिसमें कारोबार विकास, डिजिटल रूपांतरण, ग्राहक प्रबंध और उभरते अवसर सम्मिलित हैं; सात वेबिनारों का सफलतापूर्वक संचालन किया गया।
- **नए सीए हेतु करियर तत्परता कार्यक्रम** : उद्योग और कारोबार में सदस्यों के लिए समिति के साथ संयुक्त रूप से आयोजित यह 6-दिवसीय वर्चुअल कार्यक्रम (18 घंटे) नव-अर्हित चार्टर्ड अकाउंटेंटों को सुविज्ञ करियर विनिश्चय हेतु सशक्त बनाता है, जिसमें उद्योग और स्वतंत्र प्रैक्टिस में एक केंद्रित गहन-अवलोकन सम्मिलित है। 24 से 27 दिसंबर, 2025 तक एक ऑनलाइन बैच का आयोजन किया गया।
- **पाथवे टू प्रैक्टिस – सीओपी आवेदकों हेतु 7-दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम** : समिति ने पहली बार व्यवसाय प्रमाणपत्र के आवेदकों हेतु अनुकूलित इस व्यापक आवासीय कार्यक्रम की संरचना को नया रूप दिया, जिसमें प्रैक्टिस

प्रबंध, विनियामक अनुपालन, ग्राहक नियोजन, प्रौद्योगिकी अंगीकरण और नैतिक मानकों को सम्मिलित किया गया है और जिसका संचालन जयपुर और हैदराबाद स्थित आईसीएआई के उत्कृष्टता केंद्रों में किया गया।

- **“रीइमेजनिंग द सीए प्रोफेशन : वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में उभरते प्रैक्टिस अवसर”** पर एक-दिवसीय कार्यशाला : सदस्यों को, विशेष रूप से एसएमपी को, उभरते उच्च-विकास क्षेत्रों – जिनमें जीसीसी, गिफ्ट सिटी, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और सीमा-पार परामर्श सम्मिलित हैं – के प्रति संवेदित करने तथा अनुपालन-उन्मुख प्रैक्टिस से मूल्य-चालित परामर्श सेवाओं की ओर मानसिकता परिवर्तन को सुकर बनाने हेतु संकल्पित। ऐसी दो कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
- **“ग्रो योर प्रैक्टिस 2026” पर दो-दिवसीय कार्यशाला :** एसएमपी को नवप्रवर्तन, नैतिकता, डिजिटल रूपांतरण और एआई-समर्थ कार्य-प्रवाहों में स्थापित, भविष्य के लिए तैयार, उच्च-मूल्य परामर्शी और उद्यमशील प्रैक्टिस में विकसित होने हेतु सशक्त बनाने वाली एक वैचारिक नेतृत्व पहल। ऐसी तीन कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

### (III) प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

समिति ने अपने दो प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों को नया रूप दिया :

(क) अपीलों की तैयारी, विलेखों और दस्तावेजों के प्रारूपण तथा अपीली प्राधिकारियों और सांविधिक निकायों के समक्ष प्रतिनिधित्व संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (“विधिक प्रारूपण और प्राधिकारियों के समक्ष प्रतिनिधित्व संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम” के रूप में नया रूप दिया गया, 30 सीपीई घंटे), जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंटों को विधिक दस्तावेजों के प्रारूपण, अपीलों के संचालन तथा सांविधिक प्राधिकारियों और अपीली अधिकरणों के समक्ष ग्राहकों के प्रतिनिधित्व के उन्नत व्यावहारिक कौशलों से सज्जित करने हेतु अभिकल्पित किया गया है; तथा

(ख) धन प्रबंध और वित्तीय योजना संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (30 सीपीई घंटे), जिसमें वित्तीय योजना, व्यवहारगत वित्त, इक्विटी और बॉन्ड निवेश रणनीतियां, पोर्टफोलियो प्रबंध, धन प्रबंध में एआई अनुप्रयोग और वैकल्पिक निवेश मार्ग सम्मिलित हैं, जो सिमुलेशनों और व्यावहारिक अभ्यासों द्वारा समर्थित है। धन प्रबंध और वित्तीय योजना संबंधी नए रूप वाले प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के दो ऑनलाइन बैचों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

### (IV) सदस्य फायदा व्यवस्थाएं

वर्ष 2025-26 के दौरान, समिति ने सदस्यों को अनन्य फायदे प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ विभिन्न व्यवस्थाएं कीं, जिनमें अपोलो डायग्नोस्टिक सर्विसेज (स्वास्थ्य जांच पैकेजों पर छूट); एक्यूरेको (जीएसटी आईटीसी समाधान साधन); ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड द्वारा सिबिल; ग्लोबल एश्योर (सड़क किनारे सहायता); मेदांता अस्पताल (विद्यमान गठबंधन का नवीकरण); एचडीएफसी बैंक (सावधि ऋण और ड्रॉपलाइन ओवरड्राफ्ट सुविधाएं); एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक (चार्टर्ड अकाउंटेंटों हेतु व्यक्तिगत ऋण); गवईवा (डिजिटल ईएसजी सास प्लेटफॉर्म); तथा सीएलएऑनलाइन सम्मिलित हैं।

### (V) समिति की नए रूप वाली वेबसाइट

अपनी रणनीतिक कार्य योजना के भाग के रूप में, समिति ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट को नया रूप देने की एक व्यापक पहल की और उसे नए डोमेन <https://cmp.icaai.org/> के अधीन सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिससे यह एक गतिशील, सदस्य-केंद्रित डिजिटल मंच के रूप में स्थापित हुई। नए रूप वाली वेबसाइट एक केंद्रीयकृत ज्ञान और सहभागिता केंद्र के रूप में कार्य करती है, जिसमें सक्षमता-निर्माण पहलों, सदस्य-फायदा व्यवस्थाओं, अधिगम संसाधनों और व्यवसायी-उन्मुख साधनों तथा कार्यक्रमों पर समर्पित खंड हैं। यह कार्यशालाओं, वेबिनारों, प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों और अन्य कार्यक्रमों पर विस्तृत जानकारी के साथ-साथ

प्रकाशनों, पृष्ठभूमि सामग्रियों और कार्यक्रम-पत्र सामग्री (रिकॉर्ड किए गए सत्रों सहित) तक पहुंच प्रदान करती है तथा नियमित अद्यतनों और घोषणाओं के माध्यम से एक प्रभावी संप्रेषण और आउटरीच माध्यम के रूप में कार्य करती है।

#### (VI) प्रकाशन

- गिफ्ट आईएफएससी : चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए नए अवसर।
- हाउ टू गो योर प्रैक्टिस।
- रियल एस्टेट कंसल्टेंसी की प्रैक्टिस स्थापित करने संबंधी गाइड : अनुपालन, परामर्श और विकसित होती सीमाएं।

### 7.5 एमएसएमई और स्टार्ट-अप समिति

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा स्टार्ट-अप भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और विकसित भारत के पथ पर रोजगार, नवप्रवर्तन और समावेशी विकास के प्रमुख प्रेरक हैं। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) ने अपनी पहलों को राष्ट्र की प्राथमिकताओं के साथ सुसंगत रूप से सुमेलित किया है और छोटे कारोबारों और नए युग के उद्यमों के लिए एक समर्पित समर्थक के रूप में कार्य करने हेतु एक समर्पित एमएसएमई और स्टार्टअप समिति का गठन किया है। एमएसएमई और स्टार्टअप समिति एमएसएमई और स्टार्ट-अपों के सशक्तीकरण पर केंद्रित है तथा ज्ञान प्रसार, सक्षमता निर्माण, नीतिगत पक्ष-समर्थन और वृत्तिक मार्गदर्शन के माध्यम से एमएसएमई और स्टार्टअपों का समर्थन करके भारत की उद्यमशीलता पारिस्थितिकी प्रणाली के सुदृढीकरण के प्रति प्रतिबद्ध बनी हुई है। वर्ष 2025-26 में, समिति ने उत्कृष्टता के संवर्धन, नवप्रवर्तन के पोषण तथा भारत की एमएसएमई और स्टार्टअप पारिस्थितिकी प्रणाली के संवहनीय विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता में सार्थक योगदान हेतु प्रकाशनों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, वेबिनारों, आउटरीच कार्यक्रमों और पणधारी सहभागिता जैसी विस्तृत पहलें की हैं।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समिति के प्रमुख क्रियाकलाप और उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :

#### (I) प्रमुख कार्यक्रम

- **आईसीएआई एमएसएमई महोत्सव 2025** : 27 जून, 2025 को देश भर में 140+ आईसीएआई शाखाओं में संचालित, जिसमें 400+ परामर्श हेल्पडेस्क के माध्यम से लगभग 20,000 एमएसएमई का समर्थन किया गया तथा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की सहभागिता रही। इस पहल को “एक दिन में अधिकतम एमएसएमई मेंटरशिप अभिनंदन” हेतु वर्ल्ड, एशिया और इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स से मान्यता प्राप्त हुई।
- **आईसीएआई एमएसएमई और स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025** : अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर 26-27 जून, 2025 को मुंबई में आयोजित, जिसमें 3,000+ प्रतिनिधि, 19+ सत्र, 60+ वक्ता और 38+ प्रदर्शक सम्मिलित हुए। 65 स्टार्ट-अप पिचों की गईं, जिनमें से 3 स्टार्ट-अपों ने वित्तपोषण प्राप्त किया। इस कार्यक्रम को एमएसएमई मंत्रालय, एनएसआईसी और सीएआईटी का समर्थन प्राप्त था तथा आईसीएआई एमएसएमई हेल्पडेस्क ने मौके पर ही मेंटरिंग प्रदान की।
- **आईसीएआई एमएसएमई कनेक्ट – पणधारी रणनीतिक बैठक 2025** : 24 अक्टूबर, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित, जिसमें 80+ प्रतिभागी तथा 60+ मंत्रालयों, विनियामकों, वित्तीय संस्थाओं और इनक्यूबेटरों का प्रतिनिधित्व रहा, जो एमएसएमई और स्टार्ट-अप चुनौतियों, डिजिटल रूपांतरण और नवप्रवर्तन पर केंद्रित थी तथा एमएसएमई पारिस्थितिकी प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु रणनीतिक सहयोगों और समझौता ज्ञापनों की संभावनाओं की खोज की गई।

**(II) राष्ट्र निर्माण में भागीदार की दिशा में पहलें**

- **एमएसएमई मंत्रालय के साथ सहयोग :** समिति ने राष्ट्रव्यापी एमएसएमई क्षमताओं के सुदृढीकरण हेतु एमएसएमई मंत्रालय के साथ सहयोग किया, जिसमें विकास सुविधा कार्यालयों के साथ उद्यमशीलता और कौशल विकास कार्यक्रमों (ईएपी, ई-एसडीपी, एमडीपी) के संचालन में समर्थन, आईसीएआई की 185 शाखाओं, 5 क्षेत्रीय परिषदों और 50+ विदेशी चैप्टरों के नेटवर्क का लाभ उठाना, तथा कोलकाता, मंडला, जबलपुर और सोलन में राष्ट्रीय संगोष्ठियों, वित्तीय प्रबंध सत्रों और जागरूकता अभियानों का संचालन सम्मिलित है।
- **स्पार्क – द 100के कलेक्टिव प्रोग्राम :** एक नियोजन पत्र के माध्यम से वीमेन्स कलेक्टिव फोरम के साथ एक औपचारिक संबद्धता की गई, जिसमें आईसीएआई श्रीमती स्मृति ईरानी जी के नेतृत्व वाले स्पार्क – द 100के कलेक्टिव प्रोग्राम का ज्ञान भागीदार है। प्रायोगिक कार्यक्रम 24 सितंबर, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें आय-कर और जीएसटी पर एक आईसीएआई विशेषज्ञ सत्र सम्मिलित था और 350 से अधिक महिला उद्यमियों की सहभागिता रही, जिससे महिला-नेतृत्व वाले एमएसएमई और स्टार्ट-अपों को समर्थन सुदृढ हुआ।
- **विजन राजस्थान 2026 :** समिति ने 19 से 21 जनवरी, 2026 तक सिरोंही, राजस्थान (नीति आयोग द्वारा अभिज्ञात एक आकांक्षी जिला) में आयोजित “विजन राजस्थान 2026” मेगा प्रदर्शनी में भाग लिया तथा निगम शासन, एमसीए21, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एमएसएमई औपचारिकीकरण, उद्यमशीलता और अनुपालन पर जागरूकता के सृजन हेतु एक प्रदर्शनी स्टॉल स्थापित किया, जिससे कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की आउटरीच पहलों का समर्थन हुआ।
- **नेटवर्किंग मीट :** “एमएसएमई हेतु प्रोक्योर-टू-पे प्रक्रिया का डिजीटलीकरण : चार्टर्ड अकाउंटेंटों की भूमिका” पर एक नेटवर्किंग मीट का आयोजन 17 जनवरी, 2026 को आईसीएआई टावर, बीकेसी, मुंबई में किया गया, जिसमें एनपीसीआई भारत बिलपे लिमिटेड और टैली के उद्योग विशेषज्ञ सम्मिलित हुए, जिन्होंने प्रोक्योर-टू-पे पारिस्थितिकी प्रणाली के डिजीटलीकरण की व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान की तथा डिजिटल अंगीकरण, विनियामक अनुपालन और आंतरिक नियंत्रणों पर एमएसएमई को परामर्श देने में चार्टर्ड अकाउंटेंटों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।

**(III) समझौता ज्ञापन**

समिति ने प्रमुख संस्थाओं, राज्य सरकारों और इनक्यूबेशन केंद्रों के साथ समझौता ज्ञापन किए, जिनमें एनपीसीआई भारत बिलपे लिमिटेड; फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, आईआईटी दिल्ली; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश; तमिलनाडु स्टार्टअप एंड इनोवेशन मिशन (स्टार्टअप टीएन); राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी); बीआईएल-रायरसन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इनक्यूबेटर फाउंडेशन; गुजरात स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन हब (आई-हब); आईआईएम लखनऊ एंटरप्राइज इनक्यूबेशन सेंटर; एआईसी महामना फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, आईएम बीएचयू, वाराणसी; एआईसी नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फाउंडेशन, भुवनेश्वर; आईआईएम संबलपुर; सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई); स्टार्टअप ओडिशा; ओडिशा सरकार; तथा एमईआईटीवाई स्टार्टअप हब सम्मिलित हैं।

**(IV) नेक्स्टलीप कार्यक्रम**

आईसीएआई सिंगापुर चैप्टर और बियॉन्ड सीड द्वारा होस्ट किए गए इस प्रमुख 8-सप्ताह के स्टार्ट-अप एक्सेलेरेटर कार्यक्रम ने भारत-सिंगापुर राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष मनाए। इसमें 44 स्टार्ट-अपों ने भाग लिया, जिनमें भारत के 38 स्टार्ट-अप सम्मिलित थे, तथा शीर्ष 3 स्टार्ट-अप एरोनेरो सॉल्यूशंस, ईएमएसएमई और सीमलेस एक्सआर (2 भारत से) रहे। सिंगापुर में एक भौतिक डेमो डे आयोजित किया गया, जिसने चयनित स्टार्ट-अपों को वैश्विक निवेशकों के समक्ष पिच करने का अवसर प्रदान किया, जिससे सीमा-पार मेंटरशिप, निवेशकों तक पहुंच और वैश्विक बाजार तत्परता समर्थ हुई।

**(V) आईसीएआई एमएसएमई क्लीनिक – राष्ट्रव्यापी शुभारंभ**

24 अक्तूबर, 2025 को घोषित तथा 10 दिसंबर, 2025 को एमएसएमई मंत्रालय, जीईएम, एनएसआईसी, सिडबी, यूपी एमएसएमई और आईसीएआई शाखाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों की उपस्थिति में राष्ट्रव्यापी रूप से शुभारंभ किया गया। आईसीएआई एमएसएमई क्लीनिक भारत भर के एमएसएमई को निःशुल्क साप्ताहिक परामर्श समर्थन प्रदान करता है। आईसीएआई की शाखाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों में होस्ट किया गया यह क्लीनिक वित्तीय साक्षरता, अनुपालन, प्रौद्योगिकी अंगीकरण और कारोबार प्रत्यास्थता पर विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिसमें सभी आईसीएआई शाखाओं में प्रत्येक शुक्रवार को 2 घंटे के लिए बॉक-इन परामर्श उपलब्ध है तथा वित्त, लेखांकन, प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, प्रचालन और विपणन पर केंद्रित व्यापक समर्थन उपलब्ध है।

**(VI) सक्षमता निर्माण, संगोष्ठियां और आउटरीच**

- **प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम :** एमएसएमई संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 19 बैचों में 1,900 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया तथा स्टार्टअप संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 8 बैचों में लगभग 900 प्रतिभागी सम्मिलित हुए। साप्ताहिक “पाठशाला श्रृंखला” ज्ञान पहल ने, पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों और प्रकाशनों के साथ, सदस्य क्षमता को और अधिक सुदृढ़ किया। आईसीएआई स्टार्ट-अप पोर्टल ([startup.icai.org](http://startup.icai.org)) और आईसीएआई एमएसएमई पोर्टल ([msme.icai.org](http://msme.icai.org)) स्टार्ट-अपों, एमएसएमई, चार्टर्ड अकाउंटेंटों, मेंटरों, निवेशकों और इनक्यूबेशन केंद्रों के बीच सहयोग को निरंतर सुकर बना रहे हैं।
- **आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम :** “स्टार्टअप्स और निवेश उत्प्रेरकों के रूप में सीए की भूमिका” पर आरआरसी के चौथे और पांचवें बैचों का संचालन आई-हब, अहमदाबाद में (जुलाई-सितंबर 2025) डब्ल्यूआईआरसी की अहमदाबाद शाखा के आतिथ्य में किया गया; 10-11 जनवरी, 2026 को मड़ई, मध्य प्रदेश में एक दो-दिवसीय आरआरसी का आयोजन किया गया, जिसमें स्टार्ट-अपों हेतु कर योजना, स्टार्टअप इंडिया स्कीम तथा एमएसएमई हेतु प्रतिभूत/अप्रतिभूत उधार को सम्मिलित किया गया; तथा किशनगढ़ शाखा द्वारा 23-24 अप्रैल, 2025 को उदयपुर में एक दो-दिवसीय आरआरसी (12 सीपीई घंटे) का आयोजन किया गया।
- **शाखाओं में संगोष्ठियां और कार्यशालाएं :** समिति ने वर्ष के दौरान देश भर की शाखाओं द्वारा आयोजित लगभग 19 संगोष्ठियों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं का आयोजन/समर्थन किया – जिनमें 2 अगस्त, 2025 को अहमदाबाद में “आइडिया से कार्यान्वयन तक” विषय पर स्टार्टअप और एमएसएमई सम्मेलन सम्मिलित है, जिसमें गुजरात सरकार के माननीय राज्य मंत्री श्री जगदीश विश्वकर्मा की गरिमायुगी उपस्थिति रही तथा सीए. सुनील तलाटी विशिष्ट अतिथि रहे; वाराणसी, पटना (273 सदस्य), जयपुर (496 प्रतिभागी), कोटा, भिलाई, फरीदाबाद, रायपुर, जालंधर, कोयंबटूर, बिलासपुर, रायगढ़, देहरादून तथा जम्मू और कश्मीर में पूर्ण-दिवसीय और अर्ध-दिवसीय संगोष्ठियां – जिनमें एमएसएमई स्कीमों और सब्सिडियों, धारा 43ख(ज), जीएसटीआर-9 और 9सी, एसएमई आईपीओ, प्रत्यक्ष कराधान, उत्तराधिकार योजना, साइबर सुरक्षा, नए आय कर विधेयक और एमएसएमई के डिजिटल समर्थन को सम्मिलित किया गया।
- **राष्ट्रीय आउटरीच :** आईसीएआई एमएसएमई और स्टार्टअप स्टॉलों/पवेलियनों ने स्टार्टअप महाकुंभ 2025, नई दिल्ली (500+ स्टार्ट-अप); ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025, भोपाल (10,000+ वैश्विक निवेशकों के समक्ष प्रदर्शन); उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता अर्जित); आईआईसीए नॉर्थईस्ट कॉन्क्लेव

2025, शिलांग; ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025, मुंबई (7-9 अक्तूबर, 2025, “भारत कनेक्ट फॉर बिजनेस” पर एक मुख्य भाषण सहित); तथा तमिलनाडु ग्लोबल स्टार्टअप समिट 2025, कोयंबटूर (9-10 अक्तूबर, 2025) में भारत सरकार पवेलियन के अधीन पणधारियों के साथ सहभागिता की।

एमएसएमई और स्टार्टअप समिति मूल्यवान अवसरों का सृजन करके, सहयोगों का पोषण करके तथा पणधारियों को संवहनीय विकास और रूपांतरण हेतु आवश्यक ज्ञान और संसाधनों से सशक्त बनाकर एमएसएमई और स्टार्ट-अपों के समर्थन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निरंतर निभा रही है तथा नीतिगत पक्ष-समर्थन, सक्षमता निर्माण और भारत भर में एमएसएमई पारिस्थितिकी प्रणाली के सुदृढीकरण के प्रति प्रतिबद्ध बनी हुई है।

### (VII) प्रकाशन और ज्ञान संसाधन

- राज्य-विनिर्दिष्ट एमएसएमई नीतियों पर प्रकाशन।
- एमएसएमई, स्टार्टअप, ओपीसी और अन्य हेतु संसाधन हैंडबुक।
- आईसीआईआई एमएसएमई क्लिनिक हेतु संसाधन हैंडबुक।
- समाचारपत्रिकाएं और ज्ञान शृंखला।

### 7.6 कार्य-जीवन संतुलन संवर्धन समिति (सीपीडब्ल्यूएलबी)

कार्य-जीवन संतुलन संवर्धन समिति (अब हितग्राही स्कीम निदेशालय में विलीन) ने वर्ष 2025-26 में चार्टर्ड अकाउंटेंट बिरादरी के भीतर कल्याण, प्रत्यास्थता और संवहनीय वृत्तिक व्यवहारों के एकीकरण के उद्देश्य से केंद्रित और प्रभावशाली पहलों की एक शृंखला की। इस विश्वास से मार्गदर्शित होकर कि एक स्वस्थ वृत्तिक ही एक उत्पादक वृत्तिक है, समिति ने कल्याण को कभी-कभार के विचार के बजाय वृत्तिक जीवन के एक नियमित और अपरिहार्य भाग के रूप में सन्निविष्ट करने की दिशा में कार्य किया।

### समिति द्वारा की गई विभिन्न पहलें

#### (I) वर्ष भर चलने वाली कल्याण पहलें और गतिविधियां

विश्व हास्य दिवस, विश्व साइकिल दिवस, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 और विश्व ध्यान दिवस 2025 जैसे वैश्विक कल्याण दिवसों के आयोजन के माध्यम से, समिति ने रेखांकित किया कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण दीर्घकालिक वृत्तिक उत्कृष्टता के आवश्यक स्तंभ हैं। इन आयोजनों को इस प्रकार अभिकल्पित किया गया था कि सदस्यों और छात्रों में व्यस्त वृत्तिक कार्यक्रमों के बीच रुकने, पुनः ऊर्जावान होने और स्वयं से पुनः जुड़ने के महत्व पर चिंतन जागृत हो। उल्लेखनीय है कि समिति के प्रयासों को मान्यता मिली और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर अधिकतम शाखाओं में योग सत्र आयोजित करने के लिए आईसीआईआई का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, 2025 में दर्ज किया गया। यह मान्यता सदस्यों और छात्रों की व्यापक सहभागिता तथा राष्ट्रव्यापी स्तर पर सीए बिरादरी को गतिशील करने में समिति की सफलता का प्रमाण है।

#### (II) फिट सीए मूवमेंट

माननीय प्रधानमंत्री के फिट इंडिया मूवमेंट के साथ सुमेलित होकर, समिति ने 'फिट सीए मूवमेंट' पहल का शुभारंभ किया, जिसमें एक बटन के क्लिक पर सुलभ दैनिक वर्चुअल योग और जुम्बा सत्र प्रदान किए गए। अभिकल्पना में सरल किंतु अपनी पहुंच में प्रभावशाली इस पहल का उद्देश्य चार्टर्ड अकाउंटेंटों को व्यस्त वृत्तिक प्रतिबद्धताओं के बावजूद फिटनेस को अपनी दैनिक दिनचर्या में एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करना था। स्वास्थ्य और कल्याण की संस्कृति का संवर्धन करके, इस पहल ने विकसित भारत की व्यापक परिकल्पना में योगदान किया।



### (III) साप्ताहिक वेबिनार शृंखला

डिजिटल-प्रथम दृष्टिकोण अपनाकर, समिति ने क्षेत्र विशेषज्ञों के नेतृत्व में साप्ताहिक आधार पर प्रभावशाली वर्चुअल वेबिनारों का आयोजन किया, जिससे भौगोलिक स्थान की परवाह किए बिना राष्ट्रव्यापी सहभागिता और अभिगम्यता समर्थ हुई। इन वेबिनारों में कार्य-जीवन संतुलन के विविध आयामों को सम्मिलित किया गया, जिनका उद्देश्य चार्टर्ड अकाउंटेंटों को अपने करियर में उत्कृष्टता जारी रखते हुए संवहनीय जीवनशैली की आदतों को अपनाने, तनाव का प्रभावी प्रबंध करने, स्वस्थ वृत्तिक सीमाएं निर्धारित करने और प्रत्यास्थता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना था।

### (IV) द आर्ट ऑफ लिविंग के साथ समझौता ज्ञापन

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) ने, अपनी कार्य-जीवन संतुलन संवर्धन समिति के माध्यम से, 10 फरवरी, 2026 को द आर्ट ऑफ लिविंग के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया। इस भागीदारी का उद्देश्य सदस्यों और छात्रों के जीवन कौशलों, भावनात्मक प्रत्यास्थता, नैतिक मूल्यों और समग्र कल्याण में अभिवृद्धि करके उनके सर्वांगीण विकास का संवर्धन करना है, जिससे वृत्ति की निरंतर प्रगति में योगदान हो। यह समझौता ज्ञापन ऐसे वृत्तिकों के पोषण के प्रति आईसीएआई की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जो न केवल तकनीकी रूप से दक्ष हों, अपितु सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व और सामाजिक दायित्व की सुदृढ़ भावना से भी मार्गदर्शित हों। इस भागीदारी के माध्यम से, आईसीएआई समग्र कल्याण, तनाव प्रबंध और आंतरिक विकास पर केंद्रित पहलों को प्रोत्साहित करना चाहता है, साथ ही लेखांकन वृत्ति और राष्ट्र निर्माण हेतु आवश्यक नैतिक नींव को और अधिक सुदृढ़ करना चाहता है।

इन सामूहिक प्रयासों के माध्यम से, समिति ने सीए विरादरी को वृत्तिक उत्कृष्टता के साथ-साथ कल्याण, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत रुचियों को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया तथा कार्य-जीवन संतुलन को प्रत्यास्थ और भविष्य के लिए तैयार वृत्तिकों की आधारशिला के रूप में स्थापित किया।

### 7.7 वैश्विक व्यापार और सेवा समिति (जीटीएससी)

आईसीएआई की वैश्विक व्यापार और सेवा समिति (पूर्ववर्ती अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सेवा और डब्ल्यूटीओ विकास निदेशालय) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन करके, वृत्तिक अवसरों में अभिवृद्धि करके तथा विकसित होती वैश्विक अर्थव्यवस्था में लेखांकन और वित्त को प्रमुख निर्यात सेवाओं के रूप में स्थापित करके वैश्विक सेवा व्यापार में भारत की उपस्थिति के सुदृढीकरण के प्रति प्रतिबद्ध है। समिति व्यापार एकीकरण, नीतिगत सहभागिता और वैश्विक वृत्तिक गतिशीलता को सुकर बनाने के लिए सरकारी निकायों, उद्योग हितधारकों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ निकटता से कार्य करती है। परिषद् वर्ष 2026-27 हेतु समिति की कार्य योजना पांच प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है : व्यापार और बाजार एकीकरण; वैश्विक सेवाएं और वृत्तिक गतिशीलता; नीति और सरकारी मामले; जीसीसी और उभरती वैश्विक पारिस्थितिकी प्रणालियां; तथा सक्षमता निर्माण।

### (I) राष्ट्र निर्माण में भागीदार की दिशा में पहलें

- न्यूजीलैंड को सर्वाधिक अनुगृहीत राष्ट्र (एमएफएन) व्यवहार का विस्तार : परिषद् ने, 10-11 दिसंबर, 2025 को आयोजित अपनी 447वीं बैठक में, चल रही भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार करार (एफटीए) वार्ताओं के अधीन, जहां तक वृत्तिक लेखांकन सेवाओं का संबंध है, न्यूजीलैंड को एमएफएन व्यवहार के विस्तार के संबंध में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से प्राप्त अनुरोध पर विचार किया।

- **विदेश मंत्रालय के तत्वावधान में आईटीईसी प्रशिक्षण कार्यक्रम :** “फ्रंटियर्स ऑफ ग्लोबल अकाउंटिंग : मास्टरिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन” विषय पर दूसरा आईटीईसी प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 से 26 सितंबर, 2025 तक आयोजित किया गया, जिसमें भूटान, बोत्सवाना, फिजी, घाना, इस्वातिनी राज्य, लाओस, लाइबेरिया, माली, मॉरीशस, नेपाल, रवांडा, सिएरा लियोन, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, दक्षिण सूडान, तंजानिया और उज्बेकिस्तान सहित 17 देशों के 29 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। वैश्विक सहभागिता को और अधिक सुदृढ़ करते हुए, “एंगेजिंग पब्लिक अकाउंटेंट्स इन द 21स्ट सेंचुरी” विषय पर तीसरा आईटीईसी प्रशिक्षण कार्यक्रम 12 से 23 जनवरी, 2026 तक आयोजित किया गया, जिसमें 11 देशों के 18 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ये पहले ज्ञान विनिमय के पोषण, सक्षमता निर्माण के सुदृढ़ीकरण तथा लेखांकन और लेखापरीक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संवर्धन के प्रति आईसीएआई की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती हैं।
- **वृत्तिक सेवाओं पर चिंतन शिविर 2025 :** आईसीएआई ने, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा सेवा निर्यात संवर्धन परिषद् (एसईपीसी) के सहयोग से, 23 दिसंबर, 2025 को “एक्सपेंडिंग ग्लोबल होराइजन्स: भारतीय वृत्तिकों के लिए अवसर” शीर्षक से वृत्तिक सेवाओं पर एक चिंतन शिविर का आयोजन किया, जिसमें उद्योग, वृत्तिक विरादरी और मंत्रालयों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों की सहभागिता रही। चार केंद्रित सत्रों में वृत्तिकों को वैश्विक रूप से तैयार बनाना; एमआरए और एमओयू के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता का सुदृढ़ीकरण; विदेशों में वृत्तिक चैप्टरों के माध्यम से वैश्विक नेटवर्कों का विकास; तथा वृत्तिक सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु एफटीए का लाभ उठाना सम्मिलित थे।

## (II) अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहभागिता

- **एकाउंटेक्स लंदन में सहभागिता :** आईसीएआई ने 14-15 मई, 2025 को लंदन में आयोजित एकाउंटेक्स में एक समर्पित 18 वर्ग मीटर के स्टॉल के माध्यम से लेखांकन और वित्त के क्षेत्र में अपने क्रियाकलापों और पहलों का प्रदर्शन किया। इस स्टॉल पर श्री मैल्कम बैक्स, अध्यक्ष, आईसीएआईडब्ल्यू तथा सुश्री एमी कोपलैंड, सीईओ, इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड बुककीपर्स ने दौरा किया, जो आईसीएआई की पहलों में सशक्त अंतर्राष्ट्रीय रुचि को प्रतिबिंबित करता है।
- **आईसीएआई ने डब्ल्यूटीओ, जिनेवा में भारत का प्रतिनिधित्व किया :** आईसीएआई का प्रतिनिधित्व 2 अक्तूबर, 2025 को विश्व व्यापार संगठन, जिनेवा में वृत्तिक अर्हताओं की मान्यता पर सेवा व्यापार परिषद् (सीटीएस) विषयगत सत्र में हुआ। इस सत्र में 120+ देशों के 150 से अधिक प्रतिनिधियों की सहभागिता रही, जो वृत्तिक गतिशीलता और पारस्परिक मान्यता पर वैश्विक बल को रेखांकित करता है।
- **आईसीएआई ग्लोबल वीक 2025 :** “नेविगेटिंग ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज” विषय पर 29 सितंबर से 7 अक्तूबर, 2025 तक ऑनलाइन आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक वृत्तिक संपर्कों को सुदृढ़ करना, सीमा-पार सहयोग का संवर्धन करना तथा विश्व भर में उभरते कारोबारी और वृत्तिक अवसरों की खोज करना था। इसका उद्घाटन विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री जीन बूको, अध्यक्ष, आईएफएसी द्वारा, सीए. चरणजोत सिंह नंदा, अध्यक्ष, आईसीएआई; सीए. प्रसन्ना कुमार डी, उपाध्यक्ष, आईसीएआई; सीए. अभय छाजेड, संयोजक; तथा श्री दर्पण जैन, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार की उपस्थिति में किया गया।

## (III) राष्ट्रीय स्तर पर सहभागिता

- 11 सितंबर, 2025 को गिफ्ट सिटी, गांधीनगर में आयोजित आईएफएससीए चिंतन शिविर 2025 गोलमेज परिचर्चा में सहभागिता।
- 28 अगस्त, 2025 को गिफ्ट सिटी-आईएफएससीए में आईसीएआई प्रतिनिधिमंडल का दौरा : आईएफएससीए के साथ अपने समझौता ज्ञापन के भाग के रूप में, आईसीएआई ने 63 चयनित सदस्यों के साथ एक प्रतिनिधिमंडल दौरे का आयोजन किया, जिसमें जीसीसी समिट से पूर्व एनएसई आईएक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा आईबीयू, डेवएक्स और गिफ्ट सिटी का भ्रमण सम्मिलित था।

- विदेशी आउटसोर्सिंग सेवाओं (यूएस) पर 3-दिवसीय आवासीय हैंड्स-ऑन कार्यशाला के दो बैचों का संचालन किया गया : 30 मई से 1 जून, 2025 तक उत्कृष्टता केंद्र, जयपुर में (35 सदस्य) तथा 17-19 नवंबर, 2025 को उत्कृष्टता केंद्र, हैदराबाद में।
- **एसईपीसी के साथ समझौता ज्ञापन का नवीकरण** : आईसीएआई ने भारत के सेवा निर्यातों के संवर्धन में सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए 1 जुलाई, 2025 को सेवा निर्यात संवर्धन परिषद् के साथ अपने समझौता ज्ञापन का नवीकरण किया।
- **अकाउंटिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग पोर्टल** : विदेशी फर्मों और भारतीय सीए फर्मों के बीच सहयोग का पोषण करने वाला एक गतिशील मंच, जो विदेशी फर्मों को स्थानीय विनियमों, कराधान, लेखापरीक्षा और वित्तीय कंसल्टिंग में अपनी विशेषज्ञता के लिए विख्यात कुशल भारतीय सीए फर्मों के एक विशाल नेटवर्क से जोड़ता है। डब्ल्यूओएफए 2025 में लॉन्च किया गया यह पोर्टल अब भारतीय सीए फर्मों और विदेशी ग्राहकों के सांस्थानिक ढांचे के माध्यम से पंजीकरण हेतु तैयार है।

#### (IV) सरकार का समर्थन

वर्ष के दौरान, वरिष्ठ सरकारी पदधारियों के साथ बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें श्री विराज सिंह, आईएफएस, अपर सचिव, विदेश मंत्रालय; सीए. महावीर सिंघवी, आईएफएस, संयुक्त सचिव (नेस्ट), विदेश मंत्रालय; श्री तिरु वी. अरुण राय, आईएएस, सचिव, उद्योग, निवेश संवर्धन और वाणिज्य विभाग, तमिलनाडु सरकार (राज्य के जीसीसी नीति ढांचे के संबंध में); श्री दर्पण जैन, आईएएस, संयुक्त सचिव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (10 सितंबर, 2025 और 19 नवंबर, 2025 को, भारत-न्यूजीलैंड एफटीए वार्ताओं के अधीन एमएफएन व्यवहार के संबंध में); सुश्री रूपांजलि कार्तिक, निदेशक, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (3 सितंबर, 2025); सुश्री अनूपा नायर, निदेशक (सर्विसेज एसएमडी), वाणिज्य विभाग (14 नवंबर, 2025); श्री बाबुल सुप्रियो (पश्चिम बंगाल में जीसीसी अवसरों पर, 7 अगस्त, 2025); तथा श्री आलोक वी. चतुर्वेदी, आईएएस (सेवानिवृत्त), महानिदेशक, ईपीसीईएस (28 अक्तूबर, 2025 को, समझौता ज्ञापन के डिलिवरेबल्स और भावी सहयोग पर) सम्मिलित हैं। 27 अगस्त, 2025 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेवा व्यापार पर एक वर्चुअल बैठक में भी भाग लिया गया।

#### सरकार को अभ्यावेदन/तकनीकी इनपुट (कराधान क्षेत्रों से भिन्न) :

समिति ने वर्ष के दौरान सरकार को 25 से अधिक तकनीकी इनपुट और अभ्यावेदन उपलब्ध कराए, जिनमें मोटे तौर पर निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

- **एफटीए/सीईपीए वार्ताएं** : भारत-न्यूजीलैंड एफटीए के अधीन लेखांकन, लेखापरीक्षा, बहीखाता और कराधान सेवाओं हेतु एमएफएन व्यवहार और प्रारूप बाजार पहुंच प्रस्थापनाओं पर इनपुट; भारत-ईयू एफटीए के अधीन एमएफएन प्रस्थापनाओं पर अधिदेश; भारत-चिली एफटीए/सीईपीए (बाजार पहुंच और वृत्तिकों की गतिशीलता); भारत-यूके एफटीए (लेखांकन और बहीखाता पर भारत की प्रस्थापना); भारत-यूई सीईपीए का प्रभाव निर्धारण (सेवा व्यापार); तथा भारत-जापान सीईपीए के अधीन सहयोग।
- **द्विपक्षीय व्यापार मंच** : दूसरी भारत-इंडोनेशिया डब्ल्यूजीटीआई बैठक (की गई कार्रवाई की स्थिति सहित), तीसरी भारत-ब्रुनेई दारुस्सलाम संयुक्त व्यापार समिति, छठे भारत-वियतनाम संयुक्त व्यापार उप-आयोग, भारत-मॉरीशस उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति के दूसरे सत्र, 14वीं भारत-फिलीपींस जेडब्ल्यूजीटीआई, भारत-सिंगापुर जेडब्ल्यूजीटीआई तथा इंडोनेशियाई समकक्ष के साथ एचसीआईएम बैठक हेतु इनपुट।

- **बहुपक्षीय और अन्य इनपुट :** भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 हेतु प्रमुख कार्यक्रमों पर इनपुट; ओईसीडी एसटीआरआई डाटाबेस अद्यतन (राष्ट्रीयता/नागरिकता अपेक्षाएं); अंकटाड के प्रारूप मंत्रिस्तरीय परिणाम दस्तावेज; भारत के सेवा निर्यातों (कारोबार क्षेत्र) हेतु रोडमैप की तैयारी; जर्मनी को सेवाओं का निर्यात करते समय भारत के सेवा उद्योग के समक्ष आने वाली बाधाएं; तथा ऑस्ट्रेलिया में लेखापरीक्षक पंजीकरण हेतु 3,000 घंटों के व्यावहारिक अनुभव की अपेक्षा में छूट।

#### (V) भारत का एक अकाउंटिंग जीसीसी के रूप में संवर्धन – जीसीसी समिट शृंखला

पूर्ववर्ती डीआईटीएस और डब्ल्यूटीओ निदेशालय के अधीन कार्यरत, भारत को एक अकाउंटिंग ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) के रूप में संवर्धित करने हेतु समूह ने भारत को लेखांकन और वित्त जीसीसी हेतु एक अधिमानी वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए “फ्रॉम लेजर्स टू ग्लोबल लीडरशिप : सीएज शेरिंग जीसीसीज़” विषय के अधीन प्रमुख भारतीय नगरों में जीसीसी समिटों की एक शृंखला का आयोजन किया। समिट शृंखला का आरंभ नई दिल्ली (38 विशिष्ट वक्ता और 11+ चयनित सत्र, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय द्वारा उद्घाटित) से हुआ, जिसके पश्चात् गिफ्ट सिटी, गुजरात (38+ प्रख्यात वक्ता, अध्यक्ष, आईएफएससीए द्वारा उद्घाटित) तथा हैदराबाद (10+ सत्रों में 34 प्रख्यात वक्ता, पूर्व मंत्री, तेलंगाना सरकार द्वारा उद्घाटित) में इसका आयोजन हुआ।

पुणे समिट 500+ प्रतिनिधियों, 11+ चयनित सत्रों और 15+ प्रख्यात वक्ताओं के साथ एक प्रमुख दो-दिवसीय कार्यक्रम के रूप में उभरा; बेंगलुरु समिट में केडीईएम और आईएफएससीए के सशक्त समर्थन के साथ, 12+ सत्रों और 25+ प्रख्यात वक्ताओं सहित 1,000+ प्रतिनिधि दर्ज किए गए; जबकि जयपुर और कोलकाता संस्करणों में से प्रत्येक में 250+ प्रतिनिधियों की सहभागिता रही। इस पहल को एमईआईटीवाई, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, आईएफएससीए, एसईपीसी, इन्वेस्ट इंडिया, एनएसडीसी, आईआईएम संबलपुर, एनएफएसयू, आरआरयू और अग्रणी उद्योग भागीदारों सहित प्रमुख सरकारी निकायों और पारिस्थितिकी प्रणाली भागीदारों का सशक्त समर्थन प्राप्त हुआ तथा इसने जीसीसी पारिस्थितिकी प्रणाली में चार्टर्ड अकाउंटेंटों की बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया।

#### (VI) सदस्यों/छात्रों के लिए पहलें

- **विदेशी आउटसोर्सिंग सेवाओं पर ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम :** विदेशी आउटसोर्सिंग सेवाओं (यूके), (यूएस) और (ऑस्ट्रेलिया) पर ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों की शृंखला में, अब तक यूएस के 11 बैचों, यूके के 2 बैचों और ऑस्ट्रेलिया के 1 बैच का आयोजन किया जा चुका है, जिनमें 1,600 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। इसके अतिरिक्त, प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर चुके सदस्यों हेतु अभिकल्पित, विदेशी आउटसोर्सिंग सेवाओं (यूएस बाजार) पर एक तीन-दिवसीय आवासीय कार्यशाला 30 मई से 1 जून, 2025 तक उत्कृष्टता केंद्र, जयपुर में आयोजित की गई, जिसमें 35 प्रतिभागी सम्मिलित हुए।
- **ग्लोबल उद्घान वेबिनार शृंखला :** समिति की सक्षमता-निर्माण कार्य योजना के भाग के रूप में अप्रैल 2025 में आरंभ इस शृंखला में 1 अप्रैल, 2025 से 30 अप्रैल, 2026 की अवधि के दौरान 39 वेबिनारों का आयोजन किया गया, जिनमें भारत में जीसीसी; एफटीए और भारत की व्यापार नीतियां; गिफ्ट सिटी/आईएफएससी में अवसर; यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलियाई बाजारों हेतु आउटसोर्सिंग; यूएस जीएपी और वैश्विक लेखापरीक्षा व्यवहार; फिनेटेक और एआई-चालित वित्त; सीमा-पार उत्तराधिकार, कारोबार स्थापना और अनुपालन; मिस्त्र, कुवैत, कतर और सिंगापुर में अवसर; वर्चुअल सीएफओ सेवाएं; तथा एक वैश्विक प्रैक्टिस का निर्माण जैसे विविध विषयों को सम्मिलित किया गया।
- **सदस्यों में विदेशी भाषाओं का संवर्धन :** आईसीएआई ने सदस्यों और छात्रों की विदेशी अवसरों तक पहुंच में अभिवृद्धि हेतु उनके लिए ऑनलाइन विदेशी भाषा पाठ्यक्रमों के परिदान के लिए भारत में विदेशी दूतावासों के आधिकारिक सांस्कृतिक भाषा केंद्रों के साथ गठबंधन किए हैं। आरंभ से अब तक के पाठ्यक्रमों की स्थिति निम्नानुसार है :

| भाषा पाठ्यक्रम              | भागीदार संस्था       | बैच | नामांकन |
|-----------------------------|----------------------|-----|---------|
| स्पेनिश (स्तर ए1.1 से ए2.2) | इंस्टीट्यूटो सर्वटिस | 64  | 955     |
| फ्रेंच                      | एलायंस फ्रांसेज      | 17  | 415     |
| जापानी (स्तर ए1 से ए2/बी1)  | जापान फाउंडेशन       | 36  | 699     |
| बिजनेस इंग्लिश              | ब्रिटिश काउंसिल      | 21  | 744     |
| जर्मन                       | गोएथे-इंस्टीट्यूट    | 3   | 32      |

**प्रकाशन :**

- द फ्यूचर ऑफ वर्क : आउटसोर्सिंग, टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इन सर्विसेज ।
- पेपर टू पोर्ट – निर्यात दस्तावेजीकरण पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की हैंडबुक ।
- गिफ्ट आईएफएससी : चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए नए अवसर ।
- पूर्ववर्ती अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सेवा और डब्ल्यूटीओ विकास निदेशालय की ई-समाचारपत्रिका “ग्लोबल गेटवे” के चार त्रैमासिक संस्करण ।

**7.8 वृत्तिक विकास समिति (पीडीसी)**

विद्यमान और नए क्षेत्रों में संस्थान के सदस्यों के कौशल समुच्चयों में अभिवृद्धि के मिशन के साथ वर्ष 1962 में स्थापित वृत्तिक विकास समिति (पीडीसी) विविध क्षेत्रों में चार्टर्ड अकाउंटेंटों के वृत्तिक अवसरों के संवर्धन हेतु सरकार और विनियामक प्राधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से सहभागिता करती है ।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समिति के प्रमुख क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं :

**(I) विनियामकों और अन्य निकायों के साथ बैठकें**

- **भारतीय रिज़र्व बैंक** : कार्यपालक निदेशक, पर्यवेक्षण विभाग, आरबीआई के साथ चार बैठकें आयोजित की गईं – 1 अप्रैल, 2025 (मुंबई : एससीए/एसबीए की नियुक्ति, चक्रानुक्रम नीति, लेखापरीक्षा व्याप्ति); 8 अप्रैल, 2025 (दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लेखापरीक्षा का शासन ढांचा); तथा 15 अप्रैल, 2026 (मुंबई : पीएसबी में लेखापरीक्षा ढांचे का सुदृढीकरण, आश्वासन में प्रौद्योगिकी, बैंकिंग समनुदेशनों हेतु आईसीएआई प्रमाणन) । 29 मई, 2025 को सीजीएम, पर्यवेक्षण विभाग, आरबीआई के साथ भी एक बैठक आयोजित की गई (लेखापरीक्षा समिति अध्यक्षों हेतु संरचित प्रशिक्षण, नियमित आईसीएआई-आरबीआई बैठकें, एनबीएफसी अनुपालन) । वर्ष के दौरान आरबीआई द्वारा भारत भर में संयोजित 45 से अधिक राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) बैठकों में आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।
- **नाबार्ड** : मुख्य महाप्रबंधक, सांस्थानिक विकास विभाग, नाबार्ड के साथ तीन बैठकें आयोजित की गईं – 31 जुलाई, 2025 (सहकारी बैंकों और आरआरबी की लेखापरीक्षा); 27 फरवरी, 2026 (एसटीसीबी, सीटीसीबी और आरआरबी की लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षकों हेतु परस्पर संवादात्मक बैठकें); तथा 17 अप्रैल, 2026 को एक अनुवर्ती ऑनलाइन बैठक (आरआरबी के विलय के पश्चात् एसए हेतु आबंटन संबंधी मुद्दे) ।

- **सहकारिता मंत्रालय/सीआरसीएस :** सीआरसीएस और सहकारिता मंत्रालय के साथ तीन बैठकें आयोजित की गईं – 30 अप्रैल, 2025 (समवर्ती लेखापरीक्षा समनुदेशनों में चुनौतियां); 13 मई, 2025 (सी एंड एजी, आरबीआई और एनसीयूआई के साथ संयुक्त रूप से, बहु-राज्य सहकारी समुदाय हेतु लेखापरीक्षा/लेखांकन मानदंडों का निर्माण); तथा 18 मार्च, 2026 (एमएससीएस समवर्ती लेखापरीक्षा हेतु फर्मों का पैनल में सम्मिलित किया जाना)।
- **सी एंड एजी का कार्यालय :** एलएलपी के एकत्रीकरण दिशानिर्देश, 2024 की अधिसूचना के पश्चात् विद्यमान पैनल नीति पर प्रतिक्रिया और नए मानदंडों हेतु सुझावों के संबंध में 10 नवंबर, 2025 को उप सीएजी (वाणिज्यिक और आरसी) के साथ एक बैठक आयोजित की गई। आईसीएआई की अधिकांश प्रस्तुतियों को स्वीकार कर 2026-27 की नीति में सम्मिलित किया गया।
- **सेबी :** 14 नवंबर, 2025 को जारी फॉरेंसिक लेखापरीक्षकों के पैनल हेतु आवेदन आमंत्रण सूचना से उत्पन्न मुद्दों के समाधान हेतु 26 नवंबर, 2025 को सेबी भवन, मुंबई में कार्यपालक निदेशक, सेबी के साथ एक बैठक आयोजित की गई।
- **आईआरडीएआई :** लेखापरीक्षा फर्मों के पैनल में सम्मिलित किए जाने, साइबर सुरक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षाओं, चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा विनियामक प्रमाणनों के मानकीकरण तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों हेतु एक बीमा समिटि के आयोजन पर विचार-विमर्श करने के लिए 12 मार्च, 2026 को हैदराबाद में सदस्य (वित्त और निवेश), आईआरडीएआई के साथ एक बैठक आयोजित की गई।
- **अन्य संस्थाएं :** आईबीए (29 मई, 2025 : बैंक-संबंधी प्रमाणपत्रों का मानकीकरण, समवर्ती लेखापरीक्षकों के प्रमाणन दायित्व); आईएजीईएस (23 मार्च, 2026 : पैनल में सम्मिलित किए जाने के मापदंड, जागरूकता कार्यक्रम, निर्धारण फीस का मानकीकरण); आईआईएम जम्मू (13 अप्रैल, 2026 : समझौता ज्ञापन के अधीन संयुक्त कार्यक्रम, संगोष्ठियां और प्रशिक्षण); तथा नीति आयोग (17 अप्रैल, 2026 : डब्ल्यूईपी के साथ आशय के विवरण का नवीकरण और संबंधित विषय) के साथ बैठकें आयोजित की गईं।

## (II) प्रमुख उपलब्धियां

- **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लेखापरीक्षा के शासन ढांचे पर संकल्पना पत्र :** 8 अप्रैल, 2025 की बैठक के पश्चात् आरबीआई को प्रस्तुत; बैंकिंग उद्योग के बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) के सदस्यों हेतु 2-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की एक प्रारूप संरचना भी प्रस्तुत की गई।
- **आईबीए और अन्य बैंकों को “ओए” श्रेणी पैनल प्रस्तुत :** पीडीसी ने गत वर्ष “ओए” श्रेणी आरंभ की थी और सांविधिक बैंक शाखा लेखापरीक्षाओं से भिन्न समनुदेशनों के आबंटन हेतु इस श्रेणी सहित पैनल आईबीए और अन्य बैंकों को प्रस्तुत किया।
- **सीआरसीएस के कार्यालय द्वारा आईसीएआई एमईएफ पैनल स्वीकृत :** सतत समन्वय और अनुवर्ती कार्रवाई के पश्चात्, आईसीएआई द्वारा तैयार बहुप्रयोजन पैनल को बहु-राज्य सहकारी सोसाइटियों की समवर्ती लेखापरीक्षाओं के संचालन हेतु सहकारी सोसाइटियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा स्वीकार किया गया।
- **क्षेत्रीय वृत्तिक विकास अनुसंधान प्रकोष्ठ स्थापित :** पीडीसी ने स्थानीयकृत वृत्तिक विकास का पोषण करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि अवसरों तक देश भर में पहुंच बनाई जा सके, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य भारत में क्षेत्र-वार पीडी अनुसंधान प्रकोष्ठ स्थापित किए।
- **आईएजीईएस (इंडियन एसोसिएशन ऑफ गोल्ड एक्सीलेंस एंड स्टैंडर्ड्स) के साथ समझौता ज्ञापन :** पीडीसी ने आईएजीईएस के साथ एक समझौता ज्ञापन किया, उससे उत्पन्न होने वाले वृत्तिक अवसरों के बारे में सदस्यों में जागरूकता का सृजन किया, सीए फर्मों का एक पैनल उपलब्ध कराया तथा पुणे, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता और दिल्ली में परस्पर संवादात्मक बैठकों का आयोजन किया।
- **आईआईएम जम्मू के साथ समझौता ज्ञापन :** पीडीसी ने चार्टर्ड अकाउंटेंटों हेतु अनन्य रूप से अभिकल्पित विशेषीकृत प्रबंध पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए आईआईएम जम्मू के साथ एक समझौता ज्ञापन किया।

- **नीति आयोग (डब्ल्यूईपी) के साथ समझौता ज्ञापन :** नीति आयोग और आईसीएआई के बीच आशय के विवरण के अधीन महिला सशक्तीकरण हेतु विभिन्न कार्यवाहियों की गईं, जिनमें सामग्री का पुनर्विलोकन और परीक्षण, लेखों का योगदान तथा सक्षमता-निर्माण सत्रों हेतु विशेषज्ञ उपलब्ध कराना सम्मिलित है।
- **आरबीआई के आस्ति वर्गीकरण विचलन लेख का प्रसार :** यूसीबी और एनबीएफसी हेतु पर्यवेक्षी चक्रों के दौरान आस्ति वर्गीकरण में विचलन के लिए आरबीआई द्वारा प्रेक्षित प्रारूपिक कारणों की जानकारी यूसीबी और एनबीएफसी के सभी सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों/सांविधिक लेखापरीक्षकों को प्रसारित की गई।

### (III) प्राधिकारियों को पैनल प्रस्तुतियां

बहुप्रयोजन पैनल फॉर्म (एमईएफ) के माध्यम से विकसित आईसीएआई का बहुप्रयोजन पैनल विहित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंटों और लेखापरीक्षा फर्मों के एक प्राधिकारिक, व्यापक और विश्वसनीय डाटाबेस के रूप में कार्य करता है। 1 अप्रैल, 2025 से 30 अप्रैल, 2026 की अवधि के दौरान, विभिन्न प्राधिकारियों/एजेंसियों को 24 पैनल प्रस्तुतियां की गईं, जिनमें भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंक शाखा लेखापरीक्षक पैनल 2025-26); नाबार्ड (आरआरबी लेखापरीक्षक पैनल 2025-26); सेबी; सीआरसीएस (सहकारिता मंत्रालय); नाबार्ड (महाप्रबंधक); नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट; इंडियन बैंक, फेडरल बैंक, तमिलनाडु ग्राम बैंक (निरीक्षण और लेखापरीक्षा); आईएजीईएस; भारतीय खाद्य निगम (सिलो डिवीजन); गुजरात प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय; पुलिस अधीक्षक, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय, तमिलनाडु; सीबीआई, मुंबई; द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया), कोलकाता; एफए एंड सीएओ, आरडी एंड पीआर विभाग, चेन्नई; उप वन संरक्षक, गोवा; तथा अन्य सम्मिलित हैं।

### (IV) प्रस्तुत अभ्यावेदन

- **नाबार्ड :** 4 सितंबर, 2025 (सहकारी बैंकों के सांविधिक लेखापरीक्षकों हेतु पात्रता मानदंड); 18 अक्तूबर, 2025 (जमाओं और अग्रिमों, दोनों के आधार पर, आरआरबी के सांविधिक लेखापरीक्षकों हेतु लेखापरीक्षा फीस का पुनरीक्षण); तथा 15 दिसंबर, 2025 (सहकारी बैंकों और आरआरबी हेतु लेखापरीक्षा-संबंधी विषय) को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए।
- **सी एंड एजी का कार्यालय :** वर्ष 2026-27 हेतु सी एंड एजी की प्रारूप पैनल नीति पर; आईएफएससी (गिफ्ट सिटी) में एलएलपी स्थापित करने वाली सीए फर्मों के पैनल में सम्मिलित किए जाने हेतु आईसीएआई की सिफारिशों पर (26 दिसंबर, 2025); तथा स्वायत्त/स्थानीय/अन्य निकायों की लेखापरीक्षा हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति (जुलाई 2025-मार्च 2027 और अप्रैल 2026-मार्च 2027, जिसमें आईसीएआई की प्रस्तुति स्वीकार की गई और समय-सीमा 29 मार्च, 2026 तक बढ़ाई गई) पर प्रस्तुतियां की गईं।
- **सीआरसीएस, सहकारिता मंत्रालय :** वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु लेखापरीक्षकों के पैनल के लिए दिनांक 3 अक्तूबर, 2024 के आदेश से उत्पन्न मुद्दों के संबंध में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया।
- **दिल्ली सहकारी समुदाय:** यह रेखांकित करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया कि प्रचालनगत लागतों और मुद्रास्फीति में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद वर्ष 2010 से लेखापरीक्षा फीस संरचना में कोई पुनरीक्षण नहीं हुआ है।
- **जे एंड के बैंक :** एफसीएमए द्वारा समवर्ती लेखापरीक्षा समनुदेशन किए जाने पर निर्बंधनों के संबंध में 22 जुलाई, 2025 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया।
- **हिमाचल प्रदेश सरकार :** सहकारी सोसाइटी नियम, 1971 के अधीन लेखापरीक्षकों के पैनल में सम्मिलित किए जाने के संबंध में 24 अप्रैल, 2026 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया।

**(V) कार्यक्रम और परस्पर संवादात्मक बैठकें**

- **यूसीबी में शासन के सुदृढीकरण पर परस्पर संवादात्मक बैठक, मुंबई, 31 जुलाई, 2025 :** लगभग 60 प्रतिनिधि (यूसीबी के सीएफओ, लेखा/आंतरिक लेखापरीक्षा प्रमुख और लेखापरीक्षा समिति अध्यक्ष/सदस्य) सम्मिलित हुए, जिसमें महाप्रबंधक, पर्यवेक्षण विभाग, आरबीआई ने “यूसीबी में शासन और लेखापरीक्षा समितियों की कार्य-प्रणाली” पर एक सत्र को संबोधित किया।
- **बैंकिंग क्षेत्र के सीए निदेशकों, लेखापरीक्षा समिति अध्यक्षों और सीएफओ हेतु परस्पर संवादात्मक बैठक, मुंबई, 9 जनवरी, 2026 :** “शेपिंग द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस : सीए की विकसित होती और बहुमुखी भूमिका” विषय पर आयोजित, जिसमें श्री सतीश काशीनाथ मराठे, निदेशक, आरबीआई और नाबार्ड, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सीजीएम, विनियमन विभाग, आरबीआई ने “डिजिटलीकरण युग में प्रत्यास्थता के साथ बैंकिंग के भविष्य को आकार देना” पर संबोधन दिया। 40 से अधिक प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित हुए।
- **सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक बैठक 2026-27, मुंबई, 24 मार्च, 2026 :** हाइब्रिड मोड में आयोजित, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के 130 से अधिक सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक सम्मिलित हुए। विशिष्ट अतिथि, कार्यपालक निदेशक, आरबीआई ने वृत्तिक संशयवाद, समय पर जोखिम अभिज्ञान और उच्च लेखापरीक्षा गुणवत्ता के महत्व पर बल दिया। तकनीकी सत्रों में आरबीआई की आशाओं, ट्रेजरी लेखापरीक्षाओं, एनपीए अभिज्ञान, डाटा विश्लेषण और लेखापरीक्षा रिपोर्टिंग (एलएफएआर और आईएफसीओएफआर) को सम्मिलित किया गया।
- **“बीमा और निवेश लेखापरीक्षा” पर तीन-दिवसीय आवासीय कार्यक्रम, हैदराबाद, 18-20 दिसंबर, 2025 :** 35 प्रतिभागी सम्मिलित हुए, जिसमें सदस्य (एक्ज्यूटिव), आईआरडीएआई ने लेखापरीक्षकों से आईआरडीएआई की आशाओं पर मुख्य भाषण दिया। आईआरडीएआई विनियमों के अधीन सीए द्वारा जारी प्रमाणपत्रों के मानकीकरण तथा आईसीएआई के एमईएफ पैनल के उपयोग पर भी विचार-विमर्श हुआ।

इसके अतिरिक्त, समिति ने भारत भर में 36+ संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें कटक, विजयवाड़ा, लखनऊ, उडुपी, कोल्हापुर और मेरठ में राष्ट्रीय सीए सम्मेलन; अलप्पुझा, मंगलौर, वापी, राजकोट, भावनगर, कोल्हापुर और गोवा में आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम; तथा गांधीनगर, रांची, भीलवाड़ा, सूरत, आनंद, भिलाई, गुंटूर, उदयपुर, नासिक, नागपुर, कोटा, भुवनेश्वर, वाराणसी, गोवा, सोलापुर, मेरठ, गुवाहाटी, भोपाल, अलवर, कटक और इंदौर में एक/दो-दिवसीय संगोष्ठियां और कार्यशालाएं सम्मिलित हैं।

वर्ष भर आरबीआई-नामनिर्दिष्ट संगोष्ठियों/कार्यशालाओं में भी भाग लिया गया/उन्हें सुकर बनाया गया : आंध्र प्रदेश में यूसीबी के सांविधिक लेखापरीक्षकों हेतु एक कार्यशाला (विजयवाड़ा, 21 अप्रैल, 2025), पंजाब और हरियाणा में यूसीबी के सांविधिक लेखापरीक्षकों हेतु एक कार्यशाला (चंडीगढ़, 9 सितंबर, 2025), “लेखांकन मानकों का परिचय” तथा “बैंक तुलन-पत्र और अनुपात विश्लेषण” पर दो कार्यक्रम (सितंबर 2025), तथा नागपुर क्षेत्रीय कार्यालय में चुनिंदा यूसीबी के सीईओ और सांविधिक लेखापरीक्षकों हेतु एक सम्मेलन (27 अक्तूबर, 2025)। सी एंड एजी कार्यालय, नई दिल्ली में “पीएसयू के सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों के पुनरीक्षण” पर एक कार्यशाला का भी समर्थन किया गया (5 दिसंबर, 2025)।

**(VI) पीडीसी की डीएनए – डिस्कवर न्यू एवेन्यूज़ वेबिनार श्रृंखला**

वृत्तिक विकास समिति (पीडीसी) ने चार्टर्ड अकाउंटेंटों हेतु उभरते वृत्तिक अवसरों के बारे में जागरूकता के सृजन के लिए अपनी “पीडीसी की डीएनए – डिस्कवर न्यू एवेन्यूज़” वेबिनार श्रृंखला जारी रखी। अवधि के दौरान, इस श्रृंखला के पांच संस्करणों का आयोजन किया गया, जिनमें वित्त के वैकल्पिक मोड, एनबीएफसी क्षेत्र, स्वर्ण उद्योग में प्रत्यायन तथा फॉरेंसिक अन्वेषणों में डाटा



विश्लेषण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग जैसे विषय सम्मिलित थे और इन वेबिनारों में क्रमशः 900+ और 1,000+ प्रतिभागियों की सहभागिता रही।

### (VII) डिप्लोमा और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

- **परियोजना वित्तपोषण संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम** : दो बैचों का संचालन किया गया। पहले ऑनलाइन बैच (9 मई-1 जून, 2025) में 88 रजिस्ट्रीकृत सदस्य थे; निर्धारण परीक्षा 3 अगस्त, 2025 को आयोजित की गई और परिणाम 13 अगस्त, 2025 को घोषित किए गए। दूसरे ऑनलाइन बैच (10 अप्रैल-3 मई, 2026) में 200 रजिस्ट्रीकृत प्रतिभागी थे; निर्धारण परीक्षा 25 मई, 2026 को आयोजित की गई।
- **बीमा और जोखिम प्रबंध में डिप्लोमा (डीआईआरएम)** : डीआईआरएम पाठ्यक्रम के तीन चरण हैं। आरंभ से अब तक कुल 5,618 सदस्यों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 1,059 ने पाठ्यक्रम अर्हित किया है तथा 77 ने तकनीकी परीक्षा उत्तीर्ण की है, किंतु उन्हें अभी अभिमुखीकरण कार्यक्रम पूर्ण करना है। क्षेत्र-वार पंजीकरण निम्नानुसार है : मध्य – 1,207; पूर्वी – 674; उत्तरी – 850; दक्षिणी – 1,578; पश्चिमी – 1,309। तकनीकी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सदस्यों हेतु एक दो-दिवसीय डीआईआरएम अभिमुखीकरण कार्यक्रम 27 से 30 मई, 2025 तक आईसीएआई के डिजिटल लर्निंग हब के माध्यम से संचालित किया गया; कार्यक्रम की संरचना को वर्तमान उद्योग प्रवृत्तियों और वृत्तिक अपेक्षाओं के साथ सुमेलित करने हेतु पुनरीक्षित किया गया।

### 7.9 वृत्तिक कौशल संवर्धन समिति (पीएसईसी)

वृत्तिक कौशल संवर्धन समिति (अब व्यवसायरत सदस्यों संबंधी समिति में विलीन) ने चार्टर्ड अकाउंटेंटों को एक गतिशील और विकसित होते वृत्तिक परिवेश में उत्कृष्टता हेतु अपेक्षित समकालीन वृत्तिक, व्यवहारगत, प्रबंधकीय और नेतृत्व कौशलों से सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। कौशल संवर्धन, संरचित अधिगम, स्व-निर्धारण, डिजिटल अधिगम, कल्याण और वृत्तिक विकास को समाहित करने वाली विस्तृत पहलों के माध्यम से, समिति ने सतत अधिगम और समग्र वृत्तिक विकास का संवर्धन किया, जिससे सदस्य भविष्य के लिए तैयार तथा उभरती कारोबारी और वृत्तिक अपेक्षाओं के साथ सुमेलित बने रह सकें।

#### प्रमुख पहलें

#### (I) पुरस्कार, मान्यताएं और कीर्तिमान उपलब्धियां

सतत कौशल विकास और समग्र वृत्तिक विकास के महत्व को मान्यता प्रदान करते हुए, समिति ने अनेक बड़े स्तर की पहलें कीं, जिन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई :

- ईटी एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025 में “एक्सेप्शनल वोकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म” श्रेणी के अधीन रजत पदक प्राप्त हुआ।
- कार्य-जीवन संतुलन पहल ने 100 सत्र पूर्ण किए और इसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता प्रदान की गई।
- 12-19 जुलाई, 2025 के दौरान अधिकतम संख्या में कौशल संवर्धन कार्यक्रमों के संचालन हेतु एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से मान्यता प्राप्त हुई।
- अधिकतम संख्या में ऑनलाइन योग सत्रों के संचालन हेतु एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से मान्यता प्राप्त हुई।

**(II) निर्धारण और संप्रेषण कौशल पहलें**

यह मान्यता प्रदान करते हुए कि संप्रेषण, आलोचनात्मक चिंतन और व्यवहारगत सक्षमताएं आधुनिक वृत्तिकों के लिए आवश्यक हैं, समिति ने विभिन्न निर्धारण और कौशल संवर्धन पहलें आरंभ कीं :

- संप्रेषण, अभिव्यक्ति, विश्लेषणात्मक चिंतन और नेतृत्व कौशलों के संवर्धन हेतु शाखा, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर के दौरो के माध्यम से आईसीएआई स्किल्सएक्स – राष्ट्रीय वाद-विवाद और वक्तृत्व प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया।
- शब्दावली और व्याकरण पर एक आवधिक एमसीक्यू-आधारित निर्धारण पहल, आईसीएआई कैलिबर, जारी रही; 25 शृंखलाएं पूर्ण हुईं और 26वीं शृंखला का शुभारंभ किया गया।
- आईसीएआई कैवलरी साइकोमेट्रिक निर्धारण शृंखला जारी रही; ब्रांडिंग और संप्रेषण कौशलों पर पहली शृंखला पूर्ण हुई तथा आलोचनात्मक और डिजाइन चिंतन कौशलों पर दूसरी शृंखला का शुभारंभ किया गया।

**(III) प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम और संरचित अधिगम कार्यक्रम**

वृत्तिक सक्षमताओं के सुदृढीकरण और उभरती कौशल अपेक्षाओं के समाधान की दृष्टि से, समिति ने संरचित अधिगम कार्यक्रमों और विशेषीकृत प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों का संचालन किया :

- संप्रेषण, अंतर्व्यक्तिक, नेतृत्व, टीम-कार्य, नैतिकता, ब्रांडिंग, नेटवर्किंग, प्रौद्योगिकी और अन्य समकालीन वृत्तिक कौशलों के सुदृढीकरण हेतु कौशल संवर्धन संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के अनेक बैचों का संचालन किया गया।
- सदस्यों की परामर्श, परामर्शी और रणनीतिक विनिश्चय क्षमताओं में अभिवृद्धि हेतु व्यापार परामर्श स्किल्स संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
- विश्लेषणात्मक तर्क, कारोबार विश्लेषण, डाटा निर्वचन और समस्या-समाधान कौशलों पर केंद्रित बिजनेस एनालिटिकल स्किल्स संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया गया।

**(IV) डिजिटल अधिगम पहलें**

प्रौद्योगिकी-समर्थ अधिगम का लाभ उठाने और ज्ञान के व्यापक प्रसार को सुकर बनाने हेतु, समिति ने सदस्यों के लिए डिजिटल अधिगम मंचों का सुदृढीकरण जारी रखा :

- नेतृत्व और समकालीन वृत्तिक कौशलों पर प्रख्यात उद्योग अग्रणियों और वृत्तिकों को प्रस्तुत करने वाली पाँडकास्ट शृंखला, आईसीएआई स्किल्सकास्ट, का शुभारंभ किया गया; उद्घाटन कड़ी में संस्थापक, आईआईएफएल समूह सम्मिलित हुए।
- संप्रेषण, नेतृत्व, वित्तीय परामर्श, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, प्रैक्टिस प्रबंध और अन्य वृत्तिक कौशलों पर वेबकास्ट शृंखला का संचालन किया गया और वर्ष के दौरान 100 वेबकास्ट पूर्ण करने की उपलब्धि प्राप्त की गई।

**(V) कार्यशालाएं, संगोष्ठियां और सम्मेलन**

परस्पर संवादात्मक और अनुभव-आधारित अधिगम अवसर उपलब्ध कराने हेतु, समिति ने आईसीएआई नेटवर्क में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया :

- संप्रेषण, प्रस्तुतीकरण, नेतृत्व और अंतर्वैयक्तिक प्रभावशीलता पर केंद्रित परस्पर संवादात्मक कार्यशाला शृंखलाओं का संचालन किया गया।
- कौशल संवर्धन, ज्ञान साझाकरण और वृत्तिक नेटवर्किंग हेतु शाखाओं और क्षेत्रीय परिषदों में संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों का आयोजन किया गया।
- शाखाओं और क्षेत्रीय परिषदों में विशेषज्ञ-नीत कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और सम्मेलनों के माध्यम से व्यावहारिक, अनुप्रयोग-उन्मुख अधिगम को सुकर बनाया गया।

#### (VI) राष्ट्रव्यापी कौशल विकास पहलें

वृत्तिक उत्कृष्टता और सतत अधिगम के संवर्धन के अपने उद्देश्य के अनुरूप, समिति ने राष्ट्रव्यापी कौशल विकास पहलों का आयोजन किया :

- 12-19 जुलाई, 2025 के दौरान शाखाओं और क्षेत्रीय परिषदों में 132 कार्यक्रमों के माध्यम से विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया, जिसका मुख्य कार्यक्रम अहमदाबाद में आयोजित हुआ।
- नवंबर 2025 के दौरान कार्यशालाओं, वेबिनारों, मास्टरक्लासों, संगोष्ठियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल संवर्धन माह मनाया गया।
- राष्ट्रव्यापी अधिगम और आउटरीच पहलों के माध्यम से सतत अधिगम और भविष्य के लिए तैयार कौशलों को अपनाने का संवर्धन किया गया।

#### (VII) कल्याण और कार्य-जीवन संतुलन पहलें

वृत्तिक सफलता में शारीरिक और मानसिक कल्याण के महत्व को मान्यता प्रदान करते हुए, समिति ने अपनी कल्याण और कार्य-जीवन संतुलन पहलें जारी रखीं :

- देश भर में सदस्यों हेतु कार्य-जीवन संतुलन कार्यक्रम जारी रखे गए, जिनमें इस पहल ने वर्ष के दौरान 100 सत्र पूर्ण किए और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से मान्यता प्राप्त की।
- शारीरिक फिटनेस, मानसिक कल्याण और तनाव प्रबंध के संवर्धन के उद्देश्य से वर्चुअल योग सत्रों का संचालन किया गया।
- 4 फरवरी, 2026 तक 557 योग सत्र सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए।

#### (VIII) प्रकाशन और डिजिटल आउटरीच

सतत अधिगम के समर्थन और सदस्य सहभागिता में अभिवृद्धि हेतु, समिति ने अपनी ज्ञान प्रसार और डिजिटल आउटरीच पहलों को सुदृढ़ किया :

- समर्पित पीएसईसी वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से सक्रिय आउटरीच बनाए रखी गई।
- वर्क-लाइफ बैलेंस, एक्टिव लिसनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिजीजन मेकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर फाइनेंस प्रोफेशनल्स, पब्लिक स्पीकिंग, नेगोशिएशन स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, वेल्थ मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग स्किल्स, लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट स्किल्स, प्रोडक्टिविटी स्किल्स फॉर बिजी प्रोफेशनल्स तथा इनक्लूसिव वर्कप्लेस प्रैक्टिसेज पर पुस्तकें प्रकाशित की गईं।
- कम्युनिकेशन एंड स्टेकहोल्डर मैनेजमेंट स्किल्स, बिजनेस एनालिटिकल स्किल्स, बिजनेस मॉडल फाइनेंशियल एडवाइजरी स्किल्स तथा एकजीक्यूटिव इनसाइट स्किल्स पर पुस्तकें प्रकाशित की गईं।
- डिजिटल मंचों के माध्यम से अधिगम संसाधनों, कार्यक्रम अद्यतनों और वृत्तिक विकास अवसरों का प्रसार जारी रखा गया।

### 7.10 महिला और युवा सदस्य उत्कृष्टता समिति (डब्ल्यूवाईएमईसी)

महिला और युवा सदस्य उत्कृष्टता समिति (डब्ल्यूवाईएमईसी) – पूर्ववर्ती महिला सदस्य उत्कृष्टता समिति – आईसीएआई की एक गैर-स्थायी समिति है, जिसकी स्थापना सक्षमता-निर्माण पहलों, कौशल विकास गतिविधियों तथा वृत्तिक और नियोजन अवसरों के माध्यम से महिला और युवा सदस्यों की क्षमता की पूर्ति का संवर्धन करने हेतु की गई है। अवधि के दौरान समिति के प्रमुख क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं :

#### (I) प्रमुख कार्यक्रम

- **तीसरे सीए महिला उत्कृष्टता पुरस्कार :** समिति ने उन महिला सदस्यों के योगदान को स्वीकार करने और उसकी सराहना करने हेतु तीसरे सीए महिला उत्कृष्टता पुरस्कारों का आयोजन किया, जो नेतृत्व के पदों पर हैं या जिन्होंने निगमों, संगठनों या प्रैक्टिस में सारभूत प्रगति की है, अथवा जिन्होंने समाज के प्रति महत्वपूर्ण योगदान किया है। 5 विशिष्ट श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए; 131 महिला सदस्यों को नामांकित किया गया। डब्ल्यूओएफए 2.0 के साथ, इंडिया एक्सपो सेंटर, ग्रेटर नोएडा में एक भव्य पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया, जिसमें श्री अर्जुन राम मेघवाल, माननीय विधि और न्याय मंत्री; श्री राज भूषण चौधरी, माननीय राज्य मंत्री, जल शक्ति; अध्यक्ष, आईसीएआई; उपाध्यक्ष, आईसीएआई; तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, डब्ल्यूवाईएमईसी की, अन्य परिषद् सदस्यों और सचिव, आईसीएआई सहित, गरिमामयी उपस्थिति रही।
- **सीए महिला नेतृत्व कॉन्क्लेव – अल्टेयर : सोर. लीड. शाइन :** 8 नवंबर, 2025 को योगी सभागृह हॉल, मुंबई में आयोजित इस कॉन्क्लेव में 500 से अधिक महिला चार्टर्ड अकाउंटेंट सम्मिलित हुईं। श्रीमती विजया किशोर रहाटकर, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग, मुख्य अतिथि के रूप में कॉन्क्लेव में उपस्थित रहीं। सत्रों में स्वतंत्र निदेशक : निगम शासन की आधारशिला; राइजिंग बियॉन्ड : संघर्ष और सफलता की कहानियां; लीडिंग विद पर्पज; तथा एम्पावरहर : अवसर और आगे का मार्ग जैसे विषयों को सम्मिलित किया गया।
- **आईसीएआई का इनोफेस्ट 2025/युवा – एन एसेंट ऑफ एक्सीलेंस (अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस) :** “युवा – एन एसेंट ऑफ एक्सीलेंस” विषय के अधीन, क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में अगस्त 2025 के दौरान कार्यक्रमों का आयोजन किया। समिति ने 2 अगस्त, 2025 को एनएसई सभागार, बीकेसी, मुंबई में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें युवा सदस्यों हेतु वैश्विक अवसरों, नैतिकता, करियर मार्गों, उद्योग, परामर्श, उद्यमशीलता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, पूंजी बाजारों, निवेश बैंकिंग और अभिप्रेरणा को सम्मिलित किया गया।
- **अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस – “राइज. लीड. ट्रांसफॉर्म – बियॉन्ड बाउंड्रीज” :** समिति के व्यापक संप्रेषण के प्रत्युत्तर में, मार्च 2026 के दौरान 100 से अधिक क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं ने डब्ल्यूवाईएमईसी के तत्वावधान में महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमों का संचालन किया।

#### (II) वेबिनार श्रृंखला

- **यशस्विनी – एन आइडल (समावेशिता | विविधता | उत्कृष्टता | नेतृत्व) श्रृंखला :** समिति ने इस बुधवार श्रृंखला के अधीन 94 वेबिनारों का आयोजन किया, जिन्हें सुसंगत तकनीकी और गैर-तकनीकी विषयों पर प्रख्यात वक्ताओं द्वारा संबोधित किया गया, जिससे वृत्तिक ज्ञान के साथ-साथ महिला सदस्यों को अपने मौखिक और संप्रेषण कौशलों के विकास हेतु एक मंच भी प्राप्त हुआ।
- **स्किलअप – नेतृत्व | नवप्रवर्तन | समावेशिता | विकास श्रृंखला :** समिति ने स्वतंत्र निदेशक : भूमिकाएं, उत्तरदायित्व और अवसर; भविष्य के लिए तैयार वृत्तिकों हेतु डिजिटल कौशल और प्रौद्योगिकी अंगीकरण; भारत में सामाजिक

उद्यमशीलता; एसक्यूसी और लेखापरीक्षा गुणवत्ता का महत्व; ब्रेकिंग बैरियर्स – अपरंपरागत करियर मार्ग; तथा नेतृत्व की कहानियां जैसे विषयों को सम्मिलित करते हुए वेबिनारों का आयोजन किया।

- **मेंटर हेल्प डेस्क (25 जून, 2025) :** महिला सदस्यों के सरोकारों के समाधान हेतु एक लाइव सत्र, जिसमें विशेषज्ञ पैनलों ने करियर विकास और करियर की पुनः शुरुआत, प्राथमिकीकरण और समय प्रबंध तथा वृत्ति में अवसरों को सम्मिलित किया।

### (III) प्लेसमेंट और मेंटरशिप

- **महिला सीए हेतु प्लेसमेंट कार्यक्रम :** उद्योग और कारोबार में सदस्यों के लिए समिति (सीएमआई एंड बी) के साथ संयुक्त रूप से आयोजित, जो फ्लेक्सी-टाइम/अंशकालिक/घर से कार्य के अवसरों की आवश्यकता का समाधान करता है। 5,087 महिला सदस्यों और 47 संगठनों ने भाग लिया तथा 559 फ्लेक्सी और अंशकालिक रिक्तियां प्रस्थापित की गईं। पंजीकृत महिला सदस्यों को साक्षात्कार पैनलों हेतु तैयार होने में सहायता के लिए एक अभिमुखीकरण कार्यक्रम का भी संचालन किया गया।
- **फ्लेक्सी और अंशकालिक पोर्टल :** फ्लेक्सी और अंशकालिक कार्य विकल्पों हेतु महिला पोर्टल नियोजकों और नौकरी चाहने वालों, दोनों को पंजीकरण में समर्थ बनाता है, जिससे बेहतर जॉब मिलान और नेटवर्किंग सुकर होती है। 800 से अधिक नियोजकों और लगभग 12,000 महिला सदस्यों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है।
- **आईसीएआई मेंटरशिप ओडिसी – मेंटरमेट :** “मेंटरमेट – विजडम गाइड्स एस्पिरेशंस” विषय के अधीन आरंभ यह पहल युवा और महिला चार्टर्ड अकाउंटेंटों को एकल मेंटरशिप हेतु अनुभवी वृत्तिकों से जोड़ती है, जिससे मेंटी कौशलों को तीक्ष्ण करने, करियर दिशा प्राप्त करने और सुविज्ञ वृत्तिक विनिश्चय करने में समर्थ होते हैं।

### (IV) आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और सक्षमता निर्माण कार्यक्रम

- **सीए महिला आरआरसी – रिवाइव एंड राइज (13-15 जून, 2025, आईसीएआई उत्कृष्टता केंद्र, हैदराबाद) :** तकनीकी और गैर-तकनीकी सत्रों का सम्मिश्रण, जिसमें सीए हेतु करियर मार्ग, विकासोन्मुख मानसिकता, एआई-चालित उत्पादकता, नेटवर्किंग तथा भारतीय संस्कृति का उत्सव सम्मिलित थे।
- **सीआईआरसी की रायपुर शाखा द्वारा आयोजित आरआरसी (28-29 जून, 2025, चंपारण, छत्तीसगढ़) :** नेतृत्व विकास, तनाव प्रबंध, कार्य-जीवन संतुलन, समय प्रबंध और एआई के प्रभाव पर सत्र।
- **सीआईआरसी की रांची शाखा द्वारा आयोजित आरआरसी (18-19 मार्च, 2026, गोवा) :** महिला सीए हेतु वृत्तिक अवसरों, जीएसटी अपीलें, व्यक्तिगत विकास और नेतृत्व कौशलों तथा सीए हेतु एआई साधनों पर सत्र।
- **शाखा सक्षमता निर्माण कार्यक्रम :** कोटा शाखा (3 जुलाई, 2025), लुधियाना शाखा (27 जुलाई, 2025), सूरत शाखा (4 अक्तूबर, 2025, जिसमें एक लैब ग्रीन डायमंड फैक्ट्री का भ्रमण सम्मिलित था), रायपुर शाखा (11 जनवरी, 2026), ब्रह्मपुर शाखा (11 जनवरी, 2026) और भुज शाखा (14 जनवरी, 2026) द्वारा आयोजित कार्यक्रम, जिनमें महिला सीए हेतु उभरते क्षेत्रों, महिला नेतृत्व, उत्तराधिकार योजना, फॉरेंसिक लेखापरीक्षा, ईएसजी और जोखिम परामर्श जैसे विषयों को सम्मिलित किया गया।

### (V) सरकार के साथ परस्पर संवाद

समिति ने आईसीएआई के कुशल मेंटरों के सशक्त नेटवर्क, व्यापक डिजिटल और भौतिक अवसंरचना तथा वृत्तिक सक्षमता निर्माण में विशेषज्ञता का लाभ उठाकर देश भर में युवा नियोजनीयता और नेतृत्व विकास में अभिवृद्धि हेतु सहयोग के लिए श्रीमती रक्षा खडसे, माननीय युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री, के साथ परस्पर संवाद किया।

## 8. अन्य समितियां/बोर्ड

### 8.1 लेखापरीक्षा समिति

संस्थान की लेखापरीक्षा समिति की स्थापना परिषद् द्वारा अप्रैल 2001 में एक स्पष्ट रूप से परिभाषित अधिदेश के साथ एक गैर-स्थायी समिति के रूप में की गई थी। अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु, वर्ष 2009 से इसकी अध्यक्षता अनन्य रूप से एक सरकारी नामनिर्देशिनी द्वारा की जाती है। इसकी स्वायत्तता में और अधिक अभिवृद्धि हेतु, कार्यपालक समिति और वित्त समिति के सदस्यों को केंद्रीय लेखापरीक्षा समिति में सेवा करने की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त, पांच क्षेत्रीय लेखापरीक्षा समितियां – दक्षिणी, पश्चिमी, मध्य, उत्तरी और पूर्वी – समिति के कार्य का समर्थन करती हैं, जिससे क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित होती है।

समिति वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी करने तथा संस्थान के वित्तीय प्रकटनों की सहीता, सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। यह लेखापरीक्षा रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करती है, लेखापरीक्षकों के साथ प्रेक्षणों पर विचार-विमर्श करती है, सुधारात्मक कार्रवाइयों की सिफारिश करती है और आंतरिक नियंत्रण परिवेश के सुदृढीकरण हेतु प्रयासरत रहती है। समिति सुशासन और लेखापरीक्षा व्यवहारों में सतत सुधार के प्रति प्रतिबद्ध बनी हुई है।

#### सांविधिक लेखापरीक्षा

- **सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति :** चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 18(5) के अनुसार, आईसीएआई की शाखाओं, क्षेत्रीय परिषदों, विकेंद्रीकृत कार्यालयों, उत्कृष्टता केंद्र और प्रधान कार्यालय हेतु सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा सिफारिश की गई दो फर्मों के पैनल में से, वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रभावी रूप से, की जाती है। यह प्रणाली निरंतरता सुनिश्चित करती है और लेखापरीक्षा विलंबों से बचाती है। इन नियुक्तियों पर एक स्थिति रिपोर्ट सी एंड एजी के साथ नियमित रूप से साझा की जाती है।
- **लेखापरीक्षा रिपोर्टिंग ढांचा :** सांविधिक लेखापरीक्षकों का रिपोर्टिंग ढांचा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 196 और 197 द्वारा शासित होता है।
- **संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक :** आईसीएआई प्रधान कार्यालय के लेखाओं की लेखापरीक्षा दो संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है, जो विविध विशेषज्ञता लाते हैं तथा व्यापक पुनर्विलोकन और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हैं।

#### आंतरिक लेखापरीक्षा

- **आंतरिक लेखापरीक्षा व्याप्ति :** एक हजार से अधिक सदस्यों वाली शाखाओं, क्षेत्रीय परिषदों, विकेंद्रीकृत कार्यालयों, उत्कृष्टता केंद्र और प्रधान कार्यालय सहित सभी प्रमुख इकाइयों हेतु एक सुदृढ आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र विद्यमान है। आंतरिक लेखापरीक्षा लेखापरीक्षा समिति के पर्यवेक्षण के अधीन की जाती है, जो पारदर्शिता और लेखापरीक्षक स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है।
- **ईओआई के माध्यम से नियुक्ति :** आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति सीए फर्मों से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) हेतु खुले आमंत्रण की एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है। चयन एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन और रैंकिंग प्रणाली पर आधारित होता है। लेखापरीक्षाएं अर्धवार्षिक रूप से की जाती हैं और विहित कार्यक्षेत्र और रिपोर्टिंग प्रारूप के अनुसार वित्तीय और अनुपालन, दोनों पहलुओं को सम्मिलित करती हैं। लेखापरीक्षा रिपोर्टों का अनुवर्ती कार्रवाई हेतु संबंधित क्षेत्रीय या केंद्रीय लेखापरीक्षा समितियों द्वारा पुनर्विलोकन किया जाता है।

## वार्षिक लेखे

- **वित्तीय विवरण प्रारूप** : आईसीएआई अपने वित्तीय विवरण संस्थान द्वारा जारी तकनीकी गाइड के अनुसार गैर-लाभकारी संगठनों हेतु दृष्टांतात्मक प्रारूप के अनुरूप तैयार करता है। हितधारकों हेतु सुसंगतता और स्पष्टता में अभिवृद्धि करने के लिए इस प्रारूप को अनुकूलित किया गया है।
- **अनुमोदन प्रक्रिया** : संपरीक्षित वित्तीय विवरणों का अनुमोदन चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 18(5ए) तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 200 के अधीन एक संरचित और सांविधिक प्रक्रिया का अनुसरण करता है, जैसा नीचे दर्शित है :

### 8.2 लोक सेवा में सदस्यों संबंधी समिति (एमपीएससी)

लोक सेवा में सदस्यों संबंधी समिति (एमपीएससी) (पूर्व नाम : उद्यमशीलता और लोक सेवाओं में सदस्यों के लिए समिति) लोक सेवा या उद्यमशीलता में लगे आईसीएआई के सदस्यों हेतु एक समर्पित मंच के रूप में कार्य करती है। सीए हेतु करियर विकल्पों के रूप में लोक सेवा और उद्यमशीलता के संवर्धन पर केंद्रित यह समिति सदस्यों को प्रेरित और सशक्त बनाने हेतु विभिन्न पहलें करती है। अनेक चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्तमान में सरकारी विभागों, मंत्रालयों, विधानमंडलों, न्यायपालिका, विनियामक निकायों और उद्यमशील उपक्रमों में वरिष्ठ भूमिकाओं में सेवारत हैं तथा शासन, आर्थिक विकास और राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान कर रहे हैं। समिति राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर सुझाव प्राप्त करने हेतु लोक सेवा में आईसीएआई सदस्यों की आवासीय/परस्पर संवादात्मक बैठकों का आयोजन करती है तथा मेंटरशिप सत्रों, अभिमुखीकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, वेबिनारों, संगोष्ठियों और क्षेत्रीय बैठकों के माध्यम से सीए सदस्यों हेतु उद्यमशीलता में निहित अवसरों की निरंतर खोज करती है।

अवधि के दौरान प्रमुख क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं :

#### (I) परस्पर संवादात्मक और मेंटरशिप कार्यक्रम

- **“चार्टिंग न्यू टेरिटरीज : सीए से सिविल सेवाओं या उद्यमशीलता तक”** : 9 जून, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक परस्पर संवादात्मक बैठक, जिसमें 125 सदस्य सम्मिलित हुए और जिसमें सिविल सेवाओं में करियर पर सीए. नवनीत कुमार सहगल, आईएएस (सेवानिवृत्त), अध्यक्ष, प्रसार भारती; सीए. के. जेगदेसन, आईपीएस, विशेष पुलिस आयुक्त (यातायात); और श्री अंकुर अग्रवाल, तथा उद्यमशीलता पर सीए. (डॉ.) नितिन सोनी सहित विशिष्ट वक्ता सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष, आईसीएआई; उपाध्यक्ष, आईसीएआई; सचिव, आईसीएआई तथा सीए. हंस राज चुघ, केंद्रीय परिषद् सदस्य की गरिमामयी उपस्थिति रही।
- **“चार्टर्ड माइंड्स इन पब्लिक सर्विस : इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जेनरेशन” – जयपुर** : 21 मार्च, 2026 को जयपुर में आयोजित एक जागरूकता और मेंटरशिप कार्यक्रम, जिसमें लोक सेवा के विविध क्षेत्रों का एक प्रतिष्ठित पैनल सम्मिलित हुआ – सीए. गौरव शर्मा, आईपीएस, पुलिस महानिरीक्षक, कोलकाता; सीए. प्रसून काबरा, आईआरएस, आयुक्त, आय कर (अपील), हैदराबाद; सीए. शिवानी माहेश्वरी, आईसीओएस, संयुक्त निदेशक, डीपीई, नई दिल्ली; तथा सीए. गौरव गुप्ता, सहायक प्रबंधक, सेबी, मुंबई – जिसके पश्चात् यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 उत्तीर्ण करने वाले तीन चार्टर्ड अकाउंटेंटों के साथ पैनल परिचर्चा हुई : सीए. साक्षी जैन (एआईआर 37), सीए. पंकज सोनी (एआईआर 130) और सीए. अंजनी मिश्रा (एआईआर 274)।
- **“चार्टर्ड माइंड्स इन पब्लिक सर्विस : इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जेनरेशन” – उदयपुर** : 18 अप्रैल, 2026 को उदयपुर में एक समरूप जागरूकता और मेंटरशिप कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीए. नमित मेहता, आईएएस, आबकारी आयुक्त, राजस्थान; सीए. अक्षय काबरा, आईआरएस, उपायुक्त, आय कर, उदयपुर; सीए. तुषार सारस्वत, आईआरटीएस,

निदेशक, रेल मंत्रालय; सीए. परवेश शर्मा, उप निदेशक, एसएफआईओ; तथा सीए. कपिल गोयल, आईसीओएस, सहायक निदेशक, एमसीए/आईआईसीए की गरिमामयी उपस्थिति रही।

## (II) आईसीएआई का इनोफेस्ट 2.0

“एम्पावरिंग सीए एंटरप्रेन्योर्स : इग्राइटिंग आइडियाज, बिल्डिंग फ्यूचर्स” विषय पर आईसीएआई के इनोफेस्ट 2.0 का आयोजन विश्व उद्यमी दिवस के अवसर पर 20 अगस्त, 2025 को नई दिल्ली में किया गया, जिसमें 211 सदस्यों की सहभागिता रही। इस कार्यक्रम को प्रख्यात वक्ताओं – सीए. अनुरुद्ध तिवारी, उद्यमी; सीए. दिलीप चौहान, संस्थापक, दिविअम आहार; तथा सीए. रॉबिन झा, संस्थापक और सीओओ, निरोग स्ट्रीट – ने संबोधित किया, जिन्होंने उद्यमियों हेतु उपलब्ध विभिन्न स्कीमों की अंतर्दृष्टि और पर्यावलोकन साझा किया, तथा इसमें अध्यक्ष, आईसीएआई; सीए. हंस राज चुघ, केंद्रीय परिषद् सदस्य; सचिव, आईसीएआई तथा अध्यक्ष, एनआईआरसी की गरिमामयी उपस्थिति रही।

## (III) वेबिनार श्रृंखला

समिति ने अवधि के दौरान मोटे तौर पर दो धाराओं में 16 वेबिनारों का आयोजन किया। सीए सिविल सेवा अभ्यर्थियों हेतु वेबिनारों में यूकेपीएससी, बीपीएससी और एमपीएससी परीक्षाओं में अवसर; यूपीएससी 2026 तैयारी रणनीति; वैकल्पिक-विषय रणनीति (“व्हाई कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी वर्क्स”); “फ्रॉम बैलेंस शीट्स टू भारत सेवा”; “चार्टर्ड अकाउंटेंट से सिविल सेवक तक : वित्त और शासन का सेतुबंधन”; “अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज इन यूपीएससी एंड बियॉन्ड”; तथा सेवानिवृत्त आईपीएस/आईआरएस अधिकारियों और अग्रणी अकादमी संकाय सहित विशेषज्ञों द्वारा रोडमैप-और-मार्गदर्शन सत्रों को सम्मिलित किया गया। आकांक्षी उद्यमियों हेतु वेबिनारों में सामाजिक उद्यमशीलता और प्रभाव-चालित उपक्रम; उद्यमशीलता कौशलों को तीक्ष्ण करना; एक सशक्त उद्यमशील मानसिकता का निर्माण; उद्यमशीलता के अवसर, रोडमैप और जोखिम; “एम्पावरिंग सीएज़ इन द एंटरप्रेन्योरियल रेवोल्यूशन”; तथा उद्यमशीलता अवसरों हेतु गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) का लाभ उठाना सम्मिलित थे। अलग-अलग वेबिनारों में 140 से 490+ सदस्यों तक ने पंजीकरण कराया।

## (IV) लोक सेवा में सीए सदस्यों की आवासीय बैठकें

- **गोवा :** “विकसित भारत @ 2047 की परिकल्पना को साकार करने में चार्टर्ड अकाउंटेंटों की भूमिका” पर एक आवासीय बैठक 12 अक्तूबर, 2025 को गोवा में आयोजित की गई, जिसमें न्यायपालिका, विभिन्न मंत्रालयों, सेवाओं और प्रशासनिक निकायों के लोक सेवा में 15 सदस्य सम्मिलित हुए तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव, आईसीएआई की गरिमामयी उपस्थिति रही। बैठक का समापन सकारात्मक रूप से हुआ, जिसमें सदस्यों ने राष्ट्र निर्माण के प्रति सशक्त प्रतिबद्धता व्यक्त की।
- **अमृतसर :** इसी विषय पर एक आवासीय बैठक 3-4 जनवरी, 2026 को अमृतसर में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता आईसीएआई के नेतृत्व ने की और जिसमें आईआरएस, आईएएस, आईआरएस, आईआरटीएस, आईआरपीएस और आईसीओएस जैसी समूह के सेवाओं, सेबी, विनियामक निकायों और अधिकरणों में सेवारत प्रख्यात चार्टर्ड अकाउंटेंट एक साथ आए। लोक सेवा में 86 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया और इस परस्पर संवाद ने आईसीएआई तथा शासन में सेवारत उसके सदस्यों के बीच घनिष्ठ संबद्धता का पोषण किया।



**(V) प्रकाशन**

- “सिविल सेवाओं के आकांक्षी चार्टर्ड अकाउंटेंटों हेतु हैंडबुक” ।
- “सन्मुख – सिविल सेवाओं के आकांक्षी सीए हेतु अभिप्रेरणा और मार्गदर्शन की एक हैंडबुक” ।

**8.3 वित्तीय बाजार और निवेशक जागरूकता समिति (एफएम एंड आईएसी)**

वित्तीय बाजार और निवेशक जागरूकता संबंधी समिति वित्तीय बाजारों से संबंधित विधेयकों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों, परामर्श पत्रों और अन्य दस्तावेजों पर सरकार और विनियामकों को सुझाव उपलब्ध कराती है। समिति वित्तीय बाजारों, चार्टर्ड अकाउंटेंटों की भूमिका और निवेशक संरक्षण से संबंधित विषयों पर कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, आरबीआई के गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी विभाग तथा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ नियमित रूप से परस्पर संवाद करती है।

**राष्ट्र निर्माण में भागीदार**

जनता में जागरूकता का सृजन करने और निवेशक संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु, समिति ने निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए), कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के तत्वावधान में, वित्तीय बाजारों के विकासक्रमों के प्रति निवेशकों की समझ में अभिवृद्धि हेतु शाखाओं, क्षेत्रीय परिषदों और स्टडी सर्किलों सहित आईसीएआई की कार्यक्रम आयोजक इकाइयों के माध्यम से 100 निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन किया।

**सेबी परामर्श पत्रों पर टिप्पणियां और सुझाव**

राष्ट्र निर्माण में भागीदार के रूप में, समिति भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा प्रकाशित परामर्श पत्रों पर टिप्पणियां और सुझाव प्रदान करती है। वर्ष 2023-24 से सेबी परामर्श पत्रों के साथ समिति की सहभागिता की स्थिति नीचे सारांशित है :

| विवरण                                             | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| सेबी द्वारा प्रकाशित परामर्श पत्रों की संख्या     | 32      | 88      | 82      |
| सेबी परामर्श पत्र से सहमति में समिति का दृष्टिकोण | 27      | 65      | 72      |
| सेबी के समक्ष प्रस्तुत समिति का दृष्टिकोण         | 5       | 23      | 10      |

**रणनीतिक समझौता ज्ञापन और सांस्थानिक सहयोग**

वर्ष के दौरान, समिति ने इंडियन वेंचर एंड ऑल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन (आईवीसीए), एनएसई आईएफएससी लिमिटेड (एनएसई आईएक्स) तथा इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज (आईएफएससी) लिमिटेड (इंडिया आईएनएक्स) के साथ तीन समझौता ज्ञापन (एमओयू) किए, जिससे वित्तीय बाजारों और पूंजी बाजार विकास से संबंधित विषयों पर सांस्थानिक सहयोग सुदृढ़ हुआ।

**सदस्यों का सक्षमता निर्माण**

सदस्यों के कौशलों में अभिवृद्धि करने और उन्हें समुचित रूप से सशक्त बनाने हेतु, समिति 8 प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों का संचालन करती है : फॉरेक्स और ट्रेजरी प्रबंध (एफएक्सटीएम); डेरिवेटिव्स; इक्विटी अनुसंधान सहित स्टॉकों का मूलभूत और तकनीकी

विक्षेपण (एफएटीए); वित्तीय बाजार और प्रतिभूति विधियां (एफएमएसएल); पूंजी बाजार मध्यवर्तियों का अनुपालन; आईएफएससी में निधि प्रबंध; निवेश बैंकिंग; तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। वर्ष के दौरान, समिति ने डिजिटल लर्निंग हब के माध्यम से इन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के 2 भौतिक बैचों और 10 ऑनलाइन बैचों का सफलतापूर्वक संचालन किया, जिनमें कुल 942 सदस्यों ने नामांकन कराया।

#### सम्मेलन, संगोष्ठियां और वृत्तिक संवर्धन कार्यक्रम

समिति ने 16 सीपीई बैठकों और वर्चुअल वेबिनारों के माध्यम से सदस्यों में ज्ञान का प्रसार किया। इसने संस्थान की क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं के माध्यम से 4 राष्ट्रीय सम्मेलनों और 26 संगोष्ठियों का संचालन किया, जिनमें प्रमुख शृंखला 'इन्वेस्टमेंट की पाठशाला – सीए : द इन्वेस्टमेंट गुरु' सम्मिलित है, जिससे देश भर के सदस्यों तक वित्तीय बाजारों और निवेश व्यवहारों की व्यावहारिक अंतर्दृष्टि पहुंची।

#### 8.4 लोक और शासकीय वित्त प्रबंध समिति (पीजीएफएमसी)

लोक और शासकीय वित्त प्रबंध संबंधी समिति (पीजीएफएमसी) ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान भारत में सरकार के सभी स्तरों पर लोक वित्तीय प्रबंध, लेखांकन सुधारों, वित्तीय रिपोर्टिंग और सक्षमता निर्माण के सुदृढीकरण की दिशा में अपने समर्पित प्रयास जारी रखे। वर्ष के दौरान समिति की कुल 32 बैठकें आयोजित की गईं। प्रमुख क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं :

##### (I) सांस्थानिक सहयोग और सक्षमता निर्माण

- **आईसीएआई-सी एंड एजी समझौता ज्ञापन :** आईसीएआई और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्यालय ने सी एंड एजी संस्था के भीतर सक्षमता विकास के समर्थन हेतु 21 अप्रैल, 2025 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन के अनुसरण में, वृत्तिक सक्षमताओं और सांस्थानिक प्रभावशीलता में अभिवृद्धि के उद्देश्य से लेखांकन, लेखापरीक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी पर आठ आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
- **लोकल गवर्नेंस सिनर्जी कॉन्क्लेव 2.0 :** 12 जनवरी, 2026 को नई दिल्ली में आयोजित इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन श्री के. संजय मूर्ति, भारत के माननीय नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा किया गया और इसमें मंत्रालयों, राज्य सरकारों और लेखापरीक्षा संस्थाओं के वरिष्ठ प्रतिनिधि एक साथ आए।
- **पंचायतों और नगरपालिका निकायों के अकाउंटेंटों हेतु प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम :** आईसीएआई-एआरएफ के अधीन बीएलओएसी के माध्यम से कार्यान्वित, आईसीएआई और भारत के सी एंड एजी के कार्यालय की इस संयुक्त पहल को उत्साहजनक प्रतिसाद मिलना जारी रहा, जिसमें आज की तारीख तक 5,200 से अधिक पंजीकरण और 356 सफल अभ्यर्थी हैं।
- **लोक वित्त और शासकीय लेखांकन संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम :** वर्ष के दौरान आईसीएआई के सदस्यों तथा सरकारी विभागों और स्वायत्त निकायों के अधिकारियों हेतु 33वें से 38वें बैचों का ऑनलाइन मोड में संचालन किया गया, साथ ही छह ऑनलाइन परीक्षाओं का भी सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

##### (II) मानक-निर्धारण योगदान

- **शासकीय लेखांकन मानक सलाहकार बोर्ड (जीएसएबी) :** समिति ने विभिन्न प्रारूपों पर तकनीकी टिप्पणियां प्रस्तुत कीं, जिनमें दो प्रारूप मानकों में विस्तृत पंक्ति-दर-पंक्ति परिवर्तन सुझाए गए, जिनमें से अनेक को भारतीय शासकीय लेखांकन मानकों (आईजीएएस) और मार्गदर्शन टिप्पणों में सम्मिलित किया गया। समिति ने जीएसएबी की बैठकों

और कार्यशालाओं में भी भाग लिया तथा राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा मैनुअल (एनएमएएम 2.0) के पुनरीक्षण से संबंधित विचार-विमर्शों में योगदान किया।

- **अंतर्राष्ट्रीय लोक क्षेत्र लेखांकन मानक बोर्ड (आईपीएसएसबी) :** समिति ने आईपीएसएसबी के तकनीकी दस्तावेजों पर सक्रिय रूप से इनपुट का योगदान किया।

### (III) बहुपक्षीय सहयोग

समिति ने भारत में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) की लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और विश्व बैंक जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं के साथ सहयोगों को सुदृढ़ किया। सरकारी अधिकारियों, लेखापरीक्षकों, वित्त अधिकारियों और आईसीएआई के सदस्यों हेतु अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, वेबिनारों और संकाय विकास पहलों का आयोजन किया गया।

### (IV) नए समझौता ज्ञापन और सांस्थानिक संपर्क

समिति ने आंध्र प्रदेश पुलिस विभाग (प्रशिक्षण विंग), राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (एनआईयूए) तथा महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान (एमजीएसआईपीए), पंजाब के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से सांस्थानिक सहयोगों को सुदृढ़ किया।

### (V) मान्यता पहल – लेखांकन सुधारों के संवर्धन हेतु आईसीएआई पुरस्कार

नगरीय स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में लेखांकन सुधारों और वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहारों में उत्कृष्टता को मान्यता प्रदान करने हेतु स्थानीय निकायों में लेखांकन सुधारों के संवर्धन हेतु आईसीएआई पुरस्कार 2025-26 का आयोजन किया गया।

### (VI) प्रकाशन

- शासकीय और लोक वित्त में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व : सुशासन के स्तंभ।
- भारत में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और नगरीय स्थानीय निकायों (यूएलबी) की आंतरिक लेखापरीक्षा।

## 8.5 संपादक मंडल

संपादक मंडल आईसीएआई की एक विशेषीकृत गैर-स्थायी समिति है, जिसे अपने प्रमुख प्रकाशन 'द चार्टर्ड अकाउंटेंट' के माध्यम से संस्थान की वृत्तिक ज्ञान पारिस्थितिकी प्रणाली को समृद्ध करने का दायित्व सौंपा गया है। देश की सर्वाधिक सम्मानित वृत्तिक पत्रिकाओं में से एक के रूप में विख्यात यह प्रकाशन अपने मुद्रित और डिजिटल संस्करणों के माध्यम से 4,00,000 से अधिक पाठकों तक पहुंचता है। आईसीएआई के वैचारिक नेतृत्व की आवाज के रूप में, यह जर्नल लेखांकन और वित्तीय वृत्ति को आकार देने वाले समकालीन विकासक्रमों, विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि, अनुसंधान-चालित परिप्रेक्ष्यों और उभरती प्रवृत्तियों के प्रसार हेतु एक गतिशील मंच के रूप में कार्य करता है, जो वृत्तिक उत्कृष्टता, सतत अधिगम और बौद्धिक समुन्नति के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है।

संपादक मंडल के मार्गदर्शन में, यह प्रकाशन सदस्यों, छात्रों, विनियामकों और हितधारकों के साथ आईसीएआई की सहभागिता को सुदृढ़ करता है, साथ ही वैश्विक वृत्तिक क्षेत्र में संस्थान के ब्रांड और नेतृत्व को प्रबल बनाता है। सुसंगत, अंतर्दृष्टिपूर्ण और भविष्योन्मुखी सामग्री के साथ, मंडल वित्त, शासन, संवहनीयता, प्रौद्योगिकी और विनियामक ढांचों के विकसित होते व्यवहारों से वृत्ति को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

### (I) वृत्तिक ज्ञान के माध्यम से भारत के विकास को समर्थ बनाना

मासिक जर्नल 'द चार्टर्ड अकाउंटेंट' के माध्यम से, संपादक मंडल ने लेखांकन बिरादरी के भीतर ज्ञान, नवप्रवर्तन और वृत्तिक उत्कृष्टता की संस्कृति का पोषण करके भारत की विकास यात्रा में सुसंगत योगदान किया है। समकालीन मुद्दों, उभरती वैश्विक प्रवृत्तियों, विनियामक विकासक्रमों और संक्रमणकारी विचारों को सामने लाकर, मंडल आईसीएआई के सदस्यों को सक्षमता और परिकल्पना के साथ एक विकसित होते आर्थिक परिदृश्य में मार्ग प्रशस्त करने हेतु सज्जित करता है। यह जर्नल सुविज्ञ विनिश्चय, नैतिक व्यवहारों और भविष्योन्मुखी वृत्तिक चिंतन के संवर्धन हेतु एक सशक्त माध्यम के रूप में कार्य करता है, जिससे आर्थिक प्रगति, शासन और राष्ट्र निर्माण के प्रमुख योगदानकर्ताओं के रूप में चार्टर्ड अकाउंटेंटों की भूमिका सुदृढ़ होती है।

### (II) वृत्तिक उत्कृष्टता को आगे बढ़ाना

अवधि के दौरान, 'द चार्टर्ड अकाउंटेंट' जर्नल ने लेखांकन वृत्ति से सुसंगत विविध और समकालीन मुद्दों का समाधान करने वाले लेखों का एक समृद्ध वर्णक्रम प्रस्तुत किया। अपनी नियमित वृत्तिक विशेषताओं के साथ-साथ, जर्नल ने एमएसएमई, नेतृत्व, जीएसटी, प्रौद्योगिकी, संवहनीयता, स्टार्टअप और पूंजी बाजार जैसे महत्वपूर्ण और उभरते क्षेत्रों तथा अन्य प्रमुख तकनीकी विषयों पर केंद्रित विशेष संस्करण भी निकाले। इन विषयगत अंकों को सदस्यों के वृत्तिक ज्ञान में अभिवृद्धि करने, परिप्रेक्ष्यों को व्यापक बनाने तथा उन्हें तीव्रता से विकसित होते परिवेश में भविष्य के लिए तैयार बने रहने हेतु सज्जित करने के लिए क्यूरेट किया गया था।

### (III) सदस्य और छात्र पहलें – जर्नल में समावेशन

अवधि के दौरान, आईसीएआई जर्नल में विभिन्न विषयों और वृत्तिक विषयों पर 207 लेख सम्मिलित किए गए, इसके अतिरिक्त विभिन्न आईसीएआई समितियों के समन्वय से संस्थान के क्रियाकलापों के अद्यतनों को सम्मिलित करने वाली नियमित विशेषताएं भी थीं। जुलाई 2025 के संस्करण में नैतिकता, संवहनीयता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल रूपांतरण, नेतृत्व, कल्याण, वित्तीय नवप्रवर्तन, महिला सशक्तीकरण और राष्ट्र निर्माण पर केंद्रित विशेष लेखों और ज्ञान-चालित लेखों की एक विविध शृंखला प्रस्तुत की गई, जिनमें प्रख्यात वृत्तिकों, नीति-निर्माताओं और वैश्विक अग्रणियों के योगदान सम्मिलित थे। इस अंक में प्रैक्टिस टू पॉलिसी, ग्लोबल फुटप्रिंट, इन कन्वर्सेशन तथा लाइफस्टाइल एंड वेलनेस जैसे खंड भी सम्मिलित थे और इसमें भारत के प्रधानमंत्री, राज्यपालों, केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों सहित 39 प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों के प्रेरणादायक सीए दिवस संदेश थे।

### (IV) 'द चार्टर्ड अकाउंटेंट' के डिजिटल संस्करण – सुविधा हेतु उन्नयित

- पीडीएफ/फ्लिपबुक प्रारूप में जर्नल : जर्नल पीडीएफ/फ्लिपबुक प्रारूप में निरंतर होस्ट किया जा रहा है, जिसके डिजिटल अभिलेखागार जुलाई 2002 से आईसीएआई की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- डिजिटल लर्निंग हब पर जर्नल : जर्नल का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण आईसीएआई की वेबसाइट और डिजिटल लर्निंग हब पर एक उपयोक्ता-अनुकूल ई-मैगजीन के रूप में उपलब्ध है, जो आईसीएआई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और संस्थान की संवहनीयता मुहिम का समर्थन करता है।
- जर्नल हाइलाइट ईमेलर : प्रत्येक अंक के मुख्य आकर्षण, अध्यक्ष के संदेश सहित, कैप्सूल रूप में सभी सदस्यों को सामूहिक रूप से ईमेल किए जाते हैं।
- मोबाइल पर जर्नल : ई-जर्नल आईसीएआई की वेबसाइट और आईसीएआई मोबाइल ऐप के माध्यम से आईओएस और एंड्रॉइड डिवाइसों पर सुलभ है।

## 8.6 अवसंरचना विकास समिति (आईडीसी)

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) ने वर्ष 1954 में इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली में अपने मुख्यालय के उद्घाटन के पश्चात् से अपनी अवसंरचना का निरंतर विस्तार और सुदृढीकरण किया है। अपने मुख्यालय, क्षेत्रीय परिषदों, शाखाओं, उत्कृष्टता केंद्रों, विकेंद्रीकृत कार्यालयों और अन्य स्थापनों में अवसंरचना विकास की व्यवस्थित योजना, निगरानी और मानकीकरण सुनिश्चित करने हेतु, अवसंरचना विकास समिति (आईडीसी) का गठन वर्ष 2014 में परिषद् के प्राधिकार के अधीन एक विशेष प्रयोजन गैर-स्थायी समिति के रूप में किया गया था। परिषद् ने वर्ष 2014 में शाखाओं और क्षेत्रीय परिषदों हेतु अवसंरचना नीति का भी अनुमोदन किया, जो अवसंरचना योजना और विकास हेतु एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है। तब से, आईडीसी अवसंरचना अपेक्षाओं के निर्धारण, नीतियों के निर्माण और पुनर्विलोकन, भूमि अर्जन, निर्माण, नवीकरण और पुनर्विकास हेतु प्रस्तावों की जांच, परियोजना कार्यान्वयन की निगरानी तथा सभी अवसंरचना-संबंधी विषयों पर परिषद् को परामर्श देने के लिए उत्तरदायी रही है, जिससे संस्थान भर में नियोजित, पारदर्शी और संवहनीय अवसंरचना विकास सुनिश्चित होता है।

अवसंरचना नीति के आरंभ के पश्चात् से, संस्थान ने निम्नलिखित परियोजनाएं आरंभ की हैं :

| नई अवसंरचना का क्रय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | अनुमोदित निर्माण प्रस्ताव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कन्नूर, जालंधर, जबलपुर, गोवा, गुरुग्राम, मुरादाबाद, पाली, आगरा, गोरखपुर, करनाल, किशनगढ़, लातूर, पटियाला, उज्जैन, रतलाम, चेंगलपट्टूर, अहमदाबाद, कोटा, एर्नाकुलम, हिमाचल प्रदेश, जामनगर, तिरुपति, रायपुर, बेंगलुरु (उपहार में प्राप्त संपत्ति), आईसीओई चेन्नई (1.19 एकड़), सीओई गुवाहाटी, कल्याण-डोंबिवली, ओंगोल, कोझिकोड, हैदराबाद, करीमनगर, सीकर, तथा गिफ्ट सिटी, गांधीनगर में निर्मित स्थान | अजमेर, सूरत, भोपाल, राजमहेंद्रवरम, उत्कृष्टता केंद्र जयपुर, बठिंडा, बरेली, जोधपुर, रायपुर, कन्नूर, गाजियाबाद, गोवा, मुरादाबाद, गुंटूर, आगरा, गुरुग्राम, रोहिणी, रतलाम, पटियाला, किशनगढ़, उज्जैन, पाली, सीओई कोलकाता, बेंगलुरु (उपहार में प्राप्त संपत्ति), अहमदाबाद, चेंगलपट्टूर, एर्नाकुलम, रोहतक, सिलीगुड़ी, पटना, जबलपुर, जालंधर, आईसीओई चेन्नई (कैंप कार्यालय), नागपुर, तिरुपति, हिमाचल प्रदेश, हुबली (सभागार), लातूर, कोटा, सी-1, सेक्टर-1, नोएडा स्थित प्रधान कार्यालय भवन का नवीकरण, गोरखपुर, ग्वालियर और सीओई गुवाहाटी |

आईसीएआई द्वारा अब तक स्थापित कुल 186 शाखाओं में से, 106 शाखाओं के पास अपने स्वयं के परिसर हैं। 13 शाखाओं (वर्तमान में किराए के परिसरों से कार्यरत) ने भूमि अर्जित की है, जिस पर निर्माण या तो अभी आरंभ होना है या चल रहा है, तथा 10 शाखाओं (अपने स्वयं के परिसरों से कार्यरत) ने भूमि अर्जित की है, जहां निर्माण या तो अभी आरंभ होना है या चल रहा है। 67 शाखाओं के पास न तो भूमि है और न ही भवन। क्षेत्र-वार विवरण निम्नानुसार है :

| क्रम सं. | विवरण                                                                 | डब्ल्यूआईआरसी | एसआईआरसी | ईआईआरसी | सीआईआरसी | एनआईआरसी | योग |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------|----------|----------|-----|
| 1        | शाखाओं की कुल संख्या                                                  | 38            | 48       | 13      | 62       | 25       | 186 |
| 2        | स्वयं के परिसर वाली शाखाएं                                            | 21            | 35       | 6       | 32       | 12       | 106 |
| 3        | ऐसी भूमि वाली शाखाएं, जिस पर निर्माण आरंभ हो चुका है या अभी आरंभ होना | 2             | 3        | 0       | 5        | 3        | 13  |

| क्रम सं. | विवरण                                                                                                                                     | डब्ल्यूआईआरसी | एसआईआरसी | ईआईआरसी | सीआईआरसी | एनआईआरसी | योग |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------|----------|----------|-----|
|          | है (किराए के परिसरों से कार्यरत)                                                                                                          |               |          |         |          |          |     |
| 4        | अपने स्वयं के परिसरों के अतिरिक्त, ऐसी भूमि वाली शाखाएं, जिस पर निर्माण आरंभ हो चुका है या अभी आरंभ होना है (स्वयं के परिसरों से कार्यरत) | 1             | 4        | 0       | 5        | 0        | 10  |
| 5        | ऐसी शाखाएं, जिनके पास न तो भूमि है और न ही भवन                                                                                            | 15            | 10       | 7       | 25       | 10       | 67  |

### 8.7 अंतर्राष्ट्रीय मामले समिति (आईएसी)

वर्ष 2025-26 की अवधि के दौरान, आईसीएआई की अंतर्राष्ट्रीय मामले समिति ने रणनीतिक करारों, नए चैप्टरों और प्रतिनिधि कार्यालयों तथा उच्च-स्तरीय वैश्विक संवादों के माध्यम से संस्थान की वैश्विक उपस्थिति का महत्वपूर्ण विस्तार किया और अंतर्राष्ट्रीय वृत्तिक गतिशीलता को सुदृढ़ किया। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समिति के प्रमुख क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं :

#### (I) वैश्विक गतिशीलता और सांस्थानिक ढांचे

- **वैश्विक गतिशीलता और सहयोगात्मक करार :** आईसीएआई ने वृत्तिक गतिशीलता और तकनीकी सहयोग को सुकर बनाने हेतु विश्व भर में 8 अर्हता पारस्परिकता करार और 16 सहयोग करार बनाए रखे।
- **बैंचमार्किंग सफलता :** ईसीसीटीआईएस द्वारा एक स्वतंत्र अध्ययन में आईसीएआई की अर्हताओं का मूल्यांकन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप चार्टर्ड अकाउंटेंट पदनाम को यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई और यूरोप के ढांचों में मास्टर डिग्री के तुल्य माना गया।

#### (II) वैश्विक उपस्थिति : नए चैप्टर और कार्यालय

- **यूनाइटेड स्टेट्स में विस्तार :** आईसीएआई ने लॉस एंजिल्स में अपने 53वें चैप्टर (1 जून, 2025) और अटलांटा में 54वें चैप्टर (4 जून, 2025) का शुभारंभ किया।
- **प्रतिनिधि कार्यालय (आरओ) :** “यूनाइट इन अमेरिका” पहल के माध्यम से कैनसस, लुइसियाना, मिनेसोटा, टेनेसी और सैन डिएगो में पांच नए प्रतिनिधि कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन किया गया (9 फरवरी, 2025)।
- **संस्थान का नेटवर्क बढ़कर 47 देशों और 85 नगरों में फैले 54 चैप्टरों और 31 प्रतिनिधि कार्यालयों तक पहुंच गया।**

#### (III) अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक सहभागिताएं

- आईसीएआई अपनी वैश्विक उपस्थिति को सुदृढ़ करने हेतु 15 अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन निकायों/मंचों से संबद्ध है।

- विभिन्न आईएफएसी कनेक्ट कार्यक्रमों (मेक्सिको सिटी, रियाद और जकार्ता) में, आईसीएआई ने लेखापरीक्षा और आश्वासन पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभाव पर प्रस्तुतियां दीं, जिनमें प्रौद्योगिकीय साक्षरता और एआई प्रणालियों की स्वतंत्र निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया गया।
- आईसीएआई ने आईईएसबीए और आईएएसबी के समक्ष कम जटिल इकाइयों हेतु लेखापरीक्षा चुनौतियों और संवहनीयता नैतिकता पर प्रस्तुतियां दीं।
- आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने विश्व भर में आईसीएआई चैप्टरों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाग लिया, बिरादरी को संबोधित किया और चैप्टरों के समक्ष आने वाले मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।
- कैमैन द्वीपसमूह के प्रीमियर और वित्तीय सेवा और वाणिज्य मंत्री, माननीय आंद्रे एम. एवैंक्स ने पारस्परिक हित के क्षेत्रों पर विचार-विमर्श हेतु 2 दिसंबर, 2025 को आईसीएआई का भ्रमण किया।

#### (IV) वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट्स (डब्ल्यूओएफए 2.0)

आईसीएआई ने "नेशन बिल्डिंग टू ग्लोबल कोलैबोरेशन : स्ट्रेंथनिंग ट्रस्ट, इनेबलिंग ग्रोथ" विषय पर 30 जनवरी, 2026 से 1 फरवरी, 2026 तक इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट्स (डब्ल्यूओएफए 2.0) का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 25 से अधिक देशों के 10,000 से अधिक प्रतिभागी सम्मिलित हुए, जिनमें 800 से अधिक प्रतिनिधि वर्चुअल रूप से सम्मिलित हुए, तथा इसमें 100 कॉर्पोरेट प्रायोजकों और 30 सीए फर्मों की सहभागिता के साथ 250+ वक्ता सम्मिलित थे।

डब्ल्यूओएफए 2.0 का उद्घाटन 30 जनवरी, 2026 को मुख्य अतिथि के रूप में सीए. पीयूष गोयल, माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री कुमार मंगलम बिड़ला, अध्यक्ष, आदित्य बिड़ला समूह की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ। इस फोरम में प्रमुख क्षेत्रों में गहन सहभागिता को समर्थ बनाने हेतु अभिकल्पित केंद्रित समवर्ती ट्रैक सम्मिलित थे, जिनमें टेक्नोलॉजी ट्रैक (कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल वित्त), ग्लोबल एज ट्रैक (ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और आउटसोर्सिंग), मार्केटस्फीयर ट्रैक (पूंजी बाजार), आत्मनिर्भर भारत ट्रैक (एमएसएमई और स्टार्ट-अप), इको राइज ट्रैक (संवहनीयता) तथा गवर्नेंस एंड एश्योरेंस ट्रैक सम्मिलित हैं।

डब्ल्यूओएफए के अवसर पर, आईसीएआई ने एसएएफए बोर्ड की रणनीति बैठक और एसएएफए समिति बैठकों की मेजबानी की। डब्ल्यूओएफए 2.0 के अवसर पर आईसीएआई पुरस्कारों और आईसीएआई वार्षिक दिवस का भी आयोजन किया गया तथा आईसीएआई वार्षिक दिवस पर आईसीएआई सर्वश्रेष्ठ विदेशी चैप्टर पुरस्कार प्रदान किए गए।

#### 8.8 प्रबंध समिति

वर्ष 2015 में परिषद् की गैर-स्थायी समिति के रूप में गठित प्रबंध समिति को शाखाओं के गठन, विदेशों में चैप्टरों की स्थापना, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ समझौता ज्ञापनों/पारस्परिक मान्यता करारों, आईसीएआई के केंद्रीय लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, केन्द्रीय सरकार और अन्य विनियामक निकायों द्वारा निर्दिष्ट विषयों, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों में संशोधनों हेतु प्रस्तावों, क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं के विषयों, सदस्यों/सीए फर्मों/एलएलपी/विलयों/अविलयों/नेटवर्किंग से संबंधित विषयों तथा प्रशासनिक और नीतिगत निहितार्थ वाले संस्थान की अन्य समितियों/विभागों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने तथा जहां अपेक्षित हो, परिषद् को अपनी सिफारिशें करने का अधिदेश प्राप्त है।

## 8.9 जनसंपर्क समिति (पीआरसी)

जनसंपर्क समिति सीए अधिनियम के ढांचे के भीतर समुचित समझे गए विभिन्न तरीकों और माध्यमों से भारत में और वैश्विक रूप से एक अग्रणी अकाउंटेंसी निकाय तथा चार्टर्ड अकाउंटेंसी वृत्ति के एकमात्र विनियामक प्राधिकारी के रूप में आईसीएआई की छवि को विकसित, सुदृढ़ और उन्नत करने की दिशा में कार्य करती रही है। समिति प्रभावी संप्रेषण को सुकर बनाने, जानकारी का प्रसार करने और संस्थान की दृश्यता में अभिवृद्धि करने हेतु, आईसीएआई की विभिन्न समितियों के समन्वय से, मीडिया और अन्य पणधारियों के साथ सुदृढ़ संबंधों के पोषण का भी प्रयास करती है। जनता, नीति-निर्माताओं और प्रमुख पणधारियों के साथ संप्रेषण हेतु मीडिया को एक रणनीतिक मंच के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए, आईसीएआई ने अपने दृष्टिकोणों और विनिश्चयों को प्रभावी रूप से संप्रेषित करने के लिए इसका सक्रिय रूप से लाभ उठाया है। जनसंपर्क समिति ने न केवल पहुंच और मात्रा की दृष्टि से आईसीएआई की मीडिया उपस्थिति का विस्तार किया है, अपितु प्रमुख राष्ट्रीय मीडिया के साथ स्थायी संबंध भी निर्मित किए हैं।

जनसंपर्क समिति ने आईसीएआई की पहलों की दृश्यता में अभिवृद्धि करने और लेखांकन वृत्ति के प्रति लोक जागरूकता को सुदृढ़ करने हेतु अवधि के दौरान व्यापक संप्रेषण, मीडिया सहभागिता, ब्रांडिंग और आउटरीच पहलें कीं।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समिति के प्रमुख क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं :

### (I) 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आयोजन

आईसीएआई ने 21 जून, 2025 को अपनी 5 क्षेत्रीय परिषदों, 179 शाखाओं, 54 विदेशी चैप्टरों और 31 प्रतिनिधि कार्यालयों के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भव्य रीति से मनाया। “योग फॉर वन अर्थ, वन हेल्थ” विषय के अधीन भारत मंडपम, नई दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 2,000 से अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंटों और छात्रों की उत्साहपूर्ण सहभागिता रही। इस कार्यक्रम का उद्घाटन श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा; श्री राजा इकबाल सिंह, माननीय महापौर, एमसीडी, दिल्ली; श्री संदीप कपूर, माननीय पार्षद और पूर्व अध्यक्ष, स्थायी समिति; तथा डॉ. संदीप मारवाह, कुलाधिपति, एएफटी यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स द्वारा किया गया। इसका सीधा प्रसारण 5 क्षेत्रीय परिषदों और 179 शाखाओं में किया गया, जिससे आईसीएआई के 14.5 लाख+ सदस्यों और छात्रों तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित हुई। 5 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालयों, 130 शाखाओं और विभिन्न विदेशी चैप्टरों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इन पहलों ने मिलकर आईसीएआई को एक ही संगठन की अधिकतम शाखाओं द्वारा एक साथ योग करने हेतु एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से मान्यता दिलाई।

प्रतियोगिताओं, डिजिटल आउटरीच, एकसमान ब्रांडिंग तथा व्यापक कार्यक्रम-पूर्व और कार्यक्रम-पश्च मीडिया प्रचार द्वारा समर्थित, “हेल्दी सीएज़, वेल्दी इकोनॉमी” विषय के अधीन पांच-दिवसीय काउंटडाउन अभियान ने व्यापक जागरूकता, सहभागिता और सतत दृश्यता सुनिश्चित की।

### (II) आईसीएआई की पहलगाम यात्रा

79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक ऐतिहासिक भावाभिव्यक्ति के रूप में, आईसीएआई ने 12-14 अगस्त, 2025 को पहलगाम में अपनी 445वीं परिषद् बैठक संयोजित की और 22 अप्रैल, 2025 की दुखद बैसरन घटना के पश्चात् घाटी में ऐसी उच्च-स्तरीय बैठक आयोजित करने वाली पहली राष्ट्रीय संस्था बनी। आईसीएआई की पहलगाम यात्रा इस बात की एक सशक्त पुनःपुष्टि थी कि राष्ट्र इस विश्वास में एकजुट, दृढ़ और अटल है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और सदैव रहेगा। इस संदेश को प्रवर्धित करते हुए, पीआरसी ने एक प्रेस बैठक का आयोजन किया और एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसे भारत भर में व्यापक कवरेज मिली।



**(III) मीडिया सहभागिता और प्रेस कवरेज**

- **प्रेस कॉन्फ्रेंस :** आईसीएआई ने नई दिल्ली और देश भर के विभिन्न नगरों में 16 से अधिक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कीं, जो संस्थान की प्रमुख पहलों, नीतिगत परिप्रेक्ष्यों, प्रमुख कार्यक्रमों, सहयोगों और महत्वपूर्ण उपलब्धियों को रेखांकित करने हेतु एक प्रभावी मंच के रूप में कार्य कर गईं, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक मीडिया दृश्यता और विस्तृत कवरेज प्राप्त हुई।
- **मीडिया परस्पर संवाद और प्रमुख समाचार :** द इकोनॉमिक टाइम्स, मिनट, द हिंदू बिजनेसलाइन, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस स्टैंडर्ड, इंडियन एक्सप्रेस, डेक्कन हेराल्ड, एनडीटीवी, ज़ी बिजनेस, सीएनबीसी टीवी18, ईटी नाउ, आज तक, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, मनीकंट्रोल.कॉम, प्रिंट, पीटीआई, यूएनआई, आईएनएस, इन्फॉर्मिस्ट और अन्य अनेक माध्यमों में साक्षात्कारों, परस्पर संवादों, लिखित लेखों, विशेषज्ञ उद्धरणों और प्रश्नोत्तर सत्रों के माध्यम से व्यापक एकल मीडिया सहभागिता की गई।
- **टेलीविजन कवरेज :** ईटी नाउ स्वदेश, एनडीटीवी प्रॉफिट, ज़ी बिजनेस, सीएनबीसी टीवी18, सीएनबीसी आवाज़, ईटी नाउ और दूरदर्शन जैसे अग्रणी टेलीविजन चैनलों पर विशेष साक्षात्कारों और लाइव शो ने व्यापक राष्ट्रीय पहुंच और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की उपस्थिति सुनिश्चित की।
- **पॉडकास्ट :** आईसीएआई ने गहन पणधारी सहभागिता हेतु पॉडकास्टों की बढ़ती लोकप्रियता का लाभ उठाया; पॉडकास्ट श्रृंखला को डिजिटल मंचों पर लाखों व्यू प्राप्त हुए, जिससे व्यापक और युवा श्रोता वर्ग के बीच संस्थान की वैचारिक नेतृत्व दृश्यता में उल्लेखनीय अभिवृद्धि हुई।
- **प्रेस विज्ञप्तियां :** अवधि के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण घोषणाओं के अद्यतन साझा करने वाली 46 प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गईं, जिन्हें 2,000+ कवरेज प्राप्त हुई।

**(IV) आईसीएआई मीडिया मीट**

समिति ने 11-12 अक्तूबर, 2025 को गोवा में एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया। दो-दिवसीय यह कार्यशाला विभिन्न तकनीकी विषयों पर आईसीएआई नेतृत्व और वरिष्ठ पत्रकारों के बीच परस्पर संवाद हेतु एक गतिशील मंच के रूप में कार्य कर गई। कार्यशाला में 23 वरिष्ठ वृत्तिकों की उत्साहपूर्ण सहभागिता रही और इसके परिणामस्वरूप मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया में 150+ सकारात्मक कवरेज प्राप्त हुई।

**(V) आईसीएआई राष्ट्र के साथ खड़ा है**

ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात्, अध्यक्ष, आईसीएआई ने 9 मई, 2025 को सीए विरादरी को संबोधित किया, जिसमें सदस्यों और छात्रों से सशस्त्र बलों के साथ एकजुटता में खड़े होने और सतर्क रहने का आह्वान किया गया तथा उन्हें रक्तदान अभियान आयोजित करने, विस्थापित नागरिकों हेतु आश्रय शिविर स्थापित करने, एंबुलेंस सेवाएं प्रदान करने या वित्तीय सहायता का विस्तार करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। 50,000 से अधिक सदस्य और छात्र इस लाइव संबोधन में सम्मिलित हुए, जिसे तत्पश्चात् विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर 2 मिलियन से अधिक प्रभाव प्राप्त हुए।

**(VI) प्रमुख कार्यक्रमों का प्रचार और संवर्धन**

समिति ने आईसीएआई के प्रमुख कार्यक्रमों और पहलों हेतु व्यापक प्रचार और संवर्धनात्मक गतिविधियां कीं, जिससे मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, रेडियो, आउटडोर और सोशल मीडिया मंचों पर व्यापक दृश्यता और ब्रांडिंग सुनिश्चित हुई। एकीकृत संप्रेषण अभियानों के माध्यम से समर्थित प्रमुख कार्यक्रमों में लेखांकन मानक दिवस, 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 77वां चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस समारोह, आईसीएआई दीक्षांत समारोह, वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट्स (डब्ल्यूओएफ 2.0), रिजॉल्व 2025,

डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फाइनेंस समिट (डीएक्सएफएस) 2025 तथा एआई इनोवेशन समिट (एआईएस 2025) सम्मिलित थे। इन प्रयासों से व्यापक मीडिया कवरेज सृजित हुई, लोक जागरूकता में अभिवृद्धि हुई और आईसीएआई की ब्रांड दृश्यता सुदृढ़ हुई।

- विश्वसनीय एवी : प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्रों पर बल देने वाला एक आकर्षक ऑडियो-विजुअल विकसित किया गया, जिसे वर्ष भर सभी कार्यक्रमों में चलाया गया।
- कोऑपरेटिव चिंतन शिविर एवी : सहकारी क्षेत्र के प्रति आईसीएआई के योगदान को रेखांकित करने वाला एक विशेष एवी विकसित किया गया, जिसे आईसीएआई कोऑपरेटिव चिंतन शिविर के दौरान चलाया गया।
- डब्ल्यूओएफए संवर्धनात्मक एवी और क्रिएटिव : कार्यक्रम के प्रति दृश्यता और जागरूकता में अभिवृद्धि हेतु डब्ल्यूओएफए 2.0 का प्रचार करने वाले विभिन्न संवर्धनात्मक एवी और क्रिएटिव विकसित किए गए।
- आईसीएआई की ब्रांडिंग पहलों का प्रचार करने वाले एडवर्टोरियल हिंदुस्तान टाइम्स (17 दिसंबर, 2025), द इकोनॉमिक टाइम्स (19 दिसंबर, 2025) और द हिंदू बिजनेस लाइन (23 दिसंबर, 2025) में प्रकाशित किए गए।
- सीए पाठ्यक्रम के संवर्धन हेतु, एक चौथाई-पृष्ठ का विज्ञापन विकसित कर देश भर के अग्रणी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रकाशनों और पत्रिकाओं में अनेक भाषाओं में प्रकाशित किया गया। सीए पाठ्यक्रम का प्रचार करने वाले विभिन्न लघु वीडियो सोशल मीडिया मंचों पर भी पोस्ट किए गए।

## 8.10 अनुसंधान समिति

वर्ष 1955 में स्थापित अनुसंधान समिति आईसीएआई की सबसे पुरानी तकनीकी समितियों में से एक है, जो वृत्तिक सेवाओं में अभिवृद्धि हेतु एक सुदृढ़ अनुसंधान संस्कृति के संवर्धन के प्रति प्रतिबद्ध है। इसका प्राथमिक उद्देश्य वृत्ति और राष्ट्र के फायदे के लिए लेखांकन और सहबद्ध विषयों में अनुसंधान करना और सांस्थानिक क्षमता को सुदृढ़ करना है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समिति के प्रमुख क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं :

### (I) पूर्ण की गई अनुसंधान परियोजनाएं

वर्ष के दौरान निम्नलिखित अनुसंधान परियोजनाएं पूर्ण की गईं :

- डिजिटल आस्तियों हेतु लेखांकन।
- सूक्ष्म उद्यमों के विकास के पोषण में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का एक अन्वेषणात्मक विश्लेषण।
- भारत में सूचीबद्ध कंपनियों के निगमित रिपोर्टिंग व्यवहार।
- भारत के विधिक परिदृश्य का पुनरुद्धार : विकसित भारत @ 2047 हेतु अप्रचलित आर्थिक और वाणिज्यिक विधियों का समाधान।
- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अधीन पर्यावरणीय दावों का पुनःप्राथमिकीकरण।
- लोक अधिप्राप्ति पर अध्ययन सामग्री।
- परिसमापन लेखांकन।
- आरईआईटी और भारत में उनका उभरता महत्व : एक विनियामक, बाजार और वृत्तिक परिप्रेक्ष्य।
- महुआ के फूल : विनियामक, आर्थिक और सामाजिक अवसर।

### (II) अनुसंधान परियोजनाएं – प्रगतिशील कार्य

- हरित निवेश का उदय : संवहनीय निवेश प्रवृत्ति पर निवेशकों का आशय और नियोजित व्यवहार सिद्धांत की मध्यवर्ती भूमिका।

- भारत में ग्रामीण महिलाओं पर डिजिटल वित्त का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव : प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) स्कीमों का एक विश्लेषण।
- भारतीय स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान स्टार्ट-अपों के बौद्धिक संपदा परिदृश्य की खोज।
- पूर्वोत्तर भारत में स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी प्रणाली : इसकी गतिकी, चुनौतियों तथा संवहनीय विकास और समावेशी आर्थिक रूपांतरण के उत्प्रेरक के रूप में इसकी संभावना का एक समालोचनात्मक विश्लेषण।
- भारतीय स्मार्ट सिटियों में संवहनीय वित्तीय रिपोर्टिंग : नगरपालिका बॉन्ड निर्गम और अर्बन चैलेंज फंड पहुंच हेतु गुणात्मक विशेषताओं के प्रति प्रकटन व्यवहारों का एक मूल्यांकन।
- प्राकृतिक संसाधन-पूंजी पलायन गठजोड़ का रहस्योद्घाटन : भारत में धन शोधन पर अंतर्दृष्टि।
- मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के वर्तमान सामाजिक-आर्थिक विषयों का अध्ययन और आगे का मार्ग।

### (III) वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता हेतु आईसीएआई पुरस्कार 2024-25

अनुसंधान समिति वित्तीय जानकारी की तैयारी और प्रस्तुतीकरण में उत्कृष्टता को मान्यता प्रदान करने हेतु वर्ष 1958 से वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता हेतु आईसीएआई पुरस्कारों का आयोजन करती आ रही है। वर्ष 2024-25 हेतु, कुल 19 पुरस्कार – जिनमें 9 स्वर्ण शील्ड और 10 रजत शील्ड सम्मिलित हैं – 31 जनवरी, 2026 को डब्ल्यूओएफए 2.0 के दौरान प्रदान किए गए।

### (IV) आईसीएआई अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पुरस्कार 2025

वर्ष 2020 से, समिति लेखांकन, लेखापरीक्षा, अर्थशास्त्र, वित्त और कराधान में अनुकरणीय अनुसंधान कार्य को मान्यता प्रदान करने और सम्मानित करने हेतु “आईसीएआई अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पुरस्कारों” का आयोजन करती आ रही है। पुरस्कार समारोह का आयोजन 14 अक्टूबर, 2025 को गोवा में किया गया, जिसके दौरान 16 अनुसंधान पत्रों को पुरस्कारों से मान्यता प्रदान की गई, जिनमें अनुसंधानकर्ताओं को प्रदान किए गए 5 स्वर्ण शील्ड, 6 रजत शील्ड और 5 कांस्य शील्ड सम्मिलित हैं।

### (V) अनुसंधान स्कीमें

- **आईसीएआई डॉक्टरल छात्रवृत्ति स्कीम 2025** : यह स्कीम अनुसंधान कार्य करने वाले पात्र अभ्यर्थियों को मासिक छात्रवृत्ति समर्थन प्रदान करती है, जिसके ब्यौरे आईसीएआई की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- **आईसीएआई अनुसंधान परियोजना स्कीम 2025** : यह स्कीम अनुसंधानकर्ताओं को समकालीन और उभरते मुद्दों पर अंतर्दृष्टिपूर्ण अध्ययन करने हेतु प्रोत्साहित करती है, जिसके ब्यौरे आईसीएआई की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- **आईसीएआई अल्पकालिक अनुसंधान अध्ययन स्कीम 2025** : यह स्कीम विभिन्न समकालीन विषयों पर नए विचारों, नवप्रवर्तनकारी अनुसंधान निष्कर्षों और विचारोत्तेजक अंतर्दृष्टि को साझा करने हेतु एक मंच प्रदान करती है।

### (VI) समझौता ज्ञापन

समिति ने विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षिक और अनुसंधान क्षमताओं में अभिवृद्धि हेतु चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर किए।

## (VII) सक्षमता निर्माण पहलें

अनुसंधान समिति सतत अधिगम और वृत्तिक विकास के संवर्धन, नवप्रवर्तनकारी चिंतन के पोषण तथा नए अनुसंधान अवसरों के सृजन के उद्देश्य से समकालीन विषयों पर वेबिनारों, संगोष्ठियों, आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों और वर्चुअल लाइव पैनल परिचर्चाओं का आयोजन करती है।

### 8.11 रणनीति, परिप्रेक्ष्य योजना और निगरानी समिति (एसपीपी एंड एमसी)

रणनीति, परिप्रेक्ष्य योजना और निगरानी समिति भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की एक गैर-स्थायी समिति है, जो आईसीएआई की दीर्घकालिक परिकल्पना और उद्देश्यों को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस समिति का प्राथमिक प्रयोजन रणनीतिक योजना में संलग्न होना है, जिससे यह सुनिश्चित हो कि आईसीएआई अपने लक्ष्य की पूर्ति हेतु प्रभावी रणनीतियां विकसित और कार्यान्वित करे। समिति प्रभावी जोखिम प्रबंध, संभावित चुनौतियों के अभिज्ञान तथा एक गतिशील कारोबारी परिवेश में मार्ग प्रशस्त करने हेतु रणनीतियों के अनुकूलन के प्रति प्रतिबद्ध है। विभिन्न परिप्रेक्ष्यों, प्रवृत्तियों और कारकों का विश्लेषण करके, समिति का लक्ष्य संगठन के भविष्य हेतु एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, यह रणनीतिक पहलों के निष्पादन की निगरानी, उनके प्रभाव के निर्धारण तथा यथावश्यक समायोजन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

### अनुसंधान रिपोर्ट आईसीएआई विजन 2049 की तैयारी

#### आईआईएमए के साथ सहयोग

संस्थान हेतु एक भविष्योन्मुखी रणनीति के अनुसरण में, आईसीएआई ने भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद (आईआईएमए) के साथ एक सहयोगात्मक सहभागिता के माध्यम से आईसीएआई विजन 2049 के विकास की प्रक्रिया आरंभ की। इस सहयोग का उद्देश्य एक ऐसे व्यापक रोडमैप की रूपरेखा तैयार करना था, जो संस्थान के दीर्घकालिक लक्ष्यों को उभरती वैश्विक, प्रौद्योगिकीय और विनियामक प्रवृत्तियों के साथ सुमेलित करे, और आईआईएम अहमदाबाद द्वारा अनुसंधान रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है।

### 8.12 आईसीएआई कॉर्पोरेट मित्र समिति

आईसीएआई कॉर्पोरेट मित्र समिति का गठन भारत सरकार की कॉर्पोरेट मित्र परियोजना हेतु किया गया है, जिससे इसके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु समन्वय, आउटरीच, जागरूकता सृजन और अन्य गतिविधियां की जा सकें, आईसीएआई के क्षेत्रों, शाखाओं, चैप्टरों और कार्यालयों के माध्यम से प्रशिक्षण तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके, जिसमें कॉर्पोरेट मित्र हेतु आवधिक सतत प्रशिक्षण, सक्षमता निर्माण और कौशल संवर्धन सम्मिलित है, इस पहल हेतु अपेक्षित मानव, साजो-सामान और अन्य संसाधनों को सूचीबद्ध किया जा सके, तथा इसके कार्यान्वयन हेतु कार्य समूहों का गठन किया जा सके या विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और उद्योग अग्रणियों को आमंत्रित किया जा सके, साथ ही परियोजना की समग्र स्कीम के निर्माण में योगदान किया जा सके। आईसीएआई कॉर्पोरेट मित्र समिति ने नियोजनीयता, कौशल विकास और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अभिवृद्धि के उद्देश्य से सरकारी पहलों का समर्थन करने की दिशा में अपने प्रयास जारी रखे। वर्ष के दौरान, समिति ने प्रधानमंत्री इंटरनेशिप स्कीम और प्रस्तावित कॉर्पोरेट मित्र स्कीम के संबंध में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के साथ सक्रिय रूप से सहभागिता की।

**(I) प्रधानमंत्री इंटरशिप स्कीम (पीएमआईएस)**

केंद्रीय बजट 2024-25 के अधीन कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा आरंभ प्रधानमंत्री इंटरशिप स्कीम (पीएमआईएस) का उद्देश्य भारत भर के युवाओं को संरचित, सवेतन और उद्योग-संबद्ध इंटरशिप अवसर प्रदान करना है। अनुभवात्मक अधिगम और व्यावहारिक प्रशिक्षण के महत्व को मान्यता प्रदान करते हुए, आईसीएआई ने इस पहल को अपना समर्थन दिया और उसे एमसीए द्वारा स्कीम के प्रायोगिक चरण III में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया।

**स्कीम की प्रमुख विशेषताओं में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :**

- ₹9,000 प्रति माह का इंटरशिप भत्ता, जिसमें भाग लेने वाली फर्म द्वारा ₹900 और एमसीए द्वारा ₹8,100 सम्मिलित हैं।
- एमसीए द्वारा ₹6,000 की एकवारगी वित्तीय सहायता।
- 9 माह की इंटरशिप अवधि।
- विहित मानदंडों के अधीन रहते हुए, 18 से 25 वर्ष की आयु के स्नातकों हेतु पात्रता।
- एमसीए द्वारा प्रशासित एक समर्पित एकल-खिड़की पोर्टल के माध्यम से कार्यान्वयन।

समिति ने विशेष रूप से टियर-II और टियर-III नगरों में व्यापक आउटरीच और सहभागिता के समर्थन हेतु अपने प्रयास जारी रखे, जिससे उद्योग-तैयार वृत्तियों के विकास में योगदान हुआ।

**(II) कॉर्पोरेट मित्रा स्कीम**

केंद्रीय बजट 2026-27 में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा घोषित कॉर्पोरेट मित्र स्कीम विनियामक, वित्तीय और शासन विषयों में उद्यमों की सहायता करने में सक्षम प्रशिक्षित और प्रमाणित पैरा-वृत्तियों का एक पूल सृजित करके एमएसएमई पारिस्थितिकी प्रणाली को सुदृढ़ करना चाहती है।

**स्कीम की प्रमुख विशेषताओं में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :**

- स्कीम में छह माह के संरचित ऑनलाइन शैक्षिक अधिगम, जिसके पश्चात् छह माह का कार्यस्थलीय प्रशिक्षण होगा, की परिकल्पना है।
- आईसीएआई ने लेखांकन, कराधान, बैंकिंग और वित्तीय प्रबंध पर मॉड्यूल विकसित किया और उसे विचारार्थ एमसीए को प्रस्तुत किया।
- स्कीम का आरंभ 2,000 प्रतिभागियों के साथ प्रस्तावित है, जिनमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के 200 प्रतिभागी सम्मिलित हैं।
- सफल अभ्यर्थियों को निर्धारणों और कार्यस्थलीय प्रशिक्षण के पूर्ण होने पर "कॉर्पोरेट मित्र" के रूप में प्रमाणित किया जाएगा और वे एमएसएमई अनुपालन सुविधाकर्ताओं के रूप में कार्य करने हेतु सज्जित होंगे।
- व्यापक अभिगम्यता और समावेशिता के संवर्धन हेतु शैक्षिक सामग्री को अनेक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

समिति ने स्कीम के शैक्षिक ढांचे के विकास में योगदान किया। लेखांकन, कराधान, बैंकिंग और वित्तीय प्रबंध पर मॉड्यूल अध्ययन बोर्ड (शैक्षिक), आईसीएआई के विषय संकायों द्वारा विकसित किया गया और विचारार्थ एमसीए को प्रस्तुत किया गया। इस स्कीम से ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस के सुदृढ़ होने, एमएसएमई अनुपालन अपेक्षाओं के समर्थन तथा देश भर के युवाओं हेतु संरचित रोजगार अवसरों के सृजन की आशा है।

### 8.13 केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय

संस्थान का केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय अपने पणधारियों की सूचना अपेक्षाओं की पूर्ति करता है। इसका लक्ष्य वर्तमान और भावी सदस्यों, छात्रों, शोधार्थियों और आईसीएआई के अधिकारियों को प्राथमिक और द्वितीयक मुद्रित और गैर-मुद्रित सामग्री का एक व्यापक और अद्यतन संग्रह उपलब्ध कराना है। पुस्तकालय ने पुस्तकों, ई-पुस्तकों, जर्नलों, पत्रिकाओं, ऑनलाइन डाटाबेसों, मुद्रित समाचारपत्रों तथा ई-समाचारपत्रों के माध्यम से ज्ञान और मूल्यवान जानकारी प्रदान करके समितियों और विभागों की सेवा में अधिक उत्तरदायित्व ग्रहण किए हैं तथा यह विभिन्न समितियों के कार्य हेतु अपेक्षित जर्नलों और पुस्तकों को अद्यतन करने और उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है।

केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय पूर्णतः कंप्यूटरीकृत है और लिबर्टी पुस्तकालय प्रबंध सॉफ्टवेयर के माध्यम से कार्य करता है। पुस्तकालय सामग्री, जिसमें पुस्तकों, जर्नलों और लेखों का डाटाबेस सम्मिलित है, की खोज विषय-वार, लेखक-वार, शीर्षक-वार, प्रकरण-वार, मुख्य शब्द-वार और प्रकाशक-वार की जा सकती है। ये अभिलेख आईसीएआई की वेबसाइट ([www.icai.org](http://www.icai.org)) पर “सेंट्रल काउंसिल लाइब्रेरी” के अधीन ऑनलाइन खोज ओपैक (लिबर्टी) के माध्यम से उपलब्ध हैं।

“अकाउंटेंट्स ब्राउज़र” स्तंभ के अधीन, लेखांकन वृत्ति से सुसंगत लेखों की एक अनुक्रमणिका प्रत्येक माह ‘द चार्टर्ड अकाउंटेंट’ जर्नल में प्रकाशित की जाती है। “अकाउंटेंट्स ब्राउज़र” महत्वपूर्ण वृत्तिक लेखों की एक अनुक्रमणिका है, जिसमें पूर्व लेखों के अभिलेखागार सम्मिलित हैं। पुस्तकालय द्वारा अनुसंधानकर्ताओं, शोधार्थियों, संकायों, छात्रों और सदस्यों को संदर्भ सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं।

पुस्तकालय द्वारा अनेक ऑनलाइन डाटाबेस अर्जित किए गए हैं, जिनके व्यौरे [www.icai.org](http://www.icai.org) पर “सेंट्रल काउंसिल लाइब्रेरी” के अधीन उपलब्ध हैं। ये ऑनलाइन ज्ञान डाटाबेस केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय में संस्थापित किए गए हैं और सदस्यों, संकायों और शोधार्थियों द्वारा अपेक्षित सामग्री की खोज को सुकर बनाने हेतु आंतरिक रूप से इन तक पहुंच बनाई जा सकती है। पुस्तकालय द्वारा अनेक ई-जर्नलों का भी अभिदान लिया गया है। वर्ष (1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026) के दौरान प्रधान कार्यालय स्थित केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय और नोएडा पुस्तकालय में जोड़े गए नए संसाधनों के व्यौरे निम्नानुसार हैं :

| क्रम सं. | विवरण                                         | केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय<br>(मुख्यालय) | केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय<br>(सेक्टर 62, नोएडा) |
|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1        | जर्नल (मुद्रित) – राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय | 28                                      | 14                                              |
| 2        | ऑनलाइन संसाधन                                 | 16                                      | 12                                              |
| 3        | अवधि के दौरान जोड़ी गई नई पुस्तकें            | 195                                     | 276                                             |

केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय वृत्तिक सदस्यों, छात्रों, संकायों और अन्य पणधारियों को नवीनतम और सर्वाधिक अद्यतन ज्ञान और जानकारी उपलब्ध कराने हेतु अपने संसाधनों को नियमित रूप से अद्यतन करता है।

### 8.14 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना तथा प्रत्येक लोक प्राधिकरण के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का संवर्धन करना है। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई), जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय है, आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 2(ज) में यथापरिकल्पित एक

लोक प्राधिकरण है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों और केंद्रीय सूचना आयोग के निदेशों के अनुपालन में, संस्थान के अधिकारियों को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ), केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) के रूप में अभिहित किया गया है।

आरटीआई प्रकोष्ठ, आईसीएआई को छात्रों, सदस्यों, अन्य पणधारियों और नागरिकों से बड़ी संख्या में आरटीआई आवेदन प्राप्त होते हैं, जिनका समय पर उत्तर दिया जाता है। आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के निबंधनानुसार, सभी आवश्यक प्रकटन संस्थान की वेबसाइट ([www.icaai.org](http://www.icaai.org)) पर होस्ट करके किए गए हैं, जिन्हें समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।

अवधि 2025-26 के दौरान, कुल 2,29,758 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से अधिकांश सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रतियों हेतु अनुरोध हैं। इसके अतिरिक्त, अनुशासनिक कृत्यों, मानव संसाधन विकास, परीक्षाओं और प्रशासन से संबंधित बड़ी संख्या में आरटीआई आवेदन भी प्राप्त हुए। श्रेणी-वार विवरण निम्नानुसार है :

| अवधि                | फाउंडेशन | इंटरमीडिएट | फाइनल  | अन्य | योग      |
|---------------------|----------|------------|--------|------|----------|
| जून से दिसंबर 2025  | 20,292   | 73,717     | 58,815 | 574  | 1,53,398 |
| जनवरी से मार्च 2026 | 10,007   | 37,581     | 28,560 | 212  | 76,360   |
| योग 2025-26         | 30,299   | 1,11,298   | 87,375 | 786  | 2,29,758 |

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सूचना आयोग की 11 सुनवाईयों में भाग लिया गया तथा वर्ष के दौरान प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के अनेक आदेशों का उत्तर दिया गया।

## 9. निदेशालय

### 9.1 हितग्राही स्कीम निदेशालय

हितग्राही स्कीम निदेशालय आईसीएआई के सदस्यों और छात्रों तथा अन्य हितग्राहियों, यदि कोई हों, हेतु हितग्राही उत्पादों और सेवाओं को सुकर बनाने; पणधारी अपेक्षाओं का निर्धारण करने; रणनीतिक गठबंधनों की खोज करने; विद्यमान स्कीमों का पुनर्विलोकन करने; प्रस्तावों का मूल्यांकन करने; हितग्राही स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु दस्तावेजीकरण का प्रारूपण और परीक्षण करने; शासन और सेवा ढांचों की स्थापना करने; संप्रेषण और आउटरीच पहलों के माध्यम से जागरूकता का सृजन करने; हितग्राही स्कीमों तक पहुंच को सुकर बनाने हेतु प्रौद्योगिकी-समर्थ मंच विकसित करने; कल्याण, कार्य-जीवन संतुलन तथा पर्यावरणीय रूप से संवहनीय आदतों और व्यवहारों का संवर्धन करने; आईसीएआई नेटवर्क में हितग्राही स्कीमों के संवर्धन और उपयोग हेतु एक केंद्रीयकृत ढांचे का कार्यान्वयन करने; तथा प्रैक्टिस प्रबंध सॉफ्टवेयर (पीएमएस) के अंगीकरण का संवर्धन करने के लिए उत्तरदायी है।

हितग्राही स्कीम निदेशालय अपने समर्पित मंच [bs.icaai.org](http://bs.icaai.org) के माध्यम से बीमा, स्वास्थ्य देखभाल, बैंकिंग, प्रौद्योगिकी, वृत्तिक साधनों और मूल्य-वर्धित सेवाओं में फायदों की एक व्यापक पारिस्थितिकी प्रणाली प्रदान करके सदस्य कल्याण में अभिवृद्धि की दिशा में अपने प्रयास जारी रखे हुए है।

**(I) स्वास्थ्य, कल्याण और फिटनेस पहलें**

सदस्यों और छात्रों में शारीरिक फिटनेस, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और समग्र कल्याण के संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करते हुए, निदेशालय ने वर्ष के दौरान विभिन्न कल्याण पहलें कीं :

- फिट इंडिया मूवमेंट के अधीन विश्व साइकिल दिवस 2026 में आईसीएआई की सहभागिता का समर्थन किया गया तथा सदस्यों, छात्रों, शाखाओं और क्षेत्रीय परिषदों को राष्ट्रव्यापी “संडेज ऑन साइकिल” अभियान में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया गया।
- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के संबंध में, जनसंपर्क समिति के साथ संयुक्त रूप से, शाखाओं और क्षेत्रीय परिषदों में 160 से अधिक योग कार्यक्रमों का संचालन किया गया।
- सदस्यों हेतु स्वास्थ्य, कल्याण, कार्य-जीवन संतुलन, नेतृत्व, वित्तीय योजना और वृत्तिक विकास को सम्मिलित करते हुए, 30 जून, 2026 तक 45 लाइव वेबकास्टों का आयोजन किया गया।

**(II) सदस्य सुविधा और वृत्तिक विकास पहलें**

सदस्यों की वृत्तिक और करियर आकांक्षाओं के समर्थन हेतु, निदेशालय ने विभिन्न अधिगम और विकास अवसरों को सुकर बनाया :

- सिविल सेवाओं में जाने के आकांक्षी चार्टर्ड अकाउंटेंट सदस्यों हेतु संकल्प आईएएस सुविधा पहल से संबंधित जानकारी का प्रसार किया गया।
- वेबिनारों और वृत्तिक आउटरीच पहलों के माध्यम से सदस्यों को अधिगम, मेंटरिंग और ज्ञान-साझाकरण अवसरों तक पहुंच निरंतर प्रदान की गई।

**(III) सदस्य फायदों हेतु डिजिटल मंच**

सदस्य सेवाओं और फायदों तक निर्बाध पहुंच प्रदान करने हेतु, निदेशालय ने अपने समर्पित डिजिटल मंच को सुदृढ़ किया :

- हितग्राही स्कीम पोर्टल ([bs.icaai.org](https://bs.icaai.org)) के माध्यम से बीमा, स्वास्थ्य देखभाल, बैंकिंग, प्रौद्योगिकी समाधानों और मूल्य-वर्धित सेवाओं तक एकीकृत पहुंच निरंतर प्रदान की गई, जिससे सदस्य और छात्र एक एकीकृत डिजिटल मंच के माध्यम से विभिन्न स्कीमों और फायदों तक पहुंच बनाने में समर्थ हुए।

**(IV) बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं**

निदेशालय ने अग्रणी वित्तीय संस्थाओं के साथ सहयोगों के माध्यम से सदस्यों हेतु बैंकिंग और वित्तीय समाधानों को सुकर बनाना जारी रखा :

- एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं, जिनमें चालू खाता, बचत खाता और क्रेडिट कार्ड सुविधाएं सम्मिलित हैं।
- एचडीएफसी बैंक के माध्यम से सावधि ऋण और ड्रॉपलाइन ओवरड्राफ्ट सुविधाएं।
- बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से क्रेडिट कार्ड सुविधाएं।
- ऋण तक सुव्यवस्थित पहुंच हेतु ऑनलाइन पीएसबी ऋण सुविधा।



**(V) बीमा और जोखिम संरक्षण सेवाएं**

निदेशालय ने सदस्यों और उनके परिवारों हेतु वित्तीय सुरक्षा और जोखिम संरक्षण के सुदृढीकरण के उद्देश्य से बीमा समाधानों की एक श्रृंखला निरंतर प्रदान की :

- एचडीएफसी ग्रुप पूर्ण सुरक्षा टर्म बीमा स्कीम ।
- एलआईसी टर्म बीमा स्कीम ।
- न्यू इंडिया एश्योरेंस के माध्यम से चिकित्सा बीमा स्कीम ।
- वृत्तिक क्षतिपूर्ति बीमा स्कीम ।
- मोटर यान बीमा स्कीम ।
- व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी ।
- हाउसहोल्डर बीमा स्कीम ।
- ऑफिस प्रोटेक्शन शील्ड स्कीम ।

**(VI) स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं**

निवारक स्वास्थ्य देखभाल और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच के महत्व को मान्यता प्रदान करते हुए, निदेशालय ने प्रतिष्ठित स्वास्थ्य देखभाल भागीदारों के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल फायदों को सुकर बनाया :

- अपोलो डायग्नोस्टिक्स और अपोलो प्रोहेल्थ के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल और नैदानिक सेवाएं ।
- फोर्टिस हेल्थकेयर, डॉ. लाल पैथलैब्स, मैक्स हेल्थकेयर सर्विसेज और मेदांता के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं ।
- एनआईए हेल्थ इश्योरेंस, टूवर्थ वेलनेस और टाटा 1एमजी के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा और कल्याण सेवाएं ।

**(VII) प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर और वृत्तिक साधन**

डिजिटल रूपांतरण के समर्थन और वृत्तिक दक्षता में सुधार हेतु, निदेशालय ने प्रौद्योगिकी समाधानों और वृत्तिक साधनों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच को सुकर बनाया :

- प्रैक्टिस प्रबंध, लेखापरीक्षा और अनुपालन समाधान, जिनमें पीएमएस, एनीऑडिट, एनईएसएल आईयू ऑडिट, फर्मवे, क्लिक2कन्फर्म और सिम्प्लीफाई प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सम्मिलित हैं ।
- लेखांकन, कराधान और जीएसटी समाधान, जिनमें टैली, जीएसटी सॉफ्टवेयर केडीके, टीडीएस सॉफ्टवेयर केडीके, सीए-टीडीएसमैन, स्पेक्टा जीएसटी, एक्यूरेको, सुविट और रैपटैक्स सम्मिलित हैं ।
- कारोबार उत्पादकता और स्वचालन समाधान, जिनमें ज़ोहो, ईज़ी ऑफिस, फाइनोन, माय बिल बुक, बिल मंत्रा और रेज़रपे सम्मिलित हैं ।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विधिक अनुसंधान और विश्लेषण साधन, जिनमें विदुर, एश्योर एआई, प्रोब42, सीएलएऑनलाइन और गवईवा सम्मिलित हैं ।
- डिजिटल अवसंरचना और सुरक्षा समाधान, जिनमें भारत क्लाउड, माय मीट, क्लिक हील एंटीवायरस और स्क्रीनज़ा सम्मिलित हैं ।

### (VIII) रणनीतिक गठबंधन और मूल्य-वर्धित सेवाएं

निदेशालय ने प्रतिष्ठित संगठनों के साथ रणनीतिक सहयोगों के माध्यम से सदस्य फायदों की टोकरी का विस्तार किया :

- कमर्शियल पब्लिकेशन, सीएलएऑनलाइन और सीए/सीएस प्रोजेक्ट के माध्यम से ज्ञान और अनुसंधान समर्थन ।
- सैमसंग, गूगल पिक्सेल (शिवामी), गवईवा, विदुर और एक्स्पूरेको के माध्यम से प्रौद्योगिकी और डिजिटल समाधान ।
- एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ बैंकिंग और वित्तीय सेवा गठबंधन।
- अपोलो डायग्नोस्टिक्स और अन्य अग्रणी स्वास्थ्य देखभाल और नैदानिक सेवा प्रदाताओं के साथ स्वास्थ्य देखभाल भागीदारियां ।
- बैंकिंग, स्वास्थ्य देखभाल, प्रौद्योगिकी, वृत्तिक सेवाओं और ज्ञान समाधानों में रणनीतिक सहयोगों के माध्यम से सदस्य फायदा पारिस्थितिकी प्रणाली को सुदृढ़ किया गया, जिससे सदस्यों और छात्रों को मूल्य-वर्धित उत्पादों और सेवाओं तक उन्नत पहुंच प्राप्त हुई ।

### 9.2 उत्कृष्टता केंद्र निदेशालय (सीओईडी)

आईसीएआई का उत्कृष्टता केंद्र निदेशालय (सीओईडी) संस्थान की एक प्रमुख ज्ञान और वैचारिक नेतृत्व शाखा के रूप में कार्य करता है, जिसका ध्यान सक्षमता निर्माण, अनुसंधान और नीति-उन्मुख पहलों पर केंद्रित है । सदस्यों की वृत्तिक सक्षमताओं को सुदृढ़ करने और राष्ट्रीय आर्थिक प्राथमिकताओं में सार्थक योगदान करने की अपनी परिकल्पना से मार्गदर्शित होकर, निदेशालय ने उन्नत अधिगम, संरचित ज्ञान प्रसार और साक्ष्य-आधारित नीतिगत पक्ष-समर्थन को एकीकृत करने वाली अनेक पहलें की हैं । अपनी अनुसंधान पहलों, प्रमुख सक्षमता-निर्माण कार्यक्रमों और ज्ञान शृंखला वेबकास्टों के माध्यम से, सीओईडी ने नीति-निर्माताओं और अन्य पणधारियों हेतु एक विश्वसनीय और भरोसेमंद ज्ञान भागीदार के रूप में आईसीएआई की स्थिति को और अधिक सुदृढ़ किया है तथा यह सहयोगात्मक नेटवर्कों के विस्तार और संवहनीय आर्थिक विकास हेतु भविष्योन्मुखी अंतर्दृष्टि के विकास के प्रति प्रतिबद्ध बना हुआ है ।

### वर्ष 2025-26 हेतु निदेशालय की प्रमुख उपलब्धियां/मील के पत्थर

- **विचारकों के साथ ज्ञान शृंखला लाइव वेबकास्ट :** निदेशालय ने वर्ष के दौरान प्रख्यात विचारकों के साथ 3 लाइव वेबकास्टों का आयोजन किया, जिनके विषय थे “जमशेदजी टाटा का कॉर्पोरेट सफलता का ब्लूप्रिंट”, “प्रस्तावित ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पहल के आर्थिक और राजकोषीय निहितार्थ” तथा “राज्य क्षमता, राजकोषीय संघवाद और भारत में लोक वित्त का भविष्य” ।
- **अनुसंधान और नीतिगत पक्ष-समर्थन पहलें :** निदेशालय उभरती आर्थिक प्राथमिकताओं और शासन चुनौतियों का समाधान करने वाली सुशोधित और उच्च-प्रभाव वाली रिपोर्टों के माध्यम से नीतिगत विमर्श में एक विचारक के रूप में आईसीएआई की स्थिति को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है, जिससे नीति-निर्माताओं हेतु कार्रवाई-योग्य इनपुट उपलब्ध होते हैं और सदस्य विकसित होते कारोबारी और विनियामक परिवेश की गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में समर्थ होते हैं ।
- **प्रमुख अनुसंधान उपलब्धियां :** निदेशालय ने वर्ष के दौरान पांच महत्वपूर्ण अनुसंधान अध्ययन पूर्ण किए, जिनमें से प्रत्येक राष्ट्रीय नीतिगत विमर्श और विकास में सार्थक योगदान करता है –
  - फ्रॉम पॉलिसी टू प्रॉफिट : लक्षित सरकारी पहलों के माध्यम से जम्मू और कश्मीर में एमएसएमई राजस्वों का प्रवर्धन;
  - सिक्रोनाइजिंग डेमोक्रेसी : एक राष्ट्र, एक चुनाव का अर्थशास्त्र;
  - होप इन द हिल्स : तुलनात्मक नीतिगत नवप्रवर्तन के माध्यम से जम्मू और कश्मीर में एमएसएमई का सुदृढीकरण;
  - सिंगापुर में पारिवारिक कारोबार कार्यालयों का उदय; तथा
  - पूर्वोत्तर क्षेत्र के पुष्प उद्योग हेतु प्रभावी लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति शृंखला प्रबंध ।

“फ्रॉम पॉलिसी टू प्रॉफिट” रिपोर्ट 12 अगस्त, 2025 को पहलगाम, जम्मू और कश्मीर में आयोजित 445वीं परिषद् बैठक के दौरान जम्मू और कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री, श्री उमर अब्दुल्ला को सौंपी गई।

- **उन्नत प्रमुख कार्यक्रम :** उन्नत प्रमुख कार्यक्रम “एम्पावरिंग ट्रस्टेड एडवाइजर्स – पारिवारिक उद्यमों की क्षमता को अनलॉक करना” के बैच 2 का संचालन आईसीएआई उत्कृष्टता केंद्र, हैदराबाद में किया गया, जो सदस्यों को विकसित होते कारोबारी परिवेशों हेतु गहन क्षेत्र विशेषज्ञता और व्यावहारिक कौशलों से सज्जित करने की निदेशालय की प्रतिबद्धता को जारी रखता है।
- **प्रगतिशील अनुसंधान परियोजनाएं :** पांच और परियोजनाओं पर सघन अनुसंधान कार्य चल रहा है, अर्थात् आंध्र प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लेखांकन, लेखापरीक्षा और विधिक ढांचे का एक निर्धारण; महिला निदेशक अधिदेश के दस वर्ष – लिंग-समावेशी शासन के सुदृढीकरण हेतु अंतर्दृष्टि; राष्ट्र-निर्माण में एमएसएमई की रणनीतिक भूमिका और विकसित भारत 2047 में उनका योगदान; तथा भारत-श्रीलंका और भारत-कंबोडिया आर्थिक और क्षेत्रगत सहयोग का पोषण।
- **अनुसंधान सुविधाओं में अभिवृद्धि :** निदेशालय उन्नत अनुसंधान सॉफ्टवेयर तथा प्राइम डाटाबेस, प्रोवेस आईक्यू, प्रोवेस डीएक्स, स्टेटा और ईबीएससीओ जैसे विख्यात जर्नल डाटाबेसों तक पहुंच में निवेश करके अपनी अनुसंधान अवसंरचना को निरंतर सुदृढ कर रहा है, जिससे सदस्य और अनुसंधानकर्ता वैश्विक मानकों के साथ सुमेलित उच्च-गुणवत्ता वाले शैक्षिक और वृत्तिक अनुसंधान हेतु अपेक्षित साधनों से सज्जित होते हैं।

### 9.3 सतत वृत्तिक शिक्षा निदेशालय

सतत वृत्तिक शिक्षा समिति (सीपीई) (पूर्व नाम : सतत वृत्तिक शिक्षा समिति) आईसीएआई की परिषद् की एक गैर-स्थायी समिति है, जिसे परिषद् के निदेशों के अधीन पीओयू, सदस्यों आदि के सीपीई क्रियाकलापों हेतु रणनीतिक दिशाएं निर्धारित करने और उनकी निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया है। पुनर्विलोकनाधीन वर्ष के दौरान, पूर्ववर्ती सतत वृत्तिक शिक्षा समिति (सीपीईसी) को पुनर्गठित कर परिषद् वर्ष 2026-27 हेतु आईसीएआई के “सीपीई निदेशालय (सीपीईडी)” के रूप में पुनः अभिहित किया गया। निदेशालय को संरचित अधिगम, नीतिगत सुधारों, डिजिटल रूपांतरण और उन्नत आउटरीच पहलों के माध्यम से संस्थान के सतत वृत्तिक शिक्षा ढांचे के सुदृढीकरण का दायित्व सौंपा गया है, जिसका उद्देश्य सदस्यों का सतत वृत्तिक विकास सुनिश्चित करना है।

सीपीई निदेशालय ने अपनी कार्यक्रम आयोजक इकाइयों (पीओयू) के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से देश भर में और विदेशों में उच्च-गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन और सुविधा प्रदान करके आजीवन अधिगम और वृत्तिक उत्कृष्टता का संवर्धन जारी रखा। पुनर्विलोकनाधीन अवधि के दौरान, निदेशालय ने प्रमुख नीतिगत पहलों और सुधारों के विचार-विमर्श और कार्यान्वयन हेतु नई दिल्ली और जयपुर में सात बैठकें कीं, जिनमें पूर्ववर्ती सीपीईसी और नवगठित सीपीईडी की बैठकें सम्मिलित हैं।

#### (I) सीपीई नेटवर्क का विस्तार

निदेशालय की प्रमुख उपलब्धियों में से एक दूरस्थ और अल्पसेवित क्षेत्रों में सीपीई नेटवर्क का विस्तार रही। वर्ष के दौरान की गई एक व्यापक कवायद में 851 संभावित स्थानों की पहचान की गई, जिनमें जिला और तहसील स्तरों पर 260 संभावित स्टडी चैप्टर और 591 स्टडी ग्रुप सम्मिलित हैं। इस पहल के परिणामस्वरूप, स्टडी सर्किलों, स्टडी चैप्टरों और स्टडी ग्रुपों सहित 17 नई सीपीई पीओयू स्थापित की गईं, जिससे वृत्तिक शिक्षा पहलों की भौगोलिक पहुंच और अभिगम्यता में उल्लेखनीय अभिवृद्धि हुई।

## (II) सुधार-उन्मुख पहलें

सीपीई निदेशालय ने सीपीई ढांचे को सुदृढ़ करने और प्रचालनगत दक्षता में सुधार हेतु परिषद् द्वारा अनुमोदित अनेक सुधार-उन्मुख पहलें कीं। इनमें सम्मिलित थीं : (क) सीपीई कार्यक्रमों हेतु न्यूनतम फीस संरचना में पुनरीक्षण; (ख) स्टडी चैप्टरों हेतु स्थायी आस्ति क्रय सीमाओं में अभिवृद्धि; (ग) केंद्रीय समितियों हेतु संगोष्ठी सीमाओं का युक्तिकरण; (घ) प्रमुख कार्यक्रमों हेतु तकनीकी सत्रों की न्यूनतम अवधि में कमी; (ङ) कैलेंडर वर्ष 2026 से प्रभावी सीपीई घंटों की अपेक्षाओं में पुनरीक्षण; तथा (च) सदस्यों हेतु छूट मानदंडों का सरलीकरण। इसके अतिरिक्त, निदेशालय ने नए डिजीसीए सीपीई पोर्टल के माध्यम से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बेनेवोलेंट फंड (सीएबीएफ) में स्वैच्छिक अंशदान को सुकर बनाया तथा बेहतर उत्तरदायित्व और कार्यक्रमों के नियमित संचालन को सुनिश्चित करने हेतु स्टडी चैप्टरों हेतु अनुदान दिशानिर्देशों का पुनर्विलोकन किया।

## (III) डिजीसीए सीपीई पोर्टल

सीपीई पारिस्थितिकी प्रणाली को आधुनिक और सुव्यवस्थित करने हेतु, निदेशालय ने डिजीसीए सीपीई पोर्टल के कार्यान्वयन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की, जो एक व्यापक डिजिटल मंच है, जिसका उद्देश्य स्वचालन, पारदर्शिता, वास्तविक समय उपस्थिति ट्रेकिंग, दक्ष कार्यक्रम अनुमोदन तथा सदस्यों और कार्यक्रम आयोजक इकाइयों हेतु एक निर्बाध अनुभव सुनिश्चित करना है। इस पोर्टल से कार्यक्रम प्रबंध, निगरानी, अनुपालन और सीपीई क्रियाकलापों की अभिगम्यता में उल्लेखनीय सुधार की आशा है।

## (IV) ज्ञान प्रसार और कार्यक्रम

- निदेशालय ने वर्ष 2025-26 हेतु वार्षिक सीपीई कैलेंडर जारी किया तथा "सीपीई बुलेटिन" का 23वां संस्करण प्रकाशित किया, जिसमें वर्ष के दौरान की गई प्रमुख पहलों, विकासक्रमों और नीतिगत विनिश्चयों को रेखांकित किया गया।
- निदेशालय ने सदस्यों हेतु प्रत्यक्ष रूप से 136 कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें विविध और समकालीन वृत्तिक विषयों को सम्मिलित करने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन, आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं और वेबिनार सम्मिलित हैं।
- भारत में और विदेशों में 709 सीपीई कार्यक्रम आयोजक इकाइयों के अपने सशक्त नेटवर्क के माध्यम से, निदेशालय ने बड़े स्तर पर वृत्तिक अधिगम गतिविधियों को सुकर बनाया। 1 अप्रैल, 2025 से 30 अप्रैल, 2026 की अवधि के दौरान, कुल 9,127 भौतिक और वर्चुअल सीपीई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें 8,59,447 सदस्यों की सहभागिता रही। इन कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप 49,157 सीपीई घंटे प्रदान किए गए और 50,79,228 संरचित सीपीई घंटों का सृजन हुआ।
- निदेशालय ने विभिन्न पीओयू और केंद्रीय समितियों द्वारा अनेक राष्ट्रीय स्तर की शैक्षिक पहलों के आयोजन को भी सुकर बनाया, जिनमें 1,228 लाइव वेबकास्ट/वेबिनार, प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के 652 बैच, अर्हता-पश्च पाठ्यक्रमों के 72 बैच, जापानी, स्पेनिश और फ्रेंच में विदेशी भाषा अधिगम कार्यक्रम, तथा आईसीएआई आरवीओ और आईआईआईपीआई द्वारा संचालित पूर्व-रजिस्ट्रीकरण शिक्षा पाठ्यक्रम बैच सम्मिलित हैं।

**(V) विषय-विनिर्दिष्ट सीपीई कार्यक्रमों के माध्यम से सरकारी प्रयासों का समर्थन**

आईसीएआई अपने 709 सीपीई पीओयू के सशक्त नेटवर्क के माध्यम से देश भर में भौतिक और वर्चुअल, दोनों मोड में विषय-विनिर्दिष्ट सीपीई कार्यक्रमों का आयोजन करके विभिन्न सरकारी प्रयासों का समर्थन करता है, जो निम्नानुसार है :

| क्रम सं. | सीपीई कार्यक्रम का विषय                                                              | कार्यक्रमों की संख्या (1.4.2025 से 30.4.2026) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1        | कृत्रिम बुद्धिमत्ता                                                                  | 1,781                                         |
| 2        | जीएसटी और जीएसटी लेखापरीक्षा                                                         | 1,296                                         |
| 3        | लेखापरीक्षा मानक                                                                     | 524                                           |
| 4        | नैतिक मानक, नैतिकता संहिता, वृत्तिक नैतिकता                                          | 259                                           |
| 5        | एमएसएमई, भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्ट-अप                                     | 253                                           |
| 6        | कारोबार, बैंकिंग और बीमा, वित्तीय सेवाएं                                             | 184                                           |
| 7        | रेरा                                                                                 | 140                                           |
| 8        | कंपनी अधिनियम                                                                        | 101                                           |
| 9        | सॉफ्ट स्किल्स, तनाव प्रबंध, जीवनशैली प्रबंध जहां योग जीवन शैली है, कार्य-जीवन संतुलन | 79                                            |
| 10       | दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता                                                        | 62                                            |
| 11       | कारोबार उत्तरदायित्व और संवहनीयता रिपोर्टिंग                                         | 55                                            |
| 12       | एक्यूएमएम                                                                            | 46                                            |

वर्ष के दौरान की गई पहलों ने आईसीएआई की वृत्तिक अधिगम पारिस्थितिकी प्रणाली को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ किया है तथा अपने सदस्यों हेतु सतत वृत्तिक विकास, प्रौद्योगिकीय समुन्नति, अभिगम्यता और वृत्तिक उत्कृष्टता के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता को प्रबल बनाया है।

**9.4 डिजिटल री-इंजीनियरिंग और रूपांतरण निदेशालय (डीआरटीडी)**

डिजिटल री-इंजीनियरिंग और रूपांतरण निदेशालय (डीआरटीडी) ने वर्ष के दौरान आईसीएआई के डिजिटल रूपांतरण एजेंडा को आगे बढ़ाना जारी रखा, जिससे सदस्यों, छात्रों और आंतरिक पणधारियों हेतु डिजिटल शासन, स्वचालन और ऑनलाइन सेवा परिदान सुदृढ़ हुआ। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान की गई प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं :

**(I) क्षेत्रीय कार्यालयों में एंटरप्राइज दस्तावेज प्रबंध प्रणाली (डीएमएस) का कार्यान्वयन**

आईसीएआई ने सभी पांच क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु एक बड़े स्तर की दस्तावेज प्रबंध प्रणाली (डीएमएस) परियोजना को युद्ध स्तर पर सफलतापूर्वक पूर्ण किया, जिसके परिणामस्वरूप 8 करोड़ से अधिक दस्तावेजों का डिजीटलीकरण और अभिलेखन हुआ। इस

पहल ने संस्थान भर में केंद्रीयकृत अभिलेख प्रबंध, सुरक्षित दस्तावेज पुनर्प्राप्ति, विरासती अभिलेखों के परिरक्षण, प्रचालनगत दक्षता और डिजिटल शासन को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ किया है। यह परियोजना कागज-रहित, प्रौद्योगिकी-चालित और दक्षता से प्रबंधित सांस्थानिक पारिस्थितिकी प्रणाली की आईसीएआई की परिकल्पना की दिशा में एक प्रमुख मील का पत्थर है।

## (II) डिजीलॉकर पर डिजिटल क्रेडेंशियल

आईसीएआई ने डिजीलॉकर के माध्यम से सदस्यता पहचान पत्रों और परीक्षा अंकतालिकाओं को जारी किया जाना समर्थ बनाया, जिससे सदस्यों और छात्रों हेतु सुरक्षित डिजिटल पहुंच और कागज-रहित सेवा परिदान सुदृढ़ हुआ। यह पहल प्रमाणीकृत शैक्षिक और वृत्तिक क्रेडेंशियलों की कभी भी, कहीं भी उपलब्धता को सुकर बनाती है, जो भारत सरकार की डिजिटल इंडिया परिकल्पना और एक उन्नत डिजिटल शासन ढांचे के साथ सुमेलित है।

## (III) केंद्रीयकृत सीएमएस के माध्यम से आईसीएआई शाखाओं हेतु साझा वेबसाइट लेआउट और मानकीकृत डिजिटल पहचान

आईसीएआई ने शाखा वेबसाइटों हेतु एक केंद्रीयकृत सामग्री प्रबंध प्रणाली (सीएमएस) को कार्यान्वित करके अपनी डिजिटल रूपांतरण पहल जारी रखी, जिससे आईसीएआई नेटवर्क में एक साझा लेआउट, एक मानकीकृत डिजाइन ढांचा और एक एकीकृत डिजिटल पहचान समर्थ हुई। 30 अप्रैल, 2026 की स्थिति के अनुसार, 48 शाखाओं से आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 36 शाखा वेबसाइटें सफलतापूर्वक विकसित कर साझा की गईं। यह पहल ब्रांडिंग में सुसंगतता, बेहतर अभिगम्यता, उन्नत सुरक्षा, सामग्री प्रबंध की सुगमता और आईसीएआई वेब नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करती है। शाखाओं को अपनी डिजिटल उपस्थिति सुदृढ़ करने में समर्थन देने हेतु, आईसीएआई मुख्यालय ने वेबसाइट विकास, एडब्ल्यूएस क्लाउड होस्टिंग और ऑनबोर्डिंग समर्थन की प्रमुख लागत वहन की, जिससे शाखाएं एक वृत्तिक और लागत-प्रभावी डिजिटल पारिस्थितिकी प्रणाली स्थापित करने में समर्थ हुईं।

## (IV) केंद्रीयकृत डिजिटल अभिलेख प्रबंध हेतु आईसीएआई सैपशॉट्स पोर्टल का शुभारंभ

आईसीएआई ने समितियों, बोर्डों, विभागों, क्षेत्रीय परिषदों, शाखाओं और विभिन्न आईसीएआई पोर्टलों/एप्लिकेशनों हेतु एक केंद्रीयकृत डिजिटल निक्षेपागार और दस्तावेज प्रबंध मंच के रूप में “सैपशॉट्स” पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल को आधिकारिक दस्तावेजों, रिपोर्टों, परिपत्रों, बैठक अभिलेखों, चुनिंदा फोटोग्राफों और अन्य सांस्थानिक डाटा के सुरक्षित भंडारण, व्यवस्थित संगठन, सुगम पुनर्प्राप्ति और दक्ष साझाकरण को सुकर बनाने हेतु अभिकल्पित किया गया है। यह मंच सरकारों, व्यापार संगठनों, विश्वविद्यालयों, वृत्तिक निकायों और प्रौद्योगिकी भागीदारों के साथ निष्पादित समझौता ज्ञापन/पारस्परिक मान्यता करारों हेतु एक समर्पित निक्षेपागार के रूप में भी कार्य करता है, साथ ही इसमें आईसीएआई के पोर्टलों और एप्लिकेशनों की सूची तथा विक्रेताओं के साथ गैर-प्रकटन करार (एनडीए) भी सम्मिलित हैं। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल शासन को सुदृढ़ करना, सांस्थानिक स्मृति का परिरक्षण करना, प्रचालनगत दक्षता में सुधार करना तथा आईसीएआई भर में कागज-रहित कार्य परिवेश का संवर्धन करना है, साथ ही संस्थान के महत्वपूर्ण संगठनात्मक अभिलेखों, रणनीतिक भागीदारियों और प्रमुख मील के पत्थरों के सहयोग, अभिगम्यता, सुरक्षित अभिलेखन और दीर्घकालिक परिरक्षण में अभिवृद्धि करना है।

## (V) एंगेज प्लेटफॉर्म – आईसीएआई की क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं हेतु एक एकीकृत केंद्रीयकृत सामूहिक संप्रेषण तंत्र

डीआरटी निदेशालय ने ‘एंगेज’ विकसित किया, जो एक केंद्रीयकृत संप्रेषण मंच है, जिससे आईसीएआई की क्षेत्रीय परिषदों और शाखाएं अपने क्षेत्राधिकार के भीतर सदस्यों और छात्रों को सुरक्षित और दक्ष रीति से सामूहिक ईमेल और एसएमएस भेजने में समर्थ होती हैं। सभी पांच क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों हेतु प्रदर्शनों और प्रशिक्षण के एक दौर के पश्चात्, आईसीएआई के आरबीए निदेशालय के समन्वय से, इस मंच को सभी क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं में रोलआउट किया

गया है। 30 अप्रैल, 2026 की स्थिति के अनुसार, एंगेज लॉगिन क्रेडेंशियल आईसीएआई की सभी 186 शाखाओं के साथ साझा किए जा चुके हैं, जिनमें से 55 शाखाएं इस मंच के माध्यम से सामूहिक ईमेल सेवाओं का उपयोग कर रही हैं और 26 शाखाएं एसएमएस सेवाओं का उपयोग कर रही हैं। डीआरटीडी सचिवालय सभी क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं हेतु एंगेज प्लेटफॉर्म पर आवधिक प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन कर रहा है।

#### (VI) आईसीएआई डिजिटल लर्निंग हब

आईसीएआई डिजिटल लर्निंग हब एक ऐसी पहल है, जिसका उद्देश्य सदस्यों, छात्रों और अन्य पणधारियों को उन्नत अधिगम अवसर और संसाधन उपलब्ध कराने हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है। शैक्षिक सामग्रियों और संसाधनों को डिजिटल प्रारूप में केंद्रीयकृत करके, यह हब ई-पुस्तकों, वेबिनारों, पाठ्यक्रमों और परस्पर क्रियाशील मॉड्यूलों सहित अधिगम सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला तक सुगम पहुंच को सुकर बनाता है, जिससे सतत वृत्तिक विकास का संवर्धन होता है और यह सुनिश्चित होता है कि उपयोक्ता कभी भी और कहीं भी उच्च-गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री तक पहुंच बना सकें। यह हब वर्षों में विकसित हुआ है, जिसमें वर्चुअल और भौतिक पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु विभिन्न अनुकूलन और आईसीएआई प्रक्रियाओं का सुमेलन समर्थ किया गया है। वर्तमान में इसका उपयोग केंद्रीय समितियों द्वारा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों, अर्हता-पश्चात् पाठ्यक्रमों, पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों, सीपीई कार्यक्रमों और ऑनलाइन स्व-गति पाठ्यक्रमों हेतु किया जा रहा है तथा इसका विस्तार आईसीएआई की शाखाओं और क्षेत्रीय परिषदों तक उनके वर्चुअल सीपीई कार्यक्रमों और वेब व्याख्यानों के संचालन हेतु किया गया है। डिजिटल लर्निंग हब मोटे तौर पर अपने पणधारियों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करता है :

- वृत्तिक और शैक्षिक अधिगम हेतु ज्ञान निक्षेपागार, जिसमें सामग्री परिदान के माध्यम से पाठ्यक्रमों, व्याख्यानों और अन्य अधिगम सामग्रियों तक पहुंच उपलब्ध होती है।
- प्रत्येक शिक्षार्थी के अनुरूप अनेक प्रारूपों (दस्तावेज, पीपीटी, वीडियो, ऑडियो, स्कॉर्म) में अधिगम सामग्री।
- अर्जित क्रेडिट प्रदर्शित करने वाली लीडर बोर्ड सुविधा तथा अर्जित सीपीई घंटों के आधार पर सदस्यों को बैज।
- आईसीएआई के सदस्यों हेतु संरचित और असंरचित सीपीई घंटों के क्रेडिट।
- विचारों को साझा करने हेतु समुदाय।
- सरकारी अधिकारियों, बैंक अधिकारियों और एमआरए/एमओयू/एसएएफए सदस्यों हेतु पाठ्यक्रम पहुंच, साथ ही गैर-सदस्यों हेतु स्किल इंडिया पाठ्यक्रम।
- परीक्षाओं के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर शिक्षार्थियों हेतु सृजित प्रमाणपत्र।

#### (VII) सदस्यों, छात्रों और आंतरिक आईसीएआई पणधारियों हेतु सेवा परिदान का ऑनलाइन मोड

- **केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल :** आईसीएआई के केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल (<https://icai.org/>) का रखरखाव, जिससे यह सदस्यों, छात्रों और आंतरिक पणधारियों हेतु विभिन्न सेवाओं और संसाधनों के लिए एक एकल-स्थल समाधान के रूप में कार्य करे।
- **वर्चुअल बैठकें और सम्मेलन :** वर्चुअल बैठकों, सम्मेलनों और कार्यक्रमों हेतु मंच कार्यान्वित किए गए, जिससे विभिन्न आईसीएआई समितियों/विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों में निर्बाध संप्रेषण और सहभागिता सुनिश्चित हुई।
- **हेल्पडेस्क और समर्थन :** सदस्यों और छात्रों हेतु वास्तविक समय सहायता और शंकाओं के समाधान हेतु ऑनलाइन हेल्पडेस्क और समर्थन सेवाएं स्थापित की गईं।
- **मोबाइल एप्लिकेशन :** आईसीएआई की सेवाओं, संसाधनों और अद्यतनों तक चलते-फिरते पहुंच प्रदान करने हेतु मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किए गए, जिससे उपयोक्ता सुविधा में अभिवृद्धि हुई।
- **क्लाउड-आधारित समाधान :** आईसीएआई की डिजिटल अवसंरचना और सेवाओं की मापनीयता, डाटा सुरक्षा और दूरस्थ पहुंच सुनिश्चित करने हेतु क्लाउड-आधारित समाधान अपनाए गए।
- **दूरस्थ कार्य सुविधा :** आईसीएआई के अधिकारियों और समितियों/विभागों हेतु दूरस्थ कार्य के समर्थन हेतु प्रौद्योगिकियां और मंच कार्यान्वित किए गए, जिससे निर्बाध प्रशासनिक और प्रचालनगत गतिविधियां सुनिश्चित हुईं।

- **डाटा विश्लेषण और रिपोर्टिंग :** सेवा उपयोग की निगरानी करने, फीडबैक एकत्र करने तथा सेवा परिदान और उपयोक्ता अनुभव में सतत सुधार हेतु रिपोर्टें सृजित करने के लिए डाटा विश्लेषण साधनों का लाभ उठाया गया।
- **अनुपालन और सुरक्षा :** यह सुनिश्चित किया गया कि सभी ऑनलाइन सेवाएं विनियामक मानकों का अनुपालन करें तथा उपयोक्ता डाटा की संरक्षा और आईसीएआई के डिजिटल मंचों की सत्यनिष्ठा बनाए रखने हेतु सुदृढ़ साइबर सुरक्षा उपाय सम्मिलित किए गए।

#### (VIII) आईसीएआई के अन्य विभागों/समितियों को प्रदान किया गया प्रौद्योगिकीय समर्थन

- **जीईएम पोर्टल :** गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल पर आईसीएआई हेतु जीईएम क्रेता खाते का प्रशासनिक सेटअप सफलतापूर्वक सृजित किया गया और उसका रखरखाव किया जा रहा है।
- **सांख्यिकीय डैशबोर्ड :** सदस्यों और छात्रों से संबंधित सांख्यिकीय जानकारी हेतु डैशबोर्ड विकसित किया गया और उसका रखरखाव किया जा रहा है।
- **Tracker.icai.org :** भुगतान ट्रैकिंग पोर्टल डीआरटीडी द्वारा विकसित किया गया है और उसका रखरखाव किया जा रहा है।

#### 9.5 संपदा विकास निदेशालय (ईडीडी)

संपदा विकास निदेशालय (ईडीडी) आईसीएआई की इकाइयों, जिनमें क्षेत्रीय परिषदें, शाखाएं, डीसीओ और उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) सम्मिलित हैं, को मरम्मत और नवीकरण कार्यों, परिवर्धनों, आंतरिक उपांतरणों तथा ₹200 लाख तक की छोटी निर्माण गतिविधियों हेतु पूंजी अनुदानों के जारी किए जाने से संबंधित विषयों का प्रशासन करता है। अवसंरचना मानकीकरण, संवहनीयता और डिजिटल शासन की दिशा में अनेक प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं :

##### (I) अवसंरचना मानकीकरण

“मेरी संपदा, मेरा गौरव” विषय के अधीन, ईडीडी ने देश भर में आईसीएआई स्थापनों में संवहनीय और पर्यावरणीय रूप से उत्तरदायी अवसंरचना प्रबंध के संवर्धन हेतु प्रोजेक्ट शील्ड – संवहनीय अवसंरचना पहल – का शुभारंभ किया। यह परियोजना आईसीएआई परिसरों की ब्रांडिंग, संकेतक और रखरखाव हेतु एक एकीकृत ढांचा अधिकथित करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक इकाई एक सुसंगत और गरिमामयी सांस्थानिक पहचान को प्रतिबिंबित करे। ब्रांड निर्माण कवायद के भाग के रूप में, ईडीडी ने देश भर में आईसीएआई भवनों में एकसमान ग्लो संकेतकों का संस्थापन और मानकीकृत पेंटिंग जारी रखी, जिससे दृश्य सुसंगतता प्रबल हुई और संस्थान की सार्वजनिक छवि सुदृढ़ हुई।

##### (II) सौर विद्युत संयंत्रों का संस्थापन

स्वच्छ ऊर्जा और संवहनीयता के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता के अनुसरण में, ईडीडी ने विभिन्न आईसीएआई स्थापनों में सौर विद्युत संयंत्रों का संस्थापन जारी रखा। इस पहल का उद्देश्य संस्थान के कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, ऊर्जा लागतों को घटाना तथा अपने कार्यालयों के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों को अपनाने में आईसीएआई के नेतृत्व का प्रदर्शन करना है।



### (III) सुरक्षा और अभिगम्यता अवसंरचना का पुनर्विलोकन

ईडीडी ने 129 आईसीएआई इकाइयों में अग्निशमन प्रणालियों, लिफ्ट सुविधाओं, दिव्यांग व्यक्तियों हेतु अभिगम्यता प्रावधानों और वर्षा जल संचयन प्रणालियों का एक व्यापक पुनर्विलोकन किया। यह कवायद सुरक्षा, अभिगम्यता और पर्यावरणीय अनुपालन अवसंरचना की वर्तमान स्थिति का निर्धारण करने तथा उन्नयन की अपेक्षा वाली इकाइयों की पहचान करने हेतु की गई थी। यह पुनर्विलोकन सभी इकाइयों को एकसमान सुरक्षा और अभिगम्यता मानकों तक लाने हेतु एक संरचित कार्य योजना का आधार बनता है।

### (IV) निदेशालय की प्रक्रियाओं का स्वचालन

ईडीडी ने पूंजी बजट प्रबंध, आस्ति ट्रैकिंग और कार्य-प्रवाह निगरानी हेतु समर्पित सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपनी प्रक्रियाओं का स्वचालन जारी रखा। इस स्वचालन पहल ने पूंजी अनुदानों के प्रसंस्करण और संवितरण में दक्षता, पारदर्शिता और शासन में उल्लेखनीय अभिवृद्धि की है, जिससे आईसीएआई की इकाइयों में परियोजना स्थिति और वित्तीय उपयोग की वास्तविक समय ट्रैकिंग समर्थ हुई है।

### (V) आईसीएआई रीडिंग रूम पहलें

ईडीडी ने विद्यमान रीडिंग रूम अवसंरचना, छात्र उपयोग पैटर्न और प्रचालनगत साध्यता का निर्धारण करने हेतु विस्तृत सर्वेक्षण किए और आईसीएआई की इकाइयों से स्थिति रिपोर्टें एकत्र कीं। इस कवायद के निष्कर्षों के आधार पर, आईसीएआई रीडिंग रूम नीति 2025 का निर्माण किया गया और अगस्त 2025 में उसे अनुमोदित किया गया। यह नीति सरलीकृत मानदंड प्रस्तुत करती है, अवसंरचना मानकों को परिभाषित करती है तथा देश भर में रीडिंग रूमों की स्थापना और प्रबंध हेतु अनुमोदन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करती है, जिससे सभी स्थानों पर एक सुसंगत और छात्र-अनुकूल अनुभव सुनिश्चित होता है।

नीति के कार्यान्वयन के समर्थन हेतु, ईडीडी ने बेहतर अध्ययन सुविधाओं और छात्र-केंद्रित सुख-सुविधाओं से सज्जित आधुनिक रीडिंग हबों के सृजन हेतु प्रोजेक्ट शब्द – स्टूडेंट्स हब फॉर एस्पिरेशंस एंड बिल्डिंग ड्रीम्स – का शुभारंभ किया। ईडीडी ने नीति के प्रावधानों और संबद्ध वित्तपोषण तंत्रों पर क्षेत्रीय परिषदों, शाखाओं और छात्र प्रतिनिधियों हेतु अभिमुखीकरण सत्रों और वेबिनारों का भी आयोजन किया, जिससे संस्थान के नेटवर्क में सुगम और एकसमान अंगीकरण सुनिश्चित हुआ।

### 9.6 वित्तीय और कर साक्षरता निदेशालय (एफटीएलडी)

भारत सरकार के वित्तीय साक्षरता अभियान के अनुरूप, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) ने, अपने वित्तीय और कर साक्षरता निदेशालय (अब वित्तीय बाजार और निवेशक जागरूकता समिति (एफएम एंड आईएसी) में विलीन) के माध्यम से, वर्ष 2025-26 के दौरान जनता में वित्तीय और कर साक्षरता के संवर्धन हेतु अपने प्रयास जारी रखे। 'हर जन, हर मन, वित्तीयज्ञान से संपन्न' के आदर्श वाक्य से मार्गदर्शित होकर, निदेशालय ने सरकारी विभागों, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों, शैक्षिक संस्थाओं और अन्य संगठनों के साथ रणनीतिक सहयोगों के माध्यम से अपनी आउटरीच का विस्तार किया, साथ ही समाज के विविध वर्गों, जिनमें छात्र, शिक्षक, सरकारी अधिकारी, महिला स्वयं सहायता समूह, कृषक, वरिष्ठ नागरिक, प्रवर्तन कार्मिक, वैज्ञानिक, विद्वान, गृहिणियां और स्थानीय समुदाय सम्मिलित हैं, में वित्तीय जागरूकता में अभिवृद्धि हेतु डिजिटल और जनसंचार मंचों का भी लाभ उठाया।

**(I) प्रमुख पहलें**

- **सरकारी पदधारियों हेतु वित्तीय साक्षरता :** निदेशालय ने मुख्यमंत्री सचिवालय, मेघालय में प्रशासनिक अधिकारियों हेतु विशेषीकृत वित्तीय साक्षरता कार्यशालाओं का संचालन किया तथा सरकारी पदधारियों में वित्तीय जागरूकता को सुदृढ़ करने हेतु उत्तराखंड और मेघालय के राजभवनों में सत्रों का आयोजन किया।
- **जमीनी स्तर पर वित्तीय समावेशन :** वित्तीय समावेशन के संवर्धन हेतु, निदेशालय ने संबंधित राज्य ग्रामीण विकास विभागों और ग्रामीण आजीविका मिशनों के सहयोग से मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में महिला स्वयं सहायता समूहों हेतु समर्पित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनकी पहुंच 1,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों तक हुई।
- **माईगव प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिक सहभागिता :** निदेशालय ने नागरिक सहभागिता को गहन करने हेतु भारत सरकार के माईगव प्लेटफॉर्म का लाभ उठाया और वित्तीय साक्षरता विषयों पर प्रश्नोत्तरियों, नारा-लेखन, पोस्टर-निर्माण, रील-निर्माण और काव्य प्रतियोगिताओं के माध्यम से 46,950 से अधिक व्यक्तियों तक पहुंच बनाई।
- **राष्ट्रव्यापी आउटरीच अभियान :** निदेशालय ने राष्ट्रव्यापी 'वित्तीयज्ञान – आईसीएआई का अभियान' का शुभारंभ किया, जिसमें आईसीएआई की क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं के माध्यम से आयोजित वित्तीय साक्षरता कार्यशालाएं और व्यावहारिक सत्र सम्मिलित थे, साथ ही 10 भारतीय भाषाओं में एक बहुभाषी रेडियो जागरूकता अभियान भी चलाया गया, जो सामान्य जनता हेतु जटिल वित्तीय संकल्पनाओं को सरल बनाकर 3.93 करोड़ से अधिक श्रोताओं तक पहुंचा।
- **वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 :** आईसीएआई की पांच क्षेत्रीय परिषदों और 185 शाखाओं के समर्थन से 17-23 अगस्त, 2025 तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया, जिसके दौरान देश भर में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनकी पहुंच 3,000 से अधिक प्रतिभागियों तक हुई।

**(II) प्रमुख उपलब्धियां****विश्व कीर्तिमान मान्यता**

वित्तीय और कर साक्षरता निदेशालय ने नौ माह (मार्च-नवंबर 2025) के भीतर देश भर में 190 से अधिक वित्तीय और कर साक्षरता कार्यक्रमों का संचालन करके एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन से मान्यता अर्जित की।

**(III) सांस्थानिक आउटरीच कार्यक्रम**

निदेशालय ने विभिन्न सरकारी संस्थाओं, शैक्षिक स्थापनों और वर्दीधारी सेवा संगठनों में वित्तीय और कर साक्षरता कार्यशालाओं का संचालन किया, जिनमें राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर, भारत स्काउट्स और गाइड्स, अग्रणी कॉलेज, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सम्मिलित हैं, जिससे इसकी वित्तीय साक्षरता पहलों की पहुंच और प्रभाव का राष्ट्रव्यापी स्तर पर और अधिक विस्तार हुआ।

**9.7 शिकायत समाधान निदेशालय**

शिकायत समाधान निदेशालय (जीआरडी) (अब सदस्य और छात्र सेवा निदेशालय में विलीन) आईसीएआई का एक केंद्रीयकृत विभाग था, जिसका गठन संस्थान की विभिन्न गतिविधियों के साथ छात्रों, सदस्यों और अन्य पणधारियों की सहभागिता हेतु समर्थन प्रणाली की निगरानी के लिए किया गया था, जिसका परिदान संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत अनेक विभागों और समितियों के माध्यम से किया जाता है। जीआरडी कॉल सहायता, ई-सहायता, समर्पित ईमेल समर्थन और सोशल मीडिया सहित अनेक चैनलों के माध्यम से समय पर और प्रभावी शिकायत समाधान को सुकर बनाता है। निदेशालय सक्रिय प्रक्रिया निगरानी, समयबद्धता,

मूल कारण विश्लेषण तथा सभी पणधारियों के साथ समन्वय पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे पारदर्शिता, विश्वास और समग्र पणधारी संतुष्टि सुनिश्चित होती है।

### कॉल सहायता

आईसीएआई कॉल सहायता (9997599975) राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर, सोमवार से शनिवार, पूर्वाह्न 09:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक प्रचालित होती है, जिससे छात्र, सदस्य और पणधारी अपनी शंकाओं हेतु मुख्यतः इनबाउंड कॉलों के माध्यम से आईसीएआई तक पहुंच बनाने में समर्थ होते हैं। प्रचालन घंटों के दौरान प्राप्त कॉलों को एक इंटरैक्टिव वॉइस रिसर्पॉन्स (आईवीआर) प्रणाली के माध्यम से रूट किया जाता है, जिससे इनबाउंड कॉलों का प्रभावी प्रबंध सुनिश्चित होता है। प्रचालन घंटों के बाहर प्राप्त शंकाओं को आईवीआर के माध्यम से अभिगृहीत किया जाता है और कार्य घंटों के दौरान कॉलबैक के माध्यम से उनका समाधान किया जाता है। यह हेल्पलाइन सामान्य जानकारी और सेवा-संबंधी शंकाओं, दोनों का दक्ष और व्यवस्थित रीति से संचालन करती है।

### बहुभाषी समर्थन, प्रचालनगत केपीआई और सांख्यिकीय विश्लेषण

कॉल सहायता ने हिंदी, अंग्रेजी और नौ क्षेत्रीय भाषाओं में पणधारी समर्थन प्रदान करना जारी रखा, जिससे भारत भर में व्यापक अभिगम्यता सुनिश्चित हुई। भाषा-वार कॉल संचालन पैटर्न में हिंदी 53.85% के साथ संप्रेषण का प्रमुख माध्यम रही, जिसके पश्चात् अंग्रेजी 33.21% और क्षेत्रीय भाषाएं 12.94% रहीं। क्षेत्रीय भाषा समर्थन तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़, असमिया, कश्मीरी, पंजाबी, ओड़िया और बांग्ला में उपलब्ध था, जिससे देश के विभिन्न भागों के पणधारी अपनी अधिमानी भाषा में सहायता प्राप्त करने में समर्थ हुए और शिकायत समाधान तंत्र की समग्र समावेशिता में सुधार हुआ।

वर्ष के दौरान, सेवा गुणवत्ता, अनुक्रियाशीलता और प्रभावी पणधारी समर्थन सुनिश्चित करने हेतु कॉल सहायता के कार्य-निष्पादन की निगरानी परिभाषित प्रचालनगत केपीआई के माध्यम से की गई। इस सुविधा ने 84 एजेंटों के समर्थन से 10.34 लाख से अधिक कॉलों की कुल कॉल मात्रा का संचालन किया। कुल कॉल गतिविधि में से, 76.86% इनबाउंड कॉलों से और 23.14% आउटबाउंड कॉलों से संबंधित थी। इनबाउंड कॉलों हेतु औसत वार्तालाप समय 4.70 मिनट था तथा प्रतिदिन 2,500 से अधिक कॉलों का संचालन किया गया। अधिकतम कॉल यातायात सामान्यतया पूर्वाह्न 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे के बीच प्रेक्षित हुआ। लगभग 82% कॉलें छात्रों की थीं, जिनके पश्चात् सदस्य और अन्य पणधारी रहे। सर्वाधिक इनबाउंड कॉल मात्रा 7 जुलाई, 2025 को दर्ज की गई, जो सीए पाठ्यक्रम परिणाम की घोषणा के साथ मेल खाती है, जबकि सर्वाधिक आउटबाउंड कॉल गतिविधि 3 अप्रैल, 2025 को दर्ज की गई।

### ई-सहायता (ई-टिकट)

यह <https://eservices.icaai.org/> पर सुलभ एक ऑनलाइन शिकायत समाधान मंच है, जिसके माध्यम से छात्र और सदस्य सीधे टिकट उठा सकते हैं। ऐसे मामलों में, जहां पणधारी प्राप्त समर्थन से संतुष्ट नहीं हैं या जहां समाधान में विलंब होता है, कॉल सहायता एजेंटों द्वारा भी उनकी ओर से टिकट उठाए जा सकते हैं। यह आईसीएआई की गतिविधियों और उन गतिविधियों के लिए उत्तरदायी अधिकारियों, जिन्हें एस्केलेशन मैट्रिक्स कहा जाता है, के आधार पर कार्य करता है, जो प्रभावी शिकायत समाधान के लिए महत्वपूर्ण है।

### कार्य-निष्पादन के मुख्य आकर्षणों का सारांश

ई-सहायता छात्रों और सदस्यों हेतु एक प्रभावी ऑनलाइन शिकायत समाधान मंच के रूप में कार्य करती रही, जिसने आईसीएआई गतिविधि-आधारित एस्केलेशन मैट्रिक्स के माध्यम से समय पर समर्थन और संरचित एस्केलेशन सुनिश्चित किया। फरवरी 2025 से जनवरी 2026 के दौरान, इस मंच ने 30,874 शिकायतों का संचालन किया, जिनमें से 30,791 टिकट सफलतापूर्वक बंद किए गए, जिससे 99% की प्रभावशाली समाधान दर प्राप्त हुई। मंच ने सशक्त प्रचालनगत दक्षता का भी प्रदर्शन किया, जिसमें 85.51% टिकटों का समाधान एक सप्ताह के भीतर किया गया, जो त्वरित अनुक्रिया, प्रभावी समन्वय और पणधारी संतुष्टि के प्रति प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है।

### उन्नत शिकायत समर्थन हेतु व्यापक प्रशिक्षण (2025-2026)

2025-2026 के दौरान, शिकायत समाधान विभाग (जीआरडी) ने शिकायत संचालन में अभिवृद्धि हेतु कॉल सहायता टीम के लिए 21 व्यापक प्रशिक्षण सत्रों का संचालन किया। प्रवृत्ति विश्लेषण और पुनरावर्ती शंकाओं का उपयोग करके अभिकल्पित इन सत्रों में सीए परीक्षा, आर्टिकलशिप, यूडीआईएन, सीपीई, एसएसपी, कैंपस प्लेसमेंट, बीओएस छात्रवृत्ति, पीडीसी और सदस्य प्रशिक्षण सहित प्रमुख विभागों के साथ निकट सहयोग सम्मिलित था। साथ ही, जीआरडी ने एफएक्यू को अद्यतन करने हेतु इन विभागों के साथ सक्रिय समन्वय किया, जिससे यह सुनिश्चित हो कि पणधारियों को सदैव सर्वाधिक सही और अद्यतन जानकारी प्राप्त हो।

### प्रमुख सेवा संवर्धन और डिजिटल पहलें

- **कॉल श्रेणियों का युक्तिकरण** : सुसंगतता में सुधार, कॉल वर्गीकरण को सरल बनाने और सार्थक अंतर्दृष्टि सृजित करने हेतु कॉल श्रेणियों (डिस्पोजिशन और उप-डिस्पोजिशन) का व्यापक पुनर्विलोकन किया गया। श्रेणियों को 170 से अधिक उप-डिस्पोजिशन विकल्पों से युक्तिकृत कर 85 सुव्यवस्थित उप-डिस्पोजिशनों के साथ 7 प्राथमिक डिस्पोजिशनों (छात्र, परीक्षा, आर्टिकल्स, सीडीएस, सदस्य, फर्म और समिति) में लाया गया, जिससे पणधारी शंकाओं का अधिक सही श्रेणीकरण और दक्ष संचालन समर्थ हुआ।
- **ई-सहायता प्रणाली का संवर्धन** : गतिविधियों को सरल बनाने, श्रेणियों का मानकीकरण करने तथा त्वरित शिकायत समाधान हेतु सही अधिकारी मैपिंग सुनिश्चित करने के लिए ई-सहायता एस्केलेशन मैट्रिक्स का व्यापक पुनर्विलोकन किया गया। मैट्रिक्स को क्षेत्रों, समितियों, विभागों, बोर्डों और निदेशालयों में अद्यतन किया गया तथा शंका विकल्पों को 377 से युक्तिकृत कर 122 किया गया। इसके अतिरिक्त, विभाग/समिति उपयोक्ताओं हेतु एक उपयोक्ता गाइड सहित, एक स्व-सेवा पासवर्ड रीसेट सुविधा आरंभ की गई, जिससे लॉगिन संबंधी समस्याएं कम हुईं और शिकायत समाधान की समय-सीमाओं में सुधार हुआ।
- **इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स (आईवीआर) प्रणाली का इष्टतमीकरण** : इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स (आईवीआर) प्रणाली, जो एक स्वचालित टेलीफोनी प्रणाली है, जो वॉइस प्रॉम्प्ट और कीपैड इनपुट के माध्यम से कॉल करने वालों का मार्गदर्शन करती है, को मेनू संरचना को सरल बनाकर और अनावश्यक विकल्पों को समाप्त करके इष्टतमीकृत किया गया, जिससे कॉल हैंग-अप कम हों और पणधारियों हेतु त्वरित संबद्धता समर्थ हो। पुनरीक्षित आईवीआर ढांचा कार्यान्वित किया गया। इसके अतिरिक्त, कॉल सेवा प्रदाता के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई से औसत कॉल कनेक्शन समय 7-8 सेकंड से घटकर 4-5 सेकंड हो गया, जिससे पणधारी अनुभव में और अधिक अभिवृद्धि हुई।
- **कॉल सहायता में एसएमएस एकीकरण** : पहले, कॉल सहायता के माध्यम से सृजित शिकायत टिकटों हेतु एसएमएस अलर्ट उपलब्ध नहीं थे। वर्ष के दौरान, एसएमएस अधिसूचनाएं आरंभ की गईं, जिससे पणधारी कॉलों के पश्चात् तत्काल टिकट पुष्टि प्राप्त करने में समर्थ हुए और शिकायतों की सुगम ट्रैकिंग सुकर हुई, जिससे पारदर्शिता और संप्रेषण में अभिवृद्धि हुई।

- **अद्यतन एफएक्यू हेतु पहल :** निदेशालय ने आईसीएआई कॉल सहायता पोर्टल के माध्यम से संक्षिप्त, सही और अद्यतन जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से, एफएक्यू को अद्यतन और मानकीकृत करने हेतु विभागों, समितियों, बोर्डों और निदेशालयों के साथ सक्रिय अनुवर्ती कार्रवाई की, जिससे सुगम पहुंच, बेहतर उपयोक्ता अनुभव और पणधारियों हेतु उन्नत स्व-सेवा सुनिश्चित हुई।

## 9.8 मानव संसाधन निदेशालय

आईसीएआई के मानव संसाधन निदेशालय (अब मानव संसाधन विभाग) ने आईसीएआई के सभी कार्यालयों में भर्ती, स्थानांतरण एवं कार्य परिवर्तन, कार्य-निष्पादन प्रबंध तथा प्रशिक्षण और विकास जैसे मानव संसाधन-संबंधी विषयों पर ध्यान केंद्रित किया। एचआरडी ने वर्ष के दौरान संस्थान के प्रतिभा अधिग्रहण प्रयासों का सुदृढीकरण जारी रखा, जिसमें मध्यम और वरिष्ठ स्तर के पदों हेतु भर्ती विज्ञापनों और साक्षात्कारों के माध्यम से की गई। शाखा मानव संसाधन स्कीम (बीएचआरएस) 2022 के अधीन भारत भर की विभिन्न शाखाओं में 43 नए कर्मचारी सम्मिलित हुए। आईसीएआई के विस्तारित होते कार्यक्षेत्र और विकसित होते उत्तरदायित्वों के साथ, मानव संसाधन विभाग रणनीतिक मानव संसाधन पहलों, सतत सक्षमता निर्माण तथा वृत्तिकता, समावेशिता और उच्च कार्य-निष्पादन की संस्कृति के माध्यम से एक चुस्त और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध है।

विभिन्न मानव संसाधन प्रक्रियाओं को एकीकृत करने तथा कर्मचारियों को मानव संसाधन सेवाओं तक अधिक दक्षता से पहुंच बनाने में समर्थ बनाने हेतु एक मानव संसाधन प्रबंध प्रणाली (एचआरएमएस) और एक मोबाइल-आधारित कर्मचारी स्व-सेवा (ईएसएस) एप्लिकेशन का विकास आरंभ किया गया। किसी अप्रत्याशित परिस्थिति की दशा में कर्मचारियों के परिवारों को वित्तीय समर्थन प्रदान करने हेतु कर्मचारियों के लिए समूह सावधि जीवन बीमा कवरेज भी आरंभ किया गया।

वर्ष के दौरान की गई प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं :

- **भर्ती :** विभिन्न शाखा कार्यालयों में संसाधनों की संवृद्धि हेतु शाखा कर्मचारी मानव संसाधन स्कीम, 2022 के अधीन भर्ती की गई। साथ ही, प्रधान कार्यालय में प्रमुख पदों हेतु भर्ती प्रक्रिया भी आरंभ की गई।
- **कर्मचारी कल्याण :** कवरेज प्रदान करने हेतु समूह सावधि जीवन बीमा पॉलिसी के माध्यम से नियमित कर्मचारियों के लिए बीमा कवरेज तथा निदेशक और अधिकारी दायित्व पॉलिसी जैसी पहलें की गई।
- **मानव संसाधन स्वचालन :** सभी मानव संसाधन प्रक्रियाओं का परिदान एक ही मंच पर समर्थ बनाने हेतु एक व्यापक मानव संसाधन प्रबंध प्रणाली (एचआरएमएस) कार्यान्वित करने का विनिश्चय किया गया; तदनुसार, एचआरएमएस पैकेज के माध्यम से मानव संसाधन डाटा का स्वचालन आरंभ किया गया है।

## 9.9 विधि निदेशालय

विधि निदेशालय चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों के प्रवर्तन और अनुपालन के लिए उत्तरदायी है। यह संस्थान के विरुद्ध फाइल किए गए मामलों में संस्थान के हित की संरक्षा और प्रतिरक्षा हेतु आवश्यक कार्रवाई करता है, सांविधिक अधिदेश के पालन पर आईसीएआई के भीतर विभिन्न विभागों को विधिक अभिमत प्रदान करता है, विभिन्न न्यायालयों में विनियामक कार्रवाइयों की प्रतिरक्षा करता है तथा सांविधिक अधिदेश के अनुसार विनियमों को प्रवर्तित करने और उल्लंघनों को शास्तित करने हेतु अन्य विभागों के साथ सहयोग करता है।

वर्ष के दौरान संस्थान और वृत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण विधिक विकासक्रम निम्नानुसार हैं :

**(I) उच्चतम न्यायालय का चार्टर्ड अकाउंटेंटों के पक्ष में निर्णय – आईटीएटी के सदस्य (अकाउंटेंट) के रूप में नियुक्ति हेतु अधिवक्ताओं के साथ समता**

माननीय उच्चतम न्यायालय ने आय कर अपील अधिकरण (आईटीएटी) के सदस्यों के रूप में नियुक्ति हेतु न्यूनतम अनुभव मानदंड के विषय में चार्टर्ड अकाउंटेंटों और अधिवक्ताओं के बीच समता को प्रत्यावर्तित किया। 20 नवंबर, 2025 को सुनाए गए एक ऐतिहासिक निर्णय में, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की माननीय उच्चतम न्यायालय की पीठ ने आईटीएटी के सदस्य (अकाउंटेंट) के पद हेतु 25 वर्ष के अनुभव की अपेक्षा वाले नियम को अविधिमान्य ठहराया। यह निर्णय न्यूनतम अनुभव मानदंड के संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंटों को अधिवक्ताओं के समकक्ष रखता है तथा नियमों के अधीन चार्टर्ड अकाउंटेंटों के साथ हुए उस अन्याय को दुरुस्त करता है, जिनमें सदस्य (अकाउंटेंट) के पद हेतु विचार किए जाने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट हेतु न्यूनतम 25 वर्ष का अनुभव विहित था, जबकि सदस्य (न्यायिक) के पद हेतु विचार किए जाने के लिए अधिवक्ताओं हेतु केवल 10 वर्ष का।

ऐतिहासिक रूप से, चार्टर्ड अकाउंटेंटों और अधिवक्ताओं, दोनों हेतु न्यूनतम अनुभव अपेक्षाएं समान थीं, इससे पूर्व कि नए नियमों ने चार्टर्ड अकाउंटेंटों के अहित में इस समता को भंग किया।

यह निर्णय न्यूनतम अनुभव अपेक्षा के विषय में अधिवक्ताओं और चार्टर्ड अकाउंटेंटों के बीच उस यथापूर्व स्थिति को प्रत्यावर्तित करता है, जो अनेक वर्षों से प्रचलित थी।

**(II) हिमांशु सिंह बनाम भारत संघ (“सुपरटेक मामला”) में माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेश**

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने, 29 अप्रैल, 2025 को, हिमांशु सिंह बनाम भारत संघ (जो सुपरटेक मामले के नाम से लोकप्रिय है) के मामले में भारत सरकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, रेरा, आरबीआई, सीबीआई और आईसीएआई को विभिन्न निदेश जारी किए। उच्चतम न्यायालय में 1,200 से अधिक गृह क्रेताओं द्वारा 170 से अधिक याचिकाएं फाइल की गईं, जिनमें सांविधिक और सरकारी प्राधिकारियों द्वारा अपने सांविधिक कृत्यों के निर्वहन में प्रणालीगत विफलता, बैंकों और आवास वित्त निगमों द्वारा विनियामक ढांचे के अपवंचन तथा बिल्डरों/डेवलपर्स द्वारा प्राप्त किए गए कथित अवैध फायदों का अभिकथन किया गया, जिनकी विफलताओं का भार गृह क्रेताओं को वहन करना पड़ा।

जहां तक आईसीएआई का संबंध है, माननीय न्यायालय ने निम्नानुसार निदेश दिया :

“19. अध्यक्ष, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान को निदेश दिया जाता है कि वे तीन ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंटों को तैनात करें, जो फॉरेंसिक लेखापरीक्षा की प्रक्रिया से भली-भांति परिचित हों, और उन्हें विषयगत जांच/अन्वेषणों के विषय में ब्यूरो/एसआईटी की सहायता हेतु सीबीआई के व्ययनाधीन रखें। इन चार्टर्ड अकाउंटेंटों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक का विवरण इस न्यायालय को अग्रेषित किया जाए, जिससे सुनवाई की अगली तारीख पर उस संबंध में समुचित आदेश पारित किया जा सके।”

**9.10 सदस्य और छात्र सेवा निदेशालय (एम एंड एसएस)**

सदस्य और छात्र सेवा (एम एंड एसएस) निदेशालय संस्थान के प्रमुख कार्यात्मक निदेशालयों में से एक है, जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 तथा परिषद्, कार्यपालक समिति और प्रबंध समिति द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों, विनिश्चयों और निदेशों के प्रावधानों के अनुसार सदस्यों, छात्रों और फर्मों से संबंधित विनियामक, प्रचालनगत और सेवा-संबंधी कृत्यों के प्रशासन का दायित्व सौंपा गया है।

निदेशालय नामांकन, अध्येतावृत्ति में प्रवेश, व्यवसाय प्रमाणपत्र के अनुदान और प्रत्यावर्तन, फर्मों के रजिस्ट्रीकरण और विनियमन, व्यावहारिक और औद्योगिक प्रशिक्षण, छात्र रजिस्ट्रीकरण और सहबद्ध सेवाओं, सांविधिक अभिलेखों और रजिस्ट्रों के रखरखाव, विभिन्न प्रमाणपत्रों और पहचान पत्रों को जारी किए जाने, दीक्षांत समारोहों के आयोजन, सांविधिक अधिसूचनाओं के प्रकाशन तथा शिकायत समाधान से संबंधित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के परिदान हेतु प्रमुख इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। संस्थान की बढ़ती सदस्यता और छात्र आधार तथा प्रौद्योगिकी-समर्थ शासन पर बढ़ते बल के साथ, निदेशालय प्रक्रियाओं को सरल बनाकर, विनियामक नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करके, स्व-सेवा पोर्टल (एसएसपी) के माध्यम से डिजिटल सेवाओं में अभिवृद्धि करके, कागज रहित प्रक्रियाओं का संवर्धन करके, दक्ष निगरानी और प्रबंध सूचना प्रणालियों को विकसित करके तथा प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में समन्वय में सुधार करके सेवा परिदान का सुदृढीकरण जारी रखे हुए है।

निदेशालय ई-सहायता और कॉल सहायता के माध्यम से एक समर्पित शिकायत समाधान तंत्र भी प्रचालित करता है, जिससे सदस्यों, छात्रों और फर्मों द्वारा उठाए गए सरोकारों का समय पर, पारदर्शी और अनुक्रियाशील समाधान सुनिश्चित होता है। इन पहलों के माध्यम से, निदेशालय वृत्तिक प्रशासन में उत्कृष्टता के संस्थान के उद्देश्य का समर्थन करते हुए दक्ष, उत्तरदायी और पणधारी-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध बना हुआ है।

### (I) सदस्यता

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, आईसीआई द्वारा 29,720 नए सदस्य नामांकित किए गए, जिससे 1 अप्रैल, 2026 की स्थिति के अनुसार कुल सदस्यता 4,52,825 हो गई। वर्ष के दौरान, 3,761 सहयोगी सदस्यों को अध्येता के रूप में प्रविष्ट किया गया, जबकि पूर्ववर्ती वर्ष में यह आंकड़ा 3,677 था।

#### 01.04.2026 की स्थिति के अनुसार कुल सदस्य :

| सदस्यों की श्रेणी    | अध्येता (1) | सहयोगी (2) | स्तंभ (1) और (2) का योग |
|----------------------|-------------|------------|-------------------------|
| पूर्णकालिक व्यवसायरत | 1,00,846    | 58,041     | 1,58,887                |
| अंशकालिक व्यवसायरत   | 1,936       | 5,175      | 7,111                   |
| व्यवसायरत नहीं       | 20,373      | 2,66,454   | 2,86,827                |
| योग                  | 1,23,155    | 3,29,670   | 4,52,825                |

#### 01.04.2026 की स्थिति के अनुसार क्षेत्र-वार सदस्यता :

| क्षेत्र | अध्येता पूर्णकालिक व्यवसायरत | अध्येता अंशकालिक व्यवसायरत | अध्येता व्यवसायरत नहीं | अध्येता योग | सहयोगी पूर्णकालिक व्यवसायरत | सहयोगी अंशकालिक व्यवसायरत | सहयोगी व्यवसायरत नहीं | सहयोगी योग | सकल योग  |
|---------|------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|------------|----------|
| पश्चिमी | 29,410                       | 476                        | 5,770                  | 35,656      | 19,029                      | 1,797                     | 88,791                | 1,09,617   | 1,45,273 |
| दक्षिणी | 21,636                       | 536                        | 4,760                  | 26,932      | 11,608                      | 1,310                     | 62,105                | 75,023     | 1,01,955 |
| पूर्वी  | 8,550                        | 138                        | 1,699                  | 10,387      | 3,629                       | 339                       | 17,487                | 21,455     | 31,842   |
| मध्य    | 21,753                       | 350                        | 3,255                  | 25,358      | 13,190                      | 727                       | 50,179                | 64,096     | 89,454   |

| क्षेत्र | अध्येता<br>पूर्णकालिक<br>व्यवसायरत | अध्येता<br>अंशकालिक<br>व्यवसायरत | अध्येता<br>व्यवसायरत<br>नहीं | अध्येता<br>योग | सहयोगी<br>पूर्णकालिक<br>व्यवसायरत | सहयोगी<br>अंशकालिक<br>व्यवसायरत | सहयोगी<br>व्यवसायरत<br>नहीं | सहयोगी<br>योग | सकल योग  |
|---------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|----------|
| उत्तरी  | 19,497                             | 436                              | 4,889                        | 24,822         | 10,585                            | 1,002                           | 47,892                      | 59,479        | 84,301   |
| योग     | 1,00,846                           | 1,936                            | 20,373                       | 1,23,155       | 58,041                            | 5,175                           | 2,66,454                    | 3,29,670      | 4,52,825 |

## (II) दीक्षांत समारोह

नवंबर 2008 से, संस्थान नव-नामांकित सदस्यों को सदस्यता प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु दीक्षांत समारोहों का आयोजन करता आ रहा है। वर्ष 2025-26 में, एम एंड एसएस निदेशालय ने दीक्षांत समारोह के दो दौरों का संचालन किया : पहला 25 अगस्त, 2025 को और दूसरा 29 दिसंबर, 2025 को। ये कार्यक्रम अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गाजियाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, इंदौर, जयपुर, कोलकाता, लुधियाना, मुंबई, दिल्ली और पुणे सहित भारत भर के 15 स्थानों पर आयोजित किए गए, जहां कुल 33,686 नव-नामांकित चार्टर्ड अकाउंटेंटों ने अपने प्रमाणपत्र प्राप्त किए।

### एक दृष्टि में सांख्यिकी रजिस्ट्रीकृत सदस्य (1 अप्रैल, 2007 से) सारणी।

| वर्ष (की स्थिति के अनुसार) |         | पश्चिमी क्षेत्र | दक्षिणी क्षेत्र | पूर्वी क्षेत्र | मध्य क्षेत्र | उत्तरी क्षेत्र | योग    |
|----------------------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|--------|
| 1 अप्रैल, 2007             | सहयोगी  | 31159           | 18237           | 7829           | 9642         | 14182          | 81049  |
|                            | अध्येता | 16896           | 13646           | 6488           | 8882         | 12880          | 58792  |
|                            | योग     | 48055           | 31883           | 14317          | 18524        | 27062          | 139841 |
| 1 अप्रैल, 2008             | सहयोगी  | 32364           | 19203           | 7939           | 10045        | 14642          | 84193  |
|                            | अध्येता | 17646           | 14034           | 6738           | 9472         | 13398          | 61288  |
|                            | योग     | 50010           | 33237           | 14677          | 19517        | 28040          | 145481 |
| 1 अप्रैल, 2009             | सहयोगी  | 34294           | 20666           | 8193           | 10578        | 15951          | 89682  |
|                            | अध्येता | 18442           | 14516           | 7002           | 10007        | 13951          | 63918  |
|                            | योग     | 52736           | 35182           | 15195          | 20585        | 29902          | 153600 |
| 1 अप्रैल, 2010             | सहयोगी  | 36390           | 21733           | 8512           | 11252        | 17104          | 94991  |
|                            | अध्येता | 19181           | 15076           | 7192           | 10615        | 14461          | 66525  |
|                            | योग     | 55571           | 36809           | 15704          | 21867        | 31565          | 161516 |
| 1 अप्रैल, 2011             | सहयोगी  | 38608           | 22998           | 9154           | 12329        | 18547          | 101636 |



| वर्ष (की स्थिति के अनुसार) |         | पश्चिमी क्षेत्र | दक्षिणी क्षेत्र | पूर्वी क्षेत्र | मध्य क्षेत्र | उत्तरी क्षेत्र | योग    |
|----------------------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|--------|
|                            | अध्येता | 19831           | 15612           | 7406           | 11182        | 14943          | 68974  |
|                            | योग     | 58439           | 38610           | 16560          | 23511        | 33490          | 170610 |
| 1 अप्रैल, 2012             | सहयोगी  | 45273           | 25505           | 11069          | 15963        | 23332          | 121142 |
|                            | अध्येता | 20510           | 16132           | 7578           | 11720        | 15431          | 71371  |
|                            | योग     | 65783           | 41637           | 18647          | 27683        | 38763          | 192513 |
| 1 अप्रैल, 2013             | सहयोगी  | 52846           | 28020           | 13258          | 20606        | 27743          | 142473 |
|                            | अध्येता | 21522           | 16918           | 7815           | 12327        | 16051          | 74633  |
|                            | योग     | 74368           | 44938           | 21073          | 32933        | 43794          | 217106 |
| 1 अप्रैल, 2014             | सहयोगी  | 56595           | 29401           | 14035          | 22978        | 29467          | 152476 |
|                            | अध्येता | 22313           | 17460           | 8007           | 12915        | 16508          | 77203  |
|                            | योग     | 78908           | 46861           | 22042          | 35893        | 45975          | 229679 |
| 1 अप्रैल, 2015             | सहयोगी  | 60229           | 30126           | 14514          | 24702        | 31137          | 160708 |
|                            | अध्येता | 22838           | 17864           | 8137           | 13441        | 16986          | 79266  |
|                            | योग     | 83067           | 47990           | 22651          | 38143        | 48123          | 239974 |
| 1 अप्रैल, 2016             | सहयोगी  | 64235           | 31919           | 15046          | 27353        | 32774          | 171327 |
|                            | अध्येता | 23700           | 18495           | 8223           | 14071        | 17521          | 82010  |
|                            | योग     | 87935           | 50414           | 23269          | 41424        | 50295          | 253337 |
| 1 अप्रैल, 2017             | सहयोगी  | 67746           | 33591           | 15580          | 30036        | 34632          | 181585 |
|                            | अध्येता | 25742           | 19711           | 8718           | 15618        | 18933          | 88722  |
|                            | योग     | 93488           | 53302           | 24298          | 45654        | 53565          | 270307 |
| 1 अप्रैल, 2018             | सहयोगी  | 70683           | 34733           | 15606          | 32094        | 36988          | 190104 |
|                            | अध्येता | 26736           | 20280           | 8912           | 16494        | 19667          | 92089  |
|                            | योग     | 97419           | 55013           | 24518          | 48588        | 56655          | 282193 |
| 1 अप्रैल, 2019             | सहयोगी  | 72296           | 34352           | 15547          | 33522        | 37129          | 192857 |
|                            | अध्येता | 28747           | 21437           | 9418           | 18337        | 20895          | 98841  |
|                            | योग     | 101043          | 55789           | 24965          | 51859        | 58024          | 291698 |
| 1 अप्रैल, 2020             | सहयोगी  | 74285           | 38405           | 15735          | 38453        | 40877          | 207755 |

| वर्ष (की स्थिति के अनुसार) |         | पश्चिमी क्षेत्र | दक्षिणी क्षेत्र | पूर्वी क्षेत्र | मध्य क्षेत्र | उत्तरी क्षेत्र | योग    |
|----------------------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|--------|
|                            | अध्येता | 28860           | 21495           | 9295           | 19017        | 20816          | 99483  |
|                            | योग     | 103145          | 59900           | 25030          | 57470        | 61693          | 307238 |
| 1 अप्रैल, 2021             | सहयोगी  | 79234           | 42606           | 16436          | 41589        | 43479          | 223344 |
|                            | अध्येता | 30022           | 22393           | 9485           | 20199        | 21638          | 103737 |
|                            | योग     | 109256          | 64999           | 25921          | 61788        | 65117          | 327081 |
| 1 अप्रैल, 2022             | सहयोगी  | 83875           | 47065           | 17363          | 46271        | 46301          | 240875 |
|                            | अध्येता | 31960           | 23559           | 9791           | 21580        | 22673          | 109563 |
|                            | योग     | 115835          | 70624           | 27154          | 67851        | 68974          | 350438 |
| 1 अप्रैल, 2023             | सहयोगी  | 91043           | 54155           | 18856          | 52092        | 50351          | 266497 |
|                            | अध्येता | 32736           | 24136           | 9916           | 22318        | 23016          | 112122 |
|                            | योग     | 123779          | 78291           | 28772          | 74410        | 73267          | 378619 |
| 1 अप्रैल, 2024             | सहयोगी  | 98244           | 62081           | 19026          | 54837        | 53712          | 287900 |
|                            | अध्येता | 33826           | 24985           | 10040          | 23233        | 23633          | 115717 |
|                            | योग     | 132070          | 87066           | 29066          | 78070        | 77345          | 403617 |
| 1 अप्रैल, 2025             | सहयोगी  | 101770          | 67800           | 19934          | 58407        | 55799          | 303710 |
|                            | अध्येता | 34648           | 26013           | 10192          | 24301        | 24240          | 119394 |
|                            | योग     | 136418          | 93813           | 30126          | 82708        | 80039          | 423104 |
| 1 अप्रैल, 2026             | सहयोगी  | 109617          | 75023           | 21455          | 64096        | 59479          | 329670 |
|                            | अध्येता | 35656           | 26932           | 10387          | 25358        | 24822          | 123155 |
|                            | योग     | 145273          | 101955          | 31842          | 89454        | 84301          | 452825 |

## सदस्य (1 अप्रैल, 1950 से)

## सारणी II

| वर्ष (की स्थिति के अनुसार)         | सहयोगी | अध्येता | योग   |
|------------------------------------|--------|---------|-------|
| 1 अप्रैल, 1950 की स्थिति के अनुसार | 1,120  | 569     | 1,689 |
| 1 अप्रैल, 1951 की स्थिति के अनुसार | 1,285  | 672     | 1,957 |
| 1 अप्रैल, 1961 की स्थिति के अनुसार | 4,059  | 1,590   | 5,649 |

| वर्ष (की स्थिति के अनुसार)         | सहयोगी   | अध्येता  | योग      |
|------------------------------------|----------|----------|----------|
| 1 अप्रैल, 1971 की स्थिति के अनुसार | 7,901    | 3,326    | 11,227   |
| 1 अप्रैल, 1981 की स्थिति के अनुसार | 16,796   | 8,642    | 25,438   |
| 1 अप्रैल, 1991 की स्थिति के अनुसार | 36,862   | 22,136   | 58,998   |
| 1 अप्रैल, 2001 की स्थिति के अनुसार | 51,603   | 44,789   | 96,392   |
| 1 अप्रैल, 2002 की स्थिति के अनुसार | 54,666   | 47,064   | 1,01,730 |
| 1 अप्रैल, 2003 की स्थिति के अनुसार | 60,619   | 49,637   | 1,10,256 |
| 1 अप्रैल, 2004 की स्थिति के अनुसार | 63,384   | 52,707   | 1,16,091 |
| 1 अप्रैल, 2005 की स्थिति के अनुसार | 68,052   | 55,494   | 1,23,546 |
| 1 अप्रैल, 2006 की स्थिति के अनुसार | 73,778   | 57,168   | 1,30,946 |
| 1 अप्रैल, 2007 की स्थिति के अनुसार | 81,049   | 58,792   | 1,39,841 |
| 1 अप्रैल, 2008 की स्थिति के अनुसार | 84,193   | 61,288   | 1,45,481 |
| 1 अप्रैल, 2009 की स्थिति के अनुसार | 89,682   | 63,918   | 1,53,600 |
| 1 अप्रैल, 2010 की स्थिति के अनुसार | 94,991   | 66,525   | 1,61,516 |
| 1 अप्रैल, 2011 की स्थिति के अनुसार | 1,01,636 | 68,974   | 1,70,610 |
| 1 अप्रैल, 2012 की स्थिति के अनुसार | 1,21,142 | 71,371   | 1,92,513 |
| 1 अप्रैल, 2013 की स्थिति के अनुसार | 1,42,473 | 74,633   | 2,17,106 |
| 1 अप्रैल, 2014 की स्थिति के अनुसार | 1,52,476 | 77,203   | 2,29,679 |
| 1 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार | 1,60,708 | 79,266   | 2,39,974 |
| 1 अप्रैल, 2016 की स्थिति के अनुसार | 1,71,327 | 82,010   | 2,53,337 |
| 1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार | 1,81,585 | 88,722   | 2,70,307 |
| 1 अप्रैल, 2018 की स्थिति के अनुसार | 1,90,104 | 92,089   | 2,82,193 |
| 1 अप्रैल, 2019 की स्थिति के अनुसार | 1,92,857 | 98,841   | 2,91,698 |
| 1 अप्रैल, 2020 की स्थिति के अनुसार | 2,07,755 | 99,483   | 3,07,238 |
| 1 अप्रैल, 2021 की स्थिति के अनुसार | 2,23,344 | 1,03,737 | 3,27,081 |
| 1 अप्रैल, 2022 की स्थिति के अनुसार | 2,40,875 | 1,09,563 | 3,50,438 |
| 1 अप्रैल, 2023 की स्थिति के अनुसार | 2,66,497 | 1,12,122 | 3,78,619 |
| 1 अप्रैल, 2024 की स्थिति के अनुसार | 2,87,900 | 1,15,717 | 4,03,617 |
| 1 अप्रैल, 2025 की स्थिति के अनुसार | 3,03,710 | 1,19,394 | 4,23,104 |

| वर्ष (की स्थिति के अनुसार)         | सहयोगी   | अध्येता  | योग      |
|------------------------------------|----------|----------|----------|
| 1 अप्रैल, 2026 की स्थिति के अनुसार | 3,29,670 | 1,23,155 | 4,52,825 |

**रजिस्ट्रीकृत छात्र (31 मार्च, 2010 से)**

| वर्ष के दौरान | फाउंडेशन | सीपीटी   | पीसीसी | आईपीसीसी और आईआईपीसीसी | इंटरमीडिएट | फाइनल  | नया फाइनल | एटीसी | योग      |
|---------------|----------|----------|--------|------------------------|------------|--------|-----------|-------|----------|
| 2009-10       | -        | 1,67,073 | 1,860  | 80,745                 | -          | 24,172 | -         | 3,376 | 2,77,226 |
| 2010-11       | -        | 1,55,217 | 329    | 67,984                 | -          | 57,175 | -         | 1,906 | 2,82,611 |
| 2011-12       | -        | 1,61,712 | -      | 85,053                 | -          | 47,515 | -         | 2,099 | 2,96,379 |
| 2012-13       | -        | 1,61,084 | -      | 1,02,406               | -          | 45,102 | -         | 2,615 | 3,11,207 |
| 2013-14       | -        | 1,54,742 | -      | 96,285                 | -          | 39,348 | -         | 3,209 | 2,93,584 |
| 2014-15       | -        | 1,41,241 | -      | 66,570                 | -          | 36,950 | -         | 881   | 2,45,642 |
| 2015-16       | -        | 1,25,140 | -      | 77,962                 | -          | 31,669 | -         | 1,249 | 2,36,020 |
| 2016-17       | -        | 1,07,392 | -      | 81,886                 | -          | 27,611 | -         | 1,430 | 2,18,319 |
| 2017-18       | 9,788    | 73,804   | -      | 22,657                 | 63,693     | 26,291 | 14,056    | -     | 2,10,289 |
| 2018-19       | 45,048   | -        | -      | -                      | 53,654     | -      | 27,966    | -     | 1,26,668 |
| 2019-20       | 63,228   | -        | -      | -                      | 87,949     | -      | 67,090    | -     | 2,18,267 |
| 2020-21       | 1,09,968 | -        | -      | -                      | 46,563     | -      | 26,366    | -     | 1,82,897 |
| 2021-22       | 1,21,365 | -        | -      | -                      | 69,967     | -      | 32,527    | -     | 2,23,859 |
| 2022-23       | 1,25,460 | -        | -      | -                      | 77,652     | -      | 21,944    | -     | 2,25,056 |
| 2023-24       | 1,38,378 | -        | -      | -                      | 98,791     | -      | 34,719    | -     | 2,71,888 |
| 2024-25       | 1,34,420 | -        | -      | -                      | 72,458     | -      | 75,495    | -     | 2,82,373 |
| 2025-26       | 1,41,312 | -        | -      | -                      | 80,487     | -      | 59,650    | -     | 2,81,449 |

### 9.11 प्रकाशन निदेशालय

प्रकाशन निदेशालय (पूर्ववर्ती प्रकाशन और सीडीएस निदेशालय) छात्रों, सदस्यों और अन्य पणधारियों को आईसीएआई के शैक्षिक और वृत्तिक प्रकाशनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निदेशालय अध्ययन सामग्रियों, सदस्य प्रकाशनों और संस्थान के अन्य आधिकारिक प्रकाशनों के मुद्रण, इन्वेंट्री प्रबंध, वितरण और लेखांकन की निगरानी करता है। निदेशालय संस्थान के ऑनलाइन प्रकाशन पोर्टल (<https://cds.icaai.org/>) का प्रबंध करता है, जो पणधारियों को एक निर्बाध डिजिटल मंच के माध्यम से प्रकाशनों और कलाकृतियों का क्रय करने में समर्थ बनाता है। यह पोर्टल केंद्रीयकृत वितरण प्रणाली (सीडीएस) के माध्यम से ऑनलाइन ऑर्डरिंग, भुगतान प्रसंस्करण और परिदान का समर्थन करता है, जिससे अभिगम्यता और सेवा दक्षता में अभिवृद्धि होती है।

एक दक्ष आपूर्ति शृंखला बनाए रखने हेतु, निदेशालय अभिहित भंडारण स्थानों में इन्वेंट्री का प्रशासन करता है और आवधिक भौतिक स्टॉक सत्यापन करता है। सही वित्तीय रिपोर्टिंग और प्रभावी इन्वेंट्री नियंत्रण के समर्थन हेतु लेखा विभाग के समन्वय से स्टॉक मूल्यांकन और इन्वेंट्री अभिलेख बनाए रखे जाते हैं। निदेशालय भुगतान गेटवे संग्रहणों के साथ प्रकाशन विक्रयों का समाधान भी करता है तथा संस्थान की ईआरपी प्रणाली के साथ विक्रय और प्रेषण जानकारी के एकीकरण को सुकर बनाता है। इससे प्रकाशन-संबंधी संव्यवहारों की पारदर्शिता, सहीता और समय पर लेखांकन सुनिश्चित होता है। इन कृत्यों के माध्यम से, प्रकाशन निदेशालय सुदृढ़ इन्वेंट्री प्रबंध, वित्तीय अनुशासन और प्रचालनगत पारदर्शिता बनाए रखते हुए गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक संसाधनों तक समय पर पहुंच प्रदान करने के संस्थान के उद्देश्य में महत्वपूर्ण योगदान करता है।

#### (I) निकाले गए नए प्रकाशन

1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 की अवधि के दौरान, प्रकाशन निदेशालय ने अध्ययन बोर्ड (शैक्षिक) और अन्य समितियों की ओर से विभिन्न नए प्रकाशन मुद्रित किए, जो प्रकाशन पोर्टल पर भी होस्ट किए गए हैं।

#### (II) केंद्रीयकृत वितरण प्रणाली (सीडीएस)

जुलाई 2017 से, अध्ययन सामग्रियों, रिवीजन टेस्ट पेपरो, सदस्य-संबंधी प्रकाशनों तथा टाई, टाई पिन, कफ लिंक और लैपल पिन जैसे विभिन्न स्मृति-चिह्नों सहित आईसीएआई के सभी प्रकाशन, पोर्टल के माध्यम से प्राप्त ऑर्डरों के आधार पर, प्रकाशन पोर्टल (<https://cds.icaei.org/>) में सीडीएस के माध्यम से छात्रों, सदस्यों और अन्य पणधारियों को केंद्रीय रूप से प्रेषित किए जाते हैं।

#### (III) प्रेषण सांख्यिकी (1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026)

| श्रेणी                                      | मदों के प्रकार | प्रेषित मात्रा     |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------|
| रजिस्ट्रीकरण के प्रति प्रेषित छात्र प्रकाशन | 46 प्रकार      | 15,86,268 पुस्तकें |
| विक्रय के प्रति प्रेषित छात्र प्रकाशन       | 113 प्रकार     | 28,019 पुस्तकें    |
| विक्रय के प्रति प्रेषित सदस्य प्रकाशन       | 324 प्रकार     | 13,185 पुस्तकें    |
| विक्रय के प्रति प्रेषित स्मृति-चिह्न        | 26 प्रकार      | 1,134 इकाइयां      |

#### (IV) भावी प्रयास

निदेशालय एक नए प्रकाशन पोर्टल के विकास के अंतिम चरण में है। नया पोर्टल शीघ्र ही लाइव होने की आशा है और यह छात्रों, सदस्यों और अन्य पणधारियों हेतु उन्नत उपयोक्ता अनुभव, बेहतर प्रचालनगत दक्षता, प्रकाशन ऑर्डरों की बेहतर निगरानी तथा प्रसंस्करण और परिदान हेतु कम टर्नअराउंड समय प्रदान करेगा।

#### 9.12 क्षेत्र और शाखा मामले (आरबीए) निदेशालय

जैसे-जैसे आईसीएआई अपनी उपस्थिति को सुदृढ़ करता जा रहा है और 4 लाख से अधिक सदस्यों तथा 9 लाख से अधिक छात्रों के एक जीवंत समुदाय की सेवा कर रहा है, क्षेत्र और शाखा मामले (आरबीए) निदेशालय संस्थान के 5 क्षेत्रीय परिषदों और 186 शाखाओं के विस्तृत अखिल भारतीय नेटवर्क के निर्बाध और प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता

है। मुख्यालय और क्षेत्रीय संरचनाओं के बीच केंद्रीय समन्वयकारी सेतु के रूप में कार्य करते हुए, निदेशालय संगठन भर में सुसंगतता, दक्षता और उत्कृष्टता का पोषण करने हेतु रणनीतिक मार्गदर्शन, प्रशासनिक समर्थन और प्रचालनगत निगरानी प्रदान करता है।

उन्नत सांस्थानिक समन्वय, प्रक्रिया इष्टतमीकरण, ज्ञान प्रसार और सक्षमता-निर्माण पहलों के माध्यम से, निदेशालय क्षेत्रीय और शाखा-स्तरीय इकाइयों को आईसीएआई के शैक्षिक, वृत्तिक और सदस्य-केंद्रित कार्यक्रमों का प्रभावी परिदान करने में समर्थ बनाता है। सहयोग का संवर्धन करके, पणधारी सहभागिता को सुदृढ़ करके तथा सतत सुधार का समर्थन करके, आरबीए निदेशालय वृत्ति और राष्ट्र निर्माण की सेवा में प्रौद्योगिकी, रूपांतरण और नवप्रवर्तन को अंगीकार करते हुए, उत्कृष्टता, सत्यनिष्ठा, वृत्तिकता और लोक विश्वास को बनाए रखने के आईसीएआई के मिशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान करता है।

### (I) क्षेत्रीय परिषदें और उनकी शाखाएं

संस्थान की पांच क्षेत्रीय परिषदें हैं – पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद् (डब्ल्यूआईआरसी), दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद् (एसआईआरसी), पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद् (ईआईआरसी), मध्य भारत क्षेत्रीय परिषद् (सीआईआरसी) और उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद् (एनआईआरसी) – जिनके मुख्यालय क्रमशः मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर और नई दिल्ली में हैं। क्षेत्रीय परिषदों की शाखाओं की कुल संख्या 186 है। सीए पाठ्यक्रम के छात्रों को सौहार्द की भावना विकसित करने तथा सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और बौद्धिक विकास के संवर्धन में सक्रिय रूप से सम्मिलित करने की दृष्टि से, परिषद् ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स स्टूडेंट्स एसोसिएशन (सीएएसए) की शाखाओं की स्थापना को प्रोत्साहित किया है। अब तक सीएएसए की 145 शाखाएं स्थापित की जा चुकी हैं।

### (II) सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय परिषद्, सर्वश्रेष्ठ शाखा और सर्वश्रेष्ठ छात्र संघ हेतु पुरस्कार (2025)

ये पुरस्कार संस्थान द्वारा प्रत्येक वर्ष समग्र कार्य-निष्पादन और स्थापित मानदंडों के आधार पर दिए जाते हैं। वर्ष 2025 के पुरस्कार वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट्स (डब्ल्यूओएफए 2.0) के अवसर पर 1 फरवरी, 2026 को आयोजित वार्षिक समारोह में निम्नलिखित विजेताओं को प्रदान किए गए :

| श्रेणी                          | पुरस्कार         | विजेता                                   |
|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय परिषद्    | प्रथम पुरस्कार   | डब्ल्यूआईआरसी                            |
| सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय परिषद्    | द्वितीय पुरस्कार | एसआईआरसी                                 |
| सर्वश्रेष्ठ छात्र संघ           | प्रथम पुरस्कार   | ईआईसीएएसए और एनआईसीएएसए (संयुक्त रूप से) |
| सर्वश्रेष्ठ छात्र संघ           | द्वितीय पुरस्कार | डब्ल्यूआईसीएएसए                          |
| सर्वश्रेष्ठ शाखा – मेगा श्रेणी  | प्रथम पुरस्कार   | अहमदाबाद                                 |
| सर्वश्रेष्ठ शाखा – मेगा श्रेणी  | द्वितीय पुरस्कार | पुणे                                     |
| सर्वश्रेष्ठ शाखा – वृहद् श्रेणी | प्रथम पुरस्कार   | नागपुर                                   |
| सर्वश्रेष्ठ शाखा – वृहद् श्रेणी | द्वितीय पुरस्कार | वसई                                      |
| सर्वश्रेष्ठ शाखा – मध्यम श्रेणी | प्रथम पुरस्कार   | विजयवाड़ा और भोपाल (संयुक्त रूप से)      |
| सर्वश्रेष्ठ शाखा – मध्यम श्रेणी | द्वितीय पुरस्कार | गुवाहाटी और लुधियाना (संयुक्त रूप से)    |

| श्रेणी                               | पुरस्कार         | विजेता                                            |
|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| सर्वश्रेष्ठ शाखा – लघु श्रेणी        | प्रथम पुरस्कार   | तिरुपुर और तिरुवनंतपुरम (संयुक्त रूप से)          |
| सर्वश्रेष्ठ शाखा – लघु श्रेणी        | द्वितीय पुरस्कार | जम्मू और कश्मीर तथा भिलाई (संयुक्त रूप से)        |
| सर्वश्रेष्ठ शाखा – सूक्ष्म श्रेणी    | प्रथम पुरस्कार   | बिलासपुर                                          |
| सर्वश्रेष्ठ शाखा – सूक्ष्म श्रेणी    | द्वितीय पुरस्कार | रतलाम                                             |
| सर्वश्रेष्ठ छात्र संघ शाखा – मेगा    | प्रथम पुरस्कार   | अहमदाबाद और बेंगलुरु (संयुक्त रूप से)             |
| सर्वश्रेष्ठ छात्र संघ शाखा – मेगा    | द्वितीय पुरस्कार | पुणे और बसई (संयुक्त रूप से)                      |
| सर्वश्रेष्ठ छात्र संघ शाखा – वृहद्   | प्रथम पुरस्कार   | एर्नाकुलम, लुधियाना और विजयवाड़ा (संयुक्त रूप से) |
| सर्वश्रेष्ठ छात्र संघ शाखा – वृहद्   | द्वितीय पुरस्कार | कोई पुरस्कार नहीं                                 |
| सर्वश्रेष्ठ छात्र संघ शाखा – मध्यम   | प्रथम पुरस्कार   | रायपुर                                            |
| सर्वश्रेष्ठ छात्र संघ शाखा – मध्यम   | द्वितीय पुरस्कार | सेलम                                              |
| सर्वश्रेष्ठ छात्र संघ शाखा – लघु     | प्रथम पुरस्कार   | भिलाई और सिलीगुड़ी (संयुक्त रूप से)               |
| सर्वश्रेष्ठ छात्र संघ शाखा – लघु     | द्वितीय पुरस्कार | नांदेड और शिवकाशी (संयुक्त रूप से)                |
| सर्वश्रेष्ठ छात्र संघ शाखा – सूक्ष्म | प्रथम पुरस्कार   | रतलाम                                             |
| सर्वश्रेष्ठ छात्र संघ शाखा – सूक्ष्म | द्वितीय पुरस्कार | संबलपुर                                           |

### (III) प्रबंध समिति सदस्य बैठक (एमसीएमएम) 2026 – क्षेत्रीय स्तर

आरबीए निदेशालय ने शाखाओं के निर्वाचित प्रबंध समिति सदस्यों और क्षेत्रीय परिषद् सदस्यों को संरचित अभिमुखीकरण प्रदान करने के उद्देश्य से सभी पांच क्षेत्रों में क्षेत्रीय स्तर की प्रबंध समिति सदस्य बैठक 2026 का सफलतापूर्वक संचालन किया। इन कार्यक्रमों का संचालन निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार किया गया :

| क्षेत्र         | तिथियां           | स्थान     |
|-----------------|-------------------|-----------|
| उत्तरी क्षेत्र  | 11-12 मार्च, 2026 | चंडीगढ़   |
| पश्चिमी क्षेत्र | 13-14 मार्च, 2026 | मुंबई     |
| मध्य क्षेत्र    | 16-17 मार्च, 2026 | गाजियाबाद |
| पूर्वी क्षेत्र  | 21-22 मार्च, 2026 | कोलकाता   |
| दक्षिणी क्षेत्र | 23-24 मार्च, 2026 | हैदराबाद  |

मार्गदर्शन और दृष्टिकोण में सुसंगतता सुनिश्चित करने हेतु एक मानकीकृत कार्यक्रम संरचना अभिकल्पित की गई और सभी क्षेत्रों में एकसमान रूप से कार्यान्वित की गई। संबंधित क्षेत्रों में सम्मानित केंद्रीय परिषद् सदस्यों द्वारा परिदत्त सत्रों में बैठकों और कार्यक्रमों का संचालन; लेखांकन, लेखापरीक्षा और सांविधिक अनुपालन; परिषद् के निदेश, परामर्शिकाएं और आरबीए अनुदान प्रबंध ढांचा; आईसीएआई नीति ढांचा; छात्र गतिविधियां और अनुदान; शाखाओं और छात्र संघों का कार्य-निष्पादन प्रबंध; तथा सीपीई ढांचा सहित प्रमुख प्रचालनगत और शासन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया।

इन कार्यक्रमों की एक प्रमुख विशेषता नेतृत्व के साथ एक परस्पर संवादात्मक सत्र थी, जिसमें प्रबंध समिति सदस्यों ने शाखा स्तर पर सामना किए जाने वाले अपने सुझाव, विचार और व्यावहारिक चुनौतियां साझा कीं। कुल 1,095 प्रबंध समिति सदस्यों (1,206 में से) और 62 क्षेत्रीय परिषद् सदस्यों (64 में से) ने भाग लिया, जो एक उत्साहजनक प्रतिसाद को प्रतिबिंबित करता है। प्रतिभागियों के फीडबैक ने अभिमुखीकरण कार्यक्रमों की सामग्री, संरचना और व्यावहारिक सुसंगतता के प्रति अत्यधिक सराहना का संकेत दिया।

### 9.13 विनिर्दिष्ट निधि प्रबंध निदेशालय (एसएफएमडी)

विनिर्दिष्ट निधि प्रबंध निदेशालय का गठन भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा सामाजिक कल्याण, शैक्षिक समुन्नति और पूर्ण प्रयोजनों हेतु स्थापित निधियों का समर्पित, पारदर्शी और दक्ष प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। निदेशालय इन निधियों के प्रभावी प्रबंध, सतत निगरानी और पारदर्शी रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायी है, जिससे यह सुनिश्चित हो कि उनके संसाधनों का विनियोजन कड़ाई से उन उद्देश्यों के अनुसार हो, जिनके लिए उनका गठन किया गया है। एक सुदृढ़ शासन ढांचे के माध्यम से, निदेशालय उत्तरदायित्व, सत्यनिष्ठा और सुशासन के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए इन निधियों के सामाजिक और वृत्तिक प्रभाव को अधिकतम करने का प्रयास करता है।

अपने सदस्यों, छात्रों और वृहत्तर समाज के कल्याण के प्रति आईसीएआई की चिरस्थायी प्रतिबद्धता के अनुरूप, निदेशालय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स परोपकारी निधि (सीएबीएफ), चार्टर्ड अकाउंटेंट्स छात्र परोपकारी निधि (सीएएसबीएफ) तथा एस. वैद्यनाथ अय्यर स्मारक निधि (एसबीएएमएफ) का प्रशासन करता है। निधि शासन, वित्तीय प्रबंध, निगरानी, अनुपालन और रिपोर्टिंग हेतु एक व्यापक ढांचे को सांस्थानिक रूप देकर, विनिर्दिष्ट निधि प्रबंध निदेशालय करुणा, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और विश्वसनीयता के आईसीएआई के मूल मूल्यों को प्रबल करता है।

#### चार्टर्ड अकाउंटेंट्स परोपकारी निधि

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स परोपकारी निधि (सीएबीएफ) की स्थापना जरूरतमंद व्यक्तियों को भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा समर्थन और अन्य समरूप प्रयोजनों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई है, जिनमें संस्थान के सदस्य या पूर्व सदस्य, चाहे वे निधि के अभिदाता रहे हों या नहीं, ऐसे सदस्यों की पत्नियां और बच्चे, मृत सदस्यों की विधवाएं और बच्चे, तथा वे नातेदार या अन्य आश्रित सम्मिलित हैं, जो भरण-पोषण हेतु किसी मृत सदस्य पर आश्रित थे, जहां सदस्य की मृत्यु कोई विधवा या बच्चा छोड़े बिना हुई हो। समय पर वित्तीय सहायता के माध्यम से, सीएबीएफ एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा तंत्र के रूप में कार्य करती है, जो वित्तीय कठिनाई की अवधियों के दौरान सदस्यों और उनके परिवारों को समर्थन प्रदान करती है और वृत्ति की एकजुटता और पारस्परिक देखभाल की भावना को प्रबल करती है।



निधि के वित्तीय और अन्य विवरण निम्नानुसार हैं :

#### सदस्यता का विवरण

| क्रम सं. | विवरण                                              | संख्या   |
|----------|----------------------------------------------------|----------|
| 1.       | 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार कुल आजीवन सदस्य | 1,40,805 |
| 2.       | 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार कुल आजीवन सदस्य | 1,41,274 |
| 3.       | व्यापक समाधान के पश्चात् अद्यतन                    | 274      |
| 4.       | नए आजीवन सदस्यों के कुल योजन (2025-26 के दौरान)    | 195      |

#### वित्तीय विवरणों का ब्यौरा

| विवरण                                | 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान (रु.) | 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान (रु.) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. प्रदान की गई कुल सहायता           | 2,48,08,929                                  | 2,54,10,000                                  |
| 2. वर्ष के दौरान निधि का अधिशेष/घाटा | 3,66,30,458                                  | 52,95,723                                    |
| 3. निधि का अतिशेष                    | 1,40,32,675                                  | 1,21,95,239                                  |
| 4. कोष का अतिशेष                     | 31,34,85,302                                 | 22,00,59,285                                 |

#### एस. वैद्यनाथ अय्यर स्मारक निधि

निदेशालय को आईसीएआई के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय सीए एस. वैद्यनाथ अय्यर की स्मृति और चिरस्थायी योगदानों के स्मरणार्थ स्थापित एस. वैद्यनाथ अय्यर स्मारक निधि (एसवीएएमएफ) के प्रशासन का दायित्व भी सौंपा गया है। इस निधि का सृजन संस्थान के सदस्यों के स्वैच्छिक अभिदानों के माध्यम से वृत्तिक उत्कृष्टता को मान्यता प्रदान करने, व्याख्यानों और अनुसंधान गतिविधियों के माध्यम से वृत्तिक शैक्षिक कार्य का संवर्धन करने तथा योग्य छात्रों का समर्थन करने के उद्देश्य से किया गया है।

31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार निधि की आजीवन सदस्यता की संख्या 11,089 है। 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार कोष निधि में अतिशेष 81,85,150/- रुपये था, जबकि 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार यह 81,25,150/- रुपये था।

#### चार्टर्ड अकाउंटेंट्स छात्र परोपकारी निधि (सीएएसबीएफ)

निदेशालय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स छात्र परोपकारी निधि (सीएएसबीएफ) का भी प्रबंध करता है, जिसकी स्थापना आर्थिक रूप से कमजोर चार्टर्ड अकाउंटेंसी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई है, जिससे वे अनुचित वित्तीय बाधयताओं के बिना अपनी वृत्तिक शिक्षा जारी रखने में समर्थ हों। यह निधि चिकित्सा आपात स्थितियों का सामना कर रहे योग्य छात्रों को चिकित्सा वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की पाठ्यक्रम और परीक्षा फीस की प्रतिपूर्ति करती है, जिनके माता-पिता या संरक्षक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स परोपकारी निधि के अधीन सहायता प्राप्त कर रहे हैं, तथा ऐसे वित्तीय रूप से संकटग्रस्त छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करती है, जिन्होंने अपने माता-पिता, दोनों को खो दिया है। इन पहलों के माध्यम से,

सीएएसबीएफ यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि वित्तीय विपत्ति चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम करने में बाधा न बने तथा योग्य छात्रों को उनकी वृत्तिक शिक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण करने में समर्थन प्रदान करती है।

इस निधि की स्थापना अगस्त 2008 में आईसीआई में रजिस्ट्रीकृत छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लक्ष्य और उद्देश्य से की गई थी। 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार सामान्य निधि में जमा अतिशेष 16,37,29,559/- रुपये था, जबकि 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार यह 17,13,64,481/- रुपये था।

#### 9.14 निविदा निगरानी निदेशालय

चार्टर्ड अकाउंटेंटों की वृत्तिक सेवाओं हेतु निविदा प्रक्रिया की निगरानी, विश्लेषण और उसे सुव्यवस्थित करने के लिए, परिषद् द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान “निविदा निगरानी निदेशालय” नामक एक निदेशालय का गठन किया गया था, जो अब पीडीसी में विलीन हो गया है। निदेशालय निविदा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने तथा सभी अनुज्ञेय निविदाओं में सीए द्वारा उद्धृत बोलियों की निगरानी और उनके विश्लेषण के लिए प्रयासरत रहा है। निदेशालय विचलनों को समुचित स्तर पर निर्दिष्ट भी करता है।

#### निदेशालय के प्रमुख क्रियाकलाप

निदेशालय का वृत्तिक सेवाओं की निविदाओं हेतु अपना स्वयं का पोर्टल – [www.tmdicai.org](http://www.tmdicai.org) – है, जो निम्नलिखित विशेषताएं प्रदान करता है :

- निविदा अवसर।
- सदस्यों हेतु नवीनतम जानकारी।
- निविदाओं पर परिषद् के दिशानिर्देश।
- फीस के न्यूनतम अनुशंसित मान का विवरण।
- सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली लागत शीट का प्रारूप।
- नैतिकता संहिता के सुसंगत प्रावधानों से उद्धरण।
- निदेशालय द्वारा निविदाकर्ताओं को किए गए अभ्यावेदन।
- बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर।
- पहचान प्रकट किए या किए बिना, शिकायत पोस्ट करने का तंत्र।
- लेखापरीक्षा और अन्य समनुदेशनों हेतु फीस की गणना की सुगमता के लिए फीस कैलकुलेटर।

#### (I) निविदाकर्ता संगठनों को अभ्यावेदन

ऐसे निविदाकर्ताओं को अभ्यावेदन किए जा रहे हैं, जहां लेखापरीक्षा और अनुप्रमाणन सेवाओं के संबंध में न्यूनतम फीस विहित नहीं है, या जहां पात्रता शर्तें अयुक्तियुक्त रूप से निर्बंधक प्रतीत होती हैं, या जहां निविदित सेवाएं “स्वतंत्रता” संबंधी मुद्दे उत्पन्न करती हैं। कार्यात्मक वर्ष 2025-26 के दौरान, निविदाकर्ता संगठनों को ऐसे 147 अभ्यावेदन भेजे गए।

#### (II) निविदाओं का पुनर्विलोकन और होस्टिंग

टीएमडी भारत भर से वृत्तिक सेवाओं हेतु निविदाएं संगृहीत भी करता है और उन्हें अपने टीएमडी पोर्टल पर होस्ट करता है। कार्यात्मक वर्ष 2025-26 के दौरान, 2,112 निविदाओं का अध्ययन किया गया, जिनमें से 1,937 निविदाएं टीएमडी पोर्टल पर होस्ट की गईं, क्योंकि वे सभी दृष्टियों से समुचित पाई गईं।

### (III) सदस्यों द्वारा प्रस्तुत बोलियों की जांच

सदस्यों द्वारा प्रस्तुत बोलियों का अध्ययन किया जाता है और जहां भी यह प्रतीत होता है कि बोली कम राशि की है, वहां लागत शीटें मंगाई जाती हैं। कार्यात्मक वर्ष 2025-26 के दौरान, 38 निविदाओं के संबंध में 209 सीए फर्मों को सूचनाएं भेजी गईं। वर्ष 2025-26 के दौरान, 102 सीए फर्मों के मामले अन्वेषण हेतु निदेशक (अनुशासन) को निर्दिष्ट किए गए। 10 सीए फर्मों के संबंध में पियर पुनर्विलोकन का आदेश दिया गया है। 17 सीए फर्मों से संबंधित मामले बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि लागत शीट संतोषजनक पाई गई। शेष मामलों की जांच जारी है।

### 9.15 यूडीआईएन निदेशालय

आईसीएआई द्वारा आरंभ की गई विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या (यूडीआईएन) चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों की प्रामाणिकता, विश्वसनीयता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखे हुए है। प्रत्येक प्रमाणपत्र, लेखापरीक्षा रिपोर्ट और अनुप्रमाणन को एक प्रणाली-सृजित विशिष्ट पहचान संख्या समनुदेशित करके, यूडीआईएन दस्तावेज कूटरचना और दुरुपयोग को रोकने हेतु एक सुदृढ़ तंत्र के रूप में कार्य करती है। वर्षों से, यूडीआईएन विनियामक पारिस्थितिकी प्रणाली के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में विकसित हुई है, जो विनियामकों, सरकारी प्राधिकारियों, वित्तीय संस्थाओं और अन्य उपयोक्ताओं द्वारा दस्तावेजों के निर्बाध सत्यापन को सुकर बनाती है। पुनर्विलोकनाधीन वर्ष के दौरान, यूडीआईएन में प्रौद्योगिकीय रूपांतरण, विनियामक एकीकरण और कार्यात्मक संवर्धनों में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई।

### (I) विनियामकों, बैंकों और अन्य पणधारियों हेतु विनिश्चय मापदंड के रूप में यूडीआईएन

- **भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन** : आईसीएआई ने सुरक्षित एपीआई एकीकरण के माध्यम से यूडीआईएन के वास्तविक समय सत्यापन को सुकर बनाने हेतु, 448वीं परिषद् बैठक के दौरान, 6 फरवरी, 2026 को आईसीएआई भवन, नई दिल्ली में आरबीआई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह पहल आरबीआई के एंड-टू-एंड डिजिटल रूपांतरण ढांचे के साथ सुमेलित है और प्रौद्योगिकी-चालित शासन के प्रति आईसीएआई की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती है।
- **भारतीय सेना (डीजीएसटी) के साथ समझौता ज्ञापन** : सेना क्रय संगठन (एपीओ) की विक्रेता रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया के भीतर यूडीआईएन सत्यापन के एकीकरण हेतु 6 नवंबर, 2025 को भारतीय सेना, आपूर्ति और परिवहन महानिदेशालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे सीए-प्रमाणित दस्तावेजों का स्वचालित प्रमाणीकरण समर्थ हुआ। समझौता ज्ञापन का निष्पादन लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश चड्ढा, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम, आपूर्ति और परिवहन महानिदेशक की उपस्थिति में हुआ।
- **गृह मंत्रालय (प्रोजेक्ट एफसीआरए 2.0)** : गृह मंत्रालय ने विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन प्रस्तुत प्रमाणपत्रों और लेखापरीक्षा रिपोर्टों के वास्तविक समय सत्यापन को समर्थ बनाने हेतु एपीआई-आधारित एकीकरण के लिए यूडीआईएन निदेशालय से संपर्क किया। एपीआई-आधारित यूडीआईएन सत्यापन को समर्थ बनाने की अपेक्षाओं पर विचार-विमर्श हेतु 21 अप्रैल, 2026 को एफसीआरए विंग, नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई।
- **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई)** : दस्तावेज भंडारण और साक्षात्करण हेतु एक सुरक्षित डिजिटल निक्षेपागार, एंटीटी लॉकर मंच के साथ यूडीआईएन के एकीकरण हेतु निरंतर सहभागिता। एपीआई-आधारित एकीकरण अपेक्षाओं पर विचार-विमर्श हेतु वर्ष 2025 में दो बैठकें (17 मार्च और 28 जुलाई) आयोजित की गईं।
- **सी एंड एजी पैनल** : सी एंड एजी ने वर्ष 2023-24 में पहली बार सीए फर्मों/एलएलपी के पैनल में सम्मिलित किए जाने हेतु यूडीआईएन डाटा का उपयोग एक तत्व के रूप में किया। वर्ष 2026-27 हेतु, 2022-23, 2023-24 और 2024-

25 के दौरान सृजित यूडीआईएन के आधार पर अंक प्रदान किए जाते हैं तथा इस विंडो को 2026-27 तक 5 वर्षों तक विस्तारित किया जाना है।

## (II) प्रौद्योगिकी रूपांतरण और डिजिटल पहलें

- **डिजीसीए प्लेटफॉर्म पर प्रवासन :** यूडीआईएन पोर्टल को 20 दिसंबर, 2025 को डिजीसीए प्लेटफॉर्म पर सफलतापूर्वक प्रवासित किया गया, जो एक उन्नत उपयोक्ता इंटरफेस, बेहतर प्रणाली कार्य-निष्पादन और उन्नत कार्यात्मकताएं प्रदान करता है। प्रवासन के पश्चात्, पोर्टल में प्रणाली स्थिरता, अनुक्रियाशीलता और उपयोक्ता अनुभव में सारभूत सुधार देखे गए, जिनमें बेहतर लोड संचालन, बेहतर अपटाइम और उन्नत डाटा सुरक्षा सम्मिलित है।
- **मोबाइल एप्लिकेशन (आईओएस और एंड्रॉइड) :** एक मोबाइल एप्लिकेशन चरणबद्ध रीति से लॉन्च की गई, जो सदस्यों को वास्तविक समय में यूडीआईएन सृजित करने, देखने, डाउनलोड करने और प्रतिसंहत करने में समर्थ बनाती है, जिससे अत्यावश्यक और समय-संवेदनशील वृत्तिक नियोजनों के दौरान अभिगम्यता और प्रचालनगत दक्षता में अभिवृद्धि होती है।
- **सी-डैक द्वारा सुरक्षा लेखापरीक्षा :** डिजीसीए प्लेटफॉर्म के अधीन यूडीआईएन वेब पोर्टल की भेद्यता निर्धारण और अंतर्वेधन परीक्षण (वीएपीटी)/सुरक्षा लेखापरीक्षा सी-डैक को सौंपी गई। वेब पोर्टल हेतु सुरक्षा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र 17 दिसंबर, 2025 को प्राप्त हुआ तथा आईओएस मोबाइल एप्लिकेशन हेतु सुरक्षा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र 19 जनवरी, 2026 को प्राप्त हुआ।

## (III) सदस्यों हेतु कार्यात्मक संवर्धन

- **जीएसटी और कर लेखापरीक्षा यूडीआईएन हेतु पैर विधिमान्यकरण :** 417वीं परिषद् बैठक के विनिश्चय के अनुसरण में, ई-फाइलिंग पोर्टल पर विधिमान्यकरण हेतु जीएसटी और कर लेखापरीक्षा श्रेणी के अधीन यूडीआईएन सृजन के दौरान निर्धारित के पैर को एक अनिवार्य अतिरिक्त फील्ड के रूप में आरंभ किया गया है, जो 20 दिसंबर, 2025 से सृजित यूडीआईएन हेतु लागू है।
- **पूर्ववर्ती वर्ष की लेखापरीक्षा का विवरण :** 442वीं परिषद् बैठक के विनिश्चय के अनुसरण में, जीएसटी और कर लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षा और आश्वासन कृत्य श्रेणियों के अधीन यूडीआईएन सृजन के दौरान पूर्ववर्ती वर्ष की लेखापरीक्षा का विवरण अभिगृहीत करने हेतु यूडीआईएन पोर्टल पर एक प्रावधान समर्थ किया गया है, जो 20 दिसंबर, 2025 से प्रभावी रूप से प्रचालित किया गया।
- **कर लेखापरीक्षा यूडीआईएन पर अधिकतम सीमा :** 442वीं परिषद् बैठक के विनिश्चय के अनुसरण में, 60 कर लेखापरीक्षाओं की विहित सीमा के साथ सुमेलित, कर लेखापरीक्षा समनुदेशनों के अधीन सृजित की जा सकने वाली यूडीआईएन की अधिकतम संख्या पर अधिकतम सीमा आरंभ करने वाला एक प्रावधान विकासाधीन है। कर लेखापरीक्षा समनुदेशनों की गणना 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी की गई है। धारा 44कख के अधीन सभी उप-श्रेणियों हेतु फील्ड-स्तरीय विधिमान्यकरण 11 फरवरी, 2026 को कार्यान्वित किया गया।
- **लेखापरीक्षक अभिमत कार्यात्मकता :** 446वीं परिषद् बैठक के विनिश्चय के अनुसरण में, यूडीआईएन सृजन के दौरान "लेखापरीक्षक अभिमत" अभिगृहीत करने की कार्यात्मकता कार्यान्वित की गई – लेखापरीक्षा और आश्वासन कृत्यों हेतु 20 जून, 2025 की मध्यरात्रि से, तथा जीएसटी और कर लेखापरीक्षा हेतु 28 जून, 2025 की मध्यरात्रि से।

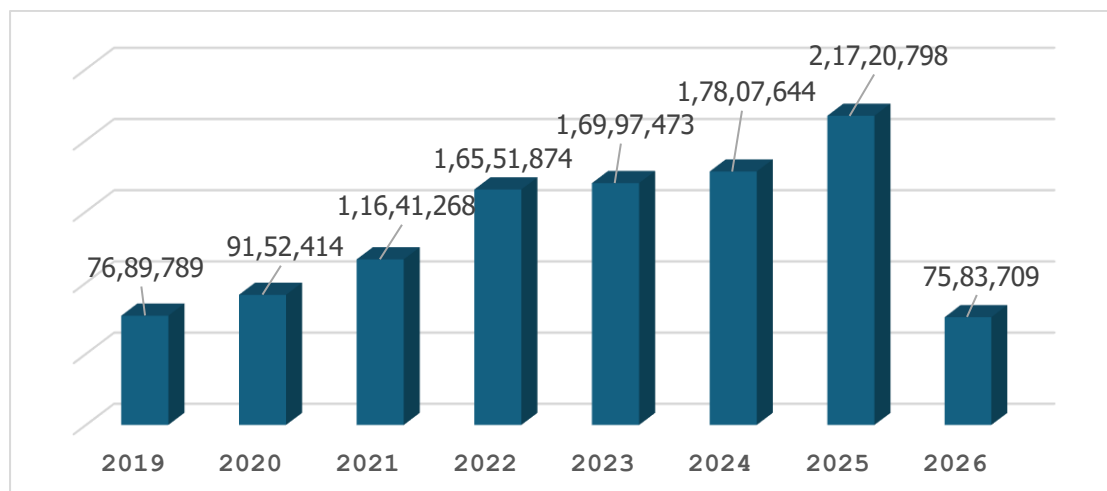
- **नए प्ररूपों का समावेशन :** सीबीडीटी के अनुरोध पर प्ररूप 26एएएनएक्स को 22 अक्तूबर, 2025 को यूडीआईएन पोर्टल पर समर्थ किया गया; आय-कर अधिनियम, 2025 के अधीन प्ररूप 146 को 1 अप्रैल, 2026 से सम्मिलित किया गया।

#### (IV) माइलस्टोन उपलब्धि

यूडीआईएन की कुल सृजित संख्या दिसंबर 2025 में 10 करोड़ के पार पहुंच गई। 7 मई, 2026 की स्थिति के अनुसार, 1.70 लाख से अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंटों ने यूडीआईएन पोर्टल पर लॉग ऑन किया है और तीन श्रेणियों – लेखापरीक्षा और आश्वासन कृत्य, प्रमाणपत्र तथा जीएसटी और कर लेखापरीक्षा – में 10.65 करोड़ से अधिक यूडीआईएन सृजित की हैं। 3.69 करोड़ से अधिक यूडीआईएन का प्राधिकारियों, विनियामकों, बैंकों और अन्य पणधारियों द्वारा सत्यापन और विधिमान्यकरण किया जा चुका है। आरंभ से यूडीआईएन सृजन की कुल संख्या नीचे दी गई है :

| वर्ष    | सृजित यूडीआईएन की कुल संख्या |
|---------|------------------------------|
| 2019    | 76,89,789                    |
| 2020    | 91,52,414                    |
| 2021    | 1,16,41,268                  |
| 2022    | 1,65,51,874                  |
| 2023    | 1,69,97,473                  |
| 2024    | 1,78,07,644                  |
| 2025    | 2,17,20,798                  |
| 2026    | 75,83,709                    |
| सकल योग | 10,91,44,969                 |

जनरेट किए गए UDIN की कुल संख्या (शुरुआत से 15.07.2026 तक)



**(V) ब्रांडिंग और पहचान**

पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान लॉन्च किए गए यूडीआईएन लोगो ने प्रामाणिकता, विश्वास और वृत्तिकता के प्रतीक के रूप में इस पहल की पहचान को और अधिक सुदृढ़ किया है। कॉपीराइट, बौद्धिक संपदा और ट्रेडमार्क (सीआईपीटी) के अधीन रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन 1 सितंबर, 2025 को फाइल किए गए।

**(VI) सक्षमता निर्माण और ज्ञान प्रसार**

- “डिजीसीए प्लेटफॉर्म पर यूडीआईएन पोर्टल का पर्यावलोकन” पर वेबिनार – 8 जनवरी, 2026।
- “लेखापरीक्षक अभिमत कार्यात्मकता पर स्पष्टीकरण : प्रश्नोत्तर सत्र” पर वेबिनार – 14 अक्तूबर, 2025।
- “बैंक लेखापरीक्षाओं हेतु यूडीआईएन पर प्रारंभिक अंतर्दृष्टि” पर वेबिनार – 7 अप्रैल, 2025।
- नई कार्यात्मकताओं और प्रणाली परिवर्तनों का समाधान करने वाले एफएक्यू (5वें संस्करण) के परिशिष्ट जारी किए गए।

**(VII) प्रकाशन**

- यूडीआईएन रिपोर्ट 2025-26 (यूडीआईएन प्रणाली के विकास, अंगीकरण और सांख्यिकीय प्रवृत्तियों की अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाली)।
- विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या (यूडीआईएन) पर एफएक्यू का छठा संस्करण (पुनरीक्षित 2026), जो सदस्यों की सामान्य शंकाओं का समाधान करता है तथा स्पष्टता और अनुपालन में अभिवृद्धि करता है।

**9.16 आईसीएआई प्लेसमेंट निदेशालय**

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के आईसीएआई प्लेसमेंट निदेशालय का गठन वर्ष 2026 में चार्टर्ड अकाउंटेंटों हेतु करियर अवसरों को सुकर बनाने तथा उद्योग-वृत्ति सहभागिता को सुदृढ़ करने के लिए एक समर्पित और केंद्रित मंच सृजित करने के उद्देश्य से किया गया। निदेशालय नव-अर्हित चार्टर्ड अकाउंटेंटों (एनक्यूसीए), अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंटों, अर्ध-अर्हित वृत्तिकों तथा विविध क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों के संगठनों हेतु संरचित, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-चालित प्लेसमेंट और करियर समर्थन सेवाएं प्रदान करके उद्योग और चार्टर्ड अकाउंटेंसी वृत्ति के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है।

वित्त वृत्तिकों को सशक्त बनाने और गुणवत्तापूर्ण प्रतिभा तक पहुंच में संगठनों का समर्थन करने की परिकल्पना के साथ, आईसीएआई प्लेसमेंट निदेशालय कैपस प्लेसमेंट कार्यक्रमों, आईसीएआई कैपस प्लेसमेंट+, करियर एसेंट कार्यक्रमों, एचआर बैठकों, विदेशी प्लेसमेंट पहलों, सीए करियर कैटेलिस्ट कार्यक्रमों, अभिमुखीकरण कार्यक्रमों तथा सीए रैंक धारकों हेतु प्रबंध विकास कार्यक्रमों (एमडीपी) सहित विभिन्न पहलें करता है। निदेशालय अपने डिजिटल मंचों के माध्यम से सतत भर्ती और नेटवर्किंग समर्थन भी प्रदान करता है, जिससे संगठन वर्ष भर अत्यधिक कुशल वित्त वृत्तिकों से जुड़ने में समर्थ होते हैं, साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंटों को विभिन्न क्षेत्रों में अवसरों की खोज में सहायता मिलती है।

प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं :

### (I) सीए करियर कैटेलिस्ट कार्यक्रम 2026

निदेशालय ने सीए करियर कैटेलिस्ट कार्यक्रम 2026 का शुभारंभ किया, जो नव-अर्हित चार्टर्ड अकाउंटेंटों और सीए फाइनल अर्हित अभ्यर्थियों हेतु अभिकल्पित एक व्यापक वर्चुअल करियर-तत्परता पहल है, जिसका संचालन 15 से 22 मार्च, 2026 तक चरणबद्ध रीति से किया गया। 15 से 20 मार्च, 2026 की अवधि के दौरान, चार्टर्ड अकाउंटेंटों हेतु महत्वपूर्ण क्षेत्रों और उभरते करियर अवसरों को सम्मिलित करते हुए क्षेत्र-केंद्रित वेबिनार सत्र प्रतिदिन आयोजित किए गए, जिनमें कराधान, विलय और अर्जन, वित्त, निवेश बैंकिंग, सांविधिक लेखापरीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा, वित्तीय सम्यक् तत्परता, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, कंसल्टेंसी, परामर्श, एफपी एंड ए, लागत निर्धारण, बजट निर्माण और ऑफशोर अवसर सम्मिलित हैं।

इसके अतिरिक्त, 21 और 22 मार्च, 2026 को समूह परिचर्चा, एचआर प्रशिक्षण, माँक साक्षात्कारों और एकल मेंटरिंग पर संरचित सत्र बैचों में आयोजित किए गए, जिससे प्रतिभागियों को प्लेसमेंट तत्परता, क्षेत्र-चयन मार्गदर्शन और साक्षात्कार तैयारी से सज्जित किया जा सके। कार्यक्रम को उत्साहजनक प्रतिसाद मिला और यह सीए फाइनल परिणामों की घोषणा और प्लेसमेंट गतिविधियों के आरंभ के बीच एक संरचित सेतु के रूप में कार्य कर गया।

### (II) 64वां आईसीएआई कैपस प्लेसमेंट कार्यक्रम

64वें आईसीएआई कैपस प्लेसमेंट कार्यक्रम का आयोजन जनवरी 2026 की सीए फाइनल परीक्षा में अर्हित चार्टर्ड अकाउंटेंटों हेतु अप्रैल-मई 2026 के दौरान 29 केंद्रों (9 प्रमुख और 20 छोटे केंद्रों) में किया गया, जो हाल ही में अर्हित सदस्यों हेतु एक वर्ष के भीतर तीसरा कैपस प्लेसमेंट अवसर था। कार्यक्रम में 5,834 अभ्यर्थियों (7,592 नव-अर्हित सीए में से) का रजिस्ट्रीकरण तथा 136 से अधिक संगठनों की सहभागिता देखी गई, जिन्होंने 9,000+ रिक्तियां प्रस्थापित कीं, जो आईसीएआई के कैपस प्लेसमेंट कार्यक्रम में निरंतर विश्वास और सशक्त नियोजक विश्वास को प्रतिबिंबित करता है।

बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों, प्रौद्योगिकी कंपनियों, कंसल्टिंग फर्मों, वृत्तिक सेवा नेटवर्कों, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटरों, स्टार्ट-अपों और अग्रणी भारतीय निगमों सहित प्रतिष्ठित संगठनों के व्यापक वर्णक्रम की सहभागिता ने आईसीएआई की प्रतिभा में उद्योग जगत के विश्वास को और अधिक रेखांकित किया। कैपस चक्र में वित्त, लेखापरीक्षा, कंसल्टिंग, डाटा विश्लेषण, एआई कार्य-प्रवाह स्वचालन, बिजनेस इंटेलेजेंस, निवेश बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी, जोखिम प्रबंध, अनुपालन और डिजिटल रूपांतरण सहित पारंपरिक और उभरते, दोनों क्षेत्रों में सुदृढ़ मांग भी दर्ज की गई।

कतिपय क्षेत्रों में रिपोर्ट की गई वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं, पुनर्गठन गतिविधि और छंटनियों के बावजूद कार्यक्रम में सशक्त हायरिंग मांग देखी गई। प्रस्थापित वार्षिक सीटीसी ₹9 लाख से ₹27.50 लाख तक रहे तथा अभ्यर्थियों को प्लेसमेंट प्रक्रिया, करियर अवसरों, नियोजक आशाओं और साक्षात्कार तत्परता से परिचित कराने हेतु सभी केंद्रों पर एक मानकीकृत अभिमुखीकरण कार्यक्रम का संचालन किया गया।

### (III) सीए जॉब्स पोर्टल

कैपस प्लेसमेंट पहलों के अतिरिक्त, निदेशालय ने सीए जॉब्स पोर्टल (<https://cajobs.icai.org/>) का सुदृढीकरण जारी रखा, जो विभिन्न क्षेत्रों और अनुभव स्तरों के चार्टर्ड अकाउंटेंटों हेतु 24x7, 365-दिवसीय नियोजन अवसर प्रदान करता है। पोर्टल के माध्यम से, संस्थान वर्चुअल साक्षात्कारों और विभिन्न स्तरों पर रिक्तियों की तत्काल पूर्ति के माध्यम से हायरिंग को सुकर बनाता है, जिसमें वरिष्ठ स्तर के सीए पदों, महिला-केंद्रित प्लेसमेंटों, घर से कार्य के अवसरों, अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंटों हेतु लेटरल प्लेसमेंटों और

निदेशक स्तर के अवसरों की प्रस्थापना सम्मिलित है। अत्यावश्यक हायरिंग अपेक्षाओं वाले नियोजक पोर्टल के माध्यम से सीधे अर्हित सीए प्रतिभा प्राप्त कर सकते हैं अथवा सहायता और समर्थन हेतु [icai.placement@icai.in](mailto:icai.placement@icai.in) पर लिख सकते हैं।

#### (IV) सीए रैंक धारकों हेतु प्रबंध विकास कार्यक्रम

निदेशालय ने भारतीय प्रबंध संस्थान, कोझिकोड के सहयोग से जनवरी 2026 बैच के सीए रैंक धारकों हेतु प्रबंध विकास कार्यक्रम का संचालन किया। इस कार्यक्रम को रणनीतिक चिंतन, नेतृत्व, संप्रेषण, वित्त वृत्तियों हेतु एआई, शासन, विनिश्चय और उभरते कारोबारी नेतृत्व परिप्रेक्ष्यों जैसे क्षेत्रों में रैंक धारकों को संरचित प्रबंध अनुभव प्रदान करने हेतु अभिकल्पित किया गया था।

157 पात्र रैंक धारकों में से 133 ने कार्यक्रम में भाग लिया, जो एक अत्यंत उत्साहजनक प्रतिसाद को प्रतिबिंबित करता है; प्रतिभागियों की संख्या और आवासीय व्यवस्थाओं को देखते हुए, प्रभावी परिदान, केंद्रित अधिगम और सुचारू प्रतिभागी प्रबंध सुनिश्चित करने हेतु कार्यक्रम का आयोजन दो पृथक बैचों में किया गया। कार्यक्रम को सहभागी रैंक धारकों, जिन्होंने शैक्षिक इनपुट की गुणवत्ता, व्यावहारिक अनुभव, सहपाठी अधिगम और नेतृत्व-उन्मुख अभिकल्पना की सराहना की, तथा प्रबंध संस्थान, जिसने सत्रों के दौरान सीए रैंक धारकों के उत्साह, अनुशासन और सक्रिय सहभागिता को स्वीकार किया, दोनों से अत्यंत उत्साहजनक फीडबैक प्राप्त हुआ।

### 10. छात्र संबंधी बोर्ड/समिति

#### 10.1 अध्ययन बोर्ड – शैक्षिक (बीओएस-ए)

अध्ययन बोर्ड – शैक्षिक, जो आईसीएआई की एक गैर-स्थायी समिति है, छात्रों की शिक्षा और प्रशिक्षण से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण और कार्यान्वयन करता है। अध्ययन बोर्ड का मिशन वृत्तिक ज्ञान, कौशलों और मूल्यों, नैतिकता और अभिवृत्तियों की एक सुदृढ़ नींव प्रदान करना है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम के छात्रों को सक्षम वृत्तिकों के रूप में विकसित होने तथा अपने वृत्तिक करियर भर परिवर्तनों के अनुकूल बनने में समर्थ बनाती है। अध्ययन बोर्ड (शैक्षिक) आकांक्षी सीए छात्रों को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की उनकी यात्रा भर व्यापक शैक्षिक समर्थन, सतत मार्गदर्शन और मेंटरशिप प्रदान करके उनके शैक्षिक और वृत्तिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है।

छात्रों के वृत्तिक ज्ञान और मूल्यों को सुदृढ़ करने हेतु, बीओएस (ए) सीए पाठ्यक्रम के सभी विषयों हेतु गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्रियां, रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, सुझाए गए उत्तर, सारांश – लास्ट माइल रेफरेंसर तथा केस परिदृश्य पुस्तिकाएं प्रस्थापित करता है। यह लाइव वर्चुअल क्लासों, लाइव वर्चुअल रिवीजनरी क्लासों, आईसीएआई डिजिटल लर्निंग कैंपस और एमसीक्यू पेपर प्रैक्टिस असेसमेंट डैशबोर्ड जैसी डिजिटल पहलों के माध्यम से प्रभावी अधिगम का संवर्धन भी करता है।

वर्ष की प्रमुख पहलों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

#### (I) छात्र-केंद्रित अधिगम संसाधन

- **मूल्य-वर्धित अध्ययन सामग्री :** शैक्षिक समर्थन में अभिवृद्धि के एक कदम के रूप में, बोर्ड ने मई 2026 की परीक्षाओं हेतु फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल स्तरों के लिए मूल्य-वर्धित अध्ययन सामग्री जारी की। इस व्यापक सामग्री में सभी स्व-गति ऑनलाइन मॉड्यूल – सेट ए, बी, सी और डी – भी सम्मिलित हैं और इसे बीओएस नॉलेज पोर्टल पर सुलभ बनाया गया है।



- **सारांश – लास्ट माइल रेफरेंसर :** दृश्य सारांशों, चित्रात्मक आरेखों, संक्षिप्त फ्लोचार्टों और सारणियों के माध्यम से मूल संकल्पनाओं, प्रावधानों और मानकों का सार प्रस्तुत करने वाली एक व्यापक पुस्तिका, सारांश, फाइनल स्तर के पेपर 2 – उन्नत वित्तीय प्रबंध तथा पेपर 3 – उन्नत लेखापरीक्षा, आश्वासन और वृत्तिक नैतिकता हेतु तैयार और जारी की गई। इसके अतिरिक्त, इंटरमीडिएट स्तर के कराधान पेपरों (पेपर 3ए : आय-कर विधि; पेपर 3बी : माल और सेवा कर) तथा फाइनल स्तर (पेपर 4 – प्रत्यक्ष कर विधियां और अंतर्राष्ट्रीय कराधान; पेपर 5 – अप्रत्यक्ष कर विधियां) हेतु सारांश को अद्यतन भी किया गया।
- **इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस का केस स्टडी डाइजेस्ट, खंड II :** सीए फाइनल पाठ्यक्रम के इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस पेपर हेतु केस स्टडी डाइजेस्ट खंड II जारी किया गया, जिसमें विविध क्षेत्रों से लिए गए 35 गहन केस स्टडी सम्मिलित हैं। यह एक बोर्डरूम-स्तरीय अधिगम अनुभव प्रदान करता है, जो छात्रों को सीएफओ, वित्त निदेशकों, सीईओ और लेखापरीक्षकों जैसे प्रमुख विनिश्चयकर्ताओं की भूमिका में स्वयं को रखने हेतु प्रोत्साहित करता है।
- **रिवीजन टेस्ट पेपर (आरटीपी) :** संशोधनों पर प्रश्नों सहित, प्रत्येक विषय में विविध प्रकार के प्रश्नों को समाविष्ट करने वाले आरटीपी मई 2025, सितंबर 2025, जनवरी 2026 और मई 2026 की परीक्षाओं हेतु जारी किए गए, जिनसे सभी स्तरों के छात्र लाभान्वित हुए।
- **सुझाए गए उत्तर :** आईसीएआई के इतिहास में पहली बार, मई 2025, सितंबर 2025 और जनवरी 2026 की परीक्षाओं के सुझाए गए उत्तर परिणामों की घोषणा के 24 घंटों के भीतर वेब पर होस्ट किए गए।

## (II) व्यापक छात्र सहायता सेवाएं

- **लाइव वर्चुअल क्लास (एलवीसी)/लाइव वर्चुअल रिवीजनरी क्लास (एलवीआरसी) :** प्रत्येक परीक्षा चक्र हेतु फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल पाठ्यक्रमों के लिए एलवीसी का संचालन किया गया तथा इंटरमीडिएट और फाइनल पाठ्यक्रमों हेतु एलवीआरसी का संचालन किया गया। दर्शक संख्या की सांख्यिकी निम्नानुसार है :

| एलवीसी/एलवीआरसी बैच | दर्शक संख्या सांख्यिकी |
|---------------------|------------------------|
| एलवीसी फाउंडेशन     | 21,39,612              |
| एलवीसी इंटरमीडिएट   | 32,09,100              |
| एलवीसी फाइनल        | 3,62,468               |
| एलवीआरसी इंटरमीडिएट | 3,12,224               |
| एलवीआरसी फाइनल      | 1,83,356               |

- **सीए फाइनल पेपर 6 – इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस पर विशेष सत्र :** सीए फाइनल पेपर 6 (आईबीएस) पर विशेष सत्र आरंभ किए गए और वर्ष के दौरान ऐसे 35 सत्रों का संचालन किया गया।
- **फाइनल पाठ्यक्रम हेतु ओपन हाउस शंका सत्र :** सीए फाइनल छात्रों हेतु विषय-वार लाइव ओपन हाउस शंका सत्रों की एक श्रृंखला, “बीओएस बिलीव्स इन यू : लेट्स कॉन्कर सीए फाइनल टुगेदर”, आरंभ की गई।
- **मॉक टेस्ट पेपर (एमटीपी) :** प्रत्येक परीक्षा से पूर्व फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल पाठ्यक्रमों के प्रत्येक पेपर हेतु एमटीपी की दो श्रृंखलाओं का संचालन किया गया। वर्ष के दौरान, 59,157 छात्रों ने इन मॉक टेस्ट श्रृंखलाओं में भाग लिया, जिनका संचालन आईसीएआई की क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं के माध्यम से किया गया।

- **मॉक टेस्ट रजिस्ट्रेशन पोर्टल** : सभी आईसीएआई शाखाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों में फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल पाठ्यक्रमों हेतु मॉक टेस्ट पेपरों (शृंखला I और II) के संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए एक केंद्रीयकृत मॉक टेस्ट रजिस्ट्रेशन पोर्टल (<https://bosmtp.icai.org/>) लॉन्च किया गया।
- **विषय-विनिर्दिष्ट “सक्सेस एट सीए एग्जाम” सत्र** : शंकाओं को स्पष्ट करने, समझ को सुदृढ़ करने और तैयारी को सुव्यवस्थित करने हेतु एमटीपी के पश्चात् बीओएस संकाय द्वारा विषय-विनिर्दिष्ट सत्रों का संचालन किया गया।
- **पखवाड़ा कार्यक्रम – “अनलॉक सक्सेस थ्रू क्लैरिटी, स्ट्रैटेजी एंड कॉन्फिडेंस”** : नवंबर 2025 और मार्च 2026 में इंटरमीडिएट और फाइनल छात्रों हेतु वर्चुअल मोड में दो पखवाड़ा कार्यक्रमों का संचालन किया गया, जिनमें विशेषज्ञ-चालित सत्रों के माध्यम से प्रतिदिन इंटरमीडिएट/फाइनल पाठ्यक्रम के एक पेपर को सम्मिलित किया गया, जिनका उद्देश्य पाठ्यक्रम संरचना, खंड-वार भारांक, तैयारी की युक्तियों और बचने योग्य सामान्य गलतियों की अंतर्दृष्टि के साथ छात्रों को आगामी परीक्षाओं हेतु प्रभावी रूप से तैयार करना था।

### (III) छात्र सहयोग पहलें

- **नव-रजिस्ट्रीकृत फाउंडेशन छात्रों हेतु प्रवेशन कार्यक्रम** : नव-रजिस्ट्रीकृत फाउंडेशन छात्रों को एक सशक्त शुरुआत सुनिश्चित करने हेतु मई 2025 और अक्तूबर 2025 में दो प्रवेशन कार्यक्रमों का संचालन किया गया, जिनमें क्रमशः लगभग 10,000 और 8,000 छात्रों ने भाग लिया। इन कार्यक्रमों ने छात्रों को आईसीएआई की विरासत, परिकल्पना, संरचना और उपलब्ध सेवाओं की व्यापक समझ प्रदान की।
- **“चर्चा का विषय : सीए परीक्षा – लेट्स टॉक : द सीए एग्जाम”** : अप्रैल 2025, अगस्त 2025 और दिसंबर 2025 में हाइब्रिड मोड में आयोजित, जिसमें लगभग 7,000 छात्रों ने भाग लिया। इस पहल ने छात्रों को विशेषज्ञों से परस्पर संवाद करने, शंकाओं को स्पष्ट करने और परीक्षा-संबंधी सरोकारों को दूर करने हेतु एक प्रत्यक्ष मंच प्रदान किया।
- **सीए छात्रों हेतु मेंटरिंग कार्यक्रम – “सीए सारथी”** : 1 जुलाई, 2025 को आरंभ यह कार्यक्रम अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंटों को मेंटर के रूप में छात्रों (मेंटी) से जोड़कर सीए छात्रों को उनकी शैक्षिक यात्रा में मार्गदर्शन, समर्थन और सहयोग देने हेतु अभिकल्पित है। एक अनन्य मेंटरशिप पोर्टल (<https://bosmentor.icai.org/>) निर्मित किया गया है, जिसमें मेंटर और मेंटी स्वयं को रजिस्टर कर सकते हैं।
- **“इनसाइट इनटू ऑडिट – ब्रिजिंग थ्योरी विद प्रैक्टिस” पर सत्र** : छात्रों को वास्तविक विश्व की लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने हेतु ऑनलाइन सत्रों की एक शृंखला आरंभ की गई; इस संबंध में 15 सत्रों का संचालन किया जा चुका है।

### (IV) डिजिटल समर्थन सेवाएं

- **डिजिटल लर्निंग कैंपस पोर्टल – एसपीओएम** : डिजिटल लर्निंग कैंपस पोर्टल पर स्व-गति ऑनलाइन मॉड्यूलों (एसपीओएम) हेतु, सेट सी और डी के 8 विभिन्न विषयों को सम्मिलित करते हुए, 20-20 घंटों की 8 विशेषज्ञ-नीति वीडियो व्याख्यान शृंखलाएं जारी की गईं।
- **एमसीक्यू पेपर प्रैक्टिस असेसमेंट डैशबोर्ड** : यह पोर्टल छात्रों की परीक्षा तत्परता को परिष्कृत करने में सहायता हेतु विषय-विनिर्दिष्ट एमसीक्यू प्रस्थापित करता है, जिसकी विशेषताओं में उपयोक्ता-अनुकूल मंच, पेपर-वार और अध्याय-वार कार्य-निष्पादन ट्रैकिंग तथा विभिन्न कठिनाई स्तरों के एमसीक्यू सम्मिलित हैं। अब तक, कुल 3,28,529 छात्रों ने डैशबोर्ड तक पहुंच बनाई है।
- **आईसीएआई-बीओएस मोबाइल ऐप और बीओएस नॉलेज पोर्टल** : आईसीएआई-बीओएस मोबाइल ऐप और नॉलेज पोर्टल (<https://boslive.icai.org/>) छात्रों को शैक्षिक संसाधनों का एक व्यापक पैकेज प्रस्थापित करने वाले समग्र मंच के रूप में कार्य करते हैं। अब तक, 8,61,529 छात्रों ने ऐप/पोर्टल तक पहुंच बनाई है और 37,387 विषय-विनिर्दिष्ट शंकाओं का उत्तर दिया गया है।

**(V) द चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट (छात्र जर्नल)**

अध्ययन बोर्ड (शैक्षिक) का विशेष रूप से सीए छात्रों हेतु मासिक प्रकाशन, द चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट, वर्ष के दौरान नियमित रूप से जारी किया गया। यह सीए पाठ्यचर्या से सुसंगत शैक्षिक सामग्री, शैक्षिक अद्यतन, अध्ययन सहायक सामग्री और वृत्तिक मार्गदर्शन प्रदान करता है।

**(VI) राष्ट्र निर्माण में भागीदार की दिशा में**

- **वाणिज्य और अकाउंटेंसी पर वैश्विक शिक्षा समिट (जीईएस-सीए) 2026** : नई दिल्ली में वाणिज्य और अकाउंटेंसी पर एक दो-दिवसीय वैश्विक शिक्षा समिट का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें 24 राज्यों और 2 संघ राज्यक्षेत्रों के कुलपति, नीति-निर्माता, उद्योग जगत के अग्रणी, निदेशक, प्राचार्य, डीन, प्राध्यापक और विशिष्ट वृत्तिक एक साथ आए। प्रख्यात क्षेत्र विशेषज्ञों के नेतृत्व में परिचर्चाओं में महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया तथा समिट में “वाणिज्य और अकाउंटेंसी शिक्षा हेतु आईसीएआई मॉडल पाठ्यचर्या” पर एक पुस्तिका का शुभारंभ किया गया, जिसमें माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और स्नातक स्तरों पर एक एकीकृत, भविष्योन्मुखी पाठ्यचर्या प्रस्तावित की गई।
- **शैक्षिक सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन (एमओयू)** : आईसीएआई ने, बीओएस (ए) के माध्यम से, अनेक प्रतिष्ठित राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ रणनीतिक समझौता ज्ञापन किए हैं। इस वर्ष तक, आईसीएआई ने देश भर के विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के साथ 22 समझौता ज्ञापनों पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर किए हैं, जिससे ऐसी भागीदारियों का पोषण हो रहा है, जो शिक्षा की गुणवत्ता में अभिवृद्धि करेंगी और छात्रों को समृद्ध अधिगम अवसर प्रदान करेंगी।
- **संकाय विकास कार्यक्रम और संयुक्त संगोष्ठियां** : संकाय सदस्यों को उन्नत ज्ञान और आधुनिक शिक्षण-शास्त्रीय दृष्टिकोणों से सज्जित करने हेतु, समकालीन और अत्यंत सुसंगत विषयों पर संकाय विकास कार्यक्रमों (एफडीपी) का आयोजन किया गया। बोर्ड ने सुसंगत विषयों पर संयुक्त संगोष्ठियों की मेजबानी हेतु विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के साथ सहयोग भी किया, जिससे संकाय सदस्यों में ज्ञान-साझाकरण और वृत्तिक विकास सुकर हुआ।

**(VII) शैक्षिक उत्कृष्टता हेतु विचार-मंथन बैठक**

अध्ययन बोर्ड (शैक्षिक) ने शैक्षिक उत्कृष्टता हेतु विचार-मंथन बैठक के माध्यम से एक पहल की, जिसका उद्देश्य नव-अर्हित चार्टर्ड अकाउंटेंटों के कौशल समुच्चयों का मूल्यांकन करके, शैक्षिक अंतरालों की पहचान करके तथा भविष्य के लिए तैयार वृत्तिकों को विकसित करने हेतु शैक्षिक संसाधनों में सुधार करके सीए वृत्ति के शैक्षिक ढांचे को सुदृढ़ करना है। इस बैठक का आयोजन देश भर के 11 नगरों में किया गया।

**10.2 अध्ययन बोर्ड – प्रचालन**

अध्ययन बोर्ड – प्रचालन, जो संस्थान की एक गैर-स्थायी समिति है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी छात्रों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने पर निरंतर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह भारत भर में अपने आईटी और सॉफ्ट स्किल्स केंद्रों के माध्यम से चार्टर्ड अकाउंटेंसी छात्रों हेतु अभिमुखीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी, उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रबंध और संप्रेषण कौशल पाठ्यक्रमों सहित विनियामक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करता है, साथ ही हैदराबाद और जयपुर स्थित उत्कृष्टता केंद्रों में चार-सप्ताह के आवासीय कार्यक्रमों का भी संचालन करता है।

बोर्ड विभिन्न छात्र-केंद्रित कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य और शाखा-स्तरीय सम्मेलन, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं, खेल प्रतियोगिताएं, उत्सव, परामर्श कार्यक्रम, औद्योगिक भ्रमण, प्रतिभा प्रतियोगिताएं सम्मिलित हैं, तथा सीए छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। इन पहलों का उद्देश्य अकाउंटेंसी वृत्ति की विकसित होती अपेक्षाओं तथा बदलते

कारोबारी और विनियामक परिवेश की पूर्ति हेतु छात्रों को वृत्तिक सक्षमताओं, प्रबंधकीय, संप्रेषण, प्रस्तुतीकरण और सॉफ्ट स्किल्स से सज्जित करना है।

### (I) उन्नत आईटी प्रशिक्षण के पुनरीक्षित पाठ्यक्रम का कार्यान्वयन

वर्ष के दौरान उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण का पुनरीक्षित पाठ्यक्रम कार्यान्वित किया गया और पुनरीक्षित पाठ्यक्रम के अधीन बैचों का संचालन अब देश भर की आईटी प्रयोगशालाओं द्वारा किया जा रहा है।

### (II) संकाय विकास और ट्रेन द ट्रेनर कार्यक्रम

- आईटी और सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण के पुनरीक्षित पाठ्यक्रम के नए विषयों पर जयपुर, नई दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में चार ट्रेन द ट्रेनर कार्यक्रमों का संचालन किया गया।
- आईटी और उन्नत आईटी प्रशिक्षण के संकायों हेतु ऑनलाइन संकाय विकास कार्यक्रमों का संचालन किया गया।
- 5 सितंबर, 2025 को आयोजित शिक्षक दिवस समारोह के अवसर पर एक लाइव वेबिनार का संचालन किया गया, जिसमें अध्यक्ष, आईसीएआई ने आईटी और सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण के छात्रों और संकाय सदस्यों को वर्चुअल रूप से संबोधित किया।
- आईटी और सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण के संकायों के साथ तीन परस्पर संवादात्मक बैठकें आयोजित की गईं तथा संकायों के साथ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, बीओएस – प्रचालन की एक ऑनलाइन बैठक का भी संचालन किया गया।

### (III) आईटी और सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण तथा गुणवत्ता निगरानी

- वर्ष के दौरान आईटी और सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण के कुल 4,452 बैचों का संचालन किया गया और 1,61,299 छात्रों को प्रशिक्षित किया गया।
- देश भर के आईटी और सॉफ्ट स्किल्स केंद्रों पर 465 स्मार्ट क्लासरूम उपकरण सेट संस्थापित किए गए।
- देश भर में छात्रों को प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हेतु, प्रधान कार्यालय से जूम लिंकों के माध्यम से आईटी और सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण के बैचों की नियमित ऑनलाइन निगरानी की गई, जिसे प्रेक्षकों के रूप में नियुक्त संकायों/सदस्यों द्वारा बैचों के प्रेक्षण से संपूरित किया गया।

### (IV) छात्र सहभागिता और कौशल विकास

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर दो-दिवसीय कार्यशाला – औरा :** एआई अंडरस्टैंडिंग फॉर राइजिंग अचीवर्स (औरा) के बैनर के अधीन सीए छात्रों हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक दो-दिवसीय कार्यशाला आरंभ की गई। क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं के माध्यम से कुल 100 भौतिक बैचों का संचालन किया गया, जिनमें 3,823 छात्रों को प्रशिक्षित किया गया, जबकि 7,910 छात्रों को ऑनलाइन मोड में एआई का प्रशिक्षण दिया गया।
- लाइव वेबिनार श्रृंखला – रन@100 :** सीए छात्रों हेतु रीस्किलिंग, अपस्किलिंग और नए कौशलों के अर्जन पर केंद्रित रन@100 श्रृंखला के अधीन 90 लाइव वेबिनारों का संचालन किया गया, जिन्हें 5.35 लाख छात्रों ने देखा।
- छात्रों के साथ परस्पर संवादात्मक सत्र :** देश भर के आईटी और सॉफ्ट स्किल्स केंद्रों पर संस्थापित स्मार्ट क्लासरूम बोर्डों के माध्यम से आईटी और सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण ले रहे छात्रों के साथ पंद्रह ऑनलाइन परस्पर संवादात्मक सत्रों का संचालन किया गया। इन सत्रों को अध्यक्ष, आईसीएआई; अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, बीओएस – प्रचालन तथा केंद्रीय परिषद् सदस्यों ने संबोधित किया।
- ई-डायरी :** 1 जनवरी, 2026 को या उसके पश्चात् व्यावहारिक प्रशिक्षण आरंभ करने वाले छात्रों हेतु एक ई-डायरी आरंभ की गई।

**(V) सीए छात्र सम्मेलन और गतिविधियां**

- वर्ष के दौरान कुल 63 सीए छात्र सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिनमें 1 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 1 अखिल भारतीय उत्कृष्टता सम्मेलन, 23 राष्ट्रीय सम्मेलन, 21 मेगा सम्मेलन, 15 राज्य-स्तरीय सम्मेलन और 2 शाखा-स्तरीय सम्मेलन सम्मिलित हैं। सीए छात्रों के राष्ट्रीय सम्मेलनों की कार्यक्रम संरचना में सॉफ्ट स्किल्स विकास के विषयों को सम्मिलित किया गया।
- **सीए छात्र राष्ट्रीय प्रतिभा खोज :** सीए छात्र राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के बैनर के अधीन सीए छात्रों हेतु बारह प्रतियोगिताओं – पिच डेक, वाद-विवाद, भाषण, प्रश्नोत्तरी, निबंध, शतरंज, छात्र टीमों द्वारा नाटक, स्केचिंग, वाद्य संगीत, काव्य, आशुभाषण और औराथॉन (एआई) – का संचालन किया गया। ये गतिविधियां पहले शाखा स्तर पर, फिर क्षेत्रीय स्तर पर और अंततः बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर संचालित की गईं।
- इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान 1,184 छात्र गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिनमें 249 एक-दिवसीय संगोष्ठियां, 431 अर्ध-दिवसीय संगोष्ठियां, 232 कार्यशालाएं, 142 खेल प्रतियोगिताएं, 62 सीए छात्र उत्सव और 68 विशेष परामर्श कार्यक्रम सम्मिलित हैं।

**(VI) सीए छात्रों हेतु छात्रवृत्तियां**

परिषद् द्वारा एक नई छात्रवृत्ति स्कीम अनुमोदित की गई और छात्रवृत्ति की पुनरीक्षित दरें जनवरी 2026 से लागू हुईं। छात्रवृत्ति कोष निधि को ₹100 करोड़ से बढ़ाकर ₹500 करोड़ किया गया। फाउंडेशन पाठ्यक्रम के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति अनुदान भी आरंभ किया गया। विभिन्न श्रेणियों के अधीन देय छात्रवृत्ति अनुदान की पुनरीक्षित दरें निम्नानुसार हैं :

| श्रेणी                                                                                                                                             | पुनरीक्षित दर      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| फाइनल पाठ्यक्रम के छात्रों हेतु मेरिट पुरस्कार (इंटरमीडिएट परीक्षाओं के 10वीं रैंक तक के रैंक धारक)                                                | ₹5,000/- प्रति माह |
| फाइनल पाठ्यक्रम के छात्रों हेतु आर्थिक रूप से जरूरतमंद छात्र छात्रवृत्ति – मेरिट-आधारित (इंटरमीडिएट परीक्षाओं के 11वीं से 50वीं रैंक के रैंक धारक) | ₹4,000/- प्रति माह |
| फाइनल और इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम के छात्रों हेतु आर्थिक रूप से जरूरतमंद छात्र छात्रवृत्ति                                                             | ₹2,500/- प्रति माह |
| फाउंडेशन पाठ्यक्रम के छात्रों हेतु आर्थिक रूप से जरूरतमंद छात्र छात्रवृत्ति                                                                        | ₹1,500/- प्रति माह |

**(VII) क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं के साथ समन्वय**

- क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं के प्रबंध समिति सदस्यों के साथ पांच परस्पर संवादात्मक बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें छात्र गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

**10.3 करियर परामर्श समिति**

वर्ष 2015 में गठित आईसीएआई की करियर परामर्श समिति संस्थान की आउटरीच शाखा के रूप में कार्य करती है, जो छात्रों और अभिभावकों में चार्टर्ड अकाउंटेंसी तथा वाणिज्य क्षेत्र के करियर अवसरों के प्रति जागरूकता के सृजन हेतु समर्पित है। विकसित

भारत की राष्ट्रीय परिकल्पना और सतत आर्थिक विकास के साथ सुमेलित होकर, समिति यह मान्यता प्रदान करती है कि वित्तीय रूप से साक्षर, नैतिक और सक्षम कार्यबल के निर्माण हेतु वाणिज्य शिक्षा की एक सुदृढ़ नींव आवश्यक है। वर्ष 2025-26 के दौरान, समिति ने करियर संगोष्ठियों, मेंटरशिप अभियानों और डिजिटल आउटरीच के माध्यम से स्कूलों, महाविद्यालयों तथा टियर-2/टियर-3 नगरों के छात्रों तक पहुंचने के अपने प्रयासों को सघन किया। छात्रों को शैक्षिक मार्गों, कौशल अपेक्षाओं और करियर संभावनाओं की जानकारी से सज्जित करके, समिति भावी वृत्तिकों की एक सुदृढ़ पाइपलाइन के निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध है, जो राष्ट्र निर्माण और विकसित भारत की परिकल्पना में योगदान करेंगे।

### प्रमुख गतिविधियां

**प्रोजेक्ट वाणिज्य** – भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) ने 19 दिसंबर, 2025 को नई दिल्ली में “प्रोजेक्ट वाणिज्य – एक विकसित देश के रूप में भारत हेतु छात्रों के भविष्य को आकार देना” का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य माननीय प्रधानमंत्री की विकसित भारत @2047 की परिकल्पना के अनुरूप स्कूल स्तर से वाणिज्य शिक्षा को सुदृढ़ करना है। इसमें भारत भर के 15 राज्यों के शिक्षा बोर्डों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम छात्रों को वाणिज्य शिक्षा और वृत्तिक अवसरों की ओर मार्गदर्शन देने पर केंद्रित है, जिससे भारत की एक विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा में योगदान हो।

**सीबीएसई स्कूल प्राचार्यों के एक्सपोजर भ्रमण** – भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ने छात्रों में वाणिज्य शिक्षा और करियर जागरूकता के संवर्धन हेतु सीबीएसई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस पहल के भाग के रूप में, करियर परामर्श समिति ने जयपुर और हैदराबाद स्थित उत्कृष्टता केंद्रों के साथ-साथ मुंबई, इंदौर और गुवाहाटी में सीबीएसई स्कूल प्राचार्यों हेतु एक्सपोजर भ्रमणों का आयोजन किया। इन भ्रमणों ने प्राचार्यों को चार्टर्ड अकाउंटेंसी (सीए) पाठ्यक्रम, नई शिक्षा स्कीम और वृत्ति के विविध करियर अवसरों से परिचित कराया। इस पहल को उत्साहजनक प्रतिसाद मिला और प्राचार्यों ने अपने स्कूलों में करियर परामर्श कार्यक्रम संचालित करने में गहन रुचि व्यक्त की। कुछ प्रतिभागियों और उनके परिवार के सदस्यों ने सीए पाठ्यक्रम में नामांकन भी कराया, जो इस पहल के बढ़ते प्रभाव को प्रतिबिंबित करता है।

**संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी)** – समिति ने भारत भर के करियर परामर्शदाताओं में शिक्षा और प्रशिक्षण की नई स्कीम के प्रति जागरूकता में अभिवृद्धि हेतु “करियर काउंसलर्स एम्पावरमेंट मीट” शीर्षक से संकाय विकास कार्यक्रमों (एफडीपी) की एक श्रृंखला का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य परामर्शदाताओं को छात्रों को एक आशाजनक करियर विकल्प के रूप में चार्टर्ड अकाउंटेंसी (सीए) पाठ्यक्रम करने हेतु मार्गदर्शन देने और अभिप्रेरित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से सज्जित करना था। वर्ष के दौरान, समिति ने अखिल भारतीय स्तर पर 11 एफडीपी का सफलतापूर्वक संचालन किया, जिनसे लगभग 632 करियर परामर्शदाता लाभान्वित हुए और आईसीएआई के राष्ट्रव्यापी आउटरीच प्रयास सुदृढ़ हुए।

**करियर परामर्श कार्यक्रम** – समिति ने 3,386 करियर परामर्श कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिनसे देश भर के लगभग 6,13,179 छात्र लाभान्वित हुए हैं। इसके अतिरिक्त, समिति ने भारत भर में 24 करियर/शिक्षा मेलों में भाग लिया, जिनसे 16,840 से अधिक छात्रों तक पहुंच बनी।

### पुरस्कार और मान्यता

**गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड** – भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ने 27 नवंबर, 2025 को मुंबई में आयोजित, छात्रों को विभिन्न धाराओं में अपने भविष्य हेतु सही करियर मार्ग चुनने में सहायता के उद्देश्य से “सबसे बड़े करियर परामर्श पाठ” (लार्जैस्ट करियर्स एडवाइस लेसन) के संचालन हेतु गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त किया। इस कार्यक्रम में 7,400 से अधिक छात्रों, शिक्षकों, प्राचार्यों और पणधारियों की सहभागिता रही, जिसमें 6,166 छात्रों की पात्र रिकॉर्ड गणना हुई। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के निर्णायक मंडल ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि हेतु आईसीएआई को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान की और अभिनंदित किया।

**वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स :** भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) ने एक ही दिन, अर्थात् 27 नवंबर, 2025 को 87 शाखाओं में एक साथ करियर इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर यूथ (सीएफवाई 4.0) और सुपर मेगा करियर परामर्श कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की मान्यता प्राप्त की, जिससे राष्ट्रव्यापी स्तर पर 1.20 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित हुए। इस पहल ने वाणिज्य के क्षेत्र में व्यापक करियर मार्गदर्शन प्रदान किया, जिससे छात्र सुविज्ञ विनिश्चय करने और अपने भविष्य हेतु सही करियर मार्ग चुनने में सशक्त हुए।

## 11. धारा 8 कंपनियां

### 11.1 एक्सबीआरएल इंडिया

भारत में एक्सबीआरएल के संवर्धन के संस्थान के प्रयास में विनियामकों, प्रौद्योगिकीविदों, निगमों और शिक्षाविदों की प्रभावी सहभागिता हेतु, संस्थान ने एक्सबीआरएल इंडिया को एक धारा 8 कंपनी (कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन पूर्ववर्ती धारा 25) के रूप में निगमित कराने को सुकर बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य टैक्सोनॉमियों के विकास तथा शिक्षा और प्रशिक्षण को सुकर बनाने के माध्यम से भारत में इलेक्ट्रॉनिक कारोबार रिपोर्टिंग हेतु मानक के रूप में एक्सबीआरएल के अंगीकरण का संवर्धन और प्रोत्साहन करना है। एक्सबीआरएल इंडिया एक्सबीआरएल इंटरनेशनल का एक स्थापित भारतीय क्षेत्राधिकार है।

#### (I) एमसीए हेतु टैक्सोनॉमियों का विकास और रखरखाव

एक्सबीआरएल इंडिया वर्तमान में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) हेतु एक्सबीआरएल टैक्सोनॉमियों का विकास और रखरखाव कर रहा है। वर्तमान में कंपनियों पर दो टैक्सोनॉमियां लागू हैं : इंड एस टैक्सोनॉमी तथा वाणिज्यिक और औद्योगिक (सी एंड आई) टैक्सोनॉमी। एक्सबीआरएल इंडिया ने टैक्सोनॉमियों के परीक्षण प्रयोजनों हेतु इंस्टेंस दस्तावेजों के नमूने एमसीए को प्रस्तुत किए (आरंभिक रूप से 2022 में प्रस्तुत) तथा टैक्सोनॉमियों के अद्यतन के संबंध में वर्ष के दौरान एमसीए के अधिकारियों के साथ बैठकें और विचार-विमर्श हुए। वित्तीय विवरणों को एक्सबीआरएल प्रारूपों में परिवर्तित करते समय टैक्सोनॉमियों के संबंध में फाइल करने वालों के समक्ष आने वाली शंकाओं और मुद्दों का समाधान भी किया गया है।

#### (II) नई टैक्सोनॉमियों का विकास

इंड एस और सी एंड आई टैक्सोनॉमियों के अतिरिक्त, एक्सबीआरएल इंडिया ने एमसीए को निम्नलिखित क्षेत्रों हेतु टैक्सोनॉमियों के विकास का प्रस्ताव किया है (वर्तमान में एमसीए के पुनर्विलोकनाधीन) : गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी); बीमा इकाइयां (जीवन और गैर-जीवन बीमा कंपनियां, दोनों, पृथक रूप से)।

#### (III) अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में सहभागिता

एक्सबीआरएल इंटरनेशनल के सदस्य के रूप में, एक्सबीआरएल इंडिया का योगदान भारत से परे भी विस्तारित है। एक्सबीआरएल इंडिया के बोर्ड सदस्य एक्सबीआरएल इंटरनेशनल की विभिन्न बैठकों और कार्यक्रमों में नियमित रूप से भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्ष के दौरान, बोर्ड सदस्यों ने एक्सबीआरएल इंटरनेशनल मेंबर असेंबली और डाटा एम्प्लिफाइड 2025 में भाग लिया। एक बोर्ड सदस्य के रूप में, निवर्तमान अध्यक्ष ने 28-29 अप्रैल, 2025 को आयोजित एक्सबीआरएल इंटरनेशनल के निदेशक बोर्ड की बैठक में भाग लिया।

## 11.2 आईसीएआई – अकाउंटिंग रिसर्च फाउंडेशन (एआरएफ)

आईसीएआई अकाउंटिंग रिसर्च फाउंडेशन (आईसीएआई एआरएफ) की स्थापना जनवरी 1999 में अकाउंटेंसी वृत्ति से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान, अधिगम, शिक्षा और समझ प्रदान करने, फैलाने और उनका संवर्धन करने की एक अकादमी के रूप में विकसित किए जाने हेतु की गई थी। आईसीएआई एआरएफ द्वारा की गई परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :

- **भारतीय रेलवे :** भारतीय रेलवे, जो यूनाइटेड स्टेट्स, रूस और चीन के पश्चात् विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप लेखांकन सुधारों की दिशा में अनेक पहलें कर रहा है। लेखांकन सुधारों की अपनी यात्रा में, भारतीय रेलवे ने वर्ष 2014 में अपने उपचय-आधारित वित्तीय विवरणों की तैयारी का कार्य आरंभ किया था, जो उन्नत वित्तीय पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की ओर एक प्रमुख परिवर्तन को चिह्नित करता है। इस पहल के आरंभ से ही, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) और इसके अकाउंटिंग रिसर्च फाउंडेशन (आईसीएआई एआरएफ) ने इन सुधारों के समर्थन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आईसीएआई एआरएफ उपचय-आधारित लेखांकन प्रणाली में प्रवासन के माध्यम से भारतीय रेलवे का मार्गदर्शन करने में सहायक रहा है। आईसीएआई एआरएफ ने ग्रॉफ़िंग पद्धति के अधीन वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2022-23 तक सभी क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन इकाइयों हेतु उपचय-आधारित वित्तीय विवरण सफलतापूर्वक तैयार किए हैं।

### वर्ष के दौरान की गई पहलें

1. पहली बार, वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु संव्यवहारात्मक पद्धति के अधीन भारतीय रेलवे के उपचय-आधारित वित्तीय विवरण (एबीएफएस) तैयार और प्रस्तुत किए गए। भारतीय रेलवे द्वारा पर्यावरणीय संवहनीयता की दिशा में की गई अनेक पहलों को वित्तीय विवरणों में प्रतिबिंबित किया गया है। नई संव्यवहारात्मक पद्धति से तुलना हेतु ग्रॉफ़िंग पद्धति के अधीन वर्ष 2023-24 के एबीएफएस भी विकासाधीन हैं।
  2. संव्यवहारात्मक पद्धति के अधीन वर्ष 2024-25 हेतु भारतीय रेलवे के एबीएफएस प्रगति पर हैं।
  3. भारतीय रेलवे पर लेखा/वित्त संहिताओं, विभिन्न लेखा शीर्षों की सुसंगतता तथा व्यय और आय के आबंटन/वर्गीकरण के पुनर्विलोकन का प्रस्ताव (आरएफसी) आरंभ किया गया है और वर्तमान में प्रगति पर है।
- **कोषागार और लेखा विभाग, तमिलनाडु सरकार :** आईसीएआई एआरएफ ने तमिलनाडु वित्तीय संहिता, खंड I और II के पुनर्लेखन का कार्य किया है। आईसीएआई ने वर्ष के दौरान विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
  - **माल और सेवा कर व्यवस्था के अधीन बजटीय समर्थन स्कीम पर जीएसटी सुधार 2.0 का प्रभाव अध्ययन:** उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने माल और सेवा कर व्यवस्था के अधीन बजटीय समर्थन स्कीम पर जीएसटी सुधार 2.0 के अध्ययन हेतु आईसीएआई एआरएफ को परियोजना प्रदान की। परियोजना प्रगति पर है।
  - **इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन (आईपीए) :** आईसीएआई एआरएफ ने प्रमुख पत्तनों हेतु वार्षिक लेखाओं की तैयारी के लिए साझा ढांचे तथा सभी पत्तनों हेतु महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों पर रिपोर्ट तैयार कर आईपीए को प्रस्तुत की थी। दोनों दस्तावेज सभी प्रमुख पत्तनों में कार्यान्वयन हेतु सीएजी के परामर्श से अधिसूचित किए जाने के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) के पास थे। इस संबंध में, वर्ष के दौरान सी एंड एजी तथा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों के साथ विभिन्न बैठकें आयोजित की गईं।
  - **पंचायतों और नगरपालिका निकायों के अकाउंटेंटों हेतु प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम :** आईसीएआई एआरएफ ने आईसीएआई की लोक और शासकीय वित्त प्रबंध संबंधी समिति (सीपीजीएफएम) के सहयोग से, स्थानीय निकाय अकाउंटेंट प्रमाणन बोर्ड (अर्थात् आईसीएआई एआरएफ के अधीन स्थापित बीएलओएसी) के माध्यम से पंचायतों और नगरपालिका निकायों के अकाउंटेंटों हेतु प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों की परियोजना निष्पादित की। इन पाठ्यक्रमों का औपचारिक शुभारंभ 16 नवंबर, 2023 (लेखापरीक्षा दिवस) को हुआ और इन पाठ्यक्रमों के रजिस्ट्रीकरण 1 दिसंबर, 2023 को एक समर्पित वेबसाइट



<https://ba.icaiarf.org.in/> के माध्यम से आरंभ किए गए। आज की तारीख तक लगभग 5,000 अभ्यर्थियों ने इस पाठ्यक्रम हेतु रजिस्ट्रीकरण कराया है। पाठ्यक्रम की संरचना के अनुसार, अब तक चार स्क्रीनिंग परीक्षाएं और चार मुख्य परीक्षाएं आयोजित की जा चुकी हैं।

### 11.3 आईसीएआई रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स ऑर्गनाइजेशन (आईसीएआई आरवीओ)

आईसीएआई रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स ऑर्गनाइजेशन (आईसीएआई आरवीओ) भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा स्थापित एक धारा 8 कंपनी है। इसका निगमन 23 फरवरी, 2018 को कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के अनुसार रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों को अपने सदस्यों के रूप में नामांकित और विनियमित करने हेतु किया गया था। आईसीएआई आरवीओ भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के प्राधिकार के अधीन एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स ऑर्गनाइजेशन के रूप में कार्य करता है।

प्रमुख क्रियाकलाप और उपलब्धियां :

#### (I) सदस्यों का नामांकन (वित्तीय वर्ष 2025-26)

- नामांकित कुल प्राथमिक सदस्य : 749
- नामांकित कुल रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक सदस्य : 83

#### (II) शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से सदस्यों का सशक्तीकरण

शैक्षिक पाठ्यक्रम – आस्ति-वर्ग-वार संचालित बैच :

| आस्ति वर्ग                       | संचालित बैच | प्रशिक्षित प्रतिभागी |
|----------------------------------|-------------|----------------------|
| प्रतिभूतियां या वित्तीय आस्तियां | 11          | 529                  |
| भूमि और भवन                      | 3           | 28                   |
| संयंत्र और मशीनरी                | 2           | 10                   |

सतत शैक्षिक कार्यक्रम (सीईपी) – संचालित प्रशिक्षण :

| आस्ति वर्ग                               | संचालित प्रशिक्षण | प्रदान किए गए घंटे | प्रशिक्षित प्रतिभागी |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| प्रतिभूतियां या वित्तीय आस्तियां (एसएफए) | 20                | 44                 | 2,056                |
| संयंत्र और मशीनरी (पी एंड एम)            | 1                 | 2                  | 72                   |
| एल एंड बी और एसएफए                       | 1                 | 2                  | 48                   |
| एल एंड बी और पी एंड एम                   | 1                 | 2                  | 53                   |

| आस्ति वर्ग                    | संचालित प्रशिक्षण | प्रदान किए गए घंटे | प्रशिक्षित प्रतिभागी |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| एल एंड बी, पी एंड एम और एसएफए | 16                | 32                 | 1,133                |
| <b>योग</b>                    | <b>39</b>         | <b>82</b>          | <b>3,362</b>         |

- **मूल्यांकन पर मास्टर क्लास :** मास्टर क्लासों का संचालन किया गया, जिनमें 433 प्रतिभागियों को 20 घंटों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- **व्यवसाय प्रमाणपत्र (सीओपी) प्रशिक्षण :** 8 सीओपी प्रशिक्षणों का संचालन किया गया, जिनमें 77 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया।

### (III) सक्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकीय प्रगति

- **लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) :** आईसीएआई आरवीओ की ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम अपने सदस्यों हेतु एक समग्र और सुगमता से सुलभ अधिगम मंच प्रदान करती है और इसे नियमित आधार पर अद्यतन किया जाता है।
- **नए आस्ति वर्गों हेतु पाठ्यक्रम सामग्री :** आईसीएआई आरवीओ ने इन-इन आस्ति वर्गों हेतु मूल्यांकन परीक्षा के लिए आईबीबीआई द्वारा अधिदेशित पाठ्यक्रम का अनुसरण करते हुए, जून 2025 में भूमि और भवन तथा संयंत्र और मशीनरी हेतु शैक्षिक पाठ्यक्रम सामग्री का प्रथम संस्करण जारी किया।

### (IV) कार्यक्रम

दिवाला और समाधान पर “इनेबलिंग रेजोल्यूशन, मैक्सिमाइजिंग वैल्यू” विषय पर अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन, रिजॉल्व-2025 के तीसरे संस्करण का आयोजन 1-2 दिसंबर, 2025 को मुंबई में आईसीएआई द्वारा आईबीबीआई, आईआईसीए, आईआईआईपीआई और आईसीएआई आरवीओ के सहयोग से किया गया।

### (V) सदस्यों की निगरानी

- **निगरानी :** 30 सितंबर, 2025 तक की अवधि हेतु अर्धवार्षिक रिपोर्ट (एचवाईआर) सफलतापूर्वक पूर्ण कर आईबीबीआई को रिपोर्ट की गई, जबकि मार्च 2026 अवधि हेतु प्रस्तुति चल रही है।
- **पियर पुनर्विलोकन :** 15 रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों और 4 रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक इकाइयों से संबंधित 38 मूल्यांकन समनुदेशनों को सम्मिलित किया गया।
- **निरीक्षण :** 15 रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों की 15 मूल्यांकन रिपोर्टों का निरीक्षण किया गया। दोनों कार्यों के निष्कर्षों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और उन्हें विचार और अनुमोदन हेतु निगरानी समिति के समक्ष रखा जाना प्रस्तावित है।

### (VI) प्रकाशन

वर्ष के दौरान आईसीएआई आरवीओ के चार त्रैमासिक जर्नल जारी किए गए – खंड 1, अंक 5 (अप्रैल 2025); अंक 6 (जुलाई 2025); अंक 7 (अक्तूबर 2025); और अंक 8 (जनवरी 2026)।

#### 11.4 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स ऑफ आईसीएआई (आईआईआईपीआई)

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स ऑफ आईसीएआई 'आईआईआईपीआई', जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान 'आईसीएआई' की पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी है, आईसीएआई द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 तथा तत्संबंधी विनियमों के अनुसार दिवाला वृत्तिकों को अपने सदस्यों के रूप में नामांकित और विनियमित करने हेतु प्रवर्तित एक धारा 8 कंपनी है। आईआईआईपीआई को 28 नवंबर, 2016 को दिल्ली में माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा भारत की पहली दिवाला वृत्तिक एजेंसी के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था। आईआईआईपीआई सबसे बड़ी आईपीए है, जिसमें भारत के लगभग दो-तिहाई सदस्य हैं, तथा इसने चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव, लागत अकाउंटेंट, अधिवक्ता और प्रबंध वृत्तिकों सहित विविध धाराओं के सदस्यों को आकर्षित किया है। इसने एक ओर पणधारियों की क्षमता और ज्ञान निर्माण के संवर्धन में तथा दूसरी ओर आईबीसी की विकसित होती विधि और प्रैक्टिस हेतु मूल्य-वर्धित नीतिगत इनपुट प्रदान करने में अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ नेटवर्क स्थापित किया है।

आईआईआईपीआई दिवाला और शोधन अक्षमता व्यवस्था के प्रमुख स्तंभों में से एक है। यह एक अग्रिम पंक्ति का विनियामक है, जिसे अनेक सांविधिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना अपेक्षित है। यह पणधारियों के ज्ञान और क्षमता निर्माण के साथ-साथ दिवाला वृत्ति और वृत्तिकों के विकास और विनियमन के लिए उत्तरदायी है। एक प्रकार से, यह एक लघु-राज्य है, जो विनियामक, कार्यपालक और अर्ध-न्यायिक उत्तरदायित्वों के साथ प्राधिकार के संसदीय प्रत्यायोजन के अनुक्रम में अंतिम है।

30 अप्रैल, 2026 की स्थिति के अनुसार आईबीबीआई में रजिस्ट्रीकृत कुल 4,643 दिवाला वृत्तिकों में से 2,907, अर्थात् 62.61%, आईआईआईपीआई से हैं। आईआईआईपीआई के सदस्यों ने अब तक सीआईआरपी/परिसमापन/स्वैच्छिक परिसमापन के समग्र समनुदेशनों का लगभग 75% संचालित किया है, जिनमें अनेक सबसे बड़े मामले सम्मिलित हैं।

#### (I) आईपीए के बीच सदस्यता का वितरण

रजिस्ट्रीकृत वैयक्तिक दिवाला वृत्तिक (आईपी), आईपीए-वार :

| आईपीए का नाम       | 31.3.2024 | %     | 31.3.2025 | %     | 31.3.2026 | %     | 30.4.2026 | %     |
|--------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| आईआईआईपीआई         | 2,762     | 62.86 | 2,834     | 62.87 | 2,903     | 62.61 | 2,907     | 62.61 |
| आईपीए<br>आईसीएसआई  | 1,217     | 27.70 | 1,247     | 27.66 | 1,285     | 27.71 | 1,285     | 27.68 |
| आईपीए<br>आईसीएमएआई | 415       | 9.44  | 427       | 9.47  | 449       | 9.68  | 451       | 9.71  |
| योग                | 4,394     | 100   | 4,508     | 100   | 4,637     | 100   | 4,643     | 100   |

रजिस्ट्रीकृत दिवाला वृत्तिक इकाइयां (आईपीई), आईपीए-वार :

| आईपीए का नाम | 31.3.2024 | %     | 31.3.2025 | %     | 31.3.2026 | %     | 30.4.2026 | %     |
|--------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| आईआईआईपीआई   | 41        | 54.67 | 50        | 54.95 | 56        | 56.57 | 56        | 56.57 |

| आईपीए का नाम       | 31.3.2024 | %     | 31.3.2025 | %     | 31.3.2026 | %     | 30.4.2026 | %     |
|--------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| आईपीए<br>आईसीएसआई  | 12        | 16.00 | 16        | 17.58 | 17        | 17.17 | 17        | 17.17 |
| आईपीए<br>आईसीएमएआई | 22        | 29.33 | 25        | 27.47 | 26        | 26.26 | 26        | 26.26 |
| योग                | 75        | 100   | 91        | 100   | 99        | 100   | 99        | 100   |

## (II) सक्षमता निर्माण पहलें

किसी भी वृत्ति में वृत्तिक सदस्यों के सक्षमता निर्माण हेतु संवाद और विचार-विमर्श महत्वपूर्ण हैं, और दिवाला वृत्ति के संदर्भ में तो और भी अधिक, जो अनेक पणधारियों को प्रभावित करती है और सर्वाधिक जटिल वृत्तियों में से एक मानी जाती है। आईबीसी पारिस्थितिकी प्रणाली का कार्य-निष्पादन, बड़े स्तर पर, आईपी के सक्षमता निर्माण से प्रत्यक्षतः जुड़ा है। आईआईआईपीआई का प्रयास न केवल इस गति को बनाए रखना रहा है, अपितु पणधारियों की आशाओं की पूर्ति हेतु सक्षमता-निर्माण पहलें निरंतर आरंभ करना भी रहा है। वर्ष के दौरान की गई प्रमुख पहलों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

1. पांच क्षेत्रों में 18 कार्यपालक विकास कार्यक्रम (ईडीपी)।
2. समकालीन विषयों पर 44 वेबिनार (3-घंटे का प्रारूप)।
3. अनेक विषयों पर 23 एक-दिवसीय कार्यशालाएं।
4. आईबीबीआई परिचर्चा पत्रों और उभरते मुद्दों पर 7 गोलमेज परिचर्चाएं।
5. 9 एलआईई परीक्षा तैयारी कक्षाएं (5-दिवसीय प्रारूप)।
6. आईबीबीआई और अन्य आईपीए के सहयोग से साझा मुद्दों पर 3 वर्चुअल अर्ध-दिवसीय कार्यशालाएं।
7. आईबीबीआई और अन्य आईपीए के सहयोग से साझा मुद्दों पर 2 भौतिक अर्ध-दिवसीय कार्यशालाएं।
8. नालसार हैदराबाद और आईआईसीए मानेसर के सहयोग से राष्ट्रीय अनुसंधान कॉन्क्लेव।
9. आईबीबीआई के सहयोग से आईबीसी पर आवासीय कार्यशाला।
10. दिवाला समाधान और मूल्यांकन पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन (रिजॉल्व-2025)।
11. पीएचडीसीसीआई के सहयोग से आईबीसी-संबंधी विषयों पर 2 सम्मेलन।
12. आईबीबीआई और अन्य आईपीए द्वारा आयोजित 5 तीन-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।
13. पीजीआईपी छात्रों हेतु सीमित दिवाला परीक्षा (एलआईई पाठ्यक्रम) पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।
14. रिवाइवल एंड रेजिलिएंस : इंडिया टर्नअराउंड समिट 2026।
15. आईबीसी (संशोधन) विधेयक, 2026 पर संगोष्ठी।
16. वेबिनार श्रृंखला – आईबीसी रिफॉर्म डायलॉग 2026 – आईबीसी संशोधन अधिनियम और आईबीबीआई परिचर्चा पत्र।

## (III) संचालित अनुसंधान और अध्ययन

- वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, निम्नलिखित अध्ययन रिपोर्टें/अनुसंधान दस्तावेज/आंतरिक अध्ययन रिपोर्टें विकसित की गईं :  
(क) भारत में संकटग्रस्त आस्तियों हेतु बाजार का विकास; तथा  
(ख) आईबीसी के अधीन अपेक्षित कराधान/लेखांकन/कंपनी अनुपालन – सर्वोत्तम व्यवहार।

- आईआईआईपीआई द्वारा अपनी अनुसंधान परियोजना स्कीम के अधीन अब तक 5 अनुसंधान परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं, जो रियल एस्टेट समाधानों, पीपीआईआरपी ढांचे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में भारत की दिवाला विधियों तथा पूर्वी भारत में एफपीसी में दिवाला समाधान के क्षेत्रों में हैं।

#### (IV) दिवाला वृत्तिकों की निगरानी

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला वृत्तिक एजेंसियों की मॉडल उपविधियां और शासी बोर्ड) विनियम, 2016 के अनुसार, आईआईआईपीआई से अपेक्षित है कि वह संहिता, नियमों, विनियमों और उनके अधीन जारी दिशानिर्देशों, उपविधियों, आचरण संहिता तथा शासी बोर्ड द्वारा दिए गए निदेशों के पालन हेतु अपने वृत्तिक सदस्यों के वृत्तिक क्रियाकलापों और आचरण की निगरानी करे। निरीक्षणों सहित यह निगरानी सतत है और इसमें आईपी द्वारा किए गए समनुदेशन सम्मिलित हैं, विशेष रूप से निगमित दिवाला समाधान प्रक्रियाएं (सीआईआरपी), परिसमापन प्रक्रियाएं, स्वैच्छिक परिसमापन तथा निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं से संबंधित वैयक्तिक दिवाला।

इसमें यह निर्धारित करने हेतु अभिलेखों, रिपोर्टों, फाइलिंगों, समय-सीमाओं और विनिश्चय का पुनर्विलोकन सम्मिलित है कि आईपी ने सत्यनिष्ठा, स्वतंत्रता और सम्यक् तत्परता के साथ कार्य किया है या नहीं। निगरानी प्रक्रिया के दौरान अभिज्ञात किसी भी विचलन, चूक या अननुपालन की जांच की जाती है और लागू ढांचे के अनुसार समुचित कार्रवाइयां आरंभ की जाती हैं, जिनमें स्पष्टीकरण मांगना, चेतावनियां जारी करना, शास्तियां अधिरोपित करना या मामले को अनुशासनिक कार्यवाहियों हेतु निर्दिष्ट करना सम्मिलित हो सकता है, जिससे उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है और वृत्तिक प्रैक्टिस के उच्च मानक बने रहते हैं।

#### (V) शिकायत समाधान और अनुशासनिक तंत्र

- अवधि के दौरान, आईआईआईपीआई को 78 शिकायतें प्राप्त हुईं और 97 शिकायतों (पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित शिकायतों सहित) का निपटान किया गया। आरंभ से, शिकायत समाधान समिति ने 507 मामलों का निपटान किया है और 32 मामले लंबित हैं।
- आईआईआईपीआई ने अवधि के दौरान 15 अनुशासनिक कार्यवाहियां आरंभ कीं और 23 मामलों (पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित मामलों सहित) का निपटान किया। कुल 235 मामलों का निपटान किया जा चुका है, जबकि 9 मामले लंबित रहे।
- इसके अतिरिक्त, अवधि के दौरान एक अपील प्राप्त हुई और उसका निपटान किया गया। आरंभ से 4 अपीलों का निपटान किया जा चुका है और कोई मामला लंबित नहीं है।

#### 11.5 द इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल ऑडिटर्स ऑफ इंडिया (आईएसएआई)

द इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल ऑडिटर्स ऑफ इंडिया (आईएसएआई) का निगमन 7 अक्तूबर, 2022 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन, आईसीएआई के तत्वावधान में, एक स्व-विनियामक संगठन के रूप में किया गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य पणधारियों की आवश्यकताओं और आशाओं के अनुरूप स्वतंत्र, नैतिक और विश्व स्तरीय सामाजिक प्रभाव निर्धारकों (पूर्व में सामाजिक लेखापरीक्षक) को विकसित करने वाली एक अग्रणी संस्था बनना है। आईएसएआई सामाजिक प्रभाव निर्धारकों को स्वतंत्र और पारदर्शी रीति से नामांकित, विनियमित और विकसित करता है तथा सतत वृत्तिक शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से सामाजिक प्रभाव निर्धारकों के सक्षमता निर्माण पर भी कार्य करता है।

**(I) आईएसएआई का शासी बोर्ड**

आईएसएआई अपने शासी बोर्ड के माध्यम से कार्य करता है, जिसमें न्यूनतम बारह निदेशक सम्मिलित होते हैं, अर्थात् : (क) सामाजिक क्षेत्र/प्रभाव निर्धारण में समृद्ध अनुभव वाला, या किसी विख्यात शैक्षिक संस्था से एक अध्यक्ष; (ख) सुसंगत अनुभव वाले आईसीएआई/संवहनीयता रिपोर्टिंग मानक बोर्ड के पांच केंद्रीय परिषद् सदस्य; (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति; (घ) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए)/गृह मंत्रालय (एमएचए)/सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति; (ङ) सक्षमता निर्माण निधि द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति; (च) सोशल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति; (छ) सामाजिक क्षेत्र के विषयगत क्षेत्रों से एक सदस्य; तथा (ज) सामाजिक क्षेत्रों में अंतर-क्षेत्रीय अनुभव वाला एक सदस्य।

1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 की अवधि हेतु, नई दिल्ली में शासी बोर्ड की दो बैठकें संयोजित की गईं – 24 जून, 2025 को 10वीं शासी बोर्ड बैठक और 2 सितंबर, 2025 को 11वीं शासी बोर्ड बैठक। कंपनी की तीसरी वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) 18 सितंबर, 2025 को आयोजित की गई तथा वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरण एमसीए के पास फाइल किए जा चुके हैं।

**(II) आईएसएआई की उप-समितियां**

कंपनी की उपविधियों के निबंधनों में इसके कामकाज को सर्वाधिक पारदर्शी और दक्ष रीति से विनियमित करने हेतु, शासी बोर्ड के सदस्यों को सम्मिलित करते हुए सात उप-समितियों का गठन किया गया है, अर्थात् सलाहकार समिति, सदस्यता समिति, निगरानी समिति, शिकायत समाधान समिति, अपीली समिति, अनुशासनिक समिति और संपादक मंडल। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, वर्चुअल/भौतिक मोड में 6 नवंबर, 2025 और 19 जनवरी, 2026 को सदस्यता समिति की दो बैठकें संयोजित की गईं, जिनमें आईएसएआई की सदस्यता के आबंटन से संबंधित महत्वपूर्ण विनिश्चय किए गए।

**(III) सामाजिक प्रभाव निर्धारकों का रजिस्ट्रीकरण**

आईएसएआई ने 765 सामाजिक प्रभाव निर्धारकों का रजिस्ट्रीकरण किया है, जिनका विवरण कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

**(IV) एनआईएसएम शृंखला XXIII : सामाजिक प्रभाव निर्धारक प्रमाणन परीक्षा पर ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम**

आईएसएआई “एनआईएसएम शृंखला XXIII : सामाजिक प्रभाव निर्धारक प्रमाणन परीक्षा” की तैयारी को सुकर बनाने हेतु एक ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का संचालन करता है। ऑनलाइन कक्षाओं में विशेषज्ञ संकायों के साथ 21 अध्ययन घंटों में एनआईएसएम अध्ययन सामग्री के सभी 11 अध्याय, प्रत्येक अध्याय हेतु एमसीक्यू, केस स्टडी और दृष्टांतमक उदाहरण सम्मिलित हैं। आईएसएआई ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के एक बैच का संचालन किया और परीक्षा हेतु 30 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया।

**(V) वेबिनार**

आईएसएआई ने सक्षमता निर्माण हेतु तथा पणधारियों और आम जनता में सोशल स्टॉक एक्सचेंज, सामाजिक लेखापरीक्षा और सामाजिक प्रभाव निर्धारण के प्रति जागरूकता के सृजन हेतु वर्ष के दौरान 5 वेबिनारों का आयोजन किया।

### 11.6 आईसीएआई इंटरनेशनल एडीआर सेंटर (आईआईएसी)

आईसीएआई इंटरनेशनल एडीआर सेंटर (आईआईएसी), जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा स्थापित एक धारा 8 कंपनी है, का औपचारिक शुभारंभ 30 जुलाई, 2025 को नई दिल्ली में भारत सरकार के माननीय विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री द्वारा किया गया और इसका निगमन 8 अगस्त, 2025 को हुआ। आईआईएसी की स्थापना माध्यस्थता, मध्यकता, सुलह और अन्य विवाद समाधान प्रक्रियाओं के माध्यम से वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्रों के संवर्धन और उन्हें सांस्थानिक रूप देने के उद्देश्य से की गई है। यह केंद्र निष्पक्षता, तटस्थता, गोपनीयता और प्रक्रियागत दक्षता के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए वाणिज्यिक, वित्तीय, संविदात्मक, निगमित और आर्थिक विषयों में दक्ष, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी-समर्थ और लागत-प्रभावी विवाद समाधान सेवाएं प्रदान करना चाहता है।

#### प्रमुख विकासक्रम :

- आईआईएसी ने सांस्थानिक वैकल्पिक विवाद समाधान पारिस्थितिकी प्रणाली में आईसीएआई के प्रवेश को चिह्नित किया तथा दक्ष विवाद समाधान तंत्रों और ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस के समर्थन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुनःपुष्टि की।
- केंद्र के सांस्थानिक ढांचे की स्थापना हेतु कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के पास फाइलिंगों सहित सांविधिक और विनियामक अनुपालन किए गए।
- अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों के आधार पर तथा भारतीय विधिक और विनियामक ढांचे के साथ सुमेलित, माध्यस्थता नियमों और मध्यकता ढांचों के प्रारूपण और उन्हें अंतिम रूप देने का कार्य आरंभ किया गया।
- रणनीतिक दिशा प्रदान करने तथा केंद्र के सांस्थानिक शासन और विश्वसनीयता को सुदृढ़ करने हेतु आईसीएआई के प्रतिनिधियों, प्रख्यात विधि वृत्तिकों, पूर्व सांस्थानिक अग्रणियों और अनुभवी व्यवसायियों को सम्मिलित करते हुए एक शासी बोर्ड का गठन किया गया।
- आगे चलकर, आईआईएसी का लक्ष्य सक्षमता निर्माण का पोषण करके, एडीआर तंत्रों के प्रति जागरूकता का संवर्धन करके, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान को सुकर बनाकर तथा एक सुदृढ़, दक्ष और विश्वसनीय विवाद समाधान ढांचे के विकास में योगदान करके एक अग्रणी एडीआर संस्था के रूप में उभरना है।

### 12. गुणवत्ता पुनर्विलोकन बोर्ड (क्यूआरबी)

चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 ('अधिनियम') की धारा 28क के अधीन भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित गुणवत्ता पुनर्विलोकन बोर्ड (क्यूआरबी) भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता के पुनर्विलोकन हेतु एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करता है। बोर्ड के गठन में एक अध्यक्ष, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त पांच सदस्य तथा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट पांच सदस्य सम्मिलित हैं, जिससे एक संतुलित शासन संरचना सुनिश्चित होती है।

यद्यपि बोर्ड अधिनियम की धारा 28ख के अधीन सभी वृत्तिक सेवाओं की गुणवत्ता की जांच हेतु सांविधिक रूप से सशक्त है, क्यूआरबी वर्तमान में सांविधिक लेखापरीक्षा सेवाओं की गुणवत्ता के पुनर्विलोकन में लगा है। धारा 28ख के अनुसार, इसके प्रमुख कृत्यों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

- संस्थान के सदस्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता के विषय में परिषद् को सिफारिशें करना।
- लेखापरीक्षा सेवाओं सहित, संस्थान के सदस्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता का पुनर्विलोकन करना।
- सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार तथा विभिन्न सांविधिक और अन्य विनियामक अपेक्षाओं के पालन हेतु संस्थान के सदस्यों का मार्गदर्शन करना।

- अपने पुनर्विलोकनों के दौरान संज्ञान में आए, संस्थान के सदस्यों या फर्मों द्वारा विभिन्न सांविधिक और विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन के मामलों को जांच हेतु अनुशासन निदेशालय को अग्रेषित करना।

वर्ष 2018 में केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) की स्थापना के पश्चात्, क्यूआरबी का क्षेत्राधिकार तदनु रूप परिभाषित किया गया है। क्यूआरबी को अब एनएफआरए नियम, 2018 के नियम 3 के दायरे से बाहर आने वाली इकाइयों तथा एनएफआरए नियम, 2018 के नियम 9(4) के अधीन एनएफआरए द्वारा क्यूआरबी को निर्दिष्ट इकाइयों के संबंध में लेखापरीक्षा गुणवत्ता के पुनर्विलोकन का अधिदेश प्राप्त है।

### (I) चयनित लेखापरीक्षा फर्मों की गुणवत्ता पुनर्विलोकन स्थिति :

वर्ष 2025-26 के दौरान, गुणवत्ता पुनर्विलोकन बोर्ड द्वारा विभिन्न लेखापरीक्षा फर्मों की लेखापरीक्षा गुणवत्ता के 60 पुनर्विलोकन किए गए। ऐसे मामलों में बोर्ड द्वारा किए गए विनिश्चय निम्नानुसार हैं :

| क्रम सं. | विवरण                                                                                                                                                             | लेखापरीक्षा गुणवत्ता पुनर्विलोकनों की संख्या |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1        | लेखापरीक्षा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार तथा सांविधिक और विनियामक अपेक्षाओं के पालन हेतु संबंधित लेखापरीक्षा फर्मों को जारी परामर्शिकाएं/सुधार पत्र [धारा 28ख(ग)] | 49                                           |
| 2        | जांच हेतु आईसीएआई के अनुशासन निदेशालय को अग्रेषित मामले [धारा 28ख(घ)]                                                                                             | 9                                            |
| 3        | सीए अधिनियम, 1949 की पहली अनुसूची के भाग III के खंड (2) के अधीन विचार हेतु अनुशासन निदेशालय को अग्रेषित मामला                                                     | 1                                            |
| 4        | बंद किए गए मामले (कोई और कार्रवाई नहीं की गई)                                                                                                                     | 1                                            |
|          | <b>कुल मामले</b>                                                                                                                                                  | <b>60</b>                                    |

### (II) सक्षमता निर्माण – पैनल में सम्मिलित तकनीकी पुनर्विलोकनकर्ताओं हेतु वेबिनार

बोर्ड ने पैनल में सम्मिलित तकनीकी पुनर्विलोकनकर्ताओं हेतु अनुभव साझा करने, उन्हें हाल के विकासक्रमों से अद्यतन करने तथा बोर्ड की आशाओं को संप्रेषित करने के लिए एक वेबिनार का आयोजन किया, जिसमें पुनर्विलोकन प्रक्रिया में गुणवत्ता अभिवृद्धि, पारदर्शिता और सुसंगतता पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस कार्यक्रम में 145 पुनर्विलोकनकर्ताओं ने अपने सहायकों सहित भाग लिया और इसकी अत्यधिक सराहना हुई। बोर्ड ने संकल्प किया कि ऐसी सक्षमता-निर्माण पहलें भविष्य में भी जारी रहेंगी।

### (III) गुणवत्ता आश्वासन हेतु क्यूआरबी द्वारा हाल के संशोधन और विकासक्रम

- “गुणवत्ता पुनर्विलोकन करने हेतु मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी)” को उपांतरित और अद्यतन किया गया है तथा पुनरीक्षित एसओपी को बोर्ड की वेबसाइट (<https://www.qrbca.in/>) पर होस्ट किया गया है।
- उच्च गुणवत्ता वाले पुनर्विलोकनकर्ताओं का चयन सुनिश्चित करने, अल्प-निष्पादन के अभिज्ञान और प्रबंध को सुकर बनाने तथा तद्वारा समग्र गुणवत्ता अभिवृद्धि में योगदान करने हेतु तकनीकी पुनर्विलोकनकर्ताओं के रेटिंग मानदंड को पुनरीक्षित किया गया है।



### 13. वित्त और लेखे

चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 18(5ख) के अनुसार, परिषद् आगामी वर्ष के 30 सितंबर के दिन से अनंतर नहीं, भारत के राजपत्र में उस वर्ष के संपरीक्षित लेखाओं की एक प्रति और परिषद् की रिपोर्ट, जो परिषद् द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित हो, प्रकाशित कराएगी। तदनुसार, 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु आय और व्यय लेखा, जो परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित और सम्यक् रूप से संपरीक्षित हैं, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सहित संलग्न हैं।

#### आभार

परिषद् वृत्ति के उन सदस्यों की आभारी है, जिन्होंने इसकी समितियों में सहयोजित सदस्यों के रूप में कार्य किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के अधीन गठित बोर्डों/समितियों में नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों, क्षेत्रीय परिषदों, इसकी शाखाओं और उनके सदस्यों की, तथा उन विशेष आमंत्रितों और गैर-सदस्यों की, जिन्होंने वर्ष 2025-26 के दौरान परिषद् के शैक्षिक, तकनीकी और अन्य विकासात्मक क्रियाकलापों के संचालन में तथा इसकी परीक्षाओं में परिषद् की सहायता की।

परिषद् वर्ष 2025-26 के दौरान केन्द्रीय सरकार और परिषद् में उसके नामनिर्देशितियों द्वारा दिए गए निरंतर सहयोग और समर्थन के प्रति अपनी सराहना अभिलिखित करना चाहती है।

परिषद् आईसीएआई द्वारा की गई अनेक पहलों में विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा दर्शाई गई सच्ची रुचि तथा ऐसी पहलों के अनुसरण में उनके द्वारा पहले से किए गए/किए जा रहे कदमों के प्रति भी अपनी सराहना स्वीकार करती है।

परिषद् वर्ष 2025-26 के दौरान और तत्पश्चात् आईसीएआई के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए गए सच्चे और समर्पित प्रयासों के प्रति भी अपनी सराहना स्वीकार करती है।

#### परिषद् की संरचना

##### परिषद् के सदस्य

##### निर्वाचित सदस्य

| अध्यक्ष               | पश्चिमी क्षेत्र              |          |
|-----------------------|------------------------------|----------|
| सीए प्रसन्ना कुमार डी | सीए विष्णु कुमार अग्रवाल     | मुंबई    |
|                       | सीए जय छैरा                  | सूरत     |
|                       | सीए. पीयूष सोहनराजजी छाजेड   | मुंबई    |
|                       | सीए. चन्द्रशेखर वसंत चितले   | पुणे     |
| उपाध्यक्ष             | सीए विशाल दोशी               | वडोदरा   |
| सीए. मंगेश पी किनरे   | सीए अर्पित जगदीश काबरा       | मुंबई    |
|                       | सीए दुर्गेश कुमार काबरा      | मुंबई    |
|                       | सीए पुरुषोत्तमलाल खंडेलवाल   | अहमदाबाद |
|                       | सीए. मंगेश पी किनरे          | थाइन     |
|                       | सीए. प्रीति सावला            | मुंबई    |
|                       | सीए उमेश शर्मा               | औरंगाबाद |
| दक्षिणी क्षेत्र       |                              |          |
|                       | सीए बाबू अब्राहम कल्लिवायलिल | कोच्चि   |
|                       | सीए दयानिवास शर्मा           | हैदराबाद |

|                                                   |                                                                          |              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| परिषद के सचिव<br>सीए (डॉ.) जय कुमार बत्रा<br>सचिव | सीए मधुकर नारायण हीरेगंगे                                                | बेंगलुरु     |
|                                                   | सीए श्रीधर मुप्पला                                                       | हैदराबाद     |
|                                                   | सीए प्रसन्ना कुमार डी                                                    | विशाखापत्तनम |
|                                                   | सीए राजेंद्र कुमार पी                                                    | चेन्नई       |
|                                                   | सीए श्रीप्रिया कुमार                                                     | चेन्नई       |
|                                                   | पूर्वी क्षेत्र                                                           |              |
|                                                   | सीए रवि कुमार पटवा                                                       | सिलचर        |
|                                                   | सीए संजीव सांधी                                                          | कोलकाता      |
|                                                   | केन्द्रीय क्षेत्र                                                        |              |
|                                                   | सीए रोहित रुवातिया                                                       | जयपुर        |
|                                                   | सीए अभय छाजेड                                                            | भोपाल        |
|                                                   | सीए (डॉ.) अनुज गोयल                                                      | गाजियाबाद    |
|                                                   | सीए सतीश कुमार गुप्ता                                                    | जयपुर        |
|                                                   | सीए ज्ञान चंद्र मिश्रा                                                   | गाजियाबाद    |
|                                                   | सीए पंकज शाह                                                             | इंदौर        |
|                                                   | उत्तरी क्षेत्र                                                           |              |
|                                                   | सीए संजय कुमार अग्रवाल                                                   | नई दिल्ली    |
|                                                   | सीए हंस राज चुध                                                          | नई दिल्ली    |
|                                                   | सीए प्रमोद जैन                                                           | नई दिल्ली    |
|                                                   | सीए. चरणजोत सिंह नंदा                                                    | नई दिल्ली    |
| सरकार द्वारा नामित                                | सीए राजेश शर्मा                                                          | दिल्ली       |
|                                                   | सीए (डॉ.) संजीव कुमार सिंघल                                              | नई दिल्ली    |
|                                                   | श्री राहुल जैन, संयुक्त सचिव (व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित),<br>एमसीए | नई दिल्ली    |
|                                                   | श्री बाला मुरुगन डी, संयुक्त सचिव<br>एमसीए                               | नई दिल्ली    |
|                                                   | श्री मनोज कुमार साहू<br>(आई सी एल एस), क्षेत्रीय निदेशक, डब्ल्यूआर-II    | मुंबई        |
|                                                   | श्री नवीन सिंघवी                                                         | नई दिल्ली    |
|                                                   | पीडी (कॉम. II), सीएंडएजी (सीएंडएजी नामित)                                |              |
|                                                   | श्री संजय शरण                                                            | नई दिल्ली    |
|                                                   | भारतीय डाक सेवा समूहक (1989)                                             |              |
|                                                   | न्यायमूर्ति (पूर्व) शशिकांत गुप्ता                                       |              |
|                                                   | इलाहाबाद उच्च न्यायालय                                                   |              |
|                                                   | श्री मुखमीत सिंह भाटिया                                                  | नई दिल्ली    |
|                                                   | आईएएस-1990, (सेवानिवृत्त)                                                |              |
|                                                   | श्री विनोद कुमार जिंदल                                                   | गाजियाबाद    |
|                                                   | भारतीय लागत लेखा सेवा (1988)                                             |              |

एसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी  
 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
 औरोबिन्दो टॉवर  
 81/1, थर्ड फ्लोर, अधिचिनी  
 औरोबिन्दो मार्ग, नई दिल्ली -110017

जगदीश चंद एंड कंपनी  
 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
 एच-20, एलजीएफ  
 ग्रीन पार्क (मैन)  
 नई दिल्ली -110016

### स्वतंत्र संपरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,  
 भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान परिषद्  
 वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा संबंधी रिपोर्ट  
 राय

हमने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ("संस्थान") के संलग्न वित्तीय विवरणों, जिसमें 31 मार्च, 2026 को यथा विद्यमान तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए संलग्न आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण और वित्तीय विवरणों संबंधी टिप्पणों की संपरीक्षा की है, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का संक्षिप्त विवरण और अन्य स्पष्टीकारक जानकारी भी है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "वित्तीय विवरण" कहा गया है), जिसमें संस्थान के विकेंद्रीकृत कार्यालयों, विदेशी कार्यालयों, उत्कृष्टता केंद्रों, प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं के शाखा संपरीक्षकों द्वारा संपरीक्षित विवरणियों/वित्तीय विवरणों को भी सम्मिलित किया गया है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, पूर्वोक्त वित्तीय विवरण चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (आज की तारीख तक यथा संशोधित) द्वारा अपेक्षित रीति में अपेक्षित जानकारी प्रदान करता है और वे भारत में साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तारीख 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संस्थान की वित्तीय स्थिति और उसके अधिशेष तथा नकद प्रवाह के संबंध में एक सत्य और उचित मत प्रदान करते हैं।

### राय के लिए आधार

हमने अपनी संपरीक्षा को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी संपरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार पूरा किया है। उन मानकों के अधीन हमारे उत्तरदायित्वों को आगे हमारी रिपोर्ट के (वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा हेतु संपरीक्षक के उत्तरदायित्वों) संबंधी खंड में वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी नैतिक संहिता, जो वित्तीय विवरणों की हमारी संपरीक्षा के लिए सुसंगत हैं, के अनुसार संस्थान से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आचार-संहिता के अनुसार अपने नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हम यह विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा अभिप्रास किए गए संपरीक्षा संबंधी साक्ष्य हमारी राय का आधार प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

### वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधमंडल का उत्तरदायित्व

संस्थान का प्रबंधमंडल ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 ("अधिनियम") के अनुसार संस्थान की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यपालन और नकद प्रवाह का सत्य और निष्पक्ष मत प्रदान करते हों। इस उत्तरदायित्व में संस्थान की आस्तियों को सुरक्षित रखने तथा कपटों और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों को बनाए रखना; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करना; ऐसे निर्णय लेना और प्राकलन करना, जो सुसंगत और विवेकपूर्ण हों तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता और संपूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे, को तैयार करना, उन्हें कार्यान्वित करना तथा उन्हें बनाए रखना सम्मिलित है, जो ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने के लिए सुसंगत हैं, जो संस्थान के कार्य के संबंध में सत्य और निष्पक्ष मत प्रदान करते हैं तथा जो सारवान मिथ्या कथनों, चाहे वे किसी कपट के कारण हों अथवा किसी त्रुटि के कारण, से मुक्त हैं।

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधमंडल, एक गोईंग कर्न्सन के रूप में बने रहने संबंधी संस्थान के सामर्थ्य का निर्धारण करने, यथा लागू प्रकटन करने, गोईंग कर्न्सन से संबंधित विषयों का निर्धारण करने और लेखांकन के गोईंग कर्न्सन

के आधार का उपयोग करने के लिए तब तक उत्तरदायी है जब तक कि प्रबंधमंडल का आशय या तो संस्थान का परिसमापन करना है या उसके प्रचालनों को बंद करना है या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य वास्तविक विकल्प उपलब्ध नहीं है।

जो शासन के लिए प्रभारी हैं, वे संस्थान की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यावलोकन करने के लिए भी उत्तरदायी हैं।

### वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के संबंध में संपरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस संबंध में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण सकल रूप से सारवान मिथ्या कथनों से मुक्त हैं, चाहे वे कपट के कारण आए हों या त्रुटिवश और साथ ही हमारा उद्देश्य संपरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारी राय सम्मिलित हो। युक्तियुक्त आश्वासन एक उच्चस्तरीय आश्वासन है किंतु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई संपरीक्षा सदैव सारवान मिथ्या कथनों का पता लगाएगी, जब वे विद्यमान हों। मिथ्या कथन कपट या त्रुटिवश उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें उस समय सारवान समझा जाता है, यदि वे व्यक्तिगत रूप से या सकल रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों को युक्तियुक्त रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

एसए के अनुसार की जाने वाली संपरीक्षा के भागरूप में, हम अपने वृत्तिक विवेक का प्रयोग करते हैं और पूर्ण संपरीक्षा के दौरान वृत्तिक संदेहों को भी बनाए रखते हैं। हम भी:

- कपट या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों में सारवान मिथ्या कथनों की पहचान करते हैं और उनसे संबंधी जोखिमों का निर्धारण करते हैं, उन जोखिमों के प्रत्युत्तर में संपरीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं को तैयार और उनका निष्पादन करते हैं तथा ऐसे संपरीक्षा संबंधी साक्ष्य अभिप्रास करते हैं, जो हमारी राय का आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। किसी कपट के परिणामस्वरूप होने वाले किसी सारवान मिथ्या कथन की पहचान न करने का जोखिम किसी त्रुटि के परिणामस्वरूप आए सारवान मिथ्या कथन से कहीं अधिक है, क्योंकि कपट में दुरभिसंधि, जालसाजी, साशय लोप, मिथ्या प्रस्तुतियां या आंतरिक नियंत्रणों की अवहेलना अंतर्वलित हो सकती है।
- संपरीक्षा से सुसंगत आंतरिक नियंत्रणों की समझ को प्राप्त करते हैं, जिससे ऐसी संपरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार किया जा सके, जो मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त हैं, किंतु जो संस्थान के आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविकता के संबंध में राय अभिव्यक्त करने के प्रयोजन के लिए अभिप्रेत नहीं है।
- प्रयुक्त की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करते हैं और प्रबंधमंडल द्वारा दिए गए लेखांकन प्राक्कलनों और संबद्ध प्रकटनों के औचित्य का भी मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंधमंडल द्वारा लेखांकन के गोईंग कर्न्सन के आधार के उपयोग की उपयुक्तता के संबंध में निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं तथा प्राप्त किए गए संपरीक्षा संबंधी साक्ष्यों के आधार पर यह तय करते हैं कि क्या किन्हीं घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई सारवान अनिश्चितता विद्यमान है, जो एक गोईंग कर्न्सन के रूप में बने रहने के संस्थान के सामर्थ्य के संबंध में महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सारवान अनिश्चितता विद्यमान है तो हम से यह अपेक्षा की जाती है कि हम हमारी संपरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबद्ध प्रकटनों की ओर ध्यान आकर्षित करें या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो हमारी राय को उपांतरित करें। हमारे निष्कर्ष, हमारे संपरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक हमारे द्वारा प्राप्त किए गए संपरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। तथापि, भावी घटनाएं या परिस्थितियां यह प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं कि संस्थान एक गोईंग कर्न्सन के रूप में अपना कार्यकरण जारी रखना बंद कर दे।
- वित्तीय विवरणों की सकल प्रस्तुति, संरचना और अंतर्वस्तु का मूल्यांकन करना, जिसके अंतर्गत प्रकटन भी हैं और यह सुनिश्चित करना कि क्या वित्तीय विवरण ऐसी रीति में आधारभूत संव्यवहारों और घटनाओं को प्रस्तुत करते हैं, जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति के उद्देश्य की पूर्ति हो।
- सारवानता, किन्हीं वित्तीय विवरणों में मिथ्या कथनों की वह मात्रा है, जो व्यक्तिगत रूप से या सकल रूप से संभव बनाती है कि युक्तियुक्त रूप से वित्तीय विवरणों के किसी ज्ञानवान उपयोक्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकेंगे। हम (i) हमारे संपरीक्षा कार्य के विस्तार क्षेत्र की योजना तैयार करने और हमारे कार्य के परिणामों के मूल्यांकन में; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी पहचाने गए मिथ्या कथनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक सारवानता और गुणवाचक कारकों पर विचार करते हैं।

हम उनसे, जिन्हें शासन का प्रभार सौंपा गया है, अन्य विषयों के साथ, संपरीक्षा के योजनाबद्ध समय और विस्तार क्षेत्र तथा महत्वपूर्ण संपरीक्षा निष्कर्षों, जिसके अंतर्गत आंतरिक नियंत्रणों में ऐसी कोई महत्वपूर्ण कमियां भी हैं, जिनकी हमने संपरीक्षा के दौरान पहचान की है, परस्पर संसूचना का आदान-प्रदान करते हैं।

हम ऐसे व्यक्तियों को, जिन पर शासन संबंधी प्रभार है, ऐसा कथन भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने स्वतंत्रता संबंधी सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और हमने उन्हें अपने ऐसे सभी संबंधों तथा अन्य विषयों की संसूचना प्रदान की है, जिनसे युक्तियुक्त रूप से यह संभावना उत्पन्न हो सकती है कि वे हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं और जहाँ कहीं लागू है हमने संबंधित सुरक्षोपायों के संबंध में भी संसूचित किया है।

### अन्य विषय

क) संस्थान द्वारा भारत और विदेशों में सदस्यों के लिए सतत वृत्तिक शिक्षा क्रियाकलापों के सुचारू प्रचालन के लिए अनेक अध्ययन सर्कलों और अध्ययन चैप्टरों को प्राधिकृत किया गया है। संस्थान द्वारा यह अभ्यावेदन किया गया है कि ये अध्ययन सर्कल/चैप्टर पृथक् अस्तित्व हैं और तदनुसार उनके वित्तीय विवरणों को समेकित किया जाना अपेक्षित नहीं है। हमने, इस अभ्यावेदन पर विश्वास किया है।

ख) हमने संस्थान के विकेन्द्रीकृत कार्यालयों, विदेशी कार्यालयों, उत्कृष्टता केंद्रों, छात्र संघों, प्रादेशिक परिषदों और विदेशी शाखाओं सहित उनकी शाखाओं (जो एकीकृत रूप में शाखाओं के नाम से ज्ञात हैं) के वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2026 को 1,54,981 लाख रुपए की कुल आस्तियों, 34,385 लाख रुपए की शुद्ध आस्तियों, 35,553 लाख रुपए का कुल राजस्व और कुल 328 लाख रुपए के शुद्ध नकद बहिर्गमों को उपदर्शित करते हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/जानकारी की संपरीक्षा शाखा संपरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्टें प्रबंधमंडल द्वारा हमें प्रस्तुत की गई हैं। इन वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी राय, जहां तक उसका संबंध इन शाखाओं के संबंध में सम्मिलित की गई रकमों और प्रकटनों से है, पूर्णतया उन अन्य संपरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

ग) हमने संस्थान की सिंगापुर शाखा और संस्थान की मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् की झुनझुनु और कोरबा शाखा, दक्षिणी भारत प्रादेशिक परिषद् की खम्मम शाखा तथा पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद् की गोन्डिया और मोरबी शाखा के वित्तीय विवरणों/जानकारी की संपरीक्षा नहीं की है, जो 31 मार्च, 2026 को 3 लाख रुपए की कुल आस्तियों और (65) लाख रुपए की शुद्ध आस्तियों तथा 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वर्ष के लिए शून्य लाख रुपए के कुल राजस्व तथा शून्य लाख रुपए के नकद आगमों को उपदर्शित करते हैं, जैसा कि वित्तीय विवरणों में विचार में लिया गया है। इन वित्तीय विवरणों/जानकारी की संपरीक्षा नहीं की गई है और इन्हें प्रबंध मंडल द्वारा हमें प्रस्तुत की गई हैं और वित्तीय विवरणों से संबंधित हमारी रिपोर्ट में, जहां तक वह रकम और प्रकटन से संबंधित है, पूर्णतया असंपरीक्षित वित्तीय विवरणों/जानकारी पर आधारित हैं। हमें दी गई जानकारी और दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, ये वित्तीय विवरण/जानकारी संस्थान के लिए सारवान नहीं हैं।

घ) 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संस्थान के तुलनात्मक वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा पूर्ववर्ती संपरीक्षकों द्वारा की गई थी, जिन्होंने तारीख 30 जुलाई, 2025 की अपनी संपरीक्षा रिपोर्ट में उन वित्तीय विवरणों के संबंध में अनुपांतरित राय अभिव्यक्त की है।

हमारी राय को उपरोक्त मामलों के संबंध में उपांतरित नहीं किया गया है।

### अन्य विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

हम यह और रिपोर्ट करते हैं कि:

- क) हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे ;

- ख) हमारी राय में, जहां तक लेखा बहियों की हमारी परीक्षा से प्रतीत होता है, संस्थान द्वारा समुचित लेखा बहियां रखी गई हैं और हमारी संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए शाखाओं, जहां हमने दौरा नहीं किया है, से समुचित और पर्याप्त विवरणियां प्राप्त हुई हैं ;
- ग) संस्थान की शाखाओं के लेखाओं, जिनकी संपरीक्षा शाखा संपरीक्षकों द्वारा की गई है, संबंधी रिपोर्टों को हमें अग्रेषित किया गया है और हमने इस रिपोर्ट को तैयार करते समय उनके संबंध में उपयुक्त रूप से कार्यवाही की है ;
- घ) इस रिपोर्ट से संबंधित संस्थान का तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा और नकद प्रवाह विवरण, लेखा बहियों के अनुरूप है और वे ऐसी शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के भी अनुरूप है, जिनका हमने दौरा नहीं किया है ।

कृते एएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी  
 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
 फर्म पंजीकरण सं. : 009571N/N500006

कृते जगदीश चंद एंड कंपनी  
 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
 फर्म पंजीकरण सं. : 000129N

ह./-  
 सीए. परवीन कुमार  
 भागीदार  
 सदस्यता सं. 088810  
 यूडीआईएन : 26088810जेडडब्ल्यूजीआरडीवाई7167  
 स्थान : नई दिल्ली  
 तारीख : 27 जुलाई, 2026

ह./-  
 सीए. प्रवीण कुमार जैन  
 भागीदार  
 सदस्यता सं. 085629  
 यूडीआईएन : 26085629एक्सक्यूसीईएनआर3875  
 स्थान : नई दिल्ली  
 तारीख : 27 जुलाई, 2026

**भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान**  
**आईसीएआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली-110 002**  
**31 मार्च, 2026 को यथाविद्यमान तुलन पत्र**

(रुपए लाख में)

|           | विशिष्टियां                                        | टिप्पण | 31 मार्च, 2026 को<br>यथाविद्यमान | 31 मार्च, 2025 को यथा<br>विद्यमान |
|-----------|----------------------------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>I</b>  | <b>निधियों के स्रोत :</b>                          |        |                                  |                                   |
|           | <b>1. एनपीओ निधियां</b>                            |        |                                  |                                   |
|           | (क) अनिर्बंधित निधियां                             |        |                                  |                                   |
|           | i) आरक्षितियां और अधिशेष                           | 03     | 2,06,032                         | 1,93,097                          |
|           | ii) अभिहित निधियां                                 | 04     | 1,44,875                         | 1,42,777                          |
|           | (ख) निर्बंधित निधियां                              | 05     | 872                              | 840                               |
|           |                                                    |        | <b>3,51,779</b>                  | <b>3,36,714</b>                   |
|           | <b>2. गैर चालू दायित्व</b>                         |        |                                  |                                   |
|           | (क) दीर्घकालिक दायित्व                             | 06     | 7,332                            | 7,591                             |
|           | (ख) दीर्घकालिक प्रावधान                            | 07     | 8,003                            | 21,649                            |
|           |                                                    |        | <b>15,335</b>                    | <b>29,240</b>                     |
|           | <b>3. चालू दायित्व</b>                             |        |                                  |                                   |
|           | (क) देय                                            | 08     | 5,059                            | 9,360                             |
|           | (ख) अन्य चालू दायित्व                              | 09     | 34,503                           | 32,450                            |
|           | (ग) अल्पकालिक प्रावधान                             | 07     | 8,011                            | 4,175                             |
|           |                                                    |        | <b>47,573</b>                    | <b>45,985</b>                     |
|           | <b>योग</b>                                         |        | <b>4,14,687</b>                  | <b>4,11,939</b>                   |
| <b>II</b> | <b>निधियों का उपयोग</b>                            |        |                                  |                                   |
|           | <b>1. गैर चालू आस्तियां</b>                        |        |                                  |                                   |
|           | (क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा अमूर्त आस्तियां |        |                                  |                                   |
|           | (i) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर                     | 10     | 97,633                           | 78,176                            |
|           | (ii) अमूर्त आस्तियां                               | 11     | 243                              | 379                               |
|           | (iii) चालू पूंजी संकर्म                            | 12(क)  | 4,452                            | 10,618                            |
|           | (iv) विकास के अधीन अमूर्त आस्ति                    | 12(ख)  | 359                              | 352                               |
|           | (ख) गैर-चालू निवेश                                 | 13     | 1,87,321                         | 1,73,778                          |
|           | (ग) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम                        | 15     | 2,250                            | 1,695                             |
|           | (घ) अन्य गैर चालू आस्तियां                         | 16     | 1,932                            | 6,680                             |
|           |                                                    |        | <b>2,94,190</b>                  | <b>2,71,678</b>                   |
|           | <b>2. चालू आस्तियां</b>                            |        |                                  |                                   |
|           | (क) वस्तु-सूचियां                                  | 14     | 550                              | 1,014                             |
|           | (ख) प्राप्त्य                                      | 17     | 1,036                            | 1,704                             |
|           | (ग) नकद और बैंक अतिशेष                             | 18     | 1,00,468                         | 1,20,332                          |
|           | (घ) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम                         | 15     | 12,120                           | 10,120                            |
|           | (ङ) अन्य चालू आस्तियां                             | 19     | 6,323                            | 7,091                             |
|           |                                                    |        | <b>1,20,497</b>                  | <b>1,40,261</b>                   |
|           | <b>योग</b>                                         |        | <b>4,14,687</b>                  | <b>4,11,939</b>                   |

इकाइयों के बारे में संक्षिप्त जानकारी 01  
 महत्वपूर्ण अकाउंटिंग नीतियों का सारांश 02  
 संलग्न टिप्पण 3 से 32 वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

परिषद् के लिए और उसकी ओर से

ह./-  
 सी.ए. सुदीप श्रीवास्तव  
 अपर सचिव  
 (वित्त एवं लेखा)

ह./-  
 सी.ए. (डा.) जय कुमार बत्रा  
 सचिव

ह./-  
 सी.ए. मंगेश पी किनरे  
 उपाध्यक्ष

ह./-  
 सी.ए. प्रसन्ना कुमार डी.  
 अध्यक्ष

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार  
 कृते एएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी  
 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
 एफआरएन : 009571N/N500006

कृते जगदीश चंद एंड कंपनी  
 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
 एफआरएन : 000129N

ह./-  
 सी.ए. परवीन कुमार  
 सदस्यता सं. 088810  
 भागीदार  
 स्थान : नई दिल्ली  
 तारीख : 27 जुलाई, 2026

ह./-  
 सी.ए. प्रवीण कुमार जैन  
 सदस्यता सं. 085629  
 भागीदार



31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लए आय और व्यय लेखा

(रुपए लाख में)

| विशिष्टियां |                                                                      | टिप्पण | 31 मार्च 2026 को समाप्त हुए वर्ष के लिए | 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| I           | आय                                                                   |        |                                         |                                         |
|             | (क) दान                                                              |        | 4                                       | -                                       |
|             | (ख) सेवाएं प्रदान करने से प्राप्त फीस                                | 20     | 99,139                                  | 95,974                                  |
|             | (ग) प्रकाशन एवं अन्य मदों की विक्री                                  | 21     | 581                                     | 672                                     |
|             | (घ) निर्बंधित निधियों से आय                                          | 22     | 43                                      | 64                                      |
|             | (ङ) अन्य आय                                                          | 23     | 22,178                                  | 22,127                                  |
|             | <b>कुल आय (I)</b>                                                    |        | <b>1,21,945</b>                         | <b>1,18,837</b>                         |
| II          | व्यय                                                                 |        |                                         |                                         |
|             | (क) प्रकाशनों और अध्ययन सामग्री की लागत                              | 24     | 6,202                                   | 5,301                                   |
|             | (ख) कर्मचारी फायदे                                                   | 25     | 12,826                                  | 27,153                                  |
|             | (ग) अवधायण और परिशोधन                                                | 26     | 5,065                                   | 3,787                                   |
|             | (घ) निर्बंधित निधियों से व्यय                                        | 27     | 45                                      | 36                                      |
|             | (ङ) अन्य व्यय                                                        | 28     | 82,797                                  | 74,545                                  |
|             | <b>कुल व्यय (II)</b>                                                 |        | <b>1,06,935</b>                         | <b>1,10,822</b>                         |
| III         | <b>वर्ष के लिए व्यय की तुलना में आय का आधिक्य (I-II)</b>             |        | <b>15,010</b>                           | <b>8,015</b>                            |
|             | <b>विनियोग : निधियों का अंतरण</b>                                    |        |                                         |                                         |
|             | क) इमारतों के लिए प्राप्त दान [नोट 2.06 (i) देखें]                   |        | 4                                       | -                                       |
|             | ख) शिक्षा निधि [देखें टिप्पण 2.06(ii)]                               |        | 5,236                                   | 1,892                                   |
|             | ग) कर्मचारी कल्याण निधि [देखें टिप्पण 2.06(iii)]                     |        | 73                                      | 51                                      |
|             | घ) अवसंरचना आरक्षिती [देखें टिप्पण 2.06(iv)]                         |        | 373                                     | 254                                     |
|             | ङ) अभिहित निधियां (व्ययों का शुद्ध) [देखें टिप्पण 2.06 (vi)]         |        | 6,381                                   | 4,090                                   |
|             | च) निर्बंधित निधियां (व्ययों का शुद्ध) [देखें टिप्पण 2.06 (vi)]      |        | (2)                                     | 28                                      |
|             | छ) सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण आरक्षितियां [देखें टिप्पण 2.06(vii)] |        | 929                                     | 705                                     |
|             | ज) सिंकिंग निधि [देखें टिप्पण 2.06(viii)]                            |        | 2,016                                   | 995                                     |
|             | <b>योग</b>                                                           |        | <b>15,010</b>                           | <b>8,015</b>                            |

इकाइयों के बारे में संक्षिप्त जानकारी

01

महत्वपूर्ण अकाउंटिंग नीतियों का सारांश

02

संलग्न टिप्पण 3 से 32 वत्तीय ववरणों का अभिन्न भाग हैं।

परिषद् के लए और उसकी ओर से

ह. /  
सीए. सुदीप श्रीवास्तव  
अपर सचिव  
(वत एवं लेखा)

ह. /  
सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा  
सचिव

ह. /  
सीए. मंगेश पी कनरे  
उपाध्यक्ष

ह. /  
सीए. प्रसन्ना कुमार डी.  
अध्यक्ष

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार  
कृते एसए एंड एसो सप्ट्स एलएलपी  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
एफआरएन : 009571N/N500006

कृते जगदीश चंद एंड कंपनी  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
एफआरएन : 000129N

ह. /  
सीए. परवीन कुमार  
सदस्यता सं. 088810  
भागीदार  
स्थान : नई दिल्ली  
तारीख : 27 जुलाई, 2026

ह. /  
सीए. प्रवीण कुमार जैन  
सदस्यता सं. 085629  
भागीदार

## 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(रुपए लाख में)

| विशिष्टियां                                                               | 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>I. प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह</b>                              |                                          |                                          |
| <b>व्यय से आय का आधिक्य</b>                                               | <b>15,010</b>                            | <b>8,015</b>                             |
| समायोजन के लिए :                                                          |                                          |                                          |
| अवक्षयण और परिशोधन संबंधी व्यय                                            | 5,065                                    | 3,787                                    |
| डुबंत ऋण                                                                  | 377                                      | -                                        |
| संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर हानि (शुद्ध)                       | 35                                       | 61                                       |
| विदेशी मुद्रा लेनदेन पर हानि (शुद्ध)                                      | 40                                       | 26                                       |
| संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान                                       | 518                                      | 184                                      |
| पुराने अप्रचलित प्रकाशन स्टॉक के लिए प्रावधान                             | 26                                       | 197                                      |
| कर्मचारी सेवानिवृत्ति फायदों के लिए प्रावधान                              | (12,576)                                 | 13,249                                   |
| जमा किए गए पूर्व वर्षों के व्यय के लिए प्रावधान                           | -                                        | (540)                                    |
| ऐसे प्रावधान, जो अब अपेक्षित नहीं हैं, अपलिखित                            | (376)                                    | (188)                                    |
| भवन के लिए दान रसीद                                                       | (4)                                      | -                                        |
| आय-कर प्रतिदाय पर व्याज                                                   | -                                        | (35)                                     |
| व्याज संबंधी आय                                                           | (20,221)                                 | (20,127)                                 |
| <b>कार्यकरण पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन अधिशेष/ (कमी)</b>           | <b>(12,106)</b>                          | <b>4,629</b>                             |
| <b>कार्यकरण पूंजी में परिवर्तन :</b>                                      |                                          |                                          |
| <b>प्रचालन संबंधी आस्तियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन :</b>          |                                          |                                          |
| वस्तु सूचियां                                                             | 438                                      | 59                                       |
| दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम                                                   | (555)                                    | (313)                                    |
| अल्पकालिक ऋण और अग्रिम                                                    | (1,536)                                  | (380)                                    |
| प्राप्य                                                                   | (227)                                    | (789)                                    |
| <b>प्रचालन संबंधी दायित्वों में वृद्धि/(कमी) के लिए समायोजन</b>           |                                          |                                          |
| दीर्घकालिक दायित्व                                                        | (259)                                    | 4,271                                    |
| देय                                                                       | (4,341)                                  | 2,926                                    |
| अन्य चालू दायित्व                                                         | 2,053                                    | 1,025                                    |
| अल्पकालिक प्रावधान                                                        | 3,142                                    | 547                                      |
|                                                                           | (13,391)                                 | 11,975                                   |
| आयकर (कटौती) / प्राप्त (शुद्ध)                                            | (464)                                    | (114)                                    |
| <b>प्रचालन गतिविधियों से/(जनित) शुद्ध नकदी (अ)</b>                        | <b>(13,855)</b>                          | <b>11,861</b>                            |
| <b>II. निवेश संबंधी क्रियाकलापों से नकद प्रवाह</b>                        |                                          |                                          |
| गैर-चालू निवेशों का विक्रय/मोचन/(क्रय)                                    | (13,543)                                 | 6,090                                    |
| चालू निवेशों का विक्रय/मोचन/(क्रय)                                        | 26,978                                   | (19,136)                                 |
| संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर संबंधी पूंजी व्यय [सीडब्ल्यूआईपी सहित (शुद्ध)] | (19,060)                                 | (16,434)                                 |
| संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के विक्रय से आगम                               | 798                                      | 1,347                                    |
| प्राप्त व्याज आय                                                          | 20,952                                   | 19,741                                   |
| <b>निवेश संबंधी क्रियाकलापों से/(में प्रयुक्त) शुद्ध नकद (आ)</b>          | <b>16,125</b>                            | <b>(8,392)</b>                           |
| <b>III. वित्तीय क्रियाकलापों से नकद प्रवाह</b>                            |                                          |                                          |
| इमारतों के लिए प्राप्त दान                                                | 4                                        | -                                        |
| प्राप्त अभिदाय                                                            | 55                                       | 287                                      |
| <b>वित्त संबंधी क्रियाकलापों से/(में प्रयुक्त) नकद (इ)</b>                | <b>59</b>                                | <b>287</b>                               |
| नकद और नकद समतुल्यों में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (अ+आ+इ)                       | 2,329                                    | 3,756                                    |
| वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य                                    | 11,390                                   | 7,634                                    |
| <b>वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य [टिप्पण 18 (क) देखें]</b>           | <b>13,719</b>                            | <b>11,390</b>                            |

इकाइयों के बारे में संक्षिप्त जानकारी 01

महत्वपूर्ण अकाउंटिंग नीतियों का सारांश 02

संलग्न टिप्पण 3 से 32 वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

परिषद् के लिए और उसकी ओर से

ह./-  
सीए. सुदीप श्रीवास्तव  
अपर सचिव, (वित्त एवं लेखा)

ह./-  
सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा  
सचिव

ह./-  
सीए. मंगेश पी किन्नेरे  
उपाध्यक्ष

ह./-  
सीए. प्रसन्ना कुमार डी.  
अध्यक्ष

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार  
कृते एएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
एफआरएन : 009571N/N500006

ह./-  
सीए. परवीन कुमार  
सदस्यता सं. 088810  
भागीदार  
स्थान : नई दिल्ली  
तारीख : 27 जुलाई, 2026

कृते जगदीश चंद एंड कंपनी  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
एफआरएन : 000129N

ह./-  
सीए. प्रवीण कुमार जैन  
सदस्यता सं. 085629  
भागीदार

## 2025-26 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

### 1. साधारण जानकारी

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ("संस्थान या आईसीएआई"), जिसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है, को 1 जुलाई, 1949 को संसद् के एक अधिनियम, अर्थात् चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अधीन भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वृत्ति का विनियमन और विकास करने के प्रयोजन के लिए स्थापित किया गया था। उक्त अधिनियम के निबंधनों के अनुसार संस्थान की परिषद् को, संस्थान के कार्यों के प्रबंध का कार्य सौंपा गया है। इस प्रयोजन के लिए, परिषद् ने मुंबई, कोलकाता, कानपुर, चैन्नई और नई दिल्ली में प्रत्येक में एक और कुल 5 प्रादेशिक परिषदों, 5 विकेन्द्रीकृत कार्यालयों, 3 उत्कृष्टता केंद्रों, 186 शाखाओं और दुबई तथा सिंगापुर में 2 विदेशी कार्यालय का भी गठन किया है।

### 2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

#### 2.01 लेखांकन का आधार

वित्तीय विवरणों को, जिनमें तुलन पत्र, आय और व्यय संबंधी कथन तथा नकद प्रवाह संबंधी कथन, उन पर टिप्पणों के साथ सम्मिलित हैं, भारत में साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अनुसार तैयार किया जाता है। यहां भारतीय जीएएपी में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक और अन्य उद्घोषणाएं सम्मिलित हैं। वित्तीय विवरणों को, जब तक कि अन्यथा कथित न हो, गोईंग कन्सर्न संबंधी ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अधीन तथा प्रोदभवन आधार पर तैयार किया जाता है। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियां, जब तक कि अन्यथा कथित न हो, पूर्व वर्ष में अपनाई गई नीतियों से संगत हैं।

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (₹) में तैयार किए जाते हैं, जो संस्थान की कार्यात्मक और रिपोर्टिंग मुद्रा है। जब तक अन्यथा न कहा गया हो, वित्तीय विवरण में बताई गई सभी राशियों को निकटतम लाख तक पूर्णांकित (राउंड-ऑफ) किया गया है।

#### 2.02 प्राक्कलनों का उपयोग

भारतीय जीएएपी के अनुसार वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति प्रबंधमंडल से यह अपेक्षा करती है कि वे ऐसे प्राक्कलन और पूर्वानुमान करें, जो वर्ष के दौरान आस्तियों और दायित्वों की रिपोर्ट की गई रकमों (जिसके अंतर्गत आकस्मिक दायित्व भी हैं) तथा आय और व्यय की रिपोर्ट की गई रकमों हेतु विचार में लिए जाते हैं। प्रबंधमंडल यह विश्वास करता है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण और तर्कसंगत हैं। वास्तविक परिणाम उन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों तथा प्राक्कलनों के बीच अंतर को ऐसी अवधियों में मान्यता प्रदान की जाती है, जिनमें परिणामों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है/ वे कार्यान्वित किए जाते हैं।

#### 2.03 वस्तु-सूचियां

वस्तु-सूचियों में प्रकाशन, अध्ययन सामग्रियां, लेखन सामग्रियां और अन्य भंडार सम्मिलित होते हैं। इन वस्तु-सूचियों का मूल्यांकन प्रथम आवक, प्रथम जावक ("एफआईएफओ") पद्धति के आधार पर, जिसके दौरान जहां आवश्यक समझा जाए, अप्रचलन और अन्य हानियों के लिए प्रावधान करने के पश्चात् संगणित निम्नतर लागत और शुद्ध वसूलनीय मूल्य के आधार पर किया जाता है।

लागत में माल को विक्रय के बिन्दु पर लाने संबंधी सभी प्रभार सम्मिलित होते हैं, जिसके अंतर्गत अन्य उदग्रहण, प्रवहन बीमा और अनुषंगी प्रभार भी हैं।

## 2.04 नकद और नकद समतुल्य

नकद में, हाथ में नकदी अंतर्विष्ट है। नकद समतुल्य ऐसे अल्पकालिक अतिशेष हैं (जिनकी मूल परिपक्वता, उनके अर्जन की तारीख से तीन मास या उससे कम की अवधि है), जो अत्यधिक रूप से चल निवेश हैं, जिन्हें सुगम रूप से नकद की ज्ञात रकमों में परिवर्तित किया जा सकता है और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं। ऐसे सावधि निक्षेपों को नकद और नकद समतुल्यों के रूप में माना जाता है, जिनकी मूल परिपक्वता की अवधि तीन मास से कम है। तीन मास से अधिक किंतु 12 मास से कम की मूल परिपक्वता वाले निक्षेपों को 'अन्य बैंक अतिशेषों' के अधीन बैंक निक्षेप माना जाता है।

## 2.05 नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाहों को अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है, जिसमें गैर-नकद प्रकृति के संव्यवहारों के प्रभावों और पूर्ववर्ती या भावी नकद प्राप्तियों या संदायों में किसी आस्थगन या प्रोदभवनों के लिए शुद्ध अधिशेष को समायोजित किया जाता है। संस्थान के प्रचालन, निवेश और वित्तपोषण संबंधी क्रियाकलापों से होने वाले नकद प्रवाहों को उपलब्ध जानकारी के आधार पर पृथक् किया जाता है।

## 2.06 आरक्षितियों/निधियों में विनियोग

i) भवनों के लिए प्राप्त संदानों का विनियोग आय और व्यय लेखा में किया जाता है और उसके पश्चात् उसे अवसंरचना आरक्षिती खाते में जमा किया जाता है।

ii) दूरस्थ शिक्षा फीस के 25 प्रतिशत, जो वर्ष के शुद्ध अधिशेष के 50 प्रतिशत से अधिक न हो, शिक्षा निधि को अंतरित किया जाता है।

iii) सदस्यता फीस (वार्षिक और व्यवसाय प्रमाणपत्र संबंधी फीस) के 0.75 प्रतिशत को प्रोदभवन आधार पर कर्मचारी कल्याण निधि को अंतरित किया जाता है।

iv) प्रवेश और दाखिला फीस :

-- सहबद्ध सदस्यों से प्राप्त प्रवेश फीस और अध्येता सदस्यों से प्राप्त दाखिला फीस के . . . . भाग को अवसंरचना आरक्षिती खाते में डाला जाता है।

v) अभिहित निधियों से शिक्षा निधि खाते को निम्नलिखित अंतरण किए जाते हैं :

(क) लेखांकन अनुसंधान  
भवन निधि से

लेखांकन अनुसंधान भवन निधि से संबंधित भवन निधि में  
अभिवृद्धियों की लागत (कटौतियों का शुद्ध, यदि कोई हों) का  
100 प्रतिशत

(ख) शिक्षा निधि से

नियत आस्तियों को, अभिवृद्धियों की लागत (कटौतियों का  
शुद्ध, यदि कोई हों) का 50 प्रतिशत

तथापि, पूर्वोक्त विभिन्न आरक्षितियों/निधियों का विनियोग उपलब्ध अधिशेष की रकम तक निर्बंधित करते हुए, यथानुपात आधार पर किया जाता है।

vi) निवेशों से होने वाली आय को प्रारंभिक अतिशेषों के आधार पर, भारत औसत का आधार बनाते हुए अभिहित और निर्बंधित निधियों को आबंटित किया जाता है।

vii) वर्ष के दौरान प्राप्त सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण (आईटीटी)/समुन्नत सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम फीस के 25 प्रतिशत को कंप्यूटरों तथा अन्य आईटीटी केंद्र अवसंरचना के प्रतिस्थापन हेतु अन्य निधियों में अंतरित किया जाता है।

viii) वर्ष के लिए अवक्षयण के समतुल्य राशि (आईटीटी निधि को अंतरित रकम को छोड़कर) को आस्तियों की मरम्मत और प्रतिस्थापन हेतु सिंकिंग निधि में अंतरित किया जाता है।

ix) निर्बंधित निधियों को किए जाने वाला अभिदाय, उसे कोर्पस के रूप में मानते हुए सीधे निधियों में ले जाया जाता है।

## 2.07 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर को उस समय मान्यता प्रदान की जाती है जब यह संभावना हो कि मद से सहबद्ध भावी आर्थिक फायदे संस्थान को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का कथन संचयी अवक्षयण और संचयी हानिकरण हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की लागत में उसकी क्रय कीमत, किन्हीं व्यापार बट्टों और छूटों के शुद्ध, आयात शुल्कों और अन्य करों (कर प्राधिकारियों से पश्चातवर्ती रूप से वसूलनीय से भिन्न) सहित सम्मिलित होती है, जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से आस्ति को उसके आशयित उपयोग हेतु तैयार करने के लिए होने वाले व्यय से प्रत्यक्षतः जोड़ा जा सकता है। आशयित उपयोग हेतु आस्ति को तैयार किए जाने की तारीख तक अर्हित संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के अर्जन के संबंध में होने वाले अन्य अनुषंगी व्ययों और उसके संबंध में लिए गए उधारों पर व्याज का भी पूंजीकरण किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के क्रय/पूरा होने के पश्चात् होने वाले पश्चातवर्ती व्यय का पूंजीकरण केवल तब किया जाता है, यदि ऐसे व्यय के परिणामस्वरूप ऐसी आस्ति के भावी फायदों में, उसके पूर्व में प्राक्कलित कार्यपालन के मानक में वृद्धि होती है।

## 2.08 अमूर्त आस्तियां

अमूर्त आस्तियों का कथन, संचयी परिशोधन और संचयी हानिकरण, यदि कोई हों, को घटाकर लागत पर किया जाता है। किसी अमूर्त आस्ति की लागत में, उसकी क्रय लागत, छूट और बट्टों के शुद्ध के रूप में सम्मिलित होती है, जिसके अंतर्गत लगने वाले आयात शुल्क और अन्य कर (उनसे भिन्न, जो पश्चातवर्ती रूप से कर अधिकारियों से वसूलनीय होते हैं), किसी आस्ति को उसके आशयित उपयोग हेतु तैयार करने के लिए होने वाली कोई प्रत्यक्ष लागत भी है तथा किसी आस्ति को उसके आशयित उपयोग के लिए तैयार करने हेतु होने वाली कोई प्रत्यक्ष लागत, अन्य अनुषंगी व्यय और आशयित उपयोग के लिए आस्ति के तैयार होने की तारीख तक अर्हित आस्तियों के अर्जन के मद्दे लिए गए उधारों पर व्याज भी है। अमूर्त आस्तियों के क्रय/उनके पूर्ण होने के पश्चात् उनसे संबंधित पश्चातवर्ती व्यय को केवल उस दशा में पूंजीकृत किया जाता है, यदि ऐसे व्ययों के परिणामस्वरूप उसके पूर्व में निर्धारित कार्यपालन संबंधी मानक से परे ऐसी आस्ति से होने वाले किन्हीं भावी फायदों में वृद्धि होती है।

## 2.09 चालू पूंजी संकर्म

ऐसी आस्तियों के, जो उनके आशयित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, संनिर्माण/विकास पर उपगत व्यय को, चालू पूंजी संकर्म के अधीन हानिकरण, यदि कोई हों, को घटाकर लागत पर संगणित किया जाता है। इस लागत में, सामग्रियों की क्रय लागत सम्मिलित होती है, जिसके अंतर्गत लागतों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े आयात-शुल्क और गैर-प्रतिदेय कर भी हैं।

## 2.10 अवक्षयण और परिशोधन

क) आस्तियों के संबंध में अवक्षयणीय रकम आस्ति की लागत या लागत के रूप में प्रतिस्थापित अन्य रकम है।

संपत्ति/संयंत्र और उपस्कर पर अवक्षयण को संस्थान की परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित निम्नलिखित दरों पर मासिक रूप से अपलिखित मूल्य पद्धति पर उपलब्ध कराया जाता है।

|       | संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का वर्ग                                              | अवक्षयण की दर |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| i)    | भवन                                                                             | 5%            |
| ii)   | लिफ्ट, इलैक्ट्रिकल प्रतिष्ठापन, सोलर पैनल और फिटिंग्स                           | 10%           |
| iii)  | कंप्यूटर                                                                        | 60%           |
| iv)   | फर्नीचर और फिक्सचर                                                              | 10%           |
| v)    | वातानुकूलक और कार्यालय उपस्कर                                                   | 15%           |
| vi)   | वाहन                                                                            | 20%           |
| vii)  | वर्ष के दौरान क्रय की गई पुस्तकालय की पुस्तकों पर 100% अवक्षयण दिया जाता है।    |               |
| viii) | मोबाइल फोनों का अवक्षयण 3 वर्ष की अवधि में स्ट्रेट लाइन पद्धति से किया जाता है। |               |

ख) पट्टाधृत भूमि पर भवनों की अग्रनीत रकम का परिशोधन पट्टे की अवधि के आधार पर किया जाता है।

ग) अमूर्त आस्तियों का परिशोधन उनके प्राक्कलित उपयोगी जीवन के आधार पर तीन वर्ष तक स्ट्रेट लाइन पद्धति पर किया जाता है।

## 2.11 राजस्व मान्यता

राजस्व को निम्नानुसार मान्यता प्रदान की जाती है :

- छात्रों से प्राप्त दूरस्थ शिक्षा फीस को संबद्ध पाठ्यक्रमों की अवधि के आधार पर अनुपाततः मान्यता प्रदान की जाती है।
- कक्षा प्रशिक्षण फीस में प्रबंध और संसूचना कौशल पाठ्यक्रम ("एमसीएस"), सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों संबंधी एकीकृत पाठ्यक्रम ("आईसीआईटीएसएस"), समुन्नत सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों संबंधी एकीकृत पाठ्यक्रम ("एआईसीआईटीएसएस") और अनुकूलन कार्यक्रम ("ओपी") के लिए प्राप्त फीस सम्मिलित होती है। कक्षा प्रशिक्षण और कोचिंग कक्षाओं संबंधी आय को उस समय मान्यता प्रदान की जाती है, जब सेवाओं को प्रदान किया जाता है और संबद्ध लागतों को उपगत किया जाता है।

- iii) परीक्षा फीस को उस समय राजस्व के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जब संस्थान संबद्ध सेवा प्रदान करता है, अर्थात् जब परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है।
- iv) संगोष्ठी फीस को उस समय राजस्व के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जब संस्थान संबद्ध सेवा प्रदान करता है, अर्थात् जब संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है।
- v) वार्षिक सदस्यता फीस (जिसके अंतर्गत व्यवसाय प्रमाण-पत्र और उसे पुनः स्थापित करने की फीस भी सम्मिलित है) और प्रवेश फीस से मिलकर बनने वाली सदस्यता फीस को निम्नानुसार मान्यता प्रदान की जाती है :
  - (क) वार्षिक सदस्यता फीस (जिसके अंतर्गत व्यवसाय प्रमाणपत्र के लिए फीस भी है) को उस समय आय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जब वह वर्ष के दौरान शोध्य हो जाती है। सदस्य के नाम को पुनः प्रविष्ट करने संबंधी फीस को, उसके प्राप्त होने पर मान्यता प्रदान की जाती है।
  - (ख) प्रवेश और दाखिला फीस :
    - सहबद्ध सदस्यों से प्राप्त प्रवेश फीस और अध्येता सदस्यों से प्राप्त दाखिला फीस को प्रवेश के समय आय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।
- vi) अर्हता-पश्च पाठ्यक्रमों और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों से प्राप्त राजस्वों को उस अवधि में मान्यता प्रदान की जाती है, जिसमें सेवाएं दी जाती हैं।

## 2.12 अन्य आय

- क) प्रकाशनों और अन्य सबद्ध मदों के विक्रय से होने वाली आय को उस समय मान्यता प्रदान की जाती है जब जोखिम और पुरस्कारों को क्रेता को अंतरित किया जाता है, जो सामान्यतः माल के परिदान के समय होता है।
- ख) छात्र न्यूज लैटर और जर्नल के अभिदाय से होने वाली आय को अभिदाय की अवधि के अनुसार अनुपाततः मान्यता प्रदान की जाती है।
- ग) कैम्पस साक्षात्कारों और विशेषज्ञ सलाहकार फीस से होने वाली आय को उस समय मान्यता दी जाती है, जब सेवाएं प्रदान की जाती हैं और संबद्ध लागतों को उपगत किया जाता है।
- घ) व्याज संबंधी आय को अनुपातिक आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है।
- ङ) वर्ष के दौरान भवनों के लिए प्राप्त संदानों को उनकी प्राप्ति के वर्ष में मान्यता प्रदान की जाती है।
- च) छात्रों से छात्र पंजीकरण फीस के मद्दे प्राप्त फीस में से, 1 अप्रैल, 2009 के पश्चात् पंजीकृत छात्रों की बाबत 250/- रुपए प्रति छात्र की राशि चार्टर्ड अकाउंटेंट छात्र कल्याण निधि में जमा की जाती है।
- छ) सदस्यों से चार्टर्ड अकाउंटेंट कल्याण निधि (सीएबीएफ) के मद्दे प्राप्त संदानों को संदेय के रूप में लेखबद्ध किया जाता है और इसी प्रकार सदस्यों को उनके दावों के मद्दे उसकी ओर से संदत्त वित्तीय सहायता को प्राप्तियों के रूप में लेखबद्ध किया जाता है। सीएबीएफ के साथ लेखाओं का नियमित आधार पर सुमेलन किया जाता है।

ज) प्रमाणपत्र/अर्हता-पत्र पाठ्यक्रम/ डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रारंभ से पूर्व उसके रद्द हो जाने की दशा में 10% फीस की कटौती की जाती है और पाठ्यक्रम के प्रारंभ हो जाने की दशा में किसी भी प्रकार से फीस का प्रतिदाय नहीं किया जाता है किंतु सदस्य को यह विकल्प दिया जाता है कि वह पश्चातवर्ती बैचों में पाठ्यक्रम के शेष भाग को पूरा कर सकता है।

## 2.13 निवेश

क) संस्थान के निवेशों में केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा जारी घरेलू सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में लिखतें, भारत में अधिवासी अनुसूचित बैंकों में सावधि निक्षेप और लाभ न कमाने वाले अस्तित्वों के शेयर सम्मिलित होते हैं।

ख) निवेशों को एएस 13, “निवेश का लेखा-जोखा” के अनुसार चालू और दीर्घकालिक निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। चालू निवेश वे हैं, जिन्हें सुगमता से वसूल किया जा सकता है और उन्हें, निवेश किए जाने की तारीख से एक वर्ष से अनधिक अवधि तक धारित करने का आशय रखा जाता है। दीर्घकालिक निवेश कोई ऐसा निवेश है, जो चालू निवेश से भिन्न है।

ग) निवेशों को प्रारंभिक रूप से लागत पर लेखबद्ध किया जाता है और इस लागत में अर्जन की लागतें, जैसे दलाली, फीस और शुल्क सम्मिलित होते हैं। क्रय के समय संदत्त प्रोदभूत ब्याज का मुजरा ब्याज की प्राप्ति के प्रति किया जाता है।

घ) केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा जारी घरेलू सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में निवेश का उपयोग मुक्त रूप से परिषद् के विवेक पर उपलब्ध है, सिवाय उद्दिष्ट निधियों के योग की सीमा तक।

ङ) प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को चालू निवेशों को लागत और उचित मूल्य के निम्नतर पर अग्रणीत किया जाता है। उचित मूल्य का अवधारण व्यष्टिक आधार पर किया जाता है। दीर्घकालिक निवेशों को प्रायः लागत पर अग्रणीत किया जाता है। तथापि, जब दीर्घकालिक निवेशों के मूल्य में अस्थायी से भिन्न कोई कमी होती है तो कमी को मान्यता प्रदान करने के लिए अग्रणीत मूल्य को कम किया जाता है। क्रय के समय संदत्त प्रीमियम का परिशोधन निवेशों की शेष परिपक्वता की अवधि हेतु किया जाता है। प्रीमियम के परिशोधन को ‘निवेशों से ब्याज’ शीर्ष के अधीन आय के प्रति समायोजित किया जाता है।

## 2.14 विदेशी मुद्रा संव्यवहार

विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को, संव्यवहार की तारीख को लागू विनिमय दरों पर लेखांकित किया जाता है।

तुलन-पत्र की तारीख को बकाया विदेशी मुद्रा धनीय मदों को वर्ष के अंत में विद्यमान दरों पर पुनः कथित किया जाता है। संस्थान की गैर-धनीय मदों का लेखांकन ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है।

संस्थान की विदेशी शाखा को अभिन्न विदेशी प्रचालन माना जाता है। शाखा के वित्तीय विवरणों को इस प्रकार उपदर्शित किया जाता है, मानो शाखा के संव्यवहार संस्थान के संव्यवहार हैं। धनीय आस्तियों और दायित्वों को अंतिम विनिमय दर पर उपदर्शित किया जाता है, जबकि गैर-धनीय मदों को ऐतिहासिक विनिमय दरों पर उपदर्शित किया जाता है। आय और व्यय को, उनके संव्यवहारों की तारीखों को विद्यमान विनिमय दरों या जहां ऐसी दरें वास्तविक दरों की अनुमानित दरें हैं, वहां औसत दरों पर उपदर्शित किया जाता है। उपदर्शित किए जाने पर उद्भूत विनिमय अंतरों को आय और व्यय के विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है।



## 2.15 कर्मचारी फायदे

कर्मचारी फायदों में भविष्य निधि, उपदान निधि, प्रतिपूरित अनुपस्थिति, दीर्घ सेवा पुरस्कार, पेंशन स्कीम और सेवा-पश्च चिकित्सीय फायदे सम्मिलित हैं।

### i) अल्पकालिक कर्मचारी फायदे/ और अन्य फायदे

अल्पकालिक कर्मचारी फायदों (जैसे कि वेतन, भत्ते, अनुग्रह आदि) की बढ़ा रहित रकम को, कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बदले संदत्त किए जाने की आशा की जाती है, जिसे वर्ष के दौरान उस समय मान्यता प्रदान की जाती है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करते हैं। अल्पकालिक कर्मचारी फायदे संभावी रूप से उस अवधि के अंत के बारह मास के भीतर उत्पन्न होते हैं, जिसमें पात्र कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

अल्पकालिक प्रतिपूरित अनुपस्थिति की लागत को निम्नानुसार लेखांकित किया जाता है:

क) संचयित प्रतिपूरित अनुपस्थितियों की दशा में, जब कर्मचारी ऐसी सेवाएं प्रदान करते हैं, जो उनकी भावी प्रतिपूरित अनुपस्थितियों की हकदारी में वृद्धि करती हैं; और

ख) गैर-संचयित एकत्रित प्रतिपूरित अनुपस्थितियों की दशा में, जब अनुपस्थितियां दर्ज की जाती हैं।

### ii) नियोजन पश्च फायदे

नियोजन पश्च फायदे कर्मचारियों को दिए जाने वाले ऐसे फायदे हैं, जो सेवा समापन फायदों से भिन्न हैं और जो नियोजन के पूरा होने के पश्चात् संदेय होते हैं। नियोजन पश्च फायदों का लेखांकन, सुसंगत योजनाओं के वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसे कि उन्हें या तो परिभाषित फायदा योजना (डीबीपी) या परिभाषित अभिदाय योजना (डीसीपी) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नियोजन पश्च फायदा योजनाएं, जहां संस्थान किसी पृथक् अस्तित्व या निधि को किन्हीं नियत अभिदायों का संदाय करता है और वह उस दशा में किन्हीं अन्य अभिदायों को करने की बाध्यताओं के अधीन नहीं होगा यदि पृथक् अस्तित्व या निधि के पास चालू और पूर्व अवधि में कर्मचारी की सेवा से संबंधित सभी कर्मचारी फायदों का संदाय करने के लिए पर्याप्त आस्तियां विद्यमान नहीं हैं। दूसरी ओर, डीसीपी के रूप में वर्गीकृत योजनाओं से भिन्न नियोजन पश्च फायदा योजनाओं को डीबीपी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

### परिभाषित फायदा योजनाएं

#### क) उपदान

उपदान और सेवानिवृत्ति पश्च पेंशन के रूप में परिभाषित फायदा योजनाओं के लिए, फायदे उपलब्ध कराने की लागत का अवधारण प्रक्षेपित यूनिट प्रत्यय पद्धति का उपयोग करते हुए किया जाता है, जिसके दौरान प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। बीमांकिक अभिलाभों और हानियों को उस अवधि के आय और व्यय विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है, जिसमें वे उद्भूत होते हैं। पूर्व सेवा संबंधी लागत को, फायदों के पहले से ही निहित किए जाने की सीमा तक तुरंत मान्यता प्रदान की जाती है और उन्हें अन्यथा फायदों के निहित हो जाने तक की औसत अवधि के अनुसार सीधी कटौती पद्धति के आधार पर परिशोधित किया जाता है। मान्य ठहराई गई सेवानिवृत्ति फायदे संबंधी

बाध्यता, गैर-मान्यताप्राप्त पूर्व सेवा लागत के लिए यथा समायोजित परिभाषित फायदा बाध्यता के वर्तमान मूल्य को उपदर्शित करती है, जिसमें से स्कीम संबंधी अस्तियों के उचित मूल्य को घटा दिया गया हो। इस परिगणना के पारिणामिक कोई आस्ति, पूर्व सेवा लागत धन उपलब्ध प्रतिदायों और स्कीमों में भावी अभिदायों में कमी के वर्तमान मूल्य तक सीमित है। उपदान संबंधी दायित्व को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।

#### ख) भविष्य निधि

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान भविष्य निधि न्यास ('न्यास') को भविष्य निधि स्कीम के मद्दे किए गए अभिदाय को चालू वर्ष के लिए परिभाषित फायदा योजना के रूप में विचार में लिया जाता है और उसे एक ऐसे व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है, जो किए जाने के लिए अपेक्षित अभिदाय की रकम पर आधारित है, जब पात्र कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इस न्यास का प्रबंध संस्थान द्वारा निर्वाचित शासी निकाय द्वारा किया जाता है और वह ऐसे दावों का समाधान करता है, जब कभी वे उदभूत होते हैं। भविष्य निधि न्यास के बीमांकिक दायित्व से उदभूत किसी कमी और मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष के दौरान निवेश से फायदों में किसी कमी का न्यास द्वारा दावा किया जाता है तथा उसका संदाय संस्थान द्वारा किया जाता है।

#### ग) पेंशन स्कीम

संस्थान अपने पात्र कर्मचारियों को पेंशन के रूप में कर्मचारी फायदों की प्रस्थापना करता है। तुलन-पत्र की तारीख को इस बाध्यता के वर्तमान मूल्य को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। पेंशन संबंधी दायित्व को भारतीय जीवन बीमा निगम से वित्तपोषित किया जाता है।

#### घ) सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पति-पत्नी को सेवानिवृत्ति पश्च चिकित्सा स्कीम फायदा

संस्थान अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा स्कीम के रूप में कर्मचारी फायदों की प्रस्थापना करता है। तुलन-पत्र की तारीख को यथा विद्यमान इस बाध्यता के वर्तमान मूल्य को रिपोर्टिंग तारीख को सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पति-पत्नी के बीमांकिक मूल्य निर्धारण के आधार पर मान्यता प्रदान की जाएगी। इस दायित्व का वित्तपोषण कर्मचारी कल्याण निधि से किया जाता है।

#### ङ) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी फायदे – प्रतिपूरित अनुपस्थिति

ऐसी प्रतिपूरित अनुपस्थितियां, जिनकी उस अवधि के अंत के पश्चात् बारह मास के भीतर उत्पन्न होने की संभावना नहीं है, जिसमें कर्मचारी द्वारा दी गई संबद्ध सेवाओं को तुलन-पत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर परिभाषित फायदा बाध्यता के वर्तमान मूल्य पर एक दायित्व के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

### च) दीर्घ सेवा पुरस्कार

संस्थान अपने पात्र कर्मचारियों को विनिर्दिष्ट वर्षों की सेवा पूरी करने के पश्चात् नकद पुरस्कार प्रदान करता है, जिसे दीर्घकालिक कर्मचारी फायदे के रूप में विचार में लिया जाता है। संबद्ध दायित्व को तुलन-पत्र की तारीख को यथाविद्यमान वीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है तथा आय और व्यय के विवरण में प्रभारित किया जाता है।

### परिभाषित अभिदाय योजनाएं

#### (क) राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (एनपीएस)

संस्थान, राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (एनपीएस), जो एक परिभाषित अभिदाय सेवानिवृत्ति फायदा स्कीम है, जिसका प्रशासन पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा किया जाता है, को अभिदाय करता है। संस्थान द्वारा दिए गए अभिदाय को उस अवधि में आय और व्यय के विवरण में प्रभारित किया जाता है, जिसमें कर्मचारी संबद्ध सेवा प्रदान करता है। संस्थान की, स्कीम के प्रति विनिर्दिष्ट अभिदाय करने से परे कोई और बाध्यता नहीं है। असंदत्त अभिदाय, यदि कोई हो, को रिपोर्ट किए जाने की तारीख को दायित्व के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

### 2.16 पट्टे

संस्थान लेखांकन और प्रकटन प्रयोजनों के लिए पट्टों को वित्त और प्रचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत करता है। ऐसे पट्टों को, जहां संस्थान स्वामित्व संबंधी सभी जोखिम और पुरस्कारों को सारवान रूप से स्वीकार करता है, वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे पट्टों को, जहां पट्टाकर्ता और न कि संस्थान स्वामित्व संबंधी सभी जोखिम और पुरस्कारों को सारवान रूप से स्वीकार करता है, प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

प्रचालन पट्टों के अधीन पट्टा किरायों को पट्टे की अवधि के अनुसार सीधे कटौती पद्धति के आधार पर आय और व्यय के विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है। वित्तीय पट्टे की दशा में, आस्तियों को पट्टाकृत आस्ति के उचित मूल्य और न्यूनतम पट्टा संदाय के वर्तमान मूल्य के निम्नतर पर पूंजीकृत किया जाता है। पट्टा संबंधी संदायों को वित्तीय प्रभार और पट्टा दायित्व के पुनः संदाय के बीच परिशोधित किया जाता है। पट्टाधृत आस्तियों का अवक्षयण पट्टे की अवधि या आस्ति के उपयोगी जीवन के निम्नतर पर किया जाता है।

### 2.17 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा अर्मुत आस्तियों का हानिकरण

प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को आस्तियों के अग्रेषण मूल्य को हानिकरण हेतु पुनर्विलोकित किया जाता है। यदि हानिकरण का कोई संकेत विद्यमान होता है तो ऐसी आस्तियों की वसूलनीय रकम को प्राक्कलित किया जाता है और हानिकरण को उस समय मान्यता प्रदान की जाती है, यदि इन आस्तियों की अग्रणीत रकम उनकी वसूलनीय रकम से अधिक हो जाती है। वसूलनीय रकम, शुद्ध विक्रय कीमत और उनके उपयोग मूल्य दोनों में से उच्चतर है। उपयोग मूल्य की गणना, भावी नकद प्रवाहों को एक समुचित बट्टा कारक के आधार पर बट्टा देते हुए उनके वर्तमान मूल्य के आधार पर की जाती है। जब इस बात का कोई संकेत प्राप्त होता है कि किसी आस्ति के लिए पूर्ववर्ती लेखांकन अवधियों के दौरान

मान्यता प्रदान किया गया हानिकरण अब विद्यमान नहीं है या उसमें कोई कमी आई है तो ऐसे हानिकरण की वापसी को आय और व्यय के विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है।

## 2.18 आय पर कर

संस्थान आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के पहले परंतुक के खंड (i)/12कख(1)(ख) के अधीन वित्तीय वर्ष/कर वर्ष 2030-31 तक आय-कर से छूट के लिए रजिस्ट्रीकृत है। इस प्रकार, चालू आय-कर और आस्थगित कर के लिए कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

## 2.19 प्रावधान और आकस्मिकताएं

किसी प्रावधान को उस समय मान्यता दी जाती है, जब किन्हीं पूर्व घटनाओं के परिणामस्वरूप संस्थान की कोई बाध्यता विद्यमान है और इस बात की संभावना है कि ऐसी बाध्यता को पूरा करने के लिए संसाधनों का बहिर्गमन अपेक्षित होगा, जिसके संबंध में कोई विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सकता है।

आकस्मिक दायित्व ऐसी संभाव्य बाध्यता है, जो किन्हीं पूर्व घटनाओं से उद्भूत होती है और जिसकी विद्यमानता की पुष्टि एक या अधिक अनिश्चित ऐसी भावी घटनाओं के घटित या घटित न होने पर निर्भर हो सकती है, जो पूर्णतया संस्थान के नियंत्रणाधीन नहीं है या जो कोई ऐसी वर्तमान बाध्यता है, जो किसी पूर्व घटना से उद्भूत हुई है, किंतु जिसे या तो इस कारण से कि यह संभाव्य नहीं है कि उस बाध्यता को पूरा करने के लिए आर्थिक फायदों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बहिर्गमन अपेक्षित होगा या इस कारण से कि बाध्यता को पूरा करने के लिए किसी रकम का विश्वसनीय प्राक्कलन नहीं किया जा सकता है, मान्यता प्रदान नहीं की गई है। आकस्मिक दायित्वों को संस्थान के पूर्व अनुभव के आधार पर, जब समायोजन में बहिर्गमन की संभावना अत्यंत क्षीण हो, तब मान्यता प्रदान नहीं की जाती है।

आकस्मिक आस्तियों को न तो मान्यता प्रदान की जाती है और न ही उनका प्रकटन किया जाता है।

## टिप्पण # 03 आरक्षितियां और अधिशेष

(रुपए लाख में)

| विशिष्टियां                                                                     | 31 मार्च को<br>यथाविद्यमान | साधारण<br>आरक्षिती | शिक्षा आरक्षिती | अवसंरचना आरक्षिती | आईटीटी<br>आरक्षिती | अन्य आरक्षिती | योग      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------|----------|
| वर्ष के आरंभ में अधिशेष                                                         | 2026                       | 1,10,917           | 61,410          | 8,799             | 10,954             | 1,017         | 1,93,097 |
|                                                                                 | 2025                       | 1,10,974           | 56,783          | 8,546             | 10,249             | 1,047         | 1,87,599 |
| जोड़ें: आय और व्यय विवरण से विनियोग                                             | 2026                       | -                  | -               | 373               | 929                | -             | 1,302    |
|                                                                                 | 2025                       | -                  | -               | 254               | 705                | -             | 959      |
| साधारण आरक्षिती, शिक्षा अवसंरचना आरक्षिती आईटीटी और अन्य आरक्षिती से/(को) अंतरण | 2026                       | -                  | 250             | -                 | (250)              | -             | -        |
|                                                                                 | 2025                       | -                  | -               | -                 | -                  | -             | -        |
| अभिहित निधियों से/(को) अंतरण (टिप्पण # 04)                                      | 2026                       | (36)               | 11,771          | 3                 | -                  | (3)           | 11,735   |
|                                                                                 | 2025                       | (57)               | 4,627           | (1)               | -                  | (30)          | 4,539    |
| भवनों के लिए प्राप्त दान                                                        | 2026                       | -                  | -               | 4                 | -                  | -             | 4        |
|                                                                                 | 2025                       | -                  | -               | -                 | -                  | -             | -        |
| (उपयोग)/परिवर्धन                                                                | 2026                       | 8                  | -               | (114)             | -                  | -             | (106)    |
|                                                                                 | 2025                       | -                  | -               | -                 | -                  | -             | -        |
| वर्ष के अंत में अधिशेष                                                          | 2026                       | 1,10,889           | 73,431          | 9,065             | 11,633             | 1,014         | 2,06,032 |
|                                                                                 | 2025                       | 1,10,917           | 61,410          | 8,799             | 10,954             | 1,017         | 1,93,097 |

## टिप्पण # 04 अभिहित निधियां

(रुपए लाख में)

| विशिष्टियां                                                              | 31 मार्च को<br>यथा<br>विद्यमान | अनुसंधान<br>निधि | लेखांकन<br>अनुसंधान भवन<br>निधि | शिक्षा निधि | छात्र<br>छात्रवृत्ति<br>कारपस<br>निधि | आस्तियों की मरम्मत<br>और प्रतिस्थापन के लिए<br>सिंकिंग निधि | कर्मचारी<br>कल्याण निधि | प्रादेशिक परिषदों<br>और शाखाओं की<br>अन्य निधियां | योग      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| वर्ष के प्रारंभ में अतिशेष                                               | 2026                           | 4,055            | 1,490                           | 71,922      | 11,273                                | 43,871                                                      | 1,912                   | 8,254                                             | 1,42,777 |
|                                                                          | 2025                           | 3,901            | 1,392                           | 71,922      | 11,794                                | 41,305                                                      | 1,825                   | 7,885                                             | 1,40,024 |
| जोड़े : आय और व्यय के विवरण से विनियोग                                   | 2026                           |                  |                                 | 5,236       |                                       | 2,016                                                       | 73                      |                                                   | 7,325    |
|                                                                          | 2025                           |                  |                                 | 1,892       |                                       | 995                                                         | 51                      |                                                   | 2,938    |
| साधारण आरक्षिती और अधिशेष से/(को) अंतरण<br>(टिप्पण # 03)                 | 2026                           | -                | -                               | (51,771)    | 40,000                                | -                                                           | -                       | 36                                                | (11,735) |
|                                                                          | 2025                           | -                | -                               | (4,627)     | -                                     | -                                                           | -                       | 88                                                | (4,539)  |
| वर्ष के दौरान प्राप्त अभिदाय/ परिवृद्धि                                  | 2026                           | 6                | 5                               | -           | -                                     | -                                                           | -                       | 116                                               | 127      |
|                                                                          | 2025                           | -                | -                               | -           | -                                     | -                                                           | -                       | 264                                               | 264      |
| वर्ष के दौरान आय और व्यय के विवरण के माध्यम<br>से विनियोग की गई व्याज आय | 2026                           | 217              | 77                              | 3,928       | 2,255                                 | 2,396                                                       | 104                     | 169                                               | 9,146    |
|                                                                          | 2025                           | 154              | 98                              | 2,735       | 448                                   | 1,571                                                       | 69                      | 17                                                | 5,092    |
| वर्ष के दौरान उपयोजित                                                    | 2026                           | -                | -                               | -           | (2,699)                               | -                                                           | (64)                    | (2)                                               | (2,765)  |
|                                                                          | 2025                           | -                | -                               | -           | (969)                                 | -                                                           | (33)                    | -                                                 | (1,002)  |
| वर्ष के अंत में अतिशेष                                                   | 2026                           | 4,278            | 1,572                           | 29,315      | 50,829                                | 48,283                                                      | 2,025                   | 8,573                                             | 1,44,875 |
|                                                                          | 2025                           | 4,055            | 1,490                           | 71,922      | 11,273                                | 43,871                                                      | 1,912                   | 8,254                                             | 1,42,777 |

## टिप्पण # 05 निर्बंधित निधियां

(रुपए लाख में)

| विशिष्टियां                                                              | 31 मार्च को<br>यथा विद्यमान | छात्रों के लिए<br>पदक और<br>पुरस्कार निधि | छात्र<br>अक्षय निधि | योग  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------|------|
|                                                                          |                             |                                           |                     |      |
| वर्ष के प्रारंभ में अतिशेष                                               | 2026                        | 486                                       | 354                 | 840  |
|                                                                          | 2025                        | 446                                       | 343                 | 789  |
|                                                                          |                             |                                           |                     |      |
| वर्ष के दौरान प्राप्त अभिदाय/ परिवृद्धि                                  | 2026                        | 27                                        | 7                   | 34   |
|                                                                          | 2025                        | 21                                        | 2                   | 23   |
|                                                                          |                             |                                           |                     |      |
| वर्ष के दौरान आय और व्यय के विवरण के माध्यम से<br>विनियोग की गई ब्याज आय | 2026                        | 24                                        | 19                  | 43   |
|                                                                          | 2025                        | 36                                        | 28                  | 64   |
|                                                                          |                             |                                           |                     |      |
| वर्ष के दौरान उपयोजित                                                    | 2026                        | (33)                                      | (12)                | (45) |
|                                                                          | 2025                        | (17)                                      | (19)                | (36) |
|                                                                          |                             |                                           |                     |      |
| वर्ष के अंत में अतिशेष                                                   | 2026                        | 504                                       | 368                 | 872  |
|                                                                          | 2025                        | 486                                       | 354                 | 840  |

(रुपए लाख में)

| टिप्पण # 06 : दीर्घकालिक दायित्व   | 31 मार्च, 2026 को<br>यथाविद्यमान | 31 मार्च, 2025 को<br>यथाविद्यमान |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>अग्रिम प्राप्त शुल्क</b>        |                                  |                                  |
| (क) दूरस्थ शिक्षा फीस              | 6,209                            | 6,330                            |
| (ख) सदस्यता फीस                    | 1,123                            | 1,261                            |
| <b>योग अन्य दीर्घकालिक दायित्व</b> | <b>7,332</b>                     | <b>7,591</b>                     |

(रुपए लाख में)

| टिप्पण # 07 : प्रावधान                                   | दीर्घकालिक                       |                                  | अल्पकालिक                        |                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                          | 31 मार्च, 2026<br>को यथाविद्यमान | 31 मार्च, 2025<br>को यथाविद्यमान | 31 मार्च, 2026<br>को यथाविद्यमान | 31 मार्च, 2025<br>को यथाविद्यमान |
| <b>(क) कर्मचारी फायदों के लिए प्रावधान</b>               |                                  |                                  |                                  |                                  |
| (i) उपदान के लिए प्रावधान                                | 392                              | 895                              | 259                              | 322                              |
| (ii) पेंशन के लिए प्रावधान                               | -                                | 14,068                           | 1,721                            | 866                              |
| (iii) छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान                     | 6,404                            | 6,686                            | 492                              | 614                              |
| (iv) शाखा कर्मचारियों के लिए प्रावधान<br>(बीएचआरएस 2022) | -                                | -                                | 247                              | 247                              |
| (v) दीर्घ सेवा पुरस्कार के लिए प्रावधान                  | 224                              | -                                | 28                               | -                                |
| (vi) सेवानिवृत्ति के पश्च चिकित्सा फायदा प्रावधान        | 983                              | -                                | 65                               | -                                |
| (vii) भविष्य निधि के लिए प्रावधान                        | -                                | -                                | 307                              | -                                |
| <b>(ख) अन्य प्रावधान</b>                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| (i) पूंजीगत व्यय                                         | -                                | -                                | 388                              | 2                                |
| (ii) गैर पूंजीगत व्यय                                    | -                                | -                                | 4,504                            | 2,124                            |
| <b>कुल प्रावधान</b>                                      | <b>8,003</b>                     | <b>21,649</b>                    | <b>8,011</b>                     | <b>4,175</b>                     |



(रुपए लाख में)

| टिप्पण # 08 : देय                                                                                                                                                                                                                     | 31 मार्च, 2026 को<br>यथाविद्यमान | 31 मार्च, 2025 को<br>यथाविद्यमान |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| (क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के कुल बकाया शोध्य                                                                                                                                                                                  | 559                              | 1,411                            |
| (ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से भिन्न लेनदारों के कुल बकाया शोध्य                                                                                                                                                                | 4,500                            | 7,949                            |
| <b>कुल देय</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>5,059</b>                     | <b>9,360</b>                     |
| <b>इकाई के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत आपूर्तिकर्ताओं से संबंधित प्रकटीकरण</b>                                                                                                        |                                  |                                  |
| विशिष्टियां                                                                                                                                                                                                                           | 31 मार्च, 2026 को<br>यथाविद्यमान | 31 मार्च, 2025 को<br>यथाविद्यमान |
| (क) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई शेष राशि:                                                                                                                                                    |                                  |                                  |
| मूल                                                                                                                                                                                                                                   | 559                              | 1,411                            |
| ब्याज                                                                                                                                                                                                                                 | 0.35                             | 0.06                             |
| (ख) एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के निबंधनों के अनुसार क्रेता द्वारा संदत्त ब्याज की राशि, साथ ही प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए संदाय की राशि।                                                   | 25                               | 54                               |
| (ग) संदाय करने में विलंब की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जिसका भुगतान वर्ष के दौरान नियत दिन के पश्चात् किया गया है) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।                               | -                                | -                                |
| (घ) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में उपार्जित तथा असंदत्त ब्याज की राशि।                                                                                                                                                                 | 0.73                             | 0.60                             |
| (ङ) एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के अधीन कटौती योग्य व्यय की अस्वीकृति के प्रयोजन के लिए, आगामी वर्षों में भी बकाया और देय ब्याज की राशि, उस तारीख तक जब तक कि उपरोक्त ब्याज देय राशि वास्तव में लघु उद्यम को संदत्त नहीं कर दी जाती। | -                                | -                                |

टिप्पण देखें 29.08

(रुपए लाख में)

| टिप्पण # 09 : अन्य चालू दायित्व         | 31 मार्च, 2026 को<br>यथा विद्यमान | 31 मार्च, 2025 को<br>यथा विद्यमान |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>(क) अग्रिम में प्राप्त फीस</b>       |                                   |                                   |
| (i) दूरस्थ शिक्षा फीस                   | 20,298                            | 17,894                            |
| (ii) सदस्यता फीस                        | 641                               | 615                               |
| (iii) परीक्षा फीस                       | 6,763                             | 7,192                             |
| (iv) संगोष्ठी फीस :                     |                                   |                                   |
| क) सदस्य                                | 190                               | 140                               |
| ख) छात्र                                | 29                                | 8                                 |
| (v) कक्षा प्रशिक्षण फीस :               |                                   |                                   |
| क) सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण         | 515                               | 488                               |
| ख) सामान्य प्रबंधन और संचार कौशल        | 161                               | 146                               |
| ग) अनुकूलन                              | 219                               | 267                               |
| (vi) पुनरीक्षण कक्षाएं                  | 92                                | 62                                |
| (vii) अर्हता पश्च पाठ्यक्रम             | 154                               | 120                               |
| (viii) प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम             | 413                               | 371                               |
| (ix) अनुशासनात्मक शुल्क                 | 1                                 | 3                                 |
| (x) अन्य                                | 454                               | 153                               |
| <b>कुल योग (अ)</b>                      | <b>29,930</b>                     | <b>27,459</b>                     |
| <b>(ख) अन्य दायित्व</b>                 |                                   |                                   |
| (i) देय भविष्य निधि और वृत्तिक कर       | 519                               | 407                               |
| (ii) देय माल और सेवा कर                 | 737                               | 927                               |
| (iii) देय टीडीएस                        | 841                               | 887                               |
| (iv) प्रतिभूति और जमा किया गया बयाना धन | 1,824                             | 1,690                             |
| (v) अन्य देय                            | 652                               | 1,080                             |
| <b>कुल योग (आ)</b>                      | <b>4,573</b>                      | <b>4,991</b>                      |
|                                         |                                   |                                   |
| <b>कुल अन्य चालू दायित्व</b>            | <b>34,503</b>                     | <b>32,450</b>                     |

## टिप्पण # 10 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

(रुपए लाख में)

| विशिष्टियां /आस्तियां               | मूर्त आस्तियां            |               |               |               |                               |                    |                                            |            |                       |                 |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|
|                                     | पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि | पट्टाधृत भूमि | भवन           | कंप्यूटर      | कार्यालय उपस्कर और वातानुकूलक | फर्नीचर और फिक्सचर | लिफ्ट, इलैक्ट्रिकल प्रतिष्ठापन और फीटिंग्स | यान        | पुस्तकालय की पुस्तकें | योग             |
| <b>सकल ब्लॉक</b>                    |                           |               |               |               |                               |                    |                                            |            |                       |                 |
| 1 अप्रैल, 2025 को यथाविद्यमान       | 21,552                    | 12,404        | 54,794        | 9,466         | 9,356                         | 7,458              | 4,092                                      | 191        | 1,157                 | 1,20,470        |
| वर्ष के दौरान परिवृद्धियां          | 10,461                    | 1,173         | 7,664         | 780           | 2,051                         | 1,110              | 1,733                                      | -          | 21                    | 24,993          |
| कटौतियां/समायोजन #                  | -                         | (524)         | (915)         | (163)         | (32)                          | (21)               | (3)                                        | (3)        | (1)                   | (1,662)         |
| 1 अप्रैल 2024 को यथाविद्यमान        | 20,982                    | 12,050        | 51,461        | 8,453         | 7,775                         | 6,646              | 3,045                                      | 190        | 1,142                 | 1,11,744        |
| वर्ष के दौरान परिवृद्धियां          | 570                       | 1,669         | 3,337         | 1,107         | 1,694                         | 841                | 1,063                                      | 2          | 15                    | 10,298          |
| कटौतियां/समायोजन                    | -                         | (1,315)       | (4)           | (94)          | (113)                         | (29)               | (16)                                       | (1)        | -                     | (1,572)         |
| <b>31 मार्च 2026 को यथाविद्यमान</b> | <b>32,013</b>             | <b>13,053</b> | <b>61,543</b> | <b>10,083</b> | <b>11,375</b>                 | <b>8,547</b>       | <b>5,822</b>                               | <b>188</b> | <b>1,177</b>          | <b>1,43,801</b> |
| <b>31 मार्च 2025 को यथाविद्यमान</b> | <b>21,552</b>             | <b>12,404</b> | <b>54,794</b> | <b>9,466</b>  | <b>9,356</b>                  | <b>7,458</b>       | <b>4,092</b>                               | <b>191</b> | <b>1,157</b>          | <b>1,20,470</b> |
| <b>अवमूल्यन/समायोजन</b>             |                           |               |               |               |                               |                    |                                            |            |                       |                 |
| 1 अप्रैल, 2025 को यथाविद्यमान       | -                         | 2,001         | 18,973        | 8,404         | 5,592                         | 4,037              | 1,994                                      | 136        | 1,157                 | 42,294          |
| वर्ष के दौरान अवक्षयण               | -                         | 205           | 1,976         | 947           | 793                           | 419                | 332                                        | 10         | 21                    | 4,703           |
| कटौतियां/समायोजन*                   | -                         | (259)         | (500)         | (96)          | -                             | 22                 | 5                                          | -          | (1)                   | (829)           |
| 1 अप्रैल 2024 को यथाविद्यमान        | -                         | 1,794         | 17,223        | 7,940         | 5,100                         | 3,722              | 1,836                                      | 124        | 1,142                 | 38,881          |
| वर्ष के दौरान अवक्षयण               | -                         | 207           | 1,752         | 563           | 539                           | 323                | 165                                        | 13         | 15                    | 3,577           |

|                              |        |        |        |       |       |       |       |     |       |        |
|------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|--------|
| कटौतियां/समायोजन             | -      | -      | (2)    | (99)  | (47)  | (8)   | (7)   | (1) | -     | (164)  |
| 31 मार्च 2026 को यथाविद्यमान | -      | 1,947  | 20,449 | 9,255 | 6,385 | 4,478 | 2,331 | 146 | 1,177 | 46,168 |
| 31 मार्च 2025 को यथाविद्यमान | -      | 2,001  | 18,973 | 8,404 | 5,592 | 4,037 | 1,994 | 136 | 1,157 | 42,294 |
|                              |        |        |        |       |       |       |       |     |       |        |
| शुद्ध ब्लॉक                  |        |        |        |       |       |       |       |     |       |        |
| 31 मार्च 2026 को यथाविद्यमान | 32,013 | 11,106 | 41,094 | 828   | 4,990 | 4,069 | 3,491 | 42  | -     | 97,633 |
| 31 मार्च 2025 को यथाविद्यमान | 21,552 | 10,403 | 35,821 | 1,062 | 3,764 | 3,421 | 2,098 | 55  | -     | 78,176 |

# कटौतियों में पट्टाधृत भूमि से अन्य आस्तियों को अंतरित की गई रकम सम्मिलित है।

\* पूर्व वर्षों से संबंधित आधिक्य अवक्षयण को बहाल किया गया है।

(रुपए लाख में)

| टिप्पण #11. अमूर्त आस्तियां         |              |
|-------------------------------------|--------------|
| विशिष्टियां/आस्तियां                | योग          |
| <b>सकल ब्लॉक (सॉफ्टवेयर)</b>        |              |
| 1 अप्रैल 2025 को यथाविद्यमान        | 1,973        |
| वर्ष के दौरान परिवृद्धियां          | 328          |
| कटौतियां/समायोजन                    | (118)        |
| 1 अप्रैल 2024 को यथाविद्यमान        | 1,446        |
| वर्ष के दौरान परिवृद्धियां          | 548          |
| कटौतियां/समायोजन                    | (21)         |
| <b>31 मार्च 2026 को यथाविद्यमान</b> | <b>2,183</b> |
| <b>31 मार्च 2025 को यथाविद्यमान</b> | <b>1,973</b> |
| <b>परिशोधन/समायोजन</b>              |              |
| 1 अप्रैल 2025 को यथाविद्यमान        | 1,594        |
| वर्ष के दौरान परिशोधन               | 362          |
| कटौतियां/समायोजन                    | (16)         |
| 1 अप्रैल 2024 को यथाविद्यमान        | 1,406        |
| वर्ष के दौरान परिशोधन               | 210          |
| कटौतियां/समायोजन                    | (22)         |
| <b>31 मार्च 2026 को यथाविद्यमान</b> | <b>1,940</b> |
| <b>31 मार्च 2025 को यथाविद्यमान</b> | <b>1,594</b> |
| <b>शुद्ध ब्लॉक</b>                  |              |
| <b>31 मार्च 2026 को यथाविद्यमान</b> | <b>243</b>   |
| <b>31 मार्च 2025 को यथाविद्यमान</b> | <b>379</b>   |

## टिप्पण #12. चालू संकर्म

(रुपए लाख में)

| क) चालू पूंजी संकर्म                | 31 मार्च, 2026 को यथा विद्यमान | 31 मार्च, 2025 को यथा विद्यमान |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| प्रारंभिक अतिशेष                    | 10,618                         | 4,896                          |
| जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवृद्धियां | 3,772                          | 6,052                          |
| घटाएं : वर्ष के दौरान पूंजीकृत रकम  | (9,938)                        | (330)                          |
| <b>अंतिम अतिशेष</b>                 | <b>4,452</b>                   | <b>10,618</b>                  |
|                                     |                                |                                |
| ख) विकास के अधीन अमूर्त आस्तियां    | 31 मार्च, 2026 को यथा विद्यमान | 31 मार्च, 2025 को यथा विद्यमान |
| प्रारंभिक अतिशेष                    | 352                            | 487                            |
| जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवृद्धियां | 324                            | 352                            |
| घटाएं : वर्ष के दौरान पूंजीकृत रकम  | (317)                          | (487)                          |
| <b>अंतिम अतिशेष</b>                 | <b>359</b>                     | <b>352</b>                     |

## टिप्पण # 13. निवेश

(रुपए लाख में)

| गैर चालू निवेश<br>(लागत पर मूल्यांकित जब तक अन्यथा न कहा जाए) | प्रति शेयर<br>अंकित मूल्य | 31 मार्च, 2026 को यथा विद्यमान |           | 31 मार्च, 2025 को यथा विद्यमान |           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|
|                                                               |                           | यूनिट/शेयर की सं.              | बही मूल्य | यूनिट/शेयर की सं.              | बही मूल्य |
| <b>I) व्यापार निवेश</b>                                       |                           |                                |           |                                |           |
| सामान्य लिखतों में निवेश                                      |                           |                                |           |                                |           |
| i) आईसीएआई का दिवाला वृत्तिक संस्थान                          | 100                       | 10,00,000                      | 1,000     | 10,00,000                      | 1,000     |
| ii) निवेश आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन                | 100                       | 10,000                         | 10        | 10,000                         | 10        |
| iii) निवेश आईसीएआई सोशल ऑडिटर्स ऑफ इंडिया                     | 100                       | 2,00,000                       | 200       | 2,00,000                       | 200       |
| iv) निवेश आईसीएआई अंतर्राष्ट्रीय एडीआर केंद्र                 | 100                       | 1,00,000                       | 100       | -                              | -         |
| <b>कुल योग (i)</b>                                            |                           | -                              | 1,310     | -                              | 1,210     |
| <b>अन्य निवेश (कोट नहीं किए गए)</b>                           |                           |                                |           |                                |           |
| <b>II) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश</b>                      |                           |                                |           |                                |           |
| क) केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियां                             |                           |                                |           |                                |           |
| 1 6.67% भारत सरकार 2050 (1)                                   | 100                       | 25,00,000                      | 2,472     | 25,00,000                      | 2,471     |
| 2 6.67% भारत सरकार 2050 (2)                                   | 100                       | 30,00,000                      | 2,891     | 30,00,000                      | 2,887     |
| 3 6.67% भारत सरकार 2050 (3)                                   | 100                       | 20,00,000                      | 1,902     | 20,00,000                      | 1,898     |
| 4 6.67% भारत सरकार 2050 (4)                                   | 100                       | 10,00,000                      | 971       | 10,00,000                      | 970       |
| 5 6.67% भारत सरकार 2050 (5)                                   | 100                       | 75,00,000                      | 7,189     | 75,00,000                      | 7,176     |
| 6 6.67% भारत सरकार 2050 (6)                                   | 100                       | 30,00,000                      | 2,901     | 30,00,000                      | 2,897     |
| 7 6.67% भारत सरकार 2050 (7)                                   | 100                       | 50,00,000                      | 4,687     | 50,00,000                      | 4,674     |
| 8 6.67% भारत सरकार 2050 (8)                                   | 100                       | 15,00,000                      | 1,406     | 15,00,000                      | 1,402     |
| 9 6.67% भारत सरकार 2050 (9)                                   | 100                       | 50,00,000                      | 4,686     | 50,00,000                      | 4,674     |
| 10 6.76% भारत सरकार 2061                                      | 100                       | 10,00,000                      | 975       | 10,00,000                      | 974       |
| 11 6.99% भारत सरकार 2051                                      | 100                       | 25,00,000                      | 2,348     | 25,00,000                      | 2,342     |
| 12 7.16% भारत सरकार 2050                                      | 100                       | 10,00,000                      | 1,068     | 10,00,000                      | 1,071     |
| 13 7.26% जीएसईसी जनवरी 29                                     | 100                       | 75,00,000                      | 7,649     | 75,00,000                      | 7,703     |
| 14 7.40% भारत सरकार 2035 (1)                                  | 100                       | 5,00,000                       | 522       | 5,00,000                       | 525       |
| 15 7.40% भारत सरकार 2035 (2)                                  | 100                       | 5,00,000                       | 528       | 5,00,000                       | 531       |
| 16 7.54% भारत सरकार 2036 (1)                                  | 100                       | 20,00,000                      | 2,032     | 20,00,000                      | 2,036     |
| 17 7.54% भारत सरकार 2036 (2)                                  | 100                       | 15,00,000                      | 1,524     | 15,00,000                      | 1,527     |
| 18 7.57% जीएस 2033                                            | 100                       | 50,00,000                      | 5,303     | 50,00,000                      | 5,344     |
| 19 7.69% भारत सरकार 17/06/2043                                | 100                       | 30,00,000                      | 3,275     | 30,00,000                      | 3,291     |
| 20 7.69% भारत सरकार 2043                                      | 100                       | 25,00,000                      | 2,699     | 25,00,000                      | 2,710     |
| 21 7.72% भारत सरकार 2049                                      | 100                       | 50,00,000                      | 5,397     | 50,00,000                      | 5,414     |
| 22 7.73% भारत सरकार 2034                                      | 100                       | 5,00,000                       | 541       | 5,00,000                       | 545       |
| 23 8.17% भारत सरकार 2044                                      | 100                       | 25,00,000                      | 2,824     | 25,00,000                      | 2,841     |
| 24 8.17% सरकारी स्टॉक 2044                                    | 100                       | 50,00,000                      | 5,624     | 50,00,000                      | 5,658     |
| 25 8.24% भारत सरकार 2033                                      | 100                       | 5,00,000                       | 550       | 5,00,000                       | 556       |
| 26 8.24% सरकारी स्टॉक नवंबर, 33                               | 100                       | 50,00,000                      | 5,493     | 50,00,000                      | 5,557     |
| 27 8.30% भारत सरकार 2042 (1)                                  | 100                       | 20,00,000                      | 2,262     | 20,00,000                      | 2,278     |
| 28 8.30% भारत सरकार 2042 (2)                                  | 100                       | 10,00,000                      | 1,129     | 10,00,000                      | 1,136     |
| 29 8.30% भारत सरकार 2042 (3)                                  | 100                       | 5,00,000                       | 565       | 5,00,000                       | 569       |
| 30 8.30% जीएस 2042 (1)                                        | 100                       | 35,00,000                      | 3,973     | 35,00,000                      | 4,001     |
| 31 8.30% जीएस 2042 (2)                                        | 100                       | 15,00,000                      | 1,702     | 15,00,000                      | 1,715     |
| 32 8.30% भारत सरकार 2040                                      | 100                       | 45,00,000                      | 5,055     | 45,00,000                      | 5,094     |
| 33 8.33% भारत सरकार 2036 (1)                                  | 100                       | 10,00,000                      | 1,127     | 10,00,000                      | 1,139     |
| 34 8.33% भारत सरकार 2036 (2)                                  | 100                       | 19,00,000                      | 2,142     | 19,00,000                      | 2,165     |
| 35 8.33% भारत सरकार 2036 (3)                                  | 100                       | 25,00,000                      | 2,752     | 25,00,000                      | 2,777     |
| 36 8.83% भारत सरकार 2041 (1)                                  | 100                       | 10,00,000                      | 1,170     | 10,00,000                      | 1,181     |
| 37 8.83% भारत सरकार 2041 (2)                                  | 100                       | 15,00,000                      | 1,755     | 15,00,000                      | 1,771     |
| 38 8.83% सरकारी स्टॉक 2041                                    | 100                       | 10,00,000                      | 1,197     | 10,00,000                      | 1,209     |
| 39 9.23% भारत सरकार 23/12/2043 (1)                            | 100                       | 10,00,000                      | 1,212     | 10,00,000                      | 1,224     |
| 40 9.23% भारत सरकार 23/12/2043 (2)                            | 100                       | 10,00,000                      | 1,212     | 10,00,000                      | 1,224     |
| 41 9.23% भारत सरकार 23/12/2043 (3)                            | 100                       | 50,00,000                      | 6,122     | 50,00,000                      | 6,185     |
| 42 9.23% भारत सरकार 23/12/2043 (4)                            | 100                       | 20,00,000                      | 2,436     | 20,00,000                      | 2,461     |
| 43 7.09% जीएस 2074                                            | 100                       | 90,00,000                      | 8,950     | -                              | -         |
| 44 7.34% भारत सरकार 2064                                      | 100                       | 50,00,000                      | 5,025     | -                              | -         |
| <b>कुल योग</b>                                                |                           | -                              | 1,27,243  | -                              | 1,13,803  |

टिप्पण # 13. निवेश

(रुपए लाख में)

| गैर चालू निवेश<br>(लागत पर मूल्यांकित जब तक अन्यथा न कहा जाए) | प्रति शेयर अंकित<br>मूल्य | 31 मार्च, 2026 यथा विद्यमान |                 | 31 मार्च, 2025 यथा विद्यमान |                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
|                                                               |                           | यूनिट/शेयर की सं            | बही मूल्य       | यूनिट/शेयर की सं            | बही मूल्य       |
| <b>ख) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां</b>                         |                           |                             |                 |                             |                 |
| 1 6.61% मध्य प्रदेश एसडीएल 2037                               | 100                       | 5,00,000                    | 496             | 5,00,000                    | 496             |
| 2 6.68% हरियाणा एसडीएल                                        | 100                       | 25,00,000                   | 2,454           | 25,00,000                   | 2,451           |
| 3 7.88% आंध्र प्रदेश एसडीएल 2031                              | 100                       | 10,00,000                   | 1,044           | 10,00,000                   | 1,052           |
| 4 6.80% जम्मू-कश्मीर एसडीएल 2035                              | 100                       | 5,00,000                    | 502             | 5,00,000                    | 502             |
| 5 6.99% पश्चिम बंगाल एसडीएल 2036                              | 100                       | 5,00,000                    | 506             | 5,00,000                    | 506             |
| 6 7.08% आंध्र प्रदेश एसडीएल 2035                              | 100                       | 10,00,000                   | 1,006           | 10,00,000                   | 1,006           |
| 7 7.43% हरियाणा 09/03/2041                                    | 100                       | 5,00,000                    | 504             | 5,00,000                    | 504             |
| 8 6.96% तमिलनाडु एसडीएल 2056                                  | 100                       | 10,00,000                   | 978             | 10,00,000                   | 977             |
| 9 7.86% असम एसडीएल 2032 (2)                                   | 100                       | 20,80,000                   | 2,080           | 20,80,000                   | 2,080           |
| 10 7.94% हरियाणा एसडीएल 2034 (2)                              | 100                       | 19,50,000                   | 1,951           | 19,50,000                   | 1,951           |
| 11 7.50% हिमाचल प्रदेश एसडीएल 2036 (1)                        | 100                       | 20,00,000                   | 2,005           | 20,00,000                   | 2,006           |
| 12 7.50% हिमाचल प्रदेश एसडीएल 2036 (2)                        | 100                       | 10,00,000                   | 1,002           | 10,00,000                   | 1,002           |
| 13 7.85% मध्य प्रदेश एसडीएल 2032 (3)                          | 100                       | 25,00,000                   | 2,541           | 25,00,000                   | 2,547           |
| 14 7.70% बिहार एसजीएस 2031                                    | 100                       | 50,00,000                   | 5,002           | 50,00,000                   | 5,002           |
| 15 7.62% बिहार एसजीएस 2031                                    | 100                       | 10,00,000                   | 997             | 10,00,000                   | 997             |
| 16 7.76% मध्य प्रदेश एसडीएल 2037                              | 100                       | 2,94,300                    | 296             | 2,94,300                    | 296             |
| 17 7.74% राजस्थान एसडीएल 2039                                 | 100                       | 26,61,100                   | 2,671           | 26,61,100                   | 2,672           |
| 18 7.76% आंध्र प्रदेश एसडीएल 2037                             | 100                       | 20,51,600                   | 2,063           | 20,51,600                   | 2,064           |
| 19 7.75% तेलंगाना एसडीएल 2037                                 | 100                       | 44,19,100                   | 4,443           | 44,19,100                   | 4,445           |
| 20 7.46% महाराष्ट्र 13/09/2033                                | 100                       | 50,00,000                   | 4,953           | 50,00,000                   | 4,947           |
| 21 7.81% गुजरात एसजीएस 2032                                   | 100                       | 50,00,000                   | 5,043           | 50,00,000                   | 5,050           |
| 22 7.77% आंध्र प्रदेश एसजीएस 2035                             | 100                       | 9,00,000                    | 902             | 9,00,000                    | 902             |
| 23 7.75% राजस्थान एसजीएस 2036                                 | 100                       | 24,00,000                   | 2,404           | 24,00,000                   | 2,405           |
| 24 7.70% उत्तर प्रदेश एसजीएस 2035                             | 100                       | 17,85,000                   | 1,781           | 17,85,000                   | 1,781           |
| 25 7.70% उत्तर प्रदेश एसजीएस 2035                             | 100                       | 11,60,000                   | 1,159           | 11,60,000                   | 1,159           |
| 26 7.75% उत्तर प्रदेश एसजीएस 2034                             | 100                       | 2,58,100                    | 258             | 2,58,100                    | 259             |
| 27 7.75% उत्तर प्रदेश एसजीएस 2034 (1)                         | 100                       | 5,00,000                    | 501             | 5,00,000                    | 501             |
| 28 7.75% यूपी एसजीएस 2034                                     | 100                       | 10,00,000                   | 1,002           | 10,00,000                   | 1,002           |
| 29 7.71% जम्मू-कश्मीर एसजीएस 2048                             | 100                       | 42,50,000                   | 4,223           | 42,50,000                   | 4,222           |
| 30 7.72% जम्मू-कश्मीर एसजीएस 2043                             | 100                       | 2,00,000                    | 199             | 2,00,000                    | 199             |
| 31 6.63% टीएन एसडीएल 2035                                     | 100                       | 30,00,000                   | 2,796           | 30,00,000                   | 2,775           |
| 32 7.93% टीएस एसडीएल 2034                                     | 100                       | 5,00,000                    | 505             | 5,00,000                    | 506             |
| 33 7.70% यूपी एसडीएल 2034                                     | 100                       | 5,00,000                    | 501             | 5,00,000                    | 501             |
| <b>कुल योग</b>                                                |                           | -                           | <b>58,768</b>   | -                           | <b>58,765</b>   |
| <b>कुल अन्य निवेश [ ii= क)+ ख) ]</b>                          |                           | -                           | <b>1,86,011</b> | -                           | <b>1,72,568</b> |
| <b>वर्ष के अंत में कुल बाजार मूल्य:</b>                       |                           |                             | 1,78,543        |                             | 1,76,721        |
| कोट न किए गए अन्य निवेशों की कुल राशि                         |                           |                             | -               |                             | -               |
| निवेश के मूल्य में कमी के लिए समग्र प्रावधान                  |                           | -                           | <b>1,78,543</b> | -                           | <b>1,76,721</b> |
| <b>कुल गैर-चालू निवेश (i + ii)</b>                            |                           | -                           | <b>1,87,321</b> | -                           | <b>1,73,778</b> |

(रुपए लाख में)

| टिप्पण # 14 वस्तु सूची                                | 31 मार्च, 2026 को<br>यथाविद्यमान | 31 मार्च, 2025 को<br>यथाविद्यमान |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| (क) सदस्य संबंधित प्रकाशन (प्रावधान का शुद्ध)         | 258                              | 62                               |
| (ख) छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री (प्रावधान का शुद्ध) | 262                              | 921                              |
| (ग) लेखन सामग्री और भंडार                             | 30                               | 31                               |
| <b>योग</b>                                            | <b>550</b>                       | <b>1,014</b>                     |

(रुपए लाख में)

| टिप्पण # 15 ऋण और अग्रिम                    | दीर्घकालिक                       |                                  | अल्पकालिक                        |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                             | 31 मार्च, 2026<br>को यथाविद्यमान | 31 मार्च, 2025<br>को यथाविद्यमान | 31 मार्च, 2026<br>को यथाविद्यमान | 31 मार्च, 2025<br>को यथाविद्यमान |
| <b>असुरक्षित, माना गया अच्छा</b>            |                                  |                                  |                                  |                                  |
| (क) ऋण और अग्रिम                            |                                  |                                  |                                  |                                  |
| (i) कर्मचारी                                | 1,986                            | 1,440                            | 543                              | 365                              |
| (ii) अन्य                                   | -                                | -                                | 242                              | 216                              |
| <b>कुल योग-(क)</b>                          | <b>1,986</b>                     | <b>1,440</b>                     | <b>785</b>                       | <b>581</b>                       |
| (ख) अन्य ऋण और अग्रिम                       |                                  |                                  |                                  |                                  |
| (i) पूर्वसंदत्त व्यय                        | -                                | -                                | 1,601                            | 1,234                            |
| (ii) स्रोत पर कर कटौती प्राप्य              | -                                | -                                | 2,847                            | 2,383                            |
| (iii) सदस्यों से प्राप्त अग्रिमों पर जीएसटी | 171                              | 174                              | 252                              | 201                              |
| (iv) जीएसटी इनपुट क्रेडिट प्राप्य*          | -                                | -                                | 1,420                            | 1,688                            |
| (v) इलेक्ट्रॉनिक नकद और प्रत्यय(जीएसटी)     | -                                | -                                | 4,020                            | 3,007                            |
| (vi) जीएसटी पर निक्षेप पूर्व अपील           | -                                | -                                | 230                              | 89                               |
| (vii) प्रतिभूति निक्षेप                     | 93                               | 81                               | 703                              | 664                              |
| (viii) अन्य                                 | -                                | -                                | 262                              | 273                              |
| <b>कुल योग-(ख)</b>                          | <b>264</b>                       | <b>255</b>                       | <b>11,335</b>                    | <b>9,539</b>                     |
| <b>योग (क+ख)</b>                            | <b>2,250</b>                     | <b>1,695</b>                     | <b>12,120</b>                    | <b>10,120</b>                    |

\* ₹ 146 लाख के प्रावधान का शुद्ध घटाएं (पिछला वर्ष शून्य)



(रुपए लाख में)

| टिप्पण # 16 अन्य गैर-चालू आस्तियां                 | 31 मार्च, 2026 को<br>यथाविद्यमान | 31 मार्च, 2025 को<br>यथाविद्यमान |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| (क) सावधि जमा                                      |                                  |                                  |
| i) एक वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता वाले सावधि जमा | 1,550                            | 6,335                            |
| (ख) निक्षेपों पर प्रोदभूत ब्याज परंतु शोधय नहीं    |                                  |                                  |
| i) प्रोदभूत ब्याज – कर्मचारिवृंद                   | 382                              | 345                              |
| <b>योग</b>                                         | <b>1,932</b>                     | <b>6,680</b>                     |

(रुपए लाख में)

| टिप्पण # 17 प्राप्य                      | 31 मार्च, 2026 को<br>यथा विद्यमान | 31 मार्च, 2025 को<br>यथा विद्यमान |
|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| (क) घटकों से प्राप्य                     |                                   |                                   |
| i) असुरक्षित प्राप्य, अच्छा माना गया     | 332                               | 1,050                             |
| ii) असुरक्षित प्राप्य, संदिग्ध           | 1,076                             | 834                               |
| घटाएँ: संदिग्ध प्राप्यों के लिए प्रावधान | (1,076)                           | (834)                             |
| (ख) अन्य                                 | 704                               | 654                               |
| <b>योग</b>                               | <b>1,036</b>                      | <b>1,704</b>                      |

(रुपए लाख में)

| टिप्पण # 18 नकद और बैंक अतिशेष                                          | 31 मार्च, 2026 को<br>यथा विद्यमान | 31 मार्च, 2025 को<br>यथा विद्यमान |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>अ नकद और नकद समतुल्य</b>                                             |                                   |                                   |
| (क) बैंक में नकदी                                                       | 13,702                            | 11,372                            |
| (ख) हाथ में नकदी                                                        | 17                                | 18                                |
| कुल योग (अ)                                                             | 13,719                            | 11,390                            |
| <b>आ अन्य बैंक अतिशेष</b>                                               |                                   |                                   |
| (क) उद्दिष्ट बैंक निक्षेप                                               | 7,940                             | 7,385                             |
| (ख) 3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता वाले निक्षेप* | 78,809                            | 1,01,557                          |
| कुल योग (आ)                                                             | 86,749                            | 1,08,942                          |
| <b>योग ( अ + आ )</b>                                                    | <b>1,00,468</b>                   | <b>1,20,332</b>                   |

\* बैंक निक्षेप में धारणाधिकार के अधीन ₹ 3.90 लाख की जमा राशि शामिल है (पिछले वर्ष ₹ 3.90 लाख)

(रुपए लाख में)

| टिप्पण # 19 अन्य चालू आस्तियां                      | 31 मार्च, 2026 को यथा<br>विद्यमान | 31 मार्च, 2025 को यथा<br>विद्यमान |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| (क) निवेश पर प्रोदभूत व्याज किंतु जो शोध्य नहीं     |                                   |                                   |
| i) प्रोदभूत व्याज-निवेश                             | 4,195                             | 3,790                             |
| (ख) निक्षेपों पर प्रोदभूत व्याज किंतु जो शोध्य नहीं |                                   |                                   |
| i) प्रोदभूत व्याज-बैंकों के साथ सावधि निक्षेप       | 2,053                             | 3,230                             |
| ii) प्रोदभूत व्याज-कर्मचारिवृंद                     | 75                                | 71                                |
| <b>योग</b>                                          | <b>6,323</b>                      | <b>7,091</b>                      |

(रुपए लाख में)

| टिप्पण # 20 : सेवाओं के प्रतिपादन से शुल्क                           | 31 मार्च, 2026 को यथा<br>विद्यमान | 31 मार्च, 2025 को यथा<br>विद्यमान |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| क) दूरस्थ शिक्षा फीस                                                 | 37,203                            | 34,908                            |
| ख) छात्रों का रजिस्ट्रीकरण शुल्क                                     | 826                               | 887                               |
| ग) विनियामक आईटी और सॉफ्ट कौशल प्रशिक्षण :                           |                                   |                                   |
| i) सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण                                      | 5,323                             | 5,977                             |
| ii) साधारण प्रबंधन और संसूचना कौशल                                   | 2,140                             | 2,506                             |
| iii) अनुकूलन                                                         | 3,164                             | 3,789                             |
| घ) पुनरीक्षण कक्षाएं                                                 | 766                               | 798                               |
| ङ) परीक्षा                                                           | 23,249                            | 23,194                            |
| च) सदस्यता                                                           | 15,475                            | 14,893                            |
| घटाएं :- ई जर्नल पर बढ़ा                                             | (2,001)                           | (1,927)                           |
| छ) सदस्यों के लिए प्रवेश और दाखिला : टिप्पण संख्या 2.11 (v)(ख) देखें | 746                               | 743                               |
| ज) फर्मों से आय                                                      | 52                                | 85                                |
| झ) अर्हता पथ पाठ्यक्रम                                               | 601                               | 474                               |
| ञ) प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम                                              | 2,185                             | 1,495                             |
| ट) कैपस साक्षात्कार से आय                                            | 1,411                             | 1,369                             |
| ठ) संगोष्ठी आय :                                                     |                                   |                                   |
| i) सदस्य                                                             | 7,200                             | 6,139                             |
| ii) छात्र                                                            | 699                               | 508                               |
| ड) विशेषज्ञ सलाहकार शुल्क                                            | 47                                | 62                                |
| ढ) अनुशासनात्मक मामले फाइल करने के लिए शुल्क                         | 53                                | 74                                |
| <b>योग</b>                                                           | <b>99,139</b>                     | <b>95,974</b>                     |

(रुपए लाख में)

| टिप्पण # 21 : प्रकाशनों और अन्य मदों का विक्रय | 31 मार्च, 2026 को<br>यथा विद्यमान | 31 मार्च, 2025 को<br>यथा विद्यमान |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| क) प्रकाशन                                     | 495                               | 600                               |
| ख) माल                                         | 4                                 | -                                 |
| ग) जर्नल :-                                    |                                   |                                   |
| i) सदस्य                                       | 2                                 | 3                                 |
| ii) छात्र                                      | 3                                 | 3                                 |
| घ) रद्दी वस्तुएँ                               | 77                                | 66                                |
| योग                                            | 581                               | 672                               |

(रुपए लाख में)

| टिप्पण # 22 : निर्बंधित निधियों से आय | 31 मार्च, 2026 को समाप्त<br>हुए वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2025 को समाप्त<br>हुए वर्ष के लिए |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| क) पदक और पुरस्कार निधियों पर ब्याज   | 24                                          | 36                                          |
| ख) छात्र छात्रवृत्ति निधियों पर ब्याज | 19                                          | 28                                          |
| योग                                   | 43                                          | 64                                          |

(रुपए लाख में)

| टिप्पण # 23 : अन्य आय                                    | 31 मार्च, 2026 को यथा<br>विद्यमान | 31 मार्च, 2025 को यथा<br>विद्यमान |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| क) बैंक निक्षेप पर ब्याज                                 | 4,584                             | 4,965                             |
| ख) निवेश पर ब्याज                                        | 3,567                             | 5,299                             |
| ग) अभिहित निधियों पर ब्याज :-                            |                                   |                                   |
| i) अनुसंधान निधि                                         | 282                               | 282                               |
| ii) लेखांकन अनुसंधान भवन निधि                            | 100                               | 101                               |
| iii) शिक्षा निधि                                         | 5,115                             | 5,208                             |
| iv) छात्र छात्रवृत्ति निधि                               | 2,937                             | 854                               |
| v) आस्तियों की मरम्मत और प्रतिस्थापन के लिए सिंकिंग निधि | 3,120                             | 2,991                             |
| vi) कर्मचारी कल्याण निधि                                 | 136                               | 132                               |
| vii) अन्य अभिहित निधियां                                 | 220                               | 128                               |
| घ) कर्मचारी ऋण पर ब्याज                                  | 117                               | 103                               |
| ड) विज्ञापन आय                                           | 218                               | 225                               |
| च) निर्वाचन आय                                           | -                                 | 48                                |
| छ) आयकर प्रतिदाय पर ब्याज                                | -                                 | 35                                |
| ज) पूर्व वर्षों के व्यय के लिए प्रावधान जमा किया गया     | -                                 | 540                               |
| झ) प्रावधान जो अब अपेक्षित नहीं हैं, अपलिखित             | 376                               | 188                               |
| ञ) पूर्व अवधि आय (टिप्पण 29.05 देखें)                    | 969                               | 654                               |
| ट) प्रकीर्ण आय                                           | 437                               | 374                               |
| <b>योग</b>                                               | <b>22,178</b>                     | <b>22,127</b>                     |

(रुपए लाख में)

| टिप्पण # 24 (अ) : प्रकाशन की लागत                 | 31 मार्च, 2026 को यथा<br>विद्यमान | 31 मार्च, 2025 को यथा<br>विद्यमान |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| (क) स्टॉक-इन-ट्रेड का क्रय                        |                                   |                                   |
| I) प्रकाशन सामग्री के विक्रय के लिए किया गया क्रय | 1,508                             | 662                               |
| कुल योग                                           | 1,508                             | 662                               |
| (ख) स्टॉक-इन ट्रेड की वस्तु-सूची में परिवर्तन     |                                   |                                   |
| i) वर्ष के आरंभ में वस्तु-सूची                    | 62                                | 98                                |
| ii) वर्ष के अंत में वस्तु-सूची                    | 258                               | 62                                |
| स्टॉक-इन-ट्रेड की वस्तु-सूची में (वृद्धि)/कमी     | (196)                             | 36                                |
| योग ( क + ख )                                     | 1,312                             | 698                               |

(रुपए लाख में)

| टिप्पण# 24 (आ): अध्ययन सामग्री के लिए मुद्रण की लागत | 31 मार्च, 2026 को यथा<br>विद्यमान | 31 मार्च, 2025 को यथा<br>विद्यमान |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| (क) स्टॉक-इन-ट्रेड का क्रय                           |                                   |                                   |
| I) प्रकाशन सामग्री के विक्रय के लिए किया गया क्रय    | 4,231                             | 4,385                             |
| कुल योग                                              | 4,231                             | 4,385                             |
| (ख) स्टॉक-इन ट्रेड की वस्तु-सूची में परिवर्तन        |                                   |                                   |
| i) वर्ष के आरंभ में वस्तु-सूची                       | 921                               | 1,139                             |
| ii) वर्ष के अंत में वस्तु-सूची                       | 262                               | 921                               |
| स्टॉक-इन-ट्रेड की वस्तु-सूची में (वृद्धि)/कमी        | 659                               | 218                               |
| योग ( क + ख )                                        | 4,890                             | 4,603                             |
|                                                      |                                   |                                   |
| योग (टिप्पण# 24) ( अ + आ )                           | 6,202                             | 5,301                             |

(रुपए लाख में)

| टिप्पण # 25 : कर्मचारी फायदे                          | 31 मार्च, 2026 को<br>यथा विद्यमान | 31 मार्च, 2025 को<br>यथा विद्यमान |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| क) वेतन और अन्य भत्ते *                               | 11,255                            | 24,837                            |
| ख) भविष्य निधि और अन्य निधियों को अभिदाय (टिप्पण #30) | 1,116                             | 1,098                             |
| ग) उपदान संबंधी व्यय (टिप्पण #30.01)                  | 329                               | 1,081                             |
| घ) कर्मचारिवृंद कल्याण व्यय                           | 126                               | 137                               |
| योग                                                   | 12,826                            | 27,153                            |

\* संबंधित पक्ष के खुलासों के लिए नोट 29.12 देखें।

(रुपए लाख में)

| टिप्पण # 26 : क्षयण और परिशोधन           | 31 मार्च, 2026 को यथा<br>विद्यमान | 31 मार्च, 2025 को<br>यथा विद्यमान |
|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| (क) मूर्त आस्तियों पर (टिप्पण 10 देखें)  | 4,703                             | 3,577                             |
| (ख) अमूर्त आस्तियों पर (टिप्पण 11 देखें) | 362                               | 210                               |
| योग                                      | 5,065                             | 3,787                             |

(रुपए लाख में)

| टिप्पण # 27 : निर्बंधित निधियों से व्यय | 31 मार्च, 2026 को यथा<br>विद्यमान | 31 मार्च, 2025 को<br>यथा विद्यमान |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| (क) पदक और पुरस्कार निधियों को संदाय    | 33                                | 17                                |
| (ख) छात्र छात्रवृत्ति निधियों को संदाय  | 12                                | 19                                |
| योग                                     | 45                                | 36                                |

(रुपए लाख में)

| (टिप्पण # 28 : अन्य व्यय)                               | 31 मार्च, 2026 को यथा विद्यमान | 31 मार्च, 2025 को यथा विद्यमान |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. संगोष्ठी व्यय                                        |                                |                                |
| i) सदस्य                                                | 10,965                         | 10,047                         |
| ii) छात्र                                               | 3,698                          | 3,416                          |
| 2. विनियामक आईटी और कौशल स्किल्स प्रशिक्षण :            |                                |                                |
| i) सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण                         | 2,970                          | 2,688                          |
| ii) साधारण प्रबंधन और संचार कौशल                        | 1,341                          | 1,525                          |
| iii) अनुकूलन                                            | 1,910                          | 1,825                          |
| 3. पुनरीक्षण कक्षाओं संबंधी व्यय                        | 696                            | 786                            |
| 4. बैठक व्यय                                            | 1,414                          | 1,440                          |
| 5. कार्यालय व्यय                                        | 1,394                          | 1,021                          |
| 6. विद्युत और ईंधन                                      | 1,486                          | 1,412                          |
| 7. मरम्मत और रखरखाव                                     | 2,746                          | 2,576                          |
| 8. बीमा                                                 | 360                            | 242                            |
| 9. किराया, दर और कर                                     |                                |                                |
| i) किराया - परीक्षा केंद्र                              | 6,507                          | 5,886                          |
| ii) अन्य                                                | 1,591                          | 1,439                          |
| 10. यात्रा और वाहन                                      | 3,111                          | 2,480                          |
| 11. विदेशी सदस्यता अभिदाय शुल्क                         | 1,069                          | 903                            |
| 12. लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक :                        |                                |                                |
| i) प्रधान कार्यालय                                      | 25                             | 25                             |
| ii) अन्य कार्यालय और शाखाएं                             | 110                            | 102                            |
| 13. मुद्रण और लेखन सामग्री                              | 3,369                          | 4,039                          |
| 14. संचार व्यय                                          | 2,857                          | 2,980                          |
| 15. विधिक व्यय                                          | 672                            | 808                            |
| 16. वृत्तिक व्यय                                        |                                |                                |
| i) परीक्षा                                              | 12,935                         | 11,891                         |
| ii) अन्य                                                | 2,012                          | 1,891                          |
| 17. जनशक्ति और अन्य सेवाएं                              | 7,434                          | 6,689                          |
| 18. इंटरनेट और वेब रखरखाव शुल्क                         | 4,500                          | 3,668                          |
| 19. विज्ञापन                                            | 1,286                          | 708                            |
| 20. बैंक कमीशन                                          | 73                             | 128                            |
| 21. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के विक्रय पर हानि (शुद्ध) | 35                             | 61                             |
| 22. विदेशी मुद्रा संव्यवहारों पर हानि (शुद्ध)           | 40                             | 26                             |
| 23. संदिग्ध ऋणों और अग्रिम के लिए प्रावधान              | 518                            | 184                            |
| 24. उद्दिष्ट निधियों को संदाय                           |                                |                                |
| i) छात्र छात्रवृत्ति निधि                               | 2,699                          | 969                            |
| ii) कर्मचारी कल्याण निधि                                | 64                             | 33                             |
| iii) अन्य अभिहित निधियां                                | 2                              | -                              |
| 25. योग्यता छात्रवृत्ति                                 | 5                              | 14                             |
| 26. निर्वाचनव्यय                                        | 83                             | 1,350                          |
| 27. व्याज व्यय                                          | 4                              | 4                              |
| 28. डुबंत ऋण                                            | 377                            | -                              |
| 29. पत्रिकाएं और पत्र-पत्रिका                           | 33                             | 33                             |
| 30. प्रकाशन के लिए अप्रचलित स्टॉक के लिए प्रावधान       | 26                             | 197                            |
| 31. सीएएसबीएफ में अभिदाय [टिप्पण 2.12 (च) देखें]        | 203                            | 184                            |
| 32. अन्य अस्तित्वों के लिए व्यय                         | 183                            | 338                            |
| 33. पूर्व अवधि व्यय (टिप्पण 29.10 देखें)                | 1,994                          | 537                            |
| <b>योग</b>                                              | <b>82,797</b>                  | <b>74,545</b>                  |

## लेखांकन मानकों के अधीन प्रकटन

## 29. वित्तीय विवरणों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पण

## 29.01 आकस्मिक दायित्व और प्रतिबद्धताएं :

## क. आकस्मिक दायित्व

i) संस्थान के विरुद्ध ऐसे दावे, जिन्हें ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं किया गया है (रुपए लाख में)

|                                            | 31 मार्च, 2026 को<br>यथा विद्यमान | 31 मार्च, 2025<br>को यथा विद्यमान |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| क) अपील के अधीन वस्तु एवं सेवा कर मांग*    | 3,209                             | 1,985                             |
| ख) अपील के अधीन श्रम कानून से संबंधित मांग | 129                               | 122                               |
| ग) विवाद के अधीन ठेकेदार और अन्य मांगें    | 424                               | 373                               |
|                                            | <b>3,762</b>                      | <b>2,480</b>                      |

\* सीवाई के ब्याज और जुर्माने को छोड़कर: ₹2,462 लाख (पीवाई ₹1,294 लाख)।

ii) वित्तीय वर्ष 2018-19 में, संस्थान को अपर महानिदेशक, माल और सेवाकर सतर्कता से वार्षिक फीस, व्यवसाय प्रमाणपत्र फीस, प्रवेश फीस, संगोष्ठी फीस और कोचिंग कक्षा फीस आदि के संबंध में सेवाकर के संदाय के लिए 15,797 लाख रुपए की मांग संबंधी दो कारण बताओ सूचनाएं प्राप्त हुईं। संस्थान की यह राय है कि वह सेवाकर का दायी नहीं है और उसने अप्रैल, 2019 में दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं. 3957/2019 फाइल की। अपर महानिदेशक, डीजीसीईआई, कोच्चि ने अक्तूबर, 2019 में पूर्वोक्त रिट याचिका में प्रति शपथपत्र फाइल किया था और उसके विरुद्ध संस्थान ने दिसंबर, 2019 में प्रत्युत्तर शपथ पत्र फाइल किया था। यह मामला समय-समय पर आस्थगित हो रहा है।

## ख. पूंजी प्रतिबद्धताएं :

|                                         | 31 मार्च, 2026 को<br>यथा विद्यमान | 31 मार्च, 2025<br>को यथा विद्यमान |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| पूंजी प्रतिबद्धताएं (अग्रिमों का शुद्ध) | 15,409                            | 12,361                            |

29.02 वर्ष के दौरान, नागपुर में संपत्ति अर्जित किए जाने से संबंधित मूल और अनुपूरक करारों के रद्दकरण पर स्टॉम्प शुल्क प्रतिदाय के मद्दे 137 लाख रुपए की रकम प्राप्त हुई थी, जिसका प्राप्यों के प्रति समाधान किया गया। तदनुसार, 60 लाख रुपए के संबद्ध प्रावधान को वापस कर दिया गया था।

29.03 पिछले वर्ष के दौरान, विभिन्न आरक्षितियों और उद्दिष्ट निधियों के ब्यौरेवार पुनर्विलोकन की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी और संस्थान की वर्तमान अपेक्षाओं और कार्यकरण के अनुसार इन निधियों को पुनः संरचित करने के लिए उसका पुनर्विलोकन किया जा रहा है।

29.04 शासकीय प्रतिभूतियों में कोट किए गए निवेशों को दीर्घकाल हेतु किया गया है। इन बंधपत्रों का बाजार मूल्य दैनिक आधार पर ऊपर-नीचे होता है और चूंकि संस्थान का आशय दीर्घकाल तक इन



प्रतिभूतियों को धारण करने का है, इसलिए इन प्रतिभूतियों के मूल्य में इनकी लागत के प्रति अस्थायी कमी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि प्रबंध मंडल को यह विश्वास है कि दीर्घकाल में इन प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य इनकी लागत से अधिक होगा।

29.05 चालू खाते की आय और व्यय से संबंधित प्रधान कार्यालय के अंतःयूनिट संव्यवहारों को सुमेलित कर लिया गया है।

108 लाख रुपए की रकम, जो प्रधान कार्यालय और यूनिटों के बीच देय और प्राप्य रकम के अंतर का शुद्ध प्रभाव है और जो पूर्व अवधियों से संबद्ध है और जिसे सुमेलन प्रयासों के बावजूद विनिर्दिष्ट रूप से पहचाना या आबंटित नहीं किया जा सका था, को आय और व्यय लेखा में पूर्व अवधि की आय के रूप में दर्शित किया गया है, जिसका अनुमोदन प्रबंध मंडल द्वारा कर दिया गया है।

तदनुसार, वर्ष के दौरान मान्यता प्रदान की गई कुल पूर्व अवधि आय 969 लाख रुपए के बराबर है, जिसमें अंतर-इकाई सुमेलन अंतर के मद्दे पूर्वोक्त 108 लाख रुपए की रकम तथा अन्य पूर्व अवधि समायोजनों/प्रत्ययों से संबंधित 861 लाख रुपए की रकम भी सम्मिलित है और उसे वर्ष के दौरान लेखांकित किया गया है।

29.06 अध्ययन सर्कल, अध्ययन चैप्टर और विदेशी चैप्टर पृथक् अस्तित्व हैं और उनके लेखाओं का समेकन नहीं किया जाता है।

29.07 कुछ यूनिटों की दशा में समाप्त हो गई भूमि की पट्टा अवधि के नवीकरण हेतु उपाय किए जा रहे हैं। सुसंगत प्राधिकारियों से अभिपुष्टि प्राप्त होने के पश्चात् नवीकरण पट्टा प्रीमियम शोध हो जाएगा।

29.08 सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुपालन संबंधी प्रक्रिया के भागरूप में संस्थान को प्रधान कार्यालय स्थित कतिपय विक्रेताओं से जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें उनकी प्रास्थिति को अधिसूचित प्राधिकारी के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रेता के रूप में दर्शित किया गया है।

शाखाओं और अन्य अवस्थानों पर विद्यमान विक्रेताओं के लिए, विक्रेताओं की पहचान आदि को स्थापित करने के लिए पहले ही उपाय आरंभ कर दिए गए हैं और प्रक्रिया पूरा होने के पश्चात् शीघ्र ही उनका अनुपालन किया जाएगा।

29.09 विदेशी मुद्रा में उपगत व्यय के ब्यौरे नीचे दिए गए अनुसार हैं :

(रुपए लाख में)

| क्रम सं. | विशिष्टियां                  | 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए |
|----------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1        | विदेशी सदस्यता अभिदाय शुल्क  | 1,069                                    | 903                                      |
| 2        | विदेश से संबंधित यात्रा व्यय | 163                                      | 165                                      |
| 3        | संगोष्ठी और अन्य             | 136                                      | 166                                      |
|          | <b>योग</b>                   | <b>1,368</b>                             | <b>1,234</b>                             |

29.10 पूर्व अवधि व्ययों में सेवानिवृत्त-पश्च चिकित्सा फायदा बाध्यता के 1177 लाख रुपए, लागू सेवा नियमों के अनुसार दीर्घकालीन सेवा पुरस्कार फायदे के 255 लाख रुपए तथा 526 लाख रुपए के पूर्व अवधियों से संबंधित भविष्य निधि दायित्वों के बीमांकिक मूल्यांकन का प्रभाव सम्मिलित है, जिन्हें चालू वित्तीय वर्षा में मान्यता प्रदान की गई है।

29.11 नई श्रम संहिता के विभिन्न उपबंधों के अनुपालन के संबंध में एक आंतरिक निर्धारण किया गया है और किसी प्रकार के सारवान वित्तीय प्रभाव को निर्धारित नहीं किया गया है।

29.12 संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण (एएस -18 के अनुसार)

| (रुपए लाख में) |                                                           |                        |                                           |                      |                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| क्रम सं.       | नाम                                                       | नाता                   | संव्यवहार की प्रकृति                      | वित्तीय वर्ष 2025-26 | वित्तीय वर्ष 2024-25 |
| 1              | आईसीएआई के भारतीय दिवाला पेशेवर संस्थान (आईआईपीआई)        | सहायक इकाई             | जनशक्ति और अवसंरचना समर्थन के लिए बिलिंग  | 69                   | 63                   |
| 2              | आईसीएआई पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता संगठन (आईसीएआई आरवीओ)      | सहायक इकाई             | जनशक्ति और अवसंरचना समर्थन के लिए बिलिंग  | 17                   | 3                    |
| 3              | भारतीय सामाजिक लेखा परीक्षक संस्थान (आईएसएआई)             | सहायक इकाई             | जनशक्ति और अवसंरचना समर्थन के लिए बिलिंग  | 92                   | 5                    |
|                |                                                           |                        | जनशक्ति व्यय की प्रतिपूर्ति               | 6                    | -                    |
| 4              | आईसीएआई इंटरनेशनल एडीआर सेंटर                             | सहायक इकाई             | निवेश                                     | 100                  | -                    |
| 5              | आईसीएआई अकाउंटिंग रिसर्च फाउंडेशन (आईसीएआई एआरएफ)         | नियंत्रण मौजूद है      | जनशक्ति और अवसंरचना समर्थन के लिए बिलिंग  | 57                   | 3                    |
|                |                                                           |                        | यात्रा व्यय के लिए दावा की गई प्रतिपूर्ति | -                    | 1                    |
| 6              | एक्स्टेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) भारत | नियंत्रण मौजूद है      | जनशक्ति के लिए बिलिंग                     | 14                   | -                    |
| 7              | आईसीएआई पीएफ ट्रस्ट                                       | नियंत्रण मौजूद है      | भविष्य निधि अभिदाय                        | 1,077                | 1,058                |
| 8              | सचिव, आईसीएआई                                             | सीईओ के रूप में केएमपी | सकल पारिश्रमिक                            | 69                   | 68                   |

ऊपर दी गई तालिका में रकम जीएसटी के बिना है।

#### रिपोर्टिंग की तारीख पर बकाया राशि

(रुपए लाख में)

| क्रम.सं. | नाम                                               | नाता              | प्रकृति | 31 मार्च तक 2026 | 31 मार्च तक 2025 |
|----------|---------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------|------------------|
| 1        | आईसीएआई लेखांकन अनुसंधान फाउंडेशन (आईसीएआई एआरएफ) | नियंत्रण मौजूद है | देय     | -                | 3                |
|          |                                                   |                   | प्राप्य | 64               | 5                |
| 2        | भारतीय सामाजिक लेखा परीक्षक संस्थान (आईएसएआई)     | सहायक इकाई        | देय     | 6                | -                |
|          |                                                   |                   | प्राप्य | 26               | 5                |
| 3        | एक्स्टेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग भाषा (XBRL)        | नियंत्रण मौजूद है | प्राप्य | 17               | -                |
| 4        | आईसीएआई पीएफ न्यास                                | नियंत्रण मौजूद है | देय     | 493              | 382              |

29.13 वर्ष के दौरान स्थापित एक विदेशी प्रचालन, जिसकी वित्तीय गतिविधि न के बराबर है और पांच शाखाओं की वित्तीय जानकारी की संपरीक्षा नहीं की गई है, जिसके लिए किसी भी शाखा संपरीक्षक को नियुक्त नहीं किया गया था, क्योंकि शाखाओं ने कोई वित्तीय प्रचालन आरंभ नहीं किए थे।

इन असंपरीक्षित इकाईयों की सकल वित्तीय जानकारी में 31 मार्च, 2026 को कुल 3 लाख रुपए की आस्तियां, तब समाप्त हुए वर्ष के लिए शुद्ध 65 लाख रुपए की आस्तियां, शून्य शुद्ध नकद आगम, शून्य कुल राजस्व तथा 8 लाख रुपए के शुद्ध घाटे को सम्मिलित किया गया है। ऐसी वित्तीय जानकारी को प्रबंधमंडल द्वारा प्रमाणित लेखाओं के आधार पर इन वित्तीय विवरणों में सम्मिलित किया गया है। यह जानकारी संस्थान के लिए सारवान नहीं है।

### 30. कर्मचारी फायदे

#### (क) परिभाषित फायदा योजनाएं

संस्थान ने भविष्य निधि में अभिदाय के मद्दे 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 1077 लाख रुपए (पूर्व वर्ष में 1058 लाख रुपए) की राशि को मान्यता प्रदान की है।

#### (ख) परिभाषित फायदा योजनाएं

संस्थान ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 39 लाख रुपए की राशि (पूर्व वर्ष में 39 लाख रुपए) को एनपीएस अभिदाय के मद्दे मान्यता प्रदान की है।

संस्थान ने अपने कर्मचारियों को निम्नलिखित परिभाषित फायदा योजनाएं प्रदान की हैं

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| उपदान:                           | वित्तपोषित (एलआईसी के साथ 100%) |
| सेवानिवृत्ति पश्च पेंशन:         | वित्तपोषित (एलआईसी के साथ 100%) |
| क्षतिपूरित अनुपस्थिति:           | गैर-वित्तपोषित                  |
| दीर्घ सेवा पुरस्कार              | गैर-वित्तपोषित                  |
| सेवानिवृत्ति पश्च चिकित्सा फायदे | गैर-वित्तपोषित                  |

## 30.01 उपदान योजना से संबंधित ब्यौरे निम्नानुसार हैं

| वर्णन                                                         | (रुपए लाख में)              |                             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                               | 2025-26                     | 2024-25                     |
| <b>1. बाध्यता के आरंभिक और अंतिम अतिशेषों का समाधान</b>       |                             |                             |
| क. वर्ष के आरंभ में बाध्यता                                   | 5,557                       | 4,560                       |
| ख. पूर्व सेवा लागत                                            | -                           | 738                         |
| ग. चालू सेवा लागत                                             | 274                         | 409                         |
| घ. ब्याज लागत                                                 | 368                         | 369                         |
| ङ. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि                                     | (120)                       | (123)                       |
| च. संदत्त फायदे                                               | (305)                       | (396)                       |
| छ. वर्ष के अंत में बाध्यता                                    | 5,774                       | 5,557                       |
| <b>2. योजना आस्तियों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन</b>        |                             |                             |
| क. वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य              | 4,340                       | 4,140                       |
| ख. योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय                            | 317                         | 301                         |
| ग. बीमांकिक अभिलाभ/ (हानि)                                    | (124)                       | 11                          |
| घ. संस्थान द्वारा किए गए अभिदाय                               | 895                         | 208                         |
| ङ. संदत्त फायदे                                               | (305)                       | (320)                       |
| च. वर्ष के अंत पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य                | 5,123                       | 4,340                       |
| <b>3. योजना आस्तियों और बाध्यताओं के उचित मूल्य का समाधान</b> |                             |                             |
| क. बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य                                 | 5,774                       | 5,557                       |
| ख. योजना आस्तियों का उचित मूल्य                               | 5,123                       | 4,340                       |
| ग. तुलन पत्र आस्ति/(दायित्व) में मान्यता प्रदान की गई रकम     | (651)                       | (1,217)                     |
| <b>4. वर्ष के दौरान माने गए व्यय</b>                          |                             |                             |
| क. पूर्व सेवा लागत                                            | -                           | 738                         |
| ख. चालू सेवा लागत                                             | 274                         | 409                         |
| ग. ब्याज लागत                                                 | 368                         | 369                         |
| घ. योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय                            | (317)                       | (301)                       |
| ङ. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि                                     | 4                           | (134)                       |
| च. वर्ष के दौरान माने गए व्यय                                 | 329                         | 1,081                       |
| <b>5. निवेशों के ब्यौरे</b>                                   | निवेश का प्रतिशत            | निवेश का प्रतिशत            |
| क. अन्य – भारतीय जीवन बीमा निगम के पास निधियां                | 100                         | 100                         |
| <b>6. पूर्वानुमान</b>                                         |                             |                             |
| क. बढ़ा दर (प्रतिवर्ष)                                        | 7.15%                       | 6.83%                       |
| ख. योजना आस्तियों से आय की प्राक्कलित दर (प्रतिवर्ष)          | 7.15%                       | 6.70%                       |
| ग. वेतन में वृद्धि की दर                                      | मूल/डीए 9%                  | मूल/डीए 9%                  |
| घ. संनिघर्षण दर                                               | 2%                          | 2%                          |
| ङ नश्वरता सूची                                                | आईएएल 2012-14<br>अंततोगत्वा | आईएएल 2012-14<br>अंततोगत्वा |

## 30.02 सेवानिवृत्ति पञ्च पेंशन योजना के ब्यौरे

(रुपए लाख में)

| वर्णन                                                         | 2025-26                     | 2024-25                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>1. बाध्यता के प्रारंभिक और अंतिम अतिशेषों में समाधान</b>   |                             |                             |
| क. वर्ष के प्रारंभ में बाध्यता                                | 22,613                      | 10,794                      |
| ख. पूर्व सेवा लागत                                            | 406                         | 8,547                       |
| ग. ब्याज लागत                                                 | 1,508                       | 745                         |
| घ. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि                                     | (2,252)                     | 3,599                       |
| ङ. संदत्त फायदे                                               | (884)                       | (1,072)                     |
| च. वर्ष के अंत में बाध्यताएं                                  | 21,391                      | 22,613                      |
| <b>2. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन</b>           |                             |                             |
| क. वर्ष के प्रारम्भ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य          | 7,679                       | 8,174                       |
| ख. योजना आस्तियों पर संभावित लाभ                              | 492                         | 555                         |
| ग. बीमांकिक लाभ/(हानि)                                        | 81                          | 22                          |
| घ. संस्थान द्वारा किए गए अभिदाय                               | 12,302                      | -                           |
| ङ. संदत्त फायदे                                               | (884)                       | (1,072)                     |
| च. वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य               | 19,670                      | 7,679                       |
| <b>3. योजना आस्तियों और बाध्यताओं के उचित मूल्य का समाधान</b> |                             |                             |
| क. बाध्यता का वर्तमान मूल्य                                   | 21,391                      | 22,613                      |
| ख. योजना आस्तियों का उचित मूल्य                               | 19,670                      | 7,679                       |
| ग. तुलन-पत्र आस्ति/(दायित्व) में मानी गई रकम                  | (1,721)                     | (14,934)                    |
| <b>4. वर्ष के दौरान माने गए व्यय</b>                          |                             |                             |
| क. पूर्व सेवा लागत – मान्यताप्राप्त                           | 406                         | 8,547                       |
| ख. ब्याज लागत                                                 | 1,508                       | 745                         |
| ग. योजना आस्तियों पर संभावित लाभ                              | (492)                       | (555)                       |
| घ. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि                                     | (2,333)                     | 3,577                       |
| ङ. वर्ष के दौरान माने गए व्यय                                 | (911)                       | 12,314                      |
| <b>5. पूर्वानुमान</b>                                         |                             |                             |
| क. बढ़ा दर (प्रतिवर्ष)                                        | 7.60%                       | 6.80%                       |
| ख. नश्वरता सूची                                               | आईएएल 2012-14<br>अंततोगत्वा | आईएएल 2012-14<br>अंततोगत्वा |

**30.03 कर्मचारी फायदे**  
**छुट्टी नकदीकरण के ब्यौरे**

| वर्णन                                                         | (रुपए लाख में)              |                             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                               | 2025-26                     | 2024-25                     |
| <b>1. बाध्यता के प्रारंभिक और अंतिम अतिशेषों में समाधान</b>   |                             |                             |
| क. वर्ष के प्रारंभ में बाध्यता                                | 7,300                       | 7,183                       |
| ख. चालू सेवा लागत                                             | 285                         | 373                         |
| ग. ब्याज लागत                                                 | 492                         | 511                         |
| घ. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि                                     | (698)                       | (526)                       |
| ङ. संदत्त फायदे                                               | (483)                       | (241)                       |
| च. वर्ष के अंत में बाध्यताएं                                  | 6,896                       | 7,300                       |
| <b>2. योजना आस्तियों और बाध्यताओं के उचित मूल्य में समाधा</b> |                             |                             |
| क. बाध्यता का वर्तमान मूल्य                                   | 6,896                       | 7,300                       |
| ख. तुलन-पत्र आस्ति/(दायित्व) में मानी गई रकमे                 | (6,896)                     | (7,300)                     |
| <b>3. वर्ष के दौरान माने गए व्यय</b>                          |                             |                             |
| क. चालू सेवा लागत                                             | 285                         | 373                         |
| ख. ब्याज लागत                                                 | 492                         | 511                         |
| ग. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि                                     | (698)                       | (526)                       |
| घ. वर्ष के दौरान माने गए व्यय                                 | 79                          | 358                         |
| <b>4. पूर्वानुमान</b>                                         |                             |                             |
| क. बढ़ा दर (प्रतिवर्ष)                                        | 7.15%                       | 6.83%                       |
| ख. वेतन में वृद्धि की दर                                      | मूल/डीए : 9%                | मूल/डीए : 9%                |
| ग. संनिघर्षण दर                                               | 2%                          | 2%                          |
| घ. नश्वरता सूची                                               | आईएएल 2012-14<br>अंततोगत्वा | आईएएल 2012-14<br>अंततोगत्वा |

## 30.04 दीर्घ सेवा पुरस्कार के ब्यौरे

(रुपए लाख में)

| वर्णन                                                             | 2025-26                     | 2024-25                     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>1. बाध्यता के प्रारंभिक और अंतिम अतिशेषों में समाधान</b>       |                             |                             |
| क. वर्ष के आरंभ में दायित्व *                                     | 255                         | -                           |
| ख. वर्तमान सेवा लागत                                              | 11                          | 259                         |
| ग. ब्याज लागत                                                     | 17                          | -                           |
| घ. बीमांकिक (लाभ)/हानि                                            | (6)                         | -                           |
| ड. संदत्त लाभ                                                     | (25)                        | (4)                         |
| च. वर्ष के अंत में दायित्व                                        | 252                         | 255                         |
| <b>2. योजना आस्तियों और बाध्यताओं के उचित मूल्य में समाधान</b>    |                             |                             |
| क. दायित्व का वर्तमान मूल्य                                       | 252                         | 255                         |
| ख. तुलन-पत्र आस्ति/(दायित्व) में मान्यता प्राप्त राशि / (दायित्व) | (252)                       | (255)                       |
| <b>3. वर्ष के दौरान माने गए व्यय</b>                              |                             |                             |
| क. वर्तमान सेवा लागत                                              | 11                          | 259                         |
| ख. ब्याज लागत                                                     | 17                          | -                           |
| ग. बीमांकिक (लाभ)/हानि                                            | (6)                         | -                           |
| घ. वर्ष के दौरान माने गए व्यय                                     | 22                          | 259                         |
| <b>4. पूर्वानुमान</b>                                             |                             |                             |
| क. बढ़ा दर (प्रति वर्ष)                                           | 7.15%                       | 6.83%                       |
| ख. वेतन में वृद्धि की दर                                          | मूल/ डीए : 09%              | मूल/ डीए :09%               |
| ग. संनिघर्षण दर                                                   | 2%                          | 2%                          |
| घ. नश्वरता सूची                                                   | आईएएल 2012-14<br>अंततोगत्वा | आईएएल 2012-14<br>अंततोगत्वा |

\* इस वर्ष पहली बार मूल्यांकन किया गया है।

## 30.05 सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभों का विवरण

(रुपए लाख में)

| वर्णन                                                       | 2025-26 | 2024-25 |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|
| <b>1. बाध्यता के प्रारंभिक और अंतिम अतिशेषों में समाधान</b> |         |         |
| क. वर्ष के आरंभ में दायित्व *                               | 1,177   | -       |
| ख. वर्तमान सेवा लागत                                        | 34      | -       |
| ग. ब्याज लागत                                               | 79      | -       |
| घ. बीमांकिक (लाभ)/हानि                                      | (178)   | -       |
| ड. संदत्त लाभ                                               | (64)    | -       |
| च. वर्ष के अंत में दायित्व                                  | 1,048   | -       |

|                                                                   |                               |   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|
| <b>2. योजना आस्तियों और बाध्यताओं के उचित मूल्य में समाधान</b>    |                               |   |
| क. दायित्व का वर्तमान मूल्य                                       | 1,048                         | - |
| ख. तुलन-पत्र आस्ति/(दायित्व) में मान्यता प्राप्त राशि / (दायित्व) | (1,048)                       | - |
| <b>3. वर्ष के दौरान माने गए व्यय</b>                              |                               |   |
| क. वर्तमान सेवा लागत                                              | 34                            | - |
| ख. ब्याज लागत                                                     | 79                            | - |
| ग. बीमांकिक (लाभ)/हानि                                            | (178)                         | - |
| घ. वर्ष के दौरान माने गए व्यय                                     | (65)                          | - |
| <b>4. पूर्वानुमान</b>                                             |                               |   |
| क. बढ़ा दर (प्रति वर्ष)                                           | 7.77%                         |   |
| ख. अस्पताल में भर्ती होने की दर 60 वर्ष और ऊपर के पुरुष/महिला     | 9.3% और 6.9%                  |   |
| ग. नश्वरता सूची                                                   | आईआईएएल 2012-15<br>अंततोगत्वा |   |

\* इस वर्ष पहली बार मूल्यांकन किया गया है, रकम को 31.03.2025 को यथा विद्यमान डाटा के आधार पर संगणित किया गया है, वर्तमान मूल्यांकन के लिए भी वही आधार माना गया है और ब्याज दर 06.92% मानी गई है।

### 30.06 भविष्य निधि स्कीम का विवरण

(रुपए लाख में)

| वर्णन                                                             | 2025-26 | 2024-25 |
|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| <b>1. बाध्यता के प्रारंभिक और अंतिम अतिशेषों में समाधान</b>       |         |         |
| क. वर्ष के आरंभ में दायित्व *                                     | 526     | -       |
| ख. वर्तमान सेवा लागत                                              | 78      | -       |
| ग. ब्याज लागत                                                     | 36      | -       |
| घ. बीमांकिक (लाभ)/हानि                                            | (333)   | -       |
| ङ. संदत्त लाभ                                                     | -       | -       |
| च. वर्ष के अंत में दायित्व                                        | 307     | -       |
| <b>2. योजना आस्तियों और बाध्यताओं के उचित मूल्य में समाधान</b>    |         |         |
| क. दायित्व का वर्तमान मूल्य                                       | 307     | -       |
| ख. तुलन-पत्र आस्ति/(दायित्व) में मान्यता प्राप्त राशि / (दायित्व) | (307)   | -       |
| <b>3. वर्ष के दौरान माने गए व्यय</b>                              |         |         |
| क. वर्तमान सेवा लागत                                              | 78      | -       |
| ख. ब्याज लागत                                                     | 36      | -       |
| ग. बीमांकिक (लाभ)/हानि                                            | (333)   | -       |
| घ. वर्ष के दौरान माने गए व्यय                                     | (219)   | -       |
| <b>4. पूर्वानुमान</b>                                             |         |         |
| क. बढ़ा दर (प्रति वर्ष)                                           | 7.34%   |         |
| ख. योजना आस्तियों पर रिटर्न की अनुमानित दर (प्रति वर्ष)           | 8.02%   |         |



|                         |               |  |
|-------------------------|---------------|--|
| ग. बचा हुआ कामकाजी जीवन | 11.66 वर्ष    |  |
| घ. संनिघर्षण दर         | 2%            |  |
| ङ. अपेक्षित रिटर्न      | 8.20%         |  |
| च. उपलब्ध रिटर्न        | 8.06%         |  |
| छ. नश्वरता सूची         | आईएएल 2012-14 |  |
|                         | अंततोगत्वा    |  |

\* आईएएल 2012-14 अंततोगत्वा के अनुसार नश्वरता के लिए अनुमति देने वाली सेवा सूची पर आधारित, 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष संनिघर्षण और 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति, 6.79% प्रति वर्ष की संगणित ब्याज दर का उपयोग करते हुए बट्टा प्राप्त (जी-सेक वार्टीएम के तत्समान, जिसे 31 मार्च 2025 को 12.10 वर्ष के शेष कामकाजी जीवन से सुमेलित किया गया है) और इसके संबंध में अपेक्षित भविष्य निधि के लिए 8.25% प्रति वर्ष के ब्याज का अनुमान लगाया है तथा 8.02% प्रति वर्ष का निवेश रिटर्न आशयित है।

### 31. खंड रिपोर्टिंग

संस्थान के प्रचालन "चार्टर्ड अकाउंटेंसी की वृत्ति के विनियमन और विकास" तक सीमित हैं और यह मुख्यतः भारत में प्रचालन करता है। अतः, इसके सभी प्रचालन, लेखांकन मानक (एएस) - 17 खंड रिपोर्टिंग के अर्थातगर्त एकल खंड के अधीन आते हैं।

32. पूर्व वर्ष के आंकड़ों को, उन्हें चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटन के तत्समान बनाने के लिए, जहां कहीं आवश्यक है, पुनःसमूहित/पुनःवर्गीकृत किया गया है।

परिषद् के लिए और उसकी ओर से

ह./-  
सी.ए. सुदीप श्रीवास्तव  
अपर सचिव  
(वित्त एवं लेखा)

ह./-  
सी.ए. (डा.) जय कुमार बत्रा  
सचिव

ह./-  
सी.ए. मंगेश पी किनरे  
उपाध्यक्ष

ह./-  
सी.ए. प्रसन्ना कुमार डी.  
अध्यक्ष

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार  
कृते एएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
एफआरएन : 009571N/N500006

कृते जगदीश चंद एंड कंपनी  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
एफआरएन : 000129N

ह./-  
सी.ए. परवीन कुमार  
सदस्यता सं. 088810  
भागीदार  
स्थान : नई दिल्ली  
तारीख : 27 जुलाई, 2026

ह./-  
सी.ए. प्रवीण कुमार जैन  
सदस्यता सं. 085629  
भागीदार

सी.ए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव  
[विज्ञापन-III/4/असा./255/2026-27]

**THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**  
**(Set up by an act of Parliament)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st July, 2026

**No. 1-CA(5)/77/2026.**—In pursuance of sub-Section (5B) of Section 18 of the Chartered Accountants Act, 1949, a copy of the audited accounts and the Report of Council of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) for the year ended 31<sup>st</sup> March 2026 is hereby published for general information.

**77<sup>th</sup> Annual Report**

**Transforming Profession: Building Trust, Embracing Innovation, Strengthening Nation**

**Building Trust**

The story of India's rise as a leading global economy is not merely a story of economic expansion; it is a story of trust, innovation, and institutional strength. At every stage of this journey, the accountancy profession has served as a vital enabler, providing the credibility, transparency, and confidence necessary for sustainable progress. As the nation advances towards the vision of Viksit Bharat, the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) continues to play a transformative role by nurturing a profession that combines integrity with innovation and expertise with public purpose.

Trust remains the cornerstone of economic development. Investors, businesses, governments, and citizens rely on accurate and transparent financial information to make informed decisions. Chartered Accountants have long been the custodians of this trust, ensuring that financial reporting, and governance frameworks operate with the highest standards of professionalism and accountability. Through their commitment to ethics and public interest, they strengthen the foundations of markets, reinforce confidence in institutions, and contribute to a stable and resilient economic ecosystem.

As economic activities become increasingly interconnected across borders, trust must extend beyond national boundaries. Indian businesses today operate in a global environment where comparability, consistency, and credibility of financial information are indispensable. ICAI has actively facilitated this transition by aligning professional standards with international best practices, promoting global partnerships, and strengthening the international mobility of Indian professionals. These efforts have enhanced the reputation of the Indian accountancy profession and positioned Chartered Accountants as trusted contributors to the global economy.

**Embracing Innovation**

The profession is simultaneously undergoing a profound transformation driven by technology. Artificial intelligence, machine learning, blockchain, data analytics, and automation are redefining how financial information is generated, analysed, and assured. Rather than viewing these developments as disruptions, ICAI has embraced them as opportunities to elevate professional value. By equipping members with future-oriented skills and encouraging the adoption of advanced technologies, the Institute is enabling a shift from traditional compliance-driven functions towards strategic advisory, predictive insights, and value creation.

Innovation within the profession extends beyond technology. It encompasses new approaches to governance, risk management, sustainability, and stakeholder engagement. Modern enterprises are increasingly evaluated not only by financial performance but also by their environmental and social impact. Recognising this evolution, ICAI has been at the forefront of developing professional capabilities in sustainability reporting, ESG assurance, integrated reporting, and responsible business practices. By enhancing the reliability of non-financial disclosures, the profession is helping organisations build long-term stakeholder confidence while contributing to national and global sustainability goals.

A future-ready profession also requires continuous learning and adaptability. ICAI has consistently invested in capacity building through education, research, professional development, and specialised training initiatives. These efforts empower members to navigate emerging areas such as digital finance, cybersecurity, forensic accounting, valuation, public financial management, and sustainability assurance. By fostering a culture of lifelong learning, the Institute ensures that the profession remains relevant in an era of rapid economic and technological change.

### **Strengthening Nation**

Beyond corporate enterprises, Chartered Accountants contribute significantly to nation building through their involvement in public finance, tax literacy, financial inclusion, entrepreneurship development, and governance reforms. Their expertise supports efficient utilisation of public resources, strengthens accountability mechanisms, and promotes transparency in both public and private sectors. Whether advising start-ups, supporting MSMEs, facilitating infrastructure development, or contributing to policy implementation, the profession plays an important role in advancing inclusive and sustainable growth. Global collaboration further amplifies the profession's impact. Through active engagement with international standard-setting bodies, professional organisations, and regulatory institutions, ICAI contributes Indian perspectives to global discussions while bringing international best practices to domestic stakeholders. This exchange of knowledge strengthens professional excellence and reinforces India's emergence as a trusted participant in the global financial architecture.

As the profession transforms, its core values remain unchanged. Ethics, independence, objectivity, and commitment to the public interest continue to define the identity of Chartered Accountants. These principles provide the foundation upon which innovation can flourish responsibly and growth can be sustained with confidence.

The future belongs to professions that can combine trust with technology, expertise with adaptability, and innovation with integrity. Guided by this vision, ICAI is shaping a new generation of professionals equipped to address emerging challenges and seize new opportunities. Through its unwavering commitment to excellence, the Institute continues to strengthen institutions, support economic progress, and contribute meaningfully to India's development journey.

In transforming the profession, ICAI is not merely preparing Chartered Accountants for the future; it is helping shape a future where trust drives progress, innovation creates opportunity, and professional excellence strengthens the nation.

### **Professional Excellence in Service of Nation Building**

As the accounting profession navigates an increasingly dynamic global environment, the ICAI continues to advance a vision anchored in trust, professional excellence, innovation, and nation building. Through sustained emphasis on ethical conduct, technological advancement, sustainability, capacity building, and thought leadership, the Institute remains committed to strengthening the profession's relevance and contribution to society.

The Institute established under an Act of Parliament, occupies a unique position in India's economic and institutional framework. As the regulator of the accountancy profession, a premier knowledge institution, a standard-setting body, and a trusted partner in public policy and governance, ICAI continues to contribute significantly towards strengthening India's financial architecture and supporting the nation's journey towards becoming a developed economy.

During the year, the Institute further strengthened its role as a catalyst for professional excellence, economic growth, public accountability, technological innovation, sustainability, and global engagement. Through a combination of regulatory leadership, capacity building, strategic collaborations, policy advocacy, educational reforms, and outreach initiatives, ICAI continued to uphold the highest standards of professionalism while responding proactively to emerging national and global developments.

By encouraging prudent savings habits, informed investment decisions, and greater participation in the formal financial system, ICAI is helping transform individual financial well-being into a powerful driver of national prosperity, exemplifying how a premier professional institution can become an important partner in advancing inclusive economic growth and realizing the vision of Viksit Bharat 2047.

As part of its commitment to financial inclusion, ICAI conducted financial and tax literacy sessions for Northern East States such as self-help groups in the Khasi and Garo regions and tribal communities in remote areas of Meghalaya, and women-led self-help groups in Mizoram and self-help groups Sikkim, thereby promoting financial awareness and empowerment at the grassroots level. ICAI established a World Record by conducting over 190 Financial and Tax Literacy Programs across India within nine months (March–November 2025), recognised by the World Book of Records, London.

### **Strengthening Financial Reporting, Auditing and Regulatory Frameworks**

As the statutory regulator of the accountancy profession, ICAI continued to play a pivotal role in strengthening India's financial reporting and regulatory architecture. During the year, the Institute actively engaged with policymakers on several landmark reforms, including the Income-tax Bill, 2025. Through a dedicated expert group, ICAI submitted extensive recommendations aimed at simplifying the proposed legislation, including rationalisation of provisions and simplification of legal language. Significantly, more than 90 suggestions submitted by the Institute were subsequently reflected in the final Income-tax Act, 2025, underscoring ICAI's role as a trusted technical advisor in tax policy formulation.

The Institute also continued its contribution to indirect tax reforms by providing recommendations on GST Annual Return (GSTR-9) and Reconciliation Statement (GSTR-9C), facilitating simplification, standardisation and ease of compliance for taxpayers.

The profession's commitment to trust and transparency was reflected in the remarkable achievement of crossing 10 crore Unique Document Identification Numbers (UDINs) during the year. The migration of the UDIN platform to ICAI DigiCA further strengthened security, accessibility and real-time verification capabilities, enhancing confidence in professional certifications across the financial ecosystem.

### **Transforming Professional Education and Developing Future-Ready Talent**

ICAI continued to advance and modernise professional education in line with evolving business and societal needs. To further improve the examination process, the facility of exam centre selection was introduced, reducing logistical challenges and enabling students to focus more effectively on their preparation. Additionally, the e-Diary was made mandatory for students commencing practical training on or after 1st January 2026, thereby enhancing transparency, standardisation and real-time monitoring of practical training.

Recognising the global standing of the qualification, ICAI successfully secured international benchmarking through ECCTIS, which assessed the Chartered Accountant qualification as comparable to a Master's degree under several international frameworks. This recognition is expected to substantially enhance global mobility and international career opportunities for Indian Chartered Accountants.

The Institute also demonstrated its commitment to youth development through nationwide skill-building initiatives. World Youth Skills Day 2025 was celebrated across more than 130 cities through over 130 programmes focused on leadership, entrepreneurship, communication and digital competencies. Additionally, ICAI achieved a Guinness World Record through its Career in Accounting and Finance for Youth programme, which reached over 7,400 students, teachers and principals in a single career guidance session.

## **Capacity Building and Strengthening Public Financial Management**

As a key institution supporting governance and public sector reforms, ICAI expanded its contribution to capacity building across government institutions and public sector entities. Pursuant to its Memorandum of Understanding with the Comptroller and Auditor General of India, ICAI successfully conducted a 32-day residential capacity-building programme for 50 C&AG officers at its Centre of Excellence, Hyderabad.

The Institute continued to provide faculty support and technical expertise to various state governments and public institutions, including the Panchayati Raj Department of Bihar, the Treasuries and Accounts Department of Tamil Nadu, and Metropolitan Transport Corporation, Chennai.

ICAI's Accounting Research Foundation further strengthened public sector financial reforms through its continuing partnership with Indian Railways. Since 2014, the Foundation has served as technical partner for railway accounting reforms and has successfully prepared accrual-based financial statements for six consecutive financial years from 2017-18 to 2022-23. Now the project for preparation of Accrual Based Financial Statements of Indian Railways for the financial years 2023-24 and 2024-25 has been awarded to ICAI ARF.

The Institute also expanded its contribution to local governance and urban finance through collaborations with the National Institute of Urban Affairs, Mahatma Gandhi State Institute of Public Administration and Government Accounting Standards Advisory Board, thereby strengthening financial accountability and governance at the grassroots level.

## **Empowering MSMEs and Driving Entrepreneurial Growth**

Recognising MSMEs as a cornerstone of India's economic development, ICAI intensified its outreach and support initiatives during the year. The sector currently contributes more than 30 per cent of India's GDP and approximately 35.4 per cent of manufacturing output, making it a critical driver of growth and employment.

To strengthen this ecosystem, ICAI organised MSME Mahotsav and MSME & Startup Conclave 2025, bringing together more than 3,000 stakeholders, including entrepreneurs, policymakers, investors and professionals. Through a nationwide campaign conducted across ICAI's extensive network, the Institute provided free advisory support, Udyam registration assistance, compliance guidance and access to financial institutions.

A landmark achievement was recorded on International MSME Day, when ICAI mentored 19,355 MSMEs across the country in a single day, earning recognition from the World Book of Records, Asia Book of Records and India Book of Records. Building on this momentum, the Institute launched MSME Clinics across 183 branches and regional offices to provide structured professional support in finance, taxation, accounting, compliance, digital transformation and business sustainability.

Strategic partnerships with organisations such as NSIC, NPCI, Startup Tamil Nadu, FITT-IIT Delhi and various state governments further strengthened ICAI's role in promoting entrepreneurship, financial inclusion and business competitiveness.

## **Leading Digital Transformation**

The Institute continued to position itself at the forefront of technological transformation. The AI Innovation Summit 2025 attracted leading technology experts, policymakers and academicians to deliberate on the future of accounting, auditing, taxation and governance in an AI-driven world.

The Institute also intensified efforts to integrate emerging areas such as Artificial Intelligence, sustainability, fintech, data analytics and digital transformation into professional development. During the year, over 450 batches of the Artificial Intelligence Certificate Course (AICA Level 1) were conducted, attracting more than 20,000 registrations from Chartered Accountants across the country. Building on this success, ICAI launched the advanced AICA Level 2 programme and expanded AI learning opportunities to overseas chapters.

ICAI's Digital Accounting and Assurance Board completed 25 years of pioneering work in digital transformation, during which it has trained more than 35,000 professionals in systems audit and over 14,000 professionals in forensic accounting and investigations. Through the development of the Forensic Accounting and Investigation Standards (FAIS) and the Information Systems Auditing Standards (ISAS), ICAI has been at the forefront of establishing global benchmarks and advancing professional excellence in these emerging domains.

The Digital Transformation Finance Summit 2025 witnessed participation from more than 1,300 delegates, while Future Proof Forensics 2025 brought together over 130 regulators, banking leaders and financial institutions to discuss fraud prevention, cyber resilience and digital trust.

Automated Web Based Software for allotment of Audit Assignment designed by ICAI utilized by 6 Public Sector Banks for the year 2025-26 including Bank of Baroda, Punjab National Bank, Canara Bank, Indian Bank, Bank of Maharashtra and Union Bank of India.

## **Advancing Sustainability and Responsible Business Practices**

Sustainability remained a major strategic priority for ICAI during the year. Through the Sustainability Reporting Standards Board, the Institute launched Sustainability Month 2025, engaging members, students and communities through awareness campaigns, surveys, tree plantation drives, walkathons and educational initiatives aligned with the Government of India's Lifestyle for Environment (LiFE) mission.

ICAI organised several high-level sustainability platforms, including the National Conference on Responsible Business Conduct and biodiversity-focused initiatives in collaboration with the United Nations Global Compact Network India. More than 200 industry leaders, policymakers, regulators and professionals participated in these deliberations.

A notable achievement was the launch of ICAI's Carbon Emission Calculator, a free digital tool designed to assist organisations and individuals in measuring and managing carbon footprints, thereby supporting India's net-zero ambitions.

### **Expanding Global Presence and Promoting India as a Global Professional Services Hub**

ICAI strengthened its international footprint and positioned Indian Chartered Accountants as globally respected professionals. At present, the global network of the Institute is in 47 countries of the world with 54 overseas chapters, 31 representative offices and 85 cities.

Two new overseas chapters were launched in Los Angeles and Atlanta, further deepening ICAI's presence in North America. The Institute also participated in global standard-setting forums, including meetings of XBRL International, IESBA and IAASB, ensuring that Indian perspectives continue to shape international developments in accounting, auditing and ethics. Recognising the growing importance of Global Capability Centres (GCCs), ICAI launched the GCC Summit Series to promote India as a global Accounting GCC hub. Organised across major cities, the summits brought together industry leaders and policymakers to discuss the evolving GCC landscape and the opportunities it presents for Chartered Accountants to take on strategic leadership roles. ICAI also submitted a draft GCC framework to the Government of West Bengal to support structured GCC growth.

As part of its efforts to promote the export of accounting and financial services, ICAI introduced a Certificate Course on Overseas Outsourcing Services to equip professionals with the knowledge and skills required to serve clients in the UK, Australia and Canada markets.

The World Forum of Accountants (WOFA 2.0) emerged as one of the largest global gatherings of the profession, attracting more than 10,000 delegates and over 250 speakers from around the world. The event featured 21 plenary sessions and 42 concurrent sessions, firmly establishing India as a leading centre for professional thought leadership.

Complementing these efforts, ICAI actively contributed to the India-UK Free Trade Agreement, securing provisions relating to professional services, recognition of qualifications and outsourcing opportunities. These measures are expected to create significant global opportunities for Indian Chartered Accountants and professional firms.

ICAI is moving forward towards Viksit Bharat#2047 making India a developed nation by 2047 , the 100<sup>th</sup> year of Century of the India's independence.

## **1. THE COUNCIL**

The Twenty-Sixth Council was constituted on 12<sup>th</sup> February 2025. It comprises of 32 elected members and 8 members nominated by the Central Government. Composition of the 26<sup>th</sup> Council is disclosed separately. 10 Council meetings were held during financial year 2025-26.

## **2. COMMITTEES OF THE COUNCIL**

The Council in terms of Section 17 of the Chartered Accountants Act, 1949 constitutes every year various Standing and Non-Standing Committees/Boards and Groups to ensure different activities of the Institute for regulation and development of the profession of Chartered Accountancy. During the financial year ended 31<sup>st</sup> March 2026, 528 meetings of the said Standing and Non-Standing Committees / Boards and Groups were held.

## **3. AUDITORS**

M/s Jagdish Chand & Co & M/s A S A & Associates, LLP were the joint auditors of the Institute for the financial year 2025-26 appointed from the panel maintained by Comptroller and Auditor General of India. The Council wishes to place on records its appreciation of the services rendered by them.

## **4. STANDING COMMITTEES**

The Council of ICAI constitutes the following Standing Committees as per the Section 17 of the Chartered Accountants Act, 1949 :

- 4.1 Executive Committee
- 4.2 Finance Committee
- 4.3 Examination Committee

### **4.1 Executive Committee**

The functions of this Committee are defined in Regulation 175 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 which include matters relating to employees, articled and audit assistants and enrolment, removal, restoration of members from the Register, cancellation of certificate of practice, permission to engage in any other business or occupation other than profession of accountancy. Executive Committee is also the custodian of the property, assets and funds of the Institute beside maintenance of the Institute's offices. The Executive Committee met 10 times during the year.

### **4.2 Finance Committee**

This Finance Committee as per Regulation 176A of the Chartered Accountants Regulations, 1988 controls, implements and supervises the activities related with and incidental, inter alia, to maintenance of true and correct accounts, formulation of annual budget, control of funds, investment of the funds, and disbursements from the funds for expenditure – both Revenue and Capital Nature. The Finance Committee met 3 times during the year.

### **4.3 Examination Committee**

The Examination Committee as per Regulation 176 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 performs all the functions of the Council relating to the examinations such as holding of examinations, admissions thereto, cancellation of an examination, appointment and selection of examiners, prescription of books for the guidance of candidates, declaration of results, payment of remuneration to examiners and /or assistant examiners, superintendents of the examination and others.

Major achievements of Examination Department during the period are as under:



**(I) CONDUCT OF FOUNDATION, INTERMEDIATE, FINAL AND PQC EXAMINATION DURING 2025-2026:-**

The Chartered Accountants Examinations for students (Foundation, Intermediate and Final) as well as for Members under Post Qualification Course [International Taxation Assessment Test (INTT-AT) and Insurance and Risk Management Technical Examination (IRM)] were conducted smoothly all over the country and abroad with social distancing norms in the year 2025 as per below mentioned schedule: -

| Exams          | Name of the course /                                                                                                                            | Examination Dates                                  | Number of Exam Centres | No of students admitted                                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| MAY 2025       | Foundation, Intermediate, Final and International Taxation Assessment Test (INTT-AT)                                                            | May 2 <sup>nd</sup> to 21 <sup>st</sup> 2025       | 564                    | Foundation: 96538<br>Intermediate: 169172<br>Final: 99466<br>INTT - AT: 411            |
| SEPTEMBER 2025 | Foundation, Intermediate & Final                                                                                                                | September 3 <sup>rd</sup> to 22 <sup>nd</sup> 2025 | 559                    | Foundation: 112287<br>Intermediate: 159779<br>Final: 81852                             |
| JANUARY 2026   | Foundation, Intermediate, Final, International Taxation Assessment Test (INTT-AT) and Insurance and Risk Management (IRM) Technical Examination | January 5 <sup>th</sup> to 31 <sup>st</sup> 2026   | 576                    | Foundation: 123839<br>Intermediate: 166236<br>Final: 83481<br>INTT -AT: 461<br>IRM: 57 |

**(II) CONDUCT OF ADVANCED INTEGRATED COURSE ON INFORMATION TECHNOLOGY AND SOFT SKILLS (ADVANCED ICITSS) - ADV. INFORMATION TECHNOLOGY TEST IN COMPUTER BASED MODE (CBT): -**

During the year 2025-2026, tests were conducted in Computer Based Mode (CBT) at computer centres for Advanced ICITSS. The details of Advanced ICITSS conducted during the year are as below:

| S. No. | Date / Term | No. of Centres | Students Appeared |
|--------|-------------|----------------|-------------------|
| 1.     | 24-05-2025  | 72             | 2874              |
| 2.     | 28-06-2025  | 78             | 2711              |
| 3.     | 26-07-2025  | 75             | 2943              |
| 4.     | 27-09-2025  | 79             | 3163              |
| 5.     | 25-10-2025  | 80             | 2719              |
| 6.     | 29-11-2025  | 89             | 4967              |
| 7.     | 8-01-2026   | 81             | 2293              |
| 8.     | 08-02-2026  | 78             | 2840              |
| 9.     | 08-03-2026  | 89             | 1376              |

**(III) CONDUCT OF INFORMATION SYSTEM AUDIT – ASSESSMENT TEST [ISA – AT]:-**

The Information Systems Audit- Assessment Test (ISA-AT) which is open to the members of the Institute was held smoothly on 12<sup>th</sup> July 2025 at 55 exam centres in India, 8<sup>th</sup> November 2025 at 59 exam centres in India and on 8<sup>th</sup> February 2026 at 59 exam centres in India respectively through Computer Based Test (CBT) Mode only.

**(IV) CONDUCT OF SPECIAL EXAM UNDER MRA / MOU: -**

The Chartered Accountant Special Examination for Members of Institutions with whom ICAI had entered into Mutual Recognition Agreement (MRAs) / Memorandum of Understanding (MOUs) was held smoothly from June 23<sup>rd</sup> to 27<sup>th</sup>, 2025 at Noida.

**(V) CONDUCT OF SELF-PACED ONLINE MODULE [SPOM] TESTS: -**

During the year 2024, ICAI started the Self-Paced Module Tests where students can do online learning through the portal <https://lms.icai.org>. The candidates who have completed prescribed learning hours for respective Self-Paced Online Modules can book the exam seats at <https://sfmt.icai.org>. Self-Paced Module Test are being conducted on daily basis, except government holidays, across the country and abroad. As on 31<sup>st</sup> March, 2026, 6,78,507 candidates have already appeared for the exam.

**(VI) ASSISTANCE IN CONDUCTING EXAMINATION OF CERTIFICATE COURSES FOR ACCOUNTANTS OF PANCHAYATS AND MUNICIPAL BODIES:-**

ICAI Examination Department has provided all possible assistance to the Board for Local Bodies Accountants Certification (BLoAC) established under ICAI Accounting Research Foundation (ICAI ARF)) to conduct their Examinations of Certificate Courses for Accountants of Panchayats and Municipal Bodies. The Screening Exam was held on 3<sup>rd</sup> September, 2025 (Except Jammu) & 15<sup>th</sup> October, 2025 (at Jammu) and Main Exam was held on 6<sup>th</sup> August 2025.

**(VII) DIPLOMA ON MANAGEMENT AND BUSINESS FINANCE - COMPUTER BASED TEST:-**

Diploma on Management and Business Finance - Computer Based Test was held from 9<sup>th</sup> to 11<sup>th</sup> February 2026.

**(VIII) OPENING OF EXAMINATION CENTERS IN NEW CITIES: -**

During the year, the Institute opened additional examination centers in the following cities:

| Exam (w.e.f.)  | City (State)                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| May 2025       | Dimapur (Nagaland), Hapur (Uttar Pradesh) and Riyadh (Kingdom of Saudi Arabia)                   |
| September 2025 | Tezpur (Assam)                                                                                   |
| January 2026   | Ayodhya (Uttar Pradesh), Hanumangarh (Rajasthan), Modinagar (Uttar Pradesh) and Palwal (Haryana) |

**(IX) RESULTS OF CHARTERED ACCOUNTANTS' FINAL COURSE EXAMINATIONS HELD IN MAY 2025, SEPTEMBER 2025 AND JANUARY 2026: -**

Results of Chartered Accountants Final course examination held in May 2025 September 2025, and January 2026 were declared on 6<sup>th</sup> July 2025 3<sup>rd</sup> November 2025 and 1<sup>st</sup> March 2026 respectively. The gist of results statistics is as under:

|     | Group(s)    | No. of candidates appeared |            |           | No. of candidates passed |            |           | Passing % |            |           |
|-----|-------------|----------------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
|     |             | May 2025                   | Sept. 2025 | Jan. 2026 | May 2025                 | Sept. 2025 | Jan. 2026 | May 2025  | Sept. 2025 | Jan. 2026 |
| I   | Group-I     | 66943                      | 51955      | 53652     | 14979                    | 12811      | 11282     | 22.38     | 24.66      | 21.03     |
| II  | Group-II    | 46173                      | 32273      | 38169     | 12204                    | 8151       | 3726      | 26.43     | 25.26      | 9.76      |
| III | Both Groups | 29286                      | 16800      | 22293     | 5490                     | 2727       | 2446      | 18.75     | 16.23      | 10.97     |

Consequent to declaration of result as mentioned above, 14247, 11466 and 7590 candidates qualified as Chartered Accountants in May 2025, September 2025 and January 2026 respectively.

**(X) RESULTS OF CHARTERED ACCOUNTANTS' INTERMEDIATE COURSE EXAMINATIONS HELD IN MAY 2025, SEPTEMBER 2025 AND JANUARY 2026: -**

Results of Chartered Accountants Intermediate course examination held in May 2025 September 2025, and January 2026 were declared on 6<sup>th</sup> July 2025, 3<sup>rd</sup> November 2025 and 8<sup>th</sup> March 2026 respectively. The gist of results statistics is as under:

|     | Group(s)    | No. of candidates appeared |            |           | No. of candidates passed |            |           | Passing % |            |           |
|-----|-------------|----------------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
|     |             | May 2025                   | Sept. 2025 | Jan. 2026 | May 2025                 | Sept. 2025 | Jan. 2026 | May 2025  | Sept. 2025 | Jan. 2026 |
| I   | Group-I     | 97034                      | 93074      | 105526    | 14232                    | 8780       | 14733     | 14.67     | 9.43       | 13.96     |
| II  | Group-II    | 72069                      | 69768      | 69477     | 15502                    | 18938      | 10798     | 21.51     | 27.14      | 15.54     |
| III | Both Groups | 38029                      | 36398      | 41798     | 5028                     | 3663       | 3924      | 13.22     | 10.06      | 9.39      |

**(XI) RESULTS OF CHARTERED ACCOUNTANTS' FOUNDATION COURSE EXAMINATION HELD IN MAY 2025, SEPTEMBER 2025 AND JANUARY 2026: -**

Results of Chartered Accountants Foundation course examination held in May 2025 September 2025, and January 2026 were declared on 6<sup>th</sup> July 2025, 3<sup>rd</sup> November 2025 and 8<sup>th</sup> March 2026 respectively.

| Term           | No. of candidates appeared | No. of candidates passed | Passing % |
|----------------|----------------------------|--------------------------|-----------|
| May 2025       | 82662                      | 12474                    | 15.09     |
| September 2025 | 98827                      | 14609                    | 14.78     |
| January 2026   | 109694                     | 21099                    | 19.23     |

**(XII) DIGITAL EVALUATION: -**

Continuing on the path of 100% Digitalization thirty four lakh answer books were digitally evaluated in the year 2025-2026, covering examinations of May 2025, Sept 2025 and Jan 2026 exams. Another major achievement was joint declaration of results of Final, Intermediate and Foundation Exams for the first time in May 2025 exams.

**(XIII) DIGITAL WORKSHOP/WEBCAST FOR EXAMINERS & EXAMINATION FUNCTIONARIES:**

Continuing on the path of conducting examiners workshop in Digital Mode, Approx 13,553 examiners attended Digital Workshop in the year 2025-2026. Digital Workshop had resulted in huge cost savings as well as ease and convenience for examiners who otherwise had to travel long distance to attend the physical workshop. Programme(s) for enhancing the quality & consistency of evaluation of answer books through webcast for examiners were successfully conducted for May 2025, September 2025 and January 2026 Examinations. This initiative is expected to go a long way in improving the quality of evaluation. Webcast on guidelines for observers, examination centres, Bank of Baroda, Examination Co-ordinators were successfully done for May, September 2025 and January 2026 Examinations for better coordination in the examination conducting machinery.

**(XIV) ELIGIBILITY TEST FOR EXISTING AND NEW EXAMINERS: -**

Mandatory Eligibility test were conducted for new applicant examiners and only those new applicant examiners were allotted examinership assignment who passed the mandatory eligibility test. Similarly, eligibility tests were conducted for existing examiners whose 3 years had lapsed since they passed the eligibility test. Accordingly, 20 Part A test and 19 Part B tests were conducted in the year 2025-26, whereby 1325 new and existing examiners passed the tests and were empaneled as examiners.

**(XV) RESULTS ON DIGILOCKER:-**

The result of Foundation, Intermediate and Final Examination can be accessed on DIGILOCKER with effect from May 2025. Result of Information Systems Audit- Assessment Test (ISA-AT) and Diploma on Management and Business Finance (DMBF) can be accessed on DIGILOCKER With effect from Jan 2025.

**5. DISCIPLINARY DIRECTORATE**

The Disciplinary Directorate, which serves as the regulatory arm of ICAI, has been established to examine cases of alleged professional or other misconduct by its members. Such cases may be initiated either through a formal complaint filed in Form I or through information received under the provisions of the Chartered Accountants Act, 1949 and/or the Rules framed thereunder.

Under this disciplinary framework, the Directorate is entrusted with the responsibility of investigating any alleged lapses or irregularities committed by members across the country. This ensures that public confidence in the profession is maintained, while also setting clear standards of acceptable professional conduct. Although the majority of members contribute responsibly and diligently to society through their expertise, the disciplinary mechanism exists to take corrective action against the few who deviate from the expected standards.

Following the amendments to the Chartered Accountants Act, 1949 in 2006, the disciplinary mechanism underwent significant reforms aimed at improving the efficiency and speed of disposal of disciplinary cases. Currently, the system operates through two quasi-judicial bodies established under the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006, namely the Board of Discipline under Section 21A and the Disciplinary Committee under Section 21B. The structure and processes of this mechanism are designed to ensure transparency, strengthen public trust and provide fair and impartial justice to members facing allegations of misconduct. To further enhance accountability among members and firms, and to ensure timely delivery of justice, the Act was amended again in 2022; however, the effective date for the implementation of the revised disciplinary provisions is yet to be notified.

During the Council Year 2025-26, four Benches of the Disciplinary Committee, i.e. Bench I, Bench II, Bench III (including MNAF cases) and Bench IV, and one Bench of the Board of Discipline were constituted for the expeditious disposal of cases under enquiry, apart from the consideration of the Prima Facie Opinions formed by the Director (Discipline). In addition, the Disciplinary Committee under Section 21D, headed by the President, ICAI, was also constituted to look into any residual old cases that are/may be referred back.

The disciplinary mechanism of ICAI has evolved into a comprehensive and robust regulatory framework capable of addressing professional misconduct in an increasingly complex financial ecosystem. The transition from a Council-centric model to a multi-tiered, independent and structured system reflects a deliberate and progressive reform process. The evolving disciplinary architecture stands as a critical pillar in preserving the integrity, credibility, and accountability of the profession, ensuring that it remains aligned with both domestic expectations and global standards.

**Salient Initiatives/Achievements**

- Successful conduct of e-hearings with the effective participation of the members of the Board of Discipline/Disciplinary Committee. Besides being time-saving and cost-effective, e-hearings have ensured that parties to a case can appear before the Board of Discipline/Disciplinary Committee. The effectiveness of e-hearings is clearly reflected in the volume of cases disposed of in the meetings of the Board of Discipline and the Disciplinary Committee, as stated in the subsequent paragraphs.
- To enhance operational efficiency and keep abreast of recent developments in various laws and regulations, regular training sessions covering critical topics such as Corporate Laws, reporting

under CARO and Ind AS are being conducted for the officials and staff of the Disciplinary Directorate.

- As on date, all residual cases under the old disciplinary mechanism (under Section 21D) stand heard and concluded by the Disciplinary Committee. Similarly, no case is pending before the Council for consideration.

### **Board of Discipline under Section 21A of the Chartered Accountants Act, 1949**

The Board of Discipline has been constituted by the Council of ICAI under Section 21A of the Chartered Accountants Act, 1949 to look into matters of professional and/or other misconduct by members falling under the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 and/or cases wherein members are held prima facie NOT guilty of any misconduct by the Director (Discipline).

During the period from 1<sup>st</sup> April, 2025 to 30<sup>th</sup> April, 2026, the Board of Discipline held 45 meetings at various places in in-person/video-conference mode. In these meetings, the Board concluded its enquiry in 64 cases, including cases which had been referred to it in previous years. The statistical break-up of the cases decided by the Board of Discipline is given below:

| Sl. No. | Particulars                                                                                                                                                                                                               | Figure |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| a)      | Number of meetings of the Board of Discipline held during the period                                                                                                                                                      | 45     |
| b)      | Number of Complaint/Information cases considered by the Board of Discipline (under Section 21A) wherein the Prima Facie Opinion of the Director (Discipline) was formed (including cases considered under Rule 6/Rule 12) | 404    |
| c)      | Number of cases (Complaint/Information) in which enquiry was completed by the Board of Discipline (including cases referred to the Board of Discipline during earlier years)                                              | 64     |
| d)      | Number of cases (Complaint/Information) in which punishment was awarded by the Board of Discipline (including cases referred to the Board of Discipline during earlier years)                                             | 37     |
| e)      | Number of miscellaneous matters considered (under Rule 5(6), jurisdiction issues, etc.)                                                                                                                                   | 907    |

### **Disciplinary Committee under Section 21B of the Chartered Accountants Act, 1949**

The Disciplinary Committee has been constituted by the Council of ICAI under Section 21B of the Chartered Accountants Act, 1949 to look into matters of professional and/or Other misconduct by members which fall within the purview of the Second Schedule, or both the First and Second Schedules, to the Chartered Accountants Act, 1949.

During the period from 1<sup>st</sup> April 2025 to 30<sup>th</sup> April 2026, the Disciplinary Committee (all Benches) held 116 meetings in in-person/video-conference mode. During the course of the aforesaid meetings, the Committee concluded its enquiry in 213 cases. The statistical break-up of the cases decided by the Disciplinary Committee is given below:

| Sl. No. | Particulars                                                                                                                                                                         | No. of Cases |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a)      | Number of meetings of the Disciplinary Committee held during the period                                                                                                             | 116          |
| b)      | Number of Complaint/Information cases considered by the Disciplinary Committee (under Section 21B) wherein the prima facie opinion of the Director (Discipline) was formed          | 293          |
| c)      | Number of cases (Complaint/Information) in which enquiry was completed by the Disciplinary Committee (including cases referred to the Disciplinary Committee during earlier years)  | 213          |
| d)      | Number of cases (Complaint/Information) in which punishment was awarded by the Disciplinary Committee (including cases referred to the Disciplinary Committee during earlier years) | 92           |

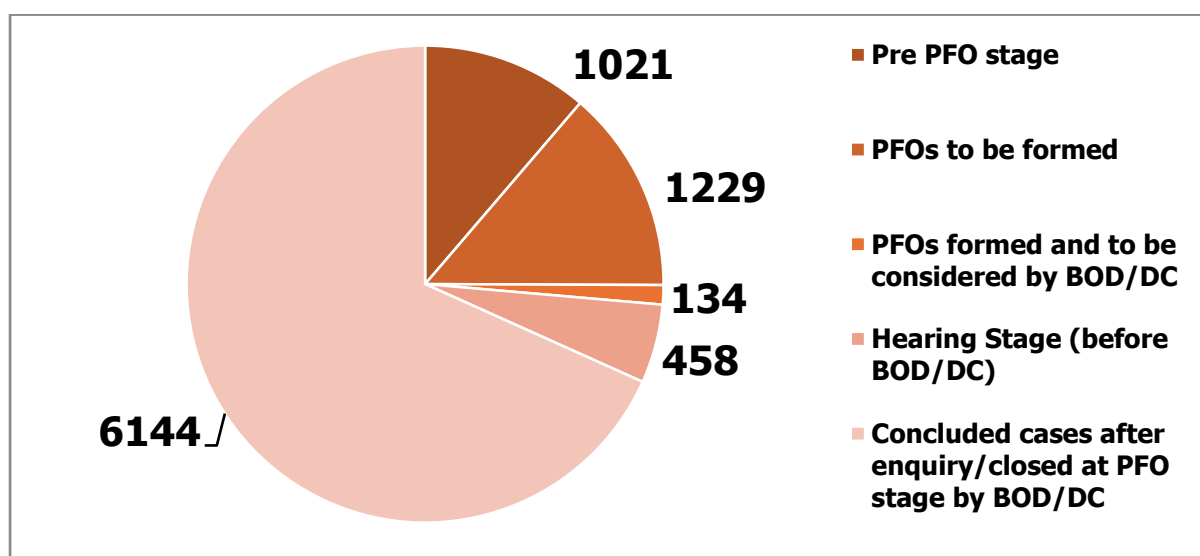
### Disciplinary Committee under Section 21D

The Disciplinary Committee functioning under the provisions of Section 21D of the Chartered Accountants Act, 1949 conducts enquiries and submits its reports to the Council in respect of residual cases pending prior to the amendments made in the aforesaid Act in 2006.

### Case dealt with the Old Disciplinary Mechanism (Section 21D)

As of now, all residual cases under the old disciplinary mechanism (Section 21D) have been heard and concluded by the Disciplinary Committee, and no case remains pending before the Council for consideration. During the year under consideration, one case was referred back by the Hon'ble High Court of Gujarat for fresh consideration by the Council, which was duly considered by the Council within the time stipulated in the said Order. The Council recommended to the concerned High Court the punishment of the alleged member.

### Overview of Registered Disciplinary Cases ( under current mechanism - From the Year 2007 until 25<sup>th</sup> May, 2026)



**Total Registered Cases – 8986**  
**Disposal of Disciplinary Cases (in percentage) – 68.37%**

## 6. TECHNICAL COMMITTEES/BOARDS

### 6.1 ACCOUNTING STANDARDS BOARD (ASB)

The Accounting Standards Board (ASB), established by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) in 1977, is entrusted with formulating Accounting Standards to ensure a robust, reliable and high-quality accounting and financial reporting system in India. Its primary objectives are to harmonise accounting policies and practices across the country and to align Indian standards with the International Financial Reporting Standards (IFRS) issued by the International Accounting Standards Board (IASB). The year under report also marked the commencement of the Golden Jubilee Year of the Board.

The following are the major activities undertaken by the ASB during the period under report:

#### (I) Financial Reporting Standards

##### Amendments to Ind AS and AS notified by MCA:

- Lack of Exchangeability – Amendments to Ind AS 21
- Classification of Liabilities as Current or Non-current and Non-current Liabilities with Covenants – Amendments to Ind AS 1 (one amendment is applicable w.e.f. 1<sup>st</sup> April, 2026)
- International Tax Reform (Pillar Two Model Rules) – Amendments to Ind AS 12
- Supplier Finance Arrangements – Amendments to Ind AS 7 and Ind AS 107
- Editorial corrections
- Amendments to AS 22, relating to the Pillar Two Model.

##### Amendments to Ind AS and AS on the following subjects- recommended to NFRA during the period:

- Annual Improvements to Ind AS (2024).
- Amendments to Ind AS 109 and Ind AS 107 – Classification and Measurement of Financial Instruments.
- Ind AS 118, *Presentation and Disclosure in Financial Statements*, along with consequential amendments.
- Amendments to Ind AS 109 and Ind AS 107 – Contracts Referencing Nature-dependent Electricity.
- Accounting Standard for LLPs.

##### Ongoing important projects related to Ind AS:

- Formulation of Ind AS 119, *Subsidiaries without Public Accountability*.
- Amendments to Ind AS 21 – *Translation to a Hyperinflationary Presentation Currency*
- Editorial changes in Ind AS
- Incorporating the requirements of the Income Computation and Disclosure Standards (ICDS) into Indian Accounting Standards (Ind AS)
- Formulating an Accounting Standard on Cash Basis of Accounting
- Changes required in Schedule III to the Companies Act, 2013 and updates to SEBI's circulars or guidance in light of the proposed Ind AS 118
- Implementation support on Ind AS 117, *Insurance Contracts*

##### Exposure Drafts (ED)/Tentative Agenda Decision (TAD) issued by IASB/IFRIC for comments:

- Exposure Draft on Risk Mitigation Accounting – proposed amendments to IFRS 9 and IFRS 7
- TAD on Reassessment of Control (IFRS 10)

## (II) International Initiatives – Forging Long-lasting Partnership

In order to play an active role in standard setting at the global level, comments were submitted on 9 Consultative Documents, consisting of Post-implementation Review (PIR) of IFRS 16 and Tentative Agenda Decisions (TADs).

ICAI representatives also actively participated in meetings of various international standard-setting forums, such as the Emerging Economies Group (EEG), the International Forum of Accounting Standard Setters (IFASS), the Accounting Standards Advisory Forum (ASAF) and the Asian-Oceanian Standard-Setters Group (AOSSG) and presented relevant agenda items raising Indian concerns. The details of participation during the period are as under:

| Forum                 | Date                            | Location/Mode        |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------|
| IFASS                 | March 12-14, 2025               | Naples, Italy        |
| AOSSG-CAC             | March 19, 2025                  | Virtual              |
| IFASS                 | September 30 – October 1, 2025  | London, UK           |
| ASAF (PIR of IFRS 16) | March 31, 2026 (PIR of IFRS 16) | Virtual              |
| IFASS                 | April 28–30, 2026               | Melbourne, Australia |
| EEG                   | May 7–8, 2025                   | Virtual              |

## (III) Building Robust Relationships with Government and Regulatory Bodies

In addition to its regular engagement with the Ministry of Corporate Affairs (MCA), the ASB actively supported and collaborated with various other regulatory bodies, including the Securities and Exchange Board of India (SEBI), the Ministry of Power, the Employees' Provident Fund Organisation (EPFO), the Reserve Bank of India (RBI), the Department of Telecommunications and the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI).

### Specialised Training Programmes for Regulators and Public Sector Entities:

- **Office of the Comptroller & Auditor General (C&AG) of India:** Under ICAI's Memorandum of Understanding with the C&AG of India, the ASB actively contributed to capacity-building initiatives for C&AG officers in the area of financial reporting standards. To date, 8 residential training programmes (three for entry-level officers and four advanced programmes for senior officers), each spanning 12–16 days, have been conducted, supported by comprehensive background material developed by the ASB. Further, e-learning modules on Ind AS and Accounting Standards, developed in the form of concise video lectures supplemented with MCQ-based self-assessment tests, have been shared with the Office of the C&AG.
- **SEBI – Corporate Fraud Investigation Division (CFID):** Two batches of a specialised programme titled "Accounting Intelligence for Corporate Finance Investigations" were conducted at Hyderabad.
- **Himachal Pradesh State Electricity Board (HPSEB) Ltd.:** Two intensive six-day training programmes were organised at Shimla.
- **National Securities Depository Limited (NSDL):** A three-day customised training programme on select Indian Accounting Standards was conducted at NSDL's Mumbai office.

## (IV) Knowledge Dissemination and Capacity Building Initiatives

- More than 100 CPE events, including seminars, webinars, certificate courses on Ind AS and refresher courses, were organised, either in collaboration with various Branches and Regional Councils or otherwise, to raise awareness about recent amendments in AS and Ind AS.



## (V) Other Initiatives

- **E-learning Modules:** 72 e-learning modules, comprising 44 modules on Ind AS and 28 modules on AS, have been developed in the form of concise video lectures supplemented with MCQ-based self-assessment tests.
- **Weekly Accounting Quiz:** An online weekly Accounting Quiz has been introduced and is conducted every week as an educational tool to develop stakeholders' understanding of Accounting Standards; 55 quizzes have been launched so far.
- **Podcasts:** 22 podcasts on Ind AS and AS have been developed and hosted for finance professionals to educate them on the basic outlines of the standards.

### Distinct Events Organised:

- Independent Directors' Meets were organised on the theme "*Guardians of Transparency: Independent Directors in Financial Oversight*" at Pune, New Delhi, Mumbai and Ahmedabad.
- Accounting Standards Day was celebrated at the commencement of the Golden Jubilee Year of the Accounting Standards Board at multiple locations, including Delhi NCR (Gurugram), Mumbai and Pune (WIRC), Kolkata (EIRC) and Chennai (SIRC). The celebration highlighted the critical role that robust accounting standards play in fostering transparency, consistency and credibility in financial reporting. The occasion was graced by distinguished speakers and regulators, including Deputy C&AG; Full-time Member, NFRA; Member (F&I), IRDAI; President, Institute of Actuaries of India (IAI); and Secretary and Council Member, IAI. The event witnessed the participation of around 1,500 members across various locations.

## (VI) Publications Released

- Compendium of Indian Accounting Standards (Indian Accounting Standards as on April 1, 2024) – Volumes I and II.
- Compendium of Indian Accounting Standards (Indian Accounting Standards as on April 1, 2025) – Volumes I and II.
- Educational Material on Ind AS 36, *Impairment of Assets*.
- Educational Material on Ind AS 24, *Related Party Disclosures*.
- Accounting Standards: Quick Referencer (as on April 1, 2025).
- Compendium of Accounting Standards (Accounting Standards as on April 1, 2025).
- FAQs on Guidance Note on Financial Statements of Non-Corporate Entities.
- FAQs on accounting implications arising from the implementation of the new Labour Codes in India.

## 6.2 AUDITING AND ASSURANCE STANDARDS BOARD (AASB)

Audit plays a critical role in protecting public interest by enhancing accountability and fostering trust in financial reporting, thereby supporting economic growth. Increasing business complexity and expanding global operations have enhanced stakeholder expectations of the auditing profession. The ICAI's Auditing and Assurance Standards Board (AASB) develops high-quality Standards on Auditing, Review, Assurance, Quality Control/Quality Management, and Related Services, which set best practices and serve as benchmarks for auditor performance.

The Board also issues Guidance Notes on general and industry-specific auditing issues to provide practical support to auditors. These are released under the ICAI Council's authority, except for auditing standards relating to companies and Limited Liability Partnerships (LLPs), where the Central Government prescribes standards based on ICAI's recommendations, in consultation with the National Financial Reporting Authority (NFRA). ICAI's auditing standards are harmonised with those of the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) to maintain global consistency. To aid effective implementation, the Board publishes Technical Guides, Practice Manuals, Studies and

Implementation Guides, offering members practical tools to navigate complex audit scenarios confidently.

The following is a comprehensive overview of the important achievements of the Board:

### **(I) Representations/Suggestions to Ministries and Regulators**

#### **ICAI's Recommendations on Standards on Auditing for Audit of LLPs**

In August 2024, the Board submitted ICAI's recommendations on the Standards on Auditing for audit of LLPs ("SAs for LLPs") to NFRA for notification under Section 34A of the LLP Act, 2008, recommending that the SAs recommended by ICAI to NFRA for audit of companies should apply mutatis mutandis to the audit of LLPs. Subsequently, the MCA directed ICAI to develop a separate set of SAs for LLPs. In response, the Board developed a separate set of SAs for LLPs, which was considered and approved by the Council of ICAI. ICAI's final recommendations on SAs for LLPs were submitted to NFRA vide letter dated 24<sup>th</sup> June, 2025.

#### **Development of Digital Balance Confirmation Portal (DBCP)**

ICAI has entered into a tri-party MoU with the Indian Banks' Association (IBA) and PSB Alliance Private Limited to develop the Digital Balance Confirmation Portal (DBCP), a platform enabling auditors to obtain digitally signed balance confirmations directly from banks. The portal underwent multiple demonstrations in 2024, followed by testing sessions in January 2025. Phase I (Beta) was launched with Canara Bank on 2<sup>nd</sup> February 2025 during the World Forum of Accountants, and further testing took place in June 2025 with ICAI, PSB Alliance and NeSL. The portal is currently live with 9 banks, viz. Canara Bank, UCO Bank, Punjab National Bank, Bank of Maharashtra, Indian Overseas Bank, Punjab & Sind Bank, Bank of Baroda, Bank of India and Union Bank of India. A user guidance manual has been developed, and the platform will gradually be extended to more banks, co-operative banks and financial institutions. Overall, the DBCP represents a major step towards digital transformation in audit confirmations, improving transparency, efficiency and reliability.

#### **Capacity Building Programme for Officers of the C&AG**

ICAI, in collaboration with the Office of the Comptroller & Auditor General (C&AG) of India, organised a Capacity Building Programme for officers of the C&AG engaged in the audit of PSUs at ICAI's Centre of Excellence, Hyderabad. Phase I was conducted from 5<sup>th</sup> May, 2025 to 4<sup>th</sup> June 2025, Phase II from 27<sup>th</sup> October, 2025 to 18<sup>th</sup> November, 2025 and Phase III from 9<sup>th</sup> March, 2026 to 7<sup>th</sup> April, 2026, all at the same venue. The programme covered a wide range of topics, including Indian Accounting Standards (Ind AS), Standards on Auditing (SAs), sector-specific audit areas and information technology-related aspects. The AASB supported the auditing-related sessions by developing background material and arranging faculty with the requisite subject-matter expertise.

#### **Checklist for Safeguards and Risk Management in respect of Trusts managing Post-Retirement Funds of Companies under C&AG Audit**

At the request of the Office of the C&AG, the Board developed a Checklist for Safeguards and Risk Management in respect of Trusts managing post-retirement funds of companies under C&AG audit. The checklist was submitted to the Office of the C&AG vide email dated 3<sup>rd</sup> February, 2026.

#### **Audit Report Format for PF Trusts**

The Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) requested ICAI to review and finalise the financial statement formats of PF Trusts of EPF Exempted Establishments covered under the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952, and to develop the audit report format for such PF Trusts. The Board developed the audit report format for PF Trusts and submitted it to the EPFO.

## (II) Initiatives for the Members

- **Seminars/Webinars organised by AASB:** The Board organised various seminars, conferences, workshops and webcasts on Engagement and Quality Control Standards, bank audit and other auditing aspects for the awareness and professional enhancement of members. During the period from 1<sup>st</sup> April, 2025 to 30<sup>th</sup> April, 2026, 185 programmes were organised by the Board.
- **Bank Audit Expert Panel:** The Board constituted an online panel of experts to address members' queries relating to bank branch audit for the financial year 2025-26. The Panel addressed queries from 1<sup>st</sup> April, 2026 to 15<sup>th</sup> April, 2026.
- **Statutory Audit Expert Panel:** The Board constituted an online panel of experts to address queries relating to auditing aspects of statutory audit for the financial year 2024-25. The Panel addressed queries from 11<sup>th</sup> July, 2025 to 30<sup>th</sup> September, 2025.
- **Refresher Course on Standards on Auditing:** Recognising the need to strengthen members' understanding and practical application of the Standards on Auditing (SAs) in the context of evolving audit practices and a complex business environment, the AASB developed a comprehensive Refresher Course covering all 35 Standards on Auditing along with a module on Artificial Intelligence. So far, 15 batches of the Refresher Course have been conducted/scheduled.

## (III) Contribution at International Platforms

- The Chairperson, AASB attended the IESBA, IAASB and Joint JSS meetings held on 7<sup>th</sup>- 9<sup>th</sup> May, 2025 at New York, USA.
- The Chairperson, AASB attended the IESBA-JSS Meeting and the IAASB-IESBA-JSS Meeting held on 3<sup>rd</sup> – 4<sup>th</sup> November, 2025 through virtual mode.
- The Vice-Chairman, AASB attended the IESBA, IAASB and Joint JSS meetings held on 29<sup>th</sup> April– 1<sup>st</sup> May, 2026 at Madrid, Spain.

## (IV) Publications Issued

The Board issued the following publications for the benefit of members at large:

- Guidance Note on Audit of Banks (2026 Edition).
- Frequently Asked Questions (FAQs) on Management Representation Letter.
- Technical Guide on Disclosure and Reporting of Key Performance Indicators (KPIs) in Offer Documents (Revised 2025).
- Frequently Asked Questions (FAQs) on Guidance Note on Financial Statements of Non-Corporate Entities (issued jointly by the ASB and the AASB).
- Guidance on New Labour Codes.
- Technical Guide on Revised Directions issued by the C&AG under Section 143(5) of the Companies Act, 2013.
- Practitioner's Guide on Drafting of Modified Opinions in Independent Auditor's Reports.

### 6.3 Financial Reporting Review Board (FRRB)

The FRRB undertakes the review of the general-purpose financial statements of various enterprises with a view to determine compliances with the generally accepted accounting principles in preparation and presentation of financial statements, disclosure requirements prescribed by regulatory bodies, statutes/rules and regulations relevant to the enterprise and reporting obligations of the enterprise as well as the auditor. The Board comprises of members of the Central Council of the ICAI including Government of India nominee. The Board also had the privilege of the representations from the office of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG), Central Board of Direct taxes (CBDT), National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), Niti Aayog and Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) during this period.

#### Partner in Nation Building – Supporting Regulators

- Undertook review of 4 cases referred by the Securities and Exchange Board of India (SEBI).

- Referred 11 cases to Regulators where significant non-compliances affecting the true and fair view of financial statements were identified.
- Contributed to the C&AG-ICAI Training Programme for Audit Officers in Public Sector Undertakings (PSUs) by providing 75 case studies covering 30 Indian Accounting Standards (Ind ASs).

### Review of General-Purpose Financial Statements

During the period under review, the Board considered and finalised 91 cases, of which 13 cases were filed. Of these, 11 cases were referred to the Director (Discipline) of ICAI for further action on account of serious non-compliances, and the same 11 cases were also referred to Regulators (MCA, SEBI, RBI), as these categories are mutually inclusive. Advisories were issued to auditors in 67 cases.

| Cases considered and finalised by the Board | Cases referred to Director (Discipline) | Cases referred to Regulators (MCA/SEBI/RBI) | Advisories issued to Auditors |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| 91                                          | 11                                      | 11                                          | 67                            |

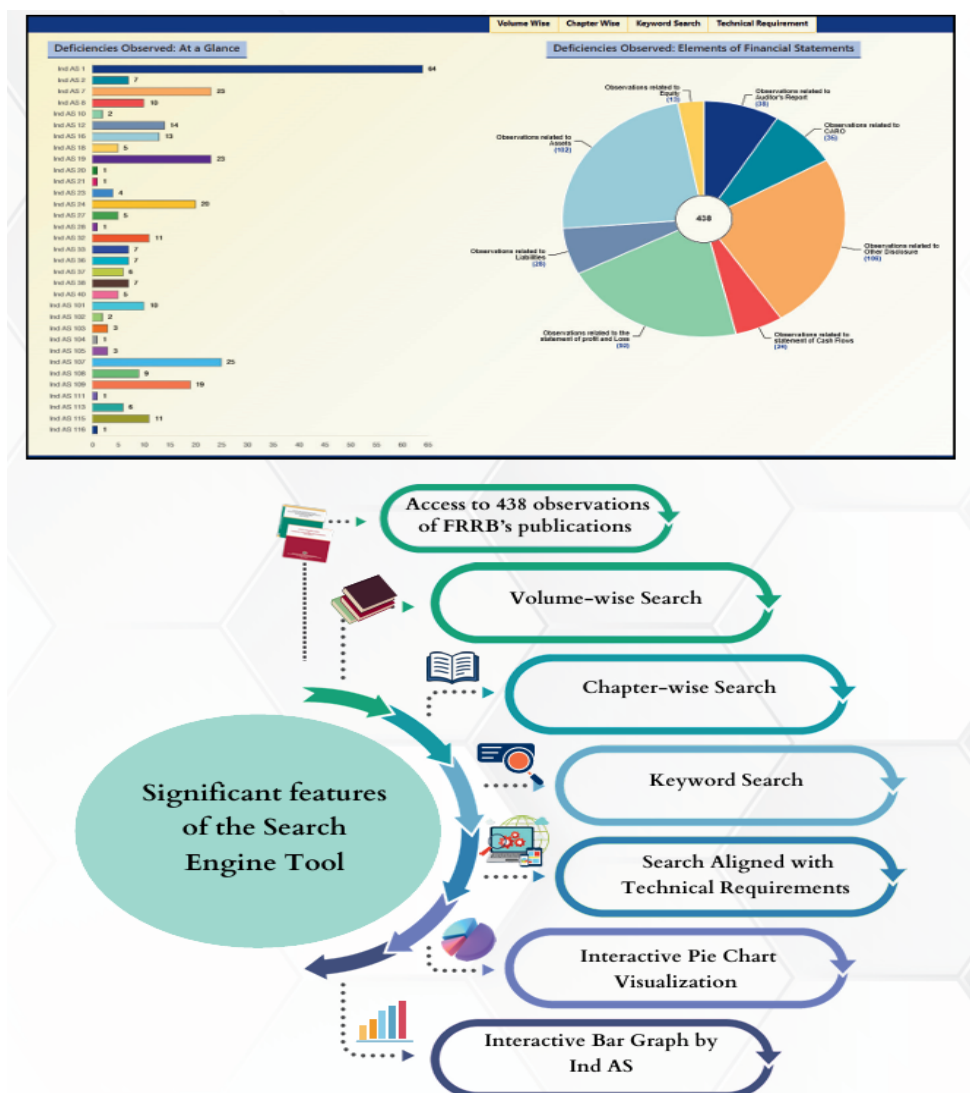
*Outcomes of Review of General-Purpose Financial Statements during 2025–26 (out of 91 cases, 13 were filed; figures in columns 2 and 3 are mutually inclusive)*

### Highest Number of Observations Ever Considered

During the year, the Board reviewed the highest-ever volume of observations, having considered 2,805 observations across 80 financial statements – a significant milestone that strengthens the Board's monitoring of financial reporting quality across the corporate sector.

### Launch of FRRB INSIGHTS – Common Non-Compliances Search Engine

FRRB launched 'FRRB INSIGHTS', a dedicated search engine providing members and stakeholders access to 438 observations drawn from FRRB's publications. The tool offers volume-wise, chapter-wise, and keyword-based search, along with search aligned to technical requirements, and presents the data through interactive pie charts and bar graphs by Ind AS, enabling users to quickly identify common non-compliances across financial statement elements.

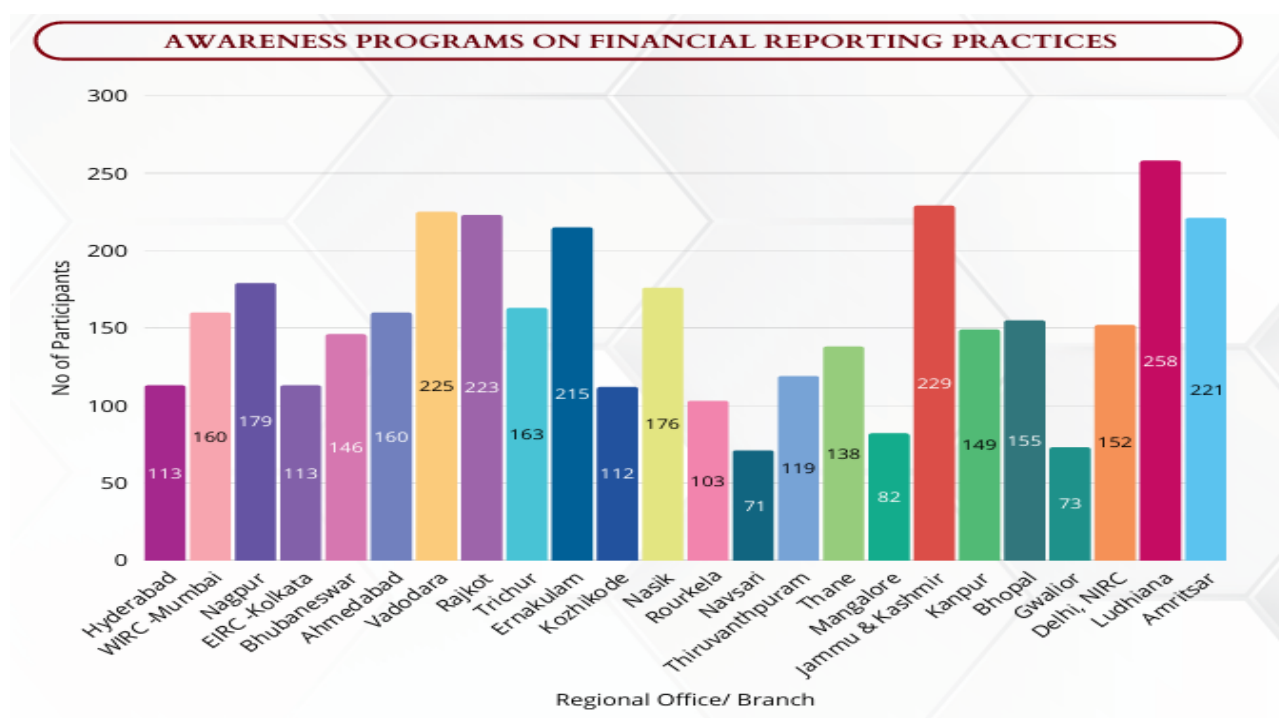


### Spreading Awareness among Members

- **X Handle** – FRRB: The Board continued its 'Did You Know?' series on its X (formerly Twitter) account, providing regular updates on non-compliances observed by FRRB to spread awareness among members.
- **Articles in Journal:** Articles on 'Non-Compliance with Various Reporting Obligations' were published in the ICAI Journal in the November 2025 and December 2025 editions, covering non-compliances pertaining to Equity and Liabilities, and Assets in the Balance Sheet, respectively.
- **Webinar Series:** FRRB organised a series of webinars on 'Commonly Found Non-Compliances Observed in Financial Statements and Auditor's Report', facilitating Pan-India participation. The webinars received an overwhelming response, with approximately 3,000 participants in each session.

### Awareness Programmes on Financial Reporting Practices

FRRB organised 24 awareness programmes on 'Financial Reporting Practices – Shaping the Future of Audit Excellence' across various regions and cities, including Hyderabad, Mumbai, Nagpur, Kolkata, Bhubaneswar, Vadodara, Ahmedabad, Rajkot, Thrissur, Ernakulam, Kozhikode, Nashik, Rourkela, Navsari, Thiruvananthapuram, Thane, Mangalore, Jammu & Kashmir, Kanpur, Bhopal, Gwalior, Delhi, Ludhiana, and Amritsar, witnessing more than 3,700 participants in aggregate.



*Participation in Awareness Programmes on Financial Reporting Practices across Regions/Cities*

## 6.4 INTERNAL AUDIT STANDARDS BOARD (IASB)

The Internal Audit Standards Board (IASB) of ICAI plays a crucial role in regulating and enhancing the quality of internal auditing practices in India. The primary objective of the Board is to formulate, issue and revise Standards on Internal Audit (SIAs) and other guidance material. These Standards provide a comprehensive framework for internal auditors to perform their duties effectively, ensuring consistency, objectivity and professionalism in their engagements. By setting benchmarks for internal audit processes, reporting and ethical conduct, the Board contributes significantly to strengthening corporate governance, risk management and internal control systems within organisations across various sectors. The key activities of the Board during the period under report are as under:

### (I) Certificate Course on Concurrent Audit of Banks

The Board conducts the Certificate Course on Concurrent Audit of Banks to enable members to supplement the efforts of banks in carrying out internal checks of transactions and other verifications and compliance with the procedures laid down, improve the effectiveness of the concurrent audit system in banks, improve the quality and coverage of concurrent audit reports and understand the intricacies of concurrent audit of banks. During the period, the Board organised 28 batches of the Course in physical mode, and around 1,606 participants successfully completed the Course.

### (II) Certificate Course on Internal Audit

The Certificate Course on Internal Audit has been completely revamped by the Board with new topics and a strong information technology component, and launched in a contemporary format to serve the needs of all stakeholders. The Course has been designed to enhance the expertise of Chartered Accountants in Internal Audit, build Governance, Risk and Compliance as one of their core competencies and help certified members distinguish themselves from others conducting internal audits. During the period, the Board organised 1 batch of the Course in physical mode, and around 213 participants successfully completed the Course.

### (III) Post Qualification Course – Diploma on Management and Business Finance (DMBF)

The Board runs the Post Qualification Course – Diploma on Management and Business Finance (DMBF) to enable members to gain acumen, expertise and in-depth knowledge in the areas of Management and Business Finance. The Board conducted the 5<sup>th</sup> batch of the Course in online mode, and as of now, 84 members have successfully completed the Course.

#### Courses at a Glance:

| Course                                                          | Batches               | Participants    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Certificate Course on Concurrent Audit of Banks (physical mode) | 28                    | 1,606 completed |
| Certificate Course on Internal Audit (physical mode)            | 1                     | 213 completed   |
| Diploma on Management and Business Finance (online mode)        | 5 <sup>th</sup> batch | 84 completed    |

### (IV) Programmes, Seminars, Conferences and Webinars on Internal Audit Awareness

With a view to providing a platform for dissemination of knowledge among members, the Board organised 42 webinars on various topics relating to Internal Audit in virtual mode during the period. In addition, the Board conducted six (6) physical programmes, namely, a Seminar on Internal Audit at Ahmedabad, a Residential Refresher Course at Pushkar, a One-Day Seminar on Internal Audit at Ernakulam, a Full-Day Seminar on Internal Audit at the Centre of Excellence, ICAI Kolkata, a Full-Day Seminar on Internal Audit of Cooperatives at ICAI Bhawan, Bibwewadi, Pune, and a One-Day Workshop on Internal Audit at ICAI Bhawan, Sivakasi.

### (V) Training Programme on Internal Audit

A Training Programme on Internal Audit for audit officials under the Office of the Director General of Audit was held at SIRC of ICAI from 8th to 12th December 2025.

### (VI) Publications Issued (revised 2026 Edition)

- Manual on Concurrent Audit of Banks
- Technical Guide on Internal Audit of BPO Industry
- Technical Guide on Internal Audit of Hotel Industry
- Technical Guide on Internal Audit of Stock Brokers
- Technical Guide on Risk-Based Internal Audit
- E-Newsletter – “ICAI Internal Audit Spectrum” (1st Edition)

## 6.5 TAXATION AUDITS QUALITY REVIEW BOARD (TAQRB)

The Taxation Audits Quality Review Board (TAQRB) was constituted by the Institute in 2018 to improve reporting compliance under various taxation laws – both Direct and Indirect. The reviews carried out by the Board ensure that members exercise greater diligence while certifying the various reports prescribed under direct and indirect taxation, improving the overall quality of reporting and certification in the long run. The key activities of the Board during the period from 1<sup>st</sup> April, 2025 to 31<sup>st</sup> March, 2026 are as under:

### (I) Review of Tax Audit Reports

During the Council Year 2024-25, 123 reports were selected for review, of which 23 pertained to members to whom advisories had already been issued up to 31st March 2023. During the Council Year 2025-26, 1,000 reports were selected for review. Reports are reviewed in three tiers – by Technical Reviewers (TR), then by the Taxation Audits Quality Review Groups (TAQRG), and finally by the Board. During 2025-26, the Board reviewed 203 reports – the highest number since the Board’s inception. For comparison, the number of reports reviewed in the preceding Council Years were as follows:

- Council Years 2024–25: 71 reports
- Council Years 2023–24: 91 reports
- Council Years 2022–23: 80 reports

Based on the reviews, the Board: issued advisories to members for compliance; identified suggestions for changes in the e-filing utility of the Tax Audit Report, conveyed to the Direct Taxes Committee of ICAI for onward submission to CBDT; and identified commonly found irregularities for the purpose of creating awareness among members.

## **(II) Initiatives for Members**

### **Seminars/Webinars**

With a view to disseminating knowledge and enhancing professional competence in the area of Tax Audit, the Board organised 12 seminars in association with the Regional Councils and Branches of ICAI. These comprised seminars on Tax Audit, Tax Audit of NGO/Trust and Non-Corporate Entities, GST Compliance in Tax Audit & Issues in Charitable Trust/NGO with respect to Tax Audit, Presumptive Taxation & Issues in Tax Audit (Half-Day), Tax Audit (Full-Day), Commonly Found Errors in Tax Audit Reports, Tax Audit 2025, Taxation Audits with AI Audit, and Tax Audit (Half-Day).

The Board organised two webinars on Changes and Issues in Tax Audit and Changes in Business Income & Key Provisions on Exemptions with respect to Tax Audit, covering recent developments, key provisions, and practical aspects of tax audit. The webinar on Changes and Issues in Tax Audit witnessed participation from approximately 2,000 members, making it a notable success.

### **(III) Training Programme for Technical Reviewers**

A three-day Training Programme for Technical Reviewers was organised from 1<sup>st</sup> to 3<sup>rd</sup> August, 2025 at SCOPE Complex, Lodhi Road, New Delhi. The programme covered sessions on tax audit, the role of Technical Reviewers, the TAQRB web portal and the checklist for review of Tax Audit Reports. All queries raised by the Technical Reviewers were addressed, and the programme was a grand success.

### **(IV) TAQRB Web Portal**

The Board has developed a dedicated web portal ([taqrb.icai.org](http://taqrb.icai.org)) that serves as a centralised repository for TAQRB reports, minutes and case follow-ups, ensuring seamless documentation and accessibility. The portal automates key workflows across all three review tiers (TR, TAQRB and TAQRB), including case allocation, report submissions and real-time tracking of progress, enhancing transparency, improving coordination and accelerating decision-making.

## **6.6 SUSTAINABILITY REPORTING STANDARDS BOARD (SRSB)**

The Sustainability Reporting Standards Board (SRSB) has been actively contributing towards advancing sustainability reporting and embedding sustainable thinking into mainstream business practices across both public and private sectors. The Board proactively identifies and develops emerging opportunities for Chartered Accountants in the sustainability domain, while simultaneously enhancing their knowledge and capabilities through workshops, seminars, certificate courses and technical publications. The Board also promotes compliance with existing sustainability-related disclosure requirements and strengthens the assurance framework, supporting the transition towards a greener, low-carbon economy.

The key initiatives of the Board during the period under report are as under:

### **(I) ICAI Sustainability Reporting Awards 2024-25**

The ICAI Sustainability Reporting Awards 2024-25 were held on 1st February 2026 at the India Expo Centre & Mart, Greater Noida, recognising excellence in Business Responsibility and Sustainability Reporting (BRSR) across Large-Cap, Mid-Cap, Small-Cap and Voluntary Disclosure categories,



segmented by Manufacturing and Service sectors. The nomination process commenced in October 2025 and received 180 submissions, with 174 eligible entries reviewed by the Shield Panel Committee. The top nominations were evaluated by a distinguished Jury during a meeting held on 21st January 2026 at BKC, Mumbai. The awardees in the various categories are as under:

| Category              | Sub-Category         |
|-----------------------|----------------------|
| Large Cap             | Manufacturing Sector |
|                       | Service Sector       |
| Mid Cap               | Manufacturing Sector |
|                       | Service Sector       |
| Small Cap             | Manufacturing Sector |
|                       | Service Sector       |
| Voluntary Disclosures | Manufacturing Sector |
|                       | Service Sector       |

## (II) Programmes Organised

- **3rd National Conference on Responsible Business Conduct (NCRBC) 2025:** Organised on 2nd–3rd July 2025 at Hotel Taj Palace, New Delhi, in association with IICA under the Ministry of Corporate Affairs and ICAI.
- **National Conference on Sustainability, Digital Assurance & Valuation:** Organised on 30th November 2025 at Mumbai, by the Vasai Branch of WIRC in association with SRSB, covering BRSR, Social Stock Exchange, Digital Assurance, Sustainability and Valuation.
- **Seminars and Webinars:** The Board conducted various seminars and webinars, including sessions on “Biodiversity & Business in Harmony: Role and Opportunities for Chartered Accountants”, an ICAI-hosted Consultation Workshop on Workforce Nutrition Reporting, “Demystifying Sustainability, SSE, Social Audits & Opportunities for CAs”, “Navigating the Net Zero Journey”, a Residential Refresher Course on “Sustainability Leadership”, and various webinars on the theme “Demystifying Sustainability, Catalyzing Growth”.
- **ICAI Sustainability Month:** A nationwide initiative with participation from 5 Regional Councils and 183 Branches, anchored on the 5Ps of Sustainability and aligned with the LiFE mission and UN SDGs. Activities included tree plantations, walkathons, yoga sessions, awareness surveys and a sustainability reel competition.

## (III) Certificate Course on Sustainability and BRSR

The Board has been actively conducting both physical and online batches of the Certificate Course on Sustainability and BRSR. The 3rd physical batch was held at ICAI, Mumbai, from 29th–30th November and 5th–7th December 2025, with 3 physical batches completed so far. In the online mode, the Board has successfully completed the 30th batch on 11th January 2026, with over 3,000 participants enrolled to date. The online course is conducted on weekends to ensure wider accessibility and participation.

## (IV) ICAI Carbon Emission Calculator

On 1st July 2025, SRSB launched the ICAI Carbon Emission Calculator – a free, dynamic and user-friendly digital tool designed to assist organisations and individuals in measuring and monitoring their carbon footprint.

## **(V) Publication of Technical Literature**

The Board released the Background Material on Sustainability and Business Responsibility & Sustainability Reporting (BRSR), Revised Edition 2025.

### **6.7 INSOLVENCY BANKRUPTCY & VALUATION STANDARDS BOARD (IB&VSB)**

The Insolvency & Valuation Standards Board (I&VSB) of ICAI (earlier named as Insolvency & Valuation Standards Board (I&VSB)) was constituted in 2024-25 to strengthen the insolvency and valuation profession by promoting transparent, consistent and globally aligned practices. The Board focuses on the formulation, implementation and advancement of the ICAI Valuation Standards, while contributing towards a fair and robust corporate and financial ecosystem.

#### **Significant achievements/Initiatives**

##### **(I) Policy Advocacy and Representations**

- Actively contributed to insolvency law reforms by submitting detailed suggestions to the IBBI, the Parliamentary Standing Committee on Finance and the Hon'ble Select Committee of the Lok Sabha on the IBC (Amendment) Bill, 2025.
- Made an oral presentation before the Hon'ble Select Committee of the Lok Sabha on 6th November 2025 regarding the IBC (Amendment) Bill, 2025, and submitted replies to the questions raised at the oral hearing.
- Submitted a representation to the CBDT requesting recognition of Registered Valuers under the Companies Act framework for the purposes of the Income-tax Act, 2025, to avoid duplication and ensure uniformity in valuation regulation.
- Conducted various Roundtable Discussions jointly with the IIIPI of ICAI to deliberate on the proposed amendments in various Discussion Papers brought out by the IBBI/MCA; the suggestions thus prepared were compiled and submitted to the IBBI.

##### **(II) Standard-Setting Initiatives**

The Board initiated the process to develop Valuation Standards for the asset classes of Land & Building and Plant & Machinery, in addition to Securities or Financial Assets.

##### **(III) RESOLVE-2025 – International Convention on Insolvency Resolution and Valuation**

The Board organised the 3<sup>rd</sup> edition of the International Convention on Insolvency Resolution and Valuation – RESOLVE-2025 – at Mumbai on 1<sup>st</sup> –2<sup>nd</sup> December, 2025, focused on the theme "Enabling Resolution, Maximizing Value", with the participation of over 500 professionals and more than 70 eminent speakers across 19 technical sessions.

##### **(IV) Knowledge Dissemination Initiatives**

- **Quarterly e-Newsletter "Valuation Edge":** Released 5 e-newsletters for the quarters ending March 2025, June 2025, September 2025, December 2025 and March 2026.
- **Monthly Knowledge Corner:** Released 13 series of the Knowledge Corner during the period.
- **Monthly Quiz on IBC and Valuation:** Released 13 series of the Monthly Quiz during the period.
- **Announcements:** Issued 51 announcements on the I&VSB page of the ICAI website to update stakeholders on the latest amendments, circulars and notifications released by the IBBI.
- **Online Certificate Course on IBC:** Organised 7 batches of the Online Certificate Course on IBC in association with the IBBI, training more than 400 members.
- Organised multiple training programmes, workshops, conferences, webinars and seminars to promote and create awareness about the ICAI Valuation Standards 2018, Valuation and Insolvency and Bankruptcy laws.

## (V) Publications

The Board released 22 technical publications, handbooks, judicial pronouncement series, guidance notes, webcast ATQs and policy-oriented publications covering insolvency, valuation and reforms under the Insolvency and Bankruptcy Code, including:

- White Paper on RESOLVE-2025.
- Issues and Recommendations emerging from the deliberations at RESOLVE-2025.
- Handbook on Committee of Creditors and Insolvency Professionals Synergy.
- Handbook on the IBC as an Instrument for Enabling Revival, Easing Exit and Ensuring Fresh Start for MSMEs.
- Handbook on Opportunities for Insolvency Professionals beyond the IBC.

## 6.8 PEER REVIEW BOARD

The Peer Review mechanism was introduced by the Council of ICAI with the setting up of the Peer Review Board in March 2002. The Board has since been progressing satisfactorily and continuously providing guidance to members to enhance the efficiency of assurance services rendered by them. The main objective of Peer Review is to ensure that in carrying out an assurance service assignment, the member (a) complies with Technical, Professional and Ethical Standards as applicable, including other regulatory requirements; and (b) has in place proper systems, including documentation thereof, to amply demonstrate the quality of the assurance services. The Peer Review is conducted of a Practice Unit by an independent evaluator known as a Reviewer.

### (I) Recognition of Peer Review by Regulators

- SEBI has made it mandatory, with effect from 1<sup>st</sup> April 2010, for the limited review/statutory audit reports submitted to stock exchanges by listed entities to be given only by auditors who have subjected themselves to the Peer Review process and hold a valid certificate issued by the Peer Review Board of the Institute.
- The Comptroller and Auditor General of India has revised the Policy of Empanelment of CA Firms/LLPs and appointment of auditors of companies under Sections 139(5) and 139(7) of the Companies Act, 2013, and of statutory corporations/autonomous bodies. A maximum of 25 points are allotted to firms holding a valid Peer Review Certificate on the date of making an application for empanelment.

### (II) Peer Review of Practice Units

The Peer Review Board considered and issued 5,226 Peer Review Certificates to Practice Units during the period from 1<sup>st</sup> April, 2025 to 30<sup>th</sup> April, 2026. As on 30<sup>th</sup> April 2026, a total of 10,281 Practice Units held a valid Peer Review Certificate. The Board also considered 2,510 cases of AQMM Review till 30<sup>th</sup> April 2026, the AQMM level-wise break-up of which is as under:

| AQMM Level of Practice Units | Number of Practice Units |
|------------------------------|--------------------------|
| Level 1                      | 31                       |
| Level 2                      | 347                      |
| Level 3                      | 1,251                    |
| Level 4                      | 875                      |
| Not Eligible                 | 6                        |
| Total                        | 2,510                    |

### (III) Peer Review Mandate – Roll-out Implementation

- **Phase III:** The third phase of the mandate was earlier applicable w.e.f 1<sup>st</sup> April, 2024 for Practice Units proposing to undertake the Statutory Audit of entities which have raised funds from the public, banks or financial institutions of over ₹50 crore during the review period, or of any body corporate/trust covered under public interest entities, or Practice Units rendering attestation services and having 4 or more partners – was deferred initially by nine months (effective January 2025) and further extended by six months, to be made applicable with effect from 1<sup>st</sup> July, 2025.
- **Phase IV:** The fourth phase of the mandate was earlier applicable w.e.f 1<sup>st</sup> April, 2025 for Practice Units proposing to undertake audits of branches of Public Sector Banks, or Practice Units rendering attestation services and having 3 or more partners – was deferred initially by nine months (effective January 2026) and further extended by twelve months, to be made applicable with effect from 31<sup>st</sup> December, 2026.

### (IV) Training and Empanelment of Peer Reviewers

- **Training Programmes:** During the period from 1<sup>st</sup> April, 2025 to 30<sup>th</sup> April, 2026, the Board organised 117 Peer Review training programmes through physical mode at various Branches and Regional Councils across the country, and 4 webinars on various topics related to Peer Review.
- **Online Tests for Empanelment:** Final Assessment Tests and Mock Tests are organised every alternate Friday (twice per Friday – morning and afternoon). Accordingly, 52 Final Tests and 52 Mock Tests were organised during the period. A total of 2,314 members cleared the Final Assessment Tests, bringing the total number of empanelled Peer Reviewers with the Board to 4,925 as on 30<sup>th</sup> April, 2026.

#### Region wise break-up of Number of Trained Peer Reviewers with the Peer Review Board:

| Region       | No. of Reviewers |
|--------------|------------------|
| WIRC         | 875              |
| SIRC         | 829              |
| EIRC         | 446              |
| CIRC         | 1642             |
| NIRC         | 1133             |
| <b>Total</b> | <b>4925</b>      |

### (V) Peer Review Portal

The Peer Review Board is developing a dedicated web portal designed to automate, streamline and elevate the Peer Review process. This innovative centralised platform will seamlessly integrate all review activities, from the initial submission of applications to final decision-making, leveraging advanced technology to enhance efficiency, promote transparency and drive greater effectiveness of the Peer Review process.

### (VI) Other Initiatives

The Board remains steadfast in its continuous efforts to enhance the efficacy of the Peer Review mechanism. A comprehensive, all-encompassing approach has been followed to create an enabling

ecosystem, including by developing sufficient and competent resources for review; improving the quality of Peer Reviews; and initiating steps to increase the use of technology in the Peer Review process to effectively overcome capacity constraints.

## 6.9 Ethical Standards Board (ESB)

The Ethical Standards Board of ICAI is the designated standard-setting authority for ethical governance within the profession. The Board develops and issues ethical standards and other pronouncements for Chartered Accountants, and works towards evolving a dynamic and contemporary Code of Ethics that retains the long-cherished ideals of excellence, independence, and integrity, while protecting the dignity and interests of members. The Board takes measures to ensure the independence of auditors, assists in the adoption and implementation of ethical standards by members in practice and in service, and promotes public awareness of the integrity, objectivity, competence, and professionalism of members.

The CA Connect Portal, launched by the Ethical Standards Board in 2021 and redesigned in 2024, continues to provide an effective listing platform that serves as an essential bridge between clients/service receivers and Chartered Accountants.

### Significant Achievements:

- Global Ethics Day was observed on 15th October 2025 under the theme '#EthicsRe-envisioned', with a webinar organised on 'Contemporary Developments in Professional Ethics'. An Ethics Fortnight was also celebrated from 8th to 23rd October 2025, featuring knowledge-sharing programmes organised by branches under the aegis of the Board, including the publication of articles in newspapers and periodicals and enrolment of members on the CA Connect Portal.
- The special edition of the CA Journal for October 2025 was published on the theme 'Internal Audit and Ethics'.
- A Quiz on Ethical Issues was conducted for members from 1st to 15th October 2025, encouraging engagement and awareness on ethical matters.
- The revised 13th edition of the Code of Ethics is being released.
- The Board continued to issue the monthly awareness column 'Know Your Ethics' in the ICAI Journal and maintained an active presence on X (Twitter), sharing creatives on important topics to promote optimum adoption of the Code of Ethics.
- The Board clarified various ethical issues raised by members and stakeholders relating to auditor independence, permissible professional services, conflict of interest, engagement in other business/occupation, holding of other designations/positions, and advertisement and solicitation. A clarification was issued regarding the printing of photographs of members on visiting cards, in response to a query in the 'FAQs on Ethical Issues, 2025 edition' publication. In addition, more than 300 queries from members on professional ethical issues were addressed and resolved by the Secretariat.
- The Board provided inputs to IFAC's Member Engagement: Adoption & Implementation Questionnaire, 2025, on 7th May 2025, and contributed inputs for the IESBA-IAASB Joint Standard-Setters (JSS) Meeting held on 7th–9th May 2025 on jurisdictional developments of international relevance.

### Seminars, Programmes and Webinars on the Code of Ethics

The Ethical Standards Board organised approximately 31 seminars, programmes, and webinars during the year to create awareness on the provisions of the Code of Ethics and ethical issues among members. These were conducted across locations including Bilaspur, Hyderabad, Chennai, Tirupur, Kerala, Kottayam, Faridabad, Cuttack, Jaipur, Amritsar, Agra, Sonapat, Prayagraj, Rajasthan, Palakkad, Bihar, Jodhpur, Bhilai, Satara, and Kolhapur, covering topics ranging from the Code of Ethics, professional misconduct, disciplinary mechanisms, NOCLAR, audit documentation, and advertisement and solicitation, to professional skepticism in tax audit. Ten dedicated webinars were also held on themes such as significant ethical expectations, disciplinary procedures, advertisement and solicitation, and the exposure draft of the Code of Ethics.

## International Engagement

The Board participated in meetings of the Committee on Professional Ethics and Independence of the South Asian Federation of Accountants (SAFA) held on 15<sup>th</sup> September, 2025, 16<sup>th</sup> January, 2026, and 29<sup>th</sup> January 2026, and in the IESBA (International Ethics Standards Board for Accountants) – JSS Meeting held on 3<sup>rd</sup> –4<sup>th</sup> November 2025 at New York.

## 6.10 DIGITAL ACCOUNTING AND ASSURANCE BOARD (DAAB)

The Digital Accounting and Assurance Board (DAAB) of ICAI continued to strengthen ICAI's leadership in the areas of Information Systems Audit, Forensic Accounting, Cybersecurity, Data Protection, Digital Forensics and Technology-driven Assurance during the year 2025-26. The Board focused on professional capacity building, the development of standards, publications, practical training infrastructure and stakeholder engagement in emerging technology domains.

### (I) Standard-Setting in Emerging Technology Domains

A significant milestone during the year was the issuance of the Information Systems Audit Standards (ISAS), making ICAI the first professional accounting body globally to release dedicated standards in the domain of Information Systems Audit. During the year, the Board also updated the Forensic Accounting and Investigation Standards (FAIS), along with the Implementation Guide, to align them with global best practices, emerging technologies and international adoption requirements. The Board further undertook global outreach initiatives for FAIS, which are increasingly being recognised by regulators, enforcement agencies and institutions in India and abroad.

### (II) Professional Education and Skilling

The Board undertook major initiatives in professional education and skilling:

- **DISA 4.0:** The Board initiated the upgradation of the DISA Course to DISA 4.0, with an enhanced focus on practical learning, cybersecurity, digital governance and hands-on audit tools.
- **FAFD to Diploma in Forensic Investigation (DFI):** The Certificate Course on Forensic Accounting and Fraud Detection (FAFD) continued successfully, while work progressed towards its conversion into the Diploma in Forensic Investigation (DFI).
- **Data Protection Compliance & Audit Certification (DPCAC):** During the year, the Board launched the DPCAC programme, aligned with the Digital Personal Data Protection framework.
- **Course on Cybersecurity & Audit Skilling:** The specialised course was approved by the Council and shall be launched shortly.
- **Executive Development Programmes:** Programmes on Digital Forensics, Data Analytics and Power BI were also conducted.

### (III) Practical Learning Infrastructure

The Board strengthened practical learning infrastructure through the initiation of a phased upgradation of Data Analytics/Forensic Labs at ICAI Centres of Excellence, beginning with Hyderabad as a pilot project.

### (IV) Conferences, Outreach and Capacity Building

The DAAB organised several national-level conferences, seminars, outreach programmes and webinars during the year. Major events included the Digital Transformation Finance Summit (DxFS) 2025 at Hyderabad and Future Proof Forensics 2025 at Mumbai, which witnessed participation from regulators, banks, enforcement agencies, industry leaders and technology experts. The Board also conducted specialised capacity-building programmes for organisations such as the C&AG, NIA, SEBI, ICLS Academy and CID Telangana.

## (V) Technical Publications

The Board released and updated various technical publications and guidance materials in emerging areas, including Cloud Computing, Blockchain, Internet of Things (IoT) and the ABCD of Technology. These initiatives have contributed significantly towards strengthening digital trust, technology assurance and professional excellence within the accounting and financial ecosystem.

### 6.11 DIRECT TAXES COMMITTEE (DTC)

The Direct Taxes Committee undertook various initiatives during the period in the areas of policy advocacy, representations to the Central Board of Direct Taxes (CBDT), publications and capacity building of members in the field of direct taxation. The major activities of the Committee during the period under report are as under:

#### (I) Inputs/Memoranda Submitted and Interactions with the CBDT/Government Departments

- **ICAI's inputs on the Draft Income-tax Rules, 2026:** ICAI's suggestions on the Draft Income-tax Rules, 2026 were submitted on 27<sup>th</sup> February, 2026.
- **Preparation and submission of Pre- and Post-Budget Memoranda:** The Pre-Budget Memorandum 2026 was presented on 27<sup>th</sup> October, 2025; additional pre-Budget suggestions were submitted on 14<sup>th</sup> November, 2025; and the Post-Budget Memorandum was submitted on 25<sup>th</sup> February, 2026.

#### (II) Representations to the CBDT to Address Concerns relating to Tax Matters

The Committee made representations on the following matters during the year 2025-26:

- Excess tax deducted and deposited by the deductor also to be reflected in Form 26AS of the deductee to give due credit (submitted on 28<sup>th</sup> April, 2025).
- Issues faced by taxpayers while filing online rectification applications and concerns on account of delay in giving effect to rectification orders issued by Jurisdictional Assessing Officers (submitted on 22<sup>nd</sup> May, 2025).
- Request for addressing concerns relating to grant of credit for excess tax deducted under Section 194T (submitted on 10<sup>th</sup> June, 2025).
- Request to address concerns arising in the Income-tax Offline Utility for Form 3CA-3CD and Form 3CB-3CD for Assessment Year 2025-26, and concerns in the notified Form 3CD relating to the requirement contained in clause 22(ii) (submitted on 23<sup>rd</sup> July, 2025).
- Requests to address certain concerns in relation to the return forms for Assessment Year 2025-26 (submitted on 13<sup>th</sup> August, 2025 and 20<sup>th</sup> August, 2025).
- Request to clarify/address concerns arising in Form No. 3CD for Assessment Year 2025-26 (submitted on 20<sup>th</sup> August, 2025).
- Request for timely resolution of technical glitches in the Income-tax Portal (submitted on 15<sup>th</sup> September, 2025).
- Request for addressing the concerns arising on account of levy of interest under Section 234C for failure/delay in making advance tax payments due to portal glitches (submitted on 17<sup>th</sup> September, 2025).
- Request for parity to taxpayers in respect of return filing and other due dates, specified date and auto-renewal/deemed renewal in the case of small trusts and institutions whose original period of validity of registration is due to expire on 31<sup>st</sup> March, 2026 or thereafter, and parity for other trusts whose last date for making an application for renewal fell on 30<sup>th</sup> September, 2025 (submitted on 17<sup>th</sup> September, 2025).
- Request for addressing the concerns arising on account of the updated utilities and technical glitches in the Income-tax Portal (submitted on 22<sup>nd</sup> September, 2025).

- Enabling reporting under Clause 8A of Form No. 3CD by trusts carrying on business incidental to their objects (submitted on 17<sup>th</sup> October, 2025).
- Request seeking restoration of carry-forward of excess application of income (deficit) in the case of charitable trusts, especially where expenditure is incurred in anticipation of government grants (submitted on 30<sup>th</sup> December, 2025).
- Request to address the concern of issue of notices to companies for furnishing Form No. 29B while processing returns under Section 143(1)(a) (submitted on 31<sup>st</sup> December, 2025).
- Request to amend Rule 15A and Form No. 8 of the Income-tax Rules, 1962 to align with the provisions of Section 158A of the Income-tax Act, 1961 and Rule 194 of the Income-tax Rules, 2026 (submitted on 27<sup>th</sup> March, 2026).
- Request to provide clarification on the applicability of TDS under Section 393(3) [Table Sl. No. 5] of the Income-tax Act, 2025 (corresponding to Section 194N of the Income-tax Act, 1961) (submitted on 30<sup>th</sup> March, 2026).
- Request for clarification as to whether the extended time for filing a revised return under Section 139(5) is applicable from A.Y. 2025-26 or A.Y. 2026-27 (submitted on 15<sup>th</sup> April, 2026).
- Request to resolve the system validation issue in Form No. 26QB under Section 194-IA of the Income-tax Act, 1961, where the date of deduction of tax falls in March 2026 at the time of payment of advance (under the Income-tax Act, 1961 regime) and the date of agreement falls in April 2026 (under the Income-tax Act, 2025 regime) (submitted on 30<sup>th</sup> April, 2026).

### **(III) Conferences/Seminars/Workshops/Webinars/Refresher Courses**

- 103 Seminars and Conferences on direct taxes were organised by the Direct Taxes Committee.
- 40 Webinars on direct taxes were organised by the Direct Taxes Committee.
- 47 Public Outreach Programmes on direct taxes were organised by the Direct Taxes Committee.

### **(IV) Other Initiatives**

Development of a joint mobile application with the Committee on International Taxation to help members active in direct taxation and international taxation matters.

### **(V) Publications Released by DTC**

- Guidance Note on Tax Audit under Section 44AB of the Income-tax Act, 1961 (Revised 2025).
- Checklist for Preparation of ITR Forms (ITR-1 & ITR-4).
- Income-tax Act, 2025 (including Tabular Mapping of Sections vis-à-vis the Income-tax Act, 1961).
- Income-tax Act, 2025 (as amended by the Finance Act, 2026), including Tabular Mapping of Sections vis-à-vis the Income-tax Act, 1961.
- Income-tax Rules, 2026 – including Tabular Mapping of Rules and Forms vis-à-vis the Income-tax Rules, 1962 and Forms.

## **6.12 INTERNATIONAL TAXATION COMMITTEE**

The International Taxation Committee (earlier named as Committee on International Committee) undertook various initiatives in the areas of professional education, capacity building, policy representation, stakeholder engagement and knowledge dissemination in the fields of International Taxation and Transfer Pricing. The major activities of the Committee during the period under report are as under:

### **(I) Representations, Suggestions and Policy Advocacy**

During the period, the Committee submitted/contributed:

- Suggestions for the simplification of Income-tax Rules and Forms aligned with the Income Tax Bill, 2025, pertaining to International Taxation.
- Suggestions on International Taxation for the Post-Budget Memoranda 2025-26 and 2026-27.



- Representation on issues under the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015.
- Preparation of FAQs and technical inputs relating to withholding tax provisions and the new Income-tax framework.
- Inputs on International Taxation for the preparation of toolkits for MSMEs, Start-ups and other stakeholders.
- Representation to the CBDT on practical difficulties in filing Form 41 under the Income-tax Rules, 2026 for claiming DTAA benefits.

## (II) Professional Courses and Capacity Building Programmes

- **Diploma in International Taxation (DIIT):** During the period, the Committee conducted/announced five physical batches – the 34<sup>th</sup> (Delhi), 35<sup>th</sup> (Chandigarh), 36<sup>th</sup> (Mumbai), 37<sup>th</sup> (Hyderabad) and 38<sup>th</sup> (Vadodara) – and two online batches (13<sup>th</sup> and 14<sup>th</sup>). The programmes witnessed participation from members across India and focused on practical and contemporary issues in International Taxation and Transfer Pricing.
- **Certificate Course on UAE Corporate Tax:** During the period, the Committee conducted/announced three physical batches – the 3<sup>rd</sup> (Pune), 4<sup>th</sup> (Hyderabad) and 5<sup>th</sup> (Thrissur) – and three online batches (6<sup>th</sup>, 7<sup>th</sup> and 8<sup>th</sup>).
- **Certificate Course on Income Tax Law of the USA:** The Committee launched the Certificate Course on Income Tax Law of the USA during the period. The first online batch commenced with the participation of 192 members and the second batch with 204 members.

## (III) Webinars and Knowledge Sessions

The Committee organised 15 webinars during the period on emerging and contemporary issues in International Taxation. Several webinars witnessed participation ranging from 600 to over 2,000 members and were also addressed by senior officials from the Income Tax Department and the CBDT.

## (IV) Seminars, Conferences and Workshops

The Committee organised/co-organised the following programmes during the period:

With a view to enhancing professional knowledge in the field of International Taxation, the Board organised 15 programmes comprising a Residential Refresher Course–Seminar on Overview of International Tax & Transfer Pricing, a One-Day Seminar on International Taxation, Business Setup & Compliance in the UAE: A New Frontier for Indian CAs, a Full-Day Seminar on International Taxation, Seminars on International Taxation, a seminar on Practical Insights on Cross-Border Transactions & Tax Controversies, a CPE Seminar on International Taxation & Professional Opportunities, International Taxation and Emerging Professional Opportunities, Budget 2026 with Special Regard to International Taxation, a Half-Day International Taxation Seminar, and a seminar on the Income Tax Act, 2025, conducted at Panipat, Ernakulam, Ranchi, Gurugram, Chandigarh, Delhi, Faridabad, Hyderabad, Bhubaneswar, Rishikesh, Dehradun, Amritsar, Kota, Jaipur and Thane.

In addition, one Brainstorming Workshop was held with stakeholders and experts in association with the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) on Ease of Doing Business and Direct Taxation perspectives.

## (V) Stakeholder Engagement and Institutional Coordination

The Committee actively engaged with:

- CBDT officials and officers of the International Taxation and Transfer Pricing wings.
- C&AG officials and industry stakeholders.
- ICAI overseas Chapters and subject experts for collaborative initiatives.

- Senior officers of the Income Tax Department through webinars and interactive sessions for member awareness and capacity building.

## **(VI) Publications and Technical Resources**

The Committee undertook the development, revision and release of the following professional publications and technical resources:

- Basics of International Taxation – A Guide.
- Technical Guide on Expatriates Taxation (Revised 2025).
- Background Material of the Diploma in International Taxation (Revised 2025).
- Cross-Border Transactions and Investments (Revised 2026).
- Basics of Permanent Establishment (India Perspective) (Revised 2026).
- Background Material of the Certificate Course on Income Tax Law of the United States of America (February 2026).
- Taxation of Digital Economy – A Study (Revised 2026).

## **6.13 GST AND INDIRECT TAXES COMMITTEE**

The GST & Indirect Taxes Committee of ICAI supports the Government in GST policy making, implementation and knowledge sharing through technical inputs, publications and newsletters. It enhances the skills of members and taxpayers via workshops, courses and seminars, and contributes to the Government's capacity building by conducting customised GST training for tax officers. The Committee is committed to bridging the GST knowledge gap across sectors and stakeholders.

The key activities of the Committee during the period under report are as under:

### **(I) Initiatives towards Partner in Nation Building**

#### **Reinforcing GST policy making, implementation and research – Technical Inputs:**

- Suggestions on Forms GSTR-9 and GSTR-9C, submitted to the CBIC on 17th April 2025, led to the incorporation of several ICAI recommendations in the amended Forms notified vide Notification No. 13/2025 – Central Tax dated 17th September 2025, followed by further suggestions on the amended Forms.
- Suggestions on practical issues faced by taxpayers in GST compliance were submitted to the Government on 25th August 2025 to facilitate smoother GST implementation and address challenges relating to registration, refunds, input tax credit and tax demands.
- A compilation of scenarios requiring adjustment of auto-populated tax liability in Form GSTR-3B was submitted to the GST Policy Wing, CBIC on 2nd October 2025, and a similar compilation of scenarios requiring adjustment of auto-populated input tax credit in Form GSTR-3B was submitted on 24th October 2025, in response to its request for stakeholder inputs.
- Suggestions on GST registration and refund processes were submitted to the Directorate General of GST on 5th December 2025 to aid the formulation of actionable measures and Standard Operating Procedures.
- Suggestions for enhancing the Ease of Doing Business under GST were submitted to the C&AG of India on 20th December 2025, pursuant to its request for inputs in connection with the proposed audit on GST from the Ease of Doing Business perspective.
- ICAI representatives shared practical insights on field-level challenges and processes relating to GST refunds during the consultative meeting convened by the GST Policy Wing, CBIC on 17th December 2025.
- Post-Budget Suggestions on the indirect tax proposals contained in the Union Budget 2026-27 to the Government on 21st February 2026, after compiling inputs received from members, Branches and Regions.
- Suggestions to the GSTAT and GSTN on 13th March 2026 for aligning the GST Appellate Tribunal portal terminology and statistics with the statutory provisions of the CGST Act, 2017.

- A representation to the CBIC seeking clarification on jurisdictional issues relating to appeals and revision proceedings under Sections 107 and 108 of the CGST Act, 2017, and suggested measures for smoother implementation and taxpayer convenience.
- A Representation seeking extension of the due date for filing Form GSTR-3B for September 2025, in view of the Diwali festival and GST rate revisions, was accepted by the CBIC, extending the due date to 25th October 2025.
- A representation before the GSTAT on 26th February 2026 seeking mandatory verification of valid Certificates of Practice of Chartered Accountants appearing as Authorised Representatives.

### **Memoranda of Understanding with State Governments for Capacity Building:**

The Institute, through the GST & Indirect Taxes Committee, entered into Memoranda of Understanding (MoUs) with the Commissionerate of Taxes & Excise, Government of Tripura, and the Commissionerate of CT & GST, Government of Odisha, for capacity building and extending technical cooperation in research, assistance in policy making, consulting, etc.

### **Supporting the capacity-building initiatives of the Government:**

- The Committee organised 45 Capacity Building Programmes on GST during the year for officers of the Central and State Governments and other departments, benefiting more than 2,758 officials.
- **National GST Symposium:** The Committee organised the 4th National GST Symposium at Thiruvananthapuram on 8th–9th January 2026, which was attended by 97 senior officers from 24 States representing various Central and State Government departments.
- **Outreach Programmes for Trade and Industry:** The Committee organised GST Awareness Programmes on the new tax rates, in collaboration with the Government of Tripura, at Agartala (twice) and Udaipur in October 2025, each attended by over 250 representatives from trade and industry. The awareness programme at Agartala was inaugurated by the Hon'ble Chief Minister of Tripura, and the programme at Udaipur on 10th October 2025 was inaugurated by the Hon'ble Finance Minister of Tripura.
- **Meetings with functionaries of the Central and State Governments:** During the reporting period, the Committee held meetings with 26 senior officers of the Central and State Governments to apprise them of ICAI's GST initiatives and explore avenues for providing proactive support in the area of GST.

## **(II) GST Knowledge Sharing Initiatives**

- Strengthened and regularly updated its official website as a comprehensive digital knowledge hub offering free professional resources to members and stakeholders.
- Organised 7 physical and 1 virtual batch of the Certificate Course on GST, attended by 421 members; 402 members successfully qualified the online assessment tests.
- Conducted 1 batch of the Certificate Course on UAE-VAT in Dubai, in coordination with the ICAI Dubai Office, attended by 24 members.
- Re-launched the E-learning on GST on 23rd May 2025, enabling members to access GST learning anytime and anywhere.
- Organised 10 National Conferences across the country with the participation of over 4,700 members.
- Conducted 58 CPE events benefiting more than 6,300 members.
- Organised 26 live webcasts/webinars on contemporary GST topics, attended by over 25,000 delegates.
- Published 10 editions of the ICAI Newsletter on GST during the year.
- Circulated 12 GST Updates covering key CBIC notifications, circulars, orders and instructions to over 50,000 registered users and through the website.

## **(III) Publications**

- Practical Guide to GST Disputes,

- Handbook on Applicability of GST on Agricultural Sector
- Handbook on E-Commerce under GST.

In addition, sixteen publications were revised to incorporate the latest developments and amendments under the GST law, viz.

- GST Act(s) and Rule(s) – Bare Law (revised twice)
- Handbook on the Inspection, Search, Seizure and Arrest under GST
- Handbook on the Invoicing under GST
- Handbook on the Exempted Supplies under GST
- Handbook on the Input Service Distributor under GST
- Handbook on the Blocked Credit under GST
- Handbook on the Registration on GST
- Handbook on the Advance Ruling under GST
- Handbook on the Interest, Late Fee and Penalties under GST
- Composition Scheme under GST
- Handbook on Refunds under GST
- Returns & Payment under GST
- Handbook on Foreign Trade Policy – Incentives, Schemes & Related FAQs
- Technical Guide on GST Annual Return (Form GSTR-9)
- Technical Guide on GST Reconciliation Statement (Form GSTR-9C)
- Significant Judicial and Advance Rulings in GST: A Compilation

#### **6.14 EXPERT ADVISORY COMMITTEE (EAC)**

In a dynamic economic landscape marked by increasingly complex transactions and the continuous evolution of financial reporting requirements, accounting professionals are often required to address intricate and emerging issues. Such situations demand professional judgement supported by well-reasoned and authoritative guidance to maintain the credibility and quality of financial reporting. The Expert Advisory Committee (EAC) serves as a key technical body in this regard by providing independent and well-deliberated opinions on intricate accounting matters. Over the years, the Committee has established itself as a valuable and trusted source of technical guidance, assisting members across industries, as well as government and regulatory institutions, in addressing practical accounting challenges.

##### **(I) Expert Opinions**

The Committee responds to queries from members strictly in line with the Advisory Service Rules. Its scope is confined to issues relating to accounting and auditing principles; accordingly, issues involving the legal interpretation of statutory enactments and/or cases of professional misconduct are not answered by it. Further, as per the Rules, matters pending before the Board of Discipline or the Disciplinary Committee of the Institute, or before an appropriate department of the Government or the Income-tax authorities, are not answered by the Committee. The Advisory Service Rules are accessible on the ICAI website(<https://www.icai.org/post/495>)

The opinions issued by the Expert Advisory Committee are based on the specific facts and circumstances provided by the querist, taking into account the relevant laws, statutes and applicable accounting and auditing principles. Each opinion clearly states the date of its finalisation and should be read considering the developments and/or amendments to laws or standards that may have occurred after that date.

##### **(II) Opinions Finalised**

During the period from 1<sup>st</sup> April, 2025 to 30<sup>th</sup> April, 2026, the Committee finalised forty-three (43) opinions on a wide range of queries raised by members involving issues related to accounting principles.

### (III) Information Technology (IT) Initiatives

Opinions issued by the Committee are made available through an online Search Application on the ICAI website, enabling easy access. The EAC has upgraded its Search Application with more refined search features, enabling next-level search to deliver more precise results and provide members with a seamless and efficient research experience. The salient features of the Application (<https://eacopinion.icai.org/>) are:

- An extensive repository of around 1,700 opinions, empowering users to explore the Opinions issued by the EAC so far.
- Search facility based on keyword(s), date of opinion, volume of the Compendium of Opinions, etc.
- A 'Recent Opinions' tab containing the latest opinions issued by the Committee, updated regularly to provide up-to-date information to members.
- An advanced and upgraded search facility that enables users to locate EAC opinions using keywords, combinations of keywords and/or the date or period of issuance, with enhanced features delivering more precise results and significantly improving ease of access and usability.

### (IV) Dissemination of Knowledge

- **Webinars:** As part of its outreach initiatives, the Committee organised a webinar on the theme "Recent EAC Opinions under Ind AS Framework" on 16<sup>th</sup> December, 2025, with a view to disseminating knowledge and creating awareness amongst members and other stakeholders.
- **Publishing of Opinions in the Journal:** Selected opinions of general relevance are also published in the Institute's journal, 'The Chartered Accountant'.

### (V) Publications – Compendium of Opinions

In order to make the technical guidance contained in the Opinions available to accounting professionals and other stakeholders, the Committee periodically compiles and publishes its opinions as the Compendium of Opinions. To date, forty-four (44) volumes have been released, serving as a valuable reference resource for professionals. The Compendium of Opinions is accessible on the ICAI website (<https://www.icai.org/post/icai-publications-expert-advisory-committee>) .

## 6.15 CORPORATE LAW COMMITTEE (CLC)

The Corporate Law Committee (CLC) (Earlier named as Corporate Laws and Corporate Governance Committee (CL&CGC) works towards strengthening the corporate regulatory framework through policy advocacy, stakeholder engagement and collaboration with the Ministry of Corporate Affairs (MCA). The Committee also promotes knowledge enhancement and professional excellence in the areas of corporate laws and governance.

The key highlights of the year are as under:

### (I) Policy Contributions and Recommendations

- Submitted comprehensive recommendations for the operationalisation of Section 129A of the Companies Act, 2013 (periodic financial reporting by specified unlisted companies), covering proportionate thresholds, half-yearly reporting aligned with SEBI practices, mandatory Board approval, practical timelines, flexibility between audit and limited review, and simplified e-forms to reduce the compliance burden.
- Submitted detailed suggestions on SEBI's Consultation Paper on Appointment of Auditors and Related Party Transactions of listed entities, aimed at strengthening governance and transparency while ensuring operational feasibility, ease of compliance and balanced regulatory implementation.
- Submitted a representation seeking exemption from dematerialisation for Section 8 companies, considering their non-profit nature and limited shareholder activity, and provided technical inputs

to SEBI on secretarial compliance, auditor appointments and related party transactions to ensure a balance between regulatory strength and practical implementation.

- Supported the Prime Minister Internship Scheme (PMIS) by facilitating the placement of trained interns to enhance youth employability and recommended treating vocational training as CSR expenditure and post-employment costs as normal business expenses, in line with Section 135 and Schedule VII of the Companies Act, 2013.

## **(II) Regulatory and Governance Advisory**

- Examined requests from CPSEs under the Ministry of Heavy Industries for relaxation in strike-off provisions involving unresolved liabilities and legal proceedings, and recommended a balanced approach ensuring administrative efficiency while safeguarding stakeholder interests and upholding governance and accountability standards.
- Reviewed the representation from Tata Power Renewable Energy Limited (TPREL) seeking exemption from appointing Independent Directors in certain captive SPVs, and advised against such exemption, citing inconsistency with sound corporate governance and potential dilution of the intent of Section 149 of the Companies Act, 2013.

## **(III) Support to Government Initiatives**

- Collaborated with the MCA on the simplification of corporate laws through nationwide stakeholder consultations, and contributed to the rollout of MCA21 Version 3 through technical support, grievance redressal and facilitation, while initiating consultations for MCA21 Version 4.
- Continued engagement through meetings with MCA officials, participation in user acceptance testing and joint outreach programmes, along with awareness initiatives, webinars and training sessions to support compliance readiness, especially for filings such as AOC-4 and MGT-7.

## **(IV) Capacity Building and Outreach Programmes**

- Undertook national outreach initiatives, including participation in "Vision Rajasthan 2026" at Sirohi, Rajasthan, and promotion of LLP adoption in under-penetrated regions, along with capacity building through conferences, conclaves and certificate courses on CSR Reporting.
- Conducted extensive training programmes, seminars, webinars and outreach initiatives to enhance professional competency, strengthen compliance awareness and promote good governance practices across the country.

## **(V) Publications**

- Technical Guide on CSR Expenditure.
- Handbook on Compliances and Exemptions for Private Companies.
- FAQs on Section 8 Companies.

## **6.16 COMMERCIAL LAWS & ECONOMIC ADVISORY COMMITTEE**

The Commercial Laws & Economic Advisory Committee (Earlier named as Committee on Commercial Laws and Economic Advisory & NPO Cooperative) plays a vital role in equipping Chartered Accountants with in-depth knowledge and practical expertise across commercial laws, economic advisory and dispute resolution, while contributing to nation building through proactive engagement with regulators and policymakers.

The key initiatives undertaken by the Committee during the period under report are as under:

### **(I) Initiatives towards Partner in Nation Building**

- **Launch of Section 8 Company – ICAI International ADR Centre (IIAC):** The launch of the ICAI International ADR Centre at Le Meridien, New Delhi on 30th July 2025 marked a significant milestone. The Chief Guest, Hon'ble Minister of State, Ministry of Law and Justice,

appreciated ICAI's initiative to strengthen institutional dispute resolution, while Hon'ble Justice, Delhi High Court, emphasised the importance of ADR in enhancing the ease of doing business. Esteemed panellists shared valuable insights. The unveiling of the IIAC logo and booklet further strengthened ICAI's commitment to promoting India's vision of becoming a global ADR hub.

- **Quick Legal Form Utility:** The Committee launched a Quick Legal Form Utility offering easy access to drafts of key legal documents, including gift deeds, partnership deeds, powers of attorney, rent and lease agreements, wills and writs, which achieved over 14,000 downloads on the launch day itself. The Utility is readily accessible on the ICAI website at <https://www.icaai.org/post/cclnpo-download-quick-legal-form-utility>
- **Inputs for Uniform Audit Format for Multi-State Co-operative Societies:** The Committee actively contributed to drafting MSCARO 2025 as part of the Sub-Committee constituted by the Central Registrar of Cooperative Societies (CRCS). In February 2026, the final draft was submitted to the Central Registrar's Main Committee, supporting standardisation in the audits of Multi-State Co-operative Societies.

## (II) Knowledge Enhancement through Webinars

The "Know Your Laws" series during 2025-26 reached 135 webinars and over 350 structured CPE hours, addressed to more than 10,000 participants, reflecting the Committee's sustained efforts towards professional development and knowledge dissemination.

## (III) Celebration of International Days

As part of its outreach initiatives, the Committee observed International Literacy Day, World Environment Day, World Intellectual Property Day, International Labour Day and RERA Day, among others, promoting awareness of global issues and encouraging meaningful member participation.

## (IV) Meetings and Institutional Engagements

- A meeting was held on 24<sup>th</sup> September, 2025 with Chairman, MahaRERA, to explore collaboration in the real estate sector. Interactions were also held with officials from the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Finance, including Director, FATF Cell, Department of Revenue, Ministry of Finance, regarding the National Risk Assessment.
- Engagements with academic and professional institutions, and interactions with experts such as Hon'ble Justice, Delhi High Court, Two Senior Advocates, Senior Attorney, Global Arbitrator and strengthened the dialogue on arbitration and mediation.

## (V) Flagship National Cooperative Programme – "Cooperative Chintan Shivir"

The Committee successfully organised its flagship programme, "Cooperative Chintan Shivir", on 12<sup>th</sup> January 2026 at New Delhi, with the participation of over 800 members. The programme served as a significant platform for thought leadership and dialogue on strengthening India's cooperative sector through transparency, professional management and institutional reforms. The event was graced by Hon'ble Union Minister of Environment, Forest and Climate Change and Labour & Employment; Hon'ble Minister of State, Ministry of Cooperation; and Former Union Minister and Chancellor, Rishihood University, whose presence and insights greatly enriched the deliberations. The programme featured insightful technical sessions focusing on governance, inclusive growth and digital transformation in the cooperative sector, and also marked the launch of a Concept Paper on strengthening the cooperative ecosystem, contributing to meaningful discussions and future-oriented policy perspectives.

## (VI) Representations/Inputs

- Representations by contributing research on strengthening RERA, promoting professional opportunities in the cooperative sector and
- Providing technical inputs to India's National Risk Assessment 2025 in collaboration with FIU-India.

## **(VII) A Year of Learning, Leadership and Engagement**

During the year, the Committee conducted 18+ Certificate Courses, 40+ Seminars, 3+ Leadership Development Programmes (LDPs) and 3+ Residential Refresher Courses (RRCs), engaging over 6,500 members and strengthening professional learning and capacity building.

## **(VIII) Publications:**

- Online Dispute Resolution (ODR): An International Perspective.
- Professional Opportunities for Chartered Accountants under Foreign Exchange Management Act (FEMA) Laws in India.
- Professional Opportunities for Chartered Accountants under the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 in India.
- Professional Opportunities for Chartered Accountants in the Cooperative Sector.
- Background Material for the Certificate Course on FEMA.
- Study on Strengthening the Real Estate (Regulation and Development) Act (RERA) in India for the Future: Best Practices and Recommendations.
- Strengthening India's Cooperative Framework: The Role of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
- Revised Background Material for the Certificate Course on Anti-Money Laundering Laws (AML Specialist).
- Revised Background Material for the Certificate Course on Arbitration.

## **6.17 COOPERATION AND NPO COMMITTEE**

The cooperative sector, comprising more than 8.5 lakh cooperatives across the country, plays a pivotal role in India's socio-economic development by promoting inclusive and sustainable growth. Recognising the significance of this sector, the Government of India established the dedicated Ministry of Cooperation in 2021 with the vision of achieving the mission of "Sahkar Se Samriddhi / सहकार से समृद्धि". In alignment with this national vision, ICAI has constituted the Cooperation and NPO Committee (Earlier part of Committee on Commercial Laws and Economic Advisory & NPO Cooperative) to contribute towards the strengthening and development of the cooperative and NPO sectors in the country.

The Committee engaged with key policy-making and regulatory authorities for the holistic development of the cooperative sector. In this regard, the Committee closely coordinated with the Central Registrar of Cooperative Societies in the drafting of the Multi-State Co-operative (Auditor's Report) Order (MSCARO), 2026.

Further, the Committee coordinated with the Ministry of Cooperation, the National Council for Cooperative Training (NCCT) and Tribhuvan Sahkari University (TSU) towards implementing transformational reforms in the cooperative sector. Additionally, the Committee coordinated with the Cooperative Departments of various States and Union Territories to strengthen capacity-building initiatives for stakeholders in the cooperative ecosystem across the country.

## **6.18 CENTRE FOR AUDIT QUALITY COMMITTEE (CAQC)**

The Institute of Chartered Accountants of India established the Centre for Audit Quality Directorate (CAQD) in 2020 to focus on enhancing the quality of audit practices in India. In 2026, the Directorate was reconstituted as the Centre for Audit Quality Committee (CAQC), strengthening its role and governance framework. The CAQC primarily focuses on the qualitative aspects of the audit function, ensuring continuous improvement in audit quality and contributing to enhancing the global standing of Indian audit firms.

In furtherance of its mandate, the Committee undertakes a broad spectrum of initiatives aimed at strengthening audit and assurance quality. These include developing a framework for audit and assurance quality and formulating the Audit Quality Maturity Model (AQMM) based on Audit Quality



Indicators; conducting certificate courses and awareness programmes to enable members to perform audits in compliance with auditing principles; developing publications and guidance materials to assist members in improving their professional practices and establishing robust systems and processes; and facilitating the development and adoption of technological resources for efficient audit practices, besides undertaking functions assigned by the Council or the President from time to time. The activities undertaken during the period under report are as under:

### **(I) Utilities Developed and Updated by CAQC**

The CAQC develops and provides technological resources, tools and utilities to facilitate the smooth conduct of quality audits and assurance services, while supporting audit firms in enhancing audit quality, operational efficiency and regulatory compliance. During the year, the following utilities were developed/updated:

- **Checklist for Certificates issued by Chartered Accountants:** The CAQC developed a Checklist for Certificates issued by Chartered Accountants, in alignment with the Guidance Note on Reports or Certificates for Special Purposes (Revised 2016). It is an easy-to-understand and easy-to-implement tool that assists members in ensuring compliance with the various aspects of the Guidance Note while issuing certificates.
- **Utility for Bank Branch Audit – 2026 Edition (updated):** To help members in the smooth conduct of bank branch audits, the CAQC has developed an Excel utility based on the Guidance Note on Audit of Banks and the Technical Guide on Long Form Audit Report issued by the AASB. The Utility has been updated, incorporating the changes in the Guidance Note on Audit of Banks (2026 Edition).

- **Utility for Review and Monitoring Tool on Standards on Auditing Compliance (updated):**

The tool provides comprehensive checklists for ensuring compliance with the Standards on Auditing, tracks audit progress via a work status dashboard and documents team activities, including the time spent on each audit. The tool has been updated with the addition of a 'Whether Applicable' column in the Dashboard, indicating the applicability of each Standard on Auditing (SA); if a particular SA is not applicable, the user can select 'No', upon which the corresponding SA sheet displays a 'No' status and restricts any further inputs.

- **Utility for Determining Materiality (updated):** The utility assists in calculating materiality thresholds for statutory audits, categorises risk assessment (low/medium/high) and aids in forming audit opinions based on material misstatements. It has been enhanced by adding a column 'Reason for choosing the level of risk' in the materiality calculation sheet, enabling users to document their rationale for selecting the appropriate level of risk.

In previous years, the Committee had successfully introduced the following utilities:

- **Utility for Self-evaluation under AQMM v 2.0:** The utility assists firms in self-evaluating their maturity level on the basis of the Audit Quality Indicators defined under AQMM v 2.0, enabling them to identify areas where competencies are strong or lacking and to develop a roadmap for achieving a higher level of audit maturity.
- **Utility on Engagement Letters:** The utility has been designed to simplify and streamline the process of generating engagement letters for assurance clients, enabling auditors and audit firms to generate multiple engagement letters with a single click, saving time and eliminating the complexities involved in their preparation.

**Status of download of the utilities as at 08.05.2026 is as under:**

| S. No. | Name of Utility / Tool                                                     | No. of Downloads |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.     | Utility for Determining Materiality                                        | 13,317           |
| 2.     | Utility for Review and Monitoring Tool on Standards on Auditing Compliance | 4,636            |
| 3.     | Utility on Engagement Letters                                              | 17,158           |
| 4.     | Utility for Bank Branch Audit – 2026 Edition                               | 3,352            |
| 5.     | Utility for self-evaluation under AQMM v 2.0                               | 1,665            |
| 6.     | Checklist for Certificates issued by Chartered Accountants                 | 13,205           |

**(II) Videos on Tools and Utilities Developed by CAQC**

The CAQC has developed instructional videos on the Utility for Determining Materiality, the Review & Monitoring Tool for SA Compliance, the Utility on Engagement Letters, the Utility for Bank Branch Audit and CAQC Initiatives. In addition, videos have been developed on the process of downloading the utilities and enabling macros. These videos, hosted on the CAQC page as well as on YouTube, aim to provide members with a better understanding of the purpose and functioning of these tools and utilities, while also offering step-by-step guidance on their use.

**(III) Widening the Scope of Mandatory Applicability of AQMM v 2.0**

The scope of mandatory applicability of AQMM v 2.0 has been widened to cover more firms, and accordingly AQMM v 2.0 has been made mandatory in a phased manner for the following categories of firms:

| S. No.                                                     | Category of Firms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Date of Applicability (Peer Review conducted on or after) |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Mandatory applicability of AQMM – Existing criteria</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |
| 1.                                                         | Firms auditing the following entities: (a) a listed entity; (b) banks other than co-operative banks (except multi-state co-operative banks); and (c) insurance companies. However, firms conducting only branch audits are not covered.                                                                                                        | April 1, 2023                                             |
| <b>Mandatory applicability of AQMM – Widened scope</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |
| 2.                                                         | Firms which are subject to Peer Review and audit the Holding/Subsidiary/Associate/Joint Venture entities of the entities stated under S. No. 1 above.                                                                                                                                                                                          | April 1, 2026                                             |
| 3.                                                         | Firms which propose to undertake the statutory audit of unlisted public companies having paid-up capital of not less than ₹500 crore, or annual turnover of not less than ₹1,000 crore, or, in aggregate, outstanding loans, debentures and deposits of not less than ₹500 crore as on 31st March of the immediately preceding financial year. | April 1, 2026                                             |
| 4.                                                         | Firms which propose to undertake the statutory audit of entities which have raised funds from the public or banks or financial institutions of over ₹50 crore during the period under review, or of any body corporate, including trusts, covered under public interest entities.                                                              | April 1, 2027                                             |

#### (IV) Programmes/Webinars Organised by CAQC

- **Joint Webinars with the Peer Review Board:** The CAQC, jointly with the Peer Review Board (PRB), organised two webinars to educate members on AQMM v 2.0 on 20th June 2025 and 10th April 2026, which were attended by approximately 1,900 participants.
- **Quality Café Sessions – a virtual series on audit quality:** The CAQC organises the Quality Café series in virtual mode, comprising two-hour interactive panel discussions by audit experts on the elements that contribute to audit quality. During the period, 6 Quality Café sessions were organised, attended by approximately 4,365 participants.
- **Certificate Course – “Executive Master Program – New Age Auditors”:** During the period, 3 virtual batches of the Certificate Course were conducted, attended by approximately 227 members. Examinations for 2 batches were conducted, wherein 156 members successfully qualified and were awarded the Certificate.
- **Other Programmes:** The CAQC organised 36 programmes on audit quality aspects, hosted by various Branches and Regional Councils. These programmes imparted knowledge on the Audit Quality Maturity Model (AQMM), the various tools and utilities developed by the CAQC, and the enhancement of audit practices for non-corporate entities, and were attended by approximately 4,460 participants. The region-wise participation of members is as under:

| Region              | WIRC  | CIRC  | NIRC | EIRC | SIRC |
|---------------------|-------|-------|------|------|------|
| Participants (Nos.) | 1,552 | 1,031 | 983  | 815  | 79   |

#### (V) Other Initiatives

A separate 'X' (Twitter) handle has been created for the CAQC to connect with members, enhance awareness on audit quality and share updates on initiatives, webinars, certificate courses, and new utilities and publications.

#### (VI) Publications Released by CAQC

- **Handbook on Certificates by Chartered Accountants: Comprehensive Checklist & Formats:** The publication serves as a practical guide for members in issuing various certificates with due professional care. It provides detailed checklists, FAQs and illustrative formats to promote uniformity and enhance the quality of certification work undertaken by Chartered Accountants, and is aligned with ICAI's Guidance Note on Reports and Certificates for Special Purposes (Revised 2016).
- **Bridging the Expectation Gap – Audit vs. Forensic:** The publication explains the fundamental differences between an audit and a forensic engagement – two professional activities that are often perceived as similar but serve distinctly different purposes.

### 7. PROFESSIONAL DEVELOPMENT COMMITTEES

#### 7.1 AI COMMITTEE

The AI Committee (constituted as the “AI in ICAI” Committee in the Council Year 2024-25) spearheads the integration of Artificial Intelligence across the profession and the Institute's operations, enhancing services for members, students and employees. The Committee focuses on building AI capability through structured certifications and continuous learning, developing AI-powered tools and platforms, creating knowledge infrastructure, fostering innovation and forging strategic collaborations with the Government, industry and global technology leaders. The key initiatives undertaken during the period under report are outlined below:

### (I) Capacity Building and Learning Initiatives

- **AICA – AI Certificate Course for Chartered Accountants:** A flagship structured certification programme comprising Level 1, a three-day physical programme covering foundational AI concepts and tools, and Level 2, a five-day blended-format programme covering advanced applications with practical use cases. Over 750 batches have been conducted and 42,000+ members trained at Level 1, while 40+ batches have been conducted and 1,500+ members trained at Level 2.
- **AI Refresher Series:** Weekly virtual sessions on Level 1, launched in April 2025, ensure continuous learning and updates on emerging AI trends and tools; the Level 2 series commenced in April 2026. Both series are free of cost for eligible members.
- **Faculty Identification Programme (FIP) on AI:** A structured initiative to build a strong pool of AI-trained faculty across India for scaling learning initiatives; 6 FIPs have been conducted till date, with the 7<sup>th</sup> scheduled on 9<sup>th</sup>–10<sup>th</sup> May, 2026.

### (II) Technology and AI Tools Development

A total of 131 GPTs have been developed by the Committee, including the following:

- **ICAI CA GPT (multi-phase rollout):** AI-powered assistants for members covering multiple domains, including taxation, auditing and regulatory areas.
- **ICAI CA Student GPT:** A dedicated AI assistant tailored for students to support learning and examination preparation.
- **ICAI AI Agent (multi-modal platform):** An advanced AI-driven solution integrating text, document and analytical capabilities for professional use.
- **Industry Forum GPT:** An AI tool built on the data of 5,000+ listed companies, enabling industry benchmarking and analysis.

### (III) Knowledge Infrastructure

- **AI Knowledge Hub:** A centralised repository of AI resources, including articles, videos, use cases and technical materials.
- **AI Hub for Capstone Projects (Level 2):** A platform to showcase innovative AI-based projects developed by participants.

### (IV) Innovation and Engagement Platforms

- **ICAI AI Hackathon:** A season-based national innovation platform encouraging members to develop AI-driven solutions for real-world professional challenges; 4 seasons have been completed and the 5th season is currently underway.
- **AI Innovation Challenge:** A focused initiative to recognise and promote innovative AI use cases within the profession.
- **Prompt Engineering Competition:** A competition across multiple categories to build practical AI usage skills among members.

### (V) Flagship Events and Global Platforms

- **ICAI AI Innovation Summit:** An annual global summit bringing together international experts, policymakers and professionals (Hyderabad 2024, Pune 2025 and New Delhi 2026).
- Participation in global platforms such as the IndiaAI Impact Summit and the World Forum of Accountants (WOFA), showcasing ICAI's AI initiatives on international stages.

## (VI) Strategic Collaborations and MoUs

- **MoU with IndiaAI (MeitY, Government of India)** for collaborative training, AI ecosystem development and research initiatives.
- **MoU with Google India** for advancing AI research and capacity building.
- Engagements with regulators and institutions for AI-driven initiatives, including standards, governance and implementation frameworks.

## (VII) Future-Focused Initiatives

- Expansion of AI certifications and global alignment of the curriculum.
- Development of international collaborations under the MoUs.
- Creation of AI research labs and advanced innovation platforms.
- Strengthening AI adoption across practice, industry and academia.

## (VIII) Thought Leadership and Publications

ICAI has developed a strong body of knowledge through its AI publication series, comprising:

- *Ethics in AI; Privacy in AI; and Impact of AI on Indian Economy.*
- *AI Law & the Chartered Accountant: Governance, Assurance, and Practice in India and Beyond.*
- *AI Prompt Engineering for Chartered Accountancy.*
- *AI and the DPDP Era: A Chartered Accountant's Guide to Responsible Data Governance.*
- *AI Essentials for Chartered Accountants and Python Essentials for Chartered Accountants* (under development).

## 7.2 MEMBERS IN INDUSTRY & BUSINESS COMMITTEE

Members in Industry & Business Committee of ICAI (Earlier named as Committee For Members in Industry and Business) continues to drive professional excellence through a diverse portfolio of strategic initiatives. The key activities of the Committee during the period under report are as under:

### (I) Campus Placement Programmes

A cornerstone of the Committee's efforts is the Campus Placement Programme, which facilitated career transitions for thousands of newly qualified CAs in 2025-26. During the 61st edition (February–March 2025), 3,729 offers were made, with a top salary of ₹29.00 lakh per annum. This momentum was sustained in the 62<sup>nd</sup> edition (August–September 2025), which saw 3,785 employment offers and a highest CTC of ₹26.60 lakh per annum. Preparations for the 63<sup>rd</sup> Campus Placement Programme (February–March 2026) were geared towards qualifying candidates from the November 2025 examinations, with the registration process commencing in January 2026 to continue this career trajectory.

To ensure candidates are "corporate-ready", the Committee also conducted intensive 1–2-day Orientation Programmes focusing on interview techniques and soft skills for the 10,653 candidates registered in the latter session.

### (II) Professional Networking and Continuous Learning

Beyond initial placements, the Committee fosters lifelong learning and professional networking through dedicated forums and continuous education modules. Major initiatives include the CFO and CHRO Forums, which serve as high-level networking platforms for senior professionals. The "Growth Gears" talk-show series and various industry-specific webinars have been instrumental in providing members with contemporary insights into the start-up ecosystem, real estate and digital transformation.

Furthermore, the Committee maintains an active schedule of Seminars, Workshops and Residential Refresher Courses (RRCs) to help members meet their Continuing Professional Education (CPE) requirements while staying updated on global business trends.

### **(III) Recognition Programmes and Leadership Development**

The Committee's commitment to excellence is also reflected in its recognition programmes and targeted development for high achievers. These include the ICAI Awards for CA achievers and the specialised "40 Under 40 – CA Business Leader Award". For academic standouts, the Management Development Programmes (MDPs) for rank holders provide advanced leadership training in collaboration with premier business schools. Collectively, these initiatives ensure that the CMI&B remains a vital link between the accounting profession and the evolving needs of global industry.

### **7.3 AGGREGATION OF CA FIRMS COMMITTEE (ACAFC)**

The Aggregation of CA Firms Committee (ACAFC), constituted in 2024-25, is driving a transformational journey from "Ease to Excellence in Practice" for CA firms in India. With a clear strategic mandate, the ACAFC is undertaking a comprehensive review and revision of existing guidelines to ensure they are relevant, adaptive and aligned with the evolving professional and regulatory landscape. Through its initiatives, the ACAFC empowers CA firms to expand expertise, scale operations, embrace digital solutions and navigate the dynamic professional ecosystem with agility. By streamlining processes, reducing procedural barriers and fostering a culture of resilience and excellence, the Committee cultivates an environment where firms can thrive. Leveraging stakeholder engagement, structured capacity building and continuous feedback, the ACAFC ensures that CA firms are not only equipped to meet domestic challenges but are also poised to compete and collaborate effectively in an increasingly global market.

#### **Key Initiatives of ACAFC**

- **FAQs and the Model Merger Deed on the ICAI (Merger & Demerger of CA Firms) Guidelines, 2024:** This publication comprises a comprehensive set of Frequently Asked Questions (FAQs) designed to address commonly encountered issues and provide practical, actionable guidance to members. The FAQs serve as an important reference tool, offering clarity on interpretational and procedural aspects to enable smooth and efficient adoption of the revised Guidelines. To further support firms in operationalising mergers, a Model Merger Deed has been annexed, outlining essential provisions including the terms of merger, governance and management structure, dispute resolution mechanisms, client transition processes and confidentiality safeguards, thereby facilitating a seamless and legally compliant merger process for CA firms.
- **FAQs on the ICAI (Aggregation of LLPs) Guidelines, 2024:** To assist stakeholders in understanding and implementing the Aggregation framework for LLPs, the ACAFC developed a detailed set of FAQs addressing key aspects of the Guidelines. These FAQs provide clarity on eligibility criteria, procedural requirements, compliance obligations and practical implementation considerations, enabling members to navigate the Aggregation of LLPs framework with confidence.
- **CA-Setu – Networking Portal for CAs:** During the year, the ACAFC envisaged a strategic digital networking portal aimed at fostering collaboration, connectivity and growth opportunities amongst Chartered Accountants and CA firms across India. The Request for Proposal (RFP) for the development of the portal was floated and the process for finalisation of the vendor was undertaken. Further, the homepage of the portal was soft-launched during the 448th meeting of the Council held on 6th–7th February 2026.
- **Outreach, Capacity Building & Stakeholder Sensitisation:** During the year, the Committee undertook structured outreach initiatives and strategic consultative interactions on a pan-India basis to educate and sensitise stakeholders on emerging opportunities relating to growth, networking, collaboration and aggregation of CA firms. Through workshops, webinars,

mentorship sessions and one-on-one consultative interactions on “Big Indian Firms”, practical insights and guidance were provided to strengthen the capabilities of CA firms, address practical challenges and align the profession with evolving global best practices.

- **Webinars/Seminars/Workshops/Programmes**

The Committee organized a series of 17 programmes across the country to promote the aggregation and growth of Chartered Accountant firms. These included webinars, seminars, workshops, outreach programmes, consultative interactions, a residential refresher course, and a half-day conference on themes such as aggregation of CA firms, networking and capacity building, scaling up professional firms, opportunities for CAs as independent directors, and the “Big Indian Firm: The Aggregation Blueprint” initiative. The programmes were conducted in both virtual and physical modes at various locations including Mumbai, Jaipur, Surat, Vadodara, Prayagraj, Rishikesh, Guwahati, Hisar, New Delhi, Faridabad, and other cities, facilitating stakeholder engagement and fostering discussions on strengthening and expanding the professional practice landscape in India.

#### 7.4 MEMBERS IN PRACTICE COMMITTEE (MPC)

The Members in Practice Committee (MPC) (Earlier named as Committee for Members in Practice), a non-standing Committee of ICAI, was established with the primary objective of revitalising the practice portfolios of practitioners and firms through a suite of targeted initiatives. Aligned with ICAI’s overarching mission to cultivate globally competent professionals, the CMP undertakes multifaceted initiatives aimed at the capacity building of Chartered Accountants in practice, and regularly organises refresher courses, workshops, conferences, seminars, certificate courses, brainstorming sessions and interactive forums to strengthen the practice portfolio of members and enhance their visibility.

##### (I) Capacity Building Measures in Identified Thrust Areas

As part of the approved Action Plan for 2025-26, the Committee identified five emerging thrust areas for developing new avenues of professional growth for practising Chartered Accountants – GST Litigation, Real Estate Consultancy, Customs & Foreign Trade Policy (FTP), MSME Advisory and Accounting Outsourcing – and conceptualised structured workshop formats under each area. These formats were also popularised amongst the Branches of ICAI to encourage them to conduct the workshops for the benefit of members in practice. The workshops conducted under these formats include:

- **6-Day Workshop on GST Dispute Mechanism (Strategies & Advocacy):** Conducted jointly with the GST & Indirect Taxes Committee, this non-residential workshop is a focused training programme for Chartered Accountants engaged in advising taxpayers, drafting responses to departmental notices and representing clients in adjudication and appellate proceedings, offering hands-on learning through technical sessions, case studies, drafting exercises and mock tribunal hearings. Six such workshops were successfully organised.
- **Two-Day Workshop on “Communication Business Skills for Global Outsourcing”:** A forward-looking programme equipping Chartered Accountants with the communication and interpersonal skills required to excel in global outsourcing, shared services and virtual work settings, integrating practical learning, case studies, real-life simulations and AI-driven applications. A physical batch was conducted at the Ahmedabad Branch of WIRC on 1st–2nd November 2025.
- **Webinar Series – “Bridging the Mindset Gap”:** A thought-driven webinar initiative going beyond technical mastery to strengthen the inner foundation of professional success – attitude, ethics and values – nurturing a growth-oriented mindset, ethical leadership and value-driven decision-making. The Committee successfully organised 27 such webinars (Mondays, 4:00–6:00 p.m.).
- **Six-Day Workshop on Real Estate Advisory and Practice Setup:** Developed jointly with the Committee on Commercial Laws, Economic Advisory & NPO Cooperative, the workshop covers the pre-development, development and post-development phases of consultancy opportunities,

offering an integrated understanding of RERA compliance, taxation (GST and Income-tax), due diligence, project financing, accounting and audit of real estate entities, Joint Development Agreements, legal documentation, valuation methodologies and revenue recognition under Ind AS 115. Two such workshops were successfully organised.

- **Two-Day Workshop on "Practice Opportunities in Customs & Foreign Trade Policy (FTP)":** Provides a comprehensive and practical understanding of the customs and international trade framework governing India's import-export ecosystem, including legal provisions, procedures, valuation mechanisms and benefit structures under the Customs Act and the FTP, enabling members to translate conceptual knowledge into strategic advisory capability.
- **Four-Day Workshop on "Practice Opportunities in MSME":** A comprehensive learning initiative on the legal, financial and compliance ecosystem governing MSMEs, building professional capacity in advisory, consultancy and financing functions while familiarising members with Government schemes, incentives and policy frameworks for MSME growth.
- **Two-Day Workshop on "CA's Toolkit: Practical Guide to Appeals & Representation":** Equips members with practical skills in drafting, representation and management of tax and legal proceedings across Direct and Indirect Tax laws and allied legislations – including search/seizure procedures, compliance under the Black Money, Benami and PMLA Acts, and representation before appellate forums and tribunals. A workshop was organised at the Hyderabad Branch of SIRC on 20th–21st December 2025.

## (II) Other Capacity Building Initiatives

- **Practice ki Paathshala – Flagship Initiative:** The flagship programme, designed to enhance professional competencies in practice management, technology integration, and networking and growth, was revamped from the earlier 3-day residential format to a more flexible 4-day residential/non-residential refresher format exclusively for practising Chartered Accountants, blending practice management, technology adoption (including AI and automation training), personal development and leadership skills. Nine batches of the programme were successfully organised.
- **"Grow Your Practice" Webinar Series:** A series equipping Chartered Accountants with the latest tools, strategies and insights to expand their practices, covering business development, digital transformation, client management and emerging opportunities; seven webinars were successfully conducted.
- **Career Readiness Programme for New CAs:** Organised jointly with the Committee for Members in Industry & Business, this 6-day virtual programme (18 hours) empowers newly qualified Chartered Accountants with informed career decision-making, with a focused deep-dive into industry and independent practice. An online batch was organised from 24th to 27th December 2025.
- **Pathway to Practice – 7-Day Residential Training Programme for COP Applicants:** The Committee revamped the structure of this comprehensive residential programme, tailored for first-time Certificate of Practice applicants, covering practice management, regulatory compliance, client engagement, technology adoption and ethical standards, conducted at the ICAI Centres of Excellence at Jaipur and Hyderabad.
- **One-Day Workshop on "Reimagining the CA Profession: Emerging Practice Opportunities in a Globalised Economy":** Conceptualised to sensitise members, particularly SMPs, to emerging high-growth domains – including GCCs, GIFT City, international taxation and cross-border advisory – and to facilitate a mindset shift from compliance-oriented practice to value-driven advisory services. Two such workshops were organised.
- **Two-Day Workshop on "Grow Your Practice 2026":** A thought-leadership initiative empowering SMPs to evolve into future-ready, high-value advisory and entrepreneurial practices, anchored in innovation, ethics, digital transformation and AI-enabled workflows. Three such workshops were organised.

## (III) Certificate Courses

The Committee revamped its two Certificate Courses:



**(a) the Certificate Course on Preparation of Appeals, Drafting of Deeds & Documents, and Representation before Appellate Authorities and Statutory Bodies** (revamped as the "Certificate Course on Legal Drafting and Representation before Authorities", 30 CPE hours), designed to equip Chartered Accountants with advanced practical skills in drafting legal documents, handling appeals and representing clients before statutory authorities and appellate tribunals; and

**(b) the Certificate Course on Wealth Management and Financial Planning** (30 CPE hours), covering financial planning, behavioural finance, equity and bond investment strategies, portfolio management, AI applications in wealth management and alternative investment avenues, supported by simulations and practical exercises. Two online batches of the revamped Certificate Course on Wealth Management and Financial Planning were successfully organised.

#### **(IV) Member Benefit Arrangements**

During the year 2025-26, the Committee entered into various arrangements with service providers to extend exclusive benefits to members, including Apollo Diagnostic Services (discounts on health check-up packages); AccuReco (GST ITC reconciliation tool); CIBIL by TransUnion CIBIL Ltd.; Global Assure (roadside assistance); Medanta Hospital (renewal of the existing tie-up); HDFC Bank (term loan and dropline overdraft facilities); AU Small Finance Bank (personal loans for Chartered Accountants); GovEVA (digital ESG SaaS platform); and CLAonline.

#### **(V) Revamped Website of the Committee**

As part of its strategic action plan, the Committee undertook a comprehensive initiative to revamp its official website and successfully launched it under the new domain <https://cmp.icai.org/> positioning it as a dynamic, member-centric digital platform. The revamped website serves as a centralised knowledge and engagement hub, featuring dedicated sections on capacity-building initiatives, member-benefit arrangements, learning resources and practitioner-oriented tools, and events. It offers extensive information on workshops, webinars, certificate courses and other programmes, along with access to publications, background materials and post-event content (including recorded sessions), serving as an effective communication and outreach medium through regular updates and announcements.

#### **(VI) Publications**

- GIFT IFSC: New Opportunities for Chartered Accountants
- How to Grow Your Practice
- Guide on Setting up Practice of Real Estate Consultancy: Compliance, Advisory and Evolving Frontiers

### **7.5 MSME & START-UP COMMITTEE**

Micro, Small and Medium Enterprises and Start-ups are the backbone of the Indian economy and key drivers of employment, innovation, and inclusive growth on the path to Viksit Bharat. The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) has consistently aligned its initiatives with the nation's priorities and constituted a dedicated MSME & Startup committee to act as a dedicated enabler for small businesses and new-age enterprises. MSME & Startup Committee is focused on empowering MSMEs and start-ups and remains committed to strengthening India's entrepreneurial ecosystem by supporting MSMEs and startups through knowledge dissemination, capacity building, policy advocacy, and professional guidance. In the year 2025-26, the Committee has undertaken a wide range of initiatives e.g. publications, seminars, conferences, webinars, outreach programmes, and stakeholder engagement to promote excellence, foster innovation, and contribute meaningfully to the sustainable growth and competitiveness of India's MSME and startup ecosystem.

The key activities and achievements of the Committee during the period under report are as under:

### (I) Flagship Events

- **ICAI MSME Mahotsav 2025:** Conducted on 27th June 2025 across 140+ ICAI Branches nationwide, supporting nearly 20,000 MSMEs through 400+ advisory helpdesks, with the participation of Ministers and senior officials. The initiative earned recognition from the World, Asia and India Books of Records for the "Maximum MSME Mentorship Felicitations in a Day".
- **ICAI MSME & Startup Conclave 2025:** Held on 26th–27th June 2025 at Mumbai to mark International MSME Day, with 3,000+ delegates, 19+ sessions, 60+ speakers and 38+ exhibitors. 65 start-up pitches were made, with 3 start-ups securing funding. The event was supported by the Ministry of MSME, NSIC and CAIT, and the ICAI MSME Helpdesk offered on-the-spot mentoring.
- **ICAI MSME Connect – Stakeholders Strategic Meet 2025:** Held on 24th October 2025 at New Delhi with 80+ participants and representation from 60+ ministries, regulators, financial institutions and incubators, focusing on MSME and start-up challenges, digital transformation and innovation, and exploring strategic collaborations and MoUs to strengthen the MSME ecosystem.

### (II) Initiatives towards Partner in Nation Building

- **Collaboration with the Ministry of MSME:** The Committee collaborated with the Ministry of MSME to strengthen MSME capabilities nationwide, including support in conducting Entrepreneurship & Skill Development Programmes (EAP, E-SDP, MDP) with Development Facilitation Offices, leveraging ICAI's network of 185 Branches, 5 Regional Councils and 50+ overseas Chapters, and conducting national seminars, financial management sessions and awareness campaigns at Kolkata, Mandla, Jabalpur and Solan.
- **SPARK – The 100K Collective Program:** A formal association with the Women's Collective Forum was entered into through a Letter of Engagement, with ICAI as knowledge partner of the SPARK – The 100K Collective Program led by Smt. Smriti Irani Ji. The pilot programme was held on 24th September 2025 at New Delhi, including an ICAI expert session on Income-tax and GST, with the participation of over 350 women entrepreneurs, reinforcing support to women-led MSMEs and start-ups.
- **Vision Rajasthan 2026:** The Committee participated in the "Vision Rajasthan 2026" mega exhibition held from 19th to 21st January 2026 at Sirohi, Rajasthan (an Aspirational District identified by NITI Aayog), setting up an exhibition stall to create awareness on corporate governance, MCA21, Ease of Doing Business, MSME formalisation, entrepreneurship and compliance, supporting the outreach initiatives of the Ministry of Corporate Affairs.
- **Networking Meet:** A Networking Meet on "Digitalising the Procure-to-Pay Process for MSMEs: Role of Chartered Accountants" was organised on 17th January 2026 at ICAI Tower, BKC, Mumbai, featuring industry experts from NPCI Bharat BillPay Limited and Tally, providing practical insights into the digitalisation of the procure-to-pay ecosystem and highlighting the critical role of Chartered Accountants in advising MSMEs on digital adoption, regulatory compliance and internal controls.

### (III) Memoranda of Understanding

The Committee entered into MoUs with prominent institutions, State Governments and incubation centres, including NPCI Bharat BillPay Limited; the Foundation for Innovation and Technology Transfer, IIT Delhi; the Department of Micro, Small & Medium Enterprises, Uttar Pradesh; Tamil Nadu Startup & Innovation Mission (Startup TN); the National Small Industries Corporation (NSIC); BIL-Ryerson Technology Startup Incubator Foundation; Gujarat Student Startup and Innovation Hub (i-Hub); IIM Lucknow Enterprise Incubation Centre; AIC Mahamana Foundation for Innovation and Entrepreneurship, IM BHU, Varanasi; AIC Nalanda Institute of Technology Foundation, Bhubaneswar;

IIM Sambalpur; Software Technology Parks of India (STPI); Startup Odisha; the Government of Odisha; and MeitY Startup Hub.

#### **(IV) NEXTLEAP Program**

The flagship 8-week start-up accelerator programme, hosted by the ICAI Singapore Chapter and Beyond Seed, celebrated 60 years of India–Singapore diplomatic relations. 44 start-ups participated, including 38 from India, with the top 3 start-ups being Aeronero Solutions, eMSME and Seamless XR (2 from India). A physical Demo Day was held at Singapore, providing selected start-ups the opportunity to pitch before global investors, enabling cross-border mentorship, investor access and global market readiness.

#### **(V) ICAI MSME Clinic – Nationwide Launch**

Announced on 24th October 2025 and launched nationwide on 10th December 2025 in the presence of officials from the Ministry of MSME, GeM, NSIC, SIDBI, UP MSME and ICAI Branches/Regional Offices, the ICAI MSME Clinic provides pro-bono weekly advisory support to MSMEs across India. Hosted at ICAI Branches and Regional Offices, it offers expert guidance on financial literacy, compliance, technology adoption and business resilience, with walk-in advisory available every Friday for 2 hours at all ICAI Branches, and comprehensive support focused on finance, accounting, technology, human resources, operations and marketing.

#### **(VI) Capacity Building, Seminars and Outreach**

- **Certificate Courses:** 19 batches of the Certificate Course on MSME were attended by over 1,900 members, and 8 batches of the Certificate Course on Startup involved around 900 participants. The weekly “Pathshala Series” knowledge initiative, along with refresher courses and publications, further strengthened member capacity. The ICAI Start-up Portal ([startup.icai.org](http://startup.icai.org)) and ICAI MSME Portal ([msme.icai.org](http://msme.icai.org)) continued to facilitate collaboration amongst start-ups, MSMEs, Chartered Accountants, mentors, investors and incubation centres.
- **Residential Refresher Courses:** The 4th and 5th batches of the RRC on “Startups & the Role of CAs as Investment Catalysts” were conducted at i-Hub, Ahmedabad (July–September 2025), hosted by the Ahmedabad Branch of WIRC; a two-day RRC was organised on 10th–11th January 2026 at Madai, Madhya Pradesh, covering tax planning for start-ups, the Startup India Scheme and secured/unsecured lending for MSMEs; and a two-day RRC was organised by the Kishangarh Branch on 23rd–24th April 2025 at Udaipur (12 CPE hours).
- **Seminars and Workshops at Branches:** The Committee organised/supported around 19 seminars, conferences and workshops hosted by Branches across the country during the year – including the Conference on Startup and MSME at Ahmedabad on 2nd August 2025 on the theme “Idea to Implementation”, graced by Hon’ble Shri Jagdish Vishwakarma, Minister of State, Government of Gujarat, with CA. Sunil Talati as Guest of Honour; full-day and half-day seminars at Varanasi, Patna (273 members), Jaipur (496 participants), Kota, Bhilai, Faridabad, Raipur, Jalandhar, Coimbatore, Bilaspur, Raigarh, Dehradun, and Jammu & Kashmir – covering MSME schemes and subsidies, Section 43B(h), GSTR-9 & 9C, SME IPOs, direct taxation, succession planning, cyber safety, the new Income Tax Bill and digital enablement of MSMEs.
- **National Outreach:** ICAI MSME & Startup stalls/pavilions engaged stakeholders at the Startup Mahakumbh 2025, New Delhi (500+ start-ups); the Global Investors Summit 2025, Bhopal (showcased to 10,000+ global investors); the Uttar Pradesh International Trade Show 2025, Greater Noida (earning recognition from the Government of Uttar Pradesh); the IICA Northeast Conclave 2025, Shillong; the Global Fintech Fest 2025, Mumbai (7th–9th October 2025, with a keynote on “Bharat Connect for Business”); and the Tamil Nadu Global Startup Summit 2025, Coimbatore (9th–10th October 2025), under the Government of India Pavilion.

The MSME & Startup Committee continues to play a pivotal role in supporting MSMEs and start-ups by creating valuable opportunities, fostering collaborations and empowering stakeholders with the knowledge and resources they need for sustainable growth and transformation, and remains committed to policy advocacy, capacity building and strengthening the MSME ecosystem across India.

### **(VII) Publications and Knowledge Resources**

- Publication on State-Specific MSME Policies
- Resource Handbook for MSME, Startup, OPC and Others
- Resource Handbook for ICAI MSME Clinic
- Newsletters and Knowledge Series

## **7.6 COMMITTEE ON PROMOTING WORK LIFE BALANCE**

The Committee on Promoting Work-Life Balance (now merged in Beneficiary Schemes Directorate), in the year 2025-26, undertook a series of focused and impactful initiatives aimed at integrating wellness, resilience, and sustainable professional practices within the Chartered Accountants fraternity. Guided by the belief that a healthy professional is a productive professional, the Committee worked towards embedding wellbeing as a routine and non-negotiable part of professional life, rather than an occasional afterthought.

### **Various Initiatives undertaken by the Committee**

#### **(I) Year-Round Wellness Initiatives and Activities**

Through the observance of global wellness days such as World Laughter Day, World Bicycle Day, the 11th International Yoga Day 2025, and World Meditation Day 2025, the Committee underscored that physical, mental, and emotional wellness are essential pillars of long-term professional excellence. These observances were designed to spark reflection among members and students on the importance of pausing, recharging, and reconnecting with themselves amid demanding professional schedules. Notably, the Committee's efforts were recognized and ICAI's name was recorded in Asia Book of Records, 2025, for organizing yoga sessions across the maximum number of branches on the occasion of International Yoga Day, 2025. This recognition stands as a testament to extensive participation of members and students and the Committee's success in mobilizing the CA fraternity nationwide.

#### **(II) Fit CA Movement**

In alignment with the Hon'ble Prime Minister's Fit India Movement, the Committee launched the 'Fit CA Movement' initiative, offering daily virtual Yoga and Zumba sessions, accessible at the click of a button. Simple in design yet impactful in its reach, this initiative aimed to encourage Chartered Accountants to integrate fitness into their daily routines despite demanding professional commitments. By promoting a culture of health and wellbeing, the initiative contributed to the broader vision of a Viksit Bharat.

#### **(III) Weekly Webinar Series**

By adopting a digital-first approach, the Committee organized impactful virtual webinars on a weekly basis, led by domain experts, enabling nationwide participation and accessibility regardless of geographical location. These webinars covered diverse dimensions of work-life balance, with the objective of encouraging Chartered Accountants to adopt sustainable lifestyle habits, manage stress effectively, set healthy professional boundaries, and cultivate resilience while continuing to excel in their careers.

#### **(IV) Memorandum of Understanding with The Art of Living**

The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), through its Committee on Promoting Work-Life Balance, entered into a Memorandum of Understanding (MoU) with The Art of Living on 10 February,

2026. This partnership aims to promote the holistic development of members and students by enhancing their life skills, emotional resilience, ethical values, and overall wellbeing, thereby contributing to the continued advancement of the profession. The MoU underscores ICAI's commitment to nurturing professionals who are not only technically proficient but also guided by integrity, accountability, and a strong sense of social responsibility. Through this partnership, the ICAI seeks to encourage initiatives focused on overall well-being, stress management, and inner development, while further strengthening the ethical foundation essential for the accounting profession and nation-building.

Through these collective efforts, the Committee encouraged the CA fraternity to prioritise wellness, health, and personal passions alongside professional excellence, positioning work-life balance as a cornerstone of resilient and future-ready professionals.

## 7.7 GLOBAL TRADE & SERVICES COMMITTEE

The Global Trade & Services Committee (erstwhile Development of International Trade, Services & WTO Directorate) of ICAI is committed to strengthening India's presence in global services trade by promoting international collaboration, enhancing professional opportunities and positioning accounting and finance as key export services in the evolving global economy. The Committee works closely with government bodies, industry stakeholders and international institutions to facilitate trade integration, policy engagement and global professional mobility. The Committee's action plan for the Council Year 2026-27 focuses on five key areas: Trade & Market Integration; Global Services & Professional Mobility; Policy & Government Affairs; GCC & Emerging Global Ecosystems; and Capacity Building.

### (I) Initiatives towards Partner in Nation Building

- **Extension of Most Favoured Nation (MFN) treatment to New Zealand:** The Council, at its 447th Meeting held on 10th–11th December 2025, considered the request received from the Ministry of Commerce and Industry regarding the extension of MFN treatment to New Zealand under the ongoing India–New Zealand Free Trade Agreement (FTA) negotiations, insofar as professional accounting services are concerned.
- **ITEC Training Programmes under the aegis of the Ministry of External Affairs:** The 2nd ITEC Training Programme, on the theme "Frontiers of Global Accounting: Mastering Digital Transformation", was conducted from 15th to 26th September 2025 with 29 delegates from 17 countries, including Bhutan, Botswana, Fiji, Ghana, the Kingdom of Eswatini, Laos, Liberia, Mali, Mauritius, Nepal, Rwanda, Sierra Leone, South Africa, Sri Lanka, South Sudan, Tanzania and Uzbekistan. Further strengthening global engagement, the 3rd ITEC Training Programme, themed "Engaging Public Accountants in the 21st Century", was held from 12th to 23rd January 2026 and attended by 18 participants from 11 countries. These initiatives reflect ICAI's commitment to fostering knowledge exchange, strengthening capacity building and promoting international cooperation in accounting and auditing.
- **Chintan Shivir 2025 on Professional Services:** ICAI, in collaboration with the Ministry of Commerce and Industry and the Services Export Promotion Council (SEPC), organised a Chintan Shivir on Professional Services titled "Expanding Global Horizons: Opportunities for Indian Professionals" on 23rd December 2025, witnessing the participation of over 100 delegates from industry, the professional fraternity and Ministries. Four focused sessions covered making professionals globally ready; strengthening international mobility through MRAs and MoUs; developing global networks through professional chapters abroad; and leveraging FTAs to boost exports of professional services.

### (II) Participation at International Platforms

- **Participation at Accountex London:** ICAI showcased its activities and initiatives in the field of accounting and finance at Accountex, held on 14th–15th May 2025 in London, through a dedicated 18 sq.m. stall. The stall was visited by Mr. Malcolm Bacchus, President, ICAEW, and Ms. Ami Copeland, CEO, Institute of Certified Bookkeepers, reflecting strong international interest in ICAI's initiatives.

- **ICAI represents India at the WTO, Geneva:** ICAI was represented at the Council for Trade in Services (CTS) Thematic Session on Recognition of Professional Qualifications at the World Trade Organization, Geneva, on 2nd October 2025. The session witnessed participation from over 150 delegates across 120+ countries, highlighting the global emphasis on professional mobility and mutual recognition.
- **ICAI Global Week 2025:** Held online on the theme “Navigating Global Opportunities” from 29th September to 7th October 2025, the event aimed to strengthen global professional linkages, promote cross-border collaboration and explore emerging business and professional opportunities worldwide. It was inaugurated by Mr. Jean Bouquot, President, IFAC, as Guest of Honour, in the presence of CA. Charanjot Singh Nanda, President, ICAI; CA. Prasanna Kumar D, Vice-President, ICAI; CA. Abhay Chhajed, Convenor; and Shri Darpan Jain, Joint Secretary, Department of Commerce, Government of India.

### (III) Participation at the National Level

- Participation in the IFSCA Chintan Shivir 2025 roundtable interaction held on 11th September 2025 at GIFT City, Gandhinagar.
- ICAI delegation visit to GIFT City–IFSCA on 28th August 2025: As part of its MoU with the IFSCA, ICAI organised a delegation visit with 63 selected members, covering NSE IX, Bank of Baroda IBU, DevX and a GIFT City tour, preceding the GCC Summit.
- Two batches of the 3-Day Residential Hands-on Workshop on Overseas Outsourcing Services (US) were conducted: from 30th May to 1st June 2025 at the Centre of Excellence, Jaipur (35 members), and on 17th–19th November 2025 at the Centre of Excellence, Hyderabad.
- **MoU Renewal with SEPC:** ICAI renewed its MoU with the Services Export Promotion Council on 1st July 2025 to further enhance collaboration in promoting India’s services exports.
- **Accounting Process Outsourcing Portal:** A dynamic platform fostering collaboration between foreign firms and Indian CA firms, connecting foreign firms with a vast network of skilled Indian CA firms renowned for their expertise in local regulations, taxation, auditing and financial consulting. The Portal, launched at WOFA 2025, is now ready for Indian CA firms and foreign clients to register through the institutional framework.

### (IV) Supporting the Government

During the year, meetings were held with senior Government functionaries, including Shri Viraj Singh, IFS, Additional Secretary, Ministry of External Affairs; CA. Mahaveer Singhvi, IFS, Joint Secretary (NEST), Ministry of External Affairs; Shri Thiru V. Arun Roy, IAS, Secretary, Industries, Investment Promotion & Commerce Department, Government of Tamil Nadu (regarding the State’s GCC policy framework); Shri Darpan Jain, IAS, Joint Secretary, Ministry of Commerce & Industry (on 10th September 2025 and 19th November 2025, regarding MFN treatment under the India–New Zealand FTA negotiations); Ms. Rupanjali Karthik, Director, Ministry of Commerce & Industry (3rd September 2025); Ms. Anoop Nair, Director (Services SMD), Department of Commerce (14th November 2025); Shri Babul Supriyo (on GCC opportunities in West Bengal, 7th August 2025); and Shri Alok V. Chaturvedi, IAS (Retd.), Director General, EPCES (28th October 2025, on MoU deliverables and future collaboration). A virtual meeting on Trade in Services between India and New Zealand was also attended on 27th August 2025.

### Representations/Technical Inputs to the Government (other than taxation areas):

The Committee provided more than 25 technical inputs and representations to the Government during the year, broadly covering:

- **FTA/CEPA negotiations:** Inputs on MFN treatment and draft Market Access offers for accounting, auditing, bookkeeping and taxation services under the India–New Zealand FTA; mandate on MFN offers under the India–EU FTA; India–Chile FTA/CEPA (market access and mobility of professionals); India–UK FTA (India’s offer on accounting and bookkeeping); impact assessment of the India–UAE CEPA (services trade); and collaboration under the India–Japan CEPA.

- **Bilateral trade fora:** Inputs for the 2nd India–Indonesia WGTI Meeting (including action-taken status), the 3rd India–Brunei Darussalam Joint Trade Committee, the 6th India–Vietnam Joint Trade Sub-Commission, the Second Session of the India–Mauritius High-Powered Joint Trade Committee, the 14th India–Philippines JWGTI, the India–Singapore JWGTI and the HCIM meeting with the Indonesian counterpart.
- **Multilateral and other inputs:** Inputs on key events for India’s BRICS Presidency 2026; the OECD STRI Database update (nationality/citizenship requirements); the draft Ministerial Outcome Document of UNCTAD; preparation of the Roadmap for India’s Services Exports (Business Sector); barriers encountered by India’s services industry while exporting services to Germany; and the waiver of the requirement of 3,000 hours of practical experience for auditor registration in Australia.

#### (V) Promoting India as an Accounting GCC – GCC Summit Series

The Group to Promote India as an Accounting Global Capability Centre (GCC), functioning under the erstwhile DITS & WTO Directorate, organised a series of GCC Summits across major Indian cities under the theme “From Ledgers to Global Leadership: CAs Shaping GCCs” to position India as a preferred global hub for Accounting and Finance GCCs. The Summit Series commenced in New Delhi (38 distinguished speakers and 11+ curated sessions, inaugurated by Joint Secretary, Ministry of External Affairs, followed by GIFT City, Gujarat (38+ eminent speakers, inaugurated by Chairperson, IFSCA) and Hyderabad (34 eminent speakers across 10+ sessions, inaugurated by Former Minister, Government of Telangana).

The Pune Summit emerged as a flagship two-day event with 500+ delegates, 11+ curated sessions and 15+ eminent speakers; the Bengaluru Summit recorded 1,000+ delegates with 12+ sessions and 25+ eminent speakers, with strong support from KDEM and IFSCA; while the Jaipur and Kolkata editions each hosted 250+ delegates. The initiative received strong support from key government bodies and ecosystem partners, including MeitY, the Ministry of Commerce & Industry, IFSCA, SEPC, Invest India, NSDC, IIM Sambalpur, NFSU, RRU and leading industry partners, and highlighted the growing role of Chartered Accountants in the GCC ecosystem.

#### (VI) Initiatives for Members/Students

- **Online Certificate Courses on Overseas Outsourcing Services:** In the series of Online Certificate Courses on Overseas Outsourcing Services (UK), (US) and (Australia), 11 batches of US, 2 batches of UK and 1 batch of Australia have been organised so far, in which 1,600 candidates have registered. In addition, a Three-Day Residential Workshop on Overseas Outsourcing Services (US Market), designed for members who had successfully passed the certificate course, was held from 30th May to 1st June 2025 at the Centre of Excellence, Jaipur, with 35 participants.
- **Global Udaan Webinar Series:** Launched in April 2025 as part of the Committee’s capacity-building action plan, 39 webinars were organised in the series during the period from 1st April 2025 to 30th April 2026, covering diverse themes such as GCCs in India; FTAs and India’s trade policies; opportunities in GIFT City/IFSC; outsourcing for the US, UK and Australian markets; US GAAP and global audit practices; fintech and AI-powered finance; cross-border succession, business setup and compliance; opportunities in Egypt, Kuwait, Qatar and Singapore; Virtual CFO services; and building a global practice.
- **Promoting Foreign Languages amongst Members:** ICAI has tie-ups with the official cultural language centres of foreign embassies in India for the delivery of online foreign language courses for members and students, in order to enhance their access to foreign opportunities. The status of courses undertaken since inception is as under:

| Language Course               | Partner Institution | Batches | Enrolments |
|-------------------------------|---------------------|---------|------------|
| Spanish (Levels A1.1 to A2.2) | Instituto Cervantes | 64      | 955        |
| French                        | Alliance Française  | 17      | 415        |
| Japanese (Levels A1 to A2/B1) | Japan Foundation    | 36      | 699        |
| Business English              | British Council     | 21      | 744        |
| German                        | Goethe-Institut     | 3       | 32         |

#### Publications:

- The Future of Work: Outsourcing, Technology & Trade in Services
- Paper to Port – A Chartered Accountant's Handbook on Export Documentation -
- GIFT IFSC : New Opportunities for Chartered Accountants
- Four quarterly editions of "Global Gateway", the e-newsletter of the erstwhile Development of International Trade, Services & WTO Directorate.

### 7.8 PROFESSIONAL DEVELOPMENT COMMITTEE (PDC)

The Professional Development Committee (PDC), established in 1962 with a mission to enhance the skill sets of members of the Institute in existing and new areas, actively engages with the Government and regulatory authorities to promote the professional opportunities of Chartered Accountants across diverse sectors.

The key activities of the Committee during the period under report are as under:

#### (I) Meetings with Regulators and Other Bodies

- **Reserve Bank of India:** Four meetings were held with the Executive Director, Department of Supervision, RBI – on 1st April 2025 (Mumbai: appointment of SCAs/SBAs, rotation policy, audit coverage); 8th April 2025 (Delhi: Governance Framework of Audit in Public Sector Banks); and 15th April 2026 (Mumbai: strengthening audit framework in PSBs, technology in assurance, ICAI certifications for banking assignments). A meeting was also held with the CGM, Department of Supervision, RBI on 29th May 2025 (structured training for Audit Committee Chairmen, regular ICAI–RBI meetings, NBFC compliances). More than 45 State Level Coordination Committee (SLCC) meetings convened by RBI across India were attended by ICAI representatives during the year.
- **NABARD:** Three meetings were held with the Chief General Manager, Institutional Development Department, NABARD – on 31st July 2025 (audit of Cooperative Banks and RRBs); 27th February 2026 (audit of StCBs, CtCBs and RRBs, interactive meets for auditors); and a follow-up online meeting on 17th April 2026 (allotment issues for SAs post-merger of RRBs).
- **Ministry of Cooperation / CRCS:** Three meetings were held with the CRCS and Ministry of Cooperation – on 30th April 2025 (challenges in Concurrent Audit assignments); 13th May 2025 (formulation of auditing/accounting norms for Multi-State Co-operative Societies, jointly with C&AG, RBI and NCUI); and 18th March 2026 (empanelment of firms for MSCS concurrent audit).
- **Office of C&AG:** A meeting was held on 10th November 2025 with the Deputy CAG (Commercial & RC) regarding feedback on the existing empanelment policy and suggestions for new norms following the notification of the Aggregation of LLPs Guidelines, 2024. Majority of ICAI's submissions were accepted and incorporated in the 2026-27 policy.
- **SEBI:** A meeting was held with the Executive Director, SEBI at SEBI Bhawan, Mumbai on 26th November 2025 to address issues arising from the Notice Inviting Applications for Empanelment of Forensic Auditors issued on 14th November 2025.
- **IRDAI:** A meeting was held with Member (Finance & Investment), IRDAI on 12th March 2026 at Hyderabad to deliberate on empanelment of audit firms, cybersecurity and compliance audits, standardisation of regulatory certifications by Chartered Accountants and organisation of an Insurance Summit for statutory auditors.



- **Other institutions:** Meetings were held with IBA (29th May 2025: standardisation of bank-related certificates, certification responsibilities of concurrent auditors); IAGES (23rd March 2026: parameters for empanelment, awareness programmes, standardisation of assessment fee); IIM Jammu (13th April 2026: joint programmes, seminars and training under the MoU); and NITI Aayog (17th April 2026: renewal of the Statement of Intent with WEP and related matters).

## (II) Major Achievements

- **Concept Paper on Governance Framework of Audit in Public Sector Banks:** Submitted to RBI following the 8th April 2025 meeting; a draft structure for a 2-day training programme for Audit Committee of the Board (ACB) members of the banking industry was also submitted.
- **"OA" Category Panel submitted to IBA and other banks:** PDC introduced the "OA" Category last year and submitted the panel with this category to IBA and other banks for allotment of assignments other than statutory bank branch audits.
- **ICAI MEF Panel accepted by the Office of CRCS:** After persistent coordination and follow-up, the Multipurpose Panel prepared by ICAI was accepted by the Office of the Central Registrar of Cooperative Societies for conducting concurrent audits of Multi-State Co-operative Societies.
- **Regional Professional Development Research Cells established:** PDC established region-wise PD Research Cells across North, South, East, West and Central India to foster localised professional development and ensure that opportunities can be accessed across the country.
- **MoU with IAGES (Indian Association of Gold Excellence and Standards):** PDC entered into an MoU with IAGES, created awareness among members about professional opportunities arising from it, supplied a panel of CA firms and organised interactive meets in Pune, Ahmedabad, Hyderabad, Chennai, Bengaluru, Kolkata and Delhi.
- **MoU with IIM Jammu:** PDC entered into an MoU with IIM Jammu to provide specialised management courses exclusively designed for Chartered Accountants.
- **MoU with NITI Aayog (WEP):** Various actions were undertaken for empowering women under the Statement of Intent between NITI Aayog and ICAI, including reviewing and vetting content, contributing articles and providing experts for capacity-building sessions.
- **Dissemination of RBI's asset classification divergence Write-Up:** Information on typical reasons observed by RBI for divergence in asset classification during supervisory cycles for UCBs and NBFCs was disseminated to all Statutory Central Auditors/Statutory Auditors of UCBs and NBFCs.

## (III) Panel Submissions to Authorities

The Multipurpose Panel of ICAI, developed through the Multipurpose Empanelment Form (MEF), serves as an authoritative, comprehensive and reliable database of Chartered Accountants and audit firms fulfilling prescribed eligibility criteria. During the period from 1st April 2025 to 30th April 2026, 24 panel submissions were made to various authorities/agencies, including the Reserve Bank of India (Bank Branch Auditors Panel 2025-26); NABARD (RRB Auditors Panel 2025-26); SEBI; CRCS (Ministry of Cooperation); NABARD (General Manager); National Pension System Trust; Indian Bank, Federal Bank, Tamil Nadu Grama Bank (Inspection & Audit); IAGES; Food Corporation of India (SILO Division); Gujarat Technological University; Superintendent of Police, Directorate of Vigilance & Anti-Corruption, Tamil Nadu; CBI, Mumbai; The Institution of Engineers (India), Kolkata; FA & CAO, RD & PR Department, Chennai; Deputy Conservator of Forests, Goa; and others.

## (IV) Representations Submitted

- **NABARD:** Representations were submitted on 4th September 2025 (eligibility criteria for SAs of Cooperative Banks); 18th October 2025 (revision of audit fees for SAs of RRBs, based on both deposits and advances); and 15th December 2025 (audit-related matters for Cooperative Banks and RRBs).
- **Office of C&AG:** Submissions were made on C&AG's draft empanelment policy for 2026-27; on ICAI's recommendations for empanelment of CA firms setting up LLPs in IFSC (GIFT City) (26th December 2025); on the Expression of Willingness for audit of Autonomous/Local/other Bodies

(July 2025–March 2027 and April 2026–March 2027, with ICAI's submission accepted and the deadline extended to 29th March 2026).

- **CRCS, Ministry of Cooperation:** A representation was submitted regarding issues arising from the Order dated 3rd October 2024 for the panel of auditors for FY 2024-25.
- **Delhi Cooperative Societies:** A representation was submitted highlighting that there had been no revision in the audit fees structure since 2010, despite considerable increases in operational costs and inflation.
- **J&K Bank:** A representation was submitted on 22nd July 2025 regarding restrictions on FCMA's from undertaking Concurrent Audit assignments.
- **Government of Himachal Pradesh:** A representation was submitted on 24th April 2026 regarding empanelment of auditors under the Cooperative Societies Rules, 1971.

#### (V) Programmes and Interactive Meets

- **Interactive Meet on Strengthening Governance in UCBs, Mumbai, 31st July 2025:** Around 60 delegates (CFOs, Heads of Accounts/Internal Audit and Audit Committee Chairman/Members of UCBs) attended, with a session addressed by the GM, Department of Supervision, RBI on "Governance in UCBs and Functioning of Audit Committees".
- **Interactive Meet for CA Directors, Audit Committee Chairmen and CFOs of the Banking Sector, Mumbai, 9th January 2026:** Held on the theme "Shaping the Future of Banking and Finance: Evolving and Versatile Role of CAs", graced by Shri Satish Kashinath Marathe, Director, RBI and NABARD, as Guest of Honour. The CGM, Department of Regulation, RBI addressed on "Shaping the Future of Banking with Resilience in the Digitalisation Era". More than 40 delegates attended in person.
- **Statutory Central Auditors' Meet 2026-27, Mumbai, 24th March 2026:** Held in hybrid mode and attended by more than 130 Statutory Central Auditors of Public Sector and Private Sector Banks. The Guest of Honour, Executive Director, RBI, emphasised professional scepticism, timely risk identification and the importance of high audit quality. Technical sessions covered RBI expectations, treasury audits, NPA identification, data analytics and audit reporting (LFAR and IFCoFR).
- **Three-Day Residential Programme on "Insurance and Investment Audit", Hyderabad, 18th–20th December 2025:** Attended by 35 participants, with a keynote by Member (Actuary), IRDAI, on the expectations of IRDAI from auditors. Discussions were also held on the standardisation of certificates issued by CAs under IRDAI regulations and utilisation of the MEF panel of ICAI.

In addition, the Committee organised 36+ seminars, workshops and Residential Refresher Courses across India, including National CA Conferences at Cuttack, Vijayawada, Lucknow, Udupi, Kolhapur and Meerut; Residential Refresher Courses at Alappuzha, Mangalore, Vapi, Rajkot, Bhavnagar, Kolhapur and Goa; and single/two-day seminars and workshops at Gandhinagar, Ranchi, Bhilwara, Surat, Anand, Bhilai, Guntur, Udaipur, Nashik, Nagpur, Kota, Bhubaneswar, Varanasi, Goa, Solapur, Meerut, Guwahati, Bhopal, Alwar, Cuttack and Indore.

RBI-nominated seminars/workshops were also attended/facilitated throughout the year: a Workshop for Statutory Auditors of UCBs in Andhra Pradesh (Vijayawada, 21st April 2025), a Workshop for SAs of UCBs in Punjab & Haryana (Chandigarh, 9th September 2025), two programmes on "Introduction to Accounting Standards" and "Bank Balance Sheet & Ratio Analysis" (September 2025), and a Conference for CEOs and SAs of select UCBs at the Nagpur Regional Office (27th October 2025). A Workshop on "Revision of Statutory Auditor's Report and Financial Statements of PSUs" was also supported at the C&AG office, New Delhi (5th December 2025).

#### (VI) PDC's DNA – Discover New Avenues Webinar Series

The Professional Development Committee (PDC) continued its "PDC's DNA – Discover New Avenues" webinar series to create awareness about emerging professional opportunities for Chartered Accountants. During the period, five editions of the series were organised on topics including alternative modes of finance, the NBFC sector, accreditation in the gold industry, and the application of data

analysis and Artificial Intelligence in forensic investigations, with the webinars attracting participation of 900+ and 1,000+ attendees, respectively.

### **(VII) Diploma and Certificate Courses**

- **Certificate Course on Project Financing:** Two batches were conducted. The 1st Online Batch (9th May –1st June 2025) had 88 registered members; the Assessment Test was held on 3rd August 2025 and results declared on 13th August 2025. The 2nd Online Batch (10th April–3rd May 2026) had 200 registered participants; the Assessment Test was held on 25th May 2026.
- **Diploma in Insurance and Risk Management (DIRM):** The DIRM Course has three phases. A total of 5,618 members have registered since inception, of whom 1,059 have qualified the Course and 77 have passed the Technical Examination but are yet to undergo the Orientation Programme. The region-wise registration is: Central – 1,207; Eastern – 674; Northern – 850; Southern – 1,578; Western – 1,309. A two-day DIRM Orientation Programme for members who cleared the Technical Examination was conducted from 27th to 30th May 2025 through ICAI's Digital Learning Hub; the programme structure was revised to align with current industry trends and professional requirements.

### **7.9 PROFESSIONAL SKILL ENRICHMENT COMMITTEE (PSEC)**

The Professional Skills Enrichment Committee (now merged in members in practice committee) focused on empowering Chartered Accountants with contemporary professional, behavioural, managerial and leadership skills required to excel in a dynamic and evolving professional environment. Through a wide range of initiatives encompassing skill enhancement, structured learning, self-assessment, digital learning, wellness and professional development, the Committee promoted continuous learning and holistic professional growth, enabling members to remain future-ready and aligned with emerging business and professional requirements.

#### **Key Initiatives**

##### **(I) Awards, Recognitions and Record Achievements**

Recognising the importance of continuous skill development and holistic professional growth, the Committee undertook several large-scale initiatives which received national and international recognition:-

- Received Silver Medal under the category "Exceptional Vocational & Skill Development Platform" at the ET Education Excellence Awards 2025.
- The Work-Life Balance initiative completed 100 sessions and was recognised by the Asia Book of Records and India Book of Records.
- Received recognition from the Asia Book of Records and India Book of Records for conducting the maximum number of Skills Enrichment Programmes during 12–19 July 2025.
- Received recognition from the Asia Book of Records and India Book of Records for conducting the maximum number of Online Yoga Sessions.

##### **(II) Assessment and Communication Skill Initiatives**

Recognising that communication, critical thinking and behavioural competencies are essential for modern-day professionals, the Committee introduced various assessment and skill enhancement initiatives:-

- Launched ICAI SkillsX – National Debate & Oratory Competition through Branch, Regional and National level rounds to promote communication, articulation, analytical thinking and leadership skills.

- Continued ICAI CALibre, a periodic MCQ-based assessment initiative on Vocabulary and Grammar; completed 25 series and launched the 26th series.
- Continued ICAI CAvalry Psychometric Assessment Series; completed the first series on Branding & Communication Skills and launched the second series on Critical & Design Thinking Skills.

### **(III) Certificate Courses and Structured Learning Programmes**

With a view to strengthening professional competencies and addressing emerging skill requirements, the Committee conducted structured learning programmes and specialised certificate courses:-

- Conducted multiple batches of the Certificate Course on Skills Enrichment to strengthen communication, interpersonal, leadership, teamwork, ethics, branding, networking, technology and other contemporary professional skills.
- Launched the Certificate Course on Business Consulting Skills to enhance consulting, advisory and strategic decision-making capabilities of members.
- Launched the Certificate Course on Business Analytical Skills focusing on analytical reasoning, business analysis, data interpretation and problem-solving skills.

### **(IV) Digital Learning Initiatives**

To leverage technology-enabled learning and facilitate wider dissemination of knowledge, the Committee continued to strengthen digital learning platforms for members:-

- Launched ICAI Skillscast, a podcast series featuring eminent industry leaders and professionals on leadership and contemporary professional skills; the inaugural episode featured Founder, IIFL Group.
- Conducted Webcast Series on communication, leadership, financial advisory, emotional intelligence, practice management and other professional skills and achieved the milestone of completing 100 webcasts during the year.

### **(V) Workshops, Seminars and Conferences**

To provide interactive and experience-based learning opportunities, the Committee organised various programmes across the ICAI network:-

- Conducted interactive workshop series focusing on communication, presentation, leadership and interpersonal effectiveness.
- Organised seminars, workshops and conferences across Branches and Regional Councils for skill enhancement, knowledge sharing and professional networking.
- Facilitated practical, application-oriented learning through expert-led workshops, seminars and conferences across Branches and Regional Councils.

### **(VI) Nationwide Skill Development Initiatives**

In line with its objective of promoting professional excellence and continuous learning, the Committee organised nationwide skill development initiatives:-

- Celebrated World Youth Skills Day through 132 programmes across Branches and Regional Councils during 12–19 July 2025, with the main programme held at Ahmedabad.

- Observed Skills Enrichment Month during November 2025 through workshops, webinars, masterclasses, seminars and training programmes.
- Promoted continuous learning and adoption of future-ready skills through nationwide learning and outreach initiatives.

### **(VII) Wellness and Work-Life Balance Initiatives**

Recognising the importance of physical and mental well-being in professional success, the Committee continued its wellness and work-life balance initiatives:-

- Continued Work-Life Balance programmes for members across the country, with the initiative completing 100 sessions during the year and receiving recognition from the Asia Book of Records and India Book of Records.
- Conducted virtual Yoga Sessions aimed at promoting physical fitness, mental wellness and stress management.
- Successfully completed 557 Yoga Sessions up to 4 February 2026.

### **(VIII) Publications and Digital Outreach**

To support continuous learning and enhance member engagement, the Committee strengthened its knowledge dissemination and digital outreach initiatives:-

- Maintained active outreach through the dedicated PSEC website and social media platforms.
- Published books on Work-Life Balance, Active Listening, Critical Thinking & Decision Making, Emotional Intelligence for Finance Professionals, Public Speaking, Negotiation Skills, Entrepreneurship Skills, Wealth Management & Financial Planning Skills, Leadership & Team Management Skills, Productivity Skills for Busy Professionals and Inclusive Workplace Practices.
- Published books on Communication & Stakeholder Management Skills, Business Analytical Skills, Business Model Financial Advisory Skills and Executive Insight Skills.
- Continued dissemination of learning resources, programme updates and professional development opportunities through digital platforms.

## **7.10 WOMEN & YOUNG MEMBERS EXCELLENCE COMMITTEE (WYMEC)**

The Women & Young Members Excellence Committee (WYMEC) – erstwhile Women Members Excellence Committee – is a non-standing Committee of ICAI, established to promote the fulfilment of women and young members' potential through capacity-building initiatives, skill development activities and professional and employment opportunities.

The key activities of the Committee during the period are as under:

### **(I) Flagship Events**

- **3rd CA Women Excellence Awards:** The Committee organised the 3rd CA Women Excellence Awards to acknowledge and appreciate the contribution of women members who are at leadership positions or have made substantial progress in corporates, organisations or practice, or have contributed significantly to society. Awards were given in 5 distinguished categories; 131 women members were nominated. A befitting award ceremony was held at the India EXPO Centre, Greater Noida, coinciding with WOFA 2.0, graced by Shri Arjun Ram Meghwal, Hon'ble Minister of Law and Justice; Shri Raj Bhushan Chaudhary, Hon'ble Minister of State, Jal Shakti; the President, ICAI; the Vice-President, ICAI; and Chairperson and Vice-Chairman, WYMEC, along with other Council Members and the Secretary, ICAI.
- **CA Women Leadership Conclave – Altair: Soar. Lead. Shine:** Organised on 8th November 2025 at Yogi Sabhagruha Hall, Mumbai, the Conclave was attended by more than 500 Women Chartered Accountants. Smt. Vijaya Kishore Rahatkar, Chairperson, National Commission for Women, graced the Conclave as Chief Guest. Sessions covered topics including Independent

Directors: The Cornerstone of Corporate Governance; Rising Beyond: Stories of Struggles & Success; Leading with Purpose; and EmpowerHER: Opportunities and the Way Forward.

- **ICAI's InnoFest 2025 / YUVA – An Ascent of Excellence (International Youth Day):** Under the theme "YUVA – An Ascent of Excellence", Regional Councils and Branches organised programmes during August 2025 to commemorate International Youth Day. The Committee also organised a programme on 2nd August 2025 at NSE Auditorium, BKC, Mumbai, covering Global Opportunities, Ethics, Career Paths, Industry, Consulting, Entrepreneurship, Artificial Intelligence, Capital Markets, Investment Banking and Motivation for young members.
- **International Women's Day – "Rise. Lead. Transform – Beyond Boundaries":** More than 100 Regional Councils/Branches conducted Women Empowerment programmes under the aegis of WYMEC during March 2026, in response to the Committee's mass communication.

## (II) Webinar Series

- **Yashasivini – An IDOL (Inclusivity | Diversity | Outstanding | Leadership) Series:** The Committee organised 94 webinars under this Wednesday Series, addressed by eminent speakers on pertinent technical and non-technical topics, providing both professional knowledge and a platform for women members to develop their verbal and communication skills.
- **SkillUp – Leadership | Innovation | Inclusivity | Growth Series:** The Committee organised webinars covering topics such as Independent Directors: Roles, Responsibilities and Opportunities; Digital Skills and Technology Adoption for Future-Ready Professionals; Social Entrepreneurship in India; Significance of SQC and Audit Quality; Breaking Barriers – Unconventional Career Paths; and Leadership Stories, among others.
- **MentHer Help Desk (25th June 2025):** A live session to address the concerns of women members, with expert panels covering Career Growth & Restarting Your Career, Prioritisation & Time Management, and Opportunities in the Profession.

## (III) Placement and Mentorship

- **Placement Programme for Women CAs:** Organised jointly with the Committee for Members in Industry & Business (CMI&B), addressing the need for Flexi-Time/Part-Time/Work-from-Home opportunities. 5,087 women members and 47 organisations participated, with 559 flexi and part-time vacancies offered. An Orientation Programme was also conducted to help registered women members prepare for interview panels.
- **Flexi & Part-Time Portal:** The Women Portal for Flexi & Part-time work options enables both employers and job seekers to register, facilitating better job matching and networking. More than 800 employers and approximately 12,000 women members have registered on the portal.
- **ICAI Mentorship Odyssey – MentorMate:** Introduced under the theme "MentorMate – Wisdom Guides Aspirations", the initiative connects young and women Chartered Accountants with experienced professionals for one-on-one mentorship, enabling mentees to sharpen skills, gain career direction and take informed professional decisions.

## (IV) Residential Refresher Courses and Capacity Building Programmes

- **CA Women RRC – Revive & Rise (13th–15th June 2025, ICAI COE, Hyderabad):** A blend of technical and non-technical sessions covering Career Pathways for CAs, Growth Mindset, AI-Powered Productivity, Networking, and Celebrating Indian Culture.
- **RRC hosted by Raipur Branch, CIRC (28th–29th June 2025, Champaran, Chhattisgarh):** Sessions on Leadership Development, Stress Management, Work-Life Balance, Time Management and the Impact of AI.
- **RRC hosted by Ranchi Branch, CIRC (18th–19th March 2026, Goa):** Sessions on Professional Opportunities for Women CAs, GST Appeals, Personal Development & Leadership Skills, and AI Tools for CAs.
- **Branch Capacity Building Programmes:** Programmes organised by the Kota Branch (3rd July 2025), Ludhiana Branch (27th July 2025), Surat Branch (4th October 2025, including a visit to a

Lab Grown Diamond Factory), Raipur Branch (11th January 2026), Brahmapur Branch (11th January 2026), and Bhuj Branch (14th January 2026), covering topics including emerging areas for women CAs, women leadership, succession planning, forensic audit, ESG and risk advisory.

## (V) Government Interaction

The Committee interacted with Smt. Raksha Khadse, Hon'ble Minister of State for Youth Affairs and Sports, to collaborate in enhancing youth employability and leadership development across the country by leveraging ICAI's strong network of skilled mentors, comprehensive digital and physical infrastructure, and expertise in professional capacity building.

## 8. OTHER COMMITTEES/BOARDS

### 8.1 AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee of the Institute was established in April 2001 by the Council as a non-standing committee with a clearly defined mandate. Since 2009, it has been chaired exclusively by a Government Nominee to ensure greater independence. To further enhance its autonomy, members of the Executive Committee and the Finance Committee are not permitted to serve on the Central Audit Committee. Additionally, five Regional Audit Committees – Southern, Western, Central, Northern and Eastern – support the Committee's work, ensuring regional representation and effective oversight.

The Committee is responsible for overseeing the financial reporting process and ensuring the accuracy, integrity and transparency of the Institute's financial disclosures. It reviews audit reports, discusses observations with the auditors, recommends corrective actions and strives to strengthen the internal control environment. The Committee remains committed to good governance and continuous improvement in audit practices.

### Statutory Audit

- **Appointment of Statutory Auditors:** In accordance with Section 18(5) of the Chartered Accountants Act, 1949, the statutory auditors for ICAI's Branches, Regional Councils, Decentralised Offices, Centre of Excellence and Head Office are appointed from a panel of two firms recommended by the Comptroller and Auditor General (C&AG) of India, effective from FY 2022-23. This system ensures continuity and avoids audit delays. A status report on these appointments is regularly shared with the C&AG.
- **Audit Reporting Framework:** The statutory auditors' reporting framework is governed by Regulations 196 and 197 of the Chartered Accountants Regulations, 1988.
- **Joint Statutory Auditors:** The accounts of the ICAI Head Office are audited by two joint statutory auditors, bringing diverse expertise and ensuring comprehensive review and accountability.

### Internal Audit

- **Internal Audit Coverage:** A robust internal audit mechanism is in place for all major units, including branches with over a thousand members, Regional Councils, Decentralised Offices, the Centre of Excellence and the Head Office. The internal audit is conducted under the supervision of the Audit Committee, which ensures transparency and auditor independence.
- **Appointment through EoI:** Internal auditors are appointed through a transparent process involving an open invitation for Expressions of Interest (EoI) from CA firms. Selection is based on an objective evaluation and ranking system. Audits are conducted biannually and cover both financial and compliance aspects, as per the prescribed scope and reporting format. Audit reports are reviewed by the respective Regional or Central Audit Committees for follow-up action.

## Annual Accounts

- **Financial Statement Format:** ICAI prepares its financial statements in accordance with the illustrative format for Not-for-Profit Organisations, as per the Technical Guide issued by the Institute. The format is customised to enhance relevance and clarity for stakeholders.
- **Approval Process:** The approval of audited financial statements follows a structured and statutory process under Section 18(5A) of the Chartered Accountants Act, 1949, and Regulation 200 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, as depicted below:

## 8.2 MEMBERS IN PUBLIC SERVICE COMMITTEE

The Members in Public Service Committee (MPSC) (earlier named as Committee for Members in Entrepreneurship and Public Services) serves as a dedicated platform for ICAI members engaged in public service or entrepreneurship. With a focus on promoting public service and entrepreneurship as career options for CAs, the Committee undertakes various initiatives to inspire and empower members. Many Chartered Accountants currently serve in senior roles across government departments, ministries, legislatures, the judiciary, regulatory bodies and entrepreneurial ventures, actively contributing to governance, economic growth and the nation's development. The Committee organises Residential/Interactive Meets of ICAI members in public service to solicit their suggestions on matters of national importance and continuously explores the opportunities that lie in entrepreneurship for CA members through mentorship sessions, orientation and training programmes, webinars, seminars and regional meets.

The key activities during the period are as under:

### (I) Interactive and Mentorship Programmes

- **"Charting New Territories: From CA to Civil Services or Entrepreneurship":** An interactive meet held on 9th June 2025 at New Delhi, attended by 125 members and featuring distinguished speakers including CA. Navneet Kumar Sehgal, IAS (Retd.), Chairman, Prasar Bharati; CA. K. Jegadesan, IPS, Special Commissioner of Police (Traffic); and Shri Ankur Aggarwal on careers in the Civil Services, along with CA. (Dr.) Nitin Soni on entrepreneurship. The event was graced by the President, ICAI, the Vice-President, ICAI, the Secretary, ICAI and CA. Hans Raj Chugh, CCM.
- **"Chartered Minds in Public Service: Inspiring the Next Generation" – Jaipur:** An Awareness & Mentorship Programme held on 21st March 2026 at Jaipur, featuring an esteemed panel from diverse domains of public service – CA. Gaurav Sharma, IPS, Inspector General of Police, Kolkata; CA. Prasoon Kabra, IRS, Commissioner of Income Tax (Appeals), Hyderabad; CA. Shivani Maheshwari, ICoAS, Joint Director, DPE, New Delhi; and CA. Gaurav Gupta, Assistant Manager, SEBI, Mumbai – followed by a panel discussion with three Chartered Accountants who cleared the UPSC Civil Services Examination 2025: CA. Sakshi Jain (AIR 37), CA. Pankaj Soni (AIR 130) and CA. Anjani Mishra (AIR 274).
- **"Chartered Minds in Public Service: Inspiring the Next Generation" – Udaipur:** A similar Awareness & Mentorship Programme was held on 18th April 2026 at Udaipur, graced by CA. Namit Mehta, IAS, Excise Commissioner, Rajasthan; CA. Akshay Kabra, IRS, Deputy Commissioner of Income Tax, Udaipur; CA. Tushar Saraswat, IRTS, Director, Ministry of Railways; CA. Parvesh Sharma, Deputy Director, SFIO; and CA. Kapil Goyal, ICoAS, Assistant Director, MCA/IICA.

### (II) ICAI's InnoFest 2.0

ICAI's InnoFest 2.0, themed "Empowering CA Entrepreneurs: Igniting Ideas, Building Futures", was organised on the occasion of World Entrepreneurs' Day on 20th August 2025 at New Delhi, with the participation of 211 members. The event was addressed by eminent speakers – CA. Anuruddh Tiwari,



Entrepreneur; CA. Dilip Chauhan, Founder, Diviam Aahar; and CA. Robin Jha, Founder & COO, Nirog Street – who shared insights and an overview of the various schemes available to entrepreneurs, and was graced by the President, ICAI, CA. Hans Raj Chugh, CCM, the Secretary, ICAI and the Chairman, NIRC.

### **(III) Webinar Series**

The Committee organised 16 webinars during the period, broadly across two streams. For CA Civil Service aspirants, webinars covered opportunities in UKPSC, BPSC and MPSC examinations; UPSC 2026 preparation strategy; optional-subject strategy ("Why Commerce & Accountancy Works"); "From Balance Sheets to Bharat Sewa"; "From Chartered Accountant to Civil Servant: Bridging Finance and Governance"; "Unlocking Opportunities in UPSC and Beyond"; and roadmap-and-guidance sessions by experts including retired IPS/IRS officers and leading academy faculty. For aspiring entrepreneurs, webinars covered social entrepreneurship and impact-driven ventures; sharpening entrepreneurial skills; building a strong entrepreneurial mindset; entrepreneurship opportunities, roadmaps and risks; "Empowering CAs in the Entrepreneurial Revolution"; and leveraging the Government e-Marketplace (GeM) for entrepreneurial opportunities. Individual webinars registered between 140 and 490+ members each.

### **(IV) Residential Meets of CA Members in Public Service**

- **Goa:** A Residential Meet on "Chartered Accountants' Role in Realising the Vision of Viksit Bharat @ 2047" was held on 12th October 2025 at Goa, attended by 15 Members in Public Service from the judiciary, various ministries, services and administrative bodies, and graced by the President, Vice-President and Secretary, ICAI. The Meet ended on a positive note, with members expressing strong commitment to nation building.
- **Amritsar:** A Residential Meet on the same theme was held on 3rd–4th January 2026 at Amritsar, presided over by the leadership of ICAI and bringing together eminent Chartered Accountants serving in Group A services such as the IRS, IAAS, IRAS, IRTS, IRPS and ICoAS, SEBI, regulatory bodies and tribunals. Over 86 Members in Public Service attended, and the interaction fostered a closer connect between ICAI and its members serving in governance.

### **(V) Publications**

- "Handbook for Chartered Accountants Aspiring for Civil Services" –
- "SANMUKH – A Handbook of Motivation & Guidance for CAs Aspiring for Civil Services"

## **8.3 FINANCIAL MARKETS AND INVESTORS' AWARENESS COMMITTEE (FM&IAC)**

The Committee on Financial Markets and Investors' Awareness provides suggestions on Bills, Notifications, Circulars, Consultation Papers, and other documents relating to financial markets to the Government and Regulators. The Committee regularly interacts with the Ministry of Corporate Affairs, the Reserve Bank of India, the Securities and Exchange Board of India, the Insurance Regulatory and Development Authority, the Department of Non-Banking Finance Companies of RBI, and Stock Exchanges on matters relating to financial markets, the role of Chartered Accountants, and investor protection.

### **Partner in Nation Building**

To create awareness among the public and ensure investor protection, the Committee conducted 100 Investor Awareness Programmes through Programme Organising Units of ICAI, including Branches, Regional Councils, and Study Circles, to enhance investors' understanding of developments in financial markets under the aegis of the Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA), Ministry of Corporate Affairs (MCA).

### Comments and Suggestions on SEBI Consultation Papers

As a Partner in Nation Building, the Committee offers comments and suggestions on consultation papers published by the Securities and Exchange Board of India (SEBI). The status of the Committee's engagement with SEBI consultation papers since 2023–24 is summarised below.

| Particulars                                              | 2023–24 | 2024–25 | 2025–26 |
|----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| No. of Consultation Papers Published by SEBI             | 32      | 88      | 82      |
| Committee View in Agreement with SEBI Consultation Paper | 27      | 65      | 72      |
| Committee View Submitted before SEBI                     | 5       | 23      | 10      |

### Strategic MoUs and Institutional Collaborations

During the year, the Committee entered into three Memoranda of Understanding (MoUs) with the Indian Venture and Alternate Capital Association (IVCA), NSE IFSC Limited (NSE IX), and India International Exchange (IFSC) Limited (India INX), strengthening institutional collaboration on matters relating to financial markets and capital market development.

### Capacity Building of Members

To enhance the skills of members and empower them suitably, the Committee conducts 8 Certificate Courses: Forex and Treasury Management (FXTM); Derivatives; Fundamental & Technical Analysis of Stocks including Equity Research (FATA); Financial Markets and Securities Laws (FMSL); Compliance of Capital Markets Intermediaries; Fund Management at IFSC; Investment Banking; and Non-Banking Financial Companies. During the year, the Committee successfully conducted 2 physical batches and 10 online batches of these Certificate Courses through the Digital Learning Hub, with a total of 942 members enrolling.

### Conferences, Seminars and Professional Enhancement Programmes

The Committee disseminated knowledge among members through 16 CPE Meetings and Virtual Webinars. It conducted 4 National Conferences and 26 Seminars, including the flagship series 'Investment ki Pathshala – CA: The Investment Guru', through the Regional Councils and Branches of the Institute, reaching members across the country with practical insights into financial markets and investment practices.

## 8.4 PUBLIC AND GOVERNMENT FINANCIAL MANAGEMENT COMMITTEE (PGFMC)

The Committee on Public and Government Financial Management (PGFMC) continued its dedicated efforts towards strengthening public financial management, accounting reforms, financial reporting and capacity building across all tiers of government in India during the period under report. A total of 32 meetings of the Committee were held during the year. The key activities are as under:

### (I) Institutional Collaboration and Capacity Building

- **ICAI–C&AG Memorandum of Understanding:** ICAI and the Office of the Comptroller & Auditor General of India signed an MoU on 21st April 2025 to support capacity development within the C&AG institution. Pursuant to the MoU, eight residential training programmes on Accounting, Auditing and IT were organised, aimed at enhancing professional competencies and institutional effectiveness.
- **Local Governance Synergy Conclave 2.0:** Organised on 12th January 2026 at New Delhi, the Conclave was inaugurated by Shri K. Sanjay Murthy, Hon'ble C&AG of India, and brought together senior representatives from Ministries, State Governments and audit institutions.

- **Certificate Course for Accountants of Panchayats and Municipal Bodies:** A joint initiative of ICAI and the Office of the C&AG of India implemented through BLoAC under ICAI-ARF, the Course continued to receive an encouraging response, with over 5,200 registrations and 356 successful candidates till date.
- **Certificate Course on Public Finance and Government Accounting:** Batches from the 33rd to the 38th were conducted in online mode for ICAI members and officials of Government Departments and Autonomous Bodies during the year, with six online examinations also successfully organised.

## (II) Standard-Setting Contributions

- **Government Accounting Standards Advisory Board (GASAB):** The Committee submitted technical comments on various drafts, suggesting detailed line-by-line changes in two draft standards, several of which were incorporated in the Indian Government Accounting Standards (IGASs) and Guidance Notes. The Committee also participated in GASAB meetings and workshops, and contributed to deliberations relating to the revision of the National Municipal Accounts Manual (NMAM 2.0).
- **International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB):** The Committee actively contributed inputs on technical documents of the IPSASB.

## (III) Multilateral Collaborations

The Committee strengthened collaborations with multilateral institutions such as the Asian Development Bank (ADB) and the World Bank with the objective of improving the quality of audit of Externally Aided Projects (EAPs) in India. Several training programmes, seminars, webinars and faculty development initiatives were organised for Government officials, auditors, finance officers and ICAI members.

## (IV) New MoUs and Institutional Linkages

The Committee strengthened institutional collaborations through MoUs with the Andhra Pradesh Police Department (Training Wing), the National Institute of Urban Affairs (NIUA) and the Mahatma Gandhi State Institute of Public Administration (MGSIPA), Punjab.

## (V) Recognition Initiative – ICAI Awards for Promotion of Accounting Reforms

ICAI Awards for Promotion of Accounting Reforms in Local Bodies 2025-26 were organised to recognise excellence in accounting reforms and financial reporting practices among Urban Local Bodies and Panchayati Raj Institutions.

## (VI) Publications

- Transparency and Accountability in Government and Public Finance: Pillars of Good Governance
- Internal Audit of Panchayati Raj Institutions (PRIs) and Urban Local Bodies (ULBs) in India

## 8.5 EDITORIAL BOARD

The Editorial Board is a specialised non-standing committee of ICAI entrusted with enriching the professional knowledge ecosystem of the Institute through its flagship publication, The Chartered Accountant. Widely regarded as one of the most respected professional journals in the country, the publication reaches more than 400,000 readers through its print and digital editions. As the voice of ICAI's thought leadership, the journal serves as a dynamic platform for disseminating contemporary developments, expert insights, research-driven perspectives, and emerging trends shaping the accounting and financial profession, reflecting the Institute's commitment to professional excellence, continuous learning, and intellectual advancement.

Under the guidance of the Editorial Board, the publication strengthens ICAI's engagement with members, students, regulators, and stakeholders, while reinforcing the Institute's brand and leadership in the global professional arena. With relevant, insightful, and future-oriented content, the Board plays a pivotal role in connecting the profession with evolving practices in finance, governance, sustainability, technology, and regulatory frameworks.

### **(I) Enabling India's Growth Through Professional Knowledge**

Through the monthly journal *The Chartered Accountant*, the Editorial Board has consistently contributed to India's development journey by fostering a culture of knowledge, innovation, and professional excellence within the accounting fraternity. By bringing forward contemporary issues, emerging global trends, regulatory developments, and transformative ideas, the Board equips ICAI members to navigate an evolving economic landscape with competence and vision. The journal serves as a powerful medium for promoting informed decision-making, ethical practices, and forward-looking professional thought, strengthening the role of Chartered Accountants as key contributors to economic progress, governance, and nation building.

### **(II) Advancing Professional Excellence**

During the period, *The Chartered Accountant* journal showcased a rich spectrum of articles addressing diverse and contemporary issues relevant to the accounting profession. Alongside its regular professional features, the journal brought out special editions focused on significant and emerging areas such as MSMEs, Leadership, GST, Technology, Sustainability, Startups, and Capital Markets, among other key technical subjects. These thematic issues were curated to enhance members' professional knowledge, broaden perspectives, and equip them to remain future-ready in a rapidly evolving environment.

### **(III) Member and Student Initiatives – Inclusions in the Journal**

During the period, 207 articles on various themes and professional topics were included in the ICAI Journal, in addition to regular features covering updates on the Institute's activities in coordination with various ICAI Committees. The July 2025 edition featured a diverse range of special write-ups and knowledge-driven articles focused on ethics, sustainability, artificial intelligence, digital transformation, leadership, wellness, financial innovation, women empowerment, and nation building, with contributions from eminent professionals, policymakers, and global leaders. The issue also included sections such as Practice to Policy, Global Footprint, In Conversation, and Lifestyle and Wellness, and carried inspirational CA Day messages from 39 eminent dignitaries, including the Prime Minister of India, Governors, Union Ministers, and Chief Ministers.

### **(IV) Digital Versions of The Chartered Accountant – Upgraded for Convenience**

- Journal in PDF/Flipbook Format: The journal continues to be hosted in PDF/Flipbook format, with digital archives available on the ICAI website from July 2002 onwards.
- Journal on Digital Learning Hub: The electronic version of the journal is available as a user-friendly e-magazine on the ICAI website and the Digital Learning Hub, supporting the ICAI Learning Management System and the Institute's sustainability drive.
- Journal Highlight Emailers: Highlights of every issue, along with the President's Message, are mass-emailed to all members in capsule form.
- Journal on Mobile: The e-journal is accessible on iOS and Android devices through the ICAI website and the ICAI Mobile App.

## **8.6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT COMMITTEE (IDC)**

The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) has continuously expanded and strengthened its infrastructure since the inauguration of its Headquarters at Indraprastha Marg, New Delhi, in 1954. To ensure systematic planning, monitoring and standardisation of infrastructure development across

its Headquarters, Regional Councils, Branches, Centres of Excellence, Decentralised Offices and other establishments, the Infrastructure Development Committee (IDC) was constituted in 2014 as a Special Purpose Non-Standing Committee under the authority of the Council. The Council also approved the Infrastructure Policy for Branches and Regional Councils in 2014, providing a comprehensive framework for infrastructure planning and development. Since then, the IDC has been responsible for assessing infrastructure requirements, formulating and reviewing policies, examining proposals for land acquisition, construction, renovation and redevelopment, monitoring project implementation, and advising the Council on all infrastructure-related matters, thereby ensuring planned, transparent and sustainable infrastructure development across the Institute.

Since the introduction of the Infrastructure Policy, the Institute has initiated the following projects:

| Purchase of New Infrastructure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Construction Proposals Approved                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kannur, Jalandhar, Jabalpur, Goa, Gurugram, Moradabad, Pali, Agra, Gorakhpur, Karnal, Kishangarh, Latur, Patiala, Ujjain, Ratlam, Chengalpattu, Ahmedabad, Kota, Ernakulam, Himachal Pradesh, Jamnagar, Tirupati, Raipur, Bengaluru (Gifted Property), ICOE Chennai (1.19 acres), COE Guwahati, Kalyan-Dombivli, Ongole, Kozhikode, Hyderabad, Karimnagar, Sikar, and built-up space at GIFT City, Gandhinagar | Ajmer, Surat, Bhopal, Rajamahendravaram, Centre of Excellence Jaipur, Bathinda, Bareilly, Jodhpur, Raipur, Kannur, Ghaziabad, Goa, Moradabad, Guntur, Agra, Gurugram, Rohini, Ratlam, Patiala, Kishangarh, Ujjain, Pali, COE Kolkata, Bengaluru (Gifted Property), Ahmedabad, Chengalpattu, Ernakulam, Rohtak, Siliguri, Patna, Jabalpur, Jalandhar, ICOE Chennai (Camp Office), Nagpur, Tirupati, Himachal Pradesh, Hubli (Auditorium), Latur, Kota, renovation of the HO Building at C-1, Sector-1, Noida, Gorakhpur, Gwalior and COE Guwahati |

Out of the total 186 Branches set up by ICAI so far, 106 Branches have their own premises. 13 Branches (presently functioning from rented premises) have procured land on which construction is either yet to commence or is under way, and 10 Branches (functioning from their own premises) have procured land where construction is either yet to start or is under way. 67 Branches own neither land nor a building. The region-wise break-up is as under:

| S. No. | Particulars                                                                                                                           | WIRC | SIRC | EIRC | CIRC | NIRC | Total |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| 1      | Total number of Branches                                                                                                              | 38   | 48   | 13   | 62   | 25   | 186   |
| 2      | Branches having own premises                                                                                                          | 21   | 35   | 6    | 32   | 12   | 106   |
| 3      | Branches having land on which construction has started or is yet to start (functioning from rented premises)                          | 2    | 3    | 0    | 5    | 3    | 13    |
| 4      | Branches having land on which construction has started or is yet to start, besides their own premises (functioning from own premises) | 1    | 4    | 0    | 5    | 0    | 10    |
| 5      | Branches having neither land nor building                                                                                             | 15   | 10   | 7    | 25   | 10   | 67    |

## 8.7 INTERNATIONAL AFFAIRS COMMITTEE

During the 2025-26 period, the International Affairs Committee of ICAI significantly expanded the Institute's global footprint and strengthened international professional mobility through strategic

agreements, new Chapters and Representative Offices, and high-level global dialogues. The key activities of the Committee during the period under report are as under:

### **(I) Global Mobility and Institutional Frameworks**

- **Global Mobility and Collaborative Agreements:** ICAI maintained 8 Qualification Reciprocity Agreements and 16 Collaboration Agreements worldwide to facilitate professional mobility and technical cooperation.
- **Benchmarking Success:** An independent study by ECCTIS evaluated ICAI qualifications, resulting in the Chartered Accountant designation being deemed equivalent to a Master's degree in frameworks across the UK, US, Canada, Australia, UAE and Europe.

### **(II) Global Footprint: New Chapters and Offices**

- **United States Expansion:** ICAI launched its 53rd Chapter in Los Angeles (1st June 2025) and 54th Chapter in Atlanta (4th June 2025).
- **Representative Offices (ROs):** Five new ROs were inaugurated virtually in Kansas, Louisiana, Minnesota, Tennessee and San Diego through the "Unite in America" initiative (9th February 2025).
- The Institute's network grew to 54 Chapters and 31 Representative Offices spanning 47 countries and 85 cities.

### **(III) International Strategic Engagements**

- ICAI is affiliated with 15 international accounting bodies/forums to strengthen its footprint globally.
- At various IFAC Connect events (Mexico City, Riyadh and Jakarta), ICAI presented on the impact of Artificial Intelligence on audit and assurance, emphasising the need for technological literacy and independent oversight of AI systems.
- ICAI presented to the IESBA and the IAASB on auditing challenges for less complex entities and sustainability ethics.
- ICAI representatives regularly attended events organised by ICAI Chapters globally, addressed the fraternity and discussed the issues being faced by the Chapters.
- The Premier of the Cayman Islands and Minister for Financial Services & Commerce, Hon'ble André M. Ebanks, visited ICAI on 2nd December 2025 to discuss areas of mutual interest.

### **(IV) World Forum of Accountants (WOFA 2.0)**

ICAI organised the World Forum of Accountants (WOFA 2.0) on the theme "Nation Building to Global Collaboration: Strengthening Trust, Enabling Growth" from 30th January 2026 to 1st February 2026 at the India Expo Centre & Mart, Greater Noida. The event hosted over 10,000 participants from over 25 countries, with over 800 delegates attending virtually, and featured 250+ speakers, along with the participation of 100 corporate sponsors and 30 CA firms.

WOFA 2.0 was inaugurated on 30th January 2026 in the august presence of CA. Piyush Goyal, Hon'ble Minister of Commerce and Industry, as Chief Guest, and Shri Kumar Mangalam Birla, Chairman, Aditya Birla Group, as Guest of Honour. The Forum featured focused concurrent tracks designed to enable in-depth engagement across key domains, including the Technology Track (Artificial Intelligence & Digital Finance), Global Edge Track (Global Capability Centres & Outsourcing), Marketsphere Track (Capital Market), Aatmanirbhar Bharat Track (MSME & Start-up), Eco Rise Track (Sustainability) and the Governance & Assurance Track.

On the sidelines of WOFA, ICAI hosted the Strategy Meeting of the SAFA Board and SAFA Committee Meetings. The ICAI Awards and the ICAI Annual Day were also organised on the sidelines of WOFA 2.0, and the ICAI Best Chapter Overseas Awards were conferred at the ICAI Annual Day.

## 8.8 MANAGEMENT COMMITTEE

Management Committee, constituted in 2015 as non-standing Committee of the Council, is mandated to consider matters pertaining to formation of Branches, setting up of Chapters abroad, MoUs/ MRAs with national/ international bodies, appointment of central auditors of ICAI, matters referred by the Central Government and other regulatory bodies, proposals for amendments in the Chartered Accountants Act, 1949, Rules and Regulations framed thereunder, Regional Councils and Branches matters, Members/CA firms/LLPs/mergers/demergers/networking related matters and proposals received from other committees/departments of the Institute having administrative and policy implications and making its recommendations to the Council wherever required.

## 8.9 PUBLIC RELATIONS COMMITTEE (PRC)

The Public Relations Committee has been working to develop, strengthen and enhance the image of the ICAI as a premier accountancy body and the sole regulatory authority for the profession of Chartered Accountancy in India & globally through various ways and means, as considered appropriate within framework of the CA Act. The Committee also endeavours to foster strong relationships with the media and other stakeholders, in coordination with various Committees of ICAI, to facilitate effective communication, disseminate information and enhance the visibility of the Institute. Recognising the media as a strategic platform for communicating with the public, policymakers and key stakeholders, ICAI has proactively leveraged it to effectively convey its views and decisions. The Public Relations Committee has not only expanded ICAI's media footprint in terms of reach and volume but has also built enduring relationships with key national media.

The Public Relations Committee undertook extensive communication, media engagement, branding and outreach initiatives during the period to enhance the visibility of ICAI's initiatives and strengthen public awareness of the accounting profession.

The key activities of the Committee during the period under report are as under:

### (I) Celebration of the 11th International Day of Yoga 2025

ICAI celebrated the 11th International Day of Yoga in a grand manner on 21st June 2025 through its wide network of 5 Regional Councils, 179 Branches, 54 Overseas Chapters and 31 Representative Offices. A grand event was organised at Bharat Mandapam, New Delhi, under the theme "Yoga for One Earth, One Health", with the enthusiastic participation of over 2,000 Chartered Accountants and students. The programme was inaugurated by Shri Vijender Gupta, Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly; Shri Raja Iqbal Singh, Hon'ble Mayor, MCD, Delhi; Shri Sandeep Kapoor, Hon'ble Councillor & Ex-Chairman, Standing Committee; and Dr. Sandeep Marwah, Chancellor, AAFU University of Media & Arts. It was streamed live across 5 Regional Councils and 179 Branches, ensuring wide outreach across ICAI's 14.5 lakh+ members and students. Over 5 Regional Offices, 130 Branches and various Overseas Chapters actively participated. These initiatives together earned ICAI recognition from the Asia Book of Records for the maximum number of branches of a single organisation conducting Yoga simultaneously.

A five-day countdown campaign under the theme "Healthy CAs, Wealthy Economy", supported by competitions, digital outreach, uniform branding and extensive pre- and post-event media publicity, ensured wide awareness, engagement and sustained visibility.

### (II) ICAI's Visit to Pahalgam

In a historic gesture on the occasion of the 79th Independence Day, ICAI convened its 445th Council Meeting in Pahalgam from 12th–14th August 2025, becoming the first national institution to host such a high-level meeting in the Valley after the tragic Baisaran incident of 22nd April 2025. ICAI's visit to Pahalgam was a powerful reaffirmation that the nation stands united, resolute and unwavering in its

belief that Kashmir is and will always remain an integral part of India. Amplifying this message, the PRC organised a Press Meet and issued a Press Release that was covered widely across India.

### **(III) Media Engagement and Press Coverage**

- **Press Conferences:** ICAI organised over 16 press conferences across New Delhi and various cities nationwide, serving as an effective platform to highlight the Institute's key initiatives, policy perspectives, major events, collaborations and significant achievements, resulting in extensive media visibility and widespread coverage.
- **Media Interactions and Major Stories:** Extensive one-on-one media engagement was undertaken through interviews, interactions, authored articles, expert quotes and Q&A sessions across The Economic Times, Mint, The Hindu BusinessLine, Financial Express, Times of India, Business Standard, Indian Express, Deccan Herald, NDTV, Zee Business, CNBC TV18, ET Now, Aaj Tak, Dainik Bhaskar, Dainik Jagran, Hindustan, Moneycontrol.com, Print, PTI, UNI, IANS, Informist and many more.
- **Television Coverage:** Special interviews and live shows across leading television channels such as ET Now Swadesh, NDTV Profit, Zee Business, CNBC TV18, CNBC Awaaz, ET Now and Doordarshan ensured wide national reach and electronic media presence.
- **Podcasts:** ICAI leveraged the growing popularity of podcasts for deeper stakeholder engagement; the podcast series garnered lakhs of views across digital platforms, significantly enhancing the Institute's thought leadership visibility among a wider and younger audience.
- **Press Releases:** 46 Press Releases sharing updates on various important announcements were issued during the period, garnering 2,000+ coverages.

### **(IV) ICAI Media Meet**

The Committee organised a Media Workshop in Goa on 11th–12th October 2025. The two-day workshop served as a dynamic platform for interaction between ICAI leadership and senior journalists on various technical matters. The workshop received enthusiastic participation from 23 senior professionals and resulted in 150+ positive coverages across print, electronic and online media.

### **(V) ICAI Stands with the Nation**

Following Operation Sindoor, the President, ICAI, addressed the CA fraternity on 9th May 2025, calling on members and students to stand in solidarity with the Armed Forces and stay vigilant, and encouraging them to organise blood donation drives, set up shelter camps for displaced civilians, provide ambulance services or extend financial assistance. Over 50,000 members and students joined the live address, which subsequently garnered over 2 million impressions across various social media platforms.

### **(VI) Publicity and Promotion of Major Events**

The Committee undertook extensive publicity and promotional activities for ICAI's major events and initiatives, ensuring wide visibility and branding across print, electronic, digital, radio, outdoor and social media platforms. Key events supported through integrated communication campaigns included Accounting Standards Day, the 11th International Day of Yoga, the 77th Chartered Accountants' Day Celebrations, ICAI Convocation Ceremonies, the World Forum of Accountants (WOFA 2.0), RESOLVE 2025, the Digital Transformation Finance Summit (DxFS) 2025 and the AI Innovation Summit (AIS 2025). These efforts generated extensive media coverage, enhanced public awareness and strengthened ICAI's brand visibility.

- **VISHWASNIYA AV:** An engaging audio-visual emphasising the key priority areas was developed and played at all events throughout the year.
- **Cooperative Chintan Shivir AV:** A special AV highlighting ICAI's contribution towards the cooperative sector was developed and played during the ICAI Cooperative Chintan Shivir.
- **WOFA Promotional AVs and Creatives:** Various promotional AVs and creatives publicising WOFA 2.0 were developed to enhance visibility and awareness about the event.



- Advertorials publicising ICAI's branding initiatives were published in the Hindustan Times (17th December 2025), The Economic Times (19th December 2025) and the Hindu Business Line (23rd December 2025).
- To promote the CA Course, a quarter-page advertisement was developed and published in leading national and regional publications and magazines across the country in multiple languages. Various short videos publicising the CA Course were also posted on social media platforms.

### **8.10 RESEARCH COMMITTEE**

Established in 1955, the Research Committee is one of the oldest technical committees of ICAI, committed to promoting a robust research culture to enhance professional services. Its primary objective is to undertake research and strengthen institutional capacity in accounting and allied disciplines for the benefit of the profession and the nation. The key activities of the Committee during the period under report are as under:

#### **(I) Research Projects Completed**

The following research projects were completed during the year:

- Accounting for Digital Assets
- An Exploratory Analysis of Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) in Fostering Growth of Micro Enterprises
- Corporate Reporting Practices of Listed Companies in India
- Revitalizing India's Legal Landscape: Addressing Obsolete Economic and Commercial Laws for a Viksit Bharat @ 2047
- Reprioritizing Environmental Claims Under the Insolvency and Bankruptcy Code
- Study Material on Public Procurement
- Liquidation Accounting
- REITs and Their Emerging Significance in India: A Regulatory, Market and Professional Perspective
- Mahua Flowers: Regulatory, Economic and Social Opportunities

#### **(II) Research Projects – Work in Progress**

- The Rise of Green Investment: Investors' Intention and the Mediating Role of Theory of Planned Behavior on Sustainable Investment Propensity.
- Socio-Economic Impact of Digital Finance on Rural Women in India: An Analysis of the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) and Direct Benefit Transfer (DBT) Schemes.
- Exploring the Intellectual Property Landscape of Indian Healthcare and Life Science Start-ups.
- The Start-up Ecosystem in Northeast India: A Critical Analysis of its Dynamics, Challenges and Potential as a Catalyst for Sustainable Development and Inclusive Economic Transformation.
- Sustainable Financial Reporting in Indian Smart Cities: An Evaluation of Disclosure Practices against Qualitative Characteristics for Municipal Bond Issuance and Urban Challenge Fund Access.
- Demystifying the Natural Resources–Capital Flight Nexus: Insights on Money Laundering in India.
- Study of Current Socio-Economic Affairs in Sehore District of Madhya Pradesh and the Way Forward.

#### **(III) ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting 2024-25**

The Research Committee has been organising the ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting since 1958 to recognise excellence in the preparation and presentation of financial information. For the year 2024-25, a total of 19 awards – comprising 9 Gold Shields and 10 Silver Shields – were presented on 31st January 2026 during WOFA 2.0.

**(IV) ICAI International Research Award 2025**

Since 2020, the Committee has been organising the “ICAI International Research Awards” to recognise and honour exemplary research work in Accounting, Auditing, Economics, Finance and Taxation. The Award Ceremony was organised on 14th October 2025 in Goa, during which 16 research papers were recognised with awards, comprising 5 Gold Shields, 6 Silver Shields and 5 Bronze Shields presented to the researchers.

**(V) Research Schemes**

- **ICAI Doctoral Scholarship Scheme 2025:** This scheme provides monthly scholarship support to eligible candidates undertaking research work, with details available on the ICAI website.
- **ICAI Research Projects Scheme 2025:** This scheme encourages researchers to undertake insightful studies on contemporary and emerging issues, with details available on the ICAI website.
- **ICAI Short-Term Research Studies Scheme 2025:** This scheme provides a platform for sharing new ideas, innovative research findings and thought-provoking insights on various contemporary topics.

**(VI) Memorandum of Understanding**

The Committee successfully signed an MoU with Chanakya National Law University, Patna to enhance academic and research capabilities in various areas.

**(VII) Capacity Building Initiatives**

The Research Committee organises webinars, seminars, Residential Refresher Courses and virtual live panel discussions on contemporary topics, with the objective of promoting continuous learning and professional development, fostering innovative thinking and creating new research opportunities.

**8.11 STRATEGY, PERSPECTIVE PLANNING AND MONITORING COMMITTEE (SPP&MC)**

The Strategy Perspective Planning and Monitoring Committee is a non-standing committee of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) serves a critical role in shaping long-term ICAI Vision and objectives. The primary purpose of this committee is to engage in strategic planning, ensuring that the ICAI develops and implements effective strategies to meet its goal. The committee is committed to effective risk management, identifying potential challenges, and adapting strategies to navigate a dynamic business environment. By analysing various perspective, trends and factors, the committee aim to provide a comprehensive outlook for the organization’s future. Additionally, it plays a critical role in monitoring the execution of strategic initiatives, assessing their impact, and making adjustments as necessary.

**Preparation of Research Report ICAI Vision 2049****Collaboration with IIMA**

In pursuit of a forward-looking strategy for the Institute, the ICAI initiated the development of ICAI Vision 2049 through a collaborative engagement with the Indian Institute of Management Ahmedabad (IIMA). This collaboration aimed to outline a comprehensive roadmap that aligns the Institute’s long-term goals with emerging global, technological, and regulatory trends and Research Report has been submitted by IIM Ahmedabad.

**8.12 ICAI CORPORATE MITRA COMMITTEE**

The ICAI Corporate Mitra Committee has been constituted for the Corporate Mitra Project of the Government of India to undertake coordination, outreach, awareness creation and other activities for

its effective implementation, ensure access to training through the Regions, Branches, Chapters and offices of ICAI, including periodic continuing training, capacity building and skill enrichment for Corporate Mitra, enlist human, logistic and other resources required for the initiative, and constitute working groups or invite experts, academicians and industry leaders for its implementation, while contributing to the formulation of the overall scheme for the Project. The ICAI Corporate Mitra Committee continued its efforts towards supporting Government initiatives aimed at enhancing employability, skill development and ease of doing business. During the year, the Committee actively engaged with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) in connection with the Prime Minister Internship Scheme and the proposed Corporate Mitra Scheme.

### **(I) Prime Minister Internship Scheme (PMIS)**

The Prime Minister Internship Scheme (PMIS), launched by the Ministry of Corporate Affairs under the Union Budget 2024-25, aims to provide structured, paid and industry-linked internship opportunities to youth across India. Recognising the importance of experiential learning and practical training, ICAI extended its support to the initiative and was invited by MCA to participate in Pilot Phase III of the Scheme.

#### **Key features of the Scheme include:**

- Internship allowance of ₹9,000 per month, comprising ₹900 by the participating firm and ₹8,100 by MCA.
- One-time financial assistance of ₹6,000 by MCA.
- Internship duration of 9 months.
- Eligibility for graduates aged between 18 and 25 years, subject to prescribed criteria.
- Implementation through a dedicated single-window portal administered by MCA.

The Committee continued its efforts to support wider outreach and participation, particularly in Tier-II and Tier-III cities, thereby contributing towards the development of industry-ready professionals.

### **(II) Corporate Mitra Scheme**

The Corporate Mitra Scheme, announced by the Ministry of Corporate Affairs in the Union Budget 2026-27, seeks to strengthen the MSME ecosystem by creating a pool of trained and certified paraprofessionals capable of assisting enterprises in regulatory, financial and governance matters.

#### **Key features of the Scheme include:**

- The Scheme envisages six months of structured online academic learning followed by six months of on-the-job training.
- ICAI developed the module on Accounting, Taxation, Banking and Financial Management and submitted the same to MCA for consideration.
- The Scheme is proposed to commence with 2,000 participants, including 200 participants from the North-Eastern Region.
- Successful candidates will be certified as "Corporate Mitra" upon completion of assessments and on-the-job training and will be equipped to function as MSME compliance facilitators.
- Academic content is proposed to be made available in multiple Indian languages to promote wider accessibility and inclusiveness.

The Committee contributed towards the development of the academic framework of the Scheme. The module on Accounting, Taxation, Banking and Financial Management was developed by the subject faculties of the Board of Studies (Academic), ICAI and submitted to MCA for consideration. The Scheme is expected to strengthen ease of doing business, support MSME compliance requirements and create structured employment opportunities for youth across the country.

### 8.13 CENTRAL COUNCIL LIBRARY

The Central Council Library of the Institute caters to the information requirements of its stakeholders. Its aim is to provide a comprehensive and up-to-date collection of primary and secondary print and non-print material to present and prospective members, students, research scholars and officials of ICAI. The Library has assumed greater responsibilities in serving Committees and Departments by imparting knowledge and valuable information through books, e-books, journals, magazines, online databases, print newspapers as well as e-newspapers, and is responsible for updating and providing the journals and books required for the work of various Committees.

The Central Council Library is fully computerised and operates through the Liberty library management software. Library material, including the database of books, journals and articles, can be searched subject-wise, author-wise, title-wise, topic-wise, keyword-wise and publisher-wise. These records are available through the online search OPAC (Liberty) under "Central Council Library" on the ICAI website ([www.icaai.org](http://www.icaai.org)).

Under the column "Accountants' Browser", an index of articles relevant to the accounting profession is published every month in the journal 'The Chartered Accountant'. The "Accountants' Browser" is an index of important professional articles, with archives of past articles. Reference services are also provided by the Library to researchers, scholars, faculties, students and members.

A number of online databases have been acquired by the Library, the details of which are available on [www.icaai.org](http://www.icaai.org) under "Central Council Library". These online knowledge databases have been installed in the Central Council Library and can be accessed in-house to facilitate the search for required material by members, faculties and research scholars. Several e-journals have also been subscribed to by the Library. The details of the new resources added in the Central Council Library at the Head Office and the Noida Library during the year (1st April 2025 to 31st March 2026) are as under:

| S. No. | Particulars                                 | Central Council Library (HQ) | Central Council Library (Sector 62, Noida) |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| 1      | Journals (Print) – National & International | 28                           | 14                                         |
| 2      | Online Resources                            | 16                           | 12                                         |
| 3      | New books added during the period           | 195                          | 276                                        |

The Central Council Library regularly updates its resources to provide professional members, students, faculties and other stakeholders with the latest and most up-to-date knowledge and information.

### 8.14 RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

The basic objective of the Right to Information Act, 2005 is to empower citizens and promote transparency and accountability in the working of every public authority. The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), a statutory body set up by the Chartered Accountants Act, 1949, is a public authority as envisaged under Section 2(h) of the RTI Act, 2005. In compliance with the provisions of the RTI Act, 2005 and the directions of the Central Information Commission, officers of the Institute have been designated as the Central Public Information Officer (CPIO), Central Assistant Public Information Officer, and First Appellate Authority (FAA).

A large number of RTI applications are received by the RTI Cell, ICAI from students, members, other stakeholders and citizens, and are responded to in a timely manner. In terms of Section 4(1)(b) of the RTI Act, 2005, all necessary disclosures have been made by hosting them on the Institute's website ([www.icaai.org](http://www.icaai.org)), which are updated from time to time.

During the period 2025-26, a total of 2,29,758 applications were received. The large majority comprise requests for certified copies of answer sheets for the CA Foundation, Intermediate and Final examinations. In addition, a significant number of RTI applications pertaining to Disciplinary functions, HRD, Examinations and Administration were also received. The category-wise break-up is as under:

| Period                | Foundation | Intermediate | Final  | Others | Total    |
|-----------------------|------------|--------------|--------|--------|----------|
| June to December 2025 | 20,292     | 73,717       | 58,815 | 574    | 1,53,398 |
| January to March 2026 | 10,007     | 37,581       | 28,560 | 212    | 76,360   |
| Total 2025-26         | 30,299     | 1,11,298     | 87,375 | 786    | 2,29,758 |

Further, 11 hearings of the Central Information Commission were attended, and a significant number of orders of the First Appellate Authority were responded to during the year.

## 9. DIRECTORATES

### 9.1 BENEFICIARY SCHEMES DIRECTORATE

The Beneficiary Schemes Directorate is responsible for facilitating beneficiary products and services for the Members and Students of ICAI and other beneficiaries, if any; assessing stakeholder requirements; exploring strategic tie-ups; reviewing existing schemes; evaluating proposals; drafting and vetting documentation for implementation of beneficiary schemes; establishing governance and service frameworks; creating awareness through communication and outreach initiatives; developing technology-enabled platforms to facilitate access to beneficiary schemes; promoting well-being, work life balance and environmentally sustainable habits and practices; implementing a centralized framework for the promotion and utilization of beneficiary schemes across the ICAI network; and promoting the adoption of Practice Management Software (PMS).

The Beneficiary Schemes Directorate continues its efforts towards enhancing member welfare by providing a comprehensive ecosystem of benefits across insurance, healthcare, banking, technology, professional tools and value-added services through its dedicated platform, [bs.icai.org](https://bs.icai.org).

#### (I) Health, Wellness and Fitness Initiatives

With a focus on promoting physical fitness, preventive healthcare and holistic well-being among Members and Students, the Directorate undertook various wellness initiatives during the year:-

- Supported ICAI's participation in World Bicycle Day 2026 under the Fit India Movement and encouraged Members, Students, Branches and Regional Councils to participate in the nationwide "Sundays on Cycle" campaign.
- Conducted more than 160 Yoga Programmes across Branches and Regional Councils jointly with the Public Relations Committee in connection with International Yoga Day 2026.
- Organised 45 live webcasts up to 30 June 2026 covering health, wellness, work-life balance, leadership, financial planning and professional development for Members.

#### (II) Member Facilitation and Professional Development Initiatives

To support members in their professional and career aspirations, the Directorate facilitated various learning and development opportunities:-

- Disseminated information relating to the Samkalp IAS Facilitation Initiative for Chartered Accountant Members aspiring to pursue Civil Services.

- Continued to provide members access to learning, mentoring and knowledge-sharing opportunities through webinars and professional outreach initiatives.

### **(III) Digital Platform for Member Benefits**

To provide seamless access to member services and benefits, the Directorate strengthened its dedicated digital platform:-

- Continued to provide integrated access to insurance, healthcare, banking, technology solutions and value-added services through the Beneficiary Schemes Portal (bs.icaai.org), enabling Members and Students to access various schemes and benefits through a unified digital platform.

### **(IV) Banking and Financial Services**

The Directorate continued to facilitate banking and financial solutions for Members through collaborations with leading financial institutions:-

- Banking facilities through AU Small Finance Bank, including Current Account, Savings Account and Credit Card facilities.
- Term Loan and Dropline Overdraft facilities through HDFC Bank.
- Credit Card facilities through Bank of Baroda.
- Online PSB Loan Facility for streamlined access to credit.

### **(V) Insurance and Risk Protection Services**

The Directorate continued to provide a range of insurance solutions aimed at strengthening financial security and risk protection for Members and their families:-

- HDFC Group Poon Suraksha Term Insurance Scheme.
- LIC Term Insurance Scheme.
- Medical Insurance Scheme through New India Assurance.
- Professional Indemnity Insurance Scheme.
- Motor Vehicle Insurance Scheme.
- Personal Accident Insurance Policy.
- Householder Insurance Scheme.
- Office Protection Shield Scheme.

### **(VI) Healthcare Services**

Recognising the importance of preventive healthcare and access to quality medical services, the Directorate facilitated healthcare benefits through reputed healthcare partners:-

- Healthcare and diagnostic services through Apollo Diagnostics and Apollo ProHealth.
- Healthcare facilities through Fortis Healthcare, Dr. Lal PathLabs, Max Healthcare Services and Medanta.
- Health insurance and wellness services through NIA Health Insurance, Trueworth Wellness and Tata 1mg.

### **(VII) Technology, Software and Professional Tools**

To support digital transformation and improve professional efficiency, the Directorate facilitated access to a wide range of technology solutions and professional tools:-

- Practice Management, Audit and Compliance Solutions including PMS, AnyAudit, NESL IU Audit, Firmway, Click2Confirm and Simplify Practice Management Software.

- Accounting, Taxation and GST Solutions including Tally, GST Software KDK, TDS Software KDK, CA-TDSMAN, Speqta GST, AccuReco, Suvit and Wraptax.
- Business Productivity and Automation Solutions including Zoho, Easy Office, FYNONE, My Bill Book, Bill Mantra and Razorpay.
- Artificial Intelligence, Legal Research and Analytics Tools including VIDUR, Assure AI, Probe42, CLAonline and GovEVA.
- Digital Infrastructure and Security Solutions including Bharath Cloud, My Meet, Quick Heal Antivirus and Screenza.

### (VIII) Strategic Tie-ups and Value-added Services

The Directorate expanded the basket of member benefits through strategic collaborations with reputed organisations:-

- Knowledge and research support through Commercial Publication, CLAonline and CA/CS Proedge.
- Technology and digital solutions through Samsung, Google Pixel (Shivaami), GovEVA, VIDUR and AccuReco.
- Banking and financial service tie-ups with AU Small Finance Bank, HDFC Bank and Bank of Baroda.
- Healthcare partnerships with Apollo Diagnostics and other leading healthcare and diagnostic service providers.
- Strengthened the member benefit ecosystem through strategic collaborations across banking, healthcare, technology, professional services and knowledge solutions, providing Members and Students with enhanced access to value-added products and services.

### 9.2 CENTRE OF EXCELLENCE DIRECTORATE (CoED)

The Centre of Excellence Directorate (CoED) of ICAI functions as a key knowledge and thought leadership arm of the Institute, with a focus on capacity building, research, and policy-oriented initiatives. Guided by its vision to strengthen the professional competencies of members and contribute meaningfully to national economic priorities, the Directorate has undertaken several initiatives integrating advanced learning, structured knowledge dissemination and evidence-based policy advocacy. Through its research initiatives, flagship capacity-building programmes and knowledge series webcasts, CoED has further strengthened ICAI's position as a credible and trusted knowledge partner for policymakers and other stakeholders and remains committed to expanding collaborative networks and developing forward-looking insights for sustainable economic development.

### Major Achievements/Milestones of the Directorate for the year 2025-26

- **Knowledge Series Live Webcasts with Thought Leaders:** The Directorate organised 3 live webcasts with eminent thought leaders during the year, on the topics "Jamsetji Tata's Blueprint for Corporate Success", "Economic and Fiscal Implications of the Proposed 'One Nation, One Election' Initiative", and "State Capacity, Fiscal Federalism and the Future of Public Finances in India".
- **Research & Policy Advocacy Initiatives:** The Directorate continues to reinforce ICAI's position as a thought leader in policy discourse through well-researched and high-impact reports addressing emerging economic priorities and governance challenges, providing actionable inputs for policymakers while enabling members to gain deeper insights into the evolving business and regulatory environment.
- **Major Research Achievements:** The Directorate completed five significant research studies during the year, each contributing meaningfully to national policy discourse and development –
  - o *From Policy to Profit: Amplifying MSME Revenues in J&K through Targeted Government Initiatives*
  - o *Synchronising Democracy: The Economics of One Nation, One Election*
  - o *Hope in the Hills: Strengthening MSMEs in J&K through Comparative Policy Innovation*
  - o *Rise in Family Business Offices in Singapore*

o *Effective Logistics and Supply Chain Management for the Northeastern Region's Flower Industry*

The report "From Policy to Profit" was handed over to Hon'ble Chief Minister of Jammu & Kashmir, Shri Omar Abdullah, during the 445th Council Meeting held at Pahalgam, J&K, on 12th August 2025.

- **Advanced Flagship Programs:** Batch 2 of the Advanced Flagship Program "Empowering Trusted Advisors – Unlocking the Potential of Family Enterprises" was conducted at the ICAI Centre of Excellence, Hyderabad, continuing the Directorate's commitment to equipping members with deep domain expertise and practical skills for evolving business environments.
- **Ongoing Research Projects:** Intensive research work is underway on five further projects, namely an assessment of the accounting, auditing and legal framework of Panchayati Raj Institutions in Andhra Pradesh; Ten Years of the Women Director Mandate – Insights for Strengthening Gender-Inclusive Governance; the strategic role of MSMEs in nation-building and their contribution to Viksit Bharat 2047; and fostering India-Sri Lanka and India-Cambodia economic and sectoral collaboration.
- **Enhancing Research Facilities:** The Directorate continues to strengthen its research infrastructure by investing in advanced research software and access to renowned journal databases such as Prime Database, Prowess IQ, Prowess Dx, STATA and EBSCO, equipping members and researchers with the tools required for high-quality academic and professional research aligned with global standards.

### 9.3 CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION DIRECTORATE

The Continuing Professional Education Committee (CPE) (earlier named as Continuing Professional Education Committee) is a non-standing Committee of the Council of the ICAI entrusted with the task of setting strategic directions and overseeing CPE activities of POUs, members, etc. under the directions of the Council. During the year under review, the erstwhile Continuing Professional Education Committee (CPEC) was restructured and redesignated as the "CPE Directorate (CPED)" of ICAI for the Council Year 2026-27. The Directorate has been entrusted with strengthening the Continuing Professional Education framework of the Institute through structured learning, policy reforms, digital transformation and enhanced outreach initiatives aimed at ensuring the continuous professional development of members.

The CPE Directorate continued to promote lifelong learning and professional excellence by organising and facilitating high-quality educational programmes across the country and abroad through its extensive network of Programme Organising Units (POUs). During the period under review, the Directorate held seven meetings, including meetings of the erstwhile CPEC and the newly constituted CPED, at New Delhi and Jaipur for the deliberation and implementation of key policy initiatives and reforms.

#### (I) Expansion of the CPE Network

One of the major achievements of the Directorate was the expansion of the CPE network in remote and underserved regions. A comprehensive exercise undertaken during the year identified 851 prospective locations, comprising 260 potential Study Chapters and 591 Study Groups at the district and tehsil levels. Consequent to this initiative, 17 new CPE POUs, including Study Circles, Study Chapters and Study Groups, were established, significantly enhancing the geographical reach and accessibility of professional education initiatives.

#### (II) Reform-Oriented Initiatives

The CPE Directorate undertook several reform-oriented initiatives approved by the Council to strengthen the CPE framework and improve operational efficiency. These included: (a) revision in the minimum fee structure for CPE programmes; (b) enhancement in the fixed asset purchase limits for Study Chapters; (c) rationalisation of seminar limits for Central Committees; (d) reduction in the minimum



duration of technical sessions for flagship events; (e) revision in the CPE hours requirements effective from Calendar Year 2026; and (f) simplification of exemption norms for members. Further, the Directorate facilitated voluntary contributions towards the Chartered Accountants' Benevolent Fund (CABF) through the new DigiCA CPE Portal and reviewed the grant guidelines for Study Chapters to ensure improved accountability and the regular conduct of programmes.

### (III) DigiCA CPE Portal

In order to modernise and streamline the CPE ecosystem, the Directorate progressed significantly towards the implementation of the DigiCA CPE Portal, a comprehensive digital platform aimed at ensuring automation, transparency, real-time attendance tracking, efficient programme approvals and a seamless experience for members and Programme Organising Units. The portal is expected to significantly improve programme management, monitoring, compliance and the accessibility of CPE activities.

### (IV) Knowledge Dissemination and Programmes

- The Directorate released the Annual CPE Calendar for 2025-26 and published the 23rd Edition of the "CPE Bulletin", highlighting major initiatives, developments and policy decisions undertaken during the year.
- The Directorate organised 136 programmes directly for members, including National Conferences, Residential Refresher Courses, Seminars, Workshops and Webinars, covering diversified and contemporary professional subjects.
- Through its strong network of 709 CPE Programme Organising Units across India and abroad, the Directorate facilitated large-scale professional learning activities. During the period from 1st April 2025 to 30th April 2026, a total of 9,127 physical and virtual CPE events were organised, with the participation of 8,59,447 members. These programmes resulted in the grant of 49,157 CPE hours and the generation of 50,79,228 Structured CPE hours.
- The Directorate also facilitated the organisation of several national-level educational initiatives by various POUs and Central Committees, including 1,228 live webcasts/webinars, 652 Certificate Course batches, 72 Post-Qualification Course batches, foreign language learning programmes in Japanese, Spanish and French, and Pre-registration Education Course batches conducted by ICAI RVO and IIIPI.

### (V) Supporting Government Endeavours through Topic-specific CPE Programmes

ICAI supports various Government endeavours through its strong network of 709 CPE POUs by organising topic-specific CPE programmes across the country in both physical and virtual modes, as under:

| Sl. No. | Topic of CPE Programme                                 | No. of Programmes (1.4.2025 to 30.4.2026) |
|---------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1       | Artificial Intelligence                                | 1,781                                     |
| 2       | GST and GST Audit                                      | 1,296                                     |
| 3       | Standards on Auditing                                  | 524                                       |
| 4       | Ethical Standards, Code of Ethics, Professional Ethics | 259                                       |
| 5       | MSME, Ease of Doing Business in India, Start-ups       | 253                                       |
| 6       | Business, Banking and Insurance, Financial Services    | 184                                       |

| Sl. No. | Topic of CPE Programme                                                                              | No. of Programmes (1.4.2025 to 30.4.2026) |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 7       | RERA                                                                                                | 140                                       |
| 8       | Companies Act                                                                                       | 101                                       |
| 9       | Soft Skills, Stress Management, Lifestyle Management where Yoga is a way of life, Work-Life Balance | 79                                        |
| 10      | Insolvency and Bankruptcy Code                                                                      | 62                                        |
| 11      | Business Responsibility and Sustainability Reporting                                                | 55                                        |
| 12      | AQMM                                                                                                | 46                                        |

The initiatives undertaken during the year have significantly strengthened the professional learning ecosystem of ICAI and reinforced the Institute's commitment towards continuous professional development, technological advancement, accessibility and professional excellence for its members.

#### **9.4 DIGITAL RE-ENGINEERING AND TRANSFORMATION DIRECTORATE (DRTD)**

The Digital Re-Engineering and Transformation Directorate (DRTD) continued to drive ICAI's digital transformation agenda during the year, strengthening digital governance, automation and online service delivery for members, students and internal stakeholders. The key initiatives undertaken during the period under report are as under:

##### **(I) Enterprise Document Management System (DMS) Implementation across Regional Offices**

ICAI successfully completed a large-scale Document Management System (DMS) project for all five Regional Offices on a war footing, resulting in the digitisation and archival of over 8 crore documents. The initiative has significantly strengthened centralised record management, secure document retrieval, preservation of legacy records, operational efficiency and digital governance across the Institute. The project marks a major milestone towards ICAI's vision of a paperless, technology-driven and efficiently managed institutional ecosystem.

##### **(II) Digital Credentials on DigiLocker**

ICAI enabled the issuance of Membership Identity Cards and Examination Marksheets through DigiLocker, strengthening secure digital access and paperless service delivery for members and students. The initiative facilitates anytime, anywhere availability of authenticated academic and professional credentials, aligned with the Government of India's Digital India vision and an enhanced digital governance framework.

##### **(III) Common Website Layout and Standardised Digital Identity for ICAI Branches through Centralised CMS**

ICAI continued its digital transformation initiative by implementing a centralised Content Management System (CMS) for Branch websites, enabling a common layout, a standardised design framework and a unified digital identity across the ICAI network. As on 30th April 2026, applications from 48 Branches were received, out of which 36 Branch websites were successfully developed and shared. The initiative ensures consistency in branding, improved accessibility, enhanced security, ease of content management and compliance with ICAI web policies. To support Branches in strengthening their digital presence, ICAI Headquarters bore the major cost towards website development, AWS cloud hosting and onboarding support, thereby enabling Branches to establish a professional and cost-effective digital ecosystem.

#### **(IV) Launch of the ICAI Snapshots Portal for Centralised Digital Record Management**

ICAI launched the "Snapshots" Portal as a centralised digital repository and document management platform for Committees, Boards, Departments, Regional Councils, Branches and various ICAI portals/applications. The portal has been designed to facilitate the secure storage, systematic organisation, easy retrieval and efficient sharing of official documents, reports, circulars, meeting records, selected photographs and other institutional data. The platform also serves as a dedicated repository for MoU/MRA agreements executed with Governments, trade organisations, universities, professional bodies and technology partners, along with the list of ICAI portals and applications and Non-Disclosure Agreements (NDAs) with vendors. The initiative aims to strengthen digital governance, preserve institutional memory, improve operational efficiency and promote a paperless working environment across ICAI, while enhancing collaboration, accessibility, secure archival and the long-term preservation of important organisational records, strategic partnerships and key milestones of the Institute.

#### **(V) ENGAGE Platform – An Integrated Centralised Mass Communication Mechanism for ICAI's Regional Councils and Branches**

The DRT Directorate developed 'ENGAGE', a centralised communication platform enabling ICAI Regional Councils and Branches to send mass emails and SMS to members and students within their jurisdiction in a secure and efficient manner. The platform has been rolled out to all Regional Councils and Branches after a round of demonstrations and training for the officers and staff of all five Regional Councils and Branches, in coordination with the RBA Directorate of ICAI. As on 30th April 2026, ENGAGE login credentials have been shared with all 186 Branches of ICAI, out of which 55 Branches are using the mass e-mail services and 26 Branches are using the SMS services through the platform. The DRTD Secretariat is organising periodic training sessions on the ENGAGE platform for all Regional Councils and Branches.

#### **(VI) ICAI Digital Learning Hub**

The ICAI Digital Learning Hub is an initiative aimed at leveraging technology to provide enhanced learning opportunities and resources to members, students and other stakeholders. By centralising educational materials and resources in a digital format, the Hub facilitates easy access to a wide range of learning content, including e-books, webinars, courses and interactive modules, promoting continuous professional development and ensuring that users can access high-quality educational content anytime and anywhere. The Hub has evolved over the years, with various customisations and alignment of ICAI processes enabled for the conduct of virtual and physical courses. It is currently being used by the Central Committees for Certificate Courses, Post-Qualification Courses, Refresher Courses, CPE events and online self-paced courses, and has been extended to ICAI Branches and Regional Councils for conducting their virtual CPE events and web lectures. The Digital Learning Hub broadly provides the following facilities to its stakeholders:

- Knowledge repository for professional and academic learning, with content delivery providing access to courses, lectures and other learning materials.
- Learning content in multiple formats (documents, PPTs, video, audio, SCORM) tailored to suit every learner.
- Leader board feature showcasing credits achieved, and badges to members based on CPE hours earned.
- Structured and Unstructured CPE hours credits for ICAI members.
- Communities to share ideas.
- Course access to Government officials, bank officials and MRA/MoU/SAFA members, along with Skill India courses for non-members.
- Certificates generated for learners on successful completion of examinations.

### **(VII) Online Mode of Service Delivery for Members, Students and Internal ICAI Stakeholders**

- **Centralised Online Portal:** Maintenance of the centralised online portal of ICAI (<https://icai.org/>) to serve as a one-stop solution for various services and resources for members, students and internal stakeholders.
- **Virtual Meetings and Conferences:** Implemented platforms for virtual meetings, conferences and events, ensuring seamless communication and engagement across different ICAI Committees/Departments and Regional Offices.
- **Helpdesk and Support:** Established online helpdesk and support services to provide real-time assistance and resolution of queries for members and students.
- **Mobile Applications:** Developed mobile applications to provide on-the-go access to ICAI services, resources and updates, enhancing user convenience.
- **Cloud-Based Solutions:** Adopted cloud-based solutions to ensure scalability, data security and remote access to ICAI's digital infrastructure and services.
- **Remote Work Facilitation:** Implemented technologies and platforms to support remote work for ICAI officials and Committees/Departments, ensuring uninterrupted administrative and operational activities.
- **Data Analytics and Reporting:** Leveraged data analytics tools to monitor service usage, gather feedback and generate reports to continuously improve service delivery and user experience.
- **Compliance and Security:** Ensured that all online services comply with regulatory standards and incorporated robust cybersecurity measures to protect user data and maintain the integrity of ICAI's digital platforms.

### **(VIII) Technological Support Provided to Other Departments/Committees of ICAI**

- **GeM Portal:** Successfully created and is maintaining the administrative setup of the GeM Buyer account for ICAI on the Government e-Marketplace (GeM) Portal.
- **Statistical Dashboard:** Developed and is maintaining the dashboard for members- and students-related statistical information.
- **Tracker.icai.org:** The payment tracking portal has been developed and is maintained by the DRTD.

## **9.5 ESTATE DEVELOPMENT DIRECTORATE (EDD)**

The Estate Development Directorate (EDD) administers matters relating to the release of Capital Grants to Units of ICAI, including Regional Councils, Branches, DCOs, and Centres of Excellence (COEs), for repair and renovation works, additions, internal modifications, and small construction activities up to ₹200 lakhs. The several key initiatives towards infrastructure standardisation, sustainability, and digital governance, are given below:-

### **(I) Infrastructure Standardisation**

Under the theme "My Estate, My Pride," EDD launched Project SHIELD – the Sustainable Infrastructure Initiative – to promote sustainable and environmentally responsible infrastructure management across ICAI establishments nationwide. The project lays down a unified framework for branding, signage, and the upkeep of ICAI premises, ensuring that every Unit reflects a consistent and dignified institutional identity. As part of the brand building exercise, EDD continued the installation of uniform glow signage and standardised painting of ICAI buildings across the country, reinforcing visual consistency and strengthening the Institute's public image.

### **(II) Installation of Solar Power Plants**

In furtherance of the Institute's commitment to clean energy and sustainability, EDD continued the installation of solar power plants at various ICAI establishments. The initiative aims to reduce the

Institute's carbon footprint, lower energy costs, and demonstrate ICAI's leadership in adopting renewable energy solutions across its nationwide network of offices.

### **(III) Review of Safety and Accessibility Infrastructure**

EDD conducted a comprehensive review of firefighting systems, lift facilities, accessibility provisions for specially-abled persons, and rainwater harvesting systems across 129 ICAI Units. This exercise was undertaken to assess the current state of safety, accessibility, and environmental compliance infrastructure, and to identify Units requiring upgradation. The review forms the basis for a structured action plan to bring all Units up to uniform safety and accessibility standards.

### **(IV) Automation of Directorate Processes**

EDD continued the automation of its processes through dedicated software for Capital Budget management, asset tracking, and workflow monitoring. The automation initiative has significantly enhanced efficiency, transparency, and governance in the processing and disbursement of Capital Grants, enabling real-time tracking of project status and financial utilisation across ICAI Units.

### **(V) ICAI Reading Room Initiatives**

EDD undertook detailed surveys and collected status reports from ICAI Units to assess existing Reading Room infrastructure, student usage patterns, and operational feasibility. Based on the findings of this exercise, the ICAI Reading Room Policy 2025 was formulated and approved in August 2025. The policy introduces simplified norms, defines infrastructure standards, and streamlines approval procedures for the establishment and management of Reading Rooms across the country, ensuring a consistent and student-friendly experience at all locations.

To support implementation of the policy, EDD launched Project SHABD – Students Hub for Aspirations and Building Dreams – for the creation of modern Reading Hubs equipped with improved study facilities and student-centric amenities. EDD also organised orientation sessions and webinars for Regional Councils, Branches, and student representatives on the provisions of the policy and the associated funding mechanisms, ensuring smooth and uniform adoption across the Institute's network.

## **9.6 FINANCIAL AND TAX LITERACY DIRECTORATE**

In line with the Government of India's *Vittiya Saksharta Abhiyaan*, the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), through its Financial and Tax Literacy Directorate (now merged with Financial Markets and Investors' Awareness Committee (FM&IAC)), continued its efforts during 2025–26 to promote financial and tax literacy among the public. Guided by the motto '*Har Jan, Har Man, Vittiagyam se Sampann*', the Directorate expanded its outreach through strategic collaborations with Government Departments, State Rural Livelihood Missions, educational institutions, and other organisations, while also leveraging digital and mass media platforms to enhance financial awareness across diverse sections of society, including students, teachers, government officials, women self-help groups, agriculturists, senior citizens, enforcement personnel, scientists, scholars, housewives, and local communities.

### **(I) Key Initiatives**

#### **• Financial Literacy for Government Functionaries**

The Directorate conducted specialised financial literacy workshops for administrative officials at the Chief Minister's Secretariat, Meghalaya, and organised sessions at the Governor's Houses of Uttarakhand and Meghalaya to strengthen financial awareness among government functionaries.

**• Financial Inclusion at the Grassroots Level**

To promote financial inclusion, the Directorate organised dedicated financial literacy programmes for Women Self-Help Groups across Meghalaya, Mizoram, Tripura, Arunachal Pradesh, Sikkim, and the Andaman & Nicobar Islands in collaboration with the respective State Rural Development Departments and Rural Livelihood Missions, reaching over 1,000 SHGs.

**• Citizen Engagement through MyGov Platform**

The Directorate leveraged the Government of India's MyGov platform to deepen citizen engagement, reaching over 46,950 individuals through quizzes, slogan-writing, poster-making, reel-making, and poetry competitions on financial literacy themes.

**• Nationwide Outreach Campaign**

The Directorate launched the nationwide '**Vittiyagyan – ICAI Ka Abhiyan**', comprising financial literacy workshops and practical sessions organised through ICAI Regional Councils and Branches, along with a multilingual radio awareness campaign in 10 Indian languages that reached over 3.93 crore listeners by simplifying complex financial concepts for the general public.

**• Financial Literacy Week 2025**

Financial Literacy Week was observed from 17–23 August 2025 with the support of ICAI's five Regional Councils and 185 Branches, during which awareness programmes were organised across the country, reaching over 3,000 participants.

**(II) Major Achievements****World Record Recognition**

The Financial and Tax Literacy Directorate established a world record by conducting over 190 Financial and Tax Literacy programmes across the country within nine months (March–November 2025), earning recognition from the World Book of Records, London.

**(III) Institutional Outreach Programmes**

The Directorate conducted Financial and Tax Literacy workshops at various government institutions, educational establishments, and uniformed services organisations, including the National Institute of Immunology, Indian National Science Academy, Regional Centre for Biotechnology, National Cadet Corps, Bharat Scouts and Guides, leading colleges, the Central Reserve Police Force, and the Central Bureau of Investigation, thereby further expanding the reach and impact of its financial literacy initiatives nationwide.

**9.7 GRIEVANCE RESOLUTION DIRECTORATE**

Grievance Resolution Directorate (GRD) (now merged with Members & Students Services Directorate) was a centralized department of ICAI formed to oversee the support system for our students, members and other stakeholders for their engagement with institute's various activities which is delivered through multiple departments, committees dealing in respective areas. The GRD facilitates timely and effective grievance redressal through multiple channels, including Call Sahayata, E-Sahayata, dedicated email support, and social media. The Directorate focuses on active process monitoring, timeliness, root cause analysis, coordination with all stakeholders ensuring transparency, trust, and overall stakeholder satisfaction.

**Call Sahayata**

ICAI Call Sahayata (9997599975) operates from 09:00 AM To 09:00 PM, Monday to Saturday, except on gazetted holidays, enabling students, members and stakeholders to reach ICAI primarily through inbound calls for their queries. Calls received during operational hours are routed through and Interactive Voice Response(IVR) system, ensuring effective inbound calls management. Queries received outside operational hours are captured through the IVR and are addressed during working hours through callbacks. The helpline handles both general information and service-related queries in an efficient and systematic manner.

## Multilingual Support, Operational KPIs and Statistical Analysis

Call Sahayata continued to provide stakeholder support in Hindi, English and nine regional languages, ensuring wider accessibility across India. The language-wise call handling pattern reflected Hindi as the major medium of communication at 53.85%, followed by English at 33.21% and regional languages at 12.94%. Regional language support was available in Tamil, Telugu, Marathi, Kannada, Assamese, Kashmiri, Punjabi, Odia and Bengali, enabling stakeholders from different parts of the country to seek assistance in their preferred language and improving the overall inclusiveness of the grievance redressal mechanism.

During the year, Call Sahayata performance was monitored through defined operational KPIs to ensure service quality, responsiveness and effective stakeholder support. The facility handled a total call volume of over 10.34 lakh calls with support from 84 agents. Of the total call activity, 76.86% related to inbound calls and 23.14% to outbound calls. The average talk time for inbound calls was 4.70 minutes, with more than 2,500 calls handled per day. Peak call traffic was generally observed between 10:00 AM and 5:00 PM. Around 82% of calls were from students, followed by members and other stakeholders. The highest inbound call volume was recorded on 7th July 2025, coinciding with the CA course result announcement, while the highest outbound call activity was recorded on 3rd April 2025.

## E-Sahayata (e-Tickets)

It is an online grievance redressal platform accessible at <https://eservices.icai.org/> through which students and members can raise tickets directly. In cases where stakeholders are not satisfied with the support received or where resolution is delayed, tickets may also be raised through Call Sahayata agents on their behalf. It functions based on ICAI activities and the officers responsible for those activities, referred to as the escalation matrix, which is critical for effective grievance resolution

## Performance Highlights Summary

E-Sahayata continued to serve as an effective online grievance redressal platform for students and members, ensuring timely support and structured escalation through the ICAI activity-based escalation matrix. During February 2025 to January 2026, the platform handled 30,874 grievances, out of which 30,791 tickets were successfully closed, achieving an impressive 99% resolution rate. The platform also demonstrated strong operational efficiency, with 85.51% of tickets resolved within one week, reflecting prompt response, effective coordination, and commitment to stakeholder satisfaction.

## Comprehensive Training for Enhanced Grievance Support (2025–2026)

During 2025–2026, the Grievance Redressal Department (GRD) conducted 21 comprehensive training sessions for the Call Sahayata Team to enhance grievance handling. Designed using trend analysis and recurring queries, these sessions involved close collaboration with key departments, including CA Exam, Articleship, UDIN, CPE, SSP, Campus Placement, BOS Scholarship, PDC, and Member Training. Additionally, GRD proactively coordinated with these departments to update FAQs, ensuring stakeholders always receive the most accurate and up-to-date information.

## Key Service Enhancements and Digital Initiatives

- **Rationalization of Call Categories:** Call categories (dispositions and sub-dispositions) were comprehensively reviewed to improve relevance, simplify call classification, and generate meaningful insights. The categories were rationalized from over 170 sub-disposition options to 7 primary dispositions (Student, Examination, Articles, CDS, Member, Firm, and Committee) with 85 streamlined sub-dispositions, enabling more accurate categorization and efficient handling of stakeholder queries.
- **Enhancement of E-Sahayata System:** The E-Sahayata escalation matrix was comprehensively reviewed to simplify activities, standardize categories, and ensure correct officer mapping for faster grievance resolution. The matrix was updated across Regions, Committees, Departments, Boards, and Directorates, with query options rationalized from 377

to 122. Additionally, a self-service password reset facility, along with a user guide, was introduced for Department/Committee users, reducing login issues and improving grievance resolution timelines.

- **Optimization of Interactive Voice Response (IVR) System:** The **Interactive Voice Response (IVR)** system, an automated telephony system that guides callers through voice prompts and keypad inputs, was optimized by simplifying the menu structure and eliminating redundant options to reduce call hang-ups and enable faster connectivity for stakeholders. The revised IVR framework was implemented. Additionally, regular follow-up with the call service provider reduced the average call connection time from 7–8 seconds to 4–5 seconds, further enhancing the stakeholder experience.
- **SMS Integration in Call Sahayata:** Earlier, SMS alerts for grievance tickets generated through Call Sahayata were not available. During the year, SMS notifications were introduced, enabling stakeholders to receive instant ticket confirmations after calls and facilitating easier tracking of grievances, thereby enhancing transparency and communication.
- **Initiative for Updated FAQs:** The Directorate proactively followed up with Departments, Committees, Boards, and Directorates to update and standardize FAQs, with the objective of providing concise, accurate, and up-to-date information through the [ICAI Call Sahayata Portal](#), ensuring easier access, an improved user experience, and enhanced self-service for stakeholders.

## 9.8 HUMAN RESOURCES DIRECTORATE

The Human Resources Directorate of ICAI (now Human Resource Department) focused on HR-related matters across all offices of ICAI, such as recruitment, transfer and rotation, performance management, and training and development. HRD continued to strengthen the Institute's talent acquisition efforts during the year, wherein recruitment for middle and senior-level positions was carried out through advertisements and interviews. 43 new employees joined various branches across India under the Branch Human Resource Scheme (BHRS) 2022. With ICAI's expanding footprint and evolving responsibilities, the Human Resources Department remains committed to building an agile and future-ready workforce through strategic HR initiatives, continuous capacity building, and a culture of professionalism, inclusivity, and high performance.

The development of a Human Resource Management System (HRMS) and a mobile-based Employee Self-Service (ESS) application was initiated to integrate various HR processes and enable employees to access HR services more efficiently. Group Term Life Insurance coverage was also introduced for employees to provide financial support to their families in the event of any unforeseen circumstances.

The key initiatives during the year are as under:

- **Recruitment:** Recruitment under the Branch Employees Human Resource Scheme, 2022 was undertaken to augment resources at various Branch offices. Additionally, the recruitment process for key positions at the Head Office was also initiated.
- **Employee Welfare:** Initiatives such as insurance coverage for regular employees through a Group Term Life Insurance policy and a Directors' & Officers' Liability policy were taken to provide coverage.
- **HR Automation:** It was decided to implement a comprehensive Human Resource Management System (HRMS) to enable the delivery of all HR processes on a single platform; accordingly, the automation of HR data through the HRMS package has been initiated.

## 9.9 LEGAL DIRECTORATE

Legal Directorate is responsible for the enforcement and compliance with the provisions of the Chartered Accountants Act, 1949 and Rules & Regulations made thereunder. It takes necessary action to protect and defend the interest of the Institute in the cases filed against it, provides legal opinions to various Departments within ICAI on adherence to the statutory mandate, defends regulatory actions



in various courts, collaborates with other Departments to enforce regulations and penalize violations as per the statutory mandate.

The significant legal developments concerning the Institute and the profession during the year are as under:

### **(I) Supreme Court Rules in Favour of Chartered Accountants – Parity with Advocates for Appointment as Member (Accountant), ITAT**

The Hon'ble Supreme Court restored parity between Chartered Accountants and Advocates in the matter of the minimum experience criteria for appointment as Members of the Income Tax Appellate Tribunal (ITAT). In a landmark judgement pronounced on 20th November 2025, a Bench of the Hon'ble Supreme Court comprising the Chief Justice of India and Justice K. Vinod Chandran invalidated the rule requiring 25 years of experience for the post of Member (Accountant) of the ITAT. The ruling places Chartered Accountants on a par with Advocates regarding the minimum experience criteria and sets right the injustice to Chartered Accountants under the Rules, which prescribed a minimum experience of 25 years for a Chartered Accountant to be considered for the post of Member (Accountant) as against only 10 years for Advocates to be considered for the post of Member (Judicial).

Historically, the minimum experience requirements for both Chartered Accountants and Advocates were the same, before the new Rules disturbed this parity to the disadvantage of Chartered Accountants.

The judgement restores the status quo between Advocates and Chartered Accountants in the matter of the minimum experience requirement, which had occupied the field for many years.

### **(II) Directions of the Hon'ble Supreme Court in Himanshu Singh vs. UOI (the "Supertech Case")**

The Hon'ble Supreme Court of India, on 29th April 2025, in the case of Himanshu Singh vs. Union of India (popularly known as the Supertech Case), issued various directions to the Government of India, the Ministry of Housing and Urban Affairs, RERA, the RBI, the CBI and ICAI. More than 170 petitions were filed by over 1,200 home buyers in the Supreme Court alleging the systematic failure of statutory and government authorities to discharge their statutory functions, the circumvention of the regulatory framework by banks and housing finance corporations, and the resultant illicit benefits said to have been drawn by builders/developers, with home buyers bearing the brunt of such failures.

In so far as ICAI is concerned, the Hon'ble Court directed as follows:

*"19. The President, Institute of Chartered Accountants of India is directed to deploy three Chartered Accountants, who are well conversant with the process of forensic audit and place them at the disposal of CBI to assist the Bureau/SIT in the matter of subject enquiry/investigations. The details of the remuneration to be paid to these Chartered Accountants be forwarded to this Court so that an appropriate order in that regard can be passed on the next date of hearing."*

### **9.10 MEMBERS & STUDENTS SERVICES DIRECTORATE (M&SS)**

The Members & Students Services (M&SS) Directorate is one of the key functional Directorates of the Institute entrusted with administering the regulatory, operational and service-related functions concerning members, students and firms in accordance with the provisions of the Chartered Accountants Act, 1949, the Chartered Accountants Regulations, 1988, and the Guidelines, decisions and directions issued by the Council, the Executive Committee and the Management Committee from time to time.

The Directorate serves as the principal interface for delivering a wide range of services relating to enrolment, admission to fellowship, grant and restoration of Certificate of Practice, registration and regulation of firms, practical and industrial training, student registration and allied services,

maintenance of statutory records and registers, issuance of various certificates and identity cards, organisation of convocations, publication of statutory notifications, and grievance redressal.

With the Institute's growing membership and student base and the increasing emphasis on technology-enabled governance, the Directorate continues to strengthen service delivery by simplifying procedures, ensuring effective implementation of regulatory policies, enhancing digital services through the Self-Service Portal (SSP), promoting paperless processes, developing efficient monitoring and management information systems, and improving coordination across the Head Office and Regional Offices.

The Directorate also operates a dedicated grievance redressal mechanism through E-Sahaayataa and Call Sahaayataa, ensuring timely, transparent and responsive resolution of concerns raised by members, students and firms. Through these initiatives, the Directorate remains committed to providing efficient, accountable and stakeholder-centric services while supporting the Institute's objective of excellence in professional administration.

### (I) Membership

During the year ended 31st March 2026, 29,720 new members were enrolled by ICAI, bringing the total membership to 4,52,825 as on 1st April 2026. During the year, 3,761 Associate members were admitted as Fellows, in comparison to the figure of 3,677 in the previous year.

#### Total Members as on 01.04.2026:

| Category of Members   | Fellow (1) | Associate (2) | Total of Columns (1) and (2) |
|-----------------------|------------|---------------|------------------------------|
| In Full-Time Practice | 1,00,846   | 58,041        | 1,58,887                     |
| In Part-Time Practice | 1,936      | 5,175         | 7,111                        |
| Not in Practice       | 20,373     | 2,66,454      | 2,86,827                     |
| Total                 | 1,23,155   | 3,29,670      | 4,52,825                     |

#### Region-wise Membership as on 01.04.2026:

| Region   | Fellow Full Time Practice | Fellow Part Time Practice | Fellow Not in Practice | Fellow Total | Associate Full Time Practice | Associate Part Time Practice | Associate Not in Practice | Associate Total | Grand Total |
|----------|---------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| Western  | 29,410                    | 476                       | 5,770                  | 35,656       | 19,029                       | 1,797                        | 88,791                    | 1,09,617        | 1,45,273    |
| Southern | 21,636                    | 536                       | 4,760                  | 26,932       | 11,608                       | 1,310                        | 62,105                    | 75,023          | 1,01,955    |
| Eastern  | 8,550                     | 138                       | 1,699                  | 10,387       | 3,629                        | 339                          | 17,487                    | 21,455          | 31,842      |
| Central  | 21,753                    | 350                       | 3,255                  | 25,358       | 13,190                       | 727                          | 50,179                    | 64,096          | 89,454      |
| Northern | 19,497                    | 436                       | 4,889                  | 24,822       | 10,585                       | 1,002                        | 47,892                    | 59,479          | 84,301      |
| Total    | 1,00,846                  | 1,936                     | 20,373                 | 1,23,155     | 58,041                       | 5,175                        | 2,66,454                  | 3,29,670        | 4,52,825    |

**(II) Convocation**

Since November 2008, the Institute has been organising Convocations to award membership certificates to newly enrolled members. In the year 2025-26, the M&SS Directorate conducted two rounds of Convocation: one on 25th August 2025 and the second on 29th December 2025. These events were held at 15 locations across India, including Ahmedabad, Bengaluru, Chandigarh, Chennai, Ghaziabad, Hyderabad, Vijayawada, Indore, Jaipur, Kolkata, Ludhiana, Mumbai, Delhi and Pune, where a total of 33,686 newly enrolled Chartered Accountants received their certificates.

**STATISTICS AT A GLANCE**  
**MEMBERS REGISTERED**

(From 1<sup>st</sup> April, 2007)

**TABLE I**

| <b>Year<br/>(As on)</b>        |                              | <b>Western<br/>Region</b> | <b>Southern<br/>Region</b> | <b>Eastern<br/>Region</b> | <b>Central<br/>Region</b> | <b>Northern<br/>Region</b> | <b>TOTAL</b>              |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>st</sup> April,<br>2007 | Associate<br>Fellow<br>Total | 31159<br>16896<br>48055   | 18237<br>13646<br>31883    | 7829<br>6488<br>14317     | 9642<br>8882<br>18524     | 14182<br>12880<br>27062    | 81049<br>58792<br>139841  |
| 1 <sup>st</sup> April,<br>2008 | Associate<br>Fellow<br>Total | 32364<br>17646<br>50010   | 19203<br>14034<br>33237    | 7939<br>6738<br>14677     | 10045<br>9472<br>19517    | 14642<br>13398<br>28040    | 84193<br>61288<br>145481  |
| 1 <sup>st</sup> April,<br>2009 | Associate<br>Fellow<br>Total | 34294<br>18442<br>52736   | 20666<br>14516<br>35182    | 8193<br>7002<br>15195     | 10578<br>10007<br>20585   | 15951<br>13951<br>29902    | 89682<br>63918<br>153600  |
| 1 <sup>st</sup> April,<br>2010 | Associate<br>Fellow<br>Total | 36390<br>19181<br>55571   | 21733<br>15076<br>36809    | 8512<br>7192<br>15704     | 11252<br>10615<br>21867   | 17104<br>14461<br>31565    | 94991<br>66525<br>161516  |
| 1 <sup>st</sup> April,<br>2011 | Associate<br>Fellow<br>Total | 38608<br>19831<br>58439   | 22998<br>15612<br>38610    | 9154<br>7406<br>16560     | 12329<br>11182<br>23511   | 18547<br>14943<br>33490    | 101636<br>68974<br>170610 |
| 1 <sup>st</sup> April,<br>2012 | Associate<br>Fellow<br>Total | 45273<br>20510<br>65783   | 25505<br>16132<br>41637    | 11069<br>7578<br>18647    | 15963<br>11720<br>27683   | 23332<br>15431<br>38763    | 121142<br>71371<br>192513 |
| 1 <sup>st</sup> April,<br>2013 | Associate<br>Fellow<br>Total | 52846<br>21522<br>74368   | 28020<br>16918<br>44938    | 13258<br>7815<br>21073    | 20606<br>12327<br>32933   | 27743<br>16051<br>43794    | 142473<br>74633<br>217106 |
| 1 <sup>st</sup> April,<br>2014 | Associate<br>Fellow<br>Total | 56595<br>22313<br>78908   | 29401<br>17460<br>46861    | 14035<br>8007<br>22042    | 22978<br>12915<br>35893   | 29467<br>16508<br>45975    | 152476<br>77203<br>229679 |
| 1 <sup>st</sup> April,<br>2015 | Associate<br>Fellow<br>Total | 60229<br>22838<br>83067   | 30126<br>17864<br>47990    | 14514<br>8137<br>22651    | 24702<br>13441<br>38143   | 31137<br>16986<br>48123    | 160708<br>79266<br>239974 |
| 1 <sup>st</sup> April,<br>2016 | Associate<br>Fellow<br>Total | 64235<br>23700<br>87935   | 31919<br>18495<br>50414    | 15046<br>8223<br>23269    | 27353<br>14071<br>41424   | 32774<br>17521<br>50295    | 171327<br>82010<br>253337 |
| 1 <sup>st</sup> April,<br>2017 | Associate<br>Fellow<br>Total | 67746<br>25742<br>93488   | 33591<br>19711<br>53302    | 15580<br>8718<br>24298    | 30036<br>15618<br>45654   | 34632<br>18933<br>53565    | 181585<br>88722<br>270307 |
| 1 <sup>st</sup> April,<br>2018 | Associate<br>Fellow<br>Total | 70683<br>26736<br>97419   | 34733<br>20280<br>55013    | 15606<br>8912<br>24518    | 32094<br>16494<br>48588   | 36988<br>19667<br>56655    | 190104<br>92089<br>282193 |
| 1 <sup>st</sup> April<br>2019  | Associate<br>Fellow<br>Total | 72296<br>28747<br>101043  | 34352<br>21437<br>55789    | 15547<br>9418<br>24965    | 33522<br>18337<br>51859   | 37129<br>20895<br>58024    | 192857<br>98841<br>291698 |
| 1 <sup>st</sup> April<br>2020  | Associate<br>Fellow          | 74285<br>28860            | 38405<br>21495             | 15735<br>9295             | 38453<br>19017            | 40877<br>20816             | 207755<br>99483           |

|                            |           |        |        |       |       |       |        |
|----------------------------|-----------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
|                            | Total     | 103145 | 59900  | 25030 | 57470 | 61693 | 307238 |
| 1 <sup>st</sup> April 2021 | Associate | 79234  | 42606  | 16436 | 41589 | 43479 | 223344 |
|                            | Fellow    | 30022  | 22393  | 9485  | 20199 | 21638 | 103737 |
|                            | Total     | 109256 | 64999  | 25921 | 61788 | 65117 | 327081 |
| 1 <sup>st</sup> April 2022 | Associate | 83875  | 47065  | 17363 | 46271 | 46301 | 240875 |
|                            | Fellow    | 31960  | 23559  | 9791  | 21580 | 22673 | 109563 |
|                            | Total     | 115835 | 70624  | 27154 | 67851 | 68974 | 350438 |
| 1 <sup>st</sup> April 2023 | Associate | 91043  | 54155  | 18856 | 52092 | 50351 | 266497 |
|                            | Fellow    | 32736  | 24136  | 9916  | 22318 | 23016 | 112122 |
|                            | Total     | 123779 | 78291  | 28772 | 74410 | 73267 | 378619 |
| 1 <sup>st</sup> April 2024 | Associate | 98244  | 62081  | 19026 | 54837 | 53712 | 287900 |
|                            | Fellow    | 33826  | 24985  | 10040 | 23233 | 23633 | 115717 |
|                            | Total     | 132070 | 87066  | 29066 | 78070 | 77345 | 403617 |
| 1 <sup>st</sup> April 2025 | Associate | 101770 | 67800  | 19934 | 58407 | 55799 | 303710 |
|                            | Fellow    | 34648  | 26013  | 10192 | 24301 | 24240 | 119394 |
|                            | Total     | 136418 | 93813  | 30126 | 82708 | 80039 | 423104 |
| 1 <sup>st</sup> April 2026 | Associate | 109617 | 75023  | 21455 | 64096 | 59479 | 329670 |
|                            | Fellow    | 35656  | 26932  | 10387 | 25358 | 24822 | 123155 |
|                            | Total     | 145273 | 101955 | 31842 | 89454 | 84301 | 452825 |

**MEMBERS***(From 1<sup>st</sup> April, 1950)***TABLE II**

| <b>Year (As on)</b>               | <b>Associate</b> | <b>Fellow</b> | <b>Total</b> |
|-----------------------------------|------------------|---------------|--------------|
| As on 1 <sup>st</sup> April, 1950 | 1,120            | 569           | 1,689        |
| As on 1 <sup>st</sup> April, 1951 | 1,285            | 672           | 1,957        |
| As on 1 <sup>st</sup> April, 1961 | 4,059            | 1,590         | 5,649        |
| As on 1 <sup>st</sup> April, 1971 | 7,901            | 3,326         | 11,227       |
| As on 1 <sup>st</sup> April, 1981 | 16,796           | 8,642         | 25,438       |
| As on 1 <sup>st</sup> April, 1991 | 36,862           | 22,136        | 58,998       |
| As on 1 <sup>st</sup> April, 2001 | 51,603           | 44,789        | 96,392       |
| As on 1 <sup>st</sup> April, 2002 | 54,666           | 47,064        | 1,01,730     |
| As on 1 <sup>st</sup> April, 2003 | 60,619           | 49,637        | 1,10,256     |
| As on 1 <sup>st</sup> April, 2004 | 63,384           | 52,707        | 1,16,091     |
| As on 1 <sup>st</sup> April, 2005 | 68,052           | 55,494        | 1,23,546     |
| As on 1 <sup>st</sup> April, 2006 | 73,778           | 57,168        | 1,30,946     |
| As on 1 <sup>st</sup> April, 2007 | 81,049           | 58,792        | 1,39,841     |
| As on 1 <sup>st</sup> April, 2008 | 84,193           | 61,288        | 1,45,481     |
| As on 1 <sup>st</sup> April, 2009 | 89,682           | 63,918        | 1,53,600     |
| As on 1 <sup>st</sup> April, 2010 | 94,991           | 66,525        | 1,61,516     |
| As on 1 <sup>st</sup> April, 2011 | 1,01,636         | 68,974        | 1,70,610     |
| As on 1 <sup>st</sup> April, 2012 | 1,21,142         | 71,371        | 1,92,513     |
| As on 1 <sup>st</sup> April, 2013 | 1,42,473         | 74,633        | 2,17,106     |
| As on 1 <sup>st</sup> April, 2014 | 1,52,476         | 77,203        | 2,29,679     |
| As on 1 <sup>st</sup> April, 2015 | 1,60,708         | 79,266        | 2,39,974     |
| As on 1 <sup>st</sup> April, 2016 | 1,71,327         | 82,010        | 2,53,337     |
| As on 1 <sup>st</sup> April, 2017 | 1,81,585         | 88,722        | 2,70,307     |
| As on 1 <sup>st</sup> April, 2018 | 1,90,104         | 92,089        | 2,82,193     |
| As on 1 <sup>st</sup> April, 2019 | 1,92,857         | 98,841        | 2,91,698     |
| As on 1 <sup>st</sup> April, 2020 | 2,07,755         | 99,483        | 3,07,238     |
| As on 1 <sup>st</sup> April, 2021 | 2,23,344         | 1,03,737      | 3,27,081     |
| As on 1 <sup>st</sup> April, 2022 | 2,40,875         | 1,09,563      | 3,50,438     |
| As on 1 <sup>st</sup> April, 2023 | 2,66,497         | 1,12,122      | 3,78,619     |
| As on 1 <sup>st</sup> April, 2024 | 2,87,900         | 1,15,717      | 4,03,617     |
| As on 1 <sup>st</sup> April, 2025 | 3,03,710         | 1,19,394      | 4,23,104     |
| As on 1 <sup>st</sup> April, 2026 | 3,29,670         | 1,23,155      | 4,52,825     |

**STUDENTS REGISTERED***(From 31<sup>st</sup> March, 2010)*

| During the year | Foundation / CPT |          | PCC/IPCC & IIPCC/ Intermediate |              |              | Final / New Final |           | ATC   | Total    |
|-----------------|------------------|----------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------|-------|----------|
|                 | Foundation       | CPT      | PCC                            | IPCC & IIPCC | Intermediate | Final             | New Final |       |          |
| 2009-10         | -                | 1,67,073 | 1,860                          | 80,745       | -            | 24,172            | -         | 3,376 | 2,77,226 |
| 2010-11         | -                | 1,55,217 | 329                            | 67,984       | -            | 57,175            | -         | 1,906 | 2,82,611 |
| 2011-12         | -                | 1,61,712 | -                              | 85,053       | -            | 47,515            | -         | 2,099 | 2,96,379 |
| 2012-13         | -                | 1,61,084 | -                              | 1,02,406     | -            | 45,102            | -         | 2,615 | 3,11,207 |
| 2013-14         | -                | 1,54,742 | -                              | 96,285       | -            | 39,348            | -         | 3,209 | 2,93,584 |
| 2014-15         | -                | 1,41,241 | -                              | 66,570       | -            | 36,950            | -         | 881   | 2,45,642 |
| 2015-16         | -                | 1,25,140 | -                              | 77,962       | -            | 31,669            | -         | 1,249 | 2,36,020 |
| 2016-17         | -                | 1,07,392 | -                              | 81,886       | -            | 27,611            | -         | 1,430 | 2,18,319 |
| 2017-18         | 9,788            | 73,804   | -                              | 22,657       | 63,693       | 26,291            | 14,056    | -     | 2,10,289 |
| 2018-19         | 45,048           | -        | -                              | -            | 53,654       | -                 | 27,966    | -     | 1,26,668 |
| 2019-20         | 63,228           | -        | -                              | -            | 87,949       | -                 | 67,090    | -     | 2,18,267 |
| 2020-21         | 1,09,968         | -        | -                              | -            | 46,563       | -                 | 26,366    | -     | 1,82,897 |
| 2021-22         | 1,21,365         | -        | -                              | -            | 69,967       | -                 | 32,527    | -     | 2,23,859 |
| 2022-23         | 1,25,460         | -        | -                              | -            | 77,652       | -                 | 21,944    | -     | 2,25,056 |
| 2023-24         | 1,38,378         | -        | -                              | -            | 98,791       | -                 | 34,719    | -     | 2,71,888 |
| 2024-25         | 1,34,420         | -        | -                              | -            | 72,458       | -                 | 75,495    | -     | 2,82,373 |
| 2025-26         | 1,41,312         | -        | -                              | -            | 80,487       | -                 | 59,650    | -     | 2,81,449 |

**9.11 PUBLICATION DIRECTORATE**

The Publication Directorate (erstwhile Publication & CDS Directorate) plays a pivotal role in ensuring the availability of ICAI's educational and professional publications to students, members, and other stakeholders. The Directorate oversees the printing, inventory management, distribution, and accounting of study materials, member publications, and other official publications of the Institute. The Directorate manages the Institute's online Publication Portal (<https://cds.icai.org/>), which enables stakeholders to purchase publications and artefacts through a seamless digital platform. The portal supports online ordering, payment processing, and delivery through the Centralized Distribution System (CDS), thereby enhancing accessibility and service efficiency.

To maintain an efficient supply chain, the Directorate administers inventory across designated storage locations and undertakes periodic physical stock verification. Stock valuation and inventory records are maintained in coordination with the Accounts Department to support accurate financial reporting and effective inventory control. The Directorate also undertakes reconciliation of publication sales with payment gateway collections and facilitates the integration of sales and dispatch information with the Institute's ERP system. This ensures transparency, accuracy, and timely accounting of publication-related transactions. Through these functions, the Publication Directorate contributes significantly to the Institute's objective of providing timely access to quality educational resources while maintaining robust inventory management, financial discipline, and operational transparency.

**(I) New Publications Brought Out**

During the period from 1st April 2025 to 31st March 2026, the Publication Directorate printed various new publications on behalf of the Board of Studies (Academic) and other Committees, which are also hosted on the Publication Portal.

## (II) Centralised Distribution System (CDS)

Since July 2017, all publications of ICAI, including study materials, Revision Test Papers, member-related publications and various mementoes such as ties, tie pins, cuff links and lapel pins, are dispatched centrally through the CDS in the Publication Portal (<https://cds.icaai.org/>) to students, members and other stakeholders based on orders received through the portal.

## (III) Dispatch Statistics (1st April 2025 to 31st March 2026)

| Category                                             | Types of Items | Quantity Dispatched |
|------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| Student publications dispatched against registration | 46 types       | 15,86,268 books     |
| Student publications dispatched against sale         | 113 types      | 28,019 books        |
| Member publications dispatched against sale          | 324 types      | 13,185 books        |
| Mementoes dispatched against sale                    | 26 types       | 1,134 units         |

## (IV) Future Endeavours

The Directorate is at the final stage of developing a new Publication Portal. The new portal is expected to go live shortly and will provide an enhanced user experience, improved operational efficiency, better monitoring of publication orders, and reduced turnaround time for processing and delivery to students, members and other stakeholders.

## 9.12 REGION & BRANCH AFFAIRS (RBA) DIRECTORATE

As ICAI continues to strengthen its presence and serve a vibrant community of over 4 lakh members and more than 9 lakh students, the Region & Branch Affairs (RBA) Directorate plays a vital role in ensuring the seamless and effective functioning of the Institute's extensive pan-India network of 5 Regional Councils and 186 Branches. Acting as the central coordinating bridge between the Headquarters and regional formations, the Directorate provides strategic guidance, administrative support, and operational oversight to foster consistency, efficiency, and excellence across the organization.

Through enhanced institutional coordination, process optimization, knowledge dissemination, and capacity-building initiatives, the Directorate enables regional and branch-level units to effectively deliver ICAI's educational, professional, and member-focused programmes. By promoting collaboration, strengthening stakeholder engagement, and supporting continuous improvement, the RBA Directorate significantly contributes to advancing ICAI's mission of upholding excellence, integrity, professionalism, and public trust, while embracing technology, transformation, and innovation in the service of the profession and nation-building.

### (I) Regional Councils and their Branches

The Institute has five Regional Councils – Western India Regional Council (WIRC), Southern India Regional Council (SIRC), Eastern India Regional Council (EIRC), Central India Regional Council (CIRC) and Northern India Regional Council (NIRC) – with their Headquarters at Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur and New Delhi respectively. The total number of Branches of Regional Councils is 186. With a view to actively involving students of the CA course in developing a spirit of fellowship and promoting social, cultural, academic and intellectual development, the Council has encouraged the setting up of Branches of Chartered Accountants Students' Association (CASA). So far, 145 Branches of CASA have been set up.

**(II) Awards for Best Regional Council, Best Branch and Best Students' Association (2025)**

These awards are given by the Institute every year on the basis of overall performance and established norms. The awards for 2025 were presented at the Annual Function held on 1st February 2026, on the sidelines of the World Forum of Accountants (WOFA 2.0), to the following winners:

| Category                              | Prize     | Winner(s)                                  |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| Best Regional Council                 | 1st Prize | WIRC                                       |
| Best Regional Council                 | 2nd Prize | SIRC                                       |
| Best Students' Association            | 1st Prize | EICASA & NICASA (Jointly)                  |
| Best Students' Association            | 2nd Prize | WICASA                                     |
| Best Branch – Mega Category           | 1st Prize | Ahmedabad                                  |
| Best Branch – Mega Category           | 2nd Prize | Pune                                       |
| Best Branch – Large Category          | 1st Prize | Nagpur                                     |
| Best Branch – Large Category          | 2nd Prize | Vasai                                      |
| Best Branch – Medium Category         | 1st Prize | Vijayawada & Bhopal (Jointly)              |
| Best Branch – Medium Category         | 2nd Prize | Guwahati & Ludhiana (Jointly)              |
| Best Branch – Small Category          | 1st Prize | Tirupur & Thiruvananthapuram (Jointly)     |
| Best Branch – Small Category          | 2nd Prize | Jammu & Kashmir & Bhilai (Jointly)         |
| Best Branch – Micro Category          | 1st Prize | Bilaspur                                   |
| Best Branch – Micro Category          | 2nd Prize | Ratlam                                     |
| Best Students' Assoc. Branch – Mega   | 1st Prize | Ahmedabad & Bengaluru (Jointly)            |
| Best Students' Assoc. Branch – Mega   | 2nd Prize | Pune & Vasai (Jointly)                     |
| Best Students' Assoc. Branch – Large  | 1st Prize | Ernakulam, Ludhiana & Vijayawada (Jointly) |
| Best Students' Assoc. Branch – Large  | 2nd Prize | No Award                                   |
| Best Students' Assoc. Branch – Medium | 1st Prize | Raipur                                     |
| Best Students' Assoc. Branch – Medium | 2nd Prize | Salem                                      |
| Best Students' Assoc. Branch – Small  | 1st Prize | Bhilai & Siliguri (Jointly)                |
| Best Students' Assoc. Branch – Small  | 2nd Prize | Nanded & Sivakasi (Jointly)                |
| Best Students' Assoc. Branch – Micro  | 1st Prize | Ratlam                                     |
| Best Students' Assoc. Branch – Micro  | 2nd Prize | Sambalpur                                  |

**(III) Managing Committee Members Meet (MCMM) 2026 – Regional Level**

The RBA Directorate successfully conducted the Regional Level Managing Committee Members Meet 2026 across all five regions, with the objective of providing structured orientation to elected Managing

Committee Members of Branches and Regional Council Members. These programmes were conducted as per the following schedule:

| Region          | Dates                | Venue      |
|-----------------|----------------------|------------|
| Northern Region | 11th–12th March 2026 | Chandigarh |
| Western Region  | 13th–14th March 2026 | Mumbai     |
| Central Region  | 16th–17th March 2026 | Ghaziabad  |
| Eastern Region  | 21st–22nd March 2026 | Kolkata    |
| Southern Region | 23rd–24th March 2026 | Hyderabad  |

A standardised programme structure was designed and implemented uniformly across all regions to ensure consistency in guidance and approach. The sessions, delivered by esteemed Central Council Members in their respective regions, covered key operational and governance areas including: Conduct of Meetings & Events; Accounting, Audit & Statutory Compliances; Council Directions, Advisories & RBA Grant Management Framework; ICAI Policy Framework; Students' Activities & Grants; Performance Management of Branches & Students' Associations; and the CPE Framework.

A key feature of these programmes was an interactive session with the leadership, wherein Managing Committee Members shared their suggestions, ideas and practical challenges faced at the branch level. A total of 1,095 Managing Committee Members (out of 1,206) and 62 Regional Council Members (out of 64) participated, reflecting an encouraging response. Feedback from participants indicated great appreciation for the content, structure and practical relevance of the orientation programmes.

### 9.13 SPECIFIC FUND MANAGEMENT DIRECTORATE

The Specific Fund Management Directorate was constituted by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to ensure the dedicated, transparent, and efficient administration of funds established for social welfare, educational advancement, and charitable purposes. The Directorate is responsible for the effective management, continuous monitoring, and transparent reporting of these funds, ensuring that their resources are deployed strictly in accordance with the objectives for which they have been constituted. Through a robust governance framework, the Directorate seeks to maximize the social and professional impact of these funds while upholding the principles of accountability, integrity, and good governance.

In line with ICAI's enduring commitment to the welfare of its members, students, and the larger society, the Directorate administers the Chartered Accountants Benevolent Fund (CABF), Chartered Accountants Students Benevolent Fund (CASBF) and S. Vaidyanath Aiyar Memorial Fund (SVAMF). By institutionalizing a comprehensive framework for fund governance, financial management, monitoring, compliance, and reporting, the Specific Fund Management Directorate reinforces ICAI's core values of compassion, integrity, transparency, and trustworthiness.

#### Chartered Accountants' Benevolent Fund

The Chartered Accountants Benevolent Fund (CABF) has been established to provide financial assistance for maintenance, education, medical support, and other similar purposes to necessitous persons, including members or former members of the Institute irrespective of whether they were subscribers to the Fund, the wives and children of such members, widows and children of deceased members, and relatives or other dependants who relied upon a deceased member for support where the member has passed away without leaving behind a widow or child. Through timely financial assistance, the CABF serves as a vital social security mechanism, extending support to members and their families during periods of financial hardship and reinforcing the profession's spirit of solidarity and mutual care.



**The financial and other particulars of the Fund are as follows:****Details of Membership**

|    |                                                      |          |
|----|------------------------------------------------------|----------|
| 1. | Total Life Members as on 31st March, 2025            | 1,40,805 |
| 2. | Total Life Members as on 31st March, 2026            | 1,41,274 |
| 3. | Update after comprehensive reconciliation            | 274      |
| 4. | Total Additions of New Life Members (During 2025-26) | 195      |

**Details of Financial Particulars**

|                                                 | <b>During the year ended<br/>31<sup>st</sup> March, 2026 (Rs.)</b> | <b>During the year ended<br/>31<sup>st</sup> March, 2025 (Rs.)</b> |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Total Assistance provided                    | 2,48,08,929                                                        | 2,54,10,000                                                        |
| 2. Surplus/Deficits of the Fund during the year | 3,66,30,458                                                        | 52,95,723                                                          |
| 3. Balance of the Fund                          | 1,40,32,675                                                        | 1,21,95,239                                                        |
| 4. Balance of Corpus                            | 31,34,85,302                                                       | 22,00,59,285                                                       |

**S. Vaidyanath Aiyar Memorial Fund**

The Directorate is further entrusted with the administration of the S. Vaidyanath Aiyar Memorial Fund (SVAMF), established to commemorate the memory and enduring contributions of Late CA S. Vaidyanath Aiyar, a former President of ICAI. The Fund has been created through voluntary contributions from members of the Institute with the objective of recognizing professional excellence, promoting professional academic through lectures and research activities, and supporting deserving students.

The number of life membership of the Fund as on 31st March 2026 is 11,089. The balance in the Corpus Fund was Rs. 81,85,150/- as on 31st March 2026 as against Rs. 81,25,150/- as on 31st March, 2025.

**Chartered Accountants Student's Benevolent Fund (CASBF)**

The Directorate also manages the Chartered Accountants Students Benevolent Fund (CASBF), which has been established to provide financial assistance to economically weaker Chartered Accountancy students, enabling them to pursue their professional education without undue financial constraints. The Fund provides medical financial assistance to deserving students facing medical emergencies, reimburses course and examination fees of economically weaker students whose parent or guardian is receiving assistance under the Chartered Accountants Benevolent Fund, and grant scholarships to financially distressed students who have lost both parents. Through these initiatives, the CASBF seeks to ensure that financial adversity does not become an impediment to pursuing the Chartered Accountancy course and supports deserving students in successfully completing their professional education.

The Fund was established in August, 2008 with the aim and objective to provide financial assistance to the students registered with ICAI. The balance in the credit of the general fund was Rs.16,37,29,559/- as on 31<sup>st</sup> March, 2026 as against Rs. 17,13,64,481/- as on 31<sup>st</sup> March, 2025.

### 9.14 TENDER MONITORING DIRECTORATE

In order to monitor, analyze and streamline tendering for professional services of Chartered Accountants, a Directorate namely "Tender Monitoring Directorate" was constituted by the Council during the year 2023-24 which has now merged with PDC. The Directorate has been endeavouring to streamline the process of tendering and to monitor the bids quoted by CAs in all the permissible tenders and analyse them. The Directorate further refers the deviations at appropriate level.

#### Major activities of the Directorate

The Directorate has its own Portal for tenders on professional services – [www.tmdicai.org](http://www.tmdicai.org). which offers the following features:

- ✓ Tender opportunities
- ✓ Latest information for members
- ✓ Council Guidelines on tenders
- ✓ Details of minimum recommended scale of fees
- ✓ Format of cost sheet to be submitted by members
- ✓ Extract from relevant provisions of Code of Ethics
- ✓ Representations made by Directorate to the tenderers
- ✓ Answers to Frequently Asked Questions
- ✓ Grievance posting mechanism, with or without disclosing identity.
- ✓ Fee calculator for the ease of calculating fee for audit and other assignments.

#### (I) Representations to Tendering Organisations

Representations are being made to tenderers where minimum fees is not prescribed in respect of audit & attestation services, or where eligibility conditions appear to be unreasonably restrictive or where the services tendered create "independence" issues. During the functional year 2025-26, 147 such representations were sent to the tendering organisations.

#### (II) Review and Hosting of Tenders

TMD also collects tenders for professional services from all over India and hosts the same in its TMD Portal. During the functional year 2025-26, 2,112 tenders were studied, out of which 1,937 tenders were hosted in the TMD portal as these were found appropriate in all respects.

#### (III) Examination of Bids Submitted by Members

Bids submitted by members are studied and cost sheets are called for wherever it is felt that the bid is for low amount. During the functional year 2025-26, notices were sent to 209 CA firms in respect of 38 tenders. During the year 2025-26, cases of 102 CA firms were referred to Director (Discipline) for investigation. Peer review has been ordered in respect of 10 CA firms. Cases relating to 17 CA firms have been closed as the cost sheet was found to be satisfactory. Examination of rest of the cases is on.

### 9.15 UDIN DIRECTORATE

The Unique Document Identification Number (UDIN), introduced by ICAI, continues to play a pivotal role in ensuring the authenticity, reliability and transparency of documents certified by Chartered Accountants. By assigning a system-generated unique identification number to every certificate, audit report and attestation, UDIN serves as a robust mechanism to prevent document forgery and misuse. Over the years, UDIN has evolved into a critical component of the regulatory ecosystem, facilitating seamless verification of documents by regulators, government authorities, financial institutions and other users. During the year under review, UDIN witnessed significant advancements in technological transformation, regulatory integration and functional enhancements.

**(I) UDIN as a Decision-Making Parameter for Regulators, Banks and Other Stakeholders**

- **MoU with the Reserve Bank of India:** ICAI signed an MoU with the RBI on 6th February 2026 at ICAI Bhawan, New Delhi, during the 448th Council Meeting, to facilitate real-time verification of UDINs through secure API integration. The initiative aligns with RBI's end-to-end digital transformation framework and reflects ICAI's commitment to technology-driven governance.
- **MoU with the Indian Army (DGST):** An MoU was signed on 6th November 2025 with the Indian Army, Directorate General of Supplies and Transport, for integration of UDIN verification within the vendor registration process of the Army Purchase Organisation (APO), enabling automated authentication of CA-certified documents. The MoU was executed in the presence of Lieutenant General Mukesh Chadha, AVSM, SM, VSM, Director General of Supplies and Transport.
- **Ministry of Home Affairs (Project FCRA 2.0):** The Ministry of Home Affairs approached the UDIN Directorate for API-based integration to enable real-time verification of certificates and audit reports submitted under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010. A meeting was held on 21st April 2026 at the FCRA Wing, New Delhi, to deliberate on the requirements for enabling API-based UDIN verification.
- **Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY):** Continued engagement for integration of UDIN with the Entity Locker platform, a secure digital repository for document storage and sharing. Two meetings were held in 2025 (17th March and 28th July) to discuss API-based integration requirements.
- **C&AG Empanelment:** The C&AG used UDIN data as one of the elements for empanelment of CA firms/LLPs for the first time in 2023-24. For 2026-27, points are awarded based on UDINs generated during 2022-23, 2023-24 and 2024-25, with the window to be scaled to 5 years by 2026-27.

**(II) Technology Transformation and Digital Initiatives**

- **Migration to DigiCA Platform:** The UDIN Portal was successfully migrated to the DigiCA Platform on 20th December 2025, providing an enhanced user interface, improved system performance and advanced functionalities. Post-migration, the portal witnessed substantial improvements in system stability, responsiveness and user experience, with better load handling, improved uptime and enhanced data security.
- **Mobile Application (iOS and Android):** A mobile application was launched in a phased manner, enabling members to generate, view, download and revoke UDINs in real time, enhancing accessibility and operational efficiency during urgent and time-sensitive professional engagements.
- **Security Audit by C-DAC:** The Vulnerability Assessment and Penetration Testing (VAPT)/Security Audit of the UDIN web portal under the DigiCA Platform was entrusted to C-DAC. The Security Audit Certificate for the web portal was received on 17th December 2025, and the Security Audit Certificate for the iOS Mobile Application was received on 19th January 2026.

**(III) Functional Enhancements for Members**

- **PAN Validation for GST & Tax Audit UDINs:** Pursuant to the 417th Council Meeting decision, the PAN of the assessee has been introduced as a mandatory additional field during UDIN generation under the GST & Tax Audit category for validation at the e-Filing Portal, applicable for UDINs generated from 20th December 2025 onwards.
- **Preceding Year Audit Details:** Pursuant to the 442nd Council Meeting decision, a provision has been enabled on the UDIN Portal to capture preceding year audit details during UDIN generation under the GST & Tax Audit and Audit & Assurance Function categories, made operational with effect from 20th December 2025.
- **Ceiling on Tax Audit UDINs:** Pursuant to the 442nd Council Meeting decision, a provision introducing a ceiling on the maximum number of UDINs that may be generated under Tax Audit assignments, in alignment with the prescribed limit of 60 tax audits, is under development.

Counting of Tax Audit assignments has been made effective from 1st April 2026. Field-Level Validation was implemented on 11th February 2026 for all sub-categories under Section 44AB.

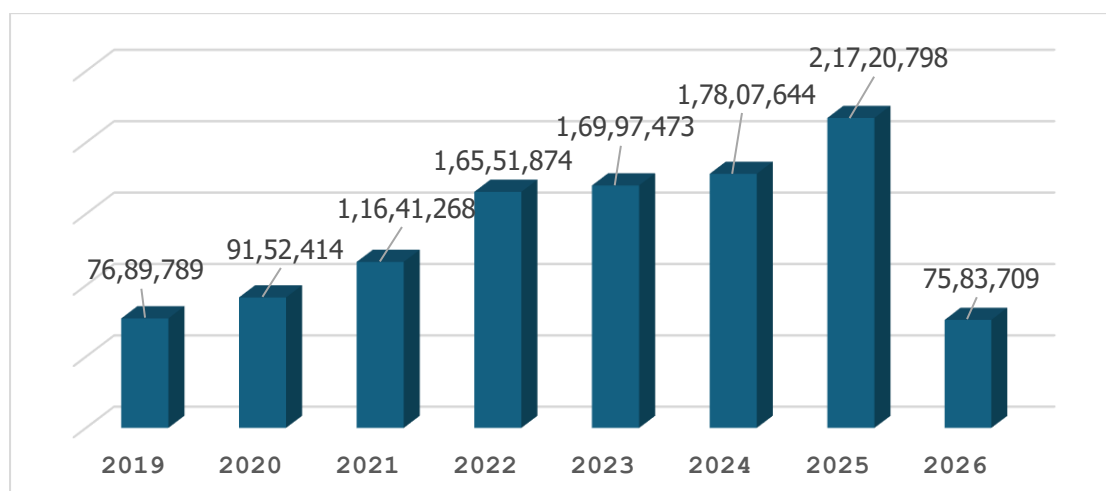
- **Auditor's Opinion Functionality:** Pursuant to the 446th Council Meeting decision, the functionality to capture "Auditor's Opinion" during UDIN generation was implemented – for Audit & Assurance Functions from midnight of 20th June 2025, and for GST & Tax Audit from midnight of 28th June 2025.
- **Inclusion of New Forms:** Form 26AANX was enabled on the UDIN Portal on 22nd October 2025 on the request of CBDT; Form 146 under the Income-tax Act, 2025 was incorporated from 1st April 2026.

#### (IV) Milestone Achievement

The total number of UDINs generated crossed 10 Crore in December 2025. As on 7th May 2026, more than 1.70 lakh Chartered Accountants have logged on the UDIN Portal and have generated more than 10.65 Crore UDINs across three categories – Audit & Assurance Functions, Certificates and GST & Tax Audit. More than 3.69 Crore UDINs have been verified and validated by authorities, regulators, banks and other stakeholders. The total number of UDIN generation since its inception is given below:-

| Year               | Total No. of UDIN generated |
|--------------------|-----------------------------|
| 2019               | 76,89,789                   |
| 2020               | 91,52,414                   |
| 2021               | 1,16,41,268                 |
| 2022               | 1,65,51,874                 |
| 2023               | 1,69,97,473                 |
| 2024               | 1,78,07,644                 |
| 2025               | 2,17,20,798                 |
| 2026               | 75,83,709                   |
| <b>Grant Total</b> | <b>10,91,44,969</b>         |

#### Total Number of UDINs Generated (Since Inception to 15.07.2026)



## **(V) Branding and Identity**

The UDIN logo, launched during the previous year, has further strengthened the identity of the initiative as a symbol of authenticity, trust and professionalism. Applications for registration under Copyright, Intellectual Property and Trademark (CIPT) were filed on 1st September 2025.

## **(VI) Capacity Building and Knowledge Dissemination**

- Webinar on "Overview of the UDIN Portal on DigiCA Platform" – 8th January 2026.
- Webinar on "Clarifications on Auditor's Opinion Functionality: Q&A Session" – 14th October 2025.
- Webinar on "Preliminary Insights on UDIN for Bank Audits" – 7th April 2025.
- Release of Addenda to FAQs (5th Edition) addressing new functionalities and system changes.

## **(VII) Publications**

- UDIN Report 2025-26 (providing insights into the growth, adoption and statistical trends of the UDIN system)
- 6th Edition of FAQs on Unique Document Identification Number (UDIN) (Revised 2026), addressing common member queries and enhancing clarity and compliance.

## **9.16 ICAI PLACEMENT DIRECTORATE**

The ICAI Placement Directorate of The Institute of Chartered Accountants of India was formed in the year 2026 with the objective of creating a dedicated and focused platform for facilitating career opportunities for Chartered Accountants and strengthening industry-profession engagement. The Directorate acts as a bridge between industry and the Chartered Accountancy profession by providing structured, transparent, and technology-driven placement and career support services for Newly Qualified Chartered Accountants (NQCA's), Experienced Chartered Accountants, semi-qualified professionals, and organizations across diverse sectors and geographies.

With a vision to empower finance professionals and support organizations in accessing quality talent, the ICAI Placement Directorate undertakes various initiatives including Campus Placement Programmes, ICAI Campus Placement+, Career Ascent Programmes, HR Meets, Overseas Placement Initiatives, CA Career Catalyst Programmes, Orientation Programmes, and Management Development Programmes (MDPs) for CA Rank Holders. The Directorate also offers continuous recruitment and networking support through its digital platforms, enabling organizations to connect with highly skilled finance professionals throughout the year while helping Chartered Accountants explore opportunities across domains

The major initiatives are as under:

### **(I) CA Career Catalyst Programme 2026**

The Directorate launched the CA Career Catalyst Programme 2026, a comprehensive virtual career-readiness initiative designed for newly qualified Chartered Accountants and CA Final qualified candidates, conducted from 15th to 22nd March 2026 in a phased manner. During the period from 15th to 20th March 2026, domain-focused webinar sessions were organised daily covering important sectors and emerging career opportunities for Chartered Accountants, including taxation, mergers and acquisitions, finance, investment banking, statutory audit, internal audit, financial due diligence, forensic accounting, consultancy, advisory, FP&A, costing, budgeting and offshore opportunities.

Further, on 21st and 22nd March 2026, structured sessions on Group Discussion, HR Training, Mock Interviews and One-to-One Mentoring were organised in batches to equip participants with placement readiness, sector-selection guidance and interview preparedness. The programme received an encouraging response and served as a structured bridge between the declaration of the CA Final results and the commencement of placement activities.

**(II) 64<sup>th</sup> ICAI Campus Placement Programme**

The 64th ICAI Campus Placement Programme was organised across 29 centres (9 major and 20 smaller centres) during April–May 2026 for Chartered Accountants who qualified in the January 2026 CA Final Examination, marking the third campus placement opportunity within a year for recently qualified members. The programme witnessed the registration of 5,834 candidates (out of 7,592 newly qualified CAs) and participation of over 136 organisations, offering 9,000+ vacancies, reflecting continued trust in ICAI's Campus Placement Programme and strong employer confidence.

Participation from a wide spectrum of reputed organisations, including large MNCs, technology companies, consulting firms, professional services networks, Global Capability Centres, start-ups and leading Indian corporates, further underscored the industry's confidence in ICAI's talent pool. The campus cycle also recorded robust demand across both traditional and emerging domains, including finance, audit, consulting, data analytics, AI workflow automation, business intelligence, investment banking, private equity, risk management, compliance and digital transformation.

The programme witnessed strong hiring demand despite global geopolitical uncertainties, restructuring activity and layoffs reported in certain sectors. Annual CTCs offered ranged from ₹9 lakh to ₹27.50 lakh, and a standardised orientation programme was conducted across all centres to familiarise candidates with the placement process, career opportunities, employer expectations and interview readiness.

**(III) CA Jobs Portal**

In addition to campus placement initiatives, the Directorate continued to strengthen the CA Jobs Portal (<https://cajobs.icaai.org/>), which provides 24x7, 365-day employment opportunities for Chartered Accountants across sectors and experience levels. Through the portal, the Institute facilitates hiring through virtual interviews and immediate vacancy fulfilment at various levels, offering opportunities for senior-level CA positions, women-focused placements, work-from-home opportunities, lateral placements for experienced Chartered Accountants and Director-level opportunities. Employers with urgent hiring requirements can directly source qualified CA talent through the portal or write to [icaai.placement@icaai.in](mailto:icaai.placement@icaai.in) for assistance and support.

**(IV) Management Development Programme for CA Rank Holders**

The Directorate conducted the Management Development Programme for CA Rank Holders of the January 2026 batch in collaboration with the Indian Institute of Management Kozhikode. The programme was designed to provide structured management exposure to rank holders in areas such as strategic thinking, leadership, communication, AI for finance professionals, governance, decision-making and emerging business leadership perspectives.

Out of 157 eligible rank holders, 133 participated in the programme, reflecting a highly encouraging response; considering the number of participants and residential logistics, the programme was organised in two separate batches to ensure effective delivery, focused learning and smooth participant management. The programme received highly encouraging feedback from both the participating rank holders, who appreciated the quality of academic inputs, practical exposure, peer learning and the leadership-oriented design, and the Management Institute, which acknowledged the enthusiasm, discipline and active engagement of the CA rank holders throughout the sessions.

**10 Students related Boards/Committee****10.1 BOARD OF STUDIES – ACADEMICS**

The Board of Studies- Academics, a non-standing Committee of ICAI, formulates and implements policies and programmes relating to education and training of students. The mission of the Board of Studies is to provide a strong foundation of professional knowledge, skills and values, ethics and attitudes that enable students of chartered accountancy course to evolve as competent professionals

and adapt to changes throughout their professional career. The Board of Studies (Academic) significantly contributes to the academic and professional growth of aspiring CA students by offering comprehensive educational support, continuous guidance and mentorship throughout their journey towards becoming Chartered Accountants.

To strengthen students' professional knowledge and values, the BoS (A) offers quality Study Materials, Revision Test Papers, Mock Test Papers, Suggested Answers, Saransh – Last Mile Referencer and Case Scenario Booklets for all subjects of the CA course. It also promotes effective learning through digital initiatives such as Live Virtual Classes, Live Virtual Revisionary Classes, the ICAI Digital Learning Campus and the MCQ Paper Practice Assessment Dashboard.

The key initiatives of the year include:

### (I) Student-Centred Learning Resources

- **Value-Added Study Material:** In a step to enhance academic support, the Board released Value-Added Study Material for the Foundation, Intermediate and Final levels for the May 2026 Examinations. This comprehensive material also covers all Self-Paced Online Modules – Sets A, B, C and D – and has been made accessible on the BoS Knowledge Portal.
- **Saransh – Last Mile Referencer:** Saransh, a comprehensive booklet summarising core concepts, provisions and standards through visual summaries, pictorial diagrams, concise flowcharts and tables, was prepared and released for the Final level: Paper 2 – Advanced Financial Management and Paper 3 – Advanced Auditing, Assurance and Professional Ethics. Further, Saransh for the Taxation papers of the Intermediate level (Paper 3A: Income-tax Law; Paper 3B: Goods and Services Tax) and the Final level (Paper 4 – Direct Tax Laws and International Taxation; Paper 5 – Indirect Tax Laws) was also updated.
- **Case Study Digest of Integrated Business Solutions, Volume II:** The Case Study Digest Volume II for the Integrated Business Solutions paper of the CA Final course was released, comprising 35 immersive case studies drawn from a wide range of sectors. It offers a boardroom-level learning experience, encouraging students to step into the shoes of key decision-makers such as CFOs, Finance Directors, CEOs and Auditors.
- **Revision Test Papers (RTPs):** RTPs incorporating a variety of questions in each subject, including questions on amendments, were released for the May 2025, September 2025, January 2026 and May 2026 Examinations, benefiting students across all levels.
- **Suggested Answers:** For the first time in ICAI's history, Suggested Answers for the May 2025, September 2025 and January 2026 Examinations were web-hosted within 24 hours of the declaration of results.

### (II) Comprehensive Student Support Services

- **Live Virtual Classes (LVCs)/Live Virtual Revisionary Classes (LVRCs):** LVCs were conducted for the Foundation, Intermediate and Final courses for each examination cycle, and LVRCs were conducted for the Intermediate and Final courses. The viewership statistics are as under:

| LVC/LVRC Batches | Viewership Statistics |
|------------------|-----------------------|
| LVC Foundation   | 21,39,612             |
| LVC Intermediate | 32,09,100             |
| LVC Final        | 3,62,468              |

| LVC/LVRC Batches  | Viewership Statistics |
|-------------------|-----------------------|
| LVRC Intermediate | 3,12,224              |
| LVRC Final        | 1,83,356              |

- **Special Sessions on CA Final Paper 6 – Integrated Business Solutions:** Special sessions on CA Final Paper 6 (IBS) were launched, and 35 such sessions were conducted during the year.
- **Open House Query Sessions for the Final Course:** Launched “BoS Believes in You: Let’s Conquer CA Final Together”, a series of subject-wise live Open House query sessions for CA Final students.
- **Mock Test Papers (MTPs):** Two series of MTPs were conducted for each paper of the Foundation, Intermediate and Final courses before each examination. During the year, 59,157 students participated in these mock test series, which were conducted through the Regional Councils and Branches of ICAI.
- **Mock Test Registration Portal:** A centralised Mock Test Registration Portal (<https://bosmtp.icai.org/>) was launched to streamline the conduct of Mock Test Papers (Series I and II) for the Foundation, Intermediate and Final courses across all ICAI Branches and Regional Offices.
- **Subject-specific “Success at CA Exam” Sessions:** Subject-specific sessions were conducted by BoS faculty after the MTPs to clarify doubts, strengthen understanding and streamline preparation.
- **Fortnight Programme – “Unlock Success through Clarity, Strategy & Confidence”:** Two Fortnight Programmes were conducted in virtual mode for Intermediate and Final students in November 2025 and March 2026, covering one paper of the Intermediate/Final course every day through expert-driven sessions aimed at preparing students effectively for the upcoming examinations, with insights on course structure, section-wise weightage, preparation tips and common mistakes to avoid.

### (III) Student Handholding Initiatives

- **Induction Programme for Newly Registered Foundation Students:** Two Induction Programmes were conducted in May 2025 and October 2025 for newly registered Foundation students to ensure a strong start, with around 10,000 and 8,000 students participating respectively. The programmes provided students with a comprehensive understanding of ICAI’s legacy, vision, structure and available services.
- **“Charcha Ka Vishay: CA Pariksha – Let’s Talk: The CA Exam”:** Organised in April 2025, August 2025 and December 2025 in hybrid mode, with approximately 7,000 students participating. The initiative offered students a direct platform to interact with experts, clarify queries and overcome examination-related concerns.
- **Mentoring Programme for CA Students – “CA Saarthi”:** Launched on 1st July 2025, the programme is designed to guide, support and handhold CA students in their academic journey by connecting experienced Chartered Accountants as mentors with students as mentees. An exclusive Mentorship Portal (<https://bosmentor.icai.org/>) has been built wherein mentors and mentees can register themselves.
- **Sessions on “Insight into Audit – Bridging Theory with Practice”:** A series of online sessions was initiated to provide students with practical exposure to real-world audit procedures; 15 sessions have been conducted in this regard.

### (IV) Digital Support Services

- **Digital Learning Campus Portal – SPOM:** For the Self-Paced Online Modules (SPOM) on the Digital Learning Campus Portal, 8 expert-led video lecture series of 20 hours each, covering 8 different subjects from Sets C and D, were released.
- **MCQ Paper Practice Assessment Dashboard:** The portal offers subject-specific MCQs to aid students in refining their examination readiness, with features including a user-friendly platform,



paper-wise and chapter-wise performance tracking and MCQs of varying difficulty levels. As of now, a total of 3,28,529 students have accessed the dashboard.

- **ICAI-BoS Mobile App and BoS Knowledge Portal:** The ICAI-BoS Mobile App and Knowledge Portal (<https://boslive.icai.org/>) serve as a holistic platform offering a comprehensive package of educational resources to students. As of now, 8,61,529 students have accessed the App/Portal and 37,387 subject-specific queries have been answered.

#### (V) The Chartered Accountant Student (Students' Journal)

The Chartered Accountant Student, a monthly publication of the Board of Studies (Academic) specifically for CA students, was released regularly during the year. It provides educational content, academic updates, study aids and professional guidance relevant to the CA curriculum.

#### (VI) Towards Partner in Nation Building

- **Global Education Summit on Commerce and Accountancy (GES-CA) 2026:** A two-day Global Education Summit on Commerce and Accountancy was successfully organised in New Delhi, bringing together Vice-Chancellors, policymakers, industry leaders, Directors, Principals, Deans, Professors and distinguished professionals from 24 States and 2 Union Territories. The discussions, led by eminent domain experts, traversed pivotal areas, and a booklet on the "ICAI Model Curriculum for Commerce and Accountancy Education" was launched at the Summit, proposing a unified, forward-looking curriculum at the Secondary, Senior Secondary and Undergraduate levels.
- **Memoranda of Understanding (MoUs) for Academic Collaboration:** ICAI, through the BoS (A), has entered into strategic MoUs with several prestigious State and Central Universities. As of this year, ICAI has successfully signed 22 MoUs with Universities and Institutions across the country, nurturing partnerships that will enhance the quality of education and provide students with enriched learning opportunities.
- **Faculty Development Programmes and Joint Seminars:** To equip faculty members with advanced knowledge and modern pedagogical approaches, Faculty Development Programmes (FDPs) were organised on contemporary and highly relevant themes. The Board also collaborated with Universities and Colleges to host Joint Seminars on pertinent topics, facilitating knowledge-sharing and professional growth among faculty members.

#### (VII) Brainstorming Meet for Academic Excellence

The Board of Studies (Academic) undertook an initiative through the Brainstorming Meet for Academic Excellence, aimed at strengthening the academic framework of the CA profession by evaluating the skill sets of newly qualified Chartered Accountants, identifying academic gaps and improving educational resources to develop future-ready professionals. The Meet was organised in 11 cities across the country.

### 10.2 BOARD OF STUDIES – OPERATIONS

The Board of Studies – Operations, a non-standing committee of the Institute, is continuously focusing on providing world-class training to Chartered Accountancy students. It conducts regulatory training programmes for Chartered Accountancy students, including Orientation, Information Technology, Advanced Information Technology, and Management & Communication Skills courses through its IT and Soft Skills Centres across India, as well as four-week residential programmes at the Centres of Excellence in Hyderabad and Jaipur.

The Board also organises various student-focused events, including International, National, State and Branch-level conferences, seminars, workshops, sports competitions, festivals, counselling programmes, industrial visits, talent contests and provides scholarships to CA students. These initiatives are aimed at equipping students with professional competencies, managerial, communication, presentation, and soft skills to meet the evolving requirements of the accountancy profession and the changing business and regulatory environment.

**(I) Implementation of the Revised Syllabus of Advanced IT Training**

The Revised Syllabus of Advanced Information Technology Training was implemented during the year, and batches under the revised syllabus are now being conducted by IT labs across the country.

**(II) Faculty Development and Train the Trainer Programmes**

- Four Train the Trainer Programmes were conducted at Jaipur, New Delhi, Kolkata and Mumbai on the new topics of the Revised Syllabus of IT & Soft Skills Training.
- Online Faculty Development Programmes were conducted for the faculties of IT & Advanced IT Training.
- A live webinar was conducted on the occasion of the Teachers' Day Celebration held on 5th September 2025, wherein the President, ICAI virtually addressed the students and faculty members of IT & Soft Skills Training.
- Three Interactive Meetings were held with the faculties of IT and Soft Skills Training, and an online meeting of the Chairman and Vice-Chairman, BoS – Operations with the faculties was also conducted.

**(III) IT & Soft Skills Training and Quality Monitoring**

- A total of 4,452 batches of IT and Soft Skills Training were conducted during the year, and 1,61,299 students were trained.
- 465 Smart Classroom equipment sets were installed at the IT and Soft Skills Centres across the country.
- Regular online monitoring of batches of IT & Soft Skills Training was carried out through Zoom links from the Head Office, supplemented by the observation of batches by faculties/members appointed as Observers, to improve the quality of training imparted to students across the country.

**(IV) Student Engagement and Skill Development**

- **Two-Day Workshop on Artificial Intelligence – AURA:** A Two-Day Workshop on Artificial Intelligence for CA students was introduced under the banner of AI Understanding for Rising Achievers (AURA). A total of 100 physical batches were conducted through Regional Councils and Branches, training 3823 students, while 7,910 students were trained in AI through the online mode.
- **Live Webinar Series – RUN@100:** 90 live webinars were conducted under the series RUN@100, focused on Reskilling, Upskilling and Acquiring New Skills for CA students, which were viewed by 5.35 lakh students.
- **Interactive Sessions with Students:** Fifteen online Interactive Sessions were conducted with students undergoing IT & Soft Skills Training through the Smart Classroom Boards installed at the IT & Soft Skills Centres across the country. These sessions were addressed by the President, ICAI, the Chairman and Vice-Chairman, BoS – Operations, and Central Council Members.
- **E-Diary:** An E-Diary was introduced for students commencing practical training on or after 1st January 2026.

**(V) CA Students Conferences and Activities**

- A total of 63 CA Students Conferences were organised during the year, comprising 1 International Conference, 1 All India Excellence Conference, 23 National Conferences, 21 Mega Conferences, 15 State-Level Conferences and 2 Branch-Level Conferences. Topics on Soft Skills Development were included in the programme structure of the National Conferences of CA Students.
- **CA Students National Talent Search:** Twelve competitions – Pitch Deck, Debate, Elocution, Quiz, Essay, Chess, Drama by Students' Teams, Sketching, Instrumental Music, Poetry, Extempore and Aurathon (AI) – were conducted for CA students under the banner of the CA Students National Talent Search. These activities were conducted first at the Branch level, then at the Regional level and finally at the National level by the Board.

- In addition, 1,184 student activities were organised during the year, comprising 249 One-Day Seminars, 431 Half-Day Seminars, 232 Workshops, 142 Sports Competitions, 62 CA Students Festivals and 68 Special Counselling Programmes.

#### (VI) Scholarships for CA Students

A new Scholarship Scheme was approved by the Council, and revised rates of scholarship became applicable from January 2026. The Scholarship Corpus Fund was increased from ₹100 crore to ₹500 crore. A scholarship grant for Foundation Course students was also introduced. The revised rates of scholarship grant payable under different categories are as under:

| Category                                                                                                                                           | Revised Rate       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Merit Award for Final Course students (Rank holders of Intermediate Examinations up to 10th rank)                                                  | ₹5,000/- per month |
| Economically Needy Students Scholarship for Final Course students – Merit-based (Rank holders of Intermediate Examinations from 11th to 50th rank) | ₹4,000/- per month |
| Economically Needy Students Scholarship for Final & Intermediate Course students                                                                   | ₹2,500/- per month |
| Economically Needy Students Scholarship for Foundation Course students                                                                             | ₹1,500/- per month |

#### (VII) Coordination with Regional Councils and Branches

- Five Interactive Meetings were held with the Managing Committee Members of Regional Councils and Branches, wherein issues relating to students' activities were discussed.

### 10.3 COMMITTEE ON CAREER COUNSELLING

The Career Counselling Committee of ICAI, constituted in 2015, serves as the outreach arm of the Institute, dedicated to creating awareness among students and parents about Chartered Accountancy and career opportunities in the commerce domain. In alignment with the national vision of a Viksit Bharat and sustained economic development, the Committee recognizes that a strong foundation in commerce education is essential to build a financially literate, ethical, and competent workforce. During 2025-26, the Committee intensified its efforts to reach students in schools, colleges, and Tier-2/Tier-3 cities through career seminars, mentorship drives, and digital outreach. By equipping students with information on academic pathways, skill requirements, and career prospects, the Committee is committed to building a robust pipeline of future professionals who will contribute to nation-building and the vision of Viksit Bharat.

#### Key activities

**Project Vanijya** - The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), launched "Project Vanijya - Shaping the Future of Students for Bharat as a Developed Country" on 19<sup>th</sup> December 2025 at New Delhi. The initiative aims to strengthen commerce education from the school level in line with the Hon'ble Prime Minister's vision of Viksit Bharat @2047. The Representatives of Education Boards from 15 States across India were presented. The programme focuses on guiding students towards commerce education and professional opportunities, contributing to India's journey towards becoming a developed nation.

**Exposure Visits of CBSE School Principals-** The Institute of Chartered Accountants of India signed an MoU with CBSE to promote commerce education and career awareness among students. As part of this initiative, the Committee on Career Counselling organised Exposure Visits for CBSE School Principals at the Centres of Excellence in Jaipur and Hyderabad, as well as at Mumbai, Indore, and Guwahati.

These visits familiarised principals with the Chartered Accountancy (CA) Course, new education scheme, and diverse career opportunities in the profession. The initiative received an encouraging response, with principals expressing keen interest in conducting career counselling programmes in their schools. Some participants and their family members also enrolled for the CA Course, reflecting the growing impact of the initiative.

**Faculty Development Programmes (FDP)-** Committee organised a series of Faculty Development Programmes (FDPs) titled "Career Counsellors Empowerment Meet" to enhance awareness about the New Scheme of Education and Training among career counsellors across India. The initiative aimed to equip counsellors with the necessary knowledge and skills to guide and motivate students towards pursuing the Chartered Accountancy (CA) Course as a promising career option. During the year, the Committee successfully conducted 11 FDPs across Pan India, benefiting approximately 632 career counsellors and strengthening ICAI's outreach efforts nationwide.

**Career Counselling Programmes-** The Committee has organized 3,386 Career Counselling Programmes benefiting approximately 6,13,179 students across the country. Additionally, the Committee participated in 24 career/education fairs across India, reaching more than 16,840 students.

### **Awards & Recognition**

**Guinness World Record-** The Institute of Chartered Accountants of India achieved a Guinness World Record for conducting the "Largest Careers Advice Lesson" with an objective to help students to choose the right career path for their future in different streams held in Mumbai on 27<sup>th</sup> November, 2025. The event witnessed participation from over 7,400 students, teachers, principals, and stakeholders, with an eligible record count of 6,166 students. The Guinness World Records jury officially recognised and felicitated ICAI for this remarkable achievement.

**World Book of Records:** The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) achieved a World Book of Records recognition for successfully organizing the Career in Accounting and Finance for Youth (CAFY 4.0) and Super Mega Career Counselling Programme simultaneously across 87 branches on a single day, i.e., 27<sup>th</sup> November 2025, benefiting over 1.20 lakh students nationwide. The initiative provided comprehensive career guidance in the field of Commerce, empowering students to make informed decisions and choose the right career path for their future.

## **11. Section – 8 Companies**

### **11.1 XBRL INDIA**

For the effective participation of regulators, technologists, corporates and academicians in the Institute's endeavour to promote XBRL in India, the Institute facilitated the incorporation of XBRL India as a Section 8 Company (formerly Section 25 under the Companies Act, 1956), with the main objective of promoting and encouraging the adoption of XBRL as the standard for electronic business reporting in India, through the development of taxonomies and facilitation of education and training. XBRL India is an established Indian jurisdiction of XBRL International.

### **(I) Development and Maintenance of Taxonomies for MCA**

XBRL India is currently developing and maintaining XBRL taxonomies for the Ministry of Corporate Affairs (MCA). Two Taxonomies are presently applicable to companies: the Ind AS Taxonomy and the Commercial and Industrial (C&I) Taxonomy. XBRL India submitted samples of Instance Documents for testing purposes of taxonomies to MCA (initially submitted in 2022), and meetings and discussions were held during the year with MCA officials regarding the updation of taxonomies. Queries and issues faced by filers with regard to taxonomies while converting Financial Statements to XBRL formats have also been resolved.

## (II) Development of New Taxonomies

Apart from the Ind AS and C&I taxonomies, XBRL India has proposed to MCA the development of taxonomies for the following sectors (currently under review by MCA): Non-Banking Finance Companies (NBFCs); Insurance Entities (both life and non-life insurance companies, separately).

## (III) Participation in International Activities

As a member of XBRL International, the contribution of XBRL India extends beyond India. Board members of XBRL India regularly represent India at various meetings and events of XBRL International. During the year, Board members participated in the XBRL International Member Assembly and in Data Amplified 2025. As a Board member, Immediate Past President attended the Board of Directors meeting of XBRL International held on 28<sup>th</sup>-29<sup>th</sup> April, 2025.

### 11.2 ICAI- Accounting Research Foundation (ARF)

ICAI Accounting Research Foundation (ICAI ARF) was established in January, 1999 to be developed as an academy for imparting, spreading and promoting knowledge, learning, education and understanding in the various fields related to the profession of accountancy. The following is the detail of projects undertaken by ICAI ARF:

- **Indian Railways:** Indian Railways, the fourth largest railway network in the world after the United States, Russia and China, is undertaking several initiatives towards Accounting Reforms in line with generally accepted accounting principles. In its journey of accounting reforms, the Indian Railways had initiated exercise of preparation of its Accrual Based Financial Statements in 2014, marking a major shift towards enhanced financial transparency and accountability. Since the inception of this initiative, the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and its Accounting Research Foundation (ICAI ARF) have played a pivotal role in supporting these reforms. ICAI ARF has been instrumental in guiding Indian Railways through the migration to an accrual-based accounting system. ICAI ARF have successfully prepared the Accrual Based Financial Statements for all Zonal Railways and Production Units from the financial year 2015-16 to 2022-23 under the grafting method.

#### Initiatives during the year

1. For the first time, Accrual Based Financial Statements (ABFS) of Indian Railways under transactional method for the financial year 2023-24 prepared and submitted. Several initiatives towards environment Sustainability undertaken by the Indian Railways have been reflected in the financial statements. ABFS for the year 2023-24 under grafting method is also under development for comparison with new transactional method.
  2. ABFS of Indian Railways for the year 2024-25 under transactional method is under progress.
  3. Proposal to review Accounts/Finance Codes, relevance of various account heads and allocation/classification of expenditure and earnings on Indian Railways (RAFC) has been initiated and is currently under progress.
- **Treasuries and Accounts Department, Government of Tamil Nadu:** ICAI ARF has undertaken the task of Re-writing of Tamil Nadu Financial Code, Volume I & II. The ICAI has submitted the Report during the year to the department.
  - **Impact Study of GST reforms 2.0 on Scheme of Budgetary Support under Goods and Services Tax Regime** - The Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) awarded the project to ICAI ARF for undertaking the study of GST reforms 2.0 on Scheme of Budgetary Support under Goods and Services Tax Regime. The project is under progress.

- **Indian Ports Association (IPA):** ICAI ARF had formulated and submitted the Report on Common Framework for the preparation of annual accounts for Major Ports and Significant Accounting Policies for all ports to the IPA. Both the documents were under Ministry of Shipping Port and Waterways (MoPSW) for notifying in consultation with CAG for implementation in all Major Ports. In this regard, various meetings were held with the officials of C&AG and Ministry of Shipping Port and Waterways during the year.
- **Certificate Course for Accountants of Panchayats & Municipal Bodies:** ICAI ARF executed the project of Certificate Courses for Accountants of Panchayats and Municipal Bodies through Board for Local Bodies Accountants Certification (i.e., BLoAC established under ICAI ARF) in collaboration with the Committee on Public and Government Financial Management (CPGFM) of ICAI. The courses were formally launched on 16<sup>th</sup> November 2023 (Audit Diwas) and the registrations of these courses were initiated on 1<sup>st</sup> December 2023 through a dedicated website <https://lba.icaiarf.org.in/>. Approx. 5000 candidates have registered for this course till date. As per structure of course, four Screening Exams and four Main Exams have already been held till date.

### 11.3 ICAI REGISTERED VALUERS ORGANISATION (ICAI RVO)

The ICAI Registered Valuers Organisation (ICAI RVO) is a Section 8 company established by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). It was incorporated on 23<sup>rd</sup> February, 2018 to enrol and regulate Registered Valuers as its members in accordance with the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017. ICAI RVO functions as a Registered Valuers Organisation under the authority of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI).

The key activities and achievements:

#### (I) Enrolment of Members (FY 2025-26)

- Total Primary Members enrolled: 749
- Total Registered Valuer Members enrolled: 83

#### (II) Empowering Members through Education and Training

##### Educational Course – Asset-class-wise batches conducted:

| Asset Class                    | Batches Conducted | Participants Trained |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|
| Securities or Financial Assets | 11                | 529                  |
| Land and Building              | 3                 | 28                   |
| Plant and Machinery            | 2                 | 10                   |

##### Continuous Educational Programmes (CEP) – Training conducted:

| Asset Class                          | Trainings Conducted | Hours Imparted | Participants Trained |
|--------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| Securities or Financial Assets (SFA) | 20                  | 44             | 2,056                |
| Plant and Machinery (P&M)            | 1                   | 2              | 72                   |
| L&B and SFA                          | 1                   | 2              | 48                   |
| L&B and P&M                          | 1                   | 2              | 53                   |
| L&B, P&M and SFA                     | 16                  | 32             | 1,133                |
| Total                                | 39                  | 82             | 3,362                |

- **Master Class on Valuation:** Master Classes were conducted, imparting 20 hours of training to 433 participants.
- **Certificate of Practice (COP) Training:** 8 COP trainings were conducted, training 77 members.

### (III) Capacity Building and Technological Advancements

- **Learning Management System (LMS):** ICAI RVO's online Learning Management System provides a holistic and easily accessible learning platform for its members and is updated on a regular basis.
- **Course Material for New Asset Classes:** ICAI RVO released the First Edition of the Educational Course Material for Land & Building and Plant & Machinery in June 2025, following the syllabus mandated by the IBBI for the Valuation Examination for these respective asset classes.

### (IV) Events

The 3<sup>rd</sup> edition of RESOLVE-2025, an international convention on insolvency and resolution themed "Enabling Resolution, Maximising Value", was organised on 1<sup>st</sup> –2<sup>nd</sup> December 2025 at Mumbai, by ICAI in association with the IBBI, IICA, IIPI and ICAI RVO.

### (V) Monitoring of Members

- **Monitoring:** The Half-Yearly Report (HYR) for the period up to 30<sup>th</sup> September, 2025 was successfully concluded and reported to the IBBI, while submission for the March 2026 period is underway.
- **Peer Review:** 38 valuation assignments relating to 15 Registered Valuers and 4 Registered Valuer Entities were covered.
- **Inspection:** 15 valuation reports of 15 Registered Valuers were inspected. The findings of both exercises have been finalised and are proposed to be placed before the Monitoring Committee for consideration and approval.

### (VI) Publications

Four quarterly journals of ICAI RVO were released during the year – Volume 1, Issue 5 (April 2025); Issue 6 (July 2025); Issue 7 (October 2025); and Issue 8 (January 2026).

## 11.4 INDIAN INSTITUTE OF INSOLVENCY PROFESSIONALS OF ICAI (IIPI)

The Indian Institute of Insolvency professionals of ICAI 'IIPI', a wholly owned subsidiary of the Institute of Chartered Accountants of India 'ICAI', is a section 8 Company promoted by ICAI to enrol and regulate insolvency professionals as its members in accordance with the Insolvency and Bankruptcy code 2016 and read with regulations. IIPI has been awarded with the registration certificate as the First Insolvency Professional Agency of India by Hon'ble Union Finance Minister on 28<sup>th</sup> November 2016 at Delhi. IIPI is the largest IPA with nearly two-third of members in India, has attracted members from a diverse stream including Chartered Accountant, Company Secretary, Cost Accountant, Advocates and Management Professionals. It has networked with other national and international bodies in furtherance of the capacity and knowledge building of stakeholders on the one hand and providing value-added policy inputs for the evolving law and practice of the IBC on the other.

IIPI is one of the key pillars in the insolvency and bankruptcy regime. It is a front-line regulator required to discharge multiple statutory responsibilities. It is responsible for the development and regulation of insolvency profession and professionals, besides building knowledge and capacity of stakeholders. In a parlance, it is a mini-State, last in the hierarchy of parliamentary delegation of authority with regulatory, executive and quasi-judicial responsibilities.

Out of the total 4,643 Insolvency Professionals registered with the IBBI as on 30<sup>th</sup> April 2026, 2,907, i.e. 62.61%, are from IIIPI. IIIPI's members have so far handled approximately 75% of the overall assignments of CIRP/Liquidation/Voluntary Liquidation, including many of the largest cases.

### (I) Distribution of Membership between IPAs

#### Individual Insolvency Professionals (IPs) registered, IPA-wise:

| Name of IPA  | 31.3.2024    | %          | 31.3.2025    | %          | 31.3.2026    | %          | 30.4.2026    | %          |
|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| IIIPI        | 2,762        | 62.86      | 2,834        | 62.87      | 2,903        | 62.61      | 2,907        | 62.61      |
| IPA ICSI     | 1,217        | 27.70      | 1,247        | 27.66      | 1,285        | 27.71      | 1,285        | 27.68      |
| IPA ICMAI    | 415          | 9.44       | 427          | 9.47       | 449          | 9.68       | 451          | 9.71       |
| <b>Total</b> | <b>4,394</b> | <b>100</b> | <b>4,508</b> | <b>100</b> | <b>4,637</b> | <b>100</b> | <b>4,643</b> | <b>100</b> |

#### Insolvency Professional Entities (IPEs) registered, IPA-wise:

| Name of IPA  | 31.3.2024 | %          | 31.3.2025 | %          | 31.3.2026 | %          | 30.4.2026 | %          |
|--------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| IIIPI        | 41        | 54.67      | 50        | 54.95      | 56        | 56.57      | 56        | 56.57      |
| IPA ICSI     | 12        | 16.00      | 16        | 17.58      | 17        | 17.17      | 17        | 17.17      |
| IPA ICMAI    | 22        | 29.33      | 25        | 27.47      | 26        | 26.26      | 26        | 26.26      |
| <b>Total</b> | <b>75</b> | <b>100</b> | <b>91</b> | <b>100</b> | <b>99</b> | <b>100</b> | <b>99</b> | <b>100</b> |

### (II) Capacity Building Initiatives

Dialogues and deliberations are crucial to the capacity building of professional members in any profession, and even more so in the context of the insolvency profession, which impacts multiple stakeholders and is considered one of the most complex professions. The performance of the IBC ecosystem is, to a great extent, directly linked to the capacity building of IPs. IIIPI's endeavour has been not only to sustain the momentum but also to keep launching capacity-building initiatives to meet stakeholders' expectations. The key initiatives during the year include:

| S. No. | Programme / Activity                                                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 18 Executive Development Programmes (EDPs) across five domains                         |
| 2      | 44 Webinars on contemporary topics (3-hour format)                                     |
| 3      | 23 One-Day Workshops on multiple topics                                                |
| 4      | 7 Roundtables on IBBI Discussion Papers and Emerging Issues                            |
| 5      | 9 LIE Examination Preparation Classes (5-day format)                                   |
| 6      | 3 Virtual Half-Day Workshops on Common Issues in association with IBBI and other IPAs  |
| 7      | 2 Physical Half-Day Workshops on Common Issues in association with IBBI and other IPAs |
| 8      | National Research Conclave in association with NALSAR Hyderabad and IICA Manesar       |
| 9      | Residential Workshop on the IBC in association with IBBI                               |
| 10     | 3rd International Convention on Insolvency Resolution and Valuation (RESOLVE-2025)     |
| 11     | 2 Conferences on IBC-related topics in association with PHDCCI                         |
| 12     | 5 Three-Day Training Programmes organised by IBBI and other IPAs                       |



| S. No. | Programme / Activity                                                                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 13     | Training Programme on Limited Insolvency Examination (LIE Course) for PGIP Students     |
| 14     | Revival and Resilience: India Turnaround Summit 2026                                    |
| 15     | Seminar on the IBC (Amendment) Bill, 2026                                               |
| 16     | Webinar Series – IBC Reform Dialogue 2026 – IBC Amendment Act and IBBI Discussion Paper |

### (III) Research and Studies Conducted

- During FY 2025-26, the following study reports/research documents/internal study reports were developed:
  - (a) Developing the Market for Distressed Assets in India; and
  - (b) Taxation/Accounting/Company Compliances required under the IBC – Best Practices.
- 5 research projects have been approved so far by IIPI under its Research Project Scheme, in the areas of real estate resolutions, the PPIRP framework, insolvency laws in India vis-à-vis internationally, and resolving insolvency in FPCs in East India.

### (IV) Monitoring of Insolvency Professionals

As per the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016, IIPI is required to monitor the professional activities and conduct of its professional members for their adherence to the provisions of the Code, Rules, Regulations and Guidelines issued thereunder, the Bye-laws, the Code of Conduct and the directions given by the Governing Board. The monitoring, including inspections, is continuous and covers assignments undertaken by IPs, particularly Corporate Insolvency Resolution Processes (CIRP), Liquidation Processes, Voluntary Liquidations and individual insolvency pertaining to Personal Guarantors to Corporate Debtors.

It involves a review of records, reports, filings, timelines and decision-making, to assess whether the IP has acted with integrity, independence and due diligence. Any deviations, lapses or non-compliances identified during the monitoring process are examined and appropriate actions are initiated in accordance with the applicable framework, which may include seeking explanations, issuing warnings, imposing penalties or referring the matter for disciplinary proceedings, thereby ensuring accountability and maintaining high standards of professional practice.

### (V) Grievance Redressal and Disciplinary Mechanism

- During the period, IIPI received 78 grievances and disposed of 97 grievances (including grievances pertaining to the previous year). Since inception, the Grievance Redressal Committee has disposed of 507 cases, with 32 matters remaining pending.
- IIPI initiated 15 disciplinary proceedings during the period and disposed of 23 matters (including matters pertaining to previous years). A total of 235 cases have been disposed of, while 9 matters remained pending.
- Further, one appeal was received and disposed of during the period. 4 appeals have been disposed of since inception, with no cases pending.

## 11.5 THE INSTITUTE OF SOCIAL AUDITORS OF INDIA (ISAI)

The Institute of Social Auditors of India (ISAI) was incorporated under Section 8 of the Companies Act, 2013 on 7<sup>th</sup> October, 2022, under the aegis of ICAI, as a Self-Regulatory Organisation with the prime objective of being a leading institution for developing independent, ethical and world-class Social Impact Assessors (earlier Social Auditors) responding to the needs and expectations of stakeholders. ISAI enrolls, regulates and develops Social Impact Assessors in an independent and transparent manner and also works on the capacity building of Social Impact Assessors through continuous professional education and training.

**(I) Governing Board of ISAI**

ISAI functions through its Governing Board, which comprises a minimum of twelve Directors, namely: (a) a Chairperson having rich experience in the social sector/impact assessment, or from a renowned academic institution; (b) five Central Council Members of ICAI/the Sustainability Reporting Standards Board with relevant experience; (c) one person nominated by the Securities and Exchange Board of India (SEBI); (d) one person nominated by the Ministry of Corporate Affairs (MCA)/Ministry of Home Affairs (MHA)/Ministry of Social Justice & Empowerment; (e) one person nominated by the Capacity Building Fund; (f) one person nominated by the Social Stock Exchange; (g) one member from the thematic areas of the social sector; and (h) one member having cross-sectoral experience in social sectors.

For the period from 1<sup>st</sup> April, 2025 to 31<sup>st</sup> March, 2026, two Governing Board meetings were convened at New Delhi – the 10<sup>th</sup> Governing Board Meeting on 24<sup>th</sup> June, 2025 and the 11<sup>th</sup> Governing Board Meeting on 2<sup>nd</sup> September 2025. The 3<sup>rd</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Company was held on 18<sup>th</sup> September 2025, and the Annual Return and financials have been filed with the MCA.

**(II) Sub-Committees of ISAI**

Seven Sub-Committees have been constituted in terms of the Bye-laws of the Company to regulate its working in the most transparent and efficient manner, comprising members of the Governing Board, namely the Advisory Committee, Membership Committee, Monitoring Committee, Grievance Redressal Committee, Appellate Committee, Disciplinary Committee and Editorial Board. During the financial year 2025-26, two Membership Committee meetings were convened, on 6<sup>th</sup> November, 2025 and 19<sup>th</sup> January, 2026, through virtual/physical mode, wherein important decisions related to the allotment of membership of ISAI were taken.

**(III) Registration of Social Impact Assessors**

ISAI has registered 765 Social Impact Assessors, the details of which are available on the website of the Company.

**(IV) Online Training Course on the NISM Series XXIII: Social Impact Assessor Certification Examination**

ISAI conducts an online training course to facilitate preparation for the “NISM Series XXIII: Social Impact Assessor Certification Examination”. The online classes cover all 11 chapters of the NISM study material across 21 study hours with expert faculties, MCQs for each chapter, case studies and illustrative examples. ISAI conducted one batch of the online training course during the financial year 2025-26 and trained 30 participants for the examination.

**(V) Webinars**

ISAI organised 5 webinars during the year for capacity building and to create awareness about the Social Stock Exchange, Social Audit and Social Impact Assessment amongst stakeholders and the public at large:

**11.6 ICAI INTERNATIONAL ADR CENTRE (IIAC)**

The ICAI International ADR Centre (IIAC), a Section 8 Company established by the Institute of Chartered Accountants of India, was formally launched on 30<sup>th</sup> July, 2025 by Hon'ble Minister of State (Independent Charge) for Law & Justice and Minister of State for Parliamentary Affairs, Government of India, at New Delhi and incorporated on 8<sup>th</sup> August, 2025. The IIAC was set up with the objective of promoting and institutionalising Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanisms through arbitration, mediation, conciliation and other dispute resolution processes. The Centre seeks to provide efficient, transparent, technology-enabled and cost-effective dispute resolution services in commercial, financial, contractual, corporate and economic matters while upholding the principles of fairness, neutrality, confidentiality and procedural efficiency.

**Major developments:**

- The IIAC marked ICAI's entry into the institutional Alternative Dispute Resolution ecosystem and reaffirmed its commitment towards supporting efficient dispute resolution mechanisms and ease of doing business.
- Statutory and regulatory compliances, including filings with the Ministry of Corporate Affairs, were undertaken for establishing the institutional framework of the Centre.
- Drafting and finalisation of Arbitration Rules and Mediation Frameworks were initiated, drawing upon international best practices and aligned with the Indian legal and regulatory framework.
- A Governing Board comprising representatives of ICAI, eminent legal professionals, former institutional leaders and experienced practitioners was constituted to provide strategic direction and strengthen the Centre's institutional governance and credibility.
- Going forward, IIAC aims to emerge as a premier ADR institution by fostering capacity building, promoting awareness of ADR mechanisms, facilitating domestic and international dispute resolution, and contributing to the development of a robust, efficient and trusted dispute resolution framework.

**12 QUALITY REVIEW BOARD (QRB)**

The Quality Review Board (QRB), established by the Central Government of India under Section 28A of the Chartered Accountants Act, 1949 (The 'Act'), operates as an independent body to review the quality of services rendered by Chartered Accountants in India. The constitution of the Board consists of a Chairperson, five members appointed by the Central Government, and five members nominated by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), ensuring a balanced governance structure.

While statutorily empowered to examine quality of all professional services under Sec. 28B of the Act, the QRB is presently engaged in the review of quality of statutory audit services. In accordance with Section 28B, its principal functions consist of:

- To make recommendations to the Council with regard to the quality of services provided by the members of the Institute.
- To review the quality of services provided by the members of the Institute including audit services.
- To guide the members of the Institute to improve the quality of services and adherence to the various statutory and other regulatory requirements.
- To forward cases of non-compliance with various statutory and regulatory requirements by the members of the Institute or firms, noticed by it during the course of its reviews, to the Disciplinary Directorate for its examination.

Subsequent to the establishment of National Financial Reporting Authority (NFRA) by the Central Government in 2018, the jurisdiction of QRB has been correspondingly defined. The QRB is now mandated to undertake reviews of audit quality in respect of entities falling outside the ambit of Rule 3 of the NFRA Rules, 2018, as well as those referred to QRB by NFRA under Rule 9(4) of NFRA Rules, 2018.

**(I) Quality Review Status of Selected Audit Firms:**

During the year 2025-26, 60 reviews of the audit quality of various audit firms were conducted by the Quality Review Board. The decisions taken by the Board in such cases are as under:

| S. No. | Particulars                                                                                                                                                                                | Number of Audit Quality Reviews |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1      | Advisories/letters of improvement issued to concerned audit firms for improvement of the quality of audit services and adherence to statutory and regulatory requirements [Section 28B(c)] | 49                              |

| S. No. | Particulars                                                                                                                             | Number of Audit Quality Reviews |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 2      | Cases forwarded to the Disciplinary Directorate of ICAI for examination [Section 28B(d)]                                                | 9                               |
| 3      | Case forwarded to the Disciplinary Directorate for consideration under Clause (2) of Part III of the First Schedule to the CA Act, 1949 | 1                               |
| 4      | Cases closed (no further action taken)                                                                                                  | 1                               |
|        | Total cases                                                                                                                             | 60                              |

## (II) Capacity Building – Webinar for Empanelled Technical Reviewers

The Board organised a webinar for empanelled Technical Reviewers to share experiences, update them on recent developments and communicate the Board's expectations, with a focus on quality enhancement, transparency and consistency in the review process. The programme was attended by 145 Reviewers along with their assistants and was well appreciated. The Board resolved that similar capacity-building initiatives would continue in the future.

## (III) Recent Amendments and Developments by QRB for Quality Assurance

- The "Standard Operating Procedure (SOP) for Conducting Quality Reviews" has been modified and updated, and the revised SOP has been hosted on the Board's website (<https://www.grbca.in/>).
- The rating criteria for Technical Reviewers has been revised to ensure the selection of high-quality Reviewers, to facilitate the identification and management of underperformance, and thereby contribute to overall quality enhancement.

## 13. FINANCE AND ACCOUNTS

As per the Section 18(5B) of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council shall cause to be published in the Gazette of India not later than the 30<sup>th</sup> day of September of the year next following, a copy of the audited accounts and the Report of the Council for that year duly approved by the Council. Accordingly, the Balance Sheet as on 31<sup>st</sup> March, 2026 and the Income & Expenditure Account for the year ended on that date as approved by the Council duly audited along with auditors' report are enclosed.

## APPRECIATION

The Council is grateful to members of the profession who functioned as co-opted members on its Committees, persons nominated on the Boards/Committees constituted under the Chartered Accountants Act, 1949, the Regional Councils, its branches, and their members, and to the special invitees and non-members who assisted the Council during the year 2025-26 in the conduct of its educational, technical and other developmental activities and in its examinations.

The Council wishes to place on record its appreciation of the continued assistance and support given by the Central Government and its nominees on the Council during the year 2025-26.

The Council also acknowledges its appreciation of the sincere interest evinced by various Central and State Governments in the numerous initiatives taken by the ICAI and the steps already/being initiated by them, pursuant to such initiatives.

The Council also acknowledges its appreciation of the sincere and devoted efforts put in during the year 2025-26 and thereafter by all officers and employees of the ICAI.

**COMPOSITION OF THE COUNCIL****Members of the Council****Elected Members****President**

CA. Prasanna Kumar D

**Western Region**

CA. Vishnu Kumar Agarwal

Mumbai

CA. Jay Chhaira

Surat

CA. Piyush Sohanraji Chhajed

Mumbai

CA. Chandrashekhar Vasant Chitale

Pune

**Vice-President**

CA. Mangesh P. Kinare

CA. Vishal Doshi

Vadodara

CA. Arpit Jagdish Kabra

Mumbai

CA. Durgesh Kumar Kabra

Mumbai

CA. Purushottamlal Khandelwal

Ahmedabad

CA. Mangesh P. Kinare

Thane

CA. Priti Savla

Mumbai

CA. Umesh Sharma

Aurangabad

**Southern Region**

CA. Babu Abraham Kallivayalil

Kochi

CA. Dayaniwas Sharma

Hyderabad

CA. Madhukar Narayan Hiregange

Bengaluru

CA. Sridhar Muppala

Hyderabad

CA. Prasanna Kumar D

Visakhapatnam

**Secretary to the Council**

CA. (Dr.) Jai Kumar Batra

CA. Rajendra Kumar P

Chennai

CA. Sripriya Kumar

Chennai

Secretary

**Eastern Region**

CA. Ravi Kumar Patwa

Silchar

CA. Sanjib Sanghi

Kolkata

**Central Region**

CA. Rohit Ruwatia

Jaipur

CA. Abhay Chhajed

Bhopal

CA. (Dr.) Anuj Goyal

Ghaziabad

CA. Satish Kumar Gupta

Jaipur

CA. Gyan Chandra Misra

Ghaziabad

CA. Pankaj Shah

Indore

**Northern Region**

CA. Sanjay Kumar Agarwal

New Delhi

CA. Hans Raj Chugh

New Delhi

CA. Pramod Jain

New Delhi

CA. Charanjot Singh Nanda

New Delhi

CA. Rajesh Sharma

Delhi

CA. (Dr.) Sanjeev Kumar Singhal

New Delhi

**Government Nominee**

Shri Rahul Jain, Joint Secretary (dealing with Professional Institutes), MCA

New Delhi

Shri Bala Murugan D., Joint Secretary

New Delhi

Ministry of Corporate Affairs

Shri Manoj Kumar Sahu

Mumbai

(ICLS), Regional Director, WR-II

Shri Naveen Singhvi

New Delhi

PD (Com.II), C&amp;AG (C&amp;AG Nominee)

Shri Sanjay Sharan

New Delhi

Indian Postal Service Group A (1989)

Justice (Former) Shashi Kant Gupta

Prayagraj

Allahabad High Court

Shri Mukhmeet Singh Bhatia, IAS-1990, (Retd)

New Delhi

Shri Vinod Kumar Jindal

Ghaziabad

Indian Cost Accounts Service (1988)

**ASA & Associates LLP**  
**Chartered Accountants**  
**Aurobindo Tower**  
**81/1, Third Floor, Adchini**  
**Aurobindo Marg, New Delhi -110017**

**Jagdish Chand & Co**  
**Chartered Accountants**  
**H-20, LGF**  
**Green Park (Main)**  
**New Delhi-110016**

### **INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

**To the Council of The Institute of Chartered Accountants of India**

#### **Report on the Audit of the Financial Statements**

##### **Opinion**

We have audited the accompanying financial statements of the Institute of Chartered Accountants of India ("the Institute"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2026, the Statement of Income and Expenditure, the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "financial statements") in which are incorporated the returns/financial statements audited by the branch auditors of Institute's Decentralized offices, Overseas offices, Centers of Excellence, Regional Councils and their Branches.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Chartered Accountants Act, 1949 (as amended up to date) and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Institute as at March 31, 2026, and its surplus and its cash flows for the year ended on that date.

##### **Basis for Opinion**

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Our responsibilities under those Standards are further described in the 'Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements' section of our report. We are independent of the Institute in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the financial statements.

##### **Responsibilities of Management and those charged with governance for the Financial Statements**

The Institute's Management and those charged with governance are responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, and cash flows of the Institute in accordance with the Chartered Accountants Act, 1949 ("the Act") This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Institute and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the management and those charged with governance are responsible for assessing the Institute's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the management and those charged with governance either intends to liquidate the Institute or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are also responsible for overseeing the Institute's financial reporting process.

### **Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements**

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal controls.
- Obtain an understanding of internal controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Institute's internal controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of the management and those charged with governance's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Institute's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Institute to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal controls that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

### **Other Matters**

- a) There are number of study circles, study chapters authorized by the Institute to facilitate continuous professional education activities for members in India and abroad. The Institute has represented that these study circles/chapters are separate entities and accordingly their financial statements are not required to be consolidated. We have relied on this representation.
- b) We did not audit the financial statements/information of the Institute's Decentralized Offices, Overseas Offices, Centers of Excellence, Regional Councils and their branches (collectively known as Branches) whose financial statements reflect total assets of ₹ 1,54,981 Lakhs and net assets of ₹ 34,385 Lakhs as at March 31, 2026, total revenue of ₹ 35,553 Lakhs and net cash outflows of ₹ 328 Lakhs for the year ended March 31, 2026, as considered in the financial statements. The Financial Statements/information of these Branches have been audited by the Branch Auditors whose reports have been furnished to us by the management and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of such Branches, is solely based on the reports of Branch Auditors.
- c) We did not audit the financial statements/information of the Institute's Singapore Overseas Office, Jhunjhunu & Korba Branch of Central India Regional Council of the Institute, Khammam of Southern India Regional Council of the Institute and Gondia & Morbi Branch of Western India Regional Council of the Institute, which reflect total assets of ₹ 3 Lakhs and net assets of ₹ (65) Lakhs as at March 31, 2026, total revenue of ₹ NIL Lakhs and net cash inflows of ₹NIL Lakhs as at March 31, 2026, as considered in the financial statements. Such financial statements/information are unaudited and have been furnished to us by the management and our report, in so far as it relates to the amount and disclosures, is based solely on the unaudited financial statement/information. According to the information and explanation given to us, these financial statements/information are not material to the Institute.
- d) The comparative financial statements of the Institute for the year ended March 31, 2025, were audited by predecessor auditors who expressed unmodified opinion on those financial statements in their audit report dated July 30, 2025.

Our opinion is not modified in respect of above matters.

### **Report on other Regulatory Requirements**

Further, we report that:

- (a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;
- (b) In our opinion, proper books of account have been kept by the Institute so far as appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purpose of our audit have been received from the branches not visited by us;



- (c) The Reports on the accounts of the branches of the Institute audited by branch auditors have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
- (d) The Balance Sheet, the Statement of Income and Expenditure, and the Statement of Cash Flows dealt with by this Report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us.

**For ASA & Associates LLP**

Chartered Accountants  
Firm Registration No: 009571N/N500006

**For Jagdish Chand & Co**

Chartered Accountants  
Firm Registration Number: 000129N

Sd/-

**Parveen Kumar**

Partner

Membership No. 088810

UDIN: 26088810ZWGRDY7167

Place: New Delhi

Date: July 27, 2026

Sd/-

**Praveen Kumar Jain**

Partner

Membership No. 085629

UDIN: 26085629XQCENR3875

Place: New Delhi

Date: July 27, 2026

**THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**  
**ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, New Delhi - 110 002**  
**Balance Sheet as at 31<sup>st</sup> March 2026**

(₹ in Lakhs)

| Particulars |                                                         | Note  | As at<br>31st March 2026 | As at<br>31st March 2025 |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|
| <b>I</b>    | <b>SOURCES OF FUNDS</b>                                 |       |                          |                          |
|             | <b>1. NPO Funds</b>                                     |       |                          |                          |
|             | (a) Unrestricted Funds                                  |       |                          |                          |
|             | i) Reserves and Surplus                                 | 03    | 2,06,032                 | 1,93,097                 |
|             | ii) Designated Funds                                    | 04    | 1,44,875                 | 1,42,777                 |
|             | (b) Restricted Funds                                    | 05    | 872                      | 840                      |
|             |                                                         |       | 3,51,779                 | 3,36,714                 |
|             | <b>2. Non-current liabilities</b>                       |       |                          |                          |
|             | (a) Long-term liabilities                               | 06    | 7,332                    | 7,591                    |
|             | (b) Long-term provisions                                | 07    | 8,003                    | 21,649                   |
|             |                                                         |       | 15,335                   | 29,240                   |
|             | <b>3. Current liabilities</b>                           |       |                          |                          |
|             | (a) Payables                                            | 08    | 5,059                    | 9,360                    |
|             | (b) Other current liabilities                           | 09    | 34,503                   | 32,450                   |
|             | (c) Short-term provisions                               | 07    | 8,011                    | 4,175                    |
|             |                                                         |       | 47,573                   | 45,985                   |
|             | <b>Total</b>                                            |       | <b>4,14,687</b>          | <b>4,11,939</b>          |
| <b>II</b>   | <b>APPLICATION OF FUNDS</b>                             |       |                          |                          |
|             | <b>1 Non-current assets</b>                             |       |                          |                          |
|             | (a) Property, plant and equipment and intangible assets |       |                          |                          |
|             | (i) Property, plant and equipment                       | 10    | 97,633                   | 78,176                   |
|             | (ii) Intangible assets                                  | 11    | 243                      | 379                      |
|             | (iii) Capital work in progress                          | 12(a) | 4,452                    | 10,618                   |
|             | (iv) Intangible assets under development                | 12(b) | 359                      | 352                      |
|             | (b) Non-current investments                             | 13    | 1,87,321                 | 1,73,778                 |
|             | (c) Long term loans and advances                        | 15    | 2,250                    | 1,695                    |
|             | (d) Other non-current assets                            | 16    | 1,932                    | 6,680                    |
|             |                                                         |       | 2,94,190                 | 2,71,678                 |
|             | <b>2 Current assets</b>                                 |       |                          |                          |
|             | (a) Inventories                                         | 14    | 550                      | 1,014                    |
|             | (b) Receivables                                         | 17    | 1,036                    | 1,704                    |
|             | (c) Cash and bank balances                              | 18    | 1,00,468                 | 1,20,332                 |
|             | (d) Short term loans and advances                       | 15    | 12,120                   | 10,120                   |
|             | (e) Other current assets                                | 19    | 6,323                    | 7,091                    |
|             |                                                         |       | 1,20,497                 | 1,40,261                 |
|             | <b>Total</b>                                            |       | <b>4,14,687</b>          | <b>4,11,939</b>          |

Brief about the entities

01

Summary of significant accounting policies

02

The accompanying notes 3 to 32 are an integral part of the financial statements

For and on behalf of the Council

Sd/-  
CA. Sudeep Shrivastava  
Additional Secretary  
(Finance & Accounts)

Sd/-  
CA. (Dr.) Jai Kumar Batra  
Secretary

Sd/-  
CA. Mangesh P. Kinare  
Vice-President

Sd/-  
CA. Prasanna Kumar D.  
President

As per our report of even date

For ASA & Associates LLP  
Chartered Accountants  
FRN : 009571N/N500006

For Jagdish Chand & Co.  
Chartered Accountants  
FRN : 000129N

Sd/-  
CA. Parveen Kumar  
Membership No. 088810  
Partner

Sd/-  
CA. Praveen Kumar Jain  
Membership No. 085629  
Partner

Place: New Delhi

Dated: July 27, 2026

**Statement of Income and Expenditure for the year ended 31<sup>st</sup> March 2026**

(₹ in Lakhs)

| Particulars |                                                                     | Note | For the year ended<br>31 <sup>st</sup> March 2026 | For the year ended<br>31 <sup>st</sup> March 2025 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>I</b>    | <b>Income</b>                                                       |      |                                                   |                                                   |
|             | (a) Donations                                                       |      | 4                                                 | -                                                 |
|             | (b) Fees from rendering of services                                 | 20   | 99,139                                            | 95,974                                            |
|             | (c) Sale of publications and other items                            | 21   | 581                                               | 672                                               |
|             | (d) Income from restricted funds                                    | 22   | 43                                                | 64                                                |
|             | (e) Other income                                                    | 23   | 22,178                                            | 22,127                                            |
|             | <b>Total Income (I)</b>                                             |      | <b>1,21,945</b>                                   | <b>1,18,837</b>                                   |
| <b>II</b>   | <b>Expenditure</b>                                                  |      |                                                   |                                                   |
|             | (a) Cost of publications and study material                         | 24   | 6,202                                             | 5,301                                             |
|             | (b) Employee benefits                                               | 25   | 12,826                                            | 27,153                                            |
|             | (c) Depreciation and amortization                                   | 26   | 5,065                                             | 3,787                                             |
|             | (d) Expense from restricted funds                                   | 27   | 45                                                | 36                                                |
|             | (e) Other expenses                                                  | 28   | 82,797                                            | 74,545                                            |
|             | <b>Total Expenditure (II)</b>                                       |      | <b>1,06,935</b>                                   | <b>1,10,822</b>                                   |
| <b>III</b>  | <b>Excess of Income over Expenditure for the year [I - II]</b>      |      | <b>15,010</b>                                     | <b>8,015</b>                                      |
|             | <b>Appropriations : Transfer to Funds</b>                           |      |                                                   |                                                   |
|             | a) Donation received for buildings [Refer Note 2.06 (i)]            |      | 4                                                 | -                                                 |
|             | b) Education Fund [Refer Note 2.06 (ii)]                            |      | 5,236                                             | 1,892                                             |
|             | c) Employees Benevolent Fund [Refer Note 2.06 (iii)]                |      | 73                                                | 51                                                |
|             | d) Infrastructure Reserve [Refer Note 2.06 (iv)]                    |      | 373                                               | 254                                               |
|             | e) Designated Funds (net of expenses) [Refer Note 2.06 (vi)]        |      | 6,381                                             | 4,090                                             |
|             | f) Restricted Funds (net of expenses) [Refer Note 2.06 (vi)]        |      | (2)                                               | 28                                                |
|             | g) Information Technology Training Reserves [Refer Note 2.06 (vii)] |      | 929                                               | 705                                               |
|             | h) Sinking Fund [Refer Note 2.06 (viii)]                            |      | 2,016                                             | 995                                               |
|             | <b>Total</b>                                                        |      | <b>15,010</b>                                     | <b>8,015</b>                                      |

Brief about the entities

01

Summary of significant accounting policies

02

The accompanying notes 3 to 32 are an integral part of the financial statements

For and on behalf of the Council

Sd/-  
CA. Sudeep Shrivastava  
Additional Secretary  
(Finance & Accounts)

Sd/-  
CA. (Dr.) Jai Kumar Batra  
Secretary

Sd/-  
CA. Mangesh P. Kinare  
Vice-President

Sd/-  
CA. Prasanna Kumar D.  
President

As per our report of even date

For ASA & Associates LLP  
Chartered Accountants  
FRN : 009571N/N500006

For Jagdish Chand & Co.  
Chartered Accountants  
FRN : 000129N

Sd/-  
CA. Parveen Kumar  
Membership No. 088810  
Partner

Sd/-  
CA. Praveen Kumar Jain  
Membership No. 085629  
Partner

Place: New Delhi

Dated: July 27, 2026

**Statement of Cash Flows for the year ended 31<sup>st</sup> March 2026**

(₹ in Lakhs)

| Particulars |                                                                             | For the year ended<br>31 <sup>st</sup> March 2026 | For the year ended<br>31 <sup>st</sup> March 2025 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>I</b>    | <b>Cash Flow from Operating Activities</b>                                  |                                                   |                                                   |
|             | <b>Excess of income over expenditure</b>                                    | <b>15,010</b>                                     | <b>8,015</b>                                      |
|             | Adjustments for:                                                            |                                                   |                                                   |
|             | Depreciation and amortisation expense                                       | 5,065                                             | 3,787                                             |
|             | Bad Debts                                                                   | 377                                               | -                                                 |
|             | Loss (net) on sale of Property, Plant and Equipment                         | 35                                                | 61                                                |
|             | Loss on foreign exchange transactions (net)                                 | 40                                                | 26                                                |
|             | Provision for doubtful advances                                             | 518                                               | 184                                               |
|             | Provision for obsolete publication stock                                    | 26                                                | 197                                               |
|             | Provision for employee retirement benefits                                  | (12,576)                                          | 13,249                                            |
|             | Provision for expenses of earlier years credited                            | -                                                 | (540)                                             |
|             | Provision no longer required written back                                   | (376)                                             | (188)                                             |
|             | Donation Receipt for building                                               | (4)                                               | -                                                 |
|             | Interest on income tax refund                                               | -                                                 | (35)                                              |
|             | Interest income                                                             | (20,221)                                          | (20,127)                                          |
|             | <b>Operating surplus/(deficit) before working capital changes</b>           | <b>(12,106)</b>                                   | <b>4,629</b>                                      |
|             | <b>Changes in Working Capital:</b>                                          |                                                   |                                                   |
|             | <b>Adjustments for (increase) / decrease in operating assets:</b>           |                                                   |                                                   |
|             | Inventories                                                                 | 438                                               | 59                                                |
|             | Long-term loans and advances                                                | (555)                                             | (313)                                             |
|             | Short-term loans and advances                                               | (1,536)                                           | (380)                                             |
|             | Receivables                                                                 | (227)                                             | (789)                                             |
|             | <b>Adjustments for increase / (decrease) in operating liabilities:</b>      |                                                   |                                                   |
|             | Long-term liabilities                                                       | (259)                                             | 4,271                                             |
|             | Payables                                                                    | (4,341)                                           | 2,926                                             |
|             | Other current liabilities                                                   | 2053                                              | 1,025                                             |
|             | Short-term provisions                                                       | 3,142                                             | 547                                               |
|             |                                                                             | <b>(13,391)</b>                                   | <b>11,975</b>                                     |
|             | Income tax (deducted)/received (net)                                        | (464)                                             | (114)                                             |
|             | <b>Net Cash generated from operating activities (A)</b>                     | <b>(13,855)</b>                                   | <b>11,861</b>                                     |
| <b>II</b>   | <b>Cash Flow from Investing Activities</b>                                  |                                                   |                                                   |
|             | Sale / redemption / (purchase) of investments                               | (13,543)                                          | 6,090                                             |
|             | Sale / redemption / (purchase) of Fixed Deposits                            | 26,978                                            | (19,136)                                          |
|             | Capital expenditure on property, plant and equipment [including CWIP (net)] | (19,060)                                          | (16,434)                                          |
|             | Proceeds from sale of property, plant and equipment                         | 798                                               | 1,347                                             |
|             | Interest received                                                           | 20,952                                            | 19,741                                            |
|             | <b>Net Cash from/(used in) investing activities (B)</b>                     | <b>16,125</b>                                     | <b>(8,392)</b>                                    |
| <b>III</b>  | <b>Cash Flow from Financing Activities</b>                                  |                                                   |                                                   |
|             | Donation received for buildings                                             | 4                                                 | -                                                 |
|             | Contribution received                                                       | 55                                                | 287                                               |
|             | <b>Net Cash from/(used) financing activities (C)</b>                        | <b>59</b>                                         | <b>287</b>                                        |
|             | <b>Net Increase / (Decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C)</b>       | <b>2,329</b>                                      | <b>3,756</b>                                      |
|             | <b>Cash and Cash Equivalents at beginning of the year</b>                   | <b>11,390</b>                                     | <b>7,634</b>                                      |
|             | <b>Cash and Cash Equivalents at closing of the year [refer Note 18(A)]</b>  | <b>13,719</b>                                     | <b>11,390</b>                                     |

Brief about the entities

01

Summary of significant accounting policies

02

The accompanying notes 3 to 32 are an integral part of the financial statements

For and on behalf of the Council

Sd/-

CA. Sudeep Shrivastava  
Additional Secretary  
(Finance & Accounts)

Sd/-

CA. (Dr.) Jai Kumar Batra  
Secretary

Sd/-

CA. Mangesh P. Kinare  
Vice-President

Sd/-

CA. Prasanna Kumar D.  
President

As per our report of even date

For ASA & Associates LLP  
Chartered Accountants  
FRN : 009571N/N500006For Jagdish Chand & Co.  
Chartered Accountants  
FRN : 000129N

Sd/-

CA. Parveen Kumar  
Membership No. 088810  
Partner

Sd/-

CA. Praveen Kumar Jain  
Membership No. 085629  
Partner

Place: New Delhi

Dated: July 27, 2026

**Notes forming part of the Financial Statements for the year 2025-26****1. General Information**

The Institute of Chartered Accountants of India ("the Institute or ICAI"), having its Head Office at New Delhi, was established on 1st July 1949 by an Act of Parliament viz. The Chartered Accountants Act, 1949 for the purpose of regulation and development of the profession of Chartered Accountants in India. In terms of the said Act, the Council of the Institute is entrusted with the task of managing the affairs of the Institute. For this purpose, the Council has constituted 5 Regional Councils, one each at Mumbai, Kolkata, Kanpur, Chennai and New Delhi, 5 Decentralised Offices, 3 Centres of Excellence, 186 branches and 2 overseas offices in Dubai & Singapore.

**2. Significant Accounting Policies****2.01 Basis of Preparation**

The financial statements comprising Balance Sheet, Statement of Income and Expenditure, Statement of Cash Flows and Notes to Accounts thereon are prepared in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP) and The Chartered Accountants Act, 1949. Indian GAAP here comprises of the accounting standards and other pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The financial statements are prepared on historical cost convention, going concern and on accrual basis unless otherwise stated. The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those followed in the previous year, unless stated otherwise.

The Financial Statements are prepared in Indian Rupees (₹) which is the functional and reporting currency of the Institute. All amounts disclosed in the financial Statement are rounded off to the nearest lakhs unless otherwise stated.

**2.02 Use of Estimates**

The preparation of the financial statements in conformity with Indian GAAP requires the Management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) and the reported income and expenses of the year. The Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results could differ from the estimates and the differences between the actual results and the estimates are recognised in the periods in which the results are known / materialised.

**2.03 Inventories**

Inventories comprise publications, study materials, stationery and other stores. Inventories are valued at the lower of cost based on first in first out method ("FIFO") and the net realisable value after providing for obsolescence and other losses, where considered necessary.

Cost includes all charges in bringing the goods to the point of sale, including other levies, transit insurance and incidental charges.

**2.04 Cash and cash equivalents**

Cash comprises cash on hand. Cash equivalents are balances with banks and short-term balances (with an original maturity of three months or less from the date of acquisition), highly liquid investments that are readily convertible into known amounts of cash and which are subject to insignificant risk of changes in value. Fixed Deposits with original maturity of less than three months are considered as cash and cash equivalents. Deposits with original

maturity for more than 3 months but less than 12 months are considered as bank deposits under "Other bank balances".

## 2.05 Statement of Cash Flows

Cash flows are reported using the indirect method, whereby net surplus is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Institute are segregated based on the basis of their nature.

## 2.06 Appropriation to Reserves/Funds

- i) Donations received for buildings are appropriated to income and expenditure account and then credited to the Infrastructure Reserve account.
- ii) 25% of the Distance Education Fee, not exceeding 50% of the net surplus of the year is transferred to Education Fund.
- iii) 0.75% of Membership Fee (Annual and Certificate of Practice Fee) due on accrual basis is transferred to the Employees' Benevolent Fund.
- iv) Entrance & Admission Fee:
  - 2/3rd portion of the entrance fee from Associate members and Admission Fee from Fellow Members is taken to Infrastructure Reserve Account ;
- v) From the designated funds, the following transfers are made to Education Reserve Account:
 

|                                           |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) From Accounting Research Building Fund | 100% of cost of additions (net of deductions if any) to Building Fund relating to Accounting Research Building Fund. |
| b) From Education Fund                    | 50% of cost of additions (net of deductions if any) to Fixed Assets.                                                 |

However, the appropriations to the aforesaid various reserves/funds is done on pro-rata basis by restricting the same to the amount of available surplus.

- vi) Income from investments is allocated based on opening balances of the respective Designated Funds and Restricted Funds on weighted average basis.
- vii) 25% of the Information Technology Training (ITT)/Advance Information Technology Training course Fee received during the year is transferred to ITT Reserve for replacement of computers and other ITT centre infrastructure.
- viii) A sum equal to depreciation for the year (excluding amount transferred to the ITT Reserve) is transferred to Sinking Fund for repair and replacement of assets.
- ix) The contribution to the restricted funds is directly taken to the Funds treating it as Corpus.

## 2.07 Property, Plant and Equipment

Property, Plant and Equipment is recognised when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Institute and the cost of the item can be measured reliably. Property, Plant and Equipment are carried at cost less accumulated

depreciation and accumulated impairment losses, if any. The cost of Property, Plant and Equipment comprises its purchase price net of any trade discounts and rebates, import duties and other taxes (other than those subsequently recoverable from the tax authorities), directly attributable expenditure on making the asset ready for its intended use. Other incidental expenses and interest on borrowings attributable to acquisition of qualifying Property, Plant and Equipment up to the date the asset is ready for its intended use are also capitalised. Subsequent expenditure on Property, Plant and Equipment after its purchase / completion is capitalised only if such expenditure results in an increase in the future benefits from such asset beyond its previously assessed standard of performance.

## 2.08 Intangible Assets

Intangible assets are carried at cost less accumulated amortisation and accumulated impairment losses, if any. The cost of intangible assets comprises its purchase price net of any trade discounts and rebates, import duties and other taxes (other than those subsequently recoverable from the tax authorities), directly attributable expenditure on making the asset ready for its intended use, other incidental expenses and interest on borrowings attributable to acquisition of qualifying assets up to the date the asset is ready for its intended use. Subsequent expenditure on intangible assets after its purchase / completion is capitalised only if such expenditure results in an increase in the future benefits from such asset beyond its previously assessed standard of performance.

## 2.09 Capital Work in Progress

Expenditure incurred on construction/ development of assets which is not ready for their intended use is carried at cost less impairment, if any, under Capital Work-in-Progress. The cost includes the purchase cost including import duties, non-refundable taxes, if any, and directly attributable costs.

## 2.10 Depreciation and amortisation

A) Depreciable amount for assets is the cost of an asset, or other amount substituted as cost.

Depreciation on Property, Plant and Equipment is provided prorata on the written down value method at the following rates as approved by the Council.

| Class of Property, Plant and Equipment                                                 | Rate of Depreciation |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| i) Buildings                                                                           | 5%                   |
| ii) Lifts, electrical installations, solar panels and fittings                         | 10%                  |
| iii) Computers                                                                         | 60%                  |
| iv) Furniture and fixtures                                                             | 10%                  |
| v) Air conditioners and office equipments                                              | 15%                  |
| vi) Vehicles                                                                           | 20%                  |
| vii) Library books purchased during the year are depreciated at 100%                   |                      |
| viii) Mobile phones to be depreciated on straight line method over a period of 3 years |                      |

B) Carrying amount of building on Leasehold land is amortised over the lease term .

C) Intangible assets are amortised on straight line method over three years.

## 2.11 Revenue recognition

The Revenue is recognised as follows:

- Distance education fee received from the students is recognised by proportionate completion method over the duration of the respective courses.

- ii) Class room training fee comprises fee received for Management Communication Skills Course ("MCS"), Integrated Course on Information Technology & Soft Skills ("ICITSS"), Advanced Integrated Course on Information Technology & Soft Skills ("AICITSS") and Orientation Programme ("OP"). The income for classroom training and revisionary classes is recognised when services are rendered and related costs are incurred.
- iii) Examination fee is recognised as revenue when the Institute renders the related service i.e. when the examinations are conducted.
- iv) Seminar fee is recognised as revenue when the Institute renders the related service i.e. when the seminars are conducted.
- v) Membership fee comprising of annual membership fee (including fee for certificate of practice and restoration fee) and entrance fee is recognised as under:
  - a) Annual membership fee (including fee for certificate of practice) is recognised as income when it becomes due for the year. Restoration of membership fee is recognised when it is received.
  - b) Entrance & Admission Fee:
    - Entrance fee from associate members and admission fee from fellow members is recognised as income at the time of admission.
- vi) Revenue from post qualification and certificate course is recognised in the period in which services are rendered.

## 2.12 Other income

- a) Income from sale of publications and other related items are recognised when the risk and rewards are transferred to the buyer which normally coincide with delivery of goods.
- b) Income from students news letter and journal subscription is recognised on pro-rata basis over the period of subscription.
- c) Income from campus interviews and expert advisory fee are recognised when services are rendered and related costs are incurred.
- d) Interest Income is recognised on a time apportionment basis.
- e) Donations received during the year for buildings are recognised in the year of receipt.
- f) Out of the fee received from the students towards Students Registration Fee, a sum of ₹ 250 per student in respect of students registered after 1st April, 2009, is remitted to Chartered Accountants Students Benevolent Fund
- g) Contributions received from Members towards Chartered Accountants Benevolent Fund (CABF) is recorded as payable and likewise disbursements made to members towards claims of financial assistance paid on its behalf is recorded as receivable. Accounts with CABF are settled on a regular basis.
- h) In case of cancellation before commencement of the Certificate/ Post Qualification Course /Diploma Course, 10% of the fee is deducted and in case the course has commenced, no fee is refunded but the member is given an option to attend



remaining part of the course in subsequent batches.

### 2.13 Investment

- a) The Institute's investments comprise of instruments in the form of domestic government securities issued by Central and State Governments, fixed deposits with scheduled banks domiciled in India and equity shares in Not-for-Profit entities.
- b) Investments are classified as current and non-current investments in accordance with AS 13 "Accounting for Investments". Current investments are those that are readily realisable and intended to be held for not more than one year from the date on which such investments are made. A non-current investment is an investment other than a current investment.
- c) Investments are initially recorded at cost and the cost includes acquisition costs such as brokerage, fees and duties. Accrued interest paid at the time of purchase is setoff against receipt of interest.
- d) Investments in the form of domestic government securities issued by Central and State Governments are available for use freely at the discretion of the Council except to the extent of total of the earmarked funds.
- e) At each balance sheet date, current investments are carried at lower of cost and fair value. The fair value is determined on an individual basis. The non-current investments are usually carried at cost. However, when there is a decline, other than temporary, in the value of a long term investment, the carrying amount is reduced to recognise the decline. The premium paid at the time of purchase is amortised over the remaining maturity of the investments. Amortisation of premium is adjusted against the income under head 'Interest from Investments'.

### 2.14 Foreign Currency Transaction

Transactions in foreign currencies are accounted at the exchange rates prevailing on the date of the transaction.

Foreign currency monetary items outstanding at the balance sheet date are restated at the year-end rates. Non-monetary items are carried at historical cost.

The Institute's foreign branch is considered an integral foreign operation. The financial statements of the branch are translated as if the transactions of the branch were those of the Institute. Monetary assets and liabilities are translated at the closing exchange rate, while non-monetary items are translated at historical exchange rates. Income and expenditure are translated at the exchange rates prevailing on the dates of the transactions or at average rates where such rates approximate the actual rates. Exchange differences arising on translation are recognised in the Statement of Income & Expenditure.

### 2.15 Employee benefits

Employee benefits include provident fund, gratuity, compensated absence, long service awards, pension scheme and post-employment medical benefits to eligible employees of the Institute.

#### i) Short term employee benefits and other benefits

The undiscounted amount of short-term employee benefits (i.e. salary, allowances, exgratia etc) expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are

recognised during the year when the employees render the service. The short-term employee benefits are expected to occur within twelve months after the end of the period in which the eligible employee renders the related service.

The cost of short-term compensated absences is accounted as under :

- a) In case of accumulated compensated absences, when employees render the service that increase their entitlement of future compensated absences; and
- b) In case of non-accumulating compensated absences, when the absences occur.

ii) **Post-employment benefits**

Post-employment benefits are the benefits to eligible employees, other than termination benefits, which are payable after the completion of employment. Accounting of post-employment benefits depends upon the classification of relevant plans as either defined benefit plan (DBP) or defined contribution plan (DCP). The post-employment benefit plans where the Institute pays fixed contributions into a separate entity or fund and it will have no obligation to pay further contributions if the separate entity or fund does not hold sufficient assets to all employee benefits relating to employee service in the current and prior period. On the other hand, post-employment benefit plans other than those classified as DCP are classified as DBP.

**Defined Benefits Plans**

a) **Gratuity**

For defined benefit plans in the form of gratuity, the cost of providing benefits is determined using the Projected Unit Credit Method, with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date by an Independent Actuary. Actuarial gains and losses are recognised in the Statement of Income and Expenditure in the period in which they occur. Past service cost is recognised immediately to the extent that the benefits are already vested and otherwise is amortised on a straight-line basis over the average period until the benefits become vested. The retirement benefit obligation recognised represent the present value of the defined benefit obligation as adjusted for unrecognised past service cost, as reduced by the fair value of scheme assets. Any asset resulting from this calculation is limited to past service cost, plus the present value of available refunds and reductions in future contributions to the schemes. Gratuity liability is funded with Life Insurance Corporation of India.

b) **Provident Fund**

The contribution towards provident fund scheme to The Institute of Chartered Accountants of India Provident Fund Trust ('the Trust') is considered as defined benefit plan and charged as an expense based on the amount of contribution required to be made and when services are rendered by the eligible employees. The Trust is managed by the governing body elected by the Institute and settles claim of the employees as and when they arise. Any shortfall arising out of the actuarial liability of the PF Trust during the year is provided in the books of accounts.

c) **Pension scheme**

The Institute offers its eligible employees benefits in the form of pension and family pension. The present value of the obligation as at the balance sheet date is recognised based on the actuarial valuation. Pension liability is funded with Life Insurance Corporation of India.

- d) **Post retirement medical scheme benefit to retired employees and spouse**  
The Institute offers employee benefits to its retired employees in the form of medical scheme. The present value of the obligation as at the balance sheet date is recognised based on the actuarial valuation of retired employees and their spouse as at reporting date. The liability is funded from the Employee Benevolent Fund.
- e) **Other Long-term employee benefits- Compensated Absences**  
Compensated absences which are not expected to occur within twelve months after the end of the period in which the employee renders the related service are recognised as a liability at the present value of the defined benefit obligation as at the balance sheet date based on the actuarial valuation.
- f) **Long Service Award**  
The Institute provides cash award to eligible employees on completion of specified years of serve and treated as long term employee benefits. The related liability is recognised based on actuarial valuation as at the balance sheet date and charged to statement of Income and Expenditure.

### Defined Contribution Plans

- a) **National Pension Scheme (NPS)**  
The Institute contributes to the National Pension System (NPS), a defined contribution retirement benefit scheme administered by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA). Contributions made by the Institute are charged to the Statement of Income & Expenditure in the period in which the employee renders the related service. The Institute has no further obligation beyond making the specified contributions to the scheme. Unpaid contributions, if any, are recognized as a liability at the reporting date.

### 2.16 Leases

The Institute classifies the leases as Finance and Operating Lease for accounting and disclosure purposes. The leases where the Institute assumes substantially all the risks and rewards of the ownership are classified as finance leases. The leases where the lessor and not the Institute assumes substantially all the risks and rewards of the ownership are classified as operating leases.

Lease rental under operating leases are recognised in the statement of income and expenditure on straight-line basis over the lease term. In case of Finance Lease, assets are capitalised at lower of fair value of the leased asset and present value of minimum lease payments. The lease payments are apportioned between the finance charge and repayment of lease liability. Leased assets are depreciated over the shorter of lease term or useful life of the asset.

### 2.17 Impairment of Property, Plant and Equipment and intangible assets

The carrying value of assets at each balance sheet date are reviewed for impairment. If any indication of impairment exists, the recoverable amount of such assets is estimated and impairment recognised, if the carrying amount of these assets exceeds their recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the net selling price and their value in use. Value in use is arrived at by discounting the future cash flows to their present value based on an appropriate discount factor. When there is indication that an impairment loss recognised for an asset in earlier accounting periods no longer exists or may have decreased, such reversal of impairment loss is recognised in the statement of income and expenditure.

**2.18 Taxes on income**

The Institute is registered under Clause (i) of First Proviso to Section 10(23C)/12AB (1)(b) of The Income-tax Act, 1961 valid up to financial year/tax year 2030-31. As such, no provision for current income tax and deferred tax is considered necessary.

**2.19 Provisions and Contingencies**

A provision is recognised when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation in respect of which a reliable estimate can be made.

Contingent liability is a possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Institute, or is a present obligation that arises from past event but is not recognised because either it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, or a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made. Based on the past experience of the Institute, when the possibility of outflow in settlement is remote, the contingent liability is not recognised .

Contingent assets are neither recognised nor disclosed.

**NOTE # 03 Reserves and Surplus**

(₹ in Lakhs)

| Particulars                                                                       | As at<br>March 31 <sup>st</sup> | General<br>Reserve | Education<br>Reserve | Infrastructure<br>Reserve | ITT Reserve   | Other<br>Reserve | Total           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| <b>Balance at the beginning of the year</b>                                       | <b>2026</b>                     | <b>1,10,917</b>    | <b>61,410</b>        | <b>8,799</b>              | <b>10,954</b> | <b>1,017</b>     | <b>1,93,097</b> |
|                                                                                   | <b>2025</b>                     | <b>1,10,974</b>    | <b>56,783</b>        | <b>8,546</b>              | <b>10,249</b> | <b>1,047</b>     | <b>1,87,599</b> |
| Add: Appropriation from Statement of<br>Income and Expenditure                    | <b>2026</b>                     | -                  | -                    | 373                       | 929           | -                | <b>1,302</b>    |
|                                                                                   | <b>2025</b>                     | -                  | -                    | 254                       | 705           | -                | <b>959</b>      |
| Transfer from / (to) General, Education<br>Infrastructure, ITT and Other Reserves | <b>2026</b>                     | -                  | 250                  | -                         | (250)         | -                | -               |
|                                                                                   | <b>2025</b>                     | -                  | -                    | -                         | -             | -                | -               |
| Transfer from / (to) Designated<br>Funds (Note # 04)                              | <b>2026</b>                     | (36)               | 11,771               | 3                         | -             | (3)              | <b>11,735</b>   |
|                                                                                   | <b>2025</b>                     | (57)               | 4,627                | (1)                       | -             | (30)             | <b>4,539</b>    |
| Donation received for buildings                                                   | <b>2026</b>                     | -                  | -                    | 4                         | -             | -                | <b>4</b>        |
|                                                                                   | <b>2025</b>                     | -                  | -                    | -                         | -             | -                | -               |
| (Utilization)/Addition                                                            | <b>2026</b>                     | 8                  | -                    | (114)                     | -             | -                | <b>(106)</b>    |
|                                                                                   | <b>2025</b>                     | -                  | -                    | -                         | -             | -                | -               |
| <b>Balance at the end of the year</b>                                             | <b>2026</b>                     | <b>1,10,889</b>    | <b>73,431</b>        | <b>9,065</b>              | <b>11,633</b> | <b>1,014</b>     | <b>2,06,032</b> |
|                                                                                   | <b>2025</b>                     | <b>1,10,917</b>    | <b>61,410</b>        | <b>8,799</b>              | <b>10,954</b> | <b>1,017</b>     | <b>1,93,097</b> |

**NOTE # 04 Designated Funds**

(₹ in Lakhs)

| Particulars                                                                              | As at March 31 <sup>st</sup> | Research Fund | Accounting Research Building Fund | Education Fund | Students Scholarship Corpus Fund | Sinking Fund for repair and replacement of assets | Employees Benevolent Fund | Other Funds of Regional Councils & Branches | Total           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| <b>Balance at the beginning of the year</b>                                              | <b>2026</b>                  | <b>4,055</b>  | <b>1,490</b>                      | <b>71,922</b>  | <b>11,273</b>                    | <b>43,871</b>                                     | <b>1,912</b>              | <b>8,254</b>                                | <b>1,42,777</b> |
|                                                                                          | <b>2025</b>                  | <b>3,901</b>  | <b>1,392</b>                      | <b>71,922</b>  | <b>11,794</b>                    | <b>41,305</b>                                     | <b>1,825</b>              | <b>7,885</b>                                | <b>1,40,024</b> |
| Add : Appropriation from Statement of Income and Expenditure                             | 2026                         |               |                                   | 5,236          |                                  | 2,016                                             | 73                        |                                             | <b>7,325</b>    |
|                                                                                          | 2025                         |               |                                   | 1,892          |                                  | 995                                               | 51                        |                                             | <b>2,938</b>    |
| Transfer from / (to) General Reserve and Surplus (Note # 03)                             | 2026                         | -             | -                                 | (51,771)       | 40,000                           | -                                                 | -                         | 36                                          | <b>(11,735)</b> |
|                                                                                          | 2025                         | -             | -                                 | (4,627)        | -                                | -                                                 | -                         | 88                                          | <b>(4,539)</b>  |
| Contribution received / Addition during the year                                         | 2026                         | 6             | 5                                 | -              | -                                | -                                                 | -                         | 116                                         | <b>127</b>      |
|                                                                                          | 2025                         | -             | -                                 | -              | -                                | -                                                 | -                         | 264                                         | <b>264</b>      |
| Interest income during the year appropriated through Statement of Income and Expenditure | 2026                         | 217           | 77                                | 3,928          | 2,255                            | 2,396                                             | 104                       | 169                                         | <b>9,146</b>    |
|                                                                                          | 2025                         | 154           | 98                                | 2,735          | 448                              | 1,571                                             | 69                        | 17                                          | <b>5,092</b>    |
| Utilised during the year                                                                 | 2026                         | -             | -                                 | -              | (2,699)                          | -                                                 | (64)                      | (2)                                         | <b>(2,765)</b>  |
|                                                                                          | 2025                         | -             | -                                 | -              | (969)                            | -                                                 | (33)                      | -                                           | <b>(1,002)</b>  |
| <b>Balances at the end of the year</b>                                                   | <b>2026</b>                  | <b>4,278</b>  | <b>1,572</b>                      | <b>29,315</b>  | <b>50,829</b>                    | <b>48,283</b>                                     | <b>2,025</b>              | <b>8,573</b>                                | <b>1,44,875</b> |
|                                                                                          | <b>2025</b>                  | <b>4,055</b>  | <b>1,490</b>                      | <b>71,922</b>  | <b>11,273</b>                    | <b>43,871</b>                                     | <b>1,912</b>              | <b>8,254</b>                                | <b>1,42,777</b> |

**NOTE # 05 Restricted Funds**

(₹ in Lakhs)

| Particulars                                                                                 | As at<br>March 31 <sup>st</sup> | Medals and<br>Prizes Fund<br>for<br>Students | Students<br>Endowment<br>Fund | Total       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| <b>Balance at the beginning of the year</b>                                                 | <b>2026</b>                     | <b>486</b>                                   | <b>354</b>                    | <b>840</b>  |
|                                                                                             | <b>2025</b>                     | <b>446</b>                                   | <b>343</b>                    | <b>789</b>  |
| Contribution received /<br>Addition during the year                                         | 2026                            | 27                                           | 7                             | <b>34</b>   |
|                                                                                             | 2025                            | 21                                           | 2                             | <b>23</b>   |
| Interest income during the year appropriated<br>through Statement of Income and Expenditure | 2026                            | 24                                           | 19                            | <b>43</b>   |
|                                                                                             | 2025                            | 36                                           | 28                            | <b>64</b>   |
| Utilised during the year                                                                    | 2026                            | (33)                                         | (12)                          | <b>(45)</b> |
|                                                                                             | 2025                            | (17)                                         | (19)                          | <b>(36)</b> |
| <b>Balances at the end of the year</b>                                                      | <b>2026</b>                     | <b>504</b>                                   | <b>368</b>                    | <b>872</b>  |
|                                                                                             | <b>2025</b>                     | <b>486</b>                                   | <b>354</b>                    | <b>840</b>  |

(₹ in Lakhs)

| <b>Note # 06 Long-term liabilities</b>   | <b>As at<br/>31st March 2026</b> | <b>As at<br/>31st March 2025</b> |
|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Fees received in advance</b>          |                                  |                                  |
| (a) Distance education fee               | 6,209                            | 6,330                            |
| (b) Membership fee                       | 1,123                            | 1,261                            |
| <b>Total Other long-term liabilities</b> | <b>7,332</b>                     | <b>7,591</b>                     |

(₹ in Lakhs)

| <b>Note # 07 Provisions</b>                         | <b>Long term</b>                     |                                      | <b>Short term</b>                    |                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|                                                     | <b>As at<br/>31st March<br/>2026</b> | <b>As at<br/>31st March<br/>2025</b> | <b>As at<br/>31st March<br/>2026</b> | <b>As at<br/>31st March 2025</b> |
| <b>(a) Provision for employee benefits</b>          |                                      |                                      |                                      |                                  |
| (i) Provision for Gratuity                          | 392                                  | 895                                  | 259                                  | 322                              |
| (ii) Provision for Pension                          | -                                    | 14,068                               | 1,721                                | 866                              |
| (iii) Provision for Leave Encashment                | 6,404                                | 6,686                                | 492                                  | 614                              |
| (iv) Provision for Branch Employees(BHRS 2022)      | -                                    | -                                    | 247                                  | 247                              |
| (v) Provision for Long Service Award                | 224                                  | -                                    | 28                                   | -                                |
| (vi) Provision for Post Medical Retirement Benefits | 983                                  | -                                    | 65                                   | -                                |
| (vii) Provision for Provident Fund                  | -                                    | -                                    | 307                                  | -                                |
| <b>(b) Other provisions</b>                         |                                      |                                      |                                      |                                  |
| (i) Capital Expenditure                             | -                                    | -                                    | 388                                  | 2                                |
| (ii) Non Capital Expenditure                        | -                                    | -                                    | 4,504                                | 2,124                            |
| <b>Total Provisions</b>                             | <b>8,003</b>                         | <b>21,649</b>                        | <b>8,011</b>                         | <b>4,175</b>                     |

(₹ in Lakhs)

| <b>Note # 08 Payables</b>                                                              | <b>As at<br/>31st March 2026</b> | <b>As at<br/>31st March 2025</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| (a) Total outstanding dues of micro, small & medium enterprises                        | 559                              | 1,411                            |
| (b) Total outstanding dues of creditors other than micro, small and medium enterprises | 4,500                            | 7,949                            |
| <b>Total payables</b>                                                                  | <b>5,059</b>                     | <b>9,360</b>                     |

**Disclosure relating to suppliers registered under MSMED Act, 2006 based on the information available with the entity :**

| <b>Particulars</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>As at<br/>31st March 2026</b> | <b>As at<br/>31st March 2025</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| (a) Amount remaining unpaid to any supplier at the end of each accounting year:                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                  |
| Principal                                                                                                                                                                                                                                                                         | 559                              | 1,411                            |
| Interest                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.35                             | 0.06                             |
| (b) The amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the MSMED Act, along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during each accounting year.                                                                             | 25                               | 54                               |
| (c) The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the MSMED Act.                                                           | -                                | -                                |
| (d) The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year.                                                                                                                                                                                       | 0.73                             | 0.60                             |
| (e) The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance of a deductible expenditure under section 23 of the MSMED Act. | -                                | -                                |



Refer Note 29.08

(₹ in Lakhs)

| <b>Note # 09 Other current liabilities</b>     | <b>As at<br/>31st March<br/>2026</b> | <b>As at<br/>31st March<br/>2025</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>(A) Fees received in advance</b>            |                                      |                                      |
| (i) Distance education fee                     | <b>20,298</b>                        | 17,894                               |
| (ii) Membership fee                            | <b>641</b>                           | 615                                  |
| (iii) Examination fees                         | <b>6,763</b>                         | 7,192                                |
| (iv) Seminar fees:                             |                                      |                                      |
| a) Members                                     | <b>190</b>                           | 140                                  |
| b) Students                                    | <b>29</b>                            | 8                                    |
| (v) Regulatory IT & Soft Skills training :     |                                      |                                      |
| a) Information Technology Training             | <b>515</b>                           | 488                                  |
| b) General Management and Communication Skills | <b>161</b>                           | 146                                  |
| c) Orientation                                 | <b>219</b>                           | 267                                  |
| (vi) Revisionary classes                       | <b>92</b>                            | 62                                   |
| (vii) Post qualification courses               | <b>154</b>                           | 120                                  |
| (viii) Certificate courses                     | <b>413</b>                           | 371                                  |
| (ix) Disciplinary fees                         | <b>1</b>                             | 3                                    |
| (x) Others                                     | <b>454</b>                           | 153                                  |
| <b>Sub-Total (A)</b>                           | <b>29,930</b>                        | <b>27,459</b>                        |
| <b>(B) Other liabilities</b>                   |                                      |                                      |
| (i) Provident fund and profession tax payable  | <b>519</b>                           | 407                                  |
| (ii) Goods and Service Tax payable             | <b>737</b>                           | 927                                  |
| (iii) TDS payable                              | <b>841</b>                           | 887                                  |
| (iv) Security and earnest money deposit        | <b>1,824</b>                         | 1,690                                |
| (v) Other payables                             | <b>652</b>                           | 1,080                                |
| <b>Sub-Total (B)</b>                           | <b>4,573</b>                         | <b>4,991</b>                         |
| <b>Total Other current liabilities</b>         | <b>34,503</b>                        | <b>32,450</b>                        |

**Note # 10 Property, Plant and Equipment**

(₹ in Lakhs)

| Particulars / Assets            | TANGIBLE ASSETS |                |               |               |                                     |                      |                                           |            |               |                 |
|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|
|                                 | Freehold land   | Leasehold land | Buildings     | Computers     | Office Equipment & Air Conditioners | Furniture & Fixtures | Lift, Electrical Installations & Fittings | Vehicles   | Library Books | Total           |
| <b>Gross Block</b>              |                 |                |               |               |                                     |                      |                                           |            |               |                 |
| As at 1st April 2025            | 21,552          | 12,404         | 54,794        | 9,466         | 9,356                               | 7,458                | 4,092                                     | 191        | 1,157         | 1,20,470        |
| Additions during the year       | 10,461          | 1,173          | 7,664         | 780           | 2,051                               | 1,110                | 1,733                                     | -          | 21            | 24,993          |
| Deductions/Adjustments #        | -               | (524)          | (915)         | (163)         | (32)                                | (21)                 | (3)                                       | (3)        | (1)           | (1,662)         |
| As at 1st April 2024            | 20,982          | 12,050         | 51,461        | 8,453         | 7,775                               | 6,646                | 3,045                                     | 190        | 1,142         | 1,11,744        |
| Additions during the year       | 570             | 1,669          | 3,337         | 1,107         | 1,694                               | 841                  | 1,063                                     | 2          | 15            | 10,298          |
| Deductions/Adjustments          | -               | (1,315)        | (4)           | (94)          | (113)                               | (29)                 | (16)                                      | (1)        | -             | (1,572)         |
| <b>As at 31st March 2026</b>    | <b>32,013</b>   | <b>13,053</b>  | <b>61,543</b> | <b>10,083</b> | <b>11,375</b>                       | <b>8,547</b>         | <b>5,822</b>                              | <b>188</b> | <b>1,177</b>  | <b>1,43,801</b> |
| <b>As at 31st March 2025</b>    | <b>21,552</b>   | <b>12,404</b>  | <b>54,794</b> | <b>9,466</b>  | <b>9,356</b>                        | <b>7,458</b>         | <b>4,092</b>                              | <b>191</b> | <b>1,157</b>  | <b>1,20,470</b> |
| <b>Depreciation/Adjustments</b> |                 |                |               |               |                                     |                      |                                           |            |               |                 |
| As at 1st April 2025            | -               | 2,001          | 18,973        | 8,404         | 5,592                               | 4,037                | 1,994                                     | 136        | 1,157         | 42,294          |
| Depreciation during the year    | -               | 205            | 1,976         | 947           | 793                                 | 419                  | 332                                       | 10         | 21            | 4,703           |
| Deductions/Adjustments*         | -               | (259)          | (500)         | (96)          | -                                   | 22                   | 5                                         | -          | (1)           | (829)           |
| As at 1st April 2024            | -               | 1,794          | 17,223        | 7,940         | 5,100                               | 3,722                | 1,836                                     | 124        | 1,142         | 38,881          |
| Depreciation during the year    | -               | 207            | 1,752         | 563           | 539                                 | 323                  | 165                                       | 13         | 15            | 3,577           |
| Deductions/Adjustments          | -               | -              | (2)           | (99)          | (47)                                | (8)                  | (7)                                       | (1)        | -             | (164)           |
| <b>As at 31st March 2026</b>    | <b>-</b>        | <b>1,947</b>   | <b>20,449</b> | <b>9,255</b>  | <b>6,385</b>                        | <b>4,478</b>         | <b>2,331</b>                              | <b>146</b> | <b>1,177</b>  | <b>46,168</b>   |
| <b>As at 31st March 2025</b>    | <b>-</b>        | <b>2,001</b>   | <b>18,973</b> | <b>8,404</b>  | <b>5,592</b>                        | <b>4,037</b>         | <b>1,994</b>                              | <b>136</b> | <b>1,157</b>  | <b>42,294</b>   |
| <b>Net Block</b>                |                 |                |               |               |                                     |                      |                                           |            |               |                 |
| <b>As at 31st March 2026</b>    | <b>32,013</b>   | <b>11,106</b>  | <b>41,094</b> | <b>828</b>    | <b>4,990</b>                        | <b>4,069</b>         | <b>3,491</b>                              | <b>42</b>  | <b>-</b>      | <b>97,633</b>   |
| <b>As at 31st March 2025</b>    | <b>21,552</b>   | <b>10,403</b>  | <b>35,821</b> | <b>1,062</b>  | <b>3,764</b>                        | <b>3,421</b>         | <b>2,098</b>                              | <b>55</b>  | <b>-</b>      | <b>78,176</b>   |

# The Deductions include assets transferred from leasehold land &amp; Buildings to other assets

\* Excess Depreciation pertaining to earlier years has been reinstated

(₹ in Lakhs)

**Note # 11 Intangible Assets**

| Particulars /Assets            | Total             |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>Gross Block</b>             | <b>(Software)</b> |
| As at 1st April 2025           | 1,973             |
| Additions during the year      | 328               |
| Deductions/Adjustments         | (118)             |
| As at 1st April 2024           | 1,446             |
| Additions during the year      | 548               |
| Deductions/Adjustments         | (21)              |
| <b>As at 31st March 2026</b>   | <b>2,183</b>      |
| <b>As at 31st March 2025</b>   | <b>1,973</b>      |
| <b>Amortization/Adjustment</b> |                   |
| As at 1st April 2025           | 1,594             |
| Amortization during the year   | 362               |
| Deductions/Adjustments         | (16)              |
| As at 1st April 2024           | 1,406             |
| Amortization during the year   | 210               |
| Deductions/Adjustments         | (22)              |
| <b>As at 31st March 2026</b>   | <b>1,940</b>      |
| <b>As at 31st March 2025</b>   | <b>1,594</b>      |
| <b>Net Block</b>               |                   |
| <b>As at 31st March 2026</b>   | <b>243</b>        |
| <b>As at 31st March 2025</b>   | <b>379</b>        |

**Note # 12 Work in Progress**

(₹ in Lakhs)

| a) Capital Work in Progress                   | As at<br>31st March 2026         | As at<br>31st March 2025         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Opening Balance                               | 10,618                           | 4,896                            |
| Add: Additions during the year                | 3,772                            | 6,052                            |
| Less: Capitalized during the year             | (9,938)                          | (330)                            |
| <b>Closing Balance</b>                        | <b>4,452</b>                     | <b>10,618</b>                    |
| <b>b) Intangible assets under development</b> | <b>As at<br/>31st March 2026</b> | <b>As at<br/>31st March 2025</b> |
| Opening Balance                               | 352                              | 487                              |
| Add: Additions during the year                | 324                              | 352                              |
| Less: Capitalized during the year             | (317)                            | (487)                            |
| <b>Closing Balance</b>                        | <b>359</b>                       | <b>352</b>                       |

## Note # 13 Investments

(₹ in Lakhs)

| Non Current Investments<br>(valued at cost unless stated otherwise) | Face Value<br>per share ₹ | As at 31st March 2026     |               | As at 31st March 2025     |            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|------------|
|                                                                     |                           | Number of<br>Units/Shares | Book<br>Value | Number of<br>Units/Shares | Book Value |
| <b>i) Trade Investments</b>                                         |                           |                           |               |                           |            |
| Investments in equity instruments                                   |                           |                           |               |                           |            |
| i) Institute of Insolvency Professionals of ICAI                    | 100                       | 10,00,000                 | 1,000         | 10,00,000                 | 1,000      |
| ii) Investment ICAI Registered Valuers Organisation                 | 100                       | 10,000                    | 10            | 10,000                    | 10         |
| iii) Investment ICAI Social Auditors of India                       | 100                       | 2,00,000                  | 200           | 2,00,000                  | 200        |
| iv) Investment ICAI International ADR Center                        | 100                       | 1,00,000                  | 100           | -                         | -          |
| <b>Sub-Total (i)</b>                                                |                           | -                         | 1,310         | -                         | 1,210      |
| <b>Other Investments (Unquoted)</b>                                 |                           |                           |               |                           |            |
| <b>(ii) Investments in Government Securities</b>                    |                           |                           |               |                           |            |
| <b>a) Central Government Securities</b>                             |                           |                           |               |                           |            |
| 1 6.67% GOI 2050 (1)                                                | 100                       | 25,00,000                 | 2,472         | 25,00,000                 | 2,471      |
| 2 6.67% GOI 2050 (2)                                                | 100                       | 30,00,000                 | 2,891         | 30,00,000                 | 2,887      |
| 3 6.67% GOI 2050 (3)                                                | 100                       | 20,00,000                 | 1,902         | 20,00,000                 | 1,898      |
| 4 6.67% GOI 2050 (4)                                                | 100                       | 10,00,000                 | 971           | 10,00,000                 | 970        |
| 5 6.67% GOI 2050 (5)                                                | 100                       | 75,00,000                 | 7,189         | 75,00,000                 | 7,176      |
| 6 6.67% GOI 2050 (6)                                                | 100                       | 30,00,000                 | 2,901         | 30,00,000                 | 2,897      |
| 7 6.67% GOI 2050 (7)                                                | 100                       | 50,00,000                 | 4,687         | 50,00,000                 | 4,674      |
| 8 6.67% GOI 2050 (8)                                                | 100                       | 15,00,000                 | 1,406         | 15,00,000                 | 1,402      |
| 9 6.67% GOI 2050 (9)                                                | 100                       | 50,00,000                 | 4,686         | 50,00,000                 | 4,674      |
| 10 6.76% GOI 2061                                                   | 100                       | 10,00,000                 | 975           | 10,00,000                 | 974        |
| 11 6.99% GOI 2051                                                   | 100                       | 25,00,000                 | 2,348         | 25,00,000                 | 2,342      |
| 12 7.16% GOI 2050                                                   | 100                       | 10,00,000                 | 1,068         | 10,00,000                 | 1,071      |
| 13 7.26% GSEC JAN' 29                                               | 100                       | 75,00,000                 | 7,649         | 75,00,000                 | 7,703      |
| 14 7.40% GOI 2035 (1)                                               | 100                       | 5,00,000                  | 522           | 5,00,000                  | 525        |
| 15 7.40% GOI 2035 (2)                                               | 100                       | 5,00,000                  | 528           | 5,00,000                  | 531        |
| 16 7.54% GOI 2036 (1)                                               | 100                       | 20,00,000                 | 2,032         | 20,00,000                 | 2,036      |
| 17 7.54% GOI 2036 (2)                                               | 100                       | 15,00,000                 | 1,524         | 15,00,000                 | 1,527      |
| 18 7.57% GS 2033                                                    | 100                       | 50,00,000                 | 5,303         | 50,00,000                 | 5,344      |
| 19 7.69% GOI 17/06/2043                                             | 100                       | 30,00,000                 | 3,275         | 30,00,000                 | 3,291      |
| 20 7.69% GOI 2043                                                   | 100                       | 25,00,000                 | 2,699         | 25,00,000                 | 2,710      |
| 21 7.72% GOI 2049                                                   | 100                       | 50,00,000                 | 5,397         | 50,00,000                 | 5,414      |
| 22 7.73% GOI 2034                                                   | 100                       | 5,00,000                  | 541           | 5,00,000                  | 545        |
| 23 8.17% GOI 2044                                                   | 100                       | 25,00,000                 | 2,824         | 25,00,000                 | 2,841      |
| 24 8.17% GOVT STOCK 2044                                            | 100                       | 50,00,000                 | 5,624         | 50,00,000                 | 5,658      |
| 25 8.24% GOI 2033                                                   | 100                       | 5,00,000                  | 550           | 5,00,000                  | 556        |
| 26 8.24% GOVT STOCK NOV'33                                          | 100                       | 50,00,000                 | 5,493         | 50,00,000                 | 5,557      |
| 27 8.30% GOI 2042 (1)                                               | 100                       | 20,00,000                 | 2,262         | 20,00,000                 | 2,278      |
| 28 8.30% GOI 2042 (2)                                               | 100                       | 10,00,000                 | 1,129         | 10,00,000                 | 1,136      |
| 29 8.30% GOI 2042 (3)                                               | 100                       | 5,00,000                  | 565           | 5,00,000                  | 569        |
| 30 8.30% GS 2042 (1)                                                | 100                       | 35,00,000                 | 3,973         | 35,00,000                 | 4,001      |
| 31 8.30% GS 2042 (2)                                                | 100                       | 15,00,000                 | 1,702         | 15,00,000                 | 1,715      |
| 32 8.30%GOI-2040                                                    | 100                       | 45,00,000                 | 5,055         | 45,00,000                 | 5,094      |
| 33 8.33% GOI 2036 (1)                                               | 100                       | 10,00,000                 | 1,127         | 10,00,000                 | 1,139      |
| 34 8.33% GOI 2036 (2)                                               | 100                       | 19,00,000                 | 2,142         | 19,00,000                 | 2,165      |
| 35 8.33% GOI 2036 (3)                                               | 100                       | 25,00,000                 | 2,752         | 25,00,000                 | 2,777      |
| 36 8.83% GOI 2041 (1)                                               | 100                       | 10,00,000                 | 1,170         | 10,00,000                 | 1,181      |
| 37 8.83% GOI 2041 (2)                                               | 100                       | 15,00,000                 | 1,755         | 15,00,000                 | 1,771      |
| 38 8.83% GOVT.STOCK 2041                                            | 100                       | 10,00,000                 | 1,197         | 10,00,000                 | 1,209      |
| 39 9.23% GOI 23/12/2043 (1)                                         | 100                       | 10,00,000                 | 1,212         | 10,00,000                 | 1,224      |
| 40 9.23% GOI 23/12/2043 (2)                                         | 100                       | 10,00,000                 | 1,212         | 10,00,000                 | 1,224      |
| 41 9.23% GOI 23/12/2043 (3)                                         | 100                       | 50,00,000                 | 6,122         | 50,00,000                 | 6,185      |
| 42 9.23% GOI 23/12/2043 (4)                                         | 100                       | 20,00,000                 | 2,436         | 20,00,000                 | 2,461      |
| 43 7.09% GS 2074                                                    | 100                       | 90,00,000                 | 8,950         | -                         | -          |
| 44 7.34% Government of India 2064                                   | 100                       | 50,00,000                 | 5,025         | -                         | -          |
| <b>Sub-Total</b>                                                    |                           | -                         | 1,27,243      | -                         | 1,13,803   |

## Note # 13 Investments

(₹ in Lakhs)

| Non Current Investments<br>(valued at cost unless stated otherwise) | Face<br>Value per<br>share ₹ | As at 31st March 2026     |            | As at 31st March 2025     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|
|                                                                     |                              | Number of<br>Units/Shares | Book Value | Number of<br>Units/Shares | Book Value |
| <b>b) State Government Securities</b>                               |                              |                           |            |                           |            |
| 1 6.61% MP SDL 2037                                                 | 100                          | 5,00,000                  | 496        | 5,00,000                  | 496        |
| 2 6.68% Haryana SDLs                                                | 100                          | 25,00,000                 | 2,454      | 25,00,000                 | 2,451      |
| 3 7.88% AP SDL 2031                                                 | 100                          | 10,00,000                 | 1,044      | 10,00,000                 | 1,052      |
| 4 6.80% JK SDL 2035                                                 | 100                          | 5,00,000                  | 502        | 5,00,000                  | 502        |
| 5 6.99% WB SDL 2036                                                 | 100                          | 5,00,000                  | 506        | 5,00,000                  | 506        |
| 6 7.08% AP SDL 2035                                                 | 100                          | 10,00,000                 | 1,006      | 10,00,000                 | 1,006      |
| 7 7.43% HR 09/03/2041                                               | 100                          | 5,00,000                  | 504        | 5,00,000                  | 504        |
| 8 6.96% TN SDL 2056                                                 | 100                          | 10,00,000                 | 978        | 10,00,000                 | 977        |
| 9 7.86% Assam SDL 2032 (2)                                          | 100                          | 20,80,000                 | 2,080      | 20,80,000                 | 2,080      |
| 10 7.94% Haryana SDL 2034 (2)                                       | 100                          | 19,50,000                 | 1,951      | 19,50,000                 | 1,951      |
| 11 7.50% HP SDL 2036 (1)                                            | 100                          | 20,00,000                 | 2,005      | 20,00,000                 | 2,006      |
| 12 7.50% HP SDL 2036 (2)                                            | 100                          | 10,00,000                 | 1,002      | 10,00,000                 | 1,002      |
| 13 7.85% MP SDL 2032 (3)                                            | 100                          | 25,00,000                 | 2,541      | 25,00,000                 | 2,547      |
| 14 7.70% BR SGS 2031                                                | 100                          | 50,00,000                 | 5,002      | 50,00,000                 | 5,002      |
| 15 7.62%Bihar SGS 2031                                              | 100                          | 10,00,000                 | 997        | 10,00,000                 | 997        |
| 16 7.76% MP SDL 2037                                                | 100                          | 2,94,300                  | 296        | 2,94,300                  | 296        |
| 17 7.74% RJ SDL 2039                                                | 100                          | 26,61,100                 | 2,671      | 26,61,100                 | 2,672      |
| 18 7.76% AP SDL 2037                                                | 100                          | 20,51,600                 | 2,063      | 20,51,600                 | 2,064      |
| 19 7.75% TS SDL 2037                                                | 100                          | 44,19,100                 | 4,443      | 44,19,100                 | 4,445      |
| 20 7.46% MH 13/09/2033                                              | 100                          | 50,00,000                 | 4,953      | 50,00,000                 | 4,947      |
| 21 7.81% Gujarat SGS 2032                                           | 100                          | 50,00,000                 | 5,043      | 50,00,000                 | 5,050      |
| 22 7.77% AP SGS 2035                                                | 100                          | 9,00,000                  | 902        | 9,00,000                  | 902        |
| 23 7.75% Rajasthan SGS 2036                                         | 100                          | 24,00,000                 | 2,404      | 24,00,000                 | 2,405      |
| 24 7.70% UP SGS 2035                                                | 100                          | 17,85,000                 | 1,781      | 17,85,000                 | 1,781      |
| 25 7.70% UP SGS 2035                                                | 100                          | 11,60,000                 | 1,159      | 11,60,000                 | 1,159      |
| 26 7.75% UP SGS 2034                                                | 100                          | 2,58,100                  | 258        | 2,58,100                  | 259        |
| 27 7.75% UP SGS 2034 (1)                                            | 100                          | 5,00,000                  | 501        | 5,00,000                  | 501        |
| 28 7.75% UP SGS 2034                                                | 100                          | 10,00,000                 | 1,002      | 10,00,000                 | 1,002      |
| 29 7.71% J&K SGS 2048                                               | 100                          | 42,50,000                 | 4,223      | 42,50,000                 | 4,222      |
| 30 7.72% J&K SGS 2043                                               | 100                          | 2,00,000                  | 199        | 2,00,000                  | 199        |
| 31 6.63% TN SDL 2035                                                | 100                          | 30,00,000                 | 2,796      | 30,00,000                 | 2,775      |
| 32 7.93% TS SDL 2034                                                | 100                          | 5,00,000                  | 505        | 5,00,000                  | 506        |
| 33 7.70% UP SDL 2034                                                | 100                          | 5,00,000                  | 501        | 5,00,000                  | 501        |
| <b>Sub-Total</b>                                                    |                              | -                         | 58,768     | -                         | 58,765     |
| <b>Total Other Investments [ ii = (a+b) ]</b>                       |                              | -                         | 1,86,011   | -                         | 1,72,568   |
| <b>Aggregate market value as at the end of the year:</b>            |                              |                           |            |                           |            |
| Aggregate amount of Un-quoted Other investments                     |                              |                           | 1,78,543   |                           | 1,76,721   |
| Aggregate Provision for diminution in value of investments.         |                              |                           | -          |                           | -          |
|                                                                     |                              | -                         | 1,78,543   | -                         | 1,76,721   |
| <b>Total Non-Current Investments ( i + ii )</b>                     |                              | -                         | 1,87,321   | -                         | 1,73,778   |

(₹ in Lakhs)

| <b>Note # 14 Inventories</b>                        | <b>As at<br/>31st March 2026</b> | <b>As at<br/>31st March 2025</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| (a) Member related Publication (net of provision)   | <b>258</b>                       | 62                               |
| (b) Study Materials for students (net of provision) | <b>262</b>                       | 921                              |
| (c) Stationery & stores                             | <b>30</b>                        | 31                               |
| <b>Total</b>                                        | <b>550</b>                       | <b>1,014</b>                     |

(₹ in Lakhs)

| <b>Note # 15 Loans and advances</b>        | <b>Long Term</b>                     |                                      | <b>Short Term</b>                    |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                            | <b>As at<br/>31st March<br/>2026</b> | <b>As at<br/>31st March<br/>2025</b> | <b>As at<br/>31st March<br/>2026</b> | <b>As at<br/>31st March<br/>2025</b> |
| <b>Unsecured, Considered Good</b>          |                                      |                                      |                                      |                                      |
| (a) Loans and advances                     |                                      |                                      |                                      |                                      |
| (i) Employees                              | <b>1,986</b>                         | 1,440                                | <b>543</b>                           | 365                                  |
| (ii) Others                                | -                                    | -                                    | <b>242</b>                           | 216                                  |
| <b>Sub-Total-(a)</b>                       | <b>1,986</b>                         | 1,440                                | <b>785</b>                           | <b>581</b>                           |
| (b) Other loans and advances               |                                      |                                      |                                      |                                      |
| (i) Prepaid expenses                       | -                                    | -                                    | <b>1,601</b>                         | 1,234                                |
| (ii) Tax deducted at source receivable     | -                                    | -                                    | <b>2,847</b>                         | 2,383                                |
| (iii) GST on advance received from members | <b>171</b>                           | 174                                  | <b>252</b>                           | 201                                  |
| (iv) GST input credit receivable *         | -                                    | -                                    | <b>1,420</b>                         | 1,688                                |
| (v) Electronic Cash and Credit ( GST )     | -                                    | -                                    | <b>4,020</b>                         | 3,007                                |
| (vi) Pre-Deposit Appeal on GST             | -                                    | -                                    | <b>230</b>                           | 89                                   |
| (vii) Security Deposits                    | <b>93</b>                            | 81                                   | <b>703</b>                           | 664                                  |
| (viii) Others                              | -                                    | -                                    | <b>262</b>                           | 273                                  |
| <b>Sub-Total-(b)</b>                       | <b>264</b>                           | <b>255</b>                           | <b>11,335</b>                        | <b>9,539</b>                         |
| <b>Total (a+b)</b>                         | <b>2,250</b>                         | <b>1,695</b>                         | <b>12,120</b>                        | <b>10,120</b>                        |

\* Less net of provision of ₹ 146 Lakhs (Previous Year Nil)

(₹ in Lakhs)

| <b>Note # 16 Other non-current assets</b>                       | <b>As at<br/>31st March 2026</b> | <b>As at<br/>31st March 2025</b> |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| (a) Fixed Deposits                                              |                                  |                                  |
| (i) Fixed Deposits with original maturity of more than one year | <b>1,550</b>                     | 6,335                            |
| (b) Interest accrued but not due                                |                                  |                                  |
| (i) Interest Accrued-Staff                                      | <b>382</b>                       | 345                              |
| <b>Total</b>                                                    | <b>1,932</b>                     | <b>6,680</b>                     |

(₹ in Lakhs)

| <b>Note # 17 Receivables</b>              | <b>As at<br/>31st March 2026</b> | <b>As at<br/>31st March 2025</b> |
|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| (a) Receivable from Constituents :        |                                  |                                  |
| i) Receivables Unsecured, considered good | <b>332</b>                       | 1,050                            |
| ii) Receivables Unsecured, Doubtful       | <b>1,076</b>                     | 834                              |
| Less: Provision for doubtful receivables  | <b>(1,076)</b>                   | (834)                            |
| (b) Others                                | <b>704</b>                       | 654                              |
| <b>Total</b>                              | <b>1,036</b>                     | <b>1,704</b>                     |

(₹ in Lakhs)

| <b>Note # 18 Cash and Bank Balances</b>                                            | <b>As at<br/>31st March 2026</b> | <b>As at<br/>31st March 2025</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>A Cash and cash equivalents</b>                                                 |                                  |                                  |
| (a) Bank balances                                                                  | <b>13,702</b>                    | 11,372                           |
| (b) Cash in hand                                                                   | <b>17</b>                        | 18                               |
| <b>Sub-Total (A)</b>                                                               | <b>13,719</b>                    | <b>11,390</b>                    |
| <b>B Other bank balances</b>                                                       |                                  |                                  |
| (a) Earmarked Bank Deposits                                                        | <b>7,940</b>                     | 7,385                            |
| (b) Deposits with original maturity for more than 3 months but less than 12 months | <b>78,809</b>                    | 1,01,557                         |
| <b>Sub-Total (B)</b>                                                               | <b>86,749</b>                    | <b>1,08,942</b>                  |
| <b>Total (A + B)</b>                                                               | <b>1,00,468</b>                  | <b>1,20,332</b>                  |

\* Bank Deposits include a deposit of ₹ 3.90 lakhs under lien (Previous Year ₹ 3.90 lakhs)

(₹ in Lakhs)

| <b>Note # 19 Other current assets</b>          | <b>As at<br/>31st March 2026</b> | <b>As at<br/>31st March 2025</b> |
|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| (a) Interest accrued but not due on Investment |                                  |                                  |
| i) Interest Accrued-Investment                 | <b>4,195</b>                     | 3,790                            |
| (b) Interest accrued but not due               |                                  |                                  |
| i) Interest Accrued-Fixed Deposits with Banks  | <b>2,053</b>                     | 3,230                            |
| ii) Interest Accrued-Staff                     | <b>75</b>                        | 71                               |
| <b>Total</b>                                   | <b>6,323</b>                     | <b>7,091</b>                     |

(₹ in Lakhs)

| <b>Note # 20 : Fees from rendering of services</b>                | <b>For the year ended<br/>31st March 2026</b> | <b>For the year ended<br/>31st March 2025</b> |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| a) Distance education fee                                         | <b>37,203</b>                                 | 34,908                                        |
| b) Students registration fees                                     | <b>826</b>                                    | 887                                           |
| c) Regulatory IT & Soft Skills training :                         |                                               |                                               |
| i) Information Technology Training                                | <b>5,323</b>                                  | 5,977                                         |
| ii) General Management and Communication Skills                   | <b>2,140</b>                                  | 2,506                                         |
| iii) Orientation                                                  | <b>3,164</b>                                  | 3,789                                         |
| d) Revisionary classes                                            | <b>766</b>                                    | 798                                           |
| e) Examination                                                    | <b>23,249</b>                                 | 23,194                                        |
| f) Membership                                                     | <b>15,475</b>                                 | 14,893                                        |
| Less:-Discount on E-Journal                                       | <b>(2,001)</b>                                | (1,927)                                       |
| g) Entrance & admission for members : Refer Note No. 2.11 (v) (b) | <b>746</b>                                    | 743                                           |
| h) Income from firms                                              | <b>52</b>                                     | 85                                            |
| i) Post qualification courses                                     | <b>601</b>                                    | 474                                           |
| j) Certificate courses                                            | <b>2,185</b>                                  | 1,495                                         |
| k) Campus interview income                                        | <b>1,411</b>                                  | 1,369                                         |
| l) Seminar income :                                               |                                               |                                               |
| i) Members                                                        | <b>7,200</b>                                  | 6,139                                         |
| ii) Students                                                      | <b>699</b>                                    | 508                                           |
| m) Expert advisory fee                                            | <b>47</b>                                     | 62                                            |
| n) Fee for filing disciplinary cases                              | <b>53</b>                                     | 74                                            |
| <b>Total</b>                                                      | <b>99,139</b>                                 | <b>95,974</b>                                 |

(₹ in Lakhs)

| <b>Note # 21 : Sale of publications and other items</b> | <b>For the year ended<br/>31st March 2026</b> | <b>For the year ended<br/>31st March 2025</b> |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| a) Publications                                         | <b>495</b>                                    | 600                                           |
| b) Goods                                                | <b>4</b>                                      | -                                             |
| c) Journal :-                                           |                                               |                                               |
| i) Members                                              | <b>2</b>                                      | 3                                             |
| ii) Students                                            | <b>3</b>                                      | 3                                             |
| d) Scrap items                                          | <b>77</b>                                     | 66                                            |
| <b>Total</b>                                            | <b>581</b>                                    | <b>672</b>                                    |



(₹ in Lakhs)

| <b>Note # 22 : Income from restricted funds</b> | <b>For the year<br/>ended 31st<br/>March 2026</b> | <b>For the year<br/>ended 31st<br/>March 2025</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| a) Interest on Medal & prizes funds             | 24                                                | 36                                                |
| b) Interest on Student Scholarship funds        | 19                                                | 28                                                |
| <b>Total</b>                                    | <b>43</b>                                         | <b>64</b>                                         |

(₹ in Lakhs)

| <b>Note # 23 : Other income</b>                      | <b>For the year<br/>ended 31st<br/>March 2026</b> | <b>For the year<br/>ended 31st<br/>March 2025</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| a) Interest on Bank Deposits                         | 4,584                                             | 4,965                                             |
| b) Interest on Investment                            | 3,567                                             | 5,299                                             |
| c) Interest on Designated Funds :-                   |                                                   |                                                   |
| i) Research Fund                                     | 282                                               | 282                                               |
| ii) Accounting Research Building Fund                | 100                                               | 101                                               |
| iii) Education Fund                                  | 5,115                                             | 5,208                                             |
| iv) Students Scholarship Fund                        | 2,937                                             | 854                                               |
| v) Sinking Fund for repair and replacement of assets | 3,120                                             | 2,991                                             |
| vi) Employees Benevolent Fund                        | 136                                               | 132                                               |
| vii) Other Designated Funds                          | 220                                               | 128                                               |
| d) Interest on staff loan                            | 117                                               | 103                                               |
| e) Advertisement income                              | 218                                               | 225                                               |
| f) Election income                                   | -                                                 | 48                                                |
| g) Interest on income tax refund                     | -                                                 | 35                                                |
| h) Provision for expenses of earlier years credited  | -                                                 | 540                                               |
| i) Provision no longer required written back         | 376                                               | 188                                               |
| j) Prior period income (Refer Note 29.05)            | 969                                               | 654                                               |
| k) Miscellaneous income                              | 437                                               | 374                                               |
| <b>Total</b>                                         | <b>22,178</b>                                     | <b>22,127</b>                                     |

(₹ in Lakhs)

| <b>Note # 24 (A) : Cost of publications</b>                 | <b>For the year ended<br/>31st March 2026</b> | <b>For the year ended<br/>31st March 2025</b> |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>a) Purchases of stock-in-trade</b>                       |                                               |                                               |
| I) Purchases for sale of publication material               | <b>1,508</b>                                  | <b>662</b>                                    |
| <b>Sub Total</b>                                            | <b>1,508</b>                                  | <b>662</b>                                    |
| <b>b) Changes in inventories of stock-in trade</b>          |                                               |                                               |
| I) Inventories at the beginning of the year                 | <b>62</b>                                     | 98                                            |
| II) Inventories at the end of the year                      | <b>258</b>                                    | 62                                            |
| <b>(Increase)/decrease in inventories of stock-in-trade</b> | <b>(196)</b>                                  | <b>36</b>                                     |
| <b>Total ( a + b )</b>                                      | <b>1,312</b>                                  | <b>698</b>                                    |

| <b>Note # 24 (B) : Cost of printing for study material</b>  | <b>For the year ended<br/>31st March 2026</b> | <b>For the year ended<br/>31st March 2025</b> |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>a) Purchases of stock-in-trade</b>                       |                                               |                                               |
| I) Purchases for sale of study material                     | <b>4,231</b>                                  | <b>4,385</b>                                  |
| <b>Sub Total</b>                                            | <b>4,231</b>                                  | <b>4,385</b>                                  |
| <b>b) Changes in inventories of stock-in trade</b>          |                                               |                                               |
| J) Inventories at the beginning of the year                 | <b>921</b>                                    | 1,139                                         |
| a. Inventories at the end of the year                       | <b>262</b>                                    | 921                                           |
| <b>(Increase)/decrease in inventories of stock-in-trade</b> | <b>659</b>                                    | <b>218</b>                                    |
| <b>Total ( a + b )</b>                                      | <b>4,890</b>                                  | <b>4,603</b>                                  |
| <b>Total (Note #24) (A+B)</b>                               | <b>6,202</b>                                  | <b>5,301</b>                                  |

(₹ in Lakhs)

| <b>Note # 25 : Employee benefits</b>                       | <b>For the year ended<br/>31st March 2026</b> | <b>For the year ended<br/>31st March 2025</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| a) Salaries and other allowances *                         | <b>11,255</b>                                 | 24,837                                        |
| b) Contribution to provident and other funds ( Note # 30 ) | <b>1,116</b>                                  | 1,098                                         |
| c) Gratuity expenses ( Note # 30.01 )                      | <b>329</b>                                    | 1,081                                         |
| d) Staff welfare expenses                                  | <b>126</b>                                    | 137                                           |
| <b>Total</b>                                               | <b>12,826</b>                                 | <b>27,153</b>                                 |

\* For related party disclosures refer Note 29.12

(₹ in Lakhs)

| <b>Note # 26 : Depreciation and amortization</b> | <b>For the year ended<br/>31st March 2026</b> | <b>For the year ended<br/>31st March 2025</b> |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| a) On tangible assets (Refer note 10)            | <b>4,703</b>                                  | 3,577                                         |
| b) On intangible assets (Refer note 11)          | <b>362</b>                                    | 210                                           |
| <b>Total</b>                                     | <b>5,065</b>                                  | <b>3,787</b>                                  |

(₹ in Lakhs)

| <b>Note # 27 : Expense from restricted funds</b> | <b>For the year ended<br/>31st March 2026</b> | <b>For the year ended<br/>31st March 2025</b> |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| a) Payments to Medal & Prizes Funds              | <b>33</b>                                     | 17                                            |
| b) Payments to Student Scholarship Funds         | <b>12</b>                                     | 19                                            |
| <b>Total</b>                                     | <b>45</b>                                     | <b>36</b>                                     |

(₹ in Lakhs)

| <b>Note # 28 : Other Expenses</b>                      | <b>For the year ended<br/>31st March 2026</b> | <b>For the year ended<br/>31st March 2025</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 Seminar expenses                                     |                                               |                                               |
| i) Members                                             | <b>10,965</b>                                 | 10,047                                        |
| ii) Students                                           | <b>3,698</b>                                  | 3,416                                         |
| 2 Regulatory IT & Soft Skills training :               |                                               |                                               |
| i) Information Technology Training                     | <b>2,970</b>                                  | 2,688                                         |
| ii) General Management and Communication Skills        | <b>1,341</b>                                  | 1,525                                         |
| iii) Orientation                                       | <b>1,910</b>                                  | 1,825                                         |
| 3 Revisionary classes expenses                         | <b>696</b>                                    | 786                                           |
| 4 Meeting expenses                                     | <b>1,414</b>                                  | 1,440                                         |
| 5 Office expenses                                      | <b>1,394</b>                                  | 1,021                                         |
| 6 Power and fuel                                       | <b>1,486</b>                                  | 1,412                                         |
| 7 Repairs & maintenance                                | <b>2,746</b>                                  | 2,576                                         |
| 8 Insurance                                            | <b>360</b>                                    | 242                                           |
| 9 Rent, rate & taxes :                                 |                                               |                                               |
| i) Rent - Examination centres                          | <b>6,507</b>                                  | 5,886                                         |
| ii) Others                                             | <b>1,591</b>                                  | 1,439                                         |
| 10 Travelling & conveyance                             | <b>3,111</b>                                  | 2,480                                         |
| 11 Overseas membership subscription fees               | <b>1,069</b>                                  | 903                                           |
| 12 Auditor's remuneration :                            |                                               |                                               |
| i) Head office                                         | <b>25</b>                                     | 25                                            |
| ii) Other offices and branches                         | <b>110</b>                                    | 102                                           |
| 13 Printing and stationery                             | <b>3,369</b>                                  | 4,039                                         |
| 14 Communication expenses                              | <b>2,857</b>                                  | 2,980                                         |
| 15 Legal charges                                       | <b>672</b>                                    | 808                                           |
| 16 Professional expenses :                             |                                               |                                               |
| i) Examination                                         | <b>12,935</b>                                 | 11,891                                        |
| ii) Others                                             | <b>2,012</b>                                  | 1,891                                         |
| 17 Manpower & others services                          | <b>7,434</b>                                  | 6,689                                         |
| 18 Internet & web maintenance charges                  | <b>4,500</b>                                  | 3,668                                         |
| 19 Advertisement                                       | <b>1,286</b>                                  | 708                                           |
| 20 Bank commission                                     | <b>73</b>                                     | 128                                           |
| 21 Loss (net) on sale of Property, Plant and Equipment | <b>35</b>                                     | 61                                            |
| 22 Loss on foreign exchange transactions (net)         | <b>40</b>                                     | 26                                            |
| 23 Provision for Doubtful Debts and Advance            | <b>518</b>                                    | 184                                           |
| 24 Payments to Designated Funds:                       |                                               |                                               |
| i) Students Scholarship Fund                           | <b>2,699</b>                                  | 969                                           |
| ii) Employees Benevolent Fund                          | <b>64</b>                                     | 33                                            |
| iii) Other Designated Funds                            | <b>2</b>                                      | -                                             |
| 25 Merit scholarship                                   | <b>5</b>                                      | 14                                            |
| 26 Election expenses                                   | <b>83</b>                                     | 1,350                                         |
| 27 Interest expenses                                   | <b>4</b>                                      | 4                                             |
| 28 Bad Debts                                           | <b>377</b>                                    | -                                             |
| 29 Magazines & periodicals                             | <b>33</b>                                     | 33                                            |
| 30 Provision for publication obsolete stock            | <b>26</b>                                     | 197                                           |
| 31 Contribution to CASBF [ Refer Note 2.12 (f) ]       | <b>203</b>                                    | 184                                           |
| 32 Expenses for other entities                         | <b>183</b>                                    | 338                                           |
| 33 Prior Period Expenses (Refer Note 29.10)            | <b>1,994</b>                                  | 537                                           |
| <b>Total</b>                                           | <b>82,797</b>                                 | <b>74,545</b>                                 |

**Disclosure under Accounting Standards****29 Additional Notes to the Financial Statements****29.01 Contingent liabilities and commitments****a. Contingent liabilities**

- i) Claims against the Institute not acknowledged as debts (₹ in Lakhs)

|                                               | <b>As at 31st<br/>March 2026</b> | <b>As at 31st<br/>March 2025</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| a) Goods & Services Tax Demand Under Appeal * | 3,209                            | 1,985                            |
| b) Labour law related Demand Under Appeal     | 129                              | 122                              |
| c) Contractor and Other Demands Under Dispute | 424                              | 373                              |
|                                               | <b>3,762</b>                     | <b>2,480</b>                     |

\* Excluding interest and penalty of CY : ₹2,462 lakhs (PY ₹1,294 lakhs).

- ii) In financial year 2018-19, the Institute received two show cause notices of ₹ 15,797 lakhs from the Additional Director General, Goods and Service Tax Intelligence for payment of service tax on annual fee, certificate of practice fee, entrance fee, Seminar Fees and Coaching Class Fees etc. The Institute is of the opinion that it is not liable to service tax and filed writ petition No. 3957/2019 in High Court of Delhi in April 2019. Additional Director General, DGCEI, Kochi filed a Counter affidavit against the aforesaid writ petition in October 2019 against which the Institute filed a rejoinder affidavit in December 2019. The matter is being adjourned from time to time.

**b. Capital Commitments**

|                                         | <b>As at 31st<br/>March 2026</b> | <b>As at 31st<br/>March 2025</b> |
|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Capital Commitments ( Net of advances ) | 15,409                           | 12,361                           |

29.02 During the year, Rs 137 lakhs towards stamp duty refund on cancellation of principal and supplementary agreements of acquiring property at Nagpur was received to settle the receivables. The related provision of Rs 60 lakhs was accordingly reversed.

29.03 The report of the detailed review of various reserves and designated funds received in the earlier year is still under review to restructure these funds as per the present requirements and functioning of the Institute.

29.04 The unquoted investments in Government securities have been made for the long term. The market price of these bonds fluctuate on a day to day basis, since the intention of the Institute is to hold these securities for long term, any temporary decline in the value of these securities against the cost is not provided for as the management is confident that in the long run the market price of these securities will be more than its cost.

29.05 The inter unit transactions of units pertaining to Income and Expenditure of current accounts stand reconciled. The net unreconciled difference of ₹108 lakhs arising in inter-unit receivable and payable balances, which pertains to prior periods and could not be specifically identified or allocated despite reconciliation efforts, has been recognized as Prior

Period Income during the year with the approval of the Management.

Accordingly, the total Prior Period Income recognized during the year amounts to ₹969 lakhs includes the aforesaid ₹108 lakhs on account of inter-unit reconciliation differences and ₹861 lakhs relating to other prior period adjustments/credits identified and accounted for during the year.

29.06 The study circles, study chapters and overseas chapters are separate entities and their accounts are not consolidated.

29.07 Steps are being taken to renew the lease period of land expired in some of units. Renewal Lease Premium shall become due once confirmation is received from the relevant authorities.

29.08 As part of the process regarding compliance with Micro, Small & Medium Enterprises Development Act 2006, the Institute has received information from certain vendors at Head Office stating their status as vendors registered with notified authority.

With regard to the vendors at branches and other locations, steps have already been initiated for the identification of vendors and the same will be complied with once the process is complete.

29.09 Expenditure incurred in foreign currency are detailed below :

| (₹ in Lakhs) |                                       |                                       |                                                   |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| S.No         | Particulars                           | For the year ended<br>31st March 2026 | For the year ended<br>31 <sup>st</sup> March 2025 |
| 1            | Overseas membership subscription fees | 1,069                                 | 903                                               |
| 2            | Overseas related travel expenses      | 163                                   | 165                                               |
| 3            | Seminar & others                      | 136                                   | 166                                               |
|              | <b>Total</b>                          | <b>1,368</b>                          | <b>1,234</b>                                      |

29.10 Prior period expenses include the impact of actuarial valuations of post-retirement medical benefit obligations of ₹1177 lakhs, long-service award benefits of ₹255 lakhs as per the applicable service rules, and provident fund liabilities attributable to prior periods of ₹526 lakhs, which have been recognized in the current financial year.

29.11 An internal assessment of compliance with various provisions of the New Labour Code has been carried out, and no material financial impact has been assessed

29.12 Related Party Disclosures ( in accordance with AS-18 )

| (₹ in Lakhs) |                                                                    |                   |                                               |            |            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|
| S No         | Name                                                               | Relationship      | Nature of Transaction                         | FY 2025-26 | FY 2024-25 |
| 1            | <b>Indian Institute of Insolvency Professionals of ICAI (IIPI)</b> | Subsidiary Entity | Billing for Manpower & Infrastructure support | 69         | 63         |
| 2            | <b>ICAI Registered Valuers Organisation (ICAI RVO)</b>             | Subsidiary Entity | Billing for Manpower & Infrastructure support | 17         | 3          |
| 3            | <b>Institute of Social Auditors of India (ISAI)</b>                | Subsidiary Entity | Billing for Manpower & Infrastructure support | 92         | 5          |
|              |                                                                    |                   | Reimbursement of Manpower Expenses            | 6          | -          |
| 4            | <b>ICAI International ADR Center</b>                               | Subsidiary Entity | Investment                                    | 100        | -          |

|   |                                                            |                |                                                        |       |       |
|---|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------|-------|
| 5 | <b>ICAI Accounting Research Foundation (ICAI ARF)</b>      | Control Exists | Billing for Manpower & Infrastructure support          | 57    | 3     |
|   |                                                            |                | Reimbursement claimed for Travelling Expenses incurred | -     | 1     |
| 6 | <b>Extensible Business Reporting Language (XBRL) India</b> | Control Exists | Billing for Manpower                                   | 14    | -     |
| 7 | <b>ICAI PF Trust</b>                                       | Control Exists | PF Contribution                                        | 1,077 | 1,058 |
| 8 | <b>Secretary, ICAI</b>                                     | KMP as CEO     | Gross Remuneration                                     | 69    | 68    |

The Amounts in above table are excluding GST

#### Outstanding Balances on reporting date

(₹ in Lakhs)

| S No | Name                                           | Relationship      | Nature     | As at 31st March 2026 | As at 31st March 2025 |
|------|------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 1    | ICAI Accounting Research Foundation (ICAI ARF) | Control Exists    | Payable    | -                     | 3                     |
|      |                                                |                   | Receivable | 64                    | 5                     |
| 2    | Institute of Social Auditors of India (ISAI)   | Subsidiary Entity | Payable    | 6                     | -                     |
|      |                                                |                   | Receivable | 26                    | 5                     |
| 3    | Extensible Business Reporting Language (XBRL)  | Control Exists    | Receivable | 17                    | -                     |
| 4    | ICAI PF Trust                                  | Control Exists    | Payable    | 493                   | 382                   |

29.13 The financial information of one overseas operation with negligible financial activity and five Branches established during the year, for which no branch auditors were appointed as the Branches had not commenced any financial operations, has not been audited.

The aggregate financial information of these unaudited units comprises total assets of ₹ 3 lakh, net assets of ₹ (65) Lakhs as at 31st March 2026, the net cash inflows of ₹ NIL Lakhs, total revenue of ₹ Nil lakh and net deficit of ₹ 8 lakh for the year then ended. Such financial information has been incorporated in these financial statements based on management-certified accounts. This information is not material to the Institute.

### 30 Employee Benefits

#### (a) Defined Benefit plans

The Institute has recognised an amount of ₹ 1077 lakhs for the year ended March 31, 2026 (Previous year ₹ 1,058 lakhs) towards contribution to Provident Fund.

#### (b) Defined Contribution plans

The Institute has recognised an amount of ₹ 39 lakhs for the year ended March 31, 2026 (Previous year ₹ 39 lakhs) towards contribution to NPS.

The Institute has provided the following defined benefit plans to its employees

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Gratuity :                               | Funded ( 100% with LIC ) |
| Post retirement Pension :                | Funded ( 100% with LIC ) |
| Compensated Absence (Leave Encashment) : | Un-funded                |
| Long service award                       | Un-funded                |

Post Retirement Medical benefit

Un-funded

**30.01 Details of the Gratuity Plan are as follows**

(₹ in Lakhs)

| Description                                                            | 2025-26              | 2024-25              |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Reconciliation of opening and closing balances of obligation</b> |                      |                      |
| a. Obligation as at beginning of the year                              | 5,557                | 4,560                |
| b. Past service cost                                                   | -                    | 738                  |
| c. Current service cost                                                | 274                  | 409                  |
| d. Interest cost                                                       | 368                  | 369                  |
| e. Actuarial (gain)/loss                                               | (120)                | (123)                |
| f. Benefits paid                                                       | (305)                | (396)                |
| g. Obligation as at end of the year                                    | 5,774                | 5,557                |
| <b>2. Change in present value of plan assets</b>                       |                      |                      |
| a. Fair value of plan assets as at beginning of the year               | 4,340                | 4,140                |
| b. Expected return on plan assets                                      | 317                  | 301                  |
| c. Actuarial gain/(loss)                                               | (124)                | 11                   |
| d. Contributions made by the Institute                                 | 895                  | 208                  |
| e. Benefits paid                                                       | (305)                | (320)                |
| f. Fair value of plan assets as at end of the year                     | 5,123                | 4,340                |
| <b>3. Reconciliation of fair value of plan assets and obligations</b>  |                      |                      |
| a. Present value of obligation                                         | 5,774                | 5,557                |
| b. Fair value of plan assets                                           | 5,123                | 4,340                |
| c. Amount recognised in the balance sheet Asset/(Liability)            | (651)                | (1,217)              |
| <b>4. Expenses recognised during the year</b>                          |                      |                      |
| a. Past service cost                                                   | -                    | 738                  |
| b. Current service cost                                                | 274                  | 409                  |
| c. Interest cost                                                       | 368                  | 369                  |
| d. Expected return on plan assets                                      | (317)                | (301)                |
| e. Actuarial (gain)/loss                                               | 4                    | (134)                |
| f. Expenses recognised during the year                                 | 329                  | 1,081                |
| <b>5. Investment details</b>                                           | % invested           | % invested           |
| a. Others - Funds with Life Insurance Corporation of India             | 100                  | 100                  |
| <b>6. Assumptions</b>                                                  |                      |                      |
| a. Discount rate (per annum)                                           | 7.15%                | 6.83%                |
| b. Estimated rate of return on plan assets (per annum)                 | 7.15%                | 6.70%                |
| c. Rate of escalation in salary                                        | Basic/DA:9%          | Basic / DA : 9%      |
| d. Attrition rate                                                      | 2%                   | 2%                   |
| e. Mortality table                                                     | IAL 2012-14 Ultimate | IAL 2012-14 Ultimate |



**30.02 Details of the Post Retirement Pension Plan**

(₹ in Lakhs)

| Description                                                            | 2025-26                 | 2024-25                 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. Reconciliation of opening and closing balances of obligation</b> |                         |                         |
| a. Obligation as at beginning of the year                              | 22,613                  | 10,794                  |
| b. Past service cost                                                   | 406                     | 8,547                   |
| c. Interest cost                                                       | 1,508                   | 745                     |
| d. Actuarial (gain)/loss                                               | (2,252)                 | 3,599                   |
| e. Benefits paid                                                       | (884)                   | (1,072)                 |
| f. Obligation as at end of the year                                    | 21,391                  | 22,613                  |
| <b>2. Change in fair value of plan assets</b>                          |                         |                         |
| a. Fair value of plan assets as at beginning of the year               | 7,679                   | 8,174                   |
| b. Expected return on plan assets                                      | 492                     | 555                     |
| c. Actuarial gain/(loss)                                               | 81                      | 22                      |
| d. Contributions made by the Institute                                 | 12,302                  | -                       |
| e. Benefits paid                                                       | (884)                   | (1,072)                 |
| f. Fair value of plan assets as at end of the year                     | 19,670                  | 7,679                   |
| <b>3. Reconciliation of fair value of plan assets and obligations</b>  |                         |                         |
| a. Present value of obligation                                         | 21,391                  | 22,613                  |
| b. Fair value of plan assets                                           | 19,670                  | 7,679                   |
| c. Amount recognised in the Balance Sheet Asset/(Liability)            | (1,721)                 | (14,934)                |
| <b>4. Expenses recognised during the year</b>                          |                         |                         |
| a. Past service cost-Recognized                                        | 406                     | 8,547                   |
| b. Interest cost                                                       | 1,508                   | 745                     |
| c. Expected return on plan assets                                      | (492)                   | (555)                   |
| d. Actuarial (gain)/loss                                               | (2,333)                 | 3,577                   |
| e. Expenses recognised during the year                                 | (911)                   | 12,314                  |
| <b>5. Assumptions</b>                                                  |                         |                         |
| a. Discount rate (per annum)                                           | 7.60%                   | 6.80%                   |
| b. Mortality table                                                     | IAL 2012-14<br>Ultimate | IAL 2012-14<br>Ultimate |

**30.03 Employee Benefits**  
**Details of Leave Encashment**

(₹ in Lakhs)

| Description                                                            | 2025-26                 | 2024-25                 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. Reconciliation of opening and closing balances of obligation</b> |                         |                         |
| a. Obligation as at beginning of the year                              | 7,300                   | 7,183                   |
| b. Current service cost                                                | 285                     | 373                     |
| c. Interest cost                                                       | 492                     | 511                     |
| d. Actuarial (gain)/loss                                               | (698)                   | (526)                   |
| e. Benefits paid                                                       | (483)                   | (241)                   |
| f. Obligation as at end of the year                                    | 6,896                   | 7,300                   |
| <b>2. Reconciliation of fair value of plan assets and obligations</b>  |                         |                         |
| a. Present value of obligation                                         | 6,896                   | 7,300                   |
| b. Amount recognised in the Balance Sheet Asset/(Liability)            | (6,896)                 | (7,300)                 |
| <b>3. Expenses recognised during the year</b>                          |                         |                         |
| a. Current service cost                                                | 285                     | 373                     |
| b. Interest cost                                                       | 492                     | 511                     |
| c. Actuarial (gain)/loss                                               | (698)                   | (526)                   |
| d. Expenses recognised during the year                                 | 79                      | 358                     |
| <b>4. Assumptions</b>                                                  |                         |                         |
| a. Discount rate (per annum)                                           | 7.15%                   | 6.83%                   |
| b. Rate of escalation in salary                                        | Basic/DA: 09%           | Basic/DA: 09%           |
| c. Attrition rate                                                      | 2%                      | 2%                      |
| d. Mortality table                                                     | IAL 2012-14<br>Ultimate | IAL 2012-14<br>Ultimate |

**30.04 Details of Long Service Award**

(₹ in Lakhs)

| Description                                                            | 2025-26                 | 2024-25                 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. Reconciliation of opening and closing balances of obligation</b> |                         |                         |
| a. Obligation as at beginning of the year *                            | 255                     | -                       |
| b. Current service cost                                                | 11                      | 259                     |
| c. Interest cost                                                       | 17                      | -                       |
| d. Actuarial (gain)/loss                                               | (6)                     | -                       |
| e. Benefits paid                                                       | (25)                    | (4)                     |
| f. Obligation as at end of the year                                    | 252                     | 255                     |
| <b>2. Reconciliation of fair value of plan assets and obligations</b>  |                         |                         |
| a. Present value of obligation                                         | 252                     | 255                     |
| b. Amount recognised in the Balance Sheet Asset/(Liability)            | (252)                   | (255)                   |
| <b>3. Expenses recognised during the year</b>                          |                         |                         |
| a. Current service cost                                                | 11                      | 259                     |
| b. Interest cost                                                       | 17                      | -                       |
| c. Actuarial (gain)/loss                                               | (6)                     | -                       |
| d. Expenses recognised during the year                                 | 22                      | 259                     |
| <b>4. Assumptions</b>                                                  |                         |                         |
| a. Discount rate (per annum)                                           | 7.15%                   | 6.83%                   |
| b. Rate of escalation in salary                                        | Basic/DA:09%            | Basic/DA : 09%          |
| c. Attrition rate                                                      | 2%                      | 2%                      |
| d. Mortality table                                                     | IAL 2012-14<br>Ultimate | IAL 2012-14<br>Ultimate |

\* Valuation has been got done for the first time this year

**30.05 Details of Post Retirement Medical benefits**

(₹ in Lakhs)

| Description                                                            | 2025-26                  | 2024-25 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| <b>1. Reconciliation of opening and closing balances of obligation</b> |                          |         |
| a. Obligation as at beginning of the year*                             | 1,177                    | -       |
| b. Current service cost                                                | 34                       | -       |
| c. Interest cost                                                       | 79                       | -       |
| d. Actuarial (gain)/loss                                               | (178)                    | -       |
| e. Benefits paid                                                       | (64)                     | -       |
| f. Obligation as at end of the year                                    | 1,048                    | -       |
| <b>2. Reconciliation of fair value of plan assets and obligations</b>  |                          |         |
| a. Present value of obligation                                         | 1,048                    | -       |
| b. Amount recognised in the Balance Sheet Asset/(Liability)            | (1,048)                  | -       |
| <b>3. Expenses recognised during the year</b>                          |                          |         |
| a. Current service cost                                                | 34                       | -       |
| b. Interest cost                                                       | 79                       | -       |
| c. Actuarial (gain)/loss                                               | (178)                    | -       |
| d. Expenses recognised during the year                                 | (65)                     | -       |
| <b>4. Assumptions</b>                                                  |                          |         |
| a. Discount rate (per annum)                                           | 7.77%                    |         |
| b. Hospitalization occurrence Rate-60 Years & above-Male/Female        | 9.3%&6.9%                |         |
| c. Mortality table                                                     | IIAL 2012-15<br>Ultimate |         |

\* Valuation has been got done for the first time this year, amount has been arrived based on data as at 31.03.25 assuming same basis for current valuation and imputed rate of interest of 06.92%.

**30.06 Details of Provident fund scheme**

(₹ in Lakhs)

| Description                                                            | 2025-26                 | 2024-25 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|
| <b>1. Reconciliation of opening and closing balances of obligation</b> |                         |         |
| a. Obligation as at beginning of the year*                             | 526                     | -       |
| b. Current service cost                                                | 78                      | -       |
| c. Interest cost                                                       | 36                      | -       |
| d. Actuarial (gain)/loss                                               | (333)                   | -       |
| e. Benefits paid                                                       | -                       | -       |
| f. Obligation as at end of the year                                    | 307                     | -       |
| <b>2. Reconciliation of fair value of plan assets and obligations</b>  |                         |         |
| a. Present value of obligation                                         | 307                     | -       |
| b. Amount recognised in the Balance Sheet Asset/(Liability)            | (307)                   | -       |
| <b>3. Expenses recognised during the year</b>                          |                         |         |
| a. Current service cost                                                | 78                      | -       |
| b. Interest cost                                                       | 36                      | -       |
| c. Actuarial (gain)/loss                                               | (333)                   | -       |
| d. Expenses recognised during the year                                 | (219)                   | -       |
| <b>4. Assumptions</b>                                                  |                         |         |
| a. Discount rate (per annum)                                           | 7.34%                   |         |
| b. Estimated rate of return on plan assets (per annum)                 | 8.02%                   |         |
| c. Remaining working life                                              | 11.66 years             |         |
| d. Attrition rate                                                      | 2%                      |         |
| e. Requisite Return                                                    | 8.20%                   |         |
| f. Available Return                                                    | 8.06%                   |         |
| g. Mortality table                                                     | IAL 2012-14<br>Ultimate |         |

- \* Based on a service table allowing for mortality as per IAL 2012–14 Ultimate, 2% p.a. attrition, and retirement at age 60, discounted using an imputed interest rate of 6.79% p.a. (corresponding to the G-Sec YTM matched to the remaining working life of 12.10 years as at 31<sup>st</sup> March 2025), and assuming a required PF interest of 8.25% p.a. and an expected investment return of 8.02% p.a.

### 31 Segment Reporting

The Institute's operations are confined to "regulation and development of the profession of Chartered Accountancy" and predominantly spread in India. Hence all its operations fall under single segment within the meaning of Accounting Standard (AS) - 17 Segment Reporting.

- 32** Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to correspond with the current year's classification / disclosure.

For and on behalf of the Council

Sd/-  
CA. Sudeep Shrivastava  
Additional Secretary  
(Finance & Accounts)

Sd/-  
CA. (Dr.) Jai Kumar Batra  
Secretary

Sd/-  
CA. Mangesh P. Kinare  
Vice-President

Sd/-  
CA. Prasanna Kumar D.  
President

As per our report of even date

For ASA & Associates LLP  
Chartered Accountants  
FRN : 009571N/N500006

For Jagdish Chand & Co.  
Chartered Accountants  
FRN : 000129N

Sd/-  
CA. Parveen Kumar  
Membership No. 088810  
Partner

Sd/-  
CA. Praveen Kumar Jain  
Membership No. 085629  
Partner

Place: New Delhi  
Dated: July 27, 2026

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.  
[ADVT.-III/4/Exty./255/2026-27]